492797/2020/CO-ORDINATION

सत्यमेव जयते

वार्षिक रिपोर्ट
2019-20
श्रम एवं रोजगार मंत्रालय
भारत सरकार

Ease of Doing Business

Ease of Living

SIMPLIFICATION, RATIONALIZATION AND AMALGAMATION OF LABOUR LAWS INTO

FOUR LABOUR CODES

Employment

श्रमेव जयते

492797/2020/CO-ORDINATION

वार्षिक रिपोर्ट

2019–20

श्रम एवं रोजगार मंत्रालय

भारत सरकार

Website: www.labour.nic.in

492797/2020/CO-ORDINATION

विषय सूची

क्र .सं.	अध्याय	पृष्ठ संख्या
1.	महत्वपूर्ण गतिविधियों के मुख्य अंश	1–13
2.	संगठनात्मक ढांचा और कार्य	14–25
3.	औद्योगिक संबंध केन्द्र औद्योगिक संबंध तंत्र (सी.आई.आर.एम.)	26–44
4.	उत्पादकता	45–46
5.	मजदूरी	47–52
6.	सामाजिक सुरक्षा	53–66
7.	श्रम कल्याण	67–71
8.	असंगठित कामगार	72–77
9.	बंधुआ श्रमिक	78–79
10.	ठेका श्रमिक	80–81
11.	महिलाएँ एवं श्रम	82–89
12.	बच्चे एवं कार्य	90–100
13.	व्यावसायिक सुरक्षा एवं स्वास्थ्य (ओएसएच)	101–131
14.	श्रमिक शिक्षा	132–140
15.	योजनागत और योजनेत्तर कार्यक्रम	141–146
16.	अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति कल्याण	147–149
17.	श्रम सांख्यिकी	150–157
18.	श्रम अनुसंधान एवं प्रशिक्षण	158–170
19.	सूचना प्रौद्यौगिक/मीडिया सबंधी पहलें/ई–गवर्नेंस	171–178
20.	सतर्कता एवं लोक शिकायतों का निपटारा	179–186
21.	अंतर्राष्ट्रीय सहयोग	187–201
22.	प्रधान लेखा कार्यालय, श्रम एवं रोजगार मंत्रालय	202–205
23.	रोजगार महानिदेशालय	206–215
24.	विशेष श्रेणियों को रोजगार सहायता	216–222
25.	लिंग आधारित बजट	223–224

492797/2020/CO-ORDINATION

अध्याय–1

महत्वपूर्ण गतिविधियों के मुख्य अंश

परिचय

1.1 काम हरेक व्यक्ति के दैनंदिन जीवन का भाग है और यह मानव की गरिमा, कल्याण और विकास के लिए अत्यंत महत्पवूर्ण है। आर्थिक विकास का तात्पर्य सिर्फ नौकरी का सृजन करना ही नहीं अपितु काम करने का ऐसा माहौल भी तैयार करना है जिसमें स्वतंत्र, सुरक्षित और गरिमा के साथ काम किया जा सके। भारत सरकार के महत्वपूर्ण मंत्रालयों में से एक श्रम एवं रोजगार मंत्रालय देश के श्रमिकों के हित कीसुरक्षा और रक्षोपाय करते, उनके कल्याण को बढावा देते और संगठित एवं असंगठित दोनों क्षेत्रों के श्रमिकों को सामाजिक सुरक्षा प्रदान करते हुए विभिन्न श्रम कानून, जो कामगारों की सेवा और रोजगार की अनुवंधन व शर्तें को विनयमित करते हैं को बनाकर और क्रियानवित कर उनके जीवन स्तर में सुधार और उनकी गरिमा को सुनिश्चित करने हेतु क्रियाशील है। राज्य सरकार भी विधान बनाने के लिए सक्षम हैं क्योंकि श्रम भारतीय संविधान के समवर्ती सूची में समाहित है।

1.2 श्रम एवं रोजगार मंत्रालय ने श्रमिकों को काम करने का बेहतर माहौल प्रदान करने, श्रमिकों के जीवन की गुणवत्ता में सुधार, रोगजार सृजन और सुगमता पूर्वक व्यापार करने के लिए श्रम कानूनों के सरलीकरण जैसे कई विधायी और प्रशासनिक कदम उठायें हैं। मंत्रालय का प्रयास विश्वास का एक वातावरण तैयार करना है जो आर्थिक उन्नति एवं विकास के लिए और देश के श्रमिकों को गौरव प्रदान करने हेतु अनिवार्य है।

नई पहलें/महत्पूर्ण गतिविधियां

विधायी पहलें

श्रम कानून सुधार

1.3 श्रम संहिताएं: श्रम संबंधी द्वितीय राष्ट्रीय आयोग की सिफारिशों के अनुसार, मंत्रालय ने केन्द्रीय श्रम कानूनों के संगत प्रावधानों को युक्तियुक्त, आमेलित और सरलीकृत करके विद्यमान केन्द्रीय श्रम कानूनों के 4 संहिताओं में संहिताकरण हेतु कदम उठाए हैं।

(I) मजदूरी संबंधी श्रम संहिता: मजदूरी संबंधी श्रम संहिता में विद्यमान 4 कानून अर्थात न्यूनतम मजदूरी अधिनियम, 1948; मजदूरी संदाय अधिनियम, 1936; बोनस संदाय अधिनियम, 1965; और समान पारिश्रमिक अधिनियम, 1976 शामिल किए गए हैं। यह संहिता संसद के दोनों सदनों द्वारा पारित कर दी गई है और माननीय राष्ट्रपति द्वारा 08.08.2019 को इस पर सहमति दे दी गई है। मजदूरी संबंधी संहिता, 2019 की धारा 67 के अंतर्गत मजदूरी (केन्द्रीय) नियम का प्रारंभिक प्रारूप सभी हितधारकों की टिप्पणियां/सुझाव मागने हेतु 01.11.2019 को श्रम और रोजगार मंत्रालय की वेबसाइट पर डाला गया है।

(II) व्यावसायिक सुरक्षा, स्वास्थ्य एवं कामकाजी दशाएं संबंधी श्रम संहिता: व्यावसायिक सुरक्षा, स्वास्थ्य एवं कामकाजी दशाएं संबंधी प्रारूप श्रम संहिता में तेरह श्रम अधिनियमों अर्थात् कारखाना अधिनियम, 1948; बागान श्रम अधिनियम, 1951; खान अधिनियम, 1952; भवन एवं अन्य सन्निर्माण कामगार (नियोजन एवं सेवा शर्तों का विनियमनन) अधिनियम, 1996; मोटरपरिवहन कामगार अधिनियम, 1961; बीड़ी एवं सिगार कामगार (नियोजन की शर्तें) अधिनियम, 1966; ठेकाश्रम (विनियमनन एवं उत्सादन) अधिनियम, 1970; विक्रय संवर्धन कर्मचारी (सेवाशर्तें) अधिनियम, 1976; अंतर्राज्यिक प्रवासी कामगार (नियोजन एवं सेवाशर्तों का विनियमनन) अधिनियम, 1979; सिने कामगार एवं सिनेमा थियेटर कामगार (नियोजन का विनियमनन) अधिनियम, 1981; गोदी कामगार (सुरक्षा, स्वास्थ्य और कल्याण) अधिनियम, 1986; श्रमजीवी पत्रकार एवं अन्य समाचार–पत्र कर्मचारी (सेवाशर्तें) एवं प्रकीर्ण उपबंध अधिनियम, 1955 और श्रमजीवी प्रत्रकार (मजदूरी दर का निर्धारण) अधिनियम, 1958को शामिल किया गया है।

(III) औद्योगिक संबंधों के बारे में श्रमसंहिता: औद्योगिक संबंधों के बारे में प्रारुप श्रम संहिता में विद्यमान तीन कानूनों अर्थात् श्रमिक संघ अधिनियम, 1926; औद्योगिक नियोजन (स्थायी आदेश) अधिनियम, 1946; औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 को शामिल किया गया है। औद्योगिक संबंध संहिता लोक सभा में 28.11.2019 को प्रस्तुत की गई है और इसे 24.12.2019 को स्थायी समिति को निर्दिष्ट किया गया है।

(IV) सामाजिक सुरक्षा संबंधी श्रम संहिता: सामाजिक सुरक्षा संबंधी प्रारूप श्रम संहिता में नौ श्रम अधिनियमों अर्थात् कर्मचारी प्रतिकर अधिनियम, 1923; प्रसूति प्रसुविधा अधिनियम, 1961; उपदान संदाय अधिनियम, 1972; असंगठित कामगार सामाजिक सुरक्षा अधिनियम, 2008; सिने कामगार कल्याण निधि अधिनियम, 1981; भवन एवं अन्य सन्निर्माण कामगार उपकर अधिनियम, 1996; कर्मचारी राज्य बीमा अधिनियम, 1948; कर्मचारी भविष्य निधि एवं प्रकीर्ण उपबंध अधिनियम, 1952 और रोजगार कार्यालय (रिक्तियों की अनिवार्य अधिसूचना) अधिनियम, 1959 को शामिल किया गया है।

सामाजिक सुरक्षा संबंधी संहिता, 2019 लोक सभा में 11.12.2019 को प्रस्तुत की गई है और इसे 24.12.2019 को स्थायी समिति को निर्दिष्ट किया गया है।

न्यूनतम मजदूरी अधिनियम, 1948

1.4 न्यूनतम मजदूरी अधिनियम, 1948 को अधिकतर असंगठित क्षेत्र के कामगारों के हितों की रक्षा करने हेतु अधिनियमित किया गया था। अधिनियम के प्रावधानों के अंतर्गत, केन्द्र सरकार और राज्य सरकार दोनों ही उनके क्षेत्राधिकार के अंतर्गत अनुसूचित रोजगारों के संबंध में कामगारों के न्यूनतम मजदूरी के निर्धारण, संशोधन, समीक्षा और उसको लागू करने हेतु समूचित सरकारें हैं। सरकार ने केंद्रीय क्षेत्र में अनुसूचित रोजगारों के लिए 19.01.2017 के प्रभाव से न्यूनतम मजदूरी की मूल दर में वृद्धिअधिसूचित की है।

मजदूरी संदाय अधिनियम, 1936

1.5 मजदूरी संदाय अधिनियम, 1936; सुनिश्चित करता है कि वर्तमान सिक्के या मुद्रा नोटों में या चेक द्वारा या श्रमिकों के बैंक खाते में क्रेडिट द्वारा मजदूरी का समय पर भुगतान किया जाए और श्रमिकों की मजदूरी से कोई अनधिकृत कटौती नहीं की जाए। केंद्र सरकार ने, राष्ट्रीय प्रतिदर्श सर्वेक्षण कार्यालय द्वारा प्रकाशित उपभोक्ता व्यय सर्वेक्षण के आंकड़ों के आधार पर, मजदूरी की सीमा को अधिनियम की प्रयोज्यता के लिए 29.08.2017 के प्रभाव से 18, 000/– रुपये से बढ़ाकर 24, 000/– रुपए प्रति माह कर दिया है।

प्रसूति प्रसुविधा (संशोधन) अधिनियम, 2017

1.6 दिनांक 27 मार्च, 2017 को अधिसूचित प्रसूति प्रसुविधा (संशोधन) अधिनियम, 2017 का उद्देश्य देश की कामकाजी महिलाओं को लाभान्वित करना है। इसमें दो जीवित बच्चों के संबंध में 12 सप्ताह से सवेतन प्रसूति अवकाश को बढ़ाकर 26 सप्ताह तथा दो से अधिक बच्चों के संबंध में 12 सप्ताह कर दिए जाने की परिकल्पना है। इस संशोधन के अंतर्गत, पहली बार 'कमिशिनंग/एडॉप्टिंग माताओं' को 12 सप्ताह का सवेतन प्रसूति अवकाश मिलेगा। इस संशोधन में 'घर से कार्य' की सुविधा भी प्रदान की गई है। इसमें 50 अथवा उससे अधिक कर्मचारियों वाले प्रतिष्ठानों के संबंध में अनिवार्यतः शिशुशाला का प्रावधान करने की व्यवस्था है।

पेंशन योजनाएं –

व्यापारियों और स्व–नियोजित व्यक्तियों के लिए राष्ट्रीय पेंशन योजना –

1.7 असंगठित क्षेत्र के कामगारों की वृद्धावस्था संरक्षा तथा सामाजिक सुरक्षा हेतुमार्च, 2019 में प्रारंभ प्रधान मंत्री श्रम योगी मान–धन (पीएम–एसवाईएम)की सफलता के उपरांत 12.09.2019 को व्यापारियों और स्व–नियोजित व्यक्तियों के लिए राष्ट्रीय पेंशन योजना का शुभारंभ किया है। इस योजना के अंतर्गत नामांकन हेतु प्रवेश आयु 18–40 वर्ष है (तालिका 1)। 1.5 करोड़ से अनधिक 'वार्षिक कारोबार' वाले व्यापारी और स्व–नियोजित व्यक्ति जो ईपीएफओ/ईएसआईसी/सरकार से अंशदान प्राप्त एनपीएस/पीएम–एसवाईएम के सदस्य न हो और न ही

आयकर दाता हों, इस योजना में शामिल होने के पात्र है। यह स्वैच्छिक और 50:50 आधार पर अंशदायी पेंशन योजना है, जिसमें लाभार्थी द्वारा निर्धारित आयु–विशिष्ट अंशदान किया जाएगा तथा योजना के दिशानिर्देशों के अनुसार केन्द्रीय सरकार द्वारा समान अंशदान दिया जाएगा। लाभार्थी 60 वर्ष की आयु का हो जाने के उपरांत प्रतिमाह 3000/– रुपये की सुनिश्चित मासिक पेंशन प्राप्त करेगा। यह पेंशन योजना व्यापारियों और स्व–नियोजित व्यक्तियों को वृद्धावस्था सामाजिक सुरक्षा प्रदान करती है तथा सामावेश का संवर्धन करती है।

राज्य श्रम मंत्रियों/श्रम सचिवों का क्षेत्रीय सम्मेलन

1.8 वर्तमान सरकार ने केन्द्र और राज्य स्तर पर समावेशी श्रम नीति के निर्माण हेतु हितधारकों में निरंतर परामर्शों के दायरे का विस्तार किया है। राज्य श्रम मंत्रियों तथा राज्य श्रम सचिवों का क्षेत्रीय स्तर के सम्मेलन विचारों के अदान–प्रदान, सर्वोत्तम परिपाटियों को साझा करने तथा श्रम एवं रोजगार के क्षेत्र में केन्द्र सरकार की प्रमुख पहलों से अवगत कराने के उद्देश्य से देश के विभिन्न क्षेत्रों में आयोजित किए जा रहे हैं। 2019 के दौरान, मंत्रालय ने श्री संतोष कुमार गंगवार, श्रम एवं रोजगार राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार), भारत सरकार की अध्यक्षता में असंगठित क्षेत्र, व्यापारियों और स्व–नियोजित व्यक्तियों हेतु पेंशन योजनाएंय विद्यमान केन्द्रीय श्रम अधिनियमों के 4 संहिताओं में संहिताकरण नामतः मजदूरी संबंधी संहिता, व्यावसायिक सुरक्षा, स्वास्थ्य एवं कार्यदशाओं संबंधी संहिता, औद्योगिक संबंध संहिता तथा सामाजिक सुरक्षा संबंधी संहिता के माध्यम से श्रम सुधार; कर्मचारी राज्य बीमा निगम (ईएसआईसी) के माध्यम से चिकित्सा सुविधाओं का विस्तार; और रोजगार सृजन जैसे विषयों को कवर करते हुए निम्नलिखित क्षेत्रीय श्रम सम्मेलन आयोजित किए:

(i) पूर्वी क्षेत्र (ओडिशा, बिहार, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल तथा अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह राज्य/संघ राज्य क्षेत्र) के लिए भुवनेश्वर, ओडिशा में 22 अक्टूबर, 2019 को क्षेत्रीय श्रम सम्मेलन। इस सम्मेलन में ओडिशा, बिहार, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल राज्य तथा अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह संघ राज्य क्षेत्र के वरिष्ठ अधिकारियों के अलावा ओडिशा, बिहार और छत्तीसगढ़ राज्यों के श्रम मंत्रियों ने भाग लिया।

(ii) दक्षिणी क्षेत्र (केरल, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, तमिलनाडु राज्य, पुदुचेरी (संघ राज्य क्षेत्र), लक्षद्वीप (संघ राज्य क्षेत्र) के लिए कोचीन, केरल में 18 दिसम्बर, 2019 को क्षेत्रीय श्रम सम्मेलन। इस सम्मेलन में केरल, तेलंगाना और पुदुचेरी राज्यों के माननीय मंत्रियों तथा केरल, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, तमिलनाडु राज्यों तथा पुदुचेरी और लक्षद्वीप संघ राज्य क्षेत्रों के वरिष्ठ अधिकारियों ने भाग लिया।

कार्य का भविष्य संबंधी राष्ट्रीय हितधारक परामर्श

1.9 आईएलओ का शताब्दी वर्ष मनाने के लिए 8 फरवरी, 2019 को नोएडा, वीवीजीएनएलआई में श्रम और रोजगार मंत्रालय, वीवीजीएनएलआई तथा आएलओ द्वारा संयुक्त रूप से एक दिवसीय 'कार्य का भविष्य संबंधी राष्ट्रीय हितधारक परामर्श' आयोजित किया गया।

प्रौद्योगिकी के माध्यम से शासन सुधार

श्रम सुविधा पोर्टल

1.10 श्रम एवं रोजगार मंत्रालय ने श्रम कानूनों के प्रवर्तन में पारदर्शिता और जवाबदेही लाने तथा अनुपालन की जटिलता को कम करने हेतु एकीकृत वेबपोर्टल 'श्रम सुविधा पोर्टल' विकसित किया है। यह पोर्टल श्रम मंत्रालय के अधीन 4 मुख्य संगठनों की आवश्यकताओं को पूरा करता है अर्थात्:–

- मुख्य श्रम आयुक्त (केन्द्रीय) का कार्यालय
- खान सुरक्षा महानिदेशालय
- कर्मचारी भविष्य निधि संगठन और
- कर्मचारी राज्य बीमा निगम

1.11 इस पोर्टल की मुख्य विशेषताएं इस प्रकार है:

- विशिष्ट श्रमिक पहचान संख्या (एलआईएन): ऑनलाइन पंजीकरण और अनुपालन को सुविधाजनक

बनाने हेतु इकाइयों को विशिष्ट श्रमिक पहचान संख्या (एलआईएन) का आबंटन किया जाता हैप

- ऑनलाइन विवरणीः इकाईयों से जैसाकि पहले अपेक्षित था, अलग–अलग विवरणियां दाखिल करने के बजाय अब केवल एक ही स्व–प्रमाणित तथा सरलीकृत वार्षिक विवरणी दाखिल करने की अपेक्षा होती है।

- जोखिम आधारित मानदंडों के आधार पर कम्प्यूटरीकृत प्रणाली के माध्यम से पारदर्शी श्रम निरीक्षण योजना।

1.12 इस पोर्टल पर ऑनलाईन निरीक्षण तथा अनुपालन को सुविधाजनक बनाने हेतु पंजीकरण के उपरांत विशिष्ट श्रमिक पहचान संख्या (एलआईएन) का आवंटन दिनांक 16.10.2014 को इसके शुभारम्भ से ही प्रारंभ कर दिया गया था। दिनांक 08.11.2019 की स्थिति के अनुसार, 27, 81,065 इकाईयों को विशिष्ट श्रमिक पहचान संख्या (एलआईएन) जारी की गई है।

1.13 केन्द्रीय क्षेत्र में पारदर्शी श्रम निरिक्षण योजना इस पोर्टल पर 16.10.2014 को इसके शुभारम्भ से ही आरम्भ कर दी गई। इस योजना की मुख्य विशेषताएं इस प्रकार हैं:

- जोखिम आधारित वस्तुनिष्ठ मानदंडों के आधार पर निरीक्षणों की कम्प्यूटरीकृत सूची यादृच्छिक रूप से तैयार की जाती है।

- गंभीर मामलों को अनिवार्य निरिक्षण सूची के तहत कवर किया जाना है।

- आंकड़ों और साक्ष्य पर आधारित जांच के उपरांत शिकायत आधारित निरीक्षणों का केन्द्रीय विश्लेषण एवं आसूचना इकाई (सीएआईयू) द्वारा केंद्रीकृत रूप से अभिनिर्धारण किया जाता है।

- निरीक्षण रिपोर्टों की 48 घंटों के भीतर अनिवार्य अपलोडिंग।

- श्रम निरीक्षण योजना के प्रारम्भ से चारों (4) केन्द्रीय श्रम प्रवर्तन एजेंसियों द्वारा 5, 24, 189 निरिक्षण रिपोर्टें श्रम सुविधा पोर्टल पर अपलोड की जा चुकी हैं।

ऑनलाइन विवरणी

1.14 (8)केन्द्रीय श्रम अधिनियमों अर्थात, मजदूरी संदाय अधिनियम, 1936, न्यूनतम मजदूरी अधिनियम, 1948, प्रसूती प्रसुविधा अधिनियम, 1961, बोनस संदाय अधिनियम, 1965, औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947, ठेका श्रम (विनियमन एवं उत्सादन) अधिनियम, 1970, अंतर–राज्यिक प्रवासी कामगार (रोजगार एवं सेवा शर्तों का विनियमनन) अधिनियम, 1979 और भवन एवं अन्य सन्निर्माण कामगार (रोजगार एवं सेवा शर्तों का विनियमनन) (बीओसीडब्लू) अधिनियम, 1996 के सम्बन्ध में एकीकृत एकल ऑनलाइन वार्षिक विवरणी अनिवार्य कर दी गयी है। ये विवरणियां पहले अर्धवार्षिक/वार्षिक हुआ करती थी, अब उन्हें सभी नियोक्ताओं द्वारा केवल वार्षिक आधार पर ऑनलाइन दाखिल किये जाने की आवश्यकता है। ऑनलाइन विवरणी के 24.04. 2015 को शुभारम्भ होने से 08.11.2019 कीस्थिति के अनुसार, श्रम सुविधा पोर्टल पर 1, 08, 711 ऑनलाइन विवरणियां दाखिल की जा चुकी हैं।

1.15 खान अधिनियम, 1952 (कोयला खान विनियमनन, धात्विक खान विनियमनन और तेल खान विनियमनन) के तहत श्रम सुविधा पोर्टल पर ऑनलाइन विवरणियां दाखिल की गयी हैं। 08.11.2019 की स्थिति के अनुसार, श्रम सुविधा पोर्टल पर 31,047 ऑनलाइन विवरणियां दाखिल की जा चुकी हैं।

1.16 हरियाणा श्रम विभाग के सम्बन्ध में भी पोर्टल पर सामान्य ऑनलाइन वार्षिक विवरणियां प्रारंभ की जा चुकी हैं। 08.11.2019 की स्थिति के अनुसार, श्रम सुविधा पोर्टल पर 2748 ऑनलाइन विवरणियां दाखिल की जा चुकी हैं।

1.17 ईपीएफओ और ईएसआईसी के लिए एकीकृत मासिक इलेक्ट्रॉनिक चालन–सह–विवरणी (ईसीआर) प्रारंभ की गई है।

सामान्य पंजीकरण

1.18 ईपीएफओ और ईएसआईसी के लिए सामान्य पंजीकरण फॉर्म चालू कर दिया गया है। 08.11.2019 की स्थिति के अनुसार, श्रम सुविधा पोर्टल पर ईपीएफओ के पास 1,27,544 इकाईयां तथा ईएसआईसी के पास 1,07,681 इकाईयां पंजीकृत की गई हैं।

1.19 तीन केन्द्रीय अधिनियमों अर्थात भवन एवं अन्य सन्निर्माण कामगार (रोजगार एवं सेवा शर्त विनियमनन) अधिनियम, 1996, अंतर्राज्यिक प्रवासी कामगार (रोजगार एवं सेवा शर्त विनियमनन) अधिनियम, 1979 तथा ठेका श्रम (विनियमनन एवं उत्सादन) अधिनियम, 1970 के अंतर्गत सामान्य पंजीकरण श्रम सुविधा पोर्टल पर ऑनलाइन प्रदान किये जा रहे हैं। 08.11.2019 की स्थिति के अनुसार, इस सुविधा का उपयोग करते हुए 6052 पंजीकरण जारी किए गए हैं।

1.20 दो केन्द्रीय अधिनियमों अर्थात् अंतर्राज्यिक प्रवासी कामगार (रोजगार एवं सेवा शर्त विनियमनन) अधिनियम 1979 और ठेका श्रम (विनियमनन एवं उत्सादन) अधिनियम 1970 के अंतर्गत लाइसेंस ऑनलाइन किये जा चुके हैं। 08.11.2019 की स्थिति के अनुसार, इस सुविधा का उपयोग करते हुए 20, 316लाइसेंस जारी किए गए हैं।

राज्य समेकन

1.21 श्रम सुविधा पोर्टल के साथ राज्यों का समेकन किया जा रहा है। अब तक हरियाणा, गुजरात, राजस्थान उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, पंजाब, उत्तराखंड और दिल्ली को पोर्टल के साथ समेकित करगया है। डेटा साझा किये जा रहे हैं और राज्य श्रम प्रवर्तन एजेंसियों के तहत आवृत स्थापनाओं को एल आई एन (LIN) आवंटित किये जा रहे हैं।

स्टार्ट अप इंडिया

1.22 उन स्टार्ट अप को छः (6) केन्द्रीय श्रम अधिनियमों के अंतर्गत श्रम निरीक्षणों से छूट की सुविधा दी जा रही है जो श्रम सुविधा पोर्टल के माध्यम से स्व–प्रमाणित घोषणा–पत्र दाखिल करते हैं।

राज्य/संघ राज्य क्षेत्र सरकारों को सलाह दी गई है कि जहां लागू हो स्टार्ट अप के लिए निरीक्षण विनियमित करें और स्व–प्रमाणित अनुपालन प्रणाली को 3 वर्ष से विस्तारित करके 5 वर्ष कर दें। जहां लागू हो स्टार्ट अप के लिए चार (4) श्रम कानूनों अर्थात् भवन एवं अन्य सन्निर्माण कामगार (रोजगार एवं सेवा शर्त विनियमन) अधिनियम, 1996, अंतर्राज्यिक प्रवासी कामगार (रोजगार एवं सेवा शर्त विनियमन) अधिनियम, 1979, उपदान संदाय अधिनियम, 1972 और ठेका श्रम (विनियमन एवं उत्सादन) अधिनियम, 1970 के तहत स्व–प्रमाणीकरण तथा निरीक्षण विनियमित करने के लिए मंत्रालय द्वारा दिनांक 12–01–2016/06–04–2017 को जारी सलाह पर 27 राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों ने कार्रवाई की है।

मौजूदा/एप्रीहेन्डेड औद्योगिक विवाद (समाधान) पोर्टल के संचालन, निपटान एवं निगरानी के लिए सॉफ्टवेयर अनुप्रयोग

1.23 समाधान (मौजूदा/एप्रीहेन्डेड औद्योगिक विवाद पोर्टल के संचालन, निपटान एवं निगरानी के लिए सॉफ्टवेयर अनुप्रयोग) एक ऑनलाइन पोर्टल है, जो श्रमिकों को समुचित सुलह अधिकारी के साथ अपने विवाद को दायर करने के आसान तरीके के बारे में बताता है, तथा पारदर्शिता, त्वरित न्याय एवं सरकार पर श्रमिकों के विश्वास को बढ़ाता है। यह प्रणाली इस तरह से डिजाइन की गई है कि यह विवाद में भूमिका निभाने वाले सभी खिलाड़ियों (अर्थात कामगार, सुलह अधिकारी, समुचित सरकार और सीजीआईटी) को एक छत के नीचे अर्थात् समाधान पर एकीकृत करेगी। (अधिक जानकारी के लिए कृपया अध्याय – 3 देखें)।

रोजगार सृजन

प्रधानमंत्री रोजगार प्रोत्साहन योजना (पीएमआरपीवाई):

1.24 प्रधानमंत्री रोजगार प्रोत्साहन योजना (पीएमआरपीवाई) योजना 9 अगस्त, 2016 को नए रोजगार सृजन के लिए नियोक्ताओं को प्रोत्साहित करने के लिए शुरू की गई थी, जहां नए रोजगार के लिए भारत सरकार नियोक्ता के 12% पूर्ण योगदान या जैसा कि दिनांक 01.04.2018 से ईपीएफ और ईपीएस दोनों के लिए लागू है, का भुगतान कर रही थी। इस योजना का दोहरा लाभ है, जहां एक तरफ नियोक्ता को स्थापना में श्रमिकों के रोजगार के आधार को बढ़ाने के लिए प्रोत्साहित किया जाता है, वहीं दूसरी ओर, इन कामगारों को संगठित क्षेत्र के सामाजिक सुरक्षा लाभों तक पहुंच प्राप्त होगी। यह योजना कर्मचारी भविष्य निधि संगठन के माध्यम से कार्यान्वित की जा रही है। अधिक जानकारी के लिए कृपया अध्याय – 23 देखें।

पीएमआरपीवाई संबंधी आंकड़े (16.12.2019 की स्थिति के अनुसार)

पंजीकृत स्थापनाओं की संख्या	185022
पंजीकृत कर्मचारियों की संख्या	13791049
कुल लाभान्वित स्थापना	152849
कुल लाभान्वित कर्मचारी	12167940
कुल संवितरित राशि (रुपये)	7101.56 करोड़

राष्ट्रीय कैरियर सेवा (NCS):

1.25 यह मंत्रालय कैरियर परामर्श, व्यावसायिक मार्ग–दर्शन, कौशल विकास पाठ्यक्रमों, प्रशिक्षुता, इंटर्नशिप आदि से संबंधित सूचना जैसी रोजगार से सबद्ध विभिन्न सेवाएं प्रदान करने के लिए राष्ट्रीय रोजगार सेवा के रूपांतरण हेतु मिशन मोड परियोजना के रूप में राष्ट्रीय कैरियर सेवा (एनसीएस) परियोजना का कार्यान्वयन कर रहा है। एनसीएसपोर्टल (www.ncs.gov.in) 20.07.2015 को भारत के माननीय प्रधानमंत्री द्वारा राष्ट्र को समर्पित किया गया था। अधिक जानकारी के लिए कृपया अध्याय 23 का संदर्भ लें।

कर्मचारी राज्य बीमा निगम (ईएसआईसी):

नई पहलें

1.26 कर्मचारी राज्य बीमा योजना के अंतर्गत 01.07.2019 से अंशदान की दर 6.5% से घटाकर के 4% कर दी गई है। नियोक्ताओं के हिस्से का अंशदान 4.75% से कम हो कर 3.25% तथा कर्मचारी के हिस्से का 1.75% से कम होकर 0.75% हो गया है। यह कमी 3.6 करोड़ कर्मचारियों और 12.85 लाख नियोक्ताओं को लाभान्वित करेगी। अंशदान की घटी हुई दर कामगारों को पर्याप्त राहत दिलाएगी तथा औपचारिक क्षेत्र में अधिक से अधिक श्रमिकों को लाएगी।

1.27 ईएसआईसी अस्पतालों एवं औषधालयों के कामकाज में सुधार लाने हेतु ईएसआई निगम द्वारा की गई पहलें इस प्रकार हैं:–

- राज्यों द्वारा भेजे गए प्रस्ताव के अनुसार नए अस्पताल एवं औषधालय स्थापित करना।
- आयुष सेवाओं का संवर्धन करना तथा विभिन्न स्तरों पर सुविधाओं हेतु मानक दिशा–निर्देश का निर्माण करना। व्यक्ति विशिष्ट औषधी में अपनी ज्ञात सामर्थ्य पर आधारित सुविधाओं का विकास करना, असंक्रमणीय, अपक्षयी तथा स्वतः प्रतिरक्षा संबंधी विकारों की रोकथाम एवं उपचार, पुनर्जीवन और वृद्धों की देखभाल के लिए उपचार–पद्धतियां विकसित करना।
- साफसफाई तथा बेहतर स्वच्छता बनाए रखने हेतु ईएसआईसी/ईएसआईएस औषधालय दिन–वार वीआईबीजीवाईओआर पैटर्न, रंगीन चादरों का उपयोग कर रहे हैं।
- चिकित्सा हेल्पलाइन सुविधाएं 24ग जिसके माध्यम से किसी आपातकाल की स्थिति में बीमित व्यक्ति सीधे डॉक्टरों से बात कर सकता है।
- अस्पतालों के पैरा–चिकित्सा और अन्य कर्मचारियों को व्यवहार संबंधी प्रशिक्षण जहां उन्हें रोगियों/परिचरों के साथ विधिवत शिष्टाचार से पेश आने का मार्गदर्शन दिया जाता है।
- रोगियों/परिचरों का मार्गदर्शन करने हेतु प्रत्येक अस्पताल में स्वागत एवं 'मैं आपकी क्या सहायता कर सकता हूं' संबंधी सुविधा।
- सभी ईएसआईसी अस्पतालों में रोगियों और लाभार्थियों के मार्गदर्शन तथा उचित संचार हेतु अपेक्षित स्थानों पर पहचानसूचक बोर्ड।
- सभी ईएसआईसी अस्पतालों में योग सुविधाएं प्रदान करना।
- वरिष्ठ नागरिकों तथा दिव्यांगजन रोगियों के लिए शाम 3:00 बजे से 5:00 बजे तक के बीच विशेष ओपीडी।
- सभी अंतरंग रोगियों के लिए फीड–बैक प्रणाली।

1.28 राज्य–संचालित ईएसआईएस अस्पतालों एवं औषधालयों में सेवाएं सुधारने हेतु निम्नलिखित कदम उठाए गए हैं:

- राज्य सरकार–संचालित ईएसआईएस अस्पतालों एवं औषधालयों के कामकाज में सुधार लाने की दृष्टि से,

ईएसआईसी ने राज्य ईएसआईसी योजना को कार्यान्वित करने हेतु ईएसआईसी–2.0 सुधार उपाय कार्यान्वित करने के लिए कहा है तथा ईएसआईएस स्वास्थ्य प्रतिष्ठानों में रखी जाने वाली कतिपय न्यूनतम सुविधाएं/पैमाने निर्धारित किए हैं अर्थातः

- संस्वीकृत पद संख्या के अनुसार डॉक्टरों तथा पैरा–चिकित्सा कर्मचारियों की उपलब्धता।
- न्यूनतम दवाइयों की उपलब्धता।
- सभी अस्पतालों में आंतरिक पैथोलॉजिकल एवं एक्स–रे सेवाएं।
- औषधालय/अस्पताल की सामान्य साफ–सफाई तथा रख–रखाव की निगरानी, बायो–मेट्रिक उपस्थिति और वीआईबीजीवाईओआर मिशन के अनुसार अस्पताल की चादरें बदलना।
- राज्य स्तर पर सहायक निकाय का निर्माण ताकि सभी निर्णय राज्य स्तर के निगम पर लिए जा सकें।

1.29 अवसंरचना का उन्नयनः

अपनी अवसंरचना के उन्नयन हेतु ईएसआईसी ने नए अस्पताल की स्थापना हेतु सिद्धांत रूप में अनुमोदन दे दिया है।

संस्वीकृत नए ईएसआई अस्पतालों की सूची

क्र.सं.	राज्य	स्थान
1.	गुजरात	अलंग
2.	मध्य प्रदेश	पीथमपुर
3.	झारखंड	देवघर
4.	गोवा	उत्तरी गोवा
5.	छत्तीसगढ़	भिलाई
6.	छत्तीसगढ़	रायगढ़
7.	ओडिशा	ईएसआईसी एसएस अस्पताल, भुवनेश्वर
8.	ओडिशा	अंगुल
9.	ओडिशा	दुबुरी
10.	राजस्थान	बीकानेर
11.	राजस्थान	चित्तौड़गढ़
12.	कर्नाटक	डोड्डाबालापुर
13.	कर्नाटक	बोम्मसंदरा
14.	कर्नाटक	शिवमोगा
15.	कर्नाटक	नरसापुर
16.	कर्नाटक	हरोहोली
17.	कर्नाटक	बेल्लारी
18.	हरियाणा	बहादुरगढ़
19.	हरियाणा	बावल
20.	पश्चिम बंगाल	सिलीगुड़ी
21.	पश्चिम बंगाल	हल्दिया
22.	तेलंगाना	रामगुंडम
23.	आंध्र प्रदेश	गुंटूर
24.	आंध्र प्रदेश	विजयनगरम
25.	आंध्र प्रदेश	काकीनाडा
26.	आंध्र प्रदेश	पेनुकोंडा
27.	आंध्र प्रदेश	विशाखापट्टनम
28.	आंध्र प्रदेश	श्री सिटी, नेल्लोर
29.	केरल	पेरम्बुर
30.	तमिलनाडु	तिरुपुर
31.	तमिलनाडु	श्रीपेरुमबुदुर
32.	तमिलनाडु	डिंडीगुल
33.	तमिलनाडु	वनियमवाडी
34.	तमिलनाडु	तूतीकोरिन
35.	तमिलनाडु	कन्याकुमारी
36.	उत्तराखंड	देहरादून
37.	उत्तराखंड	सिडकुल क्षेत्र हरिद्वार
38.	दिल्ली	नरेला
39.	हिमाचल प्रदेश	काला अंब

1.30 राज्य ईएसआई सोसाइटी छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र और त्रिपुरा में चालू कर दी गई है तथा संबंधित सोसाइटी के खाते में 2019–20 से अनुदान सीधे जारी किए जा रहे हैं।

1.31 स्वास्थ्य सुधार एजेंडा ईएसआईसी 2.0 के तहत नई पहलें

क) कर्मचारी राज्य बीमा निगम ने ईएसआईसी–2.0 द्वितीय पीढ़ी सुधारों के अनुसार, ईएसआई योजना को समूचे भारतवर्ष में कार्यान्वित करने का निर्णय लिया है। तदनुसार, ईएसआई योजना पहले ही 566 जिलों– जिसमें 381 जिलों का समूचा क्षेत्र शामिल है, उनमें पूर्ण रूप से तथा 185 जिलों में आंशिक रूप से कार्यान्वित की जा चुकी है।

ख) ईएसआई योजना के सामाजिक सुरक्षा नेट का विस्तार (ईएसआईसी 2.0 के तहत)

1. पूरे देश में ईएसआई योजना के सामाजिक सुरक्षा लाभों को बढ़ाने के हिस्से के रूप में, इस योजना को अरुणाचल प्रदेश और लक्षद्वीप समूह को छोड़कर सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में अधिसूचित किया गया है।

2. विजन–2022 के तहत, 2022 तक ईएसआई योजना के कवरेज को पूरे देश में विस्तारित करने का प्रस्ताव है।

3. 31.03.2019 को ईएसआई योजना के अंतर्गत शामिल बीमित व्यक्तियों की संख्या बढ़कर 3.49 करोड़ हो गई है। योजना के अंतर्गत शामिल लाभार्थियों की संख्या बढ़कर 13.56 करोड़ हो गई है।

कर्मचारी भविष्यनिधि संगठन (ईपीएफओ)

1.32 कर्मचारी भविष्यनिधि एवं प्रकीर्ण उपबंध अधिनियम, 1952 में इस अधिनियम की अनुसूची–I में उल्लिखित उद्योगों में बीस अथवा उससे अधिक कर्मचारी नियुक्त करने वाले कारखानों/स्थापनों में भविष्यनिधि, पेंशन योजना और बीमा निधि का प्रावधान है। भारत सरकार कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (ईपीएफओ) के माध्यम से कर्मचारी भविष्यनिधि एवं प्रकीर्ण उपबंध अधिनियम, 1952 तथा इस अधिनियम के अधीन निर्मित निम्नलिखित तीन योजनाओं को प्रशासित करती है:

(i) कर्मचारी भविष्य निधि योजना, 1952 (ईपीएफ)

(ii) कर्मचारी पेंशन योजना, 1995 (ईपीएस)

(iii) कर्मचारीनिक्षेप सहबद्ध बीमा योजना, 1976 (ईडीएलआई)

1.33 वित्तीय वर्ष 2018–19 के दौरान ईपीएफओ ने निम्नलिखित नई पहलें की है:

(i) जिला कार्यालयों में दावा प्राप्ति प्रविष्टि;

(ii) अंतर्राष्ट्रीय कामगार विवरणी का ऑनलाइन दाखिल किया जाना;

(iii) डिजिटल जीवन प्रमाण–पत्रों का स्वतः अनुमोदन;

(iv) पीपीओ में गलत आधार को डी लिंक कराना;

(v) पुरानी अवधि खातों की स्वतः प्रोसेसिंग;

(vi) डीओबी में सुधार हेतु दस्तावेज अपलोड की सुविधा।

1.34 खान सुरक्षा महानिदेशालय (डीजीएमएस) – नई पहल

- कोयला खानों के संबंध में "जोखिम आधारित निरीक्षण प्रणाली" हेतु तौर–तरीके विकसित किए गए हैं। ऑनलाइन असाइनमेंट हेतु श्रम सुविधा पोर्टल के माध्यम से निरीक्षण कोयला खानों के सभी श्रेणियों की वास्तविक जोखिम रेटिंग संबंधी प्राथमिकता के आधार पर सृजित किए जाते हैं। इस प्रयोजनार्थ सॉफ्टवेयर एनआईसी द्वारा विकसित किया गया है तथा श्रम सुविधा पोर्टल में इसे समाहित करके कार्यान्वित किया जाता है। धात्विक खानों के संबंध में जोखिम आधारित निरीक्षण प्रणाली तैयार की जा रही है।

- खान अधिनियम, 1952 में भूमिगत खानों में तथा खान के खान के खुले अथवा भूमि के ऊपर कामकाज में भी 7 बजे से सुबह 6 बजे के बीच के रात्रि घंटों के दौरान महिलाओं के रोजगार को प्रतिबंधित किया गया है। श्रम एवं रोजगार मंत्रायल ने खान अधिनियम, 1952 के अंतर्गत स्थापित धारा 12 समिति की सिफारिशों के अनुरूप तथा गृह मंत्रालय, महिला एवं बाल विकास मंत्रालय, खान मंत्रालय, कोयला मंत्रालय तथा पेट्रोलियम एवं

प्राकृतिक गैस मंत्रालय के परामर्श से 29.01.2019 को असाधारण भाग–II, धारा 3, उप–धारा (ii) के रूप में प्रकाशित राजपत्र अधिसूचना संख्या सां.आ. 506(अ) द्वारा रात्रि 7 बजे से सुबह 6 बजे के बीचखुली खदानों के कामकाज सहित भूमि के ऊपर खानों में कर्मचारियों की सभी श्रेणियों में तथा भूमिगत खान–कामकाज में सुबह 6 बजे से रात्रि 7 बजे के बीच तकनीकी, पर्यवेक्षी तथा प्रबंधकीय कार्य में महिलाओं के नियोजन की अनुमति देने का निर्णय लिया है जहां उनकी व्यावसायिक सुरक्षा, संरक्षा तथा स्वास्थ्य से संबंधित पर्याप्त सुविधाओं एवं रक्षोपायों के प्रावधान के अध्यधीन निरंतर उपस्थिति अपेक्षित नहीं हो सकती।

- व्यासायिक सुरक्षा एवं स्वास्थ्य, प्रौद्योगिकीय उन्नति तथा सर्वोत्तम परिपाटियों संबंधी जानकारी साझा करने एवं प्रसारित करने हेतु खान सुरक्षा महानिदेशालय, श्रम एवं रोजगार मंत्रालय, भारत सरकार और सेफ्टी इन माइन्स, टेस्टिंग एंड रिसर्च स्टेशन (एसआईएमटीएआरएस) के माध्यम से प्राकृतिक संसाधन खान एवं ऊर्जा विभाग, क्वीन्सलैंड सरकार, ऑस्ट्रेलिया ने एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षरित किए हैं। कार्यान्वयन कार्यक्रम तैयार किया जा रहा है।

- वर्ष 2017 से, मुख्यालय में पंजीकृत खानों के डेटाबेस मेंलगभग 7600 नई खाने शामिल की गई है। यह 2017 से पूर्व पुराने डेटाबेस के लगभग 100: की वृद्धि है।

- डीजीएमएस द्वारा खान कामगारों को वायुवाहित धूल की बीमारियों के खतरों तथा धूल के स्रोत पर वेटड्रिलिंग एवं धूल निकासी तथा निवारक उपकरणों का उपयोग करके, धुल मास्क एवं अन्य व्यक्तिगत संरक्षात्मक उपकरणों का प्रयोग करते हुए धूल को दबाकर ऐसी बीमारियों को कैसे रोका जाए, के बारे में और जागरूक बनाने हेतु नई पहलें की हैं। खान सुरक्षा महानिदेशालय ने वर्ष 2017 और 2018 में सिलिकोसिस से संबंधित खान मालिकों तथा खान कामगारों के बीच जागरूकता लाने के लिए 15 राज्यों में 265 जागरूकता शिविर आयोजित किए हैं।

बाल श्रम

1.35 बाल श्रम का उन्मूलन बहुत चिंता का विषय है और भारत सरकार इस मामले के समाधान के लिए प्रतिबद्ध है। इस समस्या के गुरुत्व और प्रकृति को ध्यान में रखते हुए सरकार बाल श्रम की समस्या से निपटने के लिए एक सशक्त बहुस्तरीय रणनीति अपना रही है। यह रणनीति सांविधिक एवं वैधानिक उपायों, उद्धार एवं पुनर्वास, सार्वभौमिक बुनियादी शिक्षा और इसके साथ सामाजिक संरक्षण एवं गरीबी उपशमन और रोजगार सृजन योजनाओं पर आधारित है। इसका उद्देश्य एक ऐसे वातावरण का निर्माण करना है जहां परिवार अपने बच्चों को काम करने के लिए भेजने को मजबूर न हों। सरकार ने सभी व्यवसायों एवं प्रक्रियाओं से श्रमजीवी बच्चों को हटाने और पुनर्वासित करने का दृष्टिकोण अपनाया है। (अधिक जानकारी के लिए अध्याय–12 का संदर्भ लें)।

योजना प्रभाग

1.36 योजना यूनिट मंत्रालय का अभिन्न अंग है तथा यह बजट के विभिन्न घटकों के अंतर्गत श्रम एवं रोजगार मंत्रालय की सभी योजनाओं की उत्पादन–परिणाम निगरानी के संबंध में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। यह यूनिट मुख्य रूप से नीति आयोग, जनजातीय कार्य मंत्रालय, सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय, उत्तर पूर्वी क्षेत्र विकास मंत्रालय के साथ सूचनाओं/सामग्रियों और श्रम एवं रोजगार मंत्रालय की योजनाओं के समन्वय और संपर्क के लिए उत्तरदायी है। यह मंत्रालय की पंद्रह वर्षीय विजन डाक्यूमेंट (2030), सात वर्षीय सट्रेटजी डाक्यूमेंट तथा तीन वर्षीय कार्य योजना स्कीमों को भी डील करती है। यह यूनिट श्रम एवं रोजगार मंत्रालय के लिए आर्थिक सर्वेक्षण समग्री तथा विभिन्न मंत्रालयों के ईएफसी/एसएफसी तथा विभिन्न संस्थाओं से आर्थिक मामलों संबंधी टिप्पणियां भी तैयार करती है। यह यूनिट नीति आयोग की आउटपुट परिणाम की निगरानी की रूपरेखा (ओओएमएफ), अनुसूचित जाति के लिए कल्याण आबंटन (एडब्लूएससी), अनुसूचित जनजाति

घटक की निगरानी (एसटीसी), पूर्वोत्तर क्षेत्र के व्यय की निगरानी घटक (एनईआर) तथा ईपीएफओ, ईएसआईसी, एनसीएस और डीजीफासली के कार्यालयों में विभिन्न राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को (उप सचिव/निदेशक/संयुक्त सचिव स्तर) के नोडल/क्षेत्र अधिकारियों की प्रतिनियुक्ति की नोडल यूनिट भी है। योजना यूनिट के मुखिया मंत्रालय में प्रधान श्रम एवं रोजगार सलाहकार (पीएलईए) होते हैं।

1.37 वित्त मंत्रालय ने वित्तीय वर्ष 2019–20 के दौरान केन्द्रीय क्षेत्र की योजनाओं/श्रम एवं रोजगार मंत्रालय की केन्द्र द्वारा प्रायोजित योजनाओं के लिए 10803.00 करोड़ रुपये का आवंटन किया। इस मंत्रालय ने चालू वित्त वर्ष के दौरान केन्द्रीय क्षेत्र/केन्द्र द्वारा प्रायोजित योजनाओं के संबंध में अनुसूचित जाति के कल्याण हेतु आवंटन (एडब्ल्यूएससी) के लिए (कुल आवंटन का 16.6%) 1793.30 करोड़ रुपये तथा अनुसूचित जनजाति घटक (एसटीसी) के अंतर्गत आवंटन हेतु (कुल आवंटन का 8. 6%) 929.06 करोड़ रुपये उद्दिष्ट किया है।

स्वच्छ भारत मिशन

1.38 मंत्रालय द्वारा निर्धारित लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए श्रम और रोजगार मंत्रालय अपनी वार्षिक कार्य योजना में स्वच्छ भारत मिशन को इसके शुभारंभ से ही लागू कर रहा है।

1.39 मंत्रालय ने 1 मई, 2019 को सभी ईएसआईसी अस्पतालों, औषधालयों, कारखानों, विनिर्माण परिसरों में मई, 2019 (01 मई –15 मई) के पहले पखवाड़े में स्वच्छता अभियान की शुरुआत करके अंतर्राष्ट्रीय श्रम दिवस मनाया।

1.40 वर्ष के दौरान मुख्य मंत्रालय के साथ–साथ सभी संबद्ध/अधीनस्थ कार्यालयों में स्वच्छता पखवाड़ों के दौरान 01 से 15 मई 2019 के दौरान स्वच्छता अभियान चलाया गया।

1.41 श्रम शक्ति भवन और जैसलमेर हाउस में गहन सफाई अभियान चलाया गया। स्वच्छता की दिन–प्रतिदिन निगरानी के लिए अधिकारियों को मंजिल वार नामित किया जाता है और अभियान के समग्र कार्यान्वयन के लिए नोडल अधिकारी उप सचिव (प्रशा.) और अवर सचिव (प्रशा.) थे।

अपर सचिव (श्रम एवं रोजगार) द्वारा निरीक्षण

स्वच्छता पखवाड़े के दौरान स्वच्छता अभियान

गतिविधियों में शामिल हैं:

- सचिव स्तर के अधिकारियों द्वारा सभी स्वच्छता गतिविधियों की व्यक्तिगत निगरानी।
- कॉरिडोर से अतिरिक्त/टूटे हुए फर्नीचर आइटम और रिकॉर्ड को हटाना।
- स्वच्छता बनाए रखने के लिए पार्किंग स्थल और खुले लॉन/परिसर क्षेत्र की उचित सफाई और
- कूड़ा–कचरा/मलबा जमा होने से बचाना।
- भवन को स्वच्छ और बेहतर स्वरूप देने के लिए नियमित अंतराल पर बाहर और अंदर के पौधों की छंटाई और सौंदर्यकरण किया जा रहा है।

- स्वच्छता तथा साफ–सफाई बनाए रखने के लिए विभागीय कैंटीन, पुस्तकालय और स्टोर रूम की नियमित सफाई।
- दीवारों पर अनावश्यक चिपकाने/नोटिस लगाने के लिए निषेध।
- इमारतों को पूरी तरह से सीसीटीवी निगरानी प्रणाली के तहत कवर किया गया है। घूमने, थूकने आदि को प्रतिबंधित करने के लिए नोटिस लगाए गए हैं।

सीसीटीवी निगरानी नियंत्रण कक्ष

1.42 कार्यस्थलों/अस्पतालों/खानों/कारखानों की स्वच्छता, महिलाओं एवं बच्चों के अधिकारों, असंगठित क्षेत्रों में छोटे एवं वंचित समूहों के स्वास्थ्य एवं कल्याण आदि सहित नागरिक अधिकारों के पहलुओं पर महात्मा गांधी के दर्शन को स्मरण करने हेतु 150वीं जन्म तिथि के अवसर पर, इस मंत्रालय तथा सभी संबद्ध कार्यालयों के संबंध में जुलाई, 2019–अक्टूबर, 2020 तक की विभिन्न गतिविधियों की कार्य योजना तैयार की गई है और कार्यान्वित की जा रही है।

1.43 प्रधानमंत्री के आह्वान पर मंत्रालय के सभी संबद्ध/अधीनस्थ और स्वायत्त संगठन भी मिशन मोड के रूप में "स्वच्छ भारत"के लिए चलने वाली गतिविधियों को अंजाम दे रहे हैं।

1.44 खान महानिदेशक के नियंत्रण के अधीन सभी खानों में स्वच्छता पखवाड़े के दौरान सुरक्षा का संवर्धन करने तथा उचित साफ–सफाई सुनिश्चित करने के लिए एक विशेष दल गठित किया गया है।

1.45 प्रधानमंत्री के आहवान पर, इस मंत्रालय ने एकल उपयोग प्लास्टिक की पानी की बोतल तथा अन्य एकल उपयोग प्लास्टिक की वस्तुओं के प्रयोग पर श्रम और रोजगार मंत्रालय के सभी कार्यालयों में रोक लगा दी है।

1.46 श्रम और रोजगार मंत्रालय के सभी संबद्ध कार्यालयों में संगठित और असंगठित क्षेत्रों के कर्मचारियों और कामगारों को संवेदनशील बनाने हेतु व्याख्यानों/कार्याशालाओं/शिविरों/विज्ञापनों का आयोजन करके स्वच्छता एवं प्लास्टिक अपशिष्ट प्रबंधन हेतु अभियान चलाए गए हैं।

1.47 इस मंत्रालय ने 21 जून, 2019 को 5वां अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस (आईडीवाई), 2019 मनाया तथा मुख्य समिति कक्ष, श्रम शक्ति भवन, नई दिल्ली में 21.06.2019 को व्याख्यान–सह–कार्यशाला भी आयोजित की गई थी।

मुख्य सचिवालय में शिकायत निवारण

1.48 शिकायत निवारण तंत्र किसी भी प्रशासन का अभिन्न अंग है। मंत्रालय में जनता की शिकायतें मुख्य रूप से दो प्रणालियों में प्राप्त होती हैं अर्थात् केंद्रीकृत लोक शिकायत निवारण तथा निगरानी प्रणाली (सीपीजीआरएएमएस) पोर्टल (https://pgportal.gov.in) के माध्यम से ऑनलाइन तथा विभिन्न स्रोतों से ऑफ–लाइन (भौतिक) रूप में भी। हाल

ही में अनेक पीड़ित व्यक्ति/समुदाय भी ई–मेल और सोशल मीडिया के माध्यम से मंत्रालय में अपनी शिकायतें उठा रहे हैं। श्रम एवं रोजगार मंत्रालय 20 मंत्रालयों में से एक है, जो सबसे अधिक शिकायतें प्राप्त करते हैं।

1.49 लोक शिकायत निवारण के कार्य को इस मंत्रालय द्वारा उच्च महत्व दिया जाता है और सचिव के उच्चतम स्तर पर नियमित रूप से इसकी समीक्षा की जाती है। इस मंत्रालय में प्राप्त शिकायतों में से अधिकांश कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (ईपीएफओ), मुख्य श्रम आयुक्त (केन्द्रीय) संगठन (सीएलसी(सी)), कर्मचारी राज्य बीमा निगम (ईएसआईसी) तथा रोजगार महानिदेशालय (डीजीई) से संबंधित हैं। हालांकि मंत्रालय सभी स्रोतों/माध्यमों से प्राप्त शिकायतों को उचित महत्व देता है, लेकिन सीपीजीआरएएमएस पोर्टल पर मंत्रालय में प्राप्त ऑनलाइन लोक शिकायतों की बारीकी से निगरानी की जा रही है और सभी स्तरों पर नियमित और गहन निगरानी के कारण, वर्तमान में इनमें से अधिकांश शिकायतें मंत्रालय की विभिन्न इकाइयों, संगठनों और कार्यालयों द्वारा 30 दिनों के भीतर निपटाया जा रहा है।

1.50 श्रम एवं रोजगार मंत्रालय द्वारा सीपीजीआरएएमएस पोर्टल में प्राप्त और निपटाए गए लोक शिकायतों के तुलनात्मक आंकड़े तथा 01.01.2016 से 31.10.2019 (वर्षवार) तक कीअवधि के दौरान ऐसी शिकायतों के निपटान की प्रतिशतता अध्याय संख्या 20 में विस्तार से दिए गए हैं।

सूचना का अधिकार अधिनियम, 2006

1.51 सुशासन के उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए, यह आवश्यक है कि प्रशासन पारदर्शी, उत्तरदायी, नागरिक–हितैषी हो और जनता तक सभी सूचनाओं का प्रसार करने में सक्षम हो। सूचना का अधिकार, प्रशासन में इन सभी गुणों को सुनिश्चित करने के लिए एक शक्तिशाली उपकरण है और इसलिए, सरकार ने सूचना का अधिकार (आरटीआई) अधिनियम, 2005 अधिनियमित किया, जो 12.10.2005 से प्रभावी हो गया है।

1.52 सूचना के अधिकार अधिनियम 2005 में निहित प्रावधानों के अनुसरण में, श्रम एवं रोजगार मंत्रालय के तत्वावधान में विभिन्न सार्वजनिक प्राधिकरणों में अधिनियम के कार्यान्वयन के लिए कार्रवाई की गई है। इसमें संगठन के विवरण, इसके कार्य और कर्तव्यों, सीपीआईओ और अपीलीय प्राधिकारी आदि के पदनाम से संबंधित सार्वजनिक क्षेत्र में सूचना का प्रसार शामिल है। मंत्रालय ने विभिन्न श्रम अधिनियमों/विनियमों के बारे में जानकारी हेतु सू–मोटू प्रकटीकरण मंत्रालय की वेबसाइट अर्थात www.labour.gov.in पर भी शुरू किया है, जो इस देश के नागरिकों के उपयोग के लिए सार्वजनिक की जानी आवश्यक था। यह भी उल्लेखनीय है कि मंत्रालय के संबद्ध एवं अधीनस्थ कार्यालयों तथा स्वायत्त संगठनों की अपनी–अपनी वेबसाइटस हैं जो मंत्रालय की वेबसाइट से जुड़ी हैं।

1.53 मंत्रालय ने एक केंद्रीय आरटीआई प्रकोष्ठ भी स्थापित किया है, जिसके प्रमुख एक नोडल अधिकारी हैं, जहां नागरिकों से आरटीआई आवेदन प्राप्त किए जाते हैं। वर्ष 2019–2020 (अक्टूबर, 2019 तक) पिछले 10 वर्षों के दौरान, मुख्य सचिवालय, श्रम एवं रोजगार मंत्रालय में (मैन्युअल और इलेक्ट्रॉनिक रूप से) प्राप्त आवेदनइस प्रकार हैः–

क्र.स.	वर्ष	(मैन्युअल और इलेक्ट्रॉनिक रूप से) प्राप्त आरटीआई आवेदन
1	2010–2011	1154
2	2011–2012	1537
3	2012–2013	1110
4	2013–2014	1386
5	2014–2015	4539
6	2015–2016	4275
7	2016–2017	4801
8	2017–2018	4529
9	2018–2019	4743
10	2019–2020	
	(31.10.2019 के अनुसार)	2977

1.54 वर्षके दौरान 01 अप्रैल, 2019 से 31 अक्टूबर, 2019 तक, वर्ष 2019–20 के संबंध में 02 आवेदक द्वितीय अपील के रूप में केन्द्रीय सूचना आयोग (सीआईसी) में गए हैं, जिनमें सीआईसी ने अपीलीय प्राधिकारी के निर्णय को वैध ठहराया है।

1.55 मंत्रालय ने आरटीआई से संबंधित 20 सितम्बर, 2019 को एक कार्यशाला का भी आयोजन किया है, इस कार्यशाला में 40 से अधिक कर्मचारियों ने भाग लिया था।

विधिक प्रकोष्ठ

1.56 विधिक सूचना प्रबंधन एवं ब्रीफिंग प्रणाली (एलआईएमबीएस) को विधि कार्य विभाग द्वारा अदालत के मामलों की पूरी प्रक्रिया को डिजिटल बनाने के उद्देश्य से शुरू किया गया था। मंत्रालय के विधिक प्रकोष्ठ ने मंत्रालय के अधीन सभी संगठनों द्वारा एलआईएमबीएस के कार्यान्वयन सुनिश्चित करने का प्रयास किया है। एलआईएमबीएस पोर्टल पर 11 नवम्बर, 2019 तक लगभग सभी अदालती मामलों (लगभग 66917 मामलों) की जानकारी अपलोड करने के कारण एलआईएमबीएस को कार्यान्वित करने में श्रम एवं रोजगार मंत्रालय सबसे आगे चलाने वालों में से एक है।

तालिका.1

प्रवेश आयु–विशिष्ट मासिक अंशदान : व्यापारियों एवं स्व–नियोजित व्यक्तियों के लिए राष्ट्रीय पेंशन योजना

प्रवेश आयु (वर्ष) (क)	अधिवर्षिता आयु (ख)	सदस्य का मासिक अंशदान (रु.) (ग)	केन्द्र सरकार का मासिक अंशदान(रु.) (घ)	कुल मासिक अंशदान (रु.) (कुल = ग+घ)
18	60	55	55	110
19	60	58	58	116
20	60	61	61	122
21	60	64	64	128
22	60	68	68	136
23	60	72	72	144
24	60	76	76	152
25	60	80	80	160
26	60	85	85	170
27	60	90	90	180
28	60	95	95	190
29	60	100	100	200
30	60	105	105	210
31	60	110	110	220
32	60	120	120	240
33	60	130	130	260
34	60	140	140	280
35	60	150	150	300
36	60	160	160	320
37	60	170	170	340
38	60	180	180	360
39	60	190	190	380
40	60	200	200	400

अध्याय – 2

संगठनात्मक ढांचा और कार्य

श्रम क्षेत्राधिकार

2.1 भारत के संविधान के अंतर्गत श्रम समवर्ती सूची में है जहां केन्द्र के लिए कतिपय आरक्षित मामलों के शर्ताधीन केन्द्र और राज्य सरकारें दोनों विधान अधिनियमित करने के लिए सक्षम हैं। (बॉक्स 2.1)

बॉक्स 2.1

विषयों का आवंटन

संघ सूची	समवर्ती सूची
प्रविष्टि संख्या 55 – खानों और तेल क्षेत्रों में श्रम एवं सुरक्षा का विनियमन।	प्रविष्टि संख्या 22 – श्रमिक संघ; औद्योगिक और श्रम विवाद।
प्रविष्टि संख्या 61 – श्रमिक संघों से संबंधित औद्योगिक विवाद।	प्रविष्टि संख्या 23 – सामाजिक सुरक्षा और सामाजिक बीमा; रोजगार और बेरोजगारी।
प्रविष्टि संख्या 65 – ''व्यावसायिक प्रशिक्षण'' संबंधी केन्द्रीय एजेंसियां और संस्थान	बीमा; श्रमिकों को रोजगार जिसमें कार्य दशाएं, भविष्य निधि, नियोजकों के दायित्व, कर्मकारों को मुआवजा, अक्षमता तथा वृद्धावस्था पेंशन और प्रसूति लाभ शामिल हैं।

श्रम और रोजगार मंत्रालय का विजन मिशन एवं उद्देश्य

विजन

2.2 बाल श्रमिकों से रहित भारत सुनिश्चित करते हुए तथा संधारणीय आधार पर नियोजनीयता को बढ़ाते हुए कामगारों की सभ्य कार्य–दशाएं तथा जीवन की उन्नत गुणवत्ता।

मिशन

2.3 कामगारों की कार्य की दशाओं, व्यावसायिक स्वास्थ्य और सुरक्षा को विनियमित करते हुए, बाल श्रम का उन्मूलन करते हुए, सौहार्दपूर्ण औद्योगिक संबंधों को बढ़ावा देते हुए, श्रम कानूनों का प्रवर्तन सुनिश्चित करते हुए तथा रोजगार सेवाओं को बढ़ावा देते हुए सामाजिक सुरक्षा एवं कल्याण का प्रावधान करने के लिए कार्यान्वयन नीतियां/कार्यक्रम/परियोजनाएं तैयार करना और कार्यान्वित करना।

2.4 उद्देश्य

1. असंगठित क्षेत्र के कामगारों के लिए कल्याणकारी एवं सामाजिक सुरक्षा के प्रावधानों में बढ़ोतरी करना।
2. संगठित क्षेत्र के कामगारों को सामाजिक सुरक्षा प्रदान करना।
3. बाल श्रम का उन्मूलन।
4. युवाओं की नियोजनीयता को बढ़ावा देना।
5. रोजगार सेवाओं को सशक्त करना।
6. औद्योगिक विवादों की रोकथाम और निपटान तथा श्रम कानून प्रवर्तन मशीनरी का सशक्तिकरण। तथा
7. कामगारों की सुरक्षा दशाओं और सुरक्षा में सुधार करना।

श्रम एवं रोजगार मंत्रालय

श्री संतोष कुमार गंगवार ने दिनांक 03.09.2017 से राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) श्रम एवं रोजगार मंत्री के रूप कार्यभार ग्रहण किया था तथा 2019 में आम चुनाव के पश्चात फिर से 30.05.2019 को राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) श्रम एवं रोजगार मंत्री के रूप में कार्यभार ग्रहण किया था।

श्री हीरालाल सामरिया, आईएएस (टीजी:1985) ने 21.05.2018 से सचिव (श्रम और रोजगार) का कार्यभार संभाल लिया था।

(प्रमुख ब्यूरो)

श्रीमती अनुराधा प्रसाद, अपर सचिव (श्रम और रोजगार) (आईडीएएस:1986) ने 11.07.2018 से अपर सचिव (श्र. एवं रो.) का कार्यभार संभाल लिया है। वह मुख्य सतर्कता अधिकारी एवं महानिदेशक रोजगार (डीजीई) का कार्य भी देख रही हैं। वह सभी विधिक मामलों, असंगठित कामगारों के लिए सामाजिक सुरक्षा योजनाओं के विलियन, समन्वय/द्वितीय राष्ट्रीय श्रम संबंधी आयोग (एनसीएल), दत्तोपंत थेंगड़ी राष्ट्रीय श्रमिक शिक्षा और विकास बोर्ड (डीटीएनबीडब्ल्यूईबी), नागरिक चार्टर, आईएसएच–डीजीफासली, कारखाना अधिनियम तथा गोदी कामगार (सुरक्षा एवं स्वास्थ्य) अधिनियम से संबंधित सभी कार्य भी देख रही हैं।

श्री बिरंची नारायण नन्दा (आईईएस: 1983) ने 11.03.2019 से प्रधान श्रम एवं रोजगार आर्थिक सलाहकार का पदभार ग्रहण किया। वे आर्थिक एवं सांख्यिकी विश्लेषण (ईएसए) (श्रम ब्यूरो), आपदा प्रबंधन एवं योजना एकक का कार्य देख रहे हैं।

श्रीमती शिबानी स्वाई, अपर सचिव एवं वित्त सलाहकार (आईईएस: 1986) ने 11.07.2018 से अवर सचिव एवं वित्त सलाहकार का पदभार ग्रहण किया। वे वित्त प्रभाग, बजट एवं लेखा तथा रोकड़ अनुभाग की प्रमुख हैं। वे श्रम संबंधी संसदीय स्थायी समिति की मांग अनुदानों से संबंधित मामलों और मंत्रालय में होने वाले व्यय की निगरानी का कार्य देख रही हैं। इसके अलावा, वे वेतन एवं लेखा कार्यालय का कार्य भी देख रही हैं।

श्री एम. पीटर जोनसन, डीजी(एस) (आईएसएस) ने 01.07.2019 को महानिदेशक (सांख्यिकी) का पदभार ग्रहण किया। वे दिव्यांग जनों के लिए राष्ट्रीय कैरियर सेवा केन्द्र (पूर्व में व्यावसायिक पुनर्वास केन्द्र) से संबंधित सभी मामलों और राष्ट्रीय कैरियर सेवा संस्थान (पूर्व में सीआईआरटीईएस), रोजगार सांख्यिकीय और संबंधित रिपोर्टों तथा संसद एकक का कार्य देख रहे हैं।

सुश्री विभा भल्ला {आईआरएस(आईटी): 1991} ने 20.02.2019 को संयुक्त सचिव का कार्यभर ग्रहण किया। वे कर्मचारी भविष्य निधि संगठन को छोड़कर श्रम सुविधा पोर्टल, सामाजिक सुरक्षा मामले, कर्मचारी राज्य बीमा निगम (ईएसआईसी), वेतन बोर्ड, वेतन प्रकोष्ठ का कार्य देख रही हैं।

श्री अजय तिवारी, आईएएस (एएम:1993) ने संयुक्त सचिव एवं श्रम कल्याण महानिदेशक का पदभार 02.11.2018 को ग्रहण किया। वे श्रम कल्याण–ग्रामीण तथा असंगठित श्रमिक, बंधुआ श्रमिक, आरएसबीवाई के शेष कार्य, असंगठित कामगार सामाजिक सुरक्षा अधिनियम से संबंधित सभी पहलुओं सहित बीओसीडब्ल्यू अधिनियम, 1996 के अंतर्गत कामगारों का पंजीकरण तथा बीओसीडब्ल्यू कल्याण उपकर अधिनियम, 1996 से संबंधित कार्य देख रहे हैं। वे असंगठित कामगारों के लिए नई शुरू की गई पेंशन योजना प्रधानमंत्री–श्रम–योगी–मानधन योजना तथा व्यापारियों एवं स्वनियोजित व्यक्तियों के लिए शुरू की गई नई राष्ट्रीय पेंशन योजना (एनपीएस–ट्रेडर्स) का कार्य भी देख रहे हैं।

श्री आर.के.गुप्ता (सीएसएस: 1987) ने 01.08.2016 को संयुक्त सचिव के रूप में कार्यभार ग्रहण किया। वे प्रशासन, आईटी, श्रम सम्मेलन (एलसी)/आईएलएएस, कर्मचारी भविष्य निधि एवं प्रकीर्ण उपबंध अधिनियम/ईपीएफओ सहित सामाजिक सुरक्षा करारों, केन्द्रीय भविष्य निधि अधिनियम, 1925, श्रम कानूनों में सुधार सहित लघु कारखाना विधेयक, एवीएमएस (एसीसी रिक्ति निगरानी प्रणाली), के नोडल अधिकारी, मुख्य/नोडल अभिलेख अधिकारी, भविष्य, ई–स्पैरो, स्वच्छ भारत अभियान, एपीएआरएस, डीपीएआरजी, एनआईसी के साथ समन्वय, और राष्ट्रीय ई–गवर्नेंस से जुड़े कार्य देख रहे हैं।

सुश्री कल्पना राजसिंहोत, (आईपीओएस: 1992) ने दिनांक 26.10.2017 से संयुक्त सचिव का कार्यभार ग्रहण किया। वह वी.वी.गिरि राष्ट्रीय श्रम संस्थान (वीवीजीएनएलआई), मीडिया सैल, रेलवे (एचओईआर) के लिए अपीलीय प्राधिकारी सहित औद्योगिक संबंधों से संबंधित सभी मामलों, बाल और महिला श्रम, औद्योगिक सुरक्षा और स्वास्थ्य प्रभाग – खान सुरक्षा महानिदेशालय (डीजीएमएस),

खान अधिनियम एवं आरआई(पीएल) से संबंधित सभी मामलों का कार्य देख रही हैं।

श्री सुनील प्रकाश भारद्वाज (आईएसएस) दिनांक 01.08.2019 से डीडीजी का पद संभाल रहे हैं। वह ईएसए (श्रम ब्यूरो), योजना एकक और संसद एकक का कार्य देख रहे हैं।

श्री देवेन्द्र सिंह (आईईएसः1986) ने 15.12.2015 से आर्थिक सलाहकार का कार्यभाल संभाल लिया है। वे राजभाषा, लोक शिकायतें, केंद्रीय श्रम सेवा एवं सीजीआईटी, स्कीमों का मूल्यांकन एवं निगरानी, आरटीआई तथा सातवें केन्द्रीय वेतन आयोग (सीपीसी) से संबद्ध सभी मामलों, विभिन्न राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों में नोडल/क्षेत्र अधिकारी की प्रतिनियुक्ति का कार्य देख रहे हैं। वे मुख्य सूचना सुरक्षा अधिकारी भी हैं।

श्री आर.डी. चौहान, मुख्य लेखा नियंत्रक (आईसीएएसः 1988) ने 21.10.2019 को मंत्रालय में लेखा संगठन के प्रमुख का कार्यभार संभाल लिया है। वे मंत्रालय के लेखा, बजट, डीबीटी एवं अंतरिक लेखा परीक्षा का कार्य देख रहे हैं।

महानिदेशक रोजगार (डीजीई) कार्यालय

श्री सत्येन्द्र बहादुर सिंह (आईएसएसः1987) दिनांक 22.02.2018 से उप–महानिदेशक (रोजगार) का पद संभाल रहे हैं।

मुख्य श्रम आयुक्त (केन्द्रीय) {सीएलसी(सी)} का कार्यालय

श्री राजन वर्मा, सीएलएस (1987) ने 01.01.2019 से मुख्य श्रमायुक्त (केन्दीय) का पद संभाल लिया है।

कर्मचारी राज्य बीमा निगम (ईएसआईसी)

श्री राजकुमार आईएएस (जीजेः1987) ने दिनांक 21.07.2017 से ईएसआईसी के महानिदेशक का कार्यभार संभाल लिया है।

कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (ईपीएफओ)

श्री सुनील बर्थवाल, आईएएस (बीएचः1989) ने 30.06.2018 से ईपीएफओ के केन्द्रीय भविष्य निधि आयुक्त का पद भार संभाल लिया है।

संबद्ध कार्यालय

रोजगार महानिदेशालय (डीजीई)

2.5 यह कार्यालय पूरे देश में रोजगार सेवाओं के समन्वयन के लिए नीतियां, मानक, मानदण्ड और दिशा–निर्देश निर्धारित करने के लिए उत्तरदायी है। रोजगार समवर्ती विषय होने के कारण, नीतियों को निर्धारित करना, प्रक्रियाएं, मानक, मानदंड, दिशानिर्देशन केन्द्र सरकार की जिम्मेदारी है, जबकि रोजगार कार्यालयों का प्रशासन संबंधित राज्य सरकार/संघ शासित प्रदेशों के हाथ में है। अधिकांश राज्यों में राज्य की राजधानियों में अवास्थित रोजगार निदेशालय है। इन कार्यकलापों के अतिरिक्त, डीजीई विशेष लक्षित समूहों की नियोजनीयता में बढ़ोतरी करने के लिए विभिन्न योजनाएं भी संचालित करता है।

मुख्य श्रमायुक्त (केन्द्रीय) ख्सीएलसी(सी), का कार्यालय

2.6 यह कार्यालय (क) केन्द्रीय क्षेत्र में औद्योगिक विवादों की रोकथाम, जांच तथा निपटान; (ख) पंचाटों तथा करारों के प्रवर्तन; (ग) उन उद्योगों तथा प्रतिष्ठानों में श्रम कानूनों को कार्यान्वित करने, जिनके संबंध में केन्द्रीय सरकार समुचित सरकार है; (घ) केन्द्रीय कर्मचारी संगठनों से सम्बद्ध संघों की सदस्यता का सत्यापन करने ताकि उन्हें राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलनों एवं समितियों में प्रतिनिधित्व दिया जा सके; और (ङ) अनुसूचित नियोजनों में न्यूनतम मजदूरी अधिनियम, 1948 के तहत न्यूनतम मजदूरी के महंगाई भत्ता घटक के निर्धारण एवं संशोधन के लिए उत्तरदायी है।

कारखाना सलाह सेवा एवं श्रम संस्थान महानिदेशालय (डीजीफासली)

2.7 यह निदेशालय, कारखानों और गोदी कर्मकारों की सुरक्षा, स्वास्थ्य और कल्याण के बारे में नीति बनाने से संबंधित है। यह राज्य सरकारों द्वारा कारखाना अधिनियम, 1948 के कार्यान्वयन का समन्वय करने तथा इस अधिनियम के अधीन मॉडल नियम बनाने के लिए उत्तरदायी है। यह

गोदी कर्मकार (सुरक्षा, स्वास्थ्य तथा कल्याण) अधिनियम, 1986 के प्रशासन से भी संबंधित है। यह औद्योगिक सुरक्षा, व्यावसायिक स्वास्थ्य, औद्योगिक स्वच्छता, औद्योगिक मनोविज्ञान और औद्योगिक फिजियोलोजी में अनुसंधान करता है और यह मुख्यतः औद्योगिक सुरक्षा तथा स्वास्थ्य के क्षेत्र में प्रशिक्षण प्रदान करने सहित औद्योगिक सुरक्षा में एक वर्ष का डिप्लोमा पाठयक्रम, औद्योगिक स्वास्थ्य (औद्योगिक स्वास्थ्य में एसोसिएट फैलो–एएफआईएच), जोखिमकारी प्रक्रिया उद्योगों में कार्यरत पर्यवेक्षीय कर्मियों के लिए सुरक्षा एवं स्वास्थ्य में 5 सप्ताह का विशेषीकृत प्रमाण–पत्र पाठ्यक्रम चलाता है।

2.8 डीजीफासली संगठन में चार मुख्यालयय पांच श्रम संस्थान तथा प्रमुख पत्तनों में 11 गोदी सुरक्षा निरीक्षणालय शामिल हैं। मुम्बई मुख्यालय में तीन प्रभाग/प्रकोष्ठ नामतः कारखाना सलाह सेवा प्रभाग, गोदी सुरक्षा प्रभाग और एक पुरस्कार प्रकोष्ठ है।

2.9 मुम्बई में केंद्रीय श्रम संस्थान ने 1959 में कार्य करना शुरू किया तथा इसे इसके वर्तमान परिसर में फरवरी, 1966 में स्थानान्तरित किया गया। पिछले कई वर्षों से संस्थान का विकास हुआ है और इसने निम्नलिखित प्रभागों के साथ प्रमुख राष्ट्रीय स्रोत केंद्र के रूप में दर्जा प्राप्त किया है:

- औद्योगिक सुरक्षा
- औद्योगिक स्वच्छता
- औद्योगिक औषधि
- पर्यावरण इंजीनियरिंग
- कर्मचारी प्रशिक्षण एवं उत्पादकता
- प्रमुख जोखिम एवं रसायन सुरक्षा

2.10 संस्थान के विभिन्न प्रभाग अध्ययन एवं सर्वेक्षण कराने, प्रशिक्षण कार्यक्रम, सेमिनार एवं कार्यशालाएं आयोजित कराने, तकनीकी सलाह, सुरक्षा ऑडिट, वैयक्तिक सुरक्षा उपकरणों का परीक्षण एवं निष्पादन रिपोर्ट जारी करना, वार्ता प्रस्तुत करने आदि जैसी गतिविधियां करते हैं।

2.11 चेन्नई, फरीदाबाद, कानपुर और कोलकाता में स्थित क्षेत्रीय श्रम संस्थान (आरएलआई) देश के संबंधित क्षेत्रों में सेवाएं दे रहे हैं। प्रत्येक संस्थान में निम्नलिखित प्रभाग/अनुभाग हैं:

- औद्योगिक सुरक्षा
- औद्योगिक स्वच्छता
- औद्योगिक औषधि

2.12 भारत के प्रमुख 11 पत्तनों अर्थात कोलकाता, मुम्बई, चेन्नई, विशाखापत्तनम, पारादीप, कांडला, मोरमुगांव, तूतीकोरीन, कोच्चीन, न्यू मंगलौर एवं जवाहर लाल नेहरू पत्तन में गोदी सुरक्षा निरीक्षणालय स्थापित किए गए हैं। एन्नौर पत्तन में गोदी सुरक्षा निरीक्षणालय को स्थापित करने का काम प्रक्रिया में है।

श्रम ब्यूरो

2.13 इस कार्यालय का मुख्यालय चंडीगढ़ एवं शिमला में है, यह श्रम सांख्यिकी तथा और रोजगार एवं बेरोजगारी जैसे श्रम संबंधी, मजदूरी, उपार्जन, औद्योगिक संबंधों और कार्यदशाओं आदि से संबंधित अन्य सूचना के एकत्रण, संकलन तथा प्रकाशित के लिए उत्तरदायी है। यह औद्योगिक तथा कृषि/ग्रामीण श्रमिकों के संबंध में उपभोक्ता मूल्य सूचकांकों को संकलित और प्रकाशित भी करता है।

अधीनस्थ कार्यालय

खान सुरक्षा महानिदेशालय (डीजीएमएस)

2.14 इस कार्यालय को खान अधिनियम, 1952 के उपबंधों तथा उनके अधीन बनाये गये नियमों और विनियमों को लागू करने का काम सौंपा गया है। यह खानों और तेल क्षेत्रों पर लागू भारतीय विद्युत अधिनियम, 1910 के उपबंधों का प्रवर्तन भी करता है।

कल्याण आयुक्त

2.15 कल्याण आयुक्तों के सत्रह (17) कार्यालय, अभ्रक, चूना पत्थर तथा डोलोमाइट, लौह अयस्क, मैंगनीज तथा क्रोम अयस्क खानों और बीड़ी तथा सिनेमा उद्योगों में नियोजित कर्मकारों को कल्याण सुविधाएं प्रदान करने के लिए उत्तरदायी हैं। ये कार्यालय नई दिल्ली (मुख्यालय) इलाहाबाद, अहमदाबाद, अजमेर, बंगलुरू, , भुवनेश्वर, चंडीगढ़, कण्णूर, देहरादून, हैदराबाद, जबलपुर, कोलकाता, नागपुर,

पटना, रांची (झारखंड), रायपुर और तिरूनेवेल्ली में स्थित हैं।

स्वायत्त संगठन

कर्मचारी राज्य बीमा निगम (ईएसआईसी)

2.16 यह निगम कर्मचारी राज्य बीमा अधिनियम, 1948 के कार्यान्वयन के लिए उत्तरदायी है जिसमें बीमित व्यक्तियों तथा उनके परिवारों की चिकित्सा देख–रेख और उपचार की व्यवस्था है। बीमारी तथा प्रसूति, रोजगार के दौरान लगी चोट के लिए प्रतिपूर्ति, रोजगार के दौरान लगी चोट आदि के कारण कर्मकार की मृत्यु हो जाने पर उसके आश्रितों के लिए पेंशन के रूप में सहायता दी जाती है।

कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (ईपीएफओ)

2.17 यह संगठन कर्मचारी भविष्य निधि एवं प्रकीर्ण उपबंध अधिनियम, 1952 के प्रशासन के लिए उत्तरदायी है। इस योजना के अंतर्गत शामिल कर्मकारों के लाभ के लिए इस संगठन द्वारा भविष्य निधि, परिवार पेंशन और जमा सहबद्ध बीमा योजनाओं का कार्यान्वयन किया जाता है। यह संगठन कर्मचारी पेंशन योजना, 1995, जो 16.11.1995 से अस्तित्व में आयी है, के प्रशासन के लिए भी उत्तरदायी है।

वी.वी. गिरि राष्ट्रीय श्रम संस्थान (वीवीजीएनएलआई)

2.18 यह संस्थान जिसका मुख्यालय नोएडा (उत्तर प्रदेश) में स्थित है, एक पंजीकृत संस्थान है, जो कार्योन्मुखी अनुसंधान करता है और ग्रामीण तथा शहरी दोनों क्षेत्रों में ट्रेड यूनियन आन्दोलन में निम्नतर स्तर के श्रमिकों और औद्योगिक संबंधों, कार्मिक प्रबंधन, श्रमिक कल्याण आदि का काम देखने वाले अधिकारियों को भी प्रशिक्षण प्रदान करता है।

दत्तोपंत ठेंगड़ी राष्ट्रीय श्रमिक शिक्षा और विकास बोर्ड (पूर्ववर्ती सीबीडब्ल्यूई)

2.19 यह बोर्ड एक पंजीकृत सोसायटी है जिसका मुख्यालय नागपुर में है, श्रमिकों को श्रमिक संघवाद की तकनीकों में प्रशिक्षण देने संबंधी योजनाओं और श्रमिकों को उनके अधिकारों, कर्तव्यों और उत्तरदायित्वों का बोध कराना इस बोर्ड का कार्य है। बोर्ड ग्रामीण श्रमिक शिक्षा तथा कार्यात्मक प्रौढ़ शिक्षा संबंधी कार्यक्रम भी चलाता है।

न्याय निर्णयन निकाय

केन्द्रीय सरकार औद्योगिक न्यायाधिकरण और श्रम न्यायालय (सीजीआईटी–सह–एलसी)

2.20 औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 के उपबंधों के अधीन उन संगठनों के औद्योगिक विवादों के न्यायनिर्णयन के लिए कुल मिलाकर 22 (बाईस) औद्योगिक अधिकरण सह–श्रम न्यायालय गठित किए गए हैं, जिनके संबंध में केन्द्रीय सरकार समुचित सरकार है। वित्तय अधिनियम, 2017 के माध्यम से ईपीएफ और एमपी अधिनियम 1952 से उत्पन्न अपीलों को निपटाने की शक्तियां भी इन अधिकरणों को दी गई हैा ये अधिकरण धनबाद (झारखंड), मुम्बई, नई दिल्ली और चंडीगढ़ (प्रत्येक में दो न्यायालय) तथा कोलकाता, जबलपुर, कानपुर, नागपुर, लखनऊ, बंगलुरू, जयपुर, चेन्नई, हैदराबाद, भुवनेश्वर, अहमदाबाद, एर्नाकुलम, आसनसोल और गुवाहाटी में प्रत्येक में एक न्यायालय स्थित है। इसके अलावा मुम्बई तथा कोलकाता स्थित दो औद्योगिक अधिकरण राष्ट्रीय अधिकरण के रूप में कार्य करते हैं।

मध्यस्थता निकाय

मध्यस्थता बोर्ड, संयुक्त परामर्शदात्री तंत्र (जेसीएम) योजना

2.21 भारत सरकार ने 1966 में नियोक्ता के रूप में सरकार तथा उसके कर्मचारियों की महासभा के बीच समान सरोकार के कई मामलों में अनसुलझे मतभेदों का समाधान करने के लिए केन्द्रीय सरकार के कर्मचारियों के लिए संयुक्त परामर्शदात्री तंत्र (जे.सी.एम.) एवं अनिवार्य विवाचन की स्कीम आरंभ की थी।

2.22 जेसीएम स्कीम के खण्ड 16 के अनुसार अनिवार्य मध्यस्थता किसी वर्ग या ग्रेड के कर्मचारियों के वेतन और भत्तों, साप्ताहिक कार्य घंटों तथा छुट्टी संबंधी अनिवार्य माध्यस्थम के प्रावधान तक ही सीमित है। मध्यस्थता हेतु जेसीएम स्कीम के खण्ड 18 एवं 19 के अनुसार अगर किसी पक्ष द्वारा वांछित हो तो किसी विवाचनीय मामले पर मदभेद को माध्यस्थम बोर्ड को भेजा जाता है अगर वह राष्ट्रीय परिषद या उचित विभागीय परिषद, जैसा भी

मामला हो, द्वारा विचार किया जा चुका हो तथा दोनों पक्षों के बीच मामले में अंतिम मतभेद अभिलिखित किया जा चुका हो।

श्रम और रोजगार मंत्रालय में कार्रवाई किए जाने वाले मुख्य विषय

2.23 संविधान की संघीय सूची और सातवीं अनुसूची की समवर्ती अनुसूची में संबंधित प्रविष्टियों से वांछित शक्तियों के अनुसरण में, श्रम और रोजगार मंत्रालय को निम्नलिखित कार्य आबंटित किए गए हैं:–

2.24 श्रम नीति (मजदूरी नीति सहित) और विधान, श्रमिकों की सुरक्षा, स्वास्थ्य और कल्याण, श्रमिकों की सामाजिक सुरक्षा, महिला, बाल श्रम, औद्योगिक सम्बन्ध जैसे विशेष लक्ष्य समूह से संबंधित नीति और केन्द्रीय क्षेत्र में श्रम कानूनों का प्रवर्तन, केन्द्र सरकार औद्योगिक न्यायाधिकरण–सह–श्रम न्यायालयों और राष्ट्रीय औद्योगिक न्यायाधिकरणों के माध्यम से औद्योगिक विवादों का न्यायनिर्णयन, श्रमिक शिक्षा, श्रम एवं रोजगार सांख्यिकी, रोजगार सेवाएं और व्यावसायिक प्रशिक्षण, केन्द्रीय श्रम एवं रोजगार सेवाओं का प्रशासन, श्रम एवं रोजगार मामलों में अंतर्राष्ट्रीय सहयोग।

केन्द्रीय श्रम सेवा (सीएलएस)

2.25 केन्द्रीय श्रम सेवा (सी एल एस) का गठन 3 फरवरी, 1987 से बेहतर औद्योगिक संबंध सुनिश्चित करने, श्रम कानून प्रवर्तन और श्रम कल्याण के उद्देश्य से किया गया था। कैडर समीक्षा के पश्चात, केन्द्रीय श्रम सेवा (सी एल एस) को वर्ष 2004 में अधिसूचित कर दिया गया था।

2.26 500 या इससे अधिक कामगारों को नियोजित करने वाले कारखानों और खानों तथा 300 या इससे अधिक कामगारों को नियोजित करने वाले बागानों को संगत कानूनों के तहत निर्धारित संख्या में कल्याण अधिकारियों को नियुक्त करना अपेक्षित होता है। सहायक श्रम कल्याण आयुक्त (केंद्रीय) तथा उप श्रम कल्याण आयुक्त (केंद्रीय) वैधानिक कार्यों का निर्वाहन करते हैं और कामगारों की सुरक्षा, स्वास्थ्य और कल्याण आदि के क्षेत्रों में सौहार्दपूर्ण औद्योगिक संबंध बनाए रखने में संबंधित प्रतिष्ठानों के प्रबंधन को सलाह और सहायता भी देते हैं। इसके अतिरिक्त, कामगारों की शिकायतों के समाधान में सहायता करने के द्वारा ये अधिकारी इनको औद्योगिक विवादों के रूप में बढ़ाने से रोकते हैं।

2.27 इसके अलावा, मुख्य श्रमायुक्त (कें.) की अध्यक्षता में संचालित केन्द्रीय औद्योगिक संबंध तंत्र (सीआईआरएम) में सहायक श्रमायुक्त (केन्द्रीय), क्षेत्रीय श्रमायुक्त (कें.), उप श्रमायुक्त (कें.) और अपर मुख्य श्रमायुक्त (कें.) के तौर पर नियुक्त अधिकारियों को केन्द्रीय क्षेत्र में सामंजस्यपूर्ण औद्योगिक संबंध बनाए रखने के कार्य भी सौंपे गए हैं। सीआईआरएम के अधीन अधिकारी केन्द्रीय क्षेत्र के प्रतिष्ठानों/उद्योगों में सभी लागू श्रम कानूनों के प्रवर्तन के लिए उत्तरदायी हैं। वे न्यूनतम मजदूरी अधिनियम, मजदूरी संदाय अधिनियम, उपदान संदाय अधिनियम के अंतर्गत अर्ध–न्यायिक प्राधिकारी तथा औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 के अंतर्गत संराधन अधिकारी के रूप में भी कार्य करते हैं। इसके अतिरिक्त, ये अधिकारी केन्द्रीय श्रमिक संघ संगठन का सामान्य सत्यापन करने के साथ–साथ अनुशासन संहिता के अंतर्गत श्रमिक संघ इकाई स्तर की सदस्यता का भी सत्यापन करते हैं।

2.28 महानिदेशक (श्रम कल्याण) के अंतर्गत श्रम और रोजगार मंत्रालय के कल्याण संगठन में सहायक कल्याण आयुक्त (केन्द्रीय), उप–कल्याण आयुक्त (केन्द्रीय) और कल्याण आयुक्त (केन्द्रीय) के तौर पर नियुक्त सीएलएस अधिकारी बीड़ी निर्माण उद्योग, खानों आदि में कार्यरत असंगठित कामगारों के लिए विभिन्न योजनाओं यथा स्वास्थ्य, आवास, शिक्षा, पेंशन आदि को प्रशासित करते हैं।

2.29 2014 में केन्द्रीय श्रम सेवा (सीएलएस) की द्वितीय संवर्ग समीक्षा के परिणामस्वरूप विभिन्न ग्रेडों में सेवा की वर्तमान संवर्ग संख्या की पुनर्संरचना करके उसे एचएजी स्तर पर 01 पद, एसएजी में 02 पद, जेएजी में 59 पद, एसटीएस में 115 पद तथा जेटीएस ग्रेड में 163 पद पर परिशोधित किया गया है।

संसद एकक

2.30 संसद एकक संसद से संबंधित सभी मामलों के लिए नोडल अनुभाग है। इस एकक के मुख्य कार्य निम्न हैं:

(i) राज्य सभा/लोक सभा प्रश्न शाखाओं से तारांकित

तथा अतारांकित प्रश्नों के सभी नोटिसों और विशिष्ट चर्चा/प्रस्ताव/अल्पावधि परिचर्चा इत्यादि को प्राप्त करता है तथा आवश्यक कार्रवाई के लिए मंत्रालय के सभी संबंधित अनुभागों/प्रभागों को अग्रेषित करना है।

(ii) संसद के हर सत्र से पहले विधायी कार्य से संबंधित जानकारी प्रदान करने के लिए मंत्रालय के संबंधित अनुभागों/प्राभागों के साथ समन्वय करना।

(iii) लोक सभा में नियम 377 के अन्तर्गत सदन में उठाए गए मामले तथा शून्य काल के दौरान राज्य सभा में विशेष उल्लेख के माध्यम से सार्वजनिक महत्व के तत्काल मामलों के संबंध में सूचना भेजना।

(iv) संसदीय स्थायी समिति की बैठकों से संबंधित सूचना प्रदान करने के लिए संबंधित अनुभागों/प्रभागों के साथ समन्वय करना।

(v) इस मंत्रालय से संबद्ध सलाहकार समिति की बैठक माननीय श्रम और रोजगार मंत्री की सुविधानुसार आयोजित करना।

वित्त स्कंध

एकीकृत वित्त प्रभाग

2.31 सचिव (श्रम और रोजगार), श्रम और रोजगार मंत्रालय के मुख्य लेखांकन प्राधिकारी हैं तथा अपर सचिव एवं वित्तीय सलाहकार (एएसएण्डएफए) और मुख्य लेखा नियंत्रक (सीसीए) की सहायता से अपने कर्तव्यों का निर्वहन करते हैं। श्रम और रोजगार मंत्रालय में एएस एण्ड एफए बजट और वित्त के प्रमुख होते हैं तथा मुख्य लेखा नियंत्रक (सीसीए) लेखांकन संगठन के प्रमुख होते हैं।

2.32 वित्तीय शक्ति नियमों के प्रत्यायोजन (डीएफपीआर), 1978 के परिशिष्ट–II में यथाप्रदत्त एएस एण्ड एफए की अध्यक्षता में आईएफडी निम्नलिखित कार्य करता है:–

- वित्त मंत्रालय द्वारा इस मंत्रालय को प्रत्यायोजित शक्तियों के क्षेत्र में आने वाले समस्त विषयों के संबंध में प्रशासनिक मंत्रालय को सलाह प्रदान करना। इसमें कार्यालय प्रमुख की हैसियत में मंत्रालय को दी गई अन्य शक्तियों को छोड़कर सभी शक्तियां शामिल हैं;
- अधीनस्थ प्राधिकारियों को शक्तियों के पुनःप्रत्यायोजन प्रस्तावों की जांच करना;
- मंत्रालय में विभागीय प्रमुख की प्रत्यायोजित शक्तियों के परे सभी व्यय प्रस्तावों की जांच करना और उनपर सहमति देना;
- समस्त व्यय प्रस्तावों की छानबीन करना जिन्हें सहमति या टिप्पणी के लिए वित्त मंत्रालय को संदर्भित किया जाना अपेक्षित है;
- परियोजनाओं एवं अन्य चल रही स्कीमों की प्रगति और निष्पादन के मूल्यांकन के साथ से निकट से जुड़े रहना;
- योजनाओं को बनाने और प्रारम्भिक चरणों में उनके महत्वपूर्ण व्यय प्रस्तावों को तैयार करने में निकट से जुड़े रहनाय;
- श्रम और रोजगार मंत्रालय के विभिन्न स्कंधों से प्राप्त एसएफसी/ईएफसी की जाँच व निगरानी।

2.33 2019–2020 के दौरान, एएस एण्ड एफ की अध्यक्षता में जीईएम (एससीओजीईएम) पर संसदीय स्थायी समिति की बैठक नियमित रूप से यह सुनिश्चित करने के लिए आयोजित की गईं कि अधिकांश अधिप्रापण जीईएम पोर्टल के माध्यम से किया जाए और चूक भुगतानों को न्यूनतम किया जाए।

बजट एवं लेखा अनुभाग

2.34 बजट एवं लेखा अनुभाग श्रम और रोजगार मंत्रालय का एक अभिन्न अंग है तथा श्रम और रोजगार मंत्रालय की योजनाओं के सुचारु कार्यान्वयन में महत्वपूर्ण भूमिका अदा करता है। मंत्रालय में इस प्रभाग के अध्यक्ष अपर सचिव एवं वित्तीय सलाहकार (एएसएण्डएफए) हैं। सीसीए के पर्यवेक्षण में यूएस(बजट) इस अनुभाग से संबंधित सभी मामलों में वित्तीय सलाहकार की सहायता करते हैं।

2.35 बजट एवं लेखा अनुभाग के कार्य और कर्तव्य निम्नानुसार हैं:–

- सुनिश्चित करना कि मंत्रालय द्वारा बजट तैयार करने की अनुसूची का पालन किया जाए तथा वित्त मंत्रालय द्वारा समय–समय पर जारी अनुदेशों के अनुसार बजट का प्रारूप तैयार किया जाए।
- वार्षिक मांग अनुदानों पर विचार करने हेतु वित्त मंत्रालय को वार्षिक बजट प्रस्ताव अग्रेषित करने से पहले संबंधित ब्यूरो प्रमुखों के परामर्श से मंत्रालय की वार्षिक अनुदान मांगों को अंतिम रूप देने के लिए इन्हें एएसएण्डएफए के समक्ष रखने हेतु इस मंत्रालय के विभिन्न प्रभागों/अनुभाग से प्राप्त वार्षिक बजट प्रस्तावों की पूर्ण रूप से जांच करना।
- वित्त मंत्रालय द्वारा संप्रेषित अंतिम अवसीमा के आधार पर विस्तृत अनुदान मांगें तैयार करने के साथ–साथ एससीएसपी, एसटी और पूर्वोत्तर क्षेत्र के लिए बजट आबंटन से संबंधित अनुदेशों का पालन करना।
- एएसएण्डएफए की अध्यक्षता में नियमित रूप से आयोजित की जा रही बैठकों के माध्यम से संस्वीकृत अनुदानों के सम्मुख व्यय की प्रगति की निगरानी और समीक्षा करना, जिनमें, व्यय की समानांतर गति बनाए रखना सुग्राही बनाया जाता है ताकि यह संसद द्वारा अनुमोदित मासिक व्यय अनुमान और तिमाही व्यय अनुमान के अनुरूप हो।
- अनुपूरक मांग अनुदानों के लिए इस मंत्रालय के प्रभागों/अनुभाग से प्राप्त प्रस्तावों की जांच करना तथा प्रस्ताव को संसदीय अनुमोदन हेतु वित्त मंत्रालय को अग्रेषित करना।
- पुनर्विनियोजन के प्रस्तावों को अनुमोदन हेतु वित्त मंत्रालय को अग्रेषित करने से पहले इनकी जांच करना।
- लेखा–परीक्षा आपत्तियों, निरीक्षण रिपोर्टों, लेखा–परीक्षा के प्रारूप के पैराओं, आदि के परिनिर्धारण पर निगरानी रखना तथा लेखा–परीक्षा रिपोर्टों और पुनर्विनियोजन लेखाओं पर तत्काल कार्रवाई सुनिश्चित करना।
- प्रलेखों/सामग्री का संकलन अर्थात स्कीमों पर टिप्पणियां, आउटपुट–आउटकम फ्रेमवर्क आदि के साथ–साथ वार्षिक आधार पर संसद भवन की एनेक्सी में "मांग अनुदान" आयोजित संसदीय स्थायी समिति की बैठक के संबंध में लोक सभा सचिवालय को मांग अनुदान पर प्रस्तुतीकरण प्रस्तुत करना। की गई कार्रवाई की रिपोर्ट को प्रस्तुत करने के लिए किए गए विचार–विमर्श पर आधारित एक संपूर्ण रिपोर्ट और उपर्युक्त प्रलेखों में दी गई सूचना भी लोक सभा सचिवालय द्वारा भेजी जाती है। तदनुसार, अनुभाग संसदीय स्थायी समिति की अनुशंसाओं की रिपोर्ट पर की गई कार्रवाई रिपोर्ट को समेकित करता है। लोक सभा सचिवालय के पास 6 महीने के अंदर एटीआर को प्रस्तुत करने पर की गई कार्रवाई रिपोर्ट संसद के दोनों सदनों में रखी जाती है।
- बजट घोषणाओं के कार्यान्वयन की अद्यतन स्थिति को वित्त मंत्रालय के पास भेजना/अपलोड करना।
- विभिन्न बजट संबंधी मामलों के लिए स्वायत्त निकायों, संबद्ध एवं अधीनस्थ कार्यालयों के साथ संपर्क बनाये रखना।
- मांग अनुदानों पर बजट चर्चाओं के लिए कटौती प्रस्तावों पर जानकारी देना
- सरकारी सेवकों को ऋण देने में सुविधा प्रदान करना।
- सचिव (श्रम एवं रोजगार) की अध्यक्षता में स्थायी लेखा परीक्षा समिति को सचिवालय सेवाएं प्रदान करना जिसे लिए अपर सचिव एवं वित्तीय सलाहकार नोडल अधिकारी होते हैं।

राजभाषा

हिन्दी का उत्तरोत्तर प्रयोग

2.36 श्रम एवं रोजगार मंत्रालय ने वर्ष 2019–2020 के दौरान सरकारी कामकाज में हिन्दी के प्रयोग को बढ़ावा देने और अधिकारियों/कर्मचारियों में हिन्दी के प्रति रुचि पैदा करने के लिए अनेक प्रयास किए हैं। मंत्रालय में

राजभाषा अधिनियम के प्रावधानों/नियमों और राजभाषा विभाग द्वारा समय–समय पर जारी आदेशों/अनुदेशों/दिशा–निर्देशों का कार्यान्वयन सुनिश्चित करने के लिए कदम उठाए गए। श्रम एवं रोजगार मंत्रालय के हिन्दी प्रभाग को भारत सरकार की राजभाषा नीति का कार्यान्वयन और महत्वपूर्ण दस्तावेजों जैसे संसद में रखे जाने वाले कागजात, श्रम कानूनों, माननीय श्रम एवं रोजगार मंत्री जी के भाषण, प्रेस विज्ञप्ति आदि के साथ–साथ मंत्रालय के अन्य नेमी कार्य के अनुवाद का उत्तरदायित्व सौंपा गया है। माननीय मंत्री जी की अध्यक्षता में पिछली हिन्दी सलाहकार समिति दिनांक 18.06.2018 को तिरुपति, आंध्र प्रदेश में आयोजित की गई।

2.37 मंत्रालय में हिन्दी के प्रयोग को बढ़ावा देने के लिए 02–16 सितम्बर, 2019 के दौरान हिन्दी पखवाड़ा मनाया गया। इस अवसर पर अधिकारियों/कर्मचारियों के बीच हिन्दी के प्रयोग को बढ़ावा देने के लिए हिन्दी से जुड़ी आठ प्रतियोगिताएं आयोजित की गईं। इनमें बड़ी संख्या में मंत्रालय के अधिकारियों/कर्मचारियों ने बढ़–चढ़ कर हिस्सा लिया तथा प्रतियोगिता के विजेताओं को नकद पुरस्कार और प्रमाण–पत्र दिए गए। तदुपरांत, मंत्रालय की 17वीं लोकसभा के लिए हिन्दी सलाहकार समिति का गठन प्रक्रिया में है।

प्रत्यक्ष लाभ अन्तरण (डीबीटी) प्रकोष्ठ

2.38 कल्याणकारी स्कीमों में सूचना/निधियों के सहज और तीव्र प्रवाह के लिए मौजूदा प्रक्रिया की पुनर्संरचना के द्वारा सरकारी सुपुर्दगी प्रणाली में सुधार करने के उद्देश्य से और सही लाभार्थियों तक पहुंचने को सुनिश्चित करने, दोहराव को रोकने और धोखाधड़ी में कमी लाने के लिए लाभार्थियों को निधियों के प्रत्यक्ष लाभ अन्तरण (डीबीटी) 01 जनवरी, 2013 को शुरू किया गया। डीबीटी कार्यक्रम के कार्यान्वयन हेतु नोडल बिंदु में कार्य करने के लिए डीबीटी मिशन को योजना आयोग में सृजित किया गया। इस मिशन को जुलाई, 2013 में व्यय विभाग को स्थानान्तरित किया गया और वह 14.09.2015 तक कार्य करता रहा। इसपर अधिक बल देने के लिए डीबीटी मिशन और इससे संबंधित मामलों को 14.09.2015 से सचिव (समन्वय एवं लोक शिकायत) के अंतर्गत मंत्रिमंडल सचिवालय में स्थानान्तरित किया गया। मंत्रिमंडल सचिवालय ने डीबीटी मिशन विभिन्न केंद्रीय मंत्रालयों/विभागों के साथ–साथ राज्य सरकारों और संघ राज्य क्षेत्रों के आधार आधारित डीबीटी कार्यक्रमों के कार्यान्वयन और निगरानी के लिए नोडल बिंदु के रूप में कार्य करने के लिए अधिदेशित है। डीबीटी मिशन ने वेब आधारित एमआईएस पोर्टल (www.dbtbharat.gov.in) बनाया है जो नियमित आधार पर निम्नलिखित मापदण्डों के संबंध में मंत्रालयों/विभागों की डीबीटी से संबंधित सभी सूचनाओं को एकत्रित और समेकित करता है:

i) लाभार्थी डिजिटाइजेशन और उनके आधार को जोड़ना/आधार का प्रमाणीकरण।

ii) लाभार्थियों को भारत की समेकित निधि द्वारा प्रायोजित लाभों (नकद या वस्तु के रूप में) को देना।

iii) डीबीटी/गैर–डीबीटी पद्धति के माध्यम से लाभार्थियों को निधि अंतरित करना।

iv) ड्यूप्लिकेट/काल्पनिक/झूटे लाभार्थियों, यदि कोई हों, को हटाने के कारण बचत।

2.39 डीबीटी मिशन के निदेशों के अनुसरण में प्रत्यक्ष लाभ अंतरण संबंधी कार्य करने के लिए श्रम एवं रोजगार मंत्रालय में अगस्त, 2016 में एक डीबीडी प्रकोष्ठ का गठन किया गया है। यह प्रकोष्ठ सीसीए के सहयोग से एएस एण्ड एफए (एलएण्डई) के संपूर्ण पर्यवेक्षण में कार्य कर रहा है। डीबीटी प्रकोष्ठ के दिन–प्रतिदिन कार्यपरकता की देखरेख एक अवर सचिव द्वारा की जाती है। डीबीटी प्रकोष्ठ डीबीटी मिशन के निदेशों/अनुदेशों के अनुसार मंत्रालय में डीबीटी का समन्वय और प्रगति की निगरानी करता है। वर्ष 2019–20 के दौरान डीबीटी कार्यक्रम के अंतर्गत शामिल श्रम एवं रोजगार मंत्रालय की 16 डीबीटी स्कीमों (14 नकद अंतरण, 1 वस्तु रूप में लाभ अंतरण और एक आधार समर्थित सेवा) की सूची तालिका 2 में दी गई है।

तालिका 2

2019–20 के दौरान डीबीटी कार्यक्रम के अंतर्गत शामिल श्रम एवं रोजगार मंत्रालय की डीबीटी स्कीमों की सूची

(1 अप्रैल, 2019 से 31 अक्तूबर, 2019 तक)

क्र. सं.	योजना का नाम	2019–20 के दौरान लाभार्थियों की संख्या	2019–20 के दौरान लाभार्थियों को दी गई राशि रुपये में,
नकद अंतरण योजनाएं			
1	बीड़ी, सिने, आईओएमसी, एलएसडीएम कामगारों के बच्चों की शिक्षा के लिए वित्तीय सहायता	0	0.00
2	आम आदमी बीमा योजना (एएबीवाई) 'पीएमजेजेबीवाई और पीएमएसबीवाई के साथ विलय की गई, के अंतर्गत छात्रवृत्ति	0	0.00
3	बीडी, आईओएमसी, एलएसडीएम, सिने कामगारों के लिए परिशोधित एकीकृत आवासीय योजना (आरआईएचएस) –2016	2.5 हजार	16.68 करोड़
4	राष्ट्रीय बाल श्रम परियोजना (एनसीएलपी) के अन्तर्गत विशेष विद्यालयों में बच्चों को छात्रवृत्ति	31.8 हजार	5.39 करोड़
5	कोचिंग, मार्गदर्शन तथा व्यावसायिक प्रशिक्षण (सीजीसी) के माध्यम से एससी/एसटी के नौकरी चाहने वालों के कल्याण की योजना के अन्तर्गत प्रशिक्षुओं को वृत्तिका	3,500	1.01 करोड़
6	दिव्यांग व्यावसायिक पुनर्वास केन्द्र (वीआरसी) योजना के अंतर्गत दिव्यांग प्रशिक्षुओं को वृत्तिका	400	66.77 लाख
7	दत्तोपंत ठेंगडी राष्ट्रीय श्रमिक शिक्षा एवं विकास बोर्ड (डीटीएनबीडब्ल्यूईडी) को अनुदान	70.8 हजार	1.86 करोड़
8	असम के बागान कामगारों के लिए परिवार पेंशन–सह–जीवन आश्वासन और निक्षेप सहबद्ध बीमा योजनाएं	27.2 हजार	29.68 करोड़
9	बंधुआ श्रमिक के पुनर्वास योजना के अंतर्गत पुनर्वास सहायता	0	0.00

10	ईपीएफ पेंशन धारकों के लिए कर्मचारी पेंशन योजना (ईपीएस)	8.78 लाख 1	535.70 करोड़
11	ईपीएफ सदस्यों के लिए कर्मचारी पेंशन योजना (ईपीएस)	5.42 करोड़	3,535.57 करोड़
12	प्रधानमंत्री रोजगार प्रोत्साहन योजना (पीएमआरपीवाई)	1.21 करोड़	2,302.37 करोड़
13	प्रधानमंत्री श्रम योगी मान धन (पीएम–एसवाईएम)	32.70 लाख	170.27 करोड़
14	व्यापारियों और स्वःनियोजित व्यक्तियों के लिए राष्ट्रीय पेंशन योजना	3.2 हजार	5.11 लाख
वस्तु–रूप अंतरण योजनाएं			
15	वी.वी. गिरि राष्ट्रीय श्रम संस्थान (वीवीजीएनएलआई) को अनुदान	1.3 हजार	लागू नहीं
आधार समर्थित सेवा			
16	राष्ट्रीय केरियर सेवा (एनसीएस)	99.57 लाख	लागू नहीं

नागरिक/ग्राहक चार्टर (सीसीसी) पर की गई कार्रवाई

आरएफडी की रिपोर्ट

2.40 श्रम और रोजगार मंत्रालय के नागरिक/ग्राहक चार्टर का पिछली बार अद्यतन प्रशासनिक सुधार एवं लोक शिकायत विभाग डीएआर एण्ड पीजी और कार्य–निष्पादन प्रबंधन प्रभाग (पीएमडी), मंत्रिमंडल सचिवालय के दिशा–निर्देशों के आधार पर तथा मंत्रालय के हितधारकों के परामर्श से अगस्त, 2019 में किया गया है। यह चार्टर जनता की सुगम पहुंच के लिए मंत्रालय की वेबसाइट पर डाला गया है तथा पर्याप्त प्रतियां आगंतुकों के उपयोग हेतु मंत्रालय के सूचना सुविधा केन्द्र में रखी गई हैं।

2.41 नागरिक/ग्राहक चार्टर में जिम्मेदार व्यक्तियों, उनके संपर्क विवरणों, सेवा मानकों सहित मंत्रालय के विजन, मिशन, सेवाओं/लेन–देनों से संबंधित सूचना है। इसके अलावा, शिकायत निवारण अधिकारी के संपर्क विवरण तथा मंत्रालय के संबद्ध/अधीनस्थ कार्यालयों/स्वायत्त निकायों के संदर्भ में सूचना संपर्क विवरण और उनकी वेबसाइटों के पतों के साथ चार्टर में शामिल की गई है।

2.42 मंत्रालय में इंटरनेट और दूरभाष सुविधा के साथ एक सूचना सुविधा केन्द्र स्थापित किया गया है जो मंत्रालय और इसके संगठनों की विभिन्न गतिविधियों और स्कीमों संबंधी सूचना उपलब्ध कराकर जनता को सभी आवश्यक सहायता प्रदान कर रहा है।

पीएसी एवं नियंत्रक और महालेखा परीक्षक लेखा परीक्षा पैराओं पर की गई कार्रवाई संबंधी टिप्पणी

क्र.सं.	रिपोर्ट सं. और वर्ष	पैरा	पैरा/पीए रिपोर्टों का विवरण जिन पर एटीएन लंबित है।		
			मंत्रालय द्वारा न भेजी गई एटीएन की संख्या जो पहली बार भी नहीं भेजी गई।	भेजी गई परन्तु प्रेक्षण के साथ वापस कर दी गई एटीएन की संख्या और लेखा परीक्षा मंत्रालय की पुनः प्रस्तुति की प्रतीक्षा में है।	एटीएन की संख्या जिनकी अंतिम रूप से लेखा परीक्षक द्वारा पुनरीक्षण कर दी गई है परन्तु मंत्रालय द्वारा पीएसी को प्रस्तुत नहीं की गई है।
1	सीएजी की 2018 की रिपोर्ट सं.4 – शासनिक प्रभार की कम वसूली (ईपीएफओ)	एक पैरा (पैरा सं. 14.1)	0	1	0
2	रिपोर्ट सं. 115 –"कर्मचारी राज्य बीमा निगम की लेखा परीक्षा निष्पादन और ईएसआईसी की चिकित्सा, शिक्षा परियोजनाओं की विशेष लेखा परीक्षा" पर की 67वीं रिपोर्ट में निहित समिति की अनुसंशाओं पर सरकार द्वारा की गई कार्रवाई।	सात (6, 13, 18, 23, 28, 33 और 38)	7	0	0

अध्याय–3

औद्योगिक संबंध

केन्द्रीय औद्योगिक संबंध तंत्र (सी.आई.आर.एम.)

मुख्य श्रम आयुक्त (केन्द्रीय) संगठन के कार्यकलापों की संक्षिप्त रिपोर्ट

3.1 मुख्य श्रम आयुक्त (केन्द्रीय) संगठन जिसे केन्द्रीय औद्योगिक संबंध तंत्र (सीआईआरएम) भी कहा जाता है, श्रम और रोजगार मंत्रालय का संबद्ध कार्यालय है। केन्द्रीय औद्योगिक संबंध तंत्र के प्रमुख मुख्य श्रम आयुक्त (केन्द्रीय) होते हैं। इसे केन्द्रीय क्षेत्र में औद्योगिक संबंध बनाए रखने, श्रम कानूनों को लागू करने और ट्रेड यूनियनों की सदस्यता का सत्यापन करने का कार्य सौंपा गया है। केन्द्रीय औद्योगिक संबंध तंत्र के मुख्यालय में 18 तथा फील्ड में 287 अधिकारी हैं। इन अधिकारियों के कार्यालय देश के भिन्न–भिन्न भागों में जोनल, क्षेत्रीय एवं इकाई स्तर पर फैले हुए हैं।

संगठन के कार्य

3.2 केन्द्रीय औद्योगिक संबंध तंत्र के मोटे तौर पर कार्य निम्नलिखित हैं–

(i) केन्द्रीय क्षेत्र में औद्योगिक विवादों का निवारण एवं उनका निपटान करना।

(ii) केन्द्रीय क्षेत्र में श्रम कानूनों और उनके अंतर्गत बनाए गए नियमों को लागू कराना।

(iii) पंचाट लागू करना।

(iv) अर्द्ध–न्यायिक कार्य।

(v) ट्रेड यूनियनों की सदस्यता का सत्यापन करना।

(vi) कल्याण एवं प्रशिक्षण

(vii) अन्य विविध कार्य

3.3 (i) औद्योगिक विवादों का निवारण एवं निपटान

केन्द्रीय औद्योगिक संबंध तंत्र केन्द्रीय क्षेत्र के प्रतिष्ठानों में निम्नलिखित के माध्यम से सौहार्द्रपूर्ण औद्योगिक संबंध सुनिश्चित करता है:–

- केन्द्रीय क्षेत्र में औद्योगिक संबंधों की मानीटरिंग करना।
- विवादों का निपटान करने के उद्देश्य से, औद्योगिक विवादों में हस्तक्षेप करना, मध्यस्थता करना और समझौता कराना।
- हड़ताल और तालाबंदी टालने के लिए आशंकित हड़ताल और तालाबंदी की परिस्थितियों में हस्तक्षेप।
- समझौते व पंचाट लागू करना।
- (1) कार्य समिति (2) बकायों की वसूली (3) छंटनी (4) बर्खास्तगी (5) अनुचित श्रम पद्धतियों आदि से संबंधित औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 के अन्य प्रावधानों को लागू करना।

3.4 (क) वर्ष 2019–2020 के दौरान सीआईआरएम ने 286 हड़ताल की धमकी में हस्तक्षेप किया है और समाधान के प्रयासों से 283 हड़तालों को टालने में सफलता मिली, जो कि 98.95% की सफलता दर को दर्शाता है। वर्ष 2018–2019 और 2019–2020 (अप्रैल से अक्टूबर, 2019) के दौरान तंत्र द्वारा नियंत्रित औद्योगिक विवादों का विवरण निम्नानुसार है: –

शीर्ष	**2018–2019**	**2019–2020 (अप्रैल से अक्टूबर, 2019)**
देखे गए औद्योगिक विवाद	12427	9823
निपटाए गए औद्योगिक विवाद	7976	5006
टाली गई हड़तालें	461	283

(ख) केन्द्रीय औद्योगिक संबंध तंत्र द्वारा हस्तक्षेप के कारण श्रमिकों को लाभ

वर्ष	2018–2019	2019–2020 (अप्रैल से अक्टूबर, 2019)
लाभान्वित श्रमिकों की संख्या	1, 27,577	98613
उपरोक्त श्रमिकों को राहत की राशि (करोड़ में)	1,323	682
पुनः नियमित किए गए/बहाल किए गए श्रमिकों की संख्या	2,693	243

(ii) श्रम कानूनों का प्रवर्तन :

3.5 केन्द्रीय औद्योगिक संबंध तंत्र का दूसरा महत्वपूर्ण कार्य उन प्रतिष्ठानों में श्रम कानूनों को लागू कराना है जिनके लिए केन्द्र सरकार समुचित सरकार है। यह तंत्र निम्नलिखित श्रम कानूनों और उनके अंतर्गत बनाए गए नियमों को लागू कराता है–

- मजदूरी संदाय अधिनियम, 1936 तथा उसके अंतर्गत खदानों, रेलवे, वायु यातायात सेवाओं एवं डॉक, घाट और जेटी के लिए बनाए गए नियम,
- न्यूनतम मजदूरी अधिनियम 1948 तथा नियम,
- ठेका श्रम (विनियमन एवं उन्मूलन) अधिनियम, 1970 तथा नियम,
- समान पारिश्रमिक अधिनियम, 1976 तथा नियम,
- अंतर्राज्यिक प्रवासी कर्मकार (नियोजन का विनियमन और सेवा शर्तें) अधिनियम, 1979 और नियम,
- बाल एवं किशोर श्रम (प्रतिषेध एवं विनियमन) अधिनियम, 1986 तथा नियम,
- उपदान संदाय अधिनियम, 1972 और नियम,
- श्रम विधि (कतिपय प्रतिष्ठानों को विवरणी प्रस्तुतीकरण और रजिस्टर रखने से छूट) अधिनियम, 1988,
- भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार (नियोजन का विनियमन तथा सेवा शर्तें) अधिनियम, 1996 तथा नियम,
- भारतीय रेल अधिनियम का अध्याय VI&d; रेल कर्मचारियों के लिए रोजगार के घंटो का विनियमन,
- औद्योगिक नियोजन (स्थायी आदेश) अधिनियम, 1946 एवं नियम,
- प्रसूति सुविधा अधिनियम, 1961 तथा खदान एवं सर्कस नियम, 1963 एवं नियम और
- बोनस संदाय अधिनियम, 1965 एवं नियम।

3.6 केन्द्रीय क्षेत्र में लगभग 2.32 लाख प्रतिष्ठान हैं। केन्द्रीय औद्योगिक संबंध तंत्र के निरीक्षण अधिकारी श्रम सुविधा पोर्टल के माध्यम से विभिन्न श्रम अधिनियमों के अन्तर्गत इन प्रतिष्ठानों का निरीक्षण करते हैं ताकि श्रमिकों को लाभप्रद कानूनों का लाभ सुनिश्चित कराया जा सके। तंत्र में पादर्शिता और जिम्मेदारी सुनिश्चित करने के लिए सभी निरीक्षण वेब समर्थित श्रम सुविधा पोर्टल के माध्यम से किए जाते हैं। निरीक्षण रिपोर्ट 48 घंटों के भीतर श्रम सुविधा पोर्टल पर अपलोड की जाती है जिससे निरीक्षणों के दौरान पाई गई अनियमितताओं एवं कमियों को नियोक्ताओं द्वारा ठीक किया जाना सुनिश्चित किया जा सके। असंगठित क्षेत्र में लाभप्रद अधिनियमों जैसे ठेका श्रम (विनियमन एवं उन्मूलन) अधिनियम, 1970, न्यूनतम मजदूरी अधिनियम, 1948 और भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार (नियोजन का विनियमन एवं सेवा की शर्तें) अधिनियम, 1996 को लागू करने पर विशेष जोर दिया जाता है। निरंतर चूक करने वालों तथा गंभीर उल्लंघनों के संबंध में मुकदमे दायर किए जाते हैं। वर्ष 2018–19 और 2019–2020 (अप्रैल से अक्टूबर) की अवधि के निरीक्षणों का ब्यौरा निम्नानुसार है:–

वर्ष 2018–19 एवं 2019–2020 (अप्रैल से अक्टूबर, 2019) के लिए विभिन्न श्रम कानूनों के अन्तर्गत निरीक्षणों आदि की संख्या को दर्शाने वाला विवरण:

शीर्ष	2018–19	2019–2020 (अप्रैल से अक्टूबर, 2019)
किए गए निरीक्षण	36,470	22,735
पाई गई अनियमितताएं	2, 10,697	1, 27, 253
दूर की गई अनियमितताएं	1, 13, 119	53,616
दायर अभियोजन मामलों की संख्या	6,613	3,512
दोषसिद्धि की संख्या	2,433	918

**** दोषसिद्धि की संख्या का अर्थ है दोषसिद्ध किए गए और दोषमुक्त किए गए***

(iii) पंचाट (अवार्ड) लागू करना

3.7 सीआईआरएम के अधिकारी केंद्र सरकार के औद्योगिक न्यायाधिकरण–सह–श्रम न्यायालयों (सीजीआईटी) द्वारा जारी किए गए अवार्डों को लागू करते हैं। वर्ष 2018–2019 के दौरान, 2755 पुरस्कार प्राप्त हुए (अग्रणित सहित)। इनमें से 946 को लागू किया गया, 1073 अवार्डों का कार्यान्वयन माननीय न्यायालयों द्वारा स्थगित किया गया और 736 अवार्डों के कार्यान्वयन की प्रक्रिया चल रही है। वर्ष 2019–2020 (अप्रैल से अक्टूबर, 2019) के दौरान, 2154 पुरस्कार प्राप्त हुए (अग्रणित सहित)। इनमें से 348 को लागू किया गया था, 1014 अवार्डों का कार्यान्वयन माननीय न्यायालयों द्वारा स्थगित किया गया था और 592 अवार्डों के कार्यान्वयन की प्रक्रिया चल रही है। हालाँकि, माननीय न्यायालयों के समक्ष अभियोजन के 200 मामले दर्ज किए गए हैं।

3.8 अवार्डों को लागू करने में कठिनाइयों का अनुभव किया जाता है क्योंकि नियोक्ता कार्यान्वयन पर उच्च न्यायालयों से स्थगन आदेश प्राप्त करते हैं। अपराध प्रक्रिया संहिता 197 के अन्तर्गत अनुमोदन के लिए अभियोजन प्रस्ताव मंत्रालय को प्रस्तुत किया जाता है।

वर्ष 2018–19 एवं 2019–2020 (अप्रैल से अक्टूबर, 2019) के दौरान पंचाटों के ब्यौरे को दर्शाने वाला विवरण

शीर्ष	2018–19	2019–2020 (अप्रैल से अक्टूबर, 2019)
वर्ष में प्राप्त अवार्ड	2755	2, 154
कार्यान्वित अवार्ड	946	348
न्यायालयों द्वारा स्थगित	1,073	1,014
न्यायालयों में दायर मामले	224	200
प्रक्रियाधीन	512	592

(iv) अर्ध–न्यायिक कार्य :

3.9 श्रम प्रवर्तन अधिकारी (कें.) से मुख्य श्रम आयुक्त (के.) स्तर के केन्द्रीय औद्योगिक संबंध तंत्र के अधिकारी कतिपय अर्ध–न्यायिक कार्य भी करते हैं जो निम्नानुसार हैं:

मुख्य श्रमायुक्त (कें.): – भवन और अन्य निर्माण श्रमिकों (रोजगार और सेवा की शर्तों का विनियमन) अधिनियम, 1996 के अन्तर्गत महानिदेशक (निरीक्षण) परन्तु यह अधिकार एक उप मुख्य श्रमायुक्त (कें.), मुख्यालय को सौंप दिया गया है; औद्योगिक रोजगार (स्थायी आदेश) अधिनियम, 1946 के अन्तर्गत अपीलीय प्राधिकारी, परिस्थिति आने पर विवादों में हस्तक्षेप के लिए औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 के अन्तर्गत समाधान अधिकारी के रूप में अवसर के अनुसार विवादों में हस्तक्षेप करने के लिए और रेलवे सेवक रोजगार के घंटे नियम, 2005 के अंतर्गत रेलवे श्रम के पर्यवेक्षक।

अपर मुख्य श्रमायुक्त (कें.): – औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 के अन्तर्गत समाधान अधिकारी। औद्योगिक रोजगार (स्थायी आदेश) अधिनियम, 1946 के अन्तर्गत अपीलीय प्राधिकारी। वह मुख्य श्रमायुक्त (कें.) के सभी कार्यों में सहायता के लिए सीआईआरएम के वरिष्ठ स्तर के एक अधिकारी हैं।

उप मुख्य श्रमायुक्त (कें.): – औद्योगिक रोजगार (स्थायी आदेश) अधिनियम, 1946, उपदान भुगतान अधिनियम, 1972, भवन और अन्य निर्माण श्रमिक (रोजगार और सेवा

की शर्तों का विनियमन) अधिनियम, 1996, अंतर–राज्य प्रवासी श्रमिक (रोजगार और सेवा की शर्तों का विनियमन) अधिनियम, 1979 के अन्तर्गत अपीलीय प्राधिकारी और ठेका श्रम (विनियमन और उन्मूलन) अधिनियम, 1970 की धारा और 12 के अन्तर्गत अपीलों को देखने के लिए अपीलीय प्राधिकारीय अनुबंध श्रम (विनियमन और उन्मूलन), नियम 1971; नियम 25 (2) (अ) (क) और (ख) के अंतर्गत औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 के अन्तर्गत समाधान अधिकारीय और रेलवे सेवक रोजगार के घंटे नियम, 2005 के अंतर्गत रेलवे श्रम के पर्यवेक्षक।

क्षेत्रीय श्रम आयुक्त(कें.)– न्यूनतम मजदूरी अधिनियम, 1948 के अंतर्गत प्राधिकारी, मजदूरी भुगतान अधिनियम, 1936; उपदान अधिनियम, 1972 और समान पारिश्रमिक अधिनियम, 1976 के अन्तर्गत प्राधिकारी, औद्योगिक रोजगार (स्थायी आदेश) अधिनियम, 1946 के अंतर्गत प्राधिकारी और औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 के अंतर्गत समाधान अधिकारी, एचओईआर के अंतर्गत वर्गीकरण संबंधित विवादों का निपटान क्षेत्रीय श्रमायुक्त (कें.) द्वारा किया जाता है; स्वतंत्र क्षेत्रीय श्रमायुक्तों (कें.) को ठेका श्रमिक (विनियमन और उन्मूलन) अधिनियम, 1970 और अंतर–राज्य प्रवासी कामगारों (रोजगार और सेवा शर्तों का विनियमन) अधिनियम, 1979 के अंतर्गत पंजीकरण और लाइसेंसिंग अधिकारी के रूप में अधिसूचितय भवन और अन्य निर्माण श्रमिकों (रोजगार और सेवा की शर्तों का विनियमन) अधिनियम, 1996 के अंतर्गत पंजीयक अधिकारी।

सहायक श्रम आयुक्त(कें.)– उपदान संदाय अधिनियम, 1972 के अंतर्गत नियंत्रण प्राधिकारीय समान पारिश्रमिक अधिनियम, 1976 के अंतर्गत प्राधिकारीय ठेका श्रम (विनियमन एवं उन्मूलन) अधिनियम, 1970, अंतर–राज्य प्रवासी कामगार (आरई एवं सीएस) अधिनियम, 1979, औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 के अंतर्गत समाधान अधिकारीय और रेलवे सेवक रोजगार के घंटे नियम, 2005 के अंतर्गत रेलवे श्रम के पर्यवेक्षक।

श्रम प्रवर्तन अधिकारी (कें.): – कुछ स्थानों पर श्रम प्रवर्तन अधिकारी (कें.) को औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 के अंतर्गत समाधान अधिकारी के रूप में अधिसूचित किया जाता है।

3.10 उपर्युक्त कुछ अधिनियमनों/नियमों के अधीन इन अधिकारियों द्वारा निर्णीत मामलों का विवरण नीचे तालिका में दिया गया है:

एमडब्ल्यू, पीडब्ल्यू और पीजी अधिनियम के अंतर्गत दावा मामलों का निपटान		
शीर्ष	**2018–19**	**2019–2020 (अप्रैल से अक्टूबर, 2019)**
प्राप्त दावों के मामले	19,937	19,513
निर्णीत दावों के मामले	8,066	4, 199
अवार्ड की राशि (करोड़ में)	215	66
लंबित दावों संबंधी मामले	11,871	15,314

दावे के अलावा अन्य निरीक्षणों के दौरान प्रदान की गई सहायता की राशि 2019–2020 (अप्रैल से अक्टूबर) की अवधि के लिए 58.13 करोड़ रुपए है।

न्यायिक मामले:–2019–2020 (अप्रैल से अक्टूबर)

शीर्ष	**माननीय सर्वोच्च न्यायालय**	**माननीय उच्च न्यायालय और अन्य न्यायालय**
प्राप्त	162	2850
निपटाए गए	42	396
लंबित	120	2454

वार्षिक विवरणियाँ –

वर्ष	**2017**	**2018**
प्रतिष्ठानों की संख्या (अद्यतन)	2,32,627	
ऑनलाइन प्राप्त वार्षिक विवरणियों की संख्या	27,717	39,673

(v) अनुशासन संहिता के अंतर्गत किसी प्रतिष्ठान में प्रमुख संघों की पहचान करने के लिए सक्रिय

मजदूर संघों की सदस्यता का सत्यापन

3.11 केंद्रीय श्रम क्षेत्र में स्थापना में काम कर रहे यूनियनों की सदस्यता का सत्यापन मुख्य श्रम आयुक्त (केंद्रीय) कार्यालय द्वारा श्रम और रोजगार मंत्रालय द्वारा निर्देशित और मान्यता प्रदान करने के उद्देश्य के लिए अनुशासन संहिता के अन्तर्गत किया जाता है।

3.12 वर्ष 2019–20 (01.04.2019 से 31.10.2019 तक) में 11 प्रतिष्ठानों में कार्यरत संघों की सदस्यता का सत्यापन गुप्त मतदान के द्वारा किया गया। ये प्रतिष्ठान निम्नलिखित हैं:

1. मैसर्स एनपीसीआईएल, रावतभाटा, राजस्थान
2. मैसर्स फैरो स्क्रैप निगम लिमिटेड, बर्नपुर
3. मैसर्स बीबीएमबी (इरिगेशन विंग), नांगल
4. मैसर्स भारत डैनेमिक्स लिमिटेड, हैदराबाद
5. मैसर्स बीबीएमबी, (पावर विंग), नांगल, जिला रोपड़ (पंजाब)
6. मैसर्स वी.ओ. चिदंबरनार पोर्ट ट्रस्ट
7. मैसर्स हिंदुस्तान मशीन टूल्स लिमिटेड, हैदराबाद
8. मैसर्स हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड, बालानगर, हैदराबाद
9. मैसर्स हिंदुस्तान मशीन टूल्स, प्रागा डिवीजन बालानगर, हैदराबाद
10. मैसर्स भारत हेवी इलेक्ट्रिकल लिमिटेड (भेल), रामचन्द्रपुरम, हैदराबाद
11. मैसर्स भिलाई स्टील प्लांट, भिलाई, छत्तीसगढ़

राष्ट्रीयकृत बैंकों में कार्यरत संघों की सदस्यता का वैधानिक सत्यापन

3.13 वित्त मंत्रालय, वित्तीय सेवा विभाग ने अपनी दिनांक 19.11.2008 की अधिसूचना के द्वारा प्रतिनिधि संघ की पहचान करने के लिए बहुमत की स्थिति निर्धारित करने के लिए बैंकों निदेशक के रूप में एक कामगार/कर्मचारी को नामित करने के उद्देश्य से राष्ट्रीयकृत बैंकों में काम करने वाले विभिन्न संघों के सदस्यों की सदस्यता की शक्ति के सत्यापन के लिए प्रक्रिया को संशोधित किया है और इस अधिसूचना के अनुसार, श्रमिक संघों की सदस्यता का सत्यापन बैंक के अध्यक्ष या प्रबंधक निदेशक द्वारा नामित महाप्रबंधक के स्तर पर नामित अधिकारियों द्वारा चेक ऑफ सिस्टम के माध्यम से किया जाना है। नामित अधिकारी की रिपोर्ट के खिलाफ अपील अपीलीय प्राधिकारी के समक्ष की जा सकती है।

3.14 उपरोक्त उद्देश्य के लिए अपीलीय प्राधिकरण केंद्र सरकार या उप मुख्य श्रम आयुक्त (कें.), श्रम और रोजगार मंत्रालय, भारत सरकार है। 2019–2020 की अवधि में कोई अपील प्राप्त नहीं हुई है।

(vi) कल्याण एवं प्रशिक्षणः–

कल्याण

3.15 सहायक श्रम कल्याण आयुक्त (ए एल डब्ल्यू सी) और उप श्रम कल्याण आयुक्त (डी एल डब्ल्यू सी) रक्षा और के.लो.नि.वि., सुरक्षा प्रेस, मिन्ट्स, आर्डनेंस फैक्ट्रियों, टेलीकॉम फैक्ट्रियों और अस्पताल आदि जैसी अन्य स्थापनाओं में तैनात किए जाते हैं जो कि केन्द्रीय सरकार के नियंत्रणाधीन हैं। श्रम कल्याण आयुक्त (एलडब्ल्यूसी) इन स्थापनाओं के मुख्यालय में तैनात किए जाते हैं। ये अधिकारी अपनी संबंधित स्थापनाओं में सौहार्दपूर्ण औद्योगिक संबंध सुनिश्चित करते हैं। वे कर्मकारों के कल्याण तथा शिकायतों के निवारण, कल्याण योजनाओं के संचालन का कार्य भी देखते हैं और प्रबंधनों को दुकान परिषद, कार्य समितियों आदि जैसी द्विपक्षीय समितियों के गठन के साथ–साथ विभिन्न श्रम संबद्ध मामलों पर सलाह देते हैं।

प्रशिक्षण

3.16 ''श्रम अधिकारियों के प्रशिक्षण स्कंध का सुधार एवं सुदृढ़ीकरण'' शीर्षक योजना स्कीम के अंतर्गत (केन्द्रीय श्रम सेवा (सीएलएस की तीन धाराओं में तैनात अर्थात (1) केन्द्रीय औद्योगिक संबंध तंत्र (सीआईआरएम)मुख्य श्रम आयुक्त संगठन, (2) महानिदेशक श्रम कल्याण संगठन और (3) केन्द्रीय सरकार के नियंत्रणाधीन औद्योगिक प्रतिष्ठानों में कारखाना अधिनियम के अंतर्गत कल्याण अधिकारियों को नियमित आधार पर आंतरिक प्रशिक्षण प्रदान किया जाता है। इस योजना का उद्देश्य केन्द्रीय श्रम सेवा अधिकारियों एवं श्रम प्रवर्तन अधिकारी (कें.) को उनके

कर्तव्यों के कारगर निर्वहन हेतु काम काज के विभिन्न क्षेत्रों में कौशल एवं ज्ञान बढ़ाने की दृष्टि से उन्हें प्रशिक्षण प्रदान करना है। ''प्रशिक्षण आवश्यकता विश्लेषण'' के संबंध में सचिव, श्रम एवं रोजगार मंत्रालय के अनुमोदन से एक समिति गठित की गई थी और इसकी सिफारिशों के आधार पर चुनिंदा विशेषीकृत संस्थानों के अधिकारियों को प्रशिक्षण प्रदान किया गया था।

कुल 86 केंद्रीय श्रम सेवा अधिकारी और श्रम प्रवर्तन अधिकारी (कें.) को वर्ष 2019–2020 (अक्टूबर, 2019 तक) के दौरान विभिन्न विषयों पर प्रशिक्षण दिया गया जैसेः –

क. मजदूरी नीति और न्यूनतम मजदूरी

ख. प्रभावी श्रम कानून प्रवर्तन

ग. नव पदोन्नत क्षेत्रीय श्रमायुक्त (कें.) और उप मुख्य श्रमायुक्त (कें.) के लिए प्रशिक्षण कार्यक्रम।

घ. समानता और महिला सशक्तीकरण से संबंधित कानूनों पर प्रशिक्षण कार्यक्रम

ङ. 26 श्रम प्रवर्तन अधिकारियों के लिए अनिवार्य प्रशिक्षण कार्यक्रम

च. समाधान कार्य को प्रभावी बनाने के लिए प्रशिक्षण कार्यक्रम

छ. श्रम बाजार और रोजगार नीतियों पर प्रशिक्षण कार्यक्रम

ज. सामाजिक सुरक्षा एवं संरक्षण पर श्रम कानून और अंतर्राष्ट्रीय मानक

झ. ''गुणवत्तापूर्ण रोजगार पैदा करने की दिशा में प्रशिक्षण कार्यक्रमः चुनौतियाँ और विकल्प'' पर प्रशिक्षण कार्यक्रम

(vi) विविध कार्यः–

3.17 केन्द्रीय औद्योगिक संबंध तंत्र (सीआईआरएम) निम्नलिखित विविध कार्यों का भी निष्पादन करता है :–

1. एआईसीपीआई के अनुसार हर छह महीने में न्यूनतम मजदूरी सलाहकार बोर्ड की आवधिक बैठकों का आयोजन करना और परिवर्तनीय महंगाई भत्ते को अधिसूचित करना।
2. विभिन्न उच्च न्यायालयों में मंत्रालय के खिलाफ दायर विभिन्न रिट याचिकाओं में श्रम और रोजगार मंत्रालय का बचाव करना।
3. श्रम और रोजगार मंत्रालय के निर्देशानुसार शिकायतों की जांच करना।
4. विभिन्न नौकरियों में अनुबंध श्रम के निषेध की जांच करने के लिए विभिन्न उप–समितियों के संयोजक के रूप में केंद्रीय सलाहकार अनुबंध श्रम बोर्ड की सहायता करना।
5. अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन को प्रस्तुत करने के लिए आवश्यक विभिन्न रिपोर्टों को तैयार करने में मंत्रालय की सहायता करना।
6. मु.श्र.आ. (कें.) संगठन द्वारा लागू श्रम कानूनों पर संसद प्रश्न का उत्तर देने में मंत्रालय को जानकारी देना।
7. अखिल भारतीय प्रकृति की हड़तालों और अन्य श्रम मामलों पर संघर्ष की स्थितियों में श्रम और रोजगार मंत्रालय को सलाह देना।
8. मंत्रालय की सलाह के अनुसार संसदीय समितियों और अन्य महत्वपूर्ण प्रतिनिधिमंडलों में भाग लेना।
9. मंत्रालय के निर्देशानुसार सूचना के संग्रह के लिए राज्य सरकार के श्रम विभागों के साथ संपर्क रखना।
10. 'केंद्रीय श्रम सेवा' के अधिकारियों एवं श्रम प्रवर्तन अधिकारियों (कें.) को प्रशिक्षण प्रदान करना।

(क) सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005

3.18 मुख्य श्रमायुक्त (के.) संगठन एक नोडल बिंदु के साथ–साथ क्षेत्रीय स्तर पर सभी सूचना का अधिकार आवेदनों का निपटान कर रहा है। ऑन लाइन और साथ ही साथ ऑफ लाइन द्वारा प्राप्त सूचना का अधिकार आवेदनों/अपीलों का निपटान करने के लिए 36 केन्द्रीय

जन सूचना अधिकारी और 36 प्रथम अपीलीय प्राधिकारी को नामित किया गया है। नोडल बिन्दु पर नोडल अधिकारी ने 941 आरटीआई आवेदनों और 97 अपीलों को निपटाया है। तथापि, पिछले वर्षों और चालू वर्ष के दौरान निपटाए गए सूचना का अधिकार आवेदनों का विवरण निम्नानुसार है: –

वर्ष (अप्रैल से मार्च)	ऑनलाइन	ऑफलाइन	कुल
2018–19	922	321	1243
2019–20 (अप्रैल से 31 अक्टूबर)	650	291	941

(ख) जन शिकायतें: –

3.19 वर्ष 2019–2020 (अप्रैल से अक्टूबर, 2019) के दौरान कुल 9070 (8672 ऑनलाइन और 398 ऑफलाइन) जन शिकायतें प्राप्त हुईं और कुल 8835 (8531 ऑनलाइन और 304 ऑफलाइन) जन शिकायतों का निपटारा किया गया, जो कुल शिकायतों का 97.40% है।

ऑनलाइन ऑफलाइन शिकायतों की स्थिति का विवरण

अवधि	जन शिकायत	पिछले	प्राप्त	कुल	निपटान किये गए	लंबित
2018–19	ऑनलाइन	320	11016	11336	11048	288
2019–20 (अप्रैल से अक्टूबर)		288	8384	8672	8531	141
2018–19	ऑफलाइन	107	4207	4314	4105	209
2019–20 (अप्रैल से अक्टूबर)	209	189	398	304	94	

इसके अलावा, 01.01.2019 से 31.10.2019 की अवधि के दौरान संगठन ने वीआईपी संदर्भ के तहत प्राप्त 695 शिकायतों का निपटारा किया। सोशल मीडिया पर आई शिकायतों को भी तत्काल निपटा दिया गया है।

(ग) 3.20 अप्रैल, 2019 से अक्टूबर, 2019 की अवधि के दौरान किए गए प्रमुख समझौते

1. सहायक श्रमायुक्त (कें.), रायपुर के प्रयत्नों से हिरमी सीमेंट वर्क्स, अल्ट्राटेक सीमेंट लिमिटेड, हिरमी, छत्तीसगढ़ के प्रबंधन और संघ के बीच ठेका श्रमिकों के लिए वेतन समझौता हुआ। समझौते के परिणामस्वरूप, 1340 ठेका श्रमिक लाभान्वित होंगे और दिनांक 1.10.2018 से 31.3.2023 तक की समझौता अवधि के लिए लागू कुल मौद्रिक निहितार्थ रु.8.80 करोड़ है।

2. उप मुख्य श्रमायुक्त (कें.), कोचीन के प्रयत्नों से कोचीन शिपयार्ड के प्रबंधन और उनके कामगारों के बीच एक प्रमुख समझौता हुआ था, जिस पर जुलाई 2019 के महीने में 1253 कामगारों को मौद्रिक लाभ के रुप में रु. 3,31 करोड़ रुपये का लाभ हुआ।

3. सेल रेफ्रेक्ट्री कंपनी लिमिटेड के 120 विभागीय श्रमिकों के संबंध में वेतन समझौते पर, चेन्नई में श्री वी.एम. माणिक्कम, उप मुख्य श्रमायुक्त (कें.), चेन्नई के सम्मुख हस्ताक्षर हुए।

(घ) 1 अप्रैल, 2019 से 31 अक्टूबर, 2019 तक के मुख्य औद्योगिक संबंध आयोजन जिसमें केंद्रीय औद्योगिक संबंध तंत्र ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई:

3.21 वायु परिवहन

जेट एयरवेज लिमिटेड

मंत्रालय ने दिनांक 16.4.2019 को दिए गए नोट के माध्यम से जेट एयरवेज के पायलटों द्वारा लंबित वेतन के भुगतान की मांग करते हुए दी गई हड़ताल की धमकी के संबंध में नोटिस को आगे बढ़ाया।

उप मुख्य श्रमायुक्त (कें.), मुंबई ने हस्तक्षेप किया और पायलटों के वेतन का भुगतान न करने के मामले को समाधान के लिए रखा। प्रभावी समाधान कार्रवाई के कारण संघ ने प्रस्तावित हड़ताल को टाल दिया।

3.22 बैंक

i. अखिल भारतीय केंद्रीय बैंक कर्मचारी महासंघ और अखिल भारतीय केंद्रीय बैंक अधिकारी संघ

अखिल भारतीय केंद्रीय बैंक कर्मचारी महासंघ और अखिल भारतीय केंद्रीय बैंक अधिकारी संघ के महासचिवों ने संयुक्त रूप से सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, मुंबई के प्रबंधन को एक नोटिस दिया था जिसमें अपनी मांगों जैसे युद्धस्तर के आधार पर बैड लोन की वसूली, उप–कर्मचारियों को लिपिकीय संवर्ग में पदोन्नति, उप–रिक्तियों में सभी रिक्तियों को भरने हेतु मनवाने के लिए सभी सदस्यों का दिनांक 31.05.2019 को हैदराबाद क्षेत्र में एवं दिनांक 04.06.2019 को गुवाहाटी क्षेत्र में और दिनांक 20.06.2019 को बैंकों में अखिल भारतीय हड़ताल पर जाने का प्रस्ताव दिया था।

उप मुख्य श्रमायुक्त (कें.), मुंबई ने मामले में हस्तक्षेप किया और दिनांक 31.05.2019 को समाधान कार्रवाई की और प्रभावी समाधान कार्रवाई के कारण संघ ने प्रस्तावित हड़ताल को वापस ले लिया।

ii. एआईबीओसी, एआईबीओए, आईएनबीओसी, एनओबीओ

अधिकारियों के चार व्यापार संगठन अर्थात् अखिल भारतीय बैंक अधिकारी महासंघ (एआईबीओसी), अखिल भारतीय बैंक अधिकारी एसोसिएशन (एआईबीओए), इंडियन नेशनल बैंक अधिकारी कांग्रेस (आईएनबीओसी) और बैंक अधिकारियों के राष्ट्रीय संगठन (एनओबीओ) ने अपनी मांगों के चार्टर को मनवाने हेतु दिनांक 26.09.2019 से 27.09.2019 तक हड़ताल पर जाने और नवंबर, 2019 के दूसरे सप्ताह से अनिश्चितकालीन हड़ताल पर जाने के प्रस्ताव का संयुक्त नोटिस दिनांक 12.09.2019 को अध्यक्ष, इंडियन बैंक एसोसियेशन को प्रस्तुत किया था।

हड़ताल का नोटिस प्राप्त होने पर, मुख्य श्रमायुक्त (कें.) ने तुरंत मामले में हस्तक्षेप किया और दिनांक 19.09.2019 को मुख्य श्रमायुक्त (कें.), मुख्यालय में समाधान कार्रवाई आयोजित की गई जिसमें वित्तीय सेवा विभाग, वित्त मंत्रालय एवं इंडियन बैंक एसोसियेशन के वरिष्ठ अधिकारियों और सभी चार अधिकारी परिसंघों के पदाधिकारियों ने भाग लिया था।

विस्तृत चर्चा के बाद मुख्य श्रमायुक्त (कें.) ने आईबीए को परामर्श दिया कि वह नोटिस में उल्लिखित सभी मुद्दों पर चर्चा करने और उनका समाधान करने के लिए सभी बैंक प्रबंधन के उच्चतम स्तर पर द्विपक्षीय चर्चा की व्यवस्था करें।

उपरोक्त के मद्देनजर, दिनांक 23.09.2019 को आईबीए से एक पत्र प्राप्त हुआ जिसमें कहा गया था कि हाल ही में आयोजित की गई वार्ता समिति की बैठक में परिसंघ के सभी चार अधिकारियों के संगठनों के प्रतिनिधियों से अध्यक्ष, वार्ता समिति द्वारा अनुरोध किया गया था कि मामले को उचित विचार–विमर्श के लिए संबंधित बैंकों के बोर्डों के समक्ष रखा जाए और अधिकारियों के परिसंघों से अनुरोध किया गया था कि चूंकि वेतन पुनरीक्षण पर बातचीत दोनों पक्षों की ओर से सौहार्दपूर्ण वातावरण में चल रही है, इसलिए किसी भी प्रकार का आंदोलनकारी रास्ता बैंकिंग उद्योग के हित में नहीं होगा।

मुख्य श्रमायुक्त (कें.) ने दिनांक 23.09.2019 के अपने पत्र के जरिए अधिकारी संगठन/परिसंघों से फिर से अनुरोध किया है कि इस मुद्दे को संबंधित बैंकों के बोर्ड के समक्ष औपचारिक रूप से रखा जाए ताकि इसे एक सही परिप्रेक्ष्य में संबोधित किया जा सके। आईबीए ने यह भी आश्वासन दिया है कि वह विशेष रूप से जनादेश के मुद्दों पर बैंकों के साथ विचार–विमर्श करेंगे और इस संबंध में किए जा रहे कोशिशों/प्रयासों को देखते हुए प्रस्तावित हड़ताल को आस्थगित करने के लिए अनुरोध करेंगे।

उपरोक्त के मद्देनजर, मुख्य श्रम आयुक्त (केंद्रीय) के समक्ष समाधान कार्रवाई के दौरान विस्तृत और लंबी चर्चा के बाद, सभी चार अधिकारियों के परिसंघों ने प्रस्तावित हड़ताल को स्थगित करने के बारे में दिनांक 24.09.2019 को सूचित किया।

iii. एआईबीईए और बीईएफआई

अखिल भारतीय बैंक कर्मचारी संघ (एआईबीईए) एवं बैंक कर्मचारी फेडरेशन ऑफ इंडिया (बीईएफआई) के महासचिवों ने दिनांक 19.09.2019 को संयुक्त नोटिस दिया जिसमें अपनी मांगों जैसे बैंकों में विलय, बैंकिंग सुधारों को रोकना, बुरे ऋणों की वसूली आदि को मनवाने के लिए दिनांक 22.10.2019 को एक दिन की अखिल भारतीय हड़ताल पर जाने का प्रस्ताव रखा था।।

हड़ताल की सूचना प्राप्त होने पर, मुख्य श्रमायुक्त (कें.) ने इस मामले में हस्तक्षेप किया और 15 अक्टूबर, 2019 को दोनों प्रबंधन वित्त सेवा विभाग, वित्त मंत्रालय और भारतीय

बैंक संघ और सहभागी यूनियन जैसे एआईबीईए, बीईएफआई को चर्चा के लिए आमंत्रित किया जो कि आईबीए से प्राप्त अनुरोध के कारण 18 अक्टूबर, 2019 को पुनर्निर्धारित किया गया था क्योंकि इस विषय पर उसी तिथि पर उनके कार्यालय में बैठक तय हुई थी। इसके बाद, दिनांक 21.10.2019 को फिर से इसे पुनर्निर्धारित किया गया क्योंकि उन्होंने फिर से उसी के पुनर्निर्धारण के लिए अनुरोध किया था।

दिनांक 21.10.2019 को की गई चर्चा/सुलह कार्यवाही के दौरान, आईबीए के प्रतिनिधि और वित्त सेवा विभाग, वित्त मंत्रालय के अधिकारी शामिल हुए और उन्होंने उपस्थित संगठनों के प्रतिनिधियों को प्रस्तावित समामेलन के लाभों को समझाने का प्रयास किया क्योंकि यह वैश्विक रूप से भी मान्यता प्राप्त है। इन बैंकों की राष्ट्रीय उपस्थिति के रूप में और बहुत सकारात्मक नोट पर बैंकों में चल रही वेतन वार्ता के बारे में भी चर्चा की। मुख्य श्रमायुक्त (कें)/सुलह अधिकारी ने प्रबंधन और यूनियन के प्रतिनिधियों दोनों को उचित सुनवाई देने के बाद यूनियनों से राष्ट्र और औद्योगिक सद्भाव के हित में प्रस्तावित एक दिवसीय हड़ताल को स्थगित करने का अनुरोध किया। हालाँकि, मुख्य श्रमायुक्त (कें.) द्वारा पूरी कोशिश करने के बाद भी यूनियनों ने दिनांक 22.10.2019 को एक दिन की हड़ताल कर दी। पूरे देश में कुल हड़ताल का प्रतिशत 59: था।

iv. ऑल इंडिया पंजाब नेशनल बैंक ऑफिसर्स एसोसिएशन

अखिल भारतीय पंजाब नेशनल बैंक ऑफिसर्स एसोसिएशन के महासचिव ने पंजाब नेशनल बैंक के प्रबंधन को नोटिस दिया जिसमें अधिकारियों के खिलाफ दुर्व्यवहार, जबरदस्ती अनुपस्थित चिह्नित करना आदि के विरोध में उन्होंने मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ राज्य में दिनांक 14.10.2019 से दिनांक 15.10.2019 तक लगातार हड़ताल पर जाने का प्रस्ताव रखा।

उप मुख्य श्रमायुक्त (कें.), जबलपुर ने दिनांक 11.10.2019 को समाधान कार्रवाई तय करके मामले में हस्तक्षेप किया। जैसा कि पीएनबी, जबलपुर के प्रबंधन ने इस संबंध में सूचित किया, उप मुख्य श्रमायुक्त (कें.), जबलपुर के लगातार प्रयासों के कारण एसोसिएशन ने प्रस्तावित हड़ताल को स्थगित कर दिया।

v. अखिल भारतीय बैंक ऑफ बड़ौदा कर्मचारी संघ

अखिल भारतीय बैंक ऑफ बड़ौदा कर्मचारी संघ के महासचिव ने बैंक ऑफ बड़ौदा, ई–विजया बैंक, और ई–देना बैंक की भारत की विभिन्न शाखाओं/कार्यालयों में पुरस्कार स्टाफ संवर्ग में कार्यरत कर्मचारियों के मुद्दों पर दिनांक 25.10.2019 से लगातार हड़ताल पर जाने के प्रस्ताव का नोटिस दिनांक 02.10.2019 को बैंक ऑफ बड़ौदा के प्रबंधन को दिया।

उप मुख्य श्रमायुक्त (कें.), अहमदाबाद ने इस मामले में हस्तक्षेप किया और दिनांक 18.10.2019 को समाधान कार्रवाई की और उनके अनुनय पर संघ दिनांक 25.10.2019 से अपनी प्रस्तावित हड़ताल को आस्थगित करने के लिए सहमत हो गया।

3.23 कोयला एवं गैर–कोयला खान

i. बिहार कोयला खान कामगार यूनियन

अध्यक्ष, बिहार कोलियरी कामगार यूनियन, ने दिनांक 20.03.2019 को दहिबरी कोलियरी (क्षेत्र संख्या XII) के प्रबंधन को नोटिस दिया, जिसमें उनकी मांगों को जैसा कि हाई पावर कमेटी द्वारा प्रस्तावित न्यूनतम मजदूरी और अपनी सभी बकाया राशि के साथ सीआईएल के बाद के परिपत्र को कार्यान्वित करने, खानों में सुरक्षा की समुचित व्यवस्था, श्रमिकों को मेडिकल कार्ड और उचित मेडिकल सुविधाएं प्रदान करने, हर महीने के 10 वें दिन या उससे पहले वेतन का भुगतान किए जाने आदि को मनवाने के लिए दिनांक 05.04.2019 से अनिश्चितकालीन हड़ताल पर जाने का प्रस्ताव रखा गया था।

क्षेत्रीय श्रमायुक्त (कें.), धनबाद ने मामले में हस्तक्षेप किया और दिनांक 04.04.2019 को मामले में समाधान कार्रवाई की और उनके अनुनय और प्रयास से संघ ने प्रस्तावित हड़ताल को टाल दिया।

ii. यूरेनियम कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड।

जेएलयू, एसयूएमयू, यूकेयू एवं यूएमएस के महासचिवों

द्वारा दिनांक 09.06.2019 को यूरेनियम कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड, झारखंड के प्रबंधन को अपनी सामान्य चार्टर मांगों जैसे यूसीआईएल के कामगारों के वेतन पुनरीक्षण निपटान और सेवा शर्त की मांग को मनवाने के लिए दिनांक 25.06.2019 को सांकेतिक हड़ताल पर जाने का प्रस्ताव दिया गया था।

सहायक श्रमायुक्त (कें.), चाईबासा ने मामले को सुलझा लिया और उनके प्रयास से संघ ने प्रस्तावित हड़ताल को आस्थगित कर दिया।

iii. नाल्को कर्मचारी संघ

अध्यक्ष, नाल्को कर्मचारी संघ ने स्मेल्टर प्लांट, नाल्को, अंगुल के प्रबंधन को दिनांक 04.06.2019 को अपनी सामान्य चार्टर मांगों जैसे 6वें एलटीडब्ल्यूएस (दीर्घ कालिक वेतन समझौता) के उल्लंघन में मजदूरी निपटान के गलत कार्यान्वयन को मनवाने के लिए नोटिस दिया।

क्षेत्रीय श्रमायुक्त (कें.), भुवनेश्वर ने मामले में हस्तक्षेप किया और दिनांक 17.6.2019 को समाधान कार्रवाई की। उनके अनुनय और प्रभावी सुलह पर संघ ने प्रस्तावित हड़ताल को आस्थगित करने पर सहमति दी।

iv. कोल इंडिया लिमिटेड संबद्ध यूनियन/परिसंघ

अखिल भारतीय खदान मजदूर संघ (बीएमएस से संबद्ध) और आईएनटीयूसी, एचएमएस, एआईटीयूसी, सीआईटीयू एवं एआईसीसीटीयू से संबद्ध 5 परिसंघों के महासचिवों ने भारत सरकार के 100% एफडीआई के निर्णय के विरुद्ध दिनांक 23.09.2019 से 27.09.2019 तक एवं दिनांक 24.09.2019 को क्रमशः हड़ताल पर जाने के प्रस्ताव का नोटिस सचिव, कोयला मंत्रालय को दिया।

हड़ताल का नोटिस प्राप्त होने पर, मुख्य श्रमायुक्त (कें.) ने तुरंत मामले में हस्तक्षेप किया और दिनांक 16.09.2019 को और फिर दिनांक 20.09.2019 को मुख्य श्रमायुक्त (कें.), मुख्यालय में संयुक्त चर्चा/समाधान कार्रवाई संबंधी बैठक आयोजित की गई। बैठक में न तो यूनियन के प्रतिनिधियों ने और न ही कोयला मंत्रालय के प्रतिनिधियों ने भाग लिया। किंतु मुख्य श्रमायुक्त (कें.) ने सचिव, कोयला मंत्रालय से अनुरोध किया कि वह औद्योगिक शांति और सद्भाव के हित में सभी परिसंघ/यूनियनों को संयुक्त चर्चा के लिए आमंत्रित करें। तथापि, विश्वस्त स्रोतों से पता लगाया गया है कि माननीय कोयला मंत्री द्वारा बुलाई गई बैठक में परिसंघ/यूनियनों ने भाग नहीं लिया था।

5 परिसंघों द्वारा प्रस्तावित एक दिवसीय हड़ताल दिनांक 24.09.2019 को संपन्न हुई जबकि अखिल भारतीय खदान मजदूर संघ (बीएमएस) द्वारा प्रस्तावित हड़ताल दिनांक 23.09.2019, 24.09.2019 एवं 25.09.2019 को संपन्न हुई।

दिनांक 25.09.2019 को अपराह्न में कोल इंडिया लिमिटेड के प्रबंधन द्वारा सूचित किया गया है कि दिनांक 25.09.2019 को बीएमएस द्वारा जारी की गई प्रेस विज्ञप्ति के अनुसार यह सूचना प्राप्त हुई है कि बीएमएस ने हड़ताल वापस लेने का निर्णय लिया है।

3.24 रक्षा

(i) बिजू ऐरोनॉटिक्स कर्मचारी संघ

सचिव, बिजू ऐरोनॉटिक्स कर्मचारी संघ, कोरापुट, उडीसा ने वेतन संशोधन–2017 के उचित एवं शीघ्र निपटान की मांग के समर्थन में दिनांक 18.07.2019 को या उसके बाद एक दिन के लिए हड़ताल पर जाने का नोटिस दिनांक 03.07.2019 को हिन्दुस्तान ऐरोनॉटिक्स लिमिटेड, कोरापुट के प्रबंधन को दिया था।

उप मुख्य श्रमायुक्त (कें.), भुवनेश्वर ने मामले में हस्तक्षेप किया और समाधान कार्रवाई की और उनकी प्रभावी सुलह कार्रवाई के कारण यूनियन ने प्रस्तावित हड़ताल को आस्थगित कर दिया।

(ii) रक्षा कर्मचारी संघ

अखिल भारतीय रक्षा कर्मचारी संघ (एआईडीईएफ), भारतीय प्रतिरक्षा मजदूर संघ (बीपीएमएस), भारतीय राष्ट्रीय रक्षा कर्मचारी संघ (आईएनडीडब्ल्यूएफ) जैसे रक्षा कर्मचारियों के तीन संघों और रक्षा मान्यता प्राप्त एसोसिएशन के परिसंघ (सीडीआरए) ने आयुध फैक्टरियों को निगमित करने के सरकार के एकतरफा निर्णय के मुद्दे पर दिनांक 20.08.2019 से 19.09.2019 तक 30 दिनों की लंबी हड़ताल पर जाने का संयुक्त प्रस्ताव दिनांक 25.07.2019 को रक्षा मंत्री के सामने प्रस्तुत किया।

हड़ताल का नोटिस प्राप्त होने पर सभी क्षेत्रीय प्रमुखों (उप मुख्य श्रमायुक्त एवं क्षेत्रीय श्रमायुक्त) ने मामले में हस्तक्षेप किया और परिसंघों/संघों एवं आयुध फैक्टरियों के प्रबंधन के साथ संयुक्त चर्चा करने का प्रस्ताव दिया किंतु भिन्न विचारों के कारण दोनों पक्ष एक समझौते पर पहुँच नहीं पाए और दिनांक 20.08.2019 से परिसंघ/संघ हड़ताल पर चले गए।

मुख्य श्रमायुक्त (कें.) ने तुरंत मामले में हस्तक्षेप किया और दिनांक 21.08.2019 को समाधान कार्रवाई की जिसमें सभी तीन संघ एवं रक्षा मान्यता प्राप्त एसोसिएशन के परिसंघ, मंत्रालय के संयुक्त सचिव (रक्षा उत्पाद) एवं रक्षा मंत्रालय से निदेशक स्तर के अधिकारी और उप महा निदेशक, आयुध फैक्टरी बोर्ड, कोलकाता ने भाग लिया।

विस्तृत एवं लंबित चर्चा के पश्चात् मुख्य श्रमायुक्त (कें.) ने सुझाव दिया कि मामले में विस्तृत चर्चा के लिए सचिव (डीपी) स्तर पर द्विपक्षीय स्तर की बैठक होगी। मुख्य श्रमायुक्त (कें.) के परामर्श पर सचिव (डीपी) द्वारा एक द्विपक्षीय बैठक कराई गई जिसके पश्चात् संघ ने हड़ताल को आस्थगित कर दिया।

3.25 विविध

(i) चंडीगढ़ एनएचएम कर्मचारी संघ

महासचिव, चंडीगढ़ एनएचएम कर्मचारी संघ ने अपनी मांगों जैसे कि समान काम के लिए समान भुगतान के कार्यान्वयन, एनएचएम कर्मचारियों के लिए नियमितीकरण नीति तैयार करने, हर महीने की 5 तारीख तक मासिक वेतन प्रदान करने, ईएसआईसी सुविधा/निःशुल्क चिकित्सा उपलब्ध कराने आदि को मनवाने के लिए दिनांक 19.08.2019 को एक दिन के लिए सांकेतिक हड़ताल पर जाने के प्रस्ताव का नोटिस दिया।

उप मुख्य श्रमायुक्त (कें.), चंडीगढ़ ने सूचित किया कि दिनांक 19.08.2019 को हड़ताल शुरू हो गई थी और सहायक श्रमायुक्त (कें.), चंडीगढ़ के हस्तक्षेप से दिनांक 22.08.2019 को हड़ताल को आस्थगित कर दिया गया।

(ii) केंद्रीय व्यापार संघ की अखिल भारतीय परिषद

महासचिव, केंद्रीय व्यापार संघ की अखिल भारतीय परिषद, भुवनेश्वर ने अपनी मांगों जैसे कि बाहर कर दिए गए 14 कर्मचारियों की पुनर्नियुक्ति, वेतन, ईपीएफ एवं ईएसआई के भुगतान, कर्मचारियों के प्रति अपशब्द का प्रयोग और दुर्व्यवहार को रोकने को मनवाने के लिए दिनांक 09.08. 2019 से हड़ताल पर जाने के प्रस्ताव का नोटिस दिया।

उप मुख्य श्रमायुक्त (कें.) ने मामले में हस्तक्षेप किया और दिनांक 09.08.2019 को समाधान कार्रवाई तय की गई और उप मुख्य श्रमायुक्त (कें.), भुवनेश्वर के अनुनय के पश्चात् यूनियन ने हड़ताल को आस्थगित कर दिया।

(iii) ईपीएफ संघ/फेडरेशन

विभिन्न ईपीएफ संघ/फेडरेशनों ने अपनी मांगों अर्थात् सीबीटी द्वारा अपनी 212 वीं बैठक में अनुमोदित विसंगति निवारण सह कार्यान्वयन समिति रिपोर्ट के तत्काल कार्यान्वयन, एमएसीपी/टीबीपी लाभ, एपीएफसी से आरपीएफसी–ट में वित्तीय शक्तियों के पुनः प्रत्यायोजन संबंधी कार्यालय आदेश के तत्काल कार्यान्वयन आदि को मनवाने के लिए दिनांक 28.08.2019 को हड़ताल पर जाने के प्रस्ताव का नोटिस दिया।

नोटिस प्राप्त होने के पश्चात् क्षेत्रीय प्रमुखों ने मामले में तुरंत हस्तक्षेप किया और मामले में समाधान कार्रवाई हो रही है।

3.26 तेल

(i) महाराष्ट्र कर्मचारी संघ

महाराष्ट्र कर्मचारी संघ के महासचिव ने ओएनजीसी एवं संगठन के प्रबंधन को अपनी लंबे समय से लंबित शिकायतों को हल करने के लिए उप मुख्य श्रमायुक्त (कें.) कार्यालय के मुख्य द्वार के सामने दिनांक 16.10.2018 को और आमरण अनशन पर जाने के प्रस्ताव का नोटिस दिनांक 30.09.2019 को दिया।।

क्षेत्रीय श्रमायुक्त (कें.), मुंबई ने मामले में हस्तक्षेप किया और दिनांक 09.10.2019 को संयुक्त चर्चा की। उनके प्रयासों के परिणामस्वरूप, संघ ने प्रस्तावित हड़ताल को टाल दिया।

3.27 पोस्ट एवं टेलीग्राफ

(i) बीएसएनएल–नेशनलिस्ट थिका वर्कर्स कांग्रेस

बीएसएनएल– नेशनलिस्ट थिका वर्कर्स कांग्रेस, कोलकाता के महासचिव ने पिछले पांच महीनों के लिए मासिक मजदूरी और ईपीएफ, ईएसआई भुगतान न करने के विरोध में दिनांक 24.06.2019 से सीजीएम/सीटीडी कार्यालय, ऑल जीएम/एसजी और डीजीएम कार्यालय के सामने अनिश्चितकालीन भूख हड़ताल पर जाने का नोटिस दिनांक 30.06.2019 को दिया है।

जैसा कि क्षेत्रीय श्रमायुक्त (कें.), नई दिल्ली ने बताया कोई हड़ताल नहीं हुई।

(ii) बीएसएनएल नैमित्तिक कर्मचारी संघ

महासचिव, बीएसएनएल कर्मचारी संघ (सीआईटीयू) उडीसा ने महीने की 7 तारीख के अंदर मासिक वेतन भुगतान करने, बीएसएनएल के नैमित्तिक एवं ठेका श्रमिकों की छंटनी को रोकने, समान कार्य के लिए समान वेतन के तत्काल कार्यान्वयन, बीएसएनएल के निजीकरण को रोकने आदि संबंधी अपनी मांगों को मनवाने के लिए दिनांक 15.07.2019 से निरंतर हड़ताल पर जाने के प्रस्ताव का नोटिस दिनांक 28.06.2019 को दिया था।

क्षेत्रीय श्रमायुक्त (कें.), भुवनेश्वर ने मामले में हस्तक्षेप किया और समाधान कार्रवाई की और उनके प्रभावी समाधान कार्रवाई के कारण यूनियन ने प्रस्तावित हड़ताल को आस्थगित करने के लिए सहमति दे दी।

3.28 पोर्ट (बंदरगाह)

(i) जेएनपीटी सामान्य कामगार संगठन

महासचिव, जेएनपीटी सामान्य कामगार संगठन ने जेएनपीटी, मुंबई के प्रबंधन को कंटेनर हैंडलिंग उपकरण आरएमक्यूसी, आरटीजीसी और आरएमसीजी के संचालन में मौजूदा पैमाना 2: 1 के खिलाफ के कार्यान्वयन के लिए जेएनपीटी प्रबंधन द्वारा दिनांक 08.04.2019 को जारी परिपत्र संख्या 590 को रद्द करने की मांग के तत्काल निपटान के लिए दिनांक 24.05.2019 से हड़ताल पर जाने के प्रस्ताव का नोटिस दिनांक 08.05.2019 को दिया था।

सहायक श्रमायुक्त (कें.), मुंबई ने मामले में हस्तक्षेप किया और प्रभावी समाधान कार्रवाई के कारण यूनियन ने प्रस्तावित हड़ताल को टाल दिया।

(ii) कोचीन पोर्ट कर्मचारी संगठन

सचिव, कोचीन पोर्ट कर्मचारी संगठन ने अपनी मांगों अर्थात् यातायात विभाग के कार्गो हैंडलिंग ऑपरेशन विंग में पर्याप्त कर्मचारियों को भर्ती करना, कार्गो हैंडलिंग विभाग के कम्पोजिट गैंग में श्रमिकों के डीपी नियमन को रोकना आदि को मनवाने के लिए दिनांक 21.07.2019 को या उसके बाद हड़ताल पर जाने के प्रस्ताव का नोटिस दिनांक 05.07.2019 को दिया था।

क्षेत्रीय श्रमायुक्त (कें.), कोचीन ने मामले में हस्तक्षेप किया और प्रभावी समाधान कार्रवाई की और यूनियन ने प्रस्तावित हड़ताल को आस्थगित कर दिया।

(iii) पांच प्रमुख बंदरगाह कार्यकर्ता महासंघ

पांच प्रमुख पोर्ट वर्कर्स फेडरेशन ने अपनी मांगों जैसे कि एमपीए बिल, 2019 द्वारा एमपीटी अधिनियम, 1963 को बदलने के कदम को हटाना, सभी प्रमुख बंदरगाहों पर दिनांक 30.08.2018 को वेतन समझौता समग्र रूप से लागू करना आदि को मनवाने के लिए दिनांक 15.10.2019 को या उसके बाद हड़ताल पर जाने का प्रस्ताव दिया है।

हड़ताल की सूचना प्राप्त होने पर, मुख्य श्रमायुक्त (कें.) ने मामले में हस्तक्षेप किया और दिनांक 10.10.2019 को एक संयुक्त चर्चा/समाधान कार्रवाई आयोजित की गई, जिसमें महासंघ के पदाधिकारी, भारतीय बंदरगाह परिसंघ और शिपिंग मंत्रालय के अधिकारियों ने भाग लिया।

मुख्य श्रमायुक्त (कें.) ने शिपिंग मंत्रालय और आईपीए के अधिकारियों को परामर्श दिया कि वे एमपीए बिल, 2019 के संबंध में प्राथमिकता के आधार पर महासंघ द्वारा व्यक्त आशंका के सभी बिंदुओं को संबोधित करने के लिए द्विपक्षीय स्तर पर बातचीत शुरू करें और उन्होंने महासंघ को प्रस्तावित हड़ताल को टालने की सलाह दी।

3.29 मुख्य श्रमायुक्त (कें.) संगठन का दृष्टिपत्र

दृष्टिपत्र 2030:

I. औद्योगिक विवादों का समय पर और अर्थपूर्ण समाधान और शिकायतों का निपटारा कर सौहार्दपूर्ण औद्योगिक संबंध बनाए रखना।

II. चूककर्ता और उल्लंघन पर निरन्तर नजर रखना और समय पर सुधारात्मक कार्रवाई कर श्रम कानूनों का पूर्ण अनुपालन सुनिश्चित करना।

	सात वर्ष की योजना		**तीन वर्ष की कार्य योजना**
1.	**30 दिनों** में औद्योगिक विवादों का समाधान **के जरिए निपटान** (i) नियोक्ताओं और श्रमिक संघों के साथ निरंतर बातचीत द्वारा (ii) प्रतिष्ठान स्तर पर शिकायत निवारण के सशक्तिकरण द्वारा	1.	**40 दिनों** में औद्योगिक विवादों का समाधान के **जरिए** (i) निपटान नियोक्ताओं और श्रमिक संघों द्वारा निरंतर बातचीत द्वारा (ii) प्रतिष्ठान स्तर पर शिकायत निवारण के सशक्तिकरण द्वारा
2.	10 श्रम कानूनों के संबध में पूर्ण अनुपालन सुनिश्चित करना (i) आईटी–समर्थित तंत्र के माध्यम से चूककर्ता और उल्लंघन पर वास्तविक समय पर नजर रखना (ii) **2–3 दिनों** के भीतर सुधारात्मक कार्रवाई करना	2.	10 श्रम कानूनों के संबध में पूर्ण अनुपालन सुनिश्चित करना i) फील्ड स्तरीय आसूचना और आईटी–समर्थित तंत्र के माध्यम से चूककर्ता और उल्लंघन पर निरन्तर नजर रखना ii) **7 दिनों** के भीतर सुधारात्मक कार्रवाई करना।
3.	एमडब्ल्यू अधिनियम, पीडब्ल्यू अधिनियम, और ईआर अधिनियम के अन्तर्गत दावा आवेदनों का निपटारा **2 महीनों** के अंदर करना (i) दावों को ऑनलाइन फाइल करना। (ii) ऑनलाइन रिकॉर्ड के आधार पर निपटारा करना	3	एमडब्ल्यू अधिनियम, पीडब्ल्यू अधिनियम, और ईआर अधिनियम के अन्तर्गत दावा आवेदनों का निपटारा **3 महीनों** के अंदर करना (i) दावों को ऑनलाइन फाइल करना। (ii) उपलब्ध रिकॉर्ड के आधार पर निपटारा करना
4.	उपदान अधिनियम के भुगतान के अन्तर्गत आदेश **2 महीनों** के अन्दर जारी करना (i) दावों को ऑनलाइन फाइल करना (ii) ऑनलाइन रिकार्ड के आधार पर निपटारा करना	4	उपदान अधिनियम के भुगतान के अन्तर्गत आदेश **3 महीनों** के अन्दर जारी करना (i) दावों को ऑनलाइन फाइल करना (ii) उपलब्ध रिकार्ड के आधार पर निपटारा करना
5.	उपदान अधिनियम के भुगतान के अन्तर्गत अपील का निपटारा **20 दिनों** के अन्दर करना	5	उपदान अधिनियम के भुगतान के अन्तर्गत अपील का निपटारा **30 दिनों** अन्दर करना
6.	सीएल(आरएंडए), बीओसीडब्ल्यू अधिनियम, आईएसएमडब्ल्यू अधिनियम और ईआर अधिनियम के अन्तर्गत पंजीकरण/लाइसेंस **3 दिनों** के अंदर जारी करना	6	सीएल(आरएंडए), बीओसीडब्ल्यू अधिनियम, आईएसएमडब्ल्यू अधिनियम, और ईआर अधिनियम के अन्तर्गत पंजीकरण/लाइसेंस **5 दिनो** नों के अंदर जारी करना
7.	सीएल(आरएंडए), बीओसीडब्ल्यू अधिनियम, आईएसएमडब्ल्यू अधिनियम, और ईआर अधिनियम के अन्तर्गत अपील का निपटारा **15 दिनों** के अंदर करना	7	सीएल(आरएंडए), बीओसीडब्ल्यू अधिनियम, आईएसएमडब्ल्यू अधिनियम, और ईआर अधिनियम के अन्तर्गत अपील का निपटारा **30 दिनों** के अंदर करना

औद्योगिक विवादों के निर्बाध निपटान के लिए प्रौद्योगिकी पहलः

औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 की धारा 2–ए एवं 2(के) के अंतर्गत औद्योगिक विवादों के लिए समाधान पोर्टल (https://samadhan.labour.gov.in/)

3.30 श्रम एवं रोजगार मंत्रालय की मुख्य जिम्मेदारी सदैव श्रमिकों के हित की रक्षा करना, उनका संरक्षण करना और उत्थान करना रहा है। औद्योगिक श्रमिक किसी भी अर्थव्यवस्था में सबसे अधिक हाशिए पर रहने वाले समूह हैं और उन्हें कानून की जटिलताओं से निपटने के लिए सरकार की सहायता की आवश्यकता है। मंत्रालय द्वारा अपने विभिन्न कार्यालयों के माध्यम से नियंत्रित और कार्यान्वित/लागू किए गए वृहत संख्या में विद्यमान श्रम कानूनों में से, औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 (आईडी अधिनियम) को सर्वाधिक महत्वपूर्ण माना जाता है क्योंकि इसका प्राथमिक उद्देश्य औद्योगिक विवादों की जांच और निपटान के लिए प्रावधान करना है, जो कि औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 की धारा 2–क और 2 (ट) के अंतर्गत परिभाषित है।

3.31 अधिनियम उपयुक्त सरकार के समाधान अधिकारी द्वारा मध्यस्थता के माध्यम से विवादों के निपटान का प्रावधान करता है। समाधान अधिकारी एक समझौता करने का प्रयास करता है और विफलता के मामले में वह भेजने या नहीं भेजने का कारण बताते हुए उनकी टिप्पणियों के साथ समाधान की विफलता पर एक रिपोर्ट (एफओसी रिपोर्ट) भेजता है।

3.32 मंत्रालय, एक उपयुक्त सरकार के रूप में, प्रशासनिक रूप से औद्योगिक विवाद की जांच यह देखने के लिए करता है कि क्या कोई विवाद है या नहीं और या तो सीजीआईटी को भेज देता है या नहीं भेजने का कारण बताते हुए उसे भेजने से मना करता है।

3.33 हालाँकि ये विवाद जटिल प्रक्रिया, अज्ञानता और लालफीताशाही के दायरे में आते हैं, जिन्हें हल करने में कई वर्ष लग जाते हैं। इस प्रक्रिया में श्रमिकों को मामलों के निपटान के लिए प्रतीक्षा करनी पड़ती है और कभी–कभी न्याय पाने के प्रयास के प्ररिणाम को देखने से पहले उनकी मृत्यु हो जाती है। श्रमिकों के पास जानकारी का अभाव, कार्य निष्पादन में अव्यवस्थित तरीका, सूचना का सुलभ नहीं होना, अधिवक्ताओं की नियुक्ति की लागत, भूमिका निभानेवालों की जवाबदेही और विवादों को निपटाने में होनेवाली देरी इसके महत्वपूर्ण कारक हैं। डिजिटलाइजेशन के वर्तमान परिदृश्य में, मंत्रालय ने ई–विवाद पोर्टल अर्थात् समाधान (निगरानी और निपटान के लिए सॉफ्टवेयर अनुप्रयोग, संभावित/वर्तमान औद्योगिक विवादों को देखना) को विकसित करने की पहल की है जिससे एक बहुत ही सरल और आकर्षक तरीके से विवादों को दायर किया जा सकेगा और विवादों की फाइलिंग आसान हो जाएगी।

3.34 श्रमिक/नियोक्ता द्वारा रोजगार से संबंधित औद्योगिक विवाद दायर करने के लिए 6 फरवरी, 2019 को सचिव (श्रम और रोजगार) द्वारा समाधान पोर्टल शुरू किया गया था। पोर्टल उपयोगकर्ता के अनुकूल है, विवादों की निगरानी पारदर्शी बनाता है, सूचनाओं की त्वरित पुनःप्राप्ति की सुविधा होती है और श्रमिकों को त्वरित न्याय प्रदान करने में मदद करेगा। वर्तमान में यह पोर्टल पायलट आधार पर 6 राज्यों (अर्थात दिल्ली, राजस्थान, छत्तीसगढ़, कर्नाटक, उड़ीसा और मध्य प्रदेश) में चलाया जा रहा है।

3.35 समाधान पोर्टल का उद्देश्यः

1. इस ऑनलाइन पोर्टल को श्रमिकों के अनुकूल बनाने, विवाद दायर करने के लिए समझने में आसानी लाने, तथा एक तरह से पारदर्शिता लाने के लिए किया गया है जो कि सभी हितधारकों को हमेशा दिखाई देगी। इसके अलावा, पोर्टल जवाबदेही सुनिश्चित करेगा जो प्रक्रिया को अधिक प्रभावी और कुशल बना देगा।

2. यह श्रमिकों को उपयुक्त समाधान अधिकारी के पास अपने विवाद को दायर करने का एक आसान तरीका पेश करेगा, इसमें दस्तावेजों को अपलोड किया जा सकेगा जिससे औद्योगिक विवादों के लिए दस्तावेजों को फाइल करने और संकलन करने में लगने वाला समय कम हो जाएगा।

3. प्रस्तुत करने से पहले प्रारूप की अवधारणा के प्रावधान से श्रमिक अंतिम प्रस्तुति से पहले अपनी सुविधा के अनुसार दस्तावेज फाइल अपलोड करने में/सक्षम होगा।

4. विवाद की कार्यवाही आसान बना दी गई है।

5. समेकित दस्तावेज अब सीजीआईटी के पास सीधे भेजे जा सकते हैं, इस प्रकार पत्राचार में लगने वाले समय की बचत हो जाएगी।

6. औद्योगिक विवाद कानून के संचालन में प्रतिमान परिवर्तन उद्योग में शांतिपूर्ण कार्य संस्कृति का रखरखाव सुनिश्चित करेगा ताकि औद्योगिक विकास को नुकसान न हो और कर्मचारियों के अधिकारों की रक्षा हो।

3.36 उद्देश्य– समाधान पोर्टल के निम्नलिखित उद्देश्य हैं:

1. पारदर्शिता को प्रोत्साहित करना जो सरकार के अभिशासन पर श्रमिकों के लिए न्याय और उनके विश्वास को सुनिश्चित करता है।

2. विवादों का त्वरित निपटान सुनिश्चित करता है।

3. विवादों की प्रगति की निगरानी सुनिश्चित करता है।

4. श्रमिकों के समझने के लिए प्रक्रिया को सरल और स्पष्ट बनाया गया है।

5. किसी भी मध्यस्थ या ट्रेड यूनियन की सहायता के बिना पीड़ित श्रमिक स्वयं स्वतंत्र रूप से अपने मामले को संभाल सकता है।

6. धारा 2–क के अंतर्गत आने वाले मामलों को सीधे सीजीआईटी में समाधान अधिकारी के पास 45 दिनों के अंतराल के बाद भेजा जा सकता है जो निवारण के लिए भौतिक रूप से आवेदन करने में लगने वाले समय को कम कर देगा।

7. प्रणाली से विवादों को संबंधित समाधान अधिकारियों के पास अंतरण स्वतः हो पाएगा।

8. यह सफल सुलह का एक संकेतक होगा और मूल्यांकन को आसान बना देगा।

9. एक एकीकृत पोर्टल होने के कारण, श्रमिकों, समाधान अधिकारियों, सीजीआईटी और सरकार के पास विश्लेषण के लिए दस्तावेज सुलभ होंगे।

10. विवाद से निपटने वाले अधिकारियों को सुविधा प्रदान करेगा और लालफीताशाही को दूर कर विवादों के निवारण को और त्वरित करेगा।

11. श्रमिकों की उनके अधिकारों के बारे में जागरूकता बढ़ाना।

12. अपलोड किए गए दस्तावेज का समय बंधित अधिकारियों द्वारा समय पर उपयोग किया जा सकता है और दस्तावेजों को लापता होने और बार–बार प्रस्तुत करने से बचा जा सकता है।

13. श्रमिकों, समाधान अधिकारियों/उपयुक्त सरकार और सीजीआईटी द्वारा उपयोग किया जाने वाला पोर्टल एक दूसरे के कामकाज का पूरक होगा जो पत्राचार की कमी को दूर करेगा।

14. यह आंकड़ों सहित मामलों की फाइलों की स्थिति, निस्तारण, लंबन, कार्यान्वयन की स्थिति से अवगत कराएगा और इस तरह निगरानी प्रणाली मजबूत होगी।

औद्योगिक संबंधों की मॉनीटरिंग

3.37 हड़तालों/तालाबंदी की संख्या और स्थानिक फैलाव, शामिल श्रमिकों की संख्या और श्रम दिवस का नुकसान, छंटनी की सूचना देने वाली इकाइयों और किस सीमा तक काम से हटाया गया है, की संख्या पर श्रम ब्यूरो से प्राप्त सूचनाओं के आधार पर मंत्रालय देश में प्रचलित औद्योगिक सामंजस्य की निगरानी करता है।

3.38 2015–2019 (अनंतिम) के दौरान हड़ताल, तालाबंदी एवं श्रम दिवस नुकसान की कुल संख्या निम्नलिखित है:

2015–2019 (अनंतिम) के दौरान हड़ताल, तालाबंदी एवं श्रम दिवस नुकसान की संख्या:

वर्ष	हड़ताल	तालाबंदी	कुल	श्रम दिवस नुकसान
2015(अनंतिम)	112	29	141	4,014,559
2016(अनंतिम)	104	26	130	4,619,868
2017(अनंतिम)	84	22	106	3,544,156
2018(अनंतिम)	62	14	76	1,292,695
2019(अनंतिम)	59	9	68	1,044,269

स्रोतः श्रम ब्यूरो, शिमला

(पी): अनंतिम और 31 अक्टूबर, 2019 तक ब्यूरो में प्राप्त रिटर्न/स्पष्टीकरण के आधार पर

नोटः अंनतिम क्योंकि कुछ राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों द्वारा आंकडे उपलब्ध नहीं करवाए गए हैं।

3.39 हड़ताल और तालाबंदी की संख्या का स्थानिक/उद्योग वार फैलाव और इसके परिणामस्वरूप प्रभावित कर्मचारी की संख्या एक समान नहीं है। श्रम दिवसों का नुकसान औद्योगिक उत्पादन पर औद्योगिक अशांति के प्रभाव को मापने का एक सीधा पैमाना है।

3.40 अधिकांश औद्योगिक अशांति, जैसा कि हड़ताल और तालाबंदी द्वारा इंगित किया जाता है, मुख्य रूप से अनुशासनहीनता और हिंसा, वेतन और भत्ते और कार्मिक मामलों से संबंधित मुद्दों के कारण होती है।

कामबंदी

3.41 केंद्र और राज्य दोनों क्षेत्रों में पिछले पांच वर्षों के दौरान बंद होने वाली इकाइयों की संख्या निम्नलिखित हैः

3.42 वर्ष 2015–2019 (अनंतिम) के दौरान बंदी और प्रभावित कामगार (केंद्र और राज्य दोनों क्षेत्रों में)

वर्ष	बंदी	प्रभावित कामगार
2015 (अनंतिम)	21	1496
2016 (अनंतिम)	26	2079
2017 (अनंतिम)	20	2569
2018 (अनंतिम)	8	537
2019 (अनंतिम)	1	45

स्रोतः श्रम ब्यूरो, शिमला

(पी): अनंतिम क्योंकि सभी राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों द्वारा आंकडे उपलब्ध नहीं करवाए गए है।

3.43 वित्तीय तंगी, कच्चे माल की कमी, प्रदूषण का सवाल और अन्य कारण इस अवधि के दौरान बंदी होने के मुख्य कारण हैं।

अस्थायी छंटनी

3.44 अस्थायी छंटनी को एक श्रमिक जिसका नाम नियोक्ता के औद्योगिक प्रतिष्ठान की मुख्य नामावली पर हो और जिसे हटाया नहीं गया हो को रोजगार देने के लिए नियोक्ता की विफलता, इनकार या अक्षमता के रूप में परिभाषित किया जा सकता है। आपूर्ति पक्ष की अड़चनों जैसे बिजली की कमी, कच्चे माल की कमी, वित्तीय तंगी और अन्य के साथ–साथ उत्पादों की मांग में मौसमी गिरावट के कारण अस्थायी छंटनी हो सकती है।

3.45 2015–2019 (अनंतिम) के दौरान अस्थायी छंटनी को प्रभावित करने वाली इकाइयों की संख्या और ऐसी अस्थायी छंटनी के कारण प्रभावित श्रमिकों की संख्या निम्नलिखित हैः

3.46 वर्ष 2015– 2019 (अनंतिम) के दौरान प्रभावित छंटनी और श्रमिक (केंद्र और राज्य दोनों क्षेत्रों में)

वर्ष	कामबंदी	प्रभावित कामगार
2015 (अनंतिम)	51	3654
2016 (अनंतिम)	29	4200
2017 (अनंतिम)	38	6449
2018 (अनंतिम)	20	3556
2019 (अनंतिम) (जनवरी एवं फरवरी)	12	2646

स्रोतः श्रम ब्यूरो, शिमला

(पी): अनंतिम क्योंकि सभी राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों द्वारा आंकडे उपलब्ध नहीं करवाए गए हैं।

छंटनी

3.47 औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 के अध्याय V–बी में निहित प्रावधानों के अनुसार, 100 व्यक्तियों या

उससे अधिक व्यक्तियों को रोजगार देने वाले प्रतिष्ठानों में बंदी, छंटनी या काम–बंदी को करने से पहले निर्धारित आवेदन पत्र में उपयुक्त सरकार की पूर्व अनुमति लेने की आवश्यकता होती है। श्रम और रोजगार मंत्रालय में, केंद्रीय क्षेत्र में आने वाले प्रतिष्ठानों से ऐसी बंदी/छंटनी/काम–बंदी के लिए आवेदन प्राप्त होते हैं। इन आवेदनों की जांच की जाती है और प्रबंधन की प्रस्तावित कार्रवाई से संबंधित मुद्दों पर प्रबंधन और श्रमिकों दोनों को एक अवसर प्रदान करने के लिए एक सुनवाई आयोजित की जाती है। पार्टियों द्वारा किए गए मौखिक और लिखित प्रस्तुतियों के आधार पर, और प्रबंधन के आवेदन की तर्कशीलता/वास्तविकता को देखते हुए, बंद करने, छंटनी या काम–बंदी के लिए अनुमति देने/न देने का निर्णय लिया जाता है। जब भी अनुमति दी जाती है, यह सुनिश्चित किया जाता है कि श्रमिकों के हितों को यथासंभव संरक्षित किया जाए।

3.48 वर्ष 2015–2019 (अनंतिम) की अवधि के दौरान की गई इकाइयों और छंटनी किए गए श्रमिकों की संख्या निम्नलिखित है:

वर्ष 2015–2019 (अनंतिम) के दौरान छंटनी और प्रभावित श्रमिक (केंद्रीय और राज्य क्षेत्र दोनों में)

वर्ष	छंटनी	प्रभावित कामगार
2015 (अनंतिम)	12	533
2016 (अनंतिम)	5	3654
2017 (अनंतिम)	4	87
2018 (अनंतिम)	6	71
2019 (अनंतिम)	1	–

स्रोत: श्रम ब्यूरो, शिमला

(पी): अनंतिम क्योंकि सभी राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों द्वारा आंकडे उपलब्ध नहीं करवाए गए हैं। –शून्य

औद्योगिक त्रिपक्षीय समितियां

3.49 औद्योगिक त्रिपक्षीय समितियों (आईटीसी) का गठन त्रिपक्षीयवाद की भावना को बढ़ावा देने के उद्देश्य से किया गया है। ये त्रिपक्षीय निकाय एक मंच प्रदान करते हैं, जहां सामाजिक साझेदार संवाद के माध्यम से एक दूसरे के उद्योग से संबंधित विशिष्ट समस्याओं को समझ सकते हैं और सहमति नीति विकल्पों को विकसित करने में मदद कर सकते हैं। ये समितियाँ गैर–वैधानिक समितियाँ हैं और आवश्यकता पड़ने पर उनकी बैठकें बुलाई जाती हैं। इन समितियों में सरकार की सक्रिय भूमिका ने नियोक्ताओं और श्रमिकों के हित में सफलतापूर्वक सामंजस्य स्थापित किया है, जिसके परिणामस्वरूप टकराव से लेकर सहयोग तक के रवैये में बदलाव आया है।

श्रमिक संघ अधिनियम, 1926

3.50 श्रमिक संघ अधिनियम, 1926 एक केंद्रीय अधिनियम है, लेकिन राज्य सरकारों द्वारा प्रशासित है, यह अधिनियम श्रमिकों के श्रमिक संघों के पंजीकरण का प्रावधान करता है और कुछ मामलों में, यह पंजीकृत श्रमिक संघों से संबंधित कानून को परिभाषित करता है।

3.51 श्रमिक संघ अधिनियम, 1926 को अंतिम बार 2001 में संशोधित किया गया था और इसे 09/01/2002 को लागू किया गया था। इन संशोधनों का उद्देश्य श्रमिक संघों की क्रमिक वृद्धि सुनिश्चित करना और श्रमिक संघ की बहुलता को कम करना और आंतरिक लोकतंत्र को बढ़ावा देना है।

3.52 श्रमिक संघ अधिनियम, 1926 को औद्योगिक संबंध संहिता में विलय किया जा रहा है और औद्योगिक संबंध संहिता में उक्त संशोधनों को शामिल करने का निर्णय लिया गया है।

औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947

3.53 औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 औद्योगिक विवादों की जांच और निपटान का प्रावधान करता है। अधिनियम के मुख्य उद्देश्य हैं नियतोक्ता और कामगारों के बीच सौहार्द और अच्छे संबंधों को सुरक्षित और संरक्षित रखने के उपायों को बढ़ावा देना; नियोक्ताओं और नियोक्ताओं, नियोक्ताओं और कामगारों या कामगारों और कामगारों के बीच औद्योगिक विवादों की जांच करना और उनका निपटान करना, अवैध हड़तालों और तालाबंदियों को रोकना, अस्थायी छंटनी और छंटनी के मामले में कामगारों को राहत देना और सामूहिक समझौता करना।

3.54 औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 को अंतिम रूप से 2010 में संशोधित किया गया था और पर्यवेक्षकों की वेतन सीमा को बढ़ाते हुए, श्रम न्यायालय या प्राधिकरण को काम करने वाले के लिए सीधे पहुंच प्रदान करते हुए और शिकायत निवारण मशीनरी की स्थापना करते हुए इसे 15.9.2010 से लागू किया गया था।

3.55 2018 के दौरान, औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 की पहली अनुसूची में दिनांक 28.12.2018 की अधिसूचना सं.एस.ओ.6362(ई) के तहत ''रासायनिक उर्वरक उद्योग'' को मद 33 के रूप में सम्मिलित करके संशोधित किया गया।

3.56 औद्योगिक विवाद के प्रसंस्करण में लगने वाले समय को कम करने के लिए, श्रम और रोजगार मंत्रालय ने औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 की धारा 39 द्वारा प्रदत्त उपयुक्त सरकार की शक्ति को समाधान अधिकारी को सौंप दिया ताकि उपयुक्त सरकार को एक रिपोर्ट दाखिल करने के बजाय स्थगन के लिए वह औद्योगिक विवाद की धारा 2ए के अंतर्गत आनेवाले औद्योगिक विवादों को सीधे श्रम न्यायालय अथवा प्राधिकरण को अधिनिर्णयन के लिए भेज दें, यदि दिनांक 10.06.2019 की अधिसूचना संख्या एस.ओ. 1936 (ई) के तहत सुलह कार्यवाही के दौरान कोई समझौता नहीं किया जा सकता है।

3.57 औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 को औद्योगिक संबंध संहिता में विलय किया जा रहा है।

बागान श्रम अधिनियम, 1951

3.58 बागान श्रम अधिनियम, 1951 एक केंद्रीय अधिनियम है लेकिन राज्य सरकारों द्वारा अभिशासित है। अधिनियम में बागान श्रम के कल्याण के लिए प्रावधान किया गया है और यह बागान में काम की स्थितियों को नियंत्रित करता है। यह विधान सभी चाय, कॉफी, रबर, सिनकोना और इलायची के उन सभी बागानों पर लागू किया जाता है जो 5 हेक्टेयर या उससे अधिक के हैं और जिसमें 15 या अधिक व्यक्ति काम कर रहे हैं। राज्य सरकारों को किसी भी बागान के लिए अधिनियम के सभी या किसी भी प्रावधान का विस्तार करने के लिए शक्तियाँ प्रदत्त हैं, चाहे यह 5 हेक्टेयर से कम ही है या इसमें कार्यरत कामगारों की संख्या 15 से कम ही है। यह अधिनियम बागान परिसर के अंतर्गत आनेवाले कार्यालयों, अस्पतालों, औषधालयों, स्कूलों और क्रेच आदि को कवर करता है। अधिनियम में स्वास्थ्य, कल्याण, कार्य के घंटे, विश्राम समय, बच्चों के रोजगार पर रोक आदि से संबंधित महत्वपूर्ण प्रावधान हैं।

3.59 देश में बदलते सामाजिक, आर्थिक और औद्योगिक संबंधों के परिदृश्य को ध्यान में रखते हुए, सरकार ने बागान श्रम अधिनियम, 1951 में संशोधन किया, जिसे दिनांक 7.6.2010 से लागू किया गया था। इन संशोधनों का उद्देश्य बागान क्षेत्र के श्रमिकों के लिए अधिनियम को अधिक कल्याणकारी बनाना है।

3.60 वृक्षारोपण श्रम अधिनियम, 1951 को व्यावसायिक सुरक्षा, स्वास्थ्य और कार्य शर्तों (ओएसएच) संहिता 2019 में विलय किया जा रहा है जो 23.7.2019 को लोकसभा में पेश किया गया है।

औद्योगिक रोजगार (स्थायी आदेश) अधिनियम, 1946

3.61 औद्योगिक रोजगार स्थायी आदेश, 1946 एक अधिनियम है जिसे औपचारिक रूप से औद्योगिक प्रतिष्ठानों में नियोक्ताओं की आवश्यकता के लिए तैयार किया गया है जो औपचारिक रूप से पर्याप्त सटीकता के साथ उनके अंतर्गत रोजगार की शर्तों और उनके द्वारा नियोजित श्रमिकों के लिए रोजगार की उक्त शर्तों से श्रमिकों को अवगत कराने के लिए है जिस के लिए उन्हें स्थायी आदेश को प्रमाणित करना अपेक्षित है और जो मॉडल स्थायी आदेश के अनुरूप हो। यह अधिनियम प्रत्येक औद्योगिक प्रतिष्ठान पर लागू होता है जिसमें एक सौ या अधिक कामगार कार्यरत हैं, या पूर्ववर्ती बारह महीनों के किसी भी दिन नियोजित थे जैसे (i) वेतन भुगतान अधिनियम, 1936 की धारा 2 (ii) में यथा परिभाषित औद्योगिक प्रतिष्ठान; (ii) कारखाना अधिनियम, 1948 की धारा 2 (एम); (iii) रेलवे; (iv) किसी ऐसे व्यक्ति का प्रतिष्ठान, जो किसी भी औद्योगिक प्रतिष्ठान के मालिक के साथ अनुबंध करने के लिए कामगार को नियुक्त करता है। उपयुक्त सरकार अधिनियम को औद्योगिक प्रतिष्ठानों के अन्य श्रेणियों तक विस्तारित करने या आवश्यक होने पर छूट प्रदान करने के लिए सक्षम है।

3.62 औद्योगिक रोजगार (स्थायी आदेश) अधिनियम, 1946 के अंतर्गत 'नियत अवधि रोजगार श्रमिक' की श्रेणी और दिनांक 16.3.2018 की अधिसूचना सं.जी.एस.आर. 235(ई) के तहत सभी क्षेत्रों के लिए बनाए गए नियमों को शामिल किया गया है।

3.63 औद्योगिक रोजगार (स्थायी आदेश) अधिनियम, 1946 का औद्योगिक संबंध संहिता में विलय किया जा रहा है।

बिक्री संवर्धन कर्मचारी अधिनियम (सेवा शर्तें), 1976

3.64 बिक्री संवर्धन कर्मचारी अधिनियम (सेवा शर्तें) (कर्मचारी), 1976 एक केंद्रीय अधिनियम है, जो दिनांक 06.03.1976 से लागू है। अधिनियम का मुख्य उद्देश्य कुछ प्रतिष्ठानों में बिक्री संवर्धन कर्मचारियों की सेवा की कुछ शर्तों को विनियमित करना है। प्रारंभ में यह अधिनियम केवल फार्मास्युटिकल उद्योग में काम कर रहे बिक्री संवर्धन कर्मचारियों के लिए ही लागू था। तत्पश्चात अधिनियम की अनुसूची में संशोधन किया गया है और अधिनियम को दिनांक 31.01.2011 की अधिसूचना संख्या एस.ओ. 217 (ई) के अन्तर्गत अतिरिक्त 10 उद्योगों के लिए लागू किया गया था जो कि निम्नानुसार हैं:

i) सौंदर्य प्रसाधन, साबुन, घरेलू क्लीनर और कीटाणुनाशक,

(ii) रेडीमेड वस्त्र

(iii) शीतल पेय विनिर्माण उद्योग

(iv) बिस्कुट और मिष्ठान

(v) आयुर्वेद, यूनानी और होम्योपैथिक दवाएं

(vi) ऑटोमोबाइल जिसमें सामान और स्पेयर पार्ट्स शामिल हैं

(vii) सर्जिकल उपकरण, कृत्रिम प्रोस्थेसिस और डायग्नोस्टिक्स

(viii) इलेक्ट्रॉनिक्स, सहायक उपकरण और पुर्जों सहित कंप्यूटर

(ix) इलेक्ट्रिकल उपकरण

(x) पेंट और वार्निश

3.65 अधिनियम में निर्धारित है कि श्रमिक क्षतिपूर्ति अधिनियम, 1923, औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947, न्यूनतम मजदूरी अधिनियम, 1948, प्रसूति लाभ अधिनियम, 1961, बोनस संदाय अधिनियम, 1965, उपदान संदाय अधिनियम, 1972 का प्रावधान बिक्री संवर्धन कर्मचारियों पर लागू हो सकता है।

3.66 केंद्र सरकार को अधिनियम के तहत नियम बनाने का अधिकार है।

3.67 विक्रय प्रोन्नयन कर्मचारियों के लिए औद्योगिक त्रिपक्षीय समिति की एक बैठक दिनांक 08.08.2017 को माननीय श्रम एवं रोजगार राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) की अध्यक्षता में आयोजित की गई थी, जिसमें विक्रय प्रोन्नयन कर्मचारियों के लिए सांविधिक कार्यकरण फाइलों को तैयार करने का निर्णय लिया गया था। बिक्री संवर्धन कर्मचारियों के लिए सांविधिक कार्यकरण नियम इस मंत्रालय के विचाराधीन हैं।

3.68 बिक्री संवर्धन (कर्मचारी) (सेवा की शर्तें) अधिनियम, 1976 को व्यावसायिक सुरक्षा, स्वास्थ्य और कार्य शर्तों (ओएसएच) संहिता 2019 में विलय किया जा रहा है जो 23.7.2019 को लोकसभा में पेश किया गया है।

मोटर ट्रांसपोर्ट वर्कर्स अधिनियम, 1961:

3.69 मोटर ट्रांसपोर्ट वर्कर्स अधिनियम, 1961 मोटर ट्रांसपोर्ट वर्कर्स के कल्याण के लिए और उनके काम की शर्तों को विनियमित करने के लिए प्रावधान प्रदान करता है जैसे चिकित्सा सुविधा, कल्याण सुविधाएं, स्प्रेडओवर, काम के घंटे, आराम की अवधि, ओवरटाइम और वेतन के साथ वार्षिक अवकाश आदि। इस अधिनियम को व्यावसायिक सुरक्षा, स्वास्थ्य और कार्य शर्तों (ओएसएच) संहिता 2019 में विलय किया जा रहा है जो 23.7.2019 को लोकसभा में पेश किया गया है।

अध्याय–4

उत्पादकता

प्रधान मंत्री की श्रम पुरस्कार योजनाः

4.1 उत्पादन तथा उत्पादकता, प्रौद्योगिकीय नवाचरण, लागत में बचत, आयात के विकल्प, विदेशी मुद्रा में बचत तथा कर्तव्यों के निर्वहन में अनुपम जोश और उत्साह का प्रदर्शन करने के लिए श्रम एवं रोजगार मंत्रालय, केन्द्रीय/राज्य सरकारों के विभागीय/सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों में नियोजित कर्मकारों, (औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 में यथा परिभाषित) और निजी क्षेत्र में 500 अथवा अधिक कामगारों को नियोजित करने वाली विनिर्माण इकाइयों के लिए उनके कार्य निष्पादन तथा कार्य के प्रति समर्पण को मान्यता देने के लिए 'प्रधानमंत्री के श्रम पुरस्कार' नामक योजना का संचालन करता है। केवल वही कामगार ऐसे पुरस्कार के पात्र हैं जो विनिर्माण तथा उत्पादन प्रक्रियाओं में कार्यरत हैं और जिनका प्रदर्शन मूल्यांकन करने योग्य है। इन पुरस्कारों की घोषणा प्रत्येक वर्ष गणतंत्र दिवस अथवा स्वतंत्रता दिवस की पूर्व संध्या पर सामान्यतः की जाती है। क्रमानुसार ये पुरस्कार हैं: श्रम रत्न, श्रम भूषण, श्रम वीर/श्रम वीरांगना और श्रम श्री/श्रम देवी। विभिन्न क्षेत्रों में कामगारों के उत्कृष्ट योगदान की पहचान करने के लिए भारत सरकार द्वारा 1985 में श्रम पुरस्कारों का गठन किया गया था।

4.2 वर्ष 2019 में प्रधानमंत्री श्रम पुरस्कार का आयोजन नहीं किया गया था।

विश्वकर्मा राष्ट्रीय पुरस्कार और राष्ट्रीय सुरक्षा पुरस्कार

4.3 श्रम और रोजगार मंत्रालय की ओर से डीजीफासली वर्ष 1965 से विश्वकर्मा राष्ट्रीय पुरस्कार (वीआरपी) (पहले श्रम वीर राष्ट्रीय पुरस्कार के रूप में जाना जाता था) और राष्ट्रीय सुरक्षा पुरस्कार योजना का क्रियान्वयन करता आ रहा है। इन योजनाओं में संशोधन वर्ष 1971, 1978 और 2007 में दोबारा किया गया था। ये योजनाएं वर्तमान में निम्नानुसार प्रचालन में हैं:

(I) विश्वकर्मा राष्ट्रीय पुरस्कारः इसे राष्ट्रीय स्तर पर उत्कृष्ट सुझावों को मान्यता देने के लिए अभिकल्पित किया गया है, जिसका परिणाम निम्न प्रकार होगाः

(i) उच्चतर उत्पादकता

(ii) सुरक्षा और कार्य दशाओं में सुधार

(iii) विदेशी विनिमय में बचत (आयात में विकल्प लाने के साथ–साथ उत्पादों की गुणवत्ता और सुरक्षा)

(iv) स्थापनाओं की सम्पूर्ण दक्षता में सुधार।

पुरस्कारों को तीन वर्गों में समूहबद्ध किया जाता है:

(क) 1 से 5 रैंक वाले आवेदन (5 पुरस्कार)–वर्ग "क" पुरस्कार प्रत्येक को 75,000/– का पुरस्कार

(ख) 6 से 13 रैंक वाले आवेदन (8 पुरस्कार)–वर्ग "ख" पुरस्कार प्रत्येक को 50,000/– का पुरस्कार

(ग) 14 से 28 रैंक वाले आवेदन (15 पुरस्कार)–वर्ग "ग" पुरस्कार प्रत्येक को 25,000/– का पुरस्कार

इन पुरस्कारों को कारखाना अधिनियम, 1948 के तहत शामिल किए गए औद्योगिक प्रतिष्ठानों के कामगारों, डॉक कर्मकार (सुरक्षा, स्वास्थ्य और कल्याण) अधिनियम, 1986, भवन और अन्य सन्निर्माण कामगार (रोजगार का विनियमन और सेवा शर्तें) अधिनियम, 1996 के तहत शामिल किए गए कर्मचारियों तथा परमाणु उर्जा नियामक परिषद् (एईआरबी) के संस्थापनों के लिए प्रयोज्य है।

(II) राष्ट्रीय सुरक्षा पुरस्कारः राष्ट्रीय सुरक्षा पुरस्कार कारखाना अधिनियम, 1948 के तहत शामिल किए गए औद्योगिक प्रतिष्ठानों की और से की गई उत्कृष्ट सुरक्षा निष्पादन की पहचान पर, डॉक कर्मकार (सुरक्षा, स्वास्थ्य और कल्याण) अधिनियम, 1986, भवन और अन्य सन्निर्माण

कामगार (रोजगार का विनियमन और सेवा शर्तें) अधिनियम, 1996 के तहत शामिल किए गए नियोक्ताओं तथा परमाणु उर्जा नियामक परिषद् (एईआरबी) के संस्थापनों को दिया गया है।

प्रत्येक पुरस्कार के तहत प्रत्येक पुरस्कार विजेता और उप–विजेता को एक शील्ड और एक योग्यता प्रमाण–पत्र दिया गया है। प्रतिष्ठानों को कार्य–घंटों के आधार पर विभिन्न योजनाओं में वर्गीकृत किया गया है। I से X योजनाओं का आशय कारखानों, निर्माण स्थलों और परमाणु संस्थापनों और XI और XII योजनाओं का आशय गोदियों से है।

निष्पादन वर्ष 2017 के लिए विश्वकर्मा राष्ट्रीय पुरस्कार (वीआरपी) और राष्ट्रीय सुरक्षा पुरस्कार (एनएसए) हेतु पुरस्कार वितरण समारोह 17 सितम्बर, 2019 को विज्ञान भवन, नई दिल्ली में आयोजित किया गया था। इन पुरस्कारों का वितरण माननीय राज्य मंत्री श्रम और रोजगार (स्वतंत्र प्रभार), श्री संतोष गंगवार द्वारा किया गया था।

निष्पादन वर्ष 2017 के लिए विश्वकर्मा राष्ट्रीय पुरस्कार (वीआरपी) और राष्ट्रीय सुरक्षा पुरस्कार (एनएसए)

पुरस्कार	प्राप्त आवेदनों की संख्या	पुरस्कार हेतु चयनित आवेदन	पुरस्कार विजेताओं की संख्या	प्रदत्त पुरस्कार
विश्वकर्मा राष्ट्रीय पुरस्कार	197	28	131	1) 1 से 5 रैंक वाले आवेदन –वर्ग "क" पुरस्कार प्रत्येक को 75,000/– का पुरस्कार। 2) 6 से 13 रैंक वाले आवेदन –वर्ग "ख" पुरस्कार प्रत्येक को 50,000/– का पुरस्कार। 3) 14 से 28 रैंक वाले आवेदन–वर्ग "ग" पुरस्कार प्रत्येक को 25,000/– का पुरस्कार।
राष्ट्रीय सुरक्षा पुरस्कार	166	89	81– विजेता 49– उप–विजेता	प्रत्येक को एक शील्ड और एक योग्यता प्रमाण–पत्र दिया जाता है।

अध्याय– 5

मजदूरी

प्रस्तावना

5.1 भारत जैसे श्रम अधिशेष देश में अर्थव्यवस्था के सभी क्षेत्रों के लिए कोई एक समान तथा व्यापक मजदूरी नीति होना मुश्किल है। संगठित क्षेत्र में मजदूरी का निर्धारण सामान्यतः नियोजक तथा कर्मचारियों के बीच बातचीत तथा आपसी समझौते के आधार पर किया जाता है, तथा असंगठित क्षेत्र में, अशिक्षा के कारण और प्रभावी सौदेकारी शक्ति के अभाव में श्रमिक शोषण से असुरक्षित है। केन्द्र तथा राज्य सरकारों दोनों द्वारा अपने–अपने अधिकार क्षेत्र में न्यूनतम मजदूरी अधिनियम, 1948 के उपबंधों के अंतर्गत अनुसूचित रोजगारों में मजदूरी की न्यूनतम दरें निर्धारित की जाती हैं। यह अधिनियम, नियोक्ताओं को समय–समय पर ऐसी निर्धारित की गई न्यूनतम मजदूरी कर्मकारों को अदा करने के लिए बाध्य करता है।

न्यूनतम मजदूरी अधिनियम, 1948

5.2 न्यूनतम मजदूरी अधिनियम, 1948 के तहत अधिनियम की अनुसूची में शामिल रोजगारों की मजदूरी की न्यूनतम दरों का निर्धारण/संशोधन करने के लिए राज्य तथा केन्द्र दोनों सरकार ''समुचित सरकारें'' हैं जैसा कि यह उचित लगता है कि ऐसे अंतराल पांच साल से अधिक नहीं हो सकते हैं। केन्द्रीय क्षेत्र में 45 अनुसूचित नियोजन हैं, जबकि राज्य क्षेत्र में ऐसे नियोजनों की संख्या 1709 (संचयी) है। सरकार ने दिनांक 19.01.2017 से केन्द्रीय क्षेत्र में सभी कार्यक्षेत्रों के लिए न्यूनतम मजदूरी की मूल दर में वृद्धि अधिसूचित कर दी है। पहली बार सभी कार्य क्षेत्रों, कृषि, गैर–कृषि, भवन निर्माण आदि के लिए न्यूनतम मजदूरी लगभग 42% बढ़ाई गई है।

5.3 डॉ. अनूप सत्पथी की अध्यक्षता में फेलो वी.वी. गिरि राष्ट्रीय श्रम संस्थान, एवं सदस्य के रूप में श्री जेवियर एस्टूपीनन, वेतन विशेषज्ञ, दक्षिण एशिया के लिए एएलओ डीडब्ल्यूटी और भारत के लिए देश कार्यालय, डॉ. अनूप के किरण, अपर प्रोफेसर, भारतीय लोक स्वास्थ्य फाउंडेशन (पीएचएफआई); श्रीमती अनुजा बापट, आईएसएस, निदेशक (श्रम एवं रोजगार मंत्रालय), श्रीमान मुश्ताक अहमद खान, आईएसएस, उप निदेशक (एमओएलई); श्रीमान बीकाश कुमार मलिक, आईईएस, सहायक निदेशक (एमओएलई); और रचना बोलीमेरा, आईईएस, सहायक निदेशक (एमओएलई) ने केन्द्रीय परामर्श बोर्ड (सीएबी) के सिफारिश पर दिनांक 12.01.2018 को राष्ट्रीय न्यूनतम मजदूरी निर्धारित करने के लिए कार्य प्रणाली के निर्धारण पर न्यूनतम मजदूरी पर एक विशेषज्ञ समिति बनायी थी। समिति ने सचिव, श्रम एवं रोजगार मंत्रालय को 14 फरवरी, 2019 को अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की।

5.4 न्यूनतम मजदूरी दरों में, विशेष भत्ता अर्थात परिवर्ती महंगाई भत्ता, जो उपभोक्ता मूल्य सूचकांक से जुड़ा हुआ है, भी शामिल है, जिसे 01 अप्रैल तथा 01 अक्तूबर के प्रभावी वर्ष में दोबार संशोधन किया जाता है। केन्द्रीय सरकार तथा सत्ताईस राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों ने भी परिवर्तनीय महंगाई भत्ते को न्यूनतम मजदूरी के एक घटक के रूप में अंगीकृत कर लिया है। केन्द्रीय और राज्य दोनों सरकारें समय–समय पर अनुसूचित रोजगारों के संबंध में न्यूनतम मजदूरी को संशोधित करती रहती हैं। दिनांक 01.10.2019 से केन्द्रीय क्षेत्र में लागू वीडीए सहित नवीनतम न्यूनतम मजदूरी की दरें 5.1 तालिका में दी गई हैं।

राष्ट्रीय सतही स्तर की न्यूनतम मजदूरी

5.5 देश में एक समान राष्ट्रीय न्यूनतम मजदूरी रखने के लिए तथा देश में न्यूनतम मजदूरी के अंतर को कम करने हेतु राष्ट्रीय ग्रामीण श्रम आयोग (एनसीआरएफ) की 1991 की सिफारिशों के आधार पर एक गैर–सांविधिक उपाय के रूप में राष्ट्रीय सतही स्तर की न्यूनतम मजदूरी आरंभ की गई। औद्योगिक कामगारों हेतु उपभोक्ता मूल्य सूचकांक में वृद्धि के आधार पर केन्द्र सरकार ने राष्ट्रीय सतही स्तर की न्यूनतम मजदूरी को 01.06.2017 से 160/– रुपये से बढ़ाकर 176/– रुपये प्रतिदिन कर दिया है।

केन्द्रीय सलाहकार बोर्ड (सीएबी)

5.6 केन्द्र सरकार ने न्यूनतम मजदूरी अधिनियम, 1948 की धारा 8 के अंतर्गत दिनांक 27 फरवरी, 2019 की अधिसूचना सं.सां.आ. 898 (ई) द्वारा केन्द्रीय सलाहकार बोर्ड (सीएबी) को पुनर्गठित किया है। इस बोर्ड के वर्तमान अध्यक्ष श्री पंकज चौधरी हैं।

न्यूनतम मजदूरी सलाहकार बोर्ड (एमडब्ल्यूएबी)

5.7 केन्द्र सरकार ने न्यूनतम मजदूरी अधिनियम, 1948 की धारा 7 के अंतर्गत दिनांक 29 जनवरी, 2019 की अधिसूचना सं. सा.आ. 527 (ई) द्वारा न्यूनतम मजदूरी सलाहकार बोर्ड (एमडब्ल्यूएबी) को पुनर्गठित किया है। इस बोर्ड के वर्तमान अध्यक्ष माननीय श्रम एवं रोजगार राज्य मंत्री हैं।

5.8 "अनुसूचित रोजगार" परिभाषा से संबंधित अधिनियम की धारा 2(क) के लोप के लिए न्यूनतम वेतन अधिनियम, 1948 के संशोधन के लिए प्रस्ताव वर्तमान में अनुसरण नहीं किया जा रहा है जैसा कि संदाय भुगतान (संशोधन) अधिनियम, 2015 भिन्न उच्च न्यायालय में चुनौती दी गई है। विधिक कार्य विभाग ने रिट याचिकाओं के स्थगन हट जाने और निपटान के इंतजार करने का विचार व्यक्त किया है जैसा कि "अनुसूचित रोजगार" की परिभाषा न्यूनतम वेतन अधिनियम, 1948 और संदाय भुगतान (संशोधन) अधिनियम, 2015 दोनों में समान है।

5.9 हालांकि मजदूरी संहिता 2019 दिनांक 08.08.2019 को अधि सूचित कर दी गई है। "मजदूरी संहिता 2019" के अंतर्गत बने नियम के अनुसार संशोधित मजदूरी नियत की जाएगी।

न्यूनतम मजदूरी अधिनियम, 1948 का प्रवर्तन

5.10 सरकार खेतों में कार्य करने वाले श्रमिकों और कामगारों खासकर असंगठित क्षेत्र में, कल्याण तथा खुशहाली में वृद्धि करने एवं श्रमिकों के लिए न्यूनतम मजदूरी अधिनियम, 1948 का पूर्णतः कार्यान्वयन सुनिश्चित करने के लिए प्रतिबद्ध है। केन्द्रीय क्षेत्र के अधीन न्यूनतम मजदूरी का प्रवर्तन केन्द्रीय औद्योगिक संबंध तंत्र (सीआईआरएम) के माध्यम से किया जाता है। के.औ.सं.तं (सीआईआरएम) द्वारा वर्ष 2018–19 के दौरान प्रवर्तन के मामलों की स्थिति सारणी 5.2 में दर्शायी गयी है। राज्य क्षेत्र में राज्य प्रवर्तन तंत्र न्यूनतम मजदूरी अधिनियम, 1948 का प्रवर्तन सुनिश्चित करते हैं। विभिन्न राज्यों/संघशासित क्षेत्रों में वर्ष 2016–17 के दौरान इस अधिनियम के प्रवर्तन की स्थिति सारणी 5.3 में दर्शायी गई है।

मजदूरी संदाय अधिनियम, 1936

5.11 मजदूरी संदाय अधिनियम, 1936 को उद्योग में नियोजित कर्मकारों का चालू सिक्के या करेंसी नोट अथवा कामगारों के बैंक खाते में चेक या जमा राशि द्वारा मजदूरी के भुगतान में विलम्ब को विनियमित करने और अवैध कटौतियों तथा/अथवा मजदूरी की अदायगी में अनुचित देरी के विरूद्ध एक त्वरित एवं प्रभावी उपचार सुनिश्चित करने के लिए अधिनियमित किया गया था।

5.12 मजदूरी संदाय (संशोधन) अधिनियम, 2017:– मजदूरी संदाय अधिनियम, 1936 की धारा 6 में 16.02.2017 को संशोधन किया गया है ताकि कर्मचारी को मजदूरी का भुगतान नकद अथवा चेक द्वारा अथवा उनके बैंक खाते में जमा करने के लिए समर्थ बनाया जा सके। यह संशोधन समुचित सरकार को भी समर्थवान बनाता है जिससे सरकारी राजपत्र में अधिसूचना द्वारा वह उद्योग अथवा अन्य प्रतिष्ठान को विनिर्दिष्ट कर सकती है जिससे नियोक्ता ऐसे उद्योग अथवा अन्य प्रतिष्ठान में नियोजित प्रत्येक व्यक्ति को उनकी मजदूरी का भुगतान केवल चेक द्वारा अथवा उनके बैंक खातों में मजदूरी राशि जमा करेगा।

5.13 केंद्रीय क्षेत्र में औद्योगिक या अन्य प्रतिष्ठानों केन्द्रीय क्षेत्रों में रेलवे हवाई यातायात सेवाएं, खान और तेल क्षेत्रों के संबंध में मजदूरी का भुगतान करने के लिए केवल चेक द्वारा अथवा कर्मचारी के बैंक खाते में जमा करने वाला प्रावधान 26.04.2017 को यह अधिसूचित किया गया है।

5.14 न्यूनतम मजदूरी अधिनियम, 1936 के लागू करने के लिए मजदूरी सीमा 1982 में 1600/– रुपये प्रतिमाह निर्धारित की गई थी। यह मजदूरी प्रत्येक पांच वर्षों बाद राष्ट्रीय सेंपल सर्वेक्षण कार्यालय द्वारा उपभोक्ता व्यय सर्वेक्षण प्रकाशन के आधार पर समय–समय पर संशोधित की गयी है। केंद्र सरकार ने अधिनियम के लागू करने के लिए प्रतिमह मजदूरी सीमा दिनांक 29.08.2017 से 18000/– से 24000/– रुपये बढ़ा दी है।

मजदूरी संदाय (नामांकन) नियम, 2009

5.15 महिलाओं को पूर्ण मजदूरी के भुगतान के संबंध में समानता देने के विषय पर महिला एवं बाल विकास मंत्रालय द्वारा गठित विशेष कार्यबल की सिफारिशों के अनुसरण में केन्द्र सरकार ने मजदूरी संदाय अधिनियम, 1936 की धारा 26 की उप धारा (3) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए दिनांक 29 जून, 2009 की अधिसूचना आ. सां.नि. संख्या 822 (अ) द्वारा मजदूरी संदाय (नामांकन) नियम, 2009 को अधिसूचित किए है जिसमें नामिती की प्रक्रिया को परिभाषित किया है तथा कामगारों द्वारा यथा लागू अपने परिवार के सदस्यों को ही नामित करने हेतु इसे सीमित किया है।

वेतन बोर्ड

5.16 1950 और 60 के दशक में जब संगठित श्रम क्षेत्र अपने विकास की आरम्भिक अवस्था में था तब सरकार ने मजदूरी निर्धारण के क्षेत्र में उठने वाली समस्याओं को ध्यान में रखते हुए श्रम मंत्रालय की स्वीकृत नीतियों के अनुरूप समय–समय पर विभिन्न वेतन बोर्डों का गठन किया था। वेतन बोर्ड त्रिपक्षीय स्वरूप के होते हैं, जिनमें कामगारों, नियोक्ताओं के प्रतिनिधि और स्वतंत्र सदस्य भाग लेते हैं और सिफारिशों को अंतिम रूप देते हैं। इस समय केवल दो बोर्ड, एक श्रमजीवी पत्रकार और दूसरा गैर–पत्रकार समाचार पत्र कर्मचारियों के लिए सांविधिक वेतन बोर्डों के रूप में प्रचालन में हैं। अन्य सभी वेतन बोर्ड समाप्त हो गए हैं।

5.17 श्रमजीवी पत्रकार और अन्य समाचार पत्र कर्मचारी (सेवा शर्तें) तथा प्रकीर्ण उपबंध अधिनियम, 1955 में श्रमजीवी पत्रकारों और समाचार पत्र प्रतिष्ठानों में नियोजित अन्य व्यक्तियों की सेवा शर्तों के विनियमन का प्रावधान है। अधिनियम की धारा 9 और 13 ग में, अन्य बातों के साथ–साथ, क्रमशः श्रमजीवी पत्रकारों समाचार पत्रों/समाचार एजेंसियों के गैर–पत्रकार कर्मचारियों के संबंध में मजदूरी की दरें निर्धारित और संशोधित करने के लिए मजदूरी बोर्डों के गठन का प्रावधान है। अधिनियम के अनुसार मजदूरी बोर्ड में निम्नलिखित शामिल हैं:

- समाचार पत्र प्रतिष्ठानों से संबंधित नियोजकों का प्रतिनिधित्व करने वाले तीन व्यक्ति;
- अधिनियम की धारा 9 के अंतर्गत मजदूरी बोर्ड के लिए कार्यरत पत्रकारों के 3 प्रतिनिधि और धारा 13 ग के अंतर्गत वेतन बोर्ड के लिए गैर–पत्रकार समाचार पत्र के कर्मचारियों के 3 प्रतिनिधि;
- चार स्वतंत्र व्यक्ति, जिनमें से एक व्यक्ति जो उच्च न्यायालय या उच्चतम न्यायालय का न्यायाधीश हो या रह चुका हो होना चाहिए और उसे मजदूरी बोर्ड के अध्यक्ष के रूप में सरकार द्वारा नियुक्त किया जायेगा।

5.18 इस अधिनियम में वेतन बोर्डों के गठन हेतु अवधियों का उल्लेख नहीं है। विगत के समय–समय पर कार्यरत पत्रकार और गैर पत्रकार समाचार पत्र कर्मचारियों के लिए वेतन बोर्ड स्थापित किए गए थे जो कि निम्न तालिका में प्रदर्शित हैं:–

क्र.सं.	उद्योग का नाम	वेतन बोर्ड के नियुक्ति की तारीख	सरकार को दी गई अंतिम रिपोर्ट की तारीख	सरकार द्वारा सिफारिश को दी गई स्वीकृति की तारीख	वेतन बोर्ड का नाम
1	2	3	4	5	6
i.	श्रमजीवी पत्रकारों के लिए वेतन बोर्ड	02–11–1956	लागू नहीं	11–05–1957	दीवातिया वेतन बोर्ड
ii.	(क) श्रमजीवी पत्रकारों के लिए वेतन बोर्ड	12–11–1963	17–07–1967	27–10–1967	शिन्दे वेतन बोर्ड
	(ख) गैर–पत्रकार समाचार पत्र कर्मचारियों के लिए वेतन बोर्ड	25–02–1964	17–07–1967	18–11–1967	
iii.	(क) श्रमजीवी पत्रकारों के लिए वेतन बोर्ड	11.06.1975	13.08.1980	26.12.1980 और 20.07.1981	पालेकार बोर्ड वेतन बोर्ड
	गैर– पत्रकार समाचार पत्र कर्मचारियों के लिए वेतन बोर्ड	06.02.1976			
iv.	श्रमजीवी पत्रकारों और गैर– पत्रकार समाचार पत्र कर्मचारियों के लिए वेतन बोर्ड	17.07.1985	30.05.1989	31.08.1989	वचावत वेतन बोर्ड
v.	श्रमजीवी पत्रकारों और गैर– पत्रकार समाचार पत्र कर्मचारियों के लिए वेतन बोर्ड	02.09.1974	25.07.2000	05.12.2000 और 15.12.2000	मजीठिया वेतन बोर्ड
vi.	श्रमजीवी पत्रकारों और गैर– पत्रकार समाचार पत्र कर्मचारियों के लिए वेतन बोर्ड	24.05.2007	31.12.2010	11.11.2011	मनीनयत वेतन बोर्ड

5.19 सरकार ने श्रमजीवी पत्रकार और अन्य समाचार पत्र कर्मचारी (सेवा शर्ते) और प्रकीर्ण उपबंध अधि नियम, 1955 की धारा क्रमशः 9 और 13–ग के अंतर्गत दो नए वेतन बोर्डों को गठन किया है–एक श्रमजीवी पत्रकारों के लिए और दूसरा गैर पत्रकार समाचार पत्र कर्मचारियों के लिए और दिनांक 24.05.2007 के भारत के राजपत्र (असाधारण) सांआ. संख्या 809 (अ) और 810 (अ) के अधिसूचना के तहत एक समान अध्यक्ष के रूप में उच्च न्यायालय के सेवा निवृत्त न्यायाधीश जी आर मजीठीया को नियुक्त किया है।

5.20 सरकार ने श्रमजीवी पत्रकारों और गैर पत्रकार समाचार पत्र कर्मचारियों हेतु वेतन बोर्डों के साथ परामर्श करते हुए 24.10.2008 की अधिसूचना संख्या सां.आ. संख्या 2524(अ) और सां.आ.2525 (अ) द्वारा 08.01.2008 से मूल वेतन के 30: की दर से पत्रकारों और समाचार एजेंसी कर्मचारियों के लिए वेतन की अंतरिम दरें अधिसूचित की हैं।

5.21 वेतन बोर्डों ने सरकार को अपनी अंतिम रिपोर्ट दिनांक 31.12.2010 को प्रस्तुत कर दी। 25.10.2011 को आयोजित मंत्रिमंडल की बैठक में मंत्रिमंडल ने समाचार पत्र प्रतिष्ठानों एवं न्यूज एजेंसियों के श्रमजीवी पत्रकारों एवं गैर–पत्रकार समाचार पत्र कर्मचारियों के लिए वेतन बोर्डों की सिफारिशों को स्वीकार करने के प्रस्ताव को अनुमोदित किया, जैसे दिनांक 07.10.2011 की इस मंत्रालय की मंत्रिमंडल टिप्पणी में शामिल है।

5.22 मजीठिया वेतन बोर्डों की सिफारिशें, सरकार द्वारा स्वीकार कर ली गई है और सरकारी राजपत्र में दिनांक 11.11.2011 के सां.आ. सं.2532(अ) द्वारा अधिसूचित की गई हैं। माननीय उच्चतम न्यायालय के समक्ष समाचार प्रतिष्ठानों द्वारा दर्ज हुई रिट याचिकाओं द्वारा मजीठिया वेतन बोर्ड के नियम–सग्रह और सिफारिशों को चुनौती दी गई है। माननीय उच्चतम न्यायालय सभी रिट याचिकाओं को खारिज कर दिया और निदेश दिया है कि यथा संशोधित निर्धारित वेतन 11.11.2011 से देय होंगे जब से भारत सरकार मजीठिया वेतन बोर्ड की सिफारिशों को अधिसूचित की थी। इसके अंतिम निर्णय में भी माननीय उच्चतम न्यायालय ने नियमों के अनुसार मजीठिया वेतन बोर्ड के तहत पत्रकार सहित समाचार पत्र कर्मचारियों की सभी श्रेणियों का क्या बाकी है और पात्रता निर्धारित करने के लिए निरीक्षक नियुक्त करने के लिए सभी राज्य सरकारों को निदेश जारी किए। जैसे ही सिफारिशों का क्रियान्वयन राज्य सरकार संघ राज्य क्षेत्र के नियत हुआ अनुपालन करने के लिए राज्य सरकारों और संघ राज्य क्षेत्र प्रशासन को यह बता दिया गया था। मजीठिया वेतन बोर्ड की सिफारिशे वर्तमान में प्रचलन में है।

5.23 अधिसूचना के कार्यान्वयन की निगरानी हेतु, केन्द्रीय स्तर की मानीटरिंग समिति प्रधान श्रम एवं रोजगार सलाहकार की अध्यक्षता में गठित की गई है। सीएलएमसी संरचना दिनांक 15.05.2018 के मंत्रालय आदेश संख्या वी–24011/1/2018–डब्ल्यूबी के तहत संशोधित किया गया था निम्नानुसार है:–

संरचना

(i) अपर सचिव, श्रम और रोजगार मंत्रालय - अध्यक्ष

(ii) संयुक्त सचिव, श्रम और रोजगार मंत्रालय - सदस्य

(iii) संयुक्त सचिव, सूचना और प्रसारण मंत्रालय - सदस्य

(iv) मुख्य श्रम आयुक्त (केंद्रीय) - सदस्य

(v) निदेशक, श्रम और रोजगार मंत्रालय - सदस्य सचिव

5.24 समिति दोनों क्षेत्रीय और राष्ट्रीय स्तर (नई दिल्ली) पर समय–समय पर आवधिक बैठक करती रही है। देश में वेतन बोर्ड पंचाट के क्रियान्यन की समीक्षा हेतु सभी राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को शामिल करते हुए दिनांक 09.07.2018 को नई दिल्ली में समिति की पिछली बैठक आयोजित की गयी थी। पिछली सीएलएमसी बैठक में राज्य/संघ राज्य क्षेत्र के प्रतिनिधियों को राज्य स्तर पर निगरानी तंत्र को तैयार करने और नियमित निरीक्षण करने का निदेश किया गया था। कार्यान्वयन की स्थिति तिमाही प्रगति रिपोर्ट के माध्यम से राज्य/संघ राज्य क्षेत्र से प्राप्त की गई है। 37 राज्य और संघ राज्य क्षेत्रों (जम्मू और कश्मीर संघ राज्य क्षेत्र और लद्दाख संघ राज्य क्षेत्र सहित) में से 27 में राज्य स्तर कार्यान्वयन की निगरानी के लिए त्रिपक्षीय समिति का गठन किया गया है। 10 राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों में से राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों में त्रिपक्षीय समिति का प्रावधान लागू नहीं है जबकि 6 राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों में मजीठिया वेतन बोर्ड की सिफारिशों के क्रियान्वयन की स्थिति आदिनांक में 24.5% पूर्णत: क्रियान्वित 5.21% आंशिकत: क्रियान्वित है। मजीठिया वेतन बोर्ड में सिफारिशों के कार्यान्वयन में सबसे अग्रणी राज्य तमिलनाडु (98.7%), राजस्थान (87.5%), आन्ध्र प्रदेश (82.4%), केरल (64.7%) और छत्तीसगढ़ (62.2%) है।

5.25 स्टेट्समैन लिमिटेड बनाम भारत संघ और अन्य के मामले में एलपीए 549/2018 और सीएम संख्या 39593/2018 में माननीय उच्च न्यायालय दिल्ली द्वारा

जारी दिनांक 05.12.2018 का आदेश के अनुपालन में श्रमजीवी पत्रकारों और गैर–पत्रकार समाचारपत्र कर्मचारियों के लिए मजीठिया वेतन बोर्ड की सिफारिशों को अधिसूचना दिनांक 05.12.2000 और 15.12.2000 के अधिसूचनाएं पुनः अधिसूचना संसाधित की जा रही है। इस संबंध में दिनांक 14.05.2019 के राजपत्र आदेश एस.ओ 1731 (अ) अधिसूचना के रूप में प्रारूप आदेश के प्रकाशन की दिनांक से 30 दिनों के निर्धारित समय के भीतर श्रमजीवी पत्रकार एवं अन्य समाचार पत्र कर्मचारी (सेवा शर्तें) एवं प्रकीर्ण उपबंध अधिनियम, 1955 की धारा 12 के अनुपालन में हितधारकों की टिप्पणी अगर कोई है का मागने के लिए लोक क्षेत्र में प्रस्तुत कर दी गई थी। हितधारकों की टिप्पणियां/विचार राज्यपत्र में अपने अंतिम रूप में प्रकाशन के पूर्व परामर्श और विधि और न्याय मंत्रालय के राय के लिए संसाधित की जा रही है।

बोनस संदाय अधिनियम, 1965

5.26 बोनस संदाय अधिनियम, 1965 20 अथवा अधिक व्यक्तियों को नियोजित करने वाले कतिपय प्रतिष्ठानों में लाभ अथवा उत्पादन अथवा उत्पादकता और उससे जुड़ी बातों के आधार पर, उनमें नियोजित व्यक्तियों को बोनस के भुगतान का प्रावधान करता है।

5.27 अधिनियम की धारा, 10 के अंतर्गत प्रत्येक उद्योगों और प्रतिष्ठान द्वारा 8.33% की दर से न्यूनतम बोनस देय होता है। उत्पादकता से जुड़े बोनस सहित न्यूनतम, बोनस जो किसी लेखाकरण–वर्ष में दिया जा सकता है, वह अधिनियम की धारा 31–क के अंतर्गत किसी कर्मचारी के वेतन/मजदूरी के 20% से अधिक नहीं होगा।

5.28 बोनस संदाय अधिनियम, 1965 के अंतर्गत दो अधिकतम सीमाएं उपलब्ध हैं। धारा 2(13) के अंतर्गत विनिर्दिष्ट सीमा जो अधिनियम के अंतर्गत किसी पात्र कर्मचारी को परिभाषित करती है, को सामान्यतः पात्रता सीमा के रूप में जाना जाता है। इसी तरह, धारा 12 के अंतर्गत बोनस की संगणना हेतु निर्धारित सीमा को गणना सीमा के रूप में जाना जाता है। दोनों सीमाओं के मूल्य वृद्धि और वेतन संरचना में वृद्धि से मेल बिठाने हेतु संशोधित किया जाता है। पिछले वर्षों में हुए दो सीमाओं का संशोधन निम्नानुसारः –

क्र. सं.	संशोधन वर्ष	पात्रता सीमा (रुपये प्रतिमाह)	गणना सीमा (रुपये प्रतिमाह)
1.	1965	1,600	750
2.	1985	2,500	1,600
3.	1995	3,500	2,500
4.	2007	10,000	3,500
5.	2016 (01.04.2014 से प्रभावी)	21,000	7,000 रुपये प्रतिमाह अथवा समुचित सरकार द्वारा यथा निर्धारित अनुसूचित नियोजन के लिए न्यूनतम मजदूरी, इनमें से जो भी अधिक हो।

5.29 बोनस संदाय (संशोधन) अधिनियम, 2015 जिसे 01.01.2016 को भारत के राजपत्र में अधिसूचित किया गया और 01.04.2014 से प्रभावी हुआ था, के अनुसार देशभर के विभिन्न प्रतिष्ठानों ने उक्त संशोधन की सांविधिक वैधता को चुनौती देते हुए रिट याचिकाएं दाखिल की हैं। मंत्रालय का विचार है कि सभी मामले संविधान के अनुच्छेद 139 क के अंतर्गत माननीय सर्वोच्च न्यायालय को संदर्भित किए जाएं। अब तक मंत्रालय में देश के विभिन्न उच्च न्यायालयों के 149 रिट याचिकाएं प्राप्त हुई हैं और मंत्रालय ने माननीय न्यायालय में सभी स्थानांतरण याचिकाएं दाखिल कर दी हैं।

अध्याय–6

सामाजिक सुरक्षा

6.1 भारत में सामाजिक सुरक्षा योजनाएं संगठित श्रम शक्ति के केवल एक छोटे भाग को व्याप्त करती है जिसे ऐसे कामगारों के रूप में परिभाषित किया जा सकता है जिनका संगठन में सीधा नियोक्ता–कर्मचारी संबंध है। भारत में सामाजिक सुरक्षा विधान भारतीय संविधान में यथा–सम्मिलित राज्य के नीति–निर्देशक सिद्धांत से शक्ति तथा भावना प्राप्त करता है। ये केवल नियोक्ता अथवा नियोक्ता तथा कर्मचारी के संयुक्त अंशदान के आधार पर अनिवार्य सामाजिक सुरक्षा हितलाभ प्रदान करते हैं। जबकि कर्मचारी को सुरक्षात्मक पात्रता उपार्जित होती है, अनुपालन की जिम्मेदारी मुख्य रूप से नियोक्ता के पास रहती है।

सामाजिक सुरक्षा कानून

6.2 भारत में संगठित क्षेत्र के लिए अधिनियमित मूल सामाजिक सुरक्षा कानून हैं :

- कर्मचारी राज्य बीमा निगम अधिनियम, 1948;
- कर्मचारी भविष्य निधि तथा विविध प्रावधान अधिनियम, 1952 (कोयला खदानों तथा असम राज्य में चाय बागानों में कार्यरत श्रमिकों तथा नाविकों के लिए पृथक भविष्य निधि विधान अस्तित्व में है)
- कर्मचारी प्रतिकर अधिनियम 1923
- प्रसूति प्रसुविधा अधिनियम, 1961
- उपदान संदाय अधिनियम, 1972

सामाजिक सुरक्षा अधिनियम का प्रशासन

6.3 कर्मचारी प्रतिकर अधिनियम, 1923 के प्रावधानों को अनन्य रूप से राज्य सरकारों द्वारा प्रशासित किया जा रहा है। क.रा.बीमा अधिनियम 1948 के अंतर्गत नकद हितलाभ को केंद्र सरकार द्वारा क.रा.बी. निगम के माध्यम से प्रशासित किया जा रहा है जबकि चिकित्सा हितलाभ राज्य सरकार तथा संघ राज्यक्षेत्र प्रशासन क.रा.बी. निगम के साथ क.रा.बीमा अधिनियम, 1948 के अंतर्गत प्रशासित कर रहे हैं। कर्मचारी भविष्य निधि तथा विविध प्रावधान अधिनियम 1952 को कर्मचारी भविष्य निधि संगठन के माध्यम से भारत सरकार द्वारा प्रशासित किया जाता है। खदान तथा सर्कस उद्योग में प्रसूति प्रसुविधा अधिनियम 1961 के प्रावधान को केंद्र सरकार द्वारा मुख्य श्रम आयुक्त (केंद्रीय) तथा कारखानों, बागानों तथा अन्य स्थापनाओं में राज्य सरकारों द्वारा प्रशासित किया जा रहा है। उपदान संदाय अधिनियम 1972 को केंद्र सरकार द्वारा अपने नियंत्रणाधीन, एक से अधिक राज्य में शाखाओं वाले स्थापनाओं, मुख्य बंदरगाहों, खदानों, तेल–क्षेत्रों और रेल कंपनियों तथा अन्य सभी मामलों में राज्य सरकारों तथा संघ राज्य–क्षेत्र प्रशासन द्वारा प्रशासित किया जाता है। यह अधिनियम कारखानों तथा अन्य स्थापनाओं पर लागू होता है।

कर्मचारी राज्य बीमा अधिनियम, 1948

व्याप्ति

6.4 कर्मचारी राज्य बीमा अधिनियम, 1948 दस या उससे अधिक व्यक्तियों को नियोजित करने वाले कारखानों पर लागू होता है। इस अधिनियम के उपबंध चरणबद्ध ढंग से क्षेत्रवार लागू किए जा रहे हैं। इस अधिनियम में एक समर्थकारी उपबंध शामिल है जिसके अंतर्गत ''उपयुक्त सरकार'' को इस अधिनियम के उपबंधों को स्थापनाओं की अन्य श्रेणियों औद्योगिक, वाणिज्यिक, कृषि या अन्यथा तक विस्तार किए जाने की शक्ति प्रदान की गई है। इन उपबंधों के अंतर्गत राज्य सरकारों ने अधिनियम के उपबंधों का 10 या इससे अधिक कर्मचारियों को नियोजित करने वाली दुकानों, होटलों, रेस्टोरेंटों, पूर्वदर्शन थियेटरों सहित सिनेमा, सड़क, मोटर परिवहन उपक्रमों, समाचार पत्र, स्थापनाओं, शैक्षिक तथा चिकित्सा संस्थाओं तक विस्तार किया है। अधिनियम के अंतर्गत व्याप्त कारखानों और स्थापनाओं के कर्मचारी जो कि 21,000/– प्रतिमाह की मासिक आय

आहरित कर रहे हैं तथा 25,000/– प्रतिमाह आहरित करने वाले अपंग व्यक्ति योजना के अंतर्गत व्याप्त हैं। क.रा.बी. योजना अब 36 राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों में संचालित है। दिनांक 31.03.2019 की स्थिति के अनुसार 3.49 करोड़ बीमाकृत व्यक्ति और करीब 13.56 करोड़ लाभार्थी इस योजना के अंतर्गत व्याप्त हैं।

प्रशासन

6.5 क.रा.बी. योजना एक सांविधिक निकाय अर्थात् कर्मचारी राज्य बीमा निगम (क.रा.बी. निगम) द्वारा प्रशासित होती है। इसके सदस्यों में नियोक्ताओं, कर्मचारियों, केन्द्र तथा राज्य सरकारों, चिकित्सा व्यवसाय तथा संसद के प्रतिनिधि शामिल हैं। केन्द्रीय श्रम और रोजगार मंत्री इसके अध्यक्ष हैं। निगम के सदस्यों में से गठित एक स्थायी समिति इस योजना के प्रशासन के लिए अधिशासी निकाय के रूप में कार्य करती है और इसकी अध्यक्षता सचिव, श्रम और रोजगार मंत्रालय, भारत सरकार करते हैं। इसमें 26 क्षेत्रीय बोर्ड और 251 स्थानीय समितियां अस्तित्व में हैं। महानिदेशक निगम के मुख्य कार्यपालक अधिकारी हैं तथा वे निगम के साथ–साथ स्थायी समिति के भी पदेन सदस्य हैं। क.रा.बी. निगम का मुख्यालय दिल्ली में स्थित है। निगम के देशभर में 64 फील्ड कार्यालय/24 क्षेत्रीय कार्यालय, 40 उप क्षेत्रीय कार्यालय हैं। इसके अतिरिक्त बीमाकृत व्यक्तियों को नकद हितलाभ प्रदान करने हेतु 608 शाखा कार्यालय 29 औषधालय–सह–शाखा कार्यालय (डी.सी.बी.ओ.) तथा 185 भुगतान कार्यालय हैं। नए कारखानों/स्थापनाओं के निरीक्षण और व्याप्ति हेतु देशभर में 341 निरीक्षण कार्यालय भी खोले गए हैं।

क.रा.बी. योजना की निधि और प्रचालन

6.6 क.रा.बी. योजना मुख्यतः नियोक्ताओं और कर्मचारियों के अंशदान द्वारा वित्त पोषित है। नियोक्ताओं और कर्मचारियों के अंशदान के हिस्से की दरें उनकी मजदूरी का क्रमशः 3.25% तथा 0.75% हैं। निगम ने राज्य सरकार के लिए चिकित्सा देखरेख व्यय के संबंध में प्रतिपूर्ति की अधिकतम सीमा निर्धारित की है जो कि वर्तमान में 3,000 प्रति बीमाकृत व्यक्ति परिवार इकाई प्रतिवर्ष है। चिकित्सा देखरेख पर खर्च को क.रा.बी. निगम और राज्य सरकार के मध्य अधिकतम सीमा के साथ 7रू1 अनुपात में बांटा जाता है। कुछ शर्तों के अधीन क.रा.बी. अधिनियम की धारा 58(5) के तहत राज्यों द्वारा राज्य स्वायत्त निकायों का सृजन आरंभ किया गया है जहां अधिकतम सीमा तक व्यय का 100: वहन करने का अतिरिक्त प्रोत्साहन दिया जाना प्रस्तावित है। क.रा.बी. अस्पतालों और अन्य भवनों के अनुरक्षण सहित उनके निर्माण पर सभी पूंजीगत व्यय का वहन पूरी तरह निगम द्वारा किया जाता है।

दिनांक 19.02.2019 को आयोजित 177वीं बैठक में अनुमोदित निगम संकल्प के अनुसार वर्ष 2019–20 से क.रा.बी. निगम 3 वर्षों की उच्चतम सीमा तक पूरा खर्च करेगा और राज्य सरकारों को इस अवधि के दौरान उनके अंश का 1/8 भाग खर्च करने की आवश्यकता नहीं होगी।

निवेश

6.7 क.रा.बी. अधिनियम के तहत प्राप्त सभी अंशदान तथा निधि से संबंधित अन्य धन, जिसकी दैनंदिन अदायगी हेतु तत्काल आवश्यकता नहीं होती उसे क.रा.बी. (केंद्रीय) नियमों के नियम 27 के तहत निर्धारित रीति से निवेश किया जाता है। मार्च, 2019 तक क.रा.बी. निगम निधियों को सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों में सावधि जमा में निवेश किया जा रहा था। अप्रैल, 2019 से क.रा.बी. निगम की निवेश नीति के तहत क.रा.बी. निगम द्वारा नियुक्त पोर्टफोलियो प्रबंधक द्वारा निवेश किए जा रहे हैं। दिनांक 30.09.2019 की स्थिति के अनुसार निधि का कुल निवेश 99,165.22 करोड़ रुपये था। जिसमें केंद्र सरकार के विशेष जमा खाते में निवेश की गई 15,730.17 करोड़ की राशि शामिल है।

क.रा.बी. देयों का बकाया

6.8 दिनांक 31.03.2019 की स्थिति के अनुसार 3108.65 करोड़ की राशि व्याप्त कारखानों/स्थापनाओं के नियोक्ताओं द्वारा चूक किए जाने के कारण बकाया थी। इसमें से 1465.29 करोड़ की राशि वर्तमान में विभिन्न कारणों जैसे कारखानों का परिसमापन में चले जाने, बी.आइ.एफ.आर./एन.सी.एल.टी. मामले, नियोक्ताओं का अता–पता नहीं होने, न्यायालयों में वसूली विवादित होने इत्यादि के कारण वसूली योग्य नहीं है। 1643.36 करोड़ की राशि वसूली योग्य बकाया है। क.रा.बी.निगम देयों की वसूली के लिए कर्मचारी राज्य बीमा अधिनियम, 1948 के विभिन्न उपबंधों

तथा भारतीय दंड संहिता के अंतर्गत वसूली तंत्र, कानूनी और दंडात्मक कार्रवाइयों द्वारा आवश्यक वसूली कार्रवाई कर रहा है।

क.रा.बी. योजना के अंतर्गत स्वास्थ्य तथा नकद हितलाभ

6.9 कर्मचारी राज्य बीमा योजना चिकित्सा देखभाल, उपचार, दवाएं व मरहम पट्टियां, विशेषज्ञ परामर्श और बीमाकृत व्यक्तियों तथा उनके आश्रितजनों को अस्पताल में भर्ती की व्यापक सेवा उपलब्ध कराती है।

बीमा योग्य रोजगार में आने के दिन से बीमाकृत व्यक्ति और उसके आश्रितजन चिकित्सा हितलाभ के पात्र हैं। बीमाकृत व्यक्ति और उनके परिवारों को रोगियों की आवश्यकतानुसार चिकित्सा देखभाल उपलब्ध कराई जा रही है जिसमें बाह्य रोगी विभाग देखभाल/अंतरंग रोगी देखभाल, विशेषज्ञ चिकित्सा देखभाल और अति विशिष्टता चिकित्सा देखभाल शामिल हैं। इसके अतिरिक्त आयुष के तहत भी अर्थात् आयुर्वेद, योग, यूनानी, सिद्धा और होम्योपैथी चिकित्सा सुविधाएं उपलब्ध कराई जा रही हैं।

लाभार्थियों को चिकित्सा देखरेख एक वृहद अवसंरचना के माध्यम से दी जा रही है जिसमें अस्पताल, औषधालय, एनेक्सी, विशेषज्ञता केंद्र, आदर्श औषधालय–सह–निदान केंद्र (एम.डी.डी.सी.), बीमा चिकित्सा व्यवसायी क्लिनिक, आशोधित बीमा चिकित्सा व्यवसायी तथा आशोधित नियोक्ता उपयोगन औषधालय एवं अन्य स्वास्थ्य संस्थान शामिल है। प्रदत्त चिकित्सा सेवाओं की परिधि में निवारक, प्रोत्साहक, उपचारात्मक तथा पुनर्वास सेवाएं व्याप्त हैं। अंतरंग रोगी सेवाएं कर्मचारी राज्य बीमा अस्पतालों तथा टाइ–अप अस्पतालों के साथ नामिकायन तथा सरकारी अस्पतालों के माध्यम से प्रदान की जाती हैं।

चिकित्सा शिक्षा पर पैरा

निगम ने क.रा.बी. योजना के अंतर्गत प्रदान की जा रही सेवाओं की गुणवत्ता में सुधार के लिए इसके परा–चिकित्सा स्टाफ तथा अन्य कर्मचारियों के लिए चिकित्सा महाविद्यालयों, दंत्य महाविद्यालयों, नर्सिंग महाविद्यालयों तथा प्रशिक्षण संस्थानों की स्थापना का निर्णय किया है। तदनुसार, विभिन्न स्थानों में चिकित्सा शिक्षा प्रोजेक्ट की स्थापना की गई है। क.रा.बी. निगम द्वारा संचालित प्रोजेक्ट सेट–अप निम्नलिखित हैं :–

स्नातकोत्तर–संस्थान

राजाजी नगर, बेंगलुरु (कर्नाटक); के.के. नगर, चेन्नै (तमिलनाडु); जोका–कोलकाता (पश्चिम बंगाल); माणिकतला, कोलकाता (पश्चिम बंगाल); बसईदारापुर (नई दिल्ली) और अंधेरी (पूर्व) मुंबई स्थित 06 स्नातकोत्तर आयुर्विज्ञान एवं अनुसंधान संस्थानों में स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम संचालित किए जा रहे हैं।

चिकित्सा महाविद्यालय

क.रा.बी. निगम ने राजाजी नगर, बेंगलुरु (कर्नाटक); के.के. नगर, चेन्नै (तमिलनाडु); जोका, कोलकाता (पश्चिम बंगाल); गुलबर्गा (कर्नाटक); फरीदाबाद (हरियाणा) और सनत नगर, हैदराबाद (तेलंगाना) में 06 चिकित्सा महाविद्यालयों की स्थापना की है और संचालन कर रहा है।

वर्ष 2017 में एम.बी.बी.एस. पाठ्यक्रम की मान्यता प्राप्त होने के बाद शैक्षिक वर्ष 2019–20 में स्नातक (एम.बी.बी.एस.) छात्रों के तीसरे बैच को क.रा.बी. निगम चिकित्सा महाविद्यालय, राजाजी नगर, बेंगलुरु में प्रवेश दिया गया था। वर्ष 2018 में एम.बी.बी.एस. पाठ्यक्रम की मान्यताप्राप्त होने के बाद स्नातक (एम.बी.बी.एस.) छात्रों के द्वितीय बैच को भी के.के. नगर, चेन्नैय जोका, कोलकाता और गुलबर्गा, कर्नाटक के क.रा.बी. निगम चिकित्सा महाविद्यालय में प्रवेश दिया गया था।

एम.बी.बी.एस. छात्रों के पांचवें बैच को क.रा.बी. निगम चिकित्सा महाविद्यालय, फरीदाबाद, हरियाणा और एम.बी.बी.एस. छात्रों के चौथे बैच को क.रा.बी. निगम चिकित्सा महाविद्यालय, सनत नगर, हैदराबाद में प्रवेश दिया गया था।

दंत्य महाविद्यालय

क.रा.बी. निगम, रोहिणी, दिल्ली और गुलबर्गा, कर्नाटक में 02 दंत्य महाविद्यालय का संचालन कर रहा है। वार्षिकी रूप से 50 दाखिले के साथ रोहिणी, नई दिल्ली के दंत्य महाविद्यालय ने अपनी स्थापना के 10वें वर्ष में प्रवेश किया

है। बी.डी.एस. छात्रों के तीसरे बैच (2018–19) को क.रा.बी. निगम दंत्य महाविद्यालय, गुलबर्गा में प्रवेश दिया गया था।

नर्सिंग महाविद्यालय

क.रा.बी. निगम इंदिरा नगर, बेंगलुरु, कर्नाटक और गुलबर्गा, कर्नाटक में 02 नर्सिंग महाविद्यालयों का संचालन कर रहा है। 40 वार्षिक दाखिले के साथ क.रा.बी. निगम नर्सिंग महाविद्यालय, इंदिरा नगर, बेंगलुरु वर्ष 2013–14 में और क.रा.बी. निगम नर्सिंग महाविद्यालय, गुलबर्गा, कर्नाटक वर्ष 2015–16 में प्रारंभ किया गया।

चिकित्सा शिक्षा के संबंध में क.रा.बी. निगम द्वारा किए गए निर्णय का पुनर्विलोकन करने के कारण पेरीपल्ली, कोयम्बतूर और मंडी में प्रस्तावित चिकित्सा महाविद्यालयों को संबंधित राज्य सरकारों को हस्तांतरित किया गया है जिन्होंने अपने स्थान पर एम.बी.बी.एस. पाठ्यक्रम आरंभ किया है।

इस दौरान क.रा.बी. निगम ने प्रस्तावित चिकित्सा महाविद्यालय, अलवर, राजस्थान और बिहटा, पटना (बिहार) के संबंधित अस्पताल में चिकित्सा सेवाएं आरंभ कर दी है।

कर्मचारी भविष्य निधि संगठन

6.10 कर्मचारी भविष्य निधि संगठन श्रम और रोजगार मंत्रालय, भारत सरकार के अंतर्गत एक स्वायत्त निकाय है जो कर्मचारी भविष्य निधि और प्रकीर्ण उपबंध अधिनियम, 1952 तथा उसके अंतर्गत बनाई गई योजनाओं को प्रशासित करता है। क.भ.निधि और प्रकीर्ण उपबंध अधिनियम, 1952 एक कल्याणकारी विधान है जिसका प्रवर्तन कारखानों तथा अन्य स्थापनाओं में कार्यरत कर्मचारियों के लिए भविष्य निधि, पेंशन निधि तथा निक्षेप संबद्ध बीमा निधि की स्थापना के उद्देश्य से किया गया है। अधिनियम का उद्देश्य औद्योगिक कर्मचारी तथा उनके परिवारों, को उनके संकट में औरध्या पारिवारिक तथा सामाजिक दायित्व पूरा करने में असमर्थ होने पर और वृद्धावस्था अपंगता, कमाने वाले की समय–पूर्व मृत्यु तथा उसी प्रकार की आकस्मिकताओं में उन्हें संरक्षण प्रदान करने के लिए सामाजिक सुरक्षा तथा समय पर आर्थिक सहायता प्रदान करना है।

कर्मचारी भविष्य निधि एवं प्रकीर्ण अधिनियम, 1952 के अंतर्गत बनाई गई योजनाएं

6.11 अधिनियम के अंतर्गत निम्नलिखित तीन योजनाओं को तैयार किया गया है :–

(i) कर्मचारी भविष्य निधि योजना, 1952 (क.भ.नि.)–(01 नवम्बर, 1952 से प्रभावी)

भविष्य निधि एक परिलक्षित अंशदान योजना पर आधारित है जहां कर्मचारी और नियोजक दोनों अपने अनिवार्य अंश प्रदान करते हैं।

(ii) कर्मचारी पेंशन योजना, 1995 (ई.पी.एस.)–(16 नवम्बर, 1995 से प्रभावी)

{कर्मचारी परिवार पेंशन योजना, 1971 को बदलते हुए}

"परिलक्षित अंशदान" और "परिभाषित हितलाभ" के संयोजन से पेंशन योजना का निर्माण होता है। कर्मचारी को इस योजना के लिए अंशदान नहीं देना होता है।

(iii) कर्मचारी जमा लिंक बीमा योजना, 1976 (ई.डी.एल. आई.)–(01 अगस्त, 1976 से प्रभावी)

बीमा योजना एक निक्षेप सहबद्ध योजना है जो कर्मचारियों से किसी भी अंशदान के बिना 6,00,000/– रुपये तक के हितलाभों हेतु उपबंध करता है।

स्थापनाओं और सदस्यों की व्याप्ति

6.12 वर्तमान में, यह अधिनियम इस अधिनियम की अनुसूची 1 में विनिर्दिष्ट स्थापनाओं या सरकारी राजपत्र में केंद्रीय सरकार द्वारा अधिसूचित किसी भी कार्यकलाप और बीस या अधिक व्यक्तियों को नियोजित करने वाले कारखानों/श्रेणियों पर लागू होता है। अनिवार्य व्याप्ति हेतु उपबंध के अतिरिक्त स्वैच्छिक व्याप्ति हेतु भी अधिनियम की धारा 1(4) के अंतर्गत उपबंध मौजूद है। 31.03.2019 की स्थिति के अनुसार छूट प्राप्त तथा गैर–छूट प्राप्त दोनों क्षेत्रकों में अधिनियम के अंतर्गत 12,34,282 स्थापनाएं तथा कारखाने व्याप्त हैं जिनकी सदस्यता 22.92 करोड़ है। दिनांक 01.09.2014 से एक कर्मचारी का व्याप्त स्थापना में कार्यग्रहण करने और 15,000/– रुपये तक की मजदूरी

प्राप्त करने के मामले में निधि का सदस्य होना अपेक्षित है। अक्टूबर, 2019 के दौरान अधिनियम के अंतर्गत व्याप्त 5,21,373 स्थापनाओं से 4.86 करोड़ सदस्यों के लिए अंशदान प्राप्त किया गया।

अधिनियम के अंतर्गत संचयी आधारभूत निधि

6.13 दिनांक 31 मार्च, 2019 तक की स्थिति के अनुसार छूट प्राप्त भविष्य निधि न्यास द्वारा प्रबंधित आधारभूत निधि सहित क.भ.नि.सं. द्वारा प्रशासित सभी तीनों योजनाओं की संचयी निवेश आधारभूत निधि 15,74,406.24 करोड़ (अनंतिम) है।

ब्याज की दर

6.14 वर्ष 2018–19 के संबंध में कर्मचारी भविष्य निधि में सदस्यों द्वारा जमा की गई राशि पर घोषित ब्याज की दर 8.65: थी (मासिक वर्तमान शेष पर)।

कर्मचारी भविष्य निधि योजना, 1952

सदस्यों को सेवा

6.15 कर्मचारी भविष्य निधि योजना का सदस्य सेवा छोड़ने पर उसके खाते में रखी राशि को ब्याज सहित आहरित करने का हकदार है। वर्ष 2018–19 के दौरान 163.78 लाख क.भ.नि. दावों का निपटान किया गया। आकस्मिकताएं जैसे बीमारी, बेरोजगारी, अशक्तता तथा स्वयं, बच्चों का विवाह अथवा बच्चों की उच्च शिक्षा तथा आवास–गृह का निर्माण जैसी उनकी सामाजिक जिम्मेदारियों की पूर्ति के लिए भी वित्तीय सहायता प्रदान करने हेतु योजना भविष्य निधि खाते से आंशिक आहरण भी उपलब्ध कराती है। वित्तीय वर्ष के अंत में सदस्य अपने क.भ.निधि खाते में मौजूद राशि का वार्षिक विवरण प्राप्त करने का भी हकदार है।

कर्मचारी पेंशन योजना, 1995

6.16 कर्मचारी पेंशन योजना 1995 दिनांक 16.11.1995 से शु: की गई।

6.17 यह योजना नियोक्ता के अंश से भविष्य निधि अंशदान के 8.33% तथा केंद्रीय सरकार द्वारा कर्मचारी की मूल मजदूरी का 1.16% की दर के अंशदान अंतरण द्वारा वित्त पोषित होती है। सीज्ड इंप्लॉईज फैमिली पेंशन फंड की सभी संचयित राशि पेंशन फंड का विधान करती है।

पेंशन स्कीम के अंतर्गत हितलाभ

6.18 कर्मचारी पेंशन योजना 1995 सदस्यों तथा उनके परिजनों को निम्नलिखित हितलाभ उपलब्ध कराती है :–

- मासिक सदस्य पेंशन
- नि:शक्तता पेंशन
- विधवा/विधुर पेंशन
- संतान पेंशन
- अनाथ पेंशन
- दिव्यांग संतान/अनाथ पेंशन
- नामिति पेंशन
- आश्रित माता–पिता पेंशन
- आहरण हितलाभ

6.19 वर्ष 2018–19 के दौरान कर्मचारी भविष्य निधि संगठन द्वारा निपटान किए गए पेंशन दावों (सभी हितलाभों) का वर्ग–वार ब्योरा निम्नलिखित तालिका में दर्शाया गया है:–

दावों का वर्ग	निपटान किए गए दावों की संख्या
मासिक पेंशन हितलाभ	3.24 लाख
मासिक पेंशन के अलावा	44.95 लाख
कुल	48.19 लाख

पेंशन प्रभाग

पेंशनभोगी

6.20 कर्मचारी पेंशन योजना (ईपीएस) ने अपने आरंभ से लेकर अब तक हितलाभार्थियों के मामले में तीव्र गति से प्रगति की है। पिछले पांच वर्षों में योजना के अंतर्गत लाभान्वित होने वाले पेंशनभोगियों के मामले की समग्र वृद्धि–दर में 5%–10% से भी अधिक की वर्ष–दर–वर्ष

वृद्धि हुई है। पिछले पांच वर्षों में पेंशनभोगियों की संख्या में वृद्धि तालिका तथा ग्राफ में नीचे दी गई है:

कर्मचारी पेंशन योजना, 1995 के अंतर्गत विभिन्न श्रेणियों में पेंशन का वितरण							
वर्ष	सदस्य पेंशन	विवाहिती पेंशन	संतान पेंशन	नामिति पेंशन	माता–पिता पेंशन	अनाथ पेंशन	कुल पेंशनभोगी
2014–15	3566857	890537	586935	10069	19884	30115	5104397
2015–16	3783251	930372	574137	10058	23038	36925	5357781
2016–17	3875335	1139764	570519	12300	31261	20618	5649797
2017–18	4211685	1431613	556510	10562	41740	21080	6273190
2018–19	4325413	1477583	573580	10538	43264	21368	6451746

6.21 पेंशनभोगियों के मध्य, सदस्य पेंशनभोगियों की श्रेणी में सदस्य पेंशनभोगियों की संख्या कुल पेंशनभोगियों की संख्या का लगभग 67% और विवाहिती पेंशन और संतान पेंशन कुल पेंशनभोगियों की संख्या का लगभग 32% है। वर्ष 2018–2019 में पेंशनभोगियों का वितरण नीचे दिए गए आंकड़ों आकृति में दर्शाया गया है: –

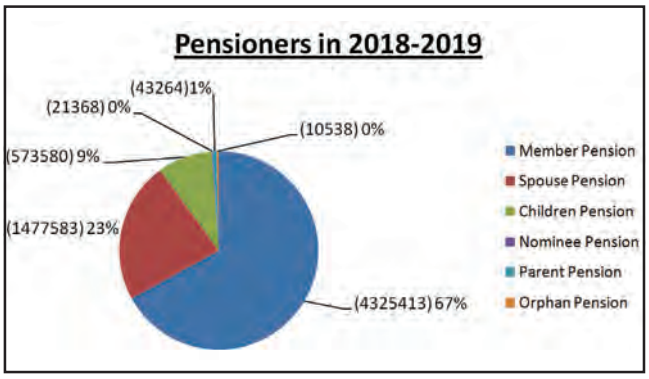

कर्मचारी पेंशन योजना निधि प्राप्तियां, भुगतान और कोष

6.22 पेंशनभोगियों की संख्या में वृद्धि के साथ पेंशन के रूप में संवितरित राशि में भी पिछले कुछ वर्षों में निरंतर वृद्धि पायी गई है। हालांकि, निधि के मूल्यांकन में प्रक्षेपित बीमांकिक घाटा होने के बावजूद भी इस निधि में अब तक नकदी प्रवाह की कोई भी समस्या सामने नहीं आई है। पिछले पांच वर्षों में कर्मचारी पेंशन योजना से संबंधित खर्च का विवरण इस प्रकार है:

कर्मचारी पेंशन योजना भुगतान (करोड़ों रू में)			
वर्ष	पेंशन का संवितरण	आहरण लाभ	कुल
2014–2015	7, 212.53	5,388.41	12,600.94
2015–2016	8, 263.04	5, 282.13	13,545.17
2016–2017	9, 212.25	6, 297.98	15,510.23
2017–2018	9,844.81	7,471.42	17,316.23
2018–2019	10,966.28	6,983.94	17,950.22

कर्मचारी पेंशन योजना भुगतान (करोड़ों रू में)

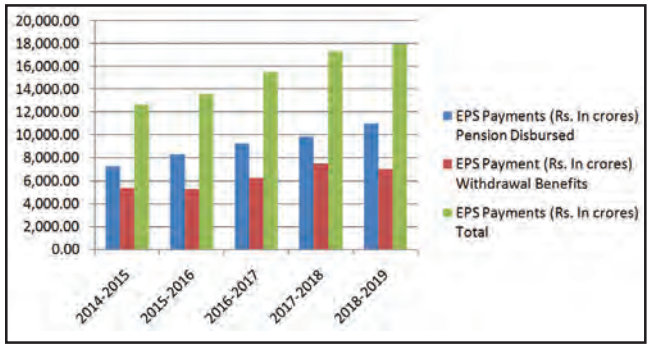

6.23 पेंशन तथा आहरण हितलाभ भुगतानों में वृद्धि के साथ–साथ सदस्यता में वृद्धि सहित मजदूरी में सामान्य वृद्धि के कारण इसकी प्राप्तियों और कोष में भी निरंतर वृद्धि हुई है। पिछले पांच वर्षों में प्राप्तियों और कोष में वृद्धि को नीचे तालिका और ग्राफ में दर्शाया गया है–

पेंशन निधि प्राप्तियां और कोष					(करोड़ों रू में)
वर्ष	अंशदान (नियोक्ता का अंश)	अंशदान (सरकार का अंश)	वर्ष के दौरान प्राप्त कुल अंशदान	ब्याज	वित्तीय वर्ष के अंत में कोष
2014–15	21,951.70	2, 299.80	24, 251.50	19,097.28	2,38,531.84
2015–16	29,026.88	3, 280.20	32,307.08	21,662.14	2,77,077.20
2016–17	32, 108.65	4, 284.80	36,393.45	25,381.19	3, 18,412.38
2017–18	36,618.23	5,757.42	42,375.65	30, 260.66	3,93,604.40
2018–19	40, 259.74	6,401.90	46,661.64	21,589.62	4, 14,687.98

पेंशन निधि प्राप्तियां और कोष

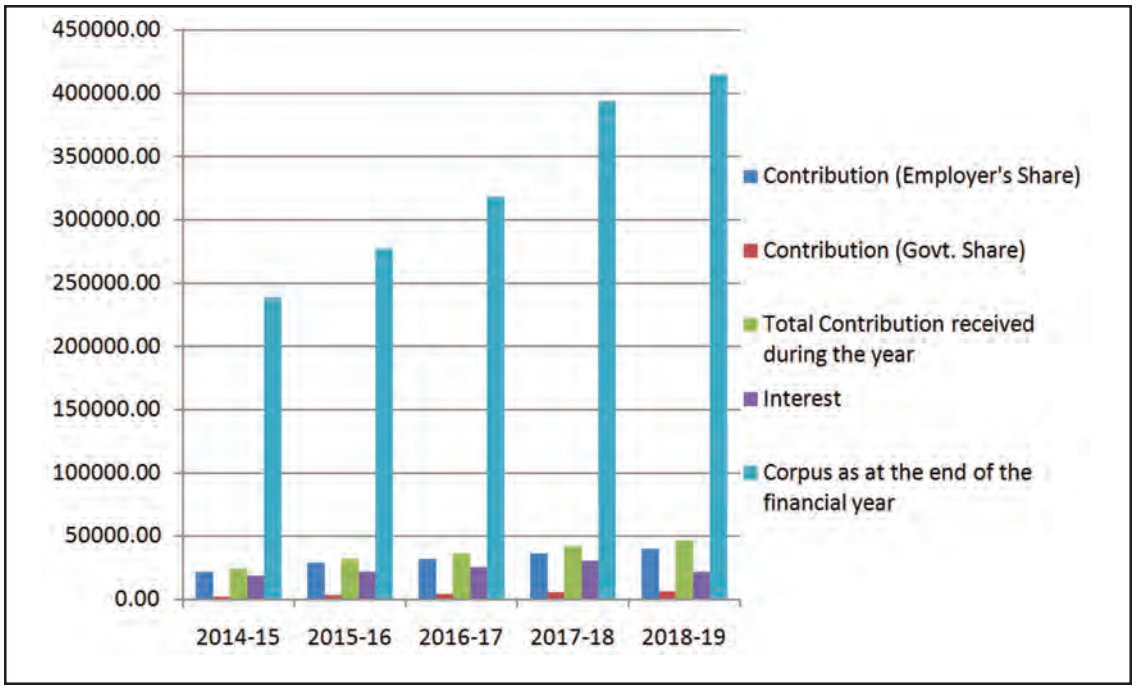

6.24 कर्मचारी पेंशन योजना के संचित कोष में सतत वृद्धि हुई है और वर्ष 2014–15 से कोष में लगभग 73.85 प्रतिशत तक की वृद्धि हो गई है। प्रारंभ से ही निधि में निरंतर भुगतान की अपेक्षा प्राप्तियां अधिक रही हैं एवं पिछले पांच वर्षों की स्थिति उपर्युक्त सारणी एवं ग्राफ में दर्शायी गयी है।

न्यूनतम पेंशन के प्रावधान लागू करना

6.25 वर्ष 2014–15 के दौरान लंबे समय से प्रतीक्षित मांगों में से एक न्यूनतम पेंशन की मांग को प्रभावी किया गया। केन्द्रीय सरकार ने दिनांक 19.08.2014 को अधिसूचना संख्या 593 (ई) जारी की जिसमें सदस्य/विधवा/विधुर/दिव्यांग/नामिती/पेंशनभोगी/आश्रित माता–पिता के लिए रू 1000/– प्रतिमाह न्यूनतम पेंशन, अनाथ पेंशनभोगी रू 750/–प्रतिमाह एवं संतान पेशनभोगी को रू 250/– प्रतिमाह न्यूनतम पेंशन का प्रावधान है।

6.26 अधिसूचना के तुरंत बाद, संशोधित पेंशन का भुगतान शुरू करने हेतु एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर में आवश्यक संशोधन किए गए। संशोधित न्यूनतम लागू पेंशन का भुगतान सितंबर 2014 से शुरू चुका है। प्रभावी पेंशनभोगियों एवं पिछले तीन वर्षों में उनको वितरित (भुगतान) की गई राशि के विवरण इस प्रकार है:–

वर्ष	लाभान्वित पेंशनभोगियों की संख्या	वास्तविक पेंशन के अनुसारभुगतान की गई राशि (करोड़ रू में)	न्यूनतम पेंशन की अधिसूचना के अनुसार भुगतान की गई राशि (करोड़ रू में)	अंतर राशि (करोड़ रू में)
2016–17	18,34,624	1,333.63	2, 146.69	813.06
2017–18	17, 21,904	1,342.47	2, 177.30	834.83
2018–19	19,07,670	1,433.69	2,354.16	920.47

कर्मचारी पैंशन योजना, 1995 का बीमांकिक मूल्यांकन:–

6.27 कर्मचारी पैंशन योजना, 1995 परिभाषित हितलाभ एवं परिभाषित अंशदान की संयुक्त विशेषताओं सहित एक वित्तपोषित योजना है। तदनुसार, यह योजना भुगतान योग्य अंशदान के साथ–साथ स्वाकार्य हितलाभों की दर को भी निर्धारित करती है। कर्मचीरी पैंशन योजना, 1995 के पैरा संख्या 32 के अंतर्गत, केन्द्र सरकार द्वारा नियुक्त मूल्यांकनकर्ता द्वारा कर्मचारी पेंशन निधि के वार्षिक मूल्यांकन का प्रावधान किया गया है।

6.28 वर्ष 2017–18 एवं 2018–19 के लिए कर्मचारी पेंशन निधि के 22 वें एवं 23वें मूल्यांकन हेतु बीमांकक की नियुक्ति की प्रक्रिया शुरू की जा चुकी है।

पेंशन का संवितरण:–

6.29 वर्तमान में पेंशन का वितरण पेंशन संवितरण बैंकों की कोर बैंकिंग प्रणालीप प्लेटफार्म का प्रयोग करके किया जा रहा है। क्षेत्र कार्यालयों को पेंशनभोगियों के खातों में पेंशन माह के प्रथम कार्यदिवस को जमा किया जाना सुनिश्चित करने हेतु निदेश जारी किए गए।

6.30 मासिक पेंशन हितलाभ का संवितरण बैंको के शाखा तंत्र, जिनसे करार किया जा चुका है, के माध्यम से किया जाता है। क्षेत्रीय कार्यालयों ने इस उद्देश्य की पूर्ति के लिए राष्ट्रीय वाणिज्यिक बैंकों के साथ मिलकर करार किया है। सम्पूर्ण भारत में पेंशन एवं अन्य हितलाभों का संवितरण करने के लिए केन्द्रीकृत पैंशन संवितरण की व्यवस्था हेतु एच.डी.एफ.सी. बैंक, आई.सी.आई.सी. बैंक, एक्सिस बैंक एवं डाकघरों के साथ भी करार किया गया है।

कर्मचारी जमा आधारित बीमा योजना:–

6.31 बीमा योजना 1 अगस्त 1976 को प्रभावी हुई। यह योजना नियोक्ता द्वारा नाममात्र अंशदान के द्वारा समर्थित है। बीमा व्याप्ति का लाभ प्राप्त करने के लिए कर्मचारी को किसी अंशदान का भुगतान नहीं करना पड़ता।

अनुप्रयोग एवं व्याप्ति

6.32 बीमा योजना उन सभी फैक्ट्रियों एवं स्थापनाओं पर लागू होती है जिन पर कर्मचारी भविष्य निधि अधिनियम 1952 लागू होता है। वे सभी कर्मचारी जो भविष्य निधि के सदस्य हैं वे इस योजना के भी सदस्य हैं।

योजना के अंतर्गत हितलाभ

6.33 कर्मचारी की मृत्यु की स्थिति में यदि वह मृत्यु के समय योजना का सदस्य है, तो उसे निम्नलिखित हितलाभ प्रदान किए जाते हैं–

(i) परिवार को या तो पूर्ववर्ती 12 माह में अथवा उसकी सदस्यता अवधि के दौरान, जो भी कम हो भविष्य निधि खाते की औसत शेष राशि मिलती है, परंतु जहां औसत शेष 50000 रुपये से अधिक है उन मामलों में देय राशि पचास हजार रूपए व पचास हजार रूपए से अधिक राशि का चालीस प्रतिशत का योग होगी जिसकी अधिकतम सीमा एक लाख रूपए है।

(ii) कर्मचारी की मृत्यु के माह से पूर्ववर्ती 12 माह के दौरान आहरित मासिक मजदूरी (अधिकतम रू 15000/– के शर्ताधीन), तीस गुणा तथा इसमें मृतक के खाते की निधि या अधिनियम की धारा 17 या कर्मचारी भविष्य निधि योजना 1952 के पैरा 27 या 27 क, जैसा भी मामला, के अंतर्गत छूट प्राप्त भविष्य निधि के पूर्ववर्ती बारह मास या उसकी सदस्यता अवधि के दौरान औसत शेष के पचास प्रतिशत का योग, जो भी कम हो, होगा जिसकी अधिकतम सीमा एक लाख पचास हजार रूपए है।

6.34 बशर्ते कि जहाँ सदस्य ने उसी स्थापना में एक वर्ष की निरन्तर सेवा की हो, बीमा हितलाभ दो लाख पचास हजार से कम नहीं होगा तथा 6 लाख रुपए से अधिक नहीं होना चाहिए।

अनुपालन तथा बकाया प्रबंधन –

6.35 नामांकन तथा छूटे हुए पात्र श्रमिकों को कर्मचारी भविष्य निधि संगठन की परिधि के अंतर्गत लाने हेतु जनवरी 2018 से जून 2018 तक एक विशेष पंजीकरण अभियान का शुभारंभ किया गया था। की गई घोषणाओं पर प्रशासनिक प्रभार न लगाना, केवल एक रुपया प्रति वर्ष की दर से नाम मात्र हर्जाना, अभियान अवधि के दौरान पंजीकृत कर्मचारियों के संबंध में यदि कटौती नहीं की गई है, कर्मचारी अंशदान से छूट, नए श्रमिकों को लाभ का पंजीकरण आदि प्रधानमंत्री रोजगार प्रोत्साहन योजना/ प्रधानमंत्री परिधान रोजगार प्रोत्साहन योजना अभियान की मुख्य विशेषताओं में शामिल थे। पंजीकरण अभियान के दौरान, 1,01,31,453 सदस्य (अंशदान सहित) कर्मचारी भविष्य निधि संगठन में पंजीकृत किए गए।

6.36 31 मार्च 2019 को सभी योजनाओं के अंतर्गत रु. 7, 254.15 करोड़ बकाया थे। इसमें से 65.54% अदालतों में रोकी गई राशि होने के कारण तुरंत वसूली योग्य श्रेणी में नहीं थी तथा जिसमें अदालतों द्वारा रोक लगा दी गई थी। बकाया की वसूली के क्रम में, कर्मचारी भविष्य निधि संगठन अधिनियम, 1952 की धारा 8 के प्रावधान के अंतर्गत विभिन्न कार्रवाई करता है। 'तुरंत वसूली योग्य नहीं' श्रेणी के तहत बकाया राशि वसूलने के लिए 'रोक आदेश को हटाने' के लिए कदम उठाए गए हैं। अधिनियम की धारा 14 के अन्तर्गत चूककर्ता नियोक्ताओं के विरूद्ध अभियोजन भी दायर करता है तथा ऐसे मामलों में, जहाँ वे कर्मचारियों का अंशदान काट तो लेते हैं परन्तु उसे निधि में जमा नहीं करवाते, भारतीय दण्ड संहिता की धारा 406/409 के अंतर्गत नियोजकों पर अभियोजन चलाया जाता है। वर्ष 2018–19 के दौरान, छूट प्राप्त तथा गैर छूट प्राप्त, दोनों, स्थापनाओं के अंतर्गत कुल बकाया राशि रु. 8,664.32 करोड़ में से रु. 3,400.03 करोड़ की बकाया राशि वसूल की गई।

प्रधानमंत्री रोजगार प्रोत्साहन योजना(पीएमआरपीवाई)

6.37 प्रधानमंत्री रोजगार प्रोत्साहन योजना (पीएमआरपीवाई) का 9 अगस्त 2016 को शुभारंभ किया गया था।

6.38 औपचारिक क्षेत्र में नई नौकरियों के सृजन को प्रोत्साहित करने के क्रम में, योजना में प्रावधान था कि भारत सरकार कर्मचारी भविष्य निधि योजना, 1952 (कर्मचारी भविष्य निधि संगठन के साथ) के अंतर्गत पंजीकरण करवाने वाले सभी नए कर्मचारियों के लिए रोजगार के पहले तीन वर्ष के लिए 8.33: के कर्मचारी पेंशन योजना

अंशदान का भुगतान भारत सरकार करेगी। इसका उद्देश्य बेरोजगार व्यक्तियों की भर्ती के लिए नियोक्ताओं को प्रोत्साहित करना तथा रोजगार को औपचारिक बनाना था। अर्ध कुशल तथा अकुशल श्रमिकों के लक्ष्य समूह को इस प्रकार अन्तःक्षेप द्वारा दिशा देने के लिए, यह योजना उन पर लागू की गई जिनकी मजदूरी/वेतन रु.15000/– प्रति माह तक हो तथा जिन्होंने 01.04.2016 से पूर्व कर्मचारी भविष्य निधि संगठन से पंजीकृत किसी भी पंजीकृत स्थापना में काम न किया हो तथा दिनांक 01.04.2016 से पूर्व यूएएन न लिया हो। इस योजना के दो फायदे थे जहाँ, एक ओर स्थापना में श्रमिकों के रोजगार आधार को बढ़ाने के लिए नियोक्ता प्रोत्साहित होता है तथा दूसरी ओर, बड़ी संख्या में श्रमिकों को ऐसे प्रतिष्ठान में नौकरियाँ मिलेंगी। एक प्रत्यक्ष लाभ यह है कि इन श्रमिकों के संगठित क्षेत्र के सामाजिक सुरक्षा हितलाभ प्राप्त हो सकेंगे। दोहराव की त्रुटियों की जाँच करने तथा अनैतिक सदस्यों को लाभ उठाने से रोकने के लिए, यह अनिवार्य किया गया था कि लाभार्थियों के यूएएन को आधार के साथ जोड़ा जाए।

6.39 कपड़ा (परिधान) क्षेत्र के मामले में, जहाँ स्थापना पहनने के परिधान के निर्माण से संबंधित थी, नियोजक प्रधानमंत्री परिधान रोजगार प्रोत्साहन योजना (पीएमपीआरपीवाई) के अंतर्गत सरकार द्वारा (8.33% का ईपीएस, 95 अंशदान के भुगतान के अतिरिक्त) कर्मचारी भविष्य निधि अंशदान का नियोजक के हिस्से का 3.67% प्राप्त करने के भी पात्र थे।

6.40 दिनांक 01.04.2018 से नए कार्मिकों के संबंध में 3 वर्ष की अवधि के लिए तथा मौजूदा कार्मिकों की शेष तीन वर्षों की अवधि के लिए ईपीएफ तथा ईपीएस अंशदान के नियोजक भी पूरे हिस्से का (10% या 12% जैसा भी हो) उपलब्ध करवाया गया है। इस प्रकार स्थापनाएं तथा कर्मचारी जिसमें वे प्रधानमंत्री रोजगार प्रोत्साहन योजना तथा प्रधानमंत्री परिधान रोजगार प्रोत्साहन योजना के अंतर्गत दो लाभ प्राप्त कर रहे थे, वे अब दिनांक 01.04.2018 से प्रधानमंत्री रोजगार प्रोत्साहन योजना के अंतर्गत 12% (अथवा 10%) का पूर्ण हितलाभ प्राप्त करने के पात्र हैं। स्थापना के माध्यम से लाभार्थी के पंजीकरण की अंतिम तिथि 31 मार्च 2019 थी।

6.41 योजना को नियोजकों से अच्छी प्रतिक्रिया मिली। यद्यपि प्रारंभ में छोड़ी धीमी गति से, परंतु नियोजक तथा नियोजक संघ तथा नियोक्ता तथा संघ प्रतिनिधि दोनों के साथ सेमिनार व कार्यशाला के संचालन के द्वारा कर्मचारी भविष्य निधि संगठन के क्षेत्र कार्यालय तथा मुख्य कार्यालय द्वारा प्रभावी तथा बड़े पैमाने पर प्रचार से प्रतिक्रिया में तेजी आई तथा पंजीकरण की तारीख तक 185022 स्थापनाओं में योजना के अंतर्गत 13791049 कर्मचारी पंजीकृत हो चुके थे। इनमें से, 145512 स्थापनाओं के 11805003 कर्मचारियों को रु. 43706034526/– की राशि का हितलाभ प्राप्त हो गया। वर्षवार विवरण नीचे दिया गया है :

प्रधानमंत्री रोजगार प्रोत्साहन योजना

वित्तीय वर्ष	हितलाभ प्राप्त कर्मचारी	हितलाभ प्राप्त नियोजक	संवितरित सब्सिडी (करोड़ रु. में)
2016–17	33031	868	25839391
2017–18	3025084	39423	4919573820
2018–19	8746888	144736	38760621315

प्रधानमंत्री परिधान रोजगार प्रोत्साहन योजना

वित्तीय वर्ष	हितलाभ प्राप्त कर्मचारी	हितलाभ प्राप्त नियोजक	संवितरित सब्सिडी (करोड़ रु. में)
2016–17	3900	19	1787994
2017–18	218304	689	187502672
2018–19	46840	781	51668588

6.42 सरकार ने दिनांक 07.03.2019 के अपने आदेश दिनांक 23.02.2017 द्वारा योजना संबंधी दिशानिर्देशों को संशोधित किया है। इससे यह प्रभाव हुआ है कि विशेष वेतन माह के लिए प्रधानमंत्री रोजगार प्रोत्साहन योजना के अंतर्गत अग्रिम लाभ प्राप्त करने के लिए किसी भी स्थापना के लिए अब यह अनिवार्य है कि आगामी माह की 15 तारीख तक ईसीआर फाइल कर दी जाए।

6.43 एसीसी (मुख्यालय) प्रधानमंत्री रोजगार प्रोत्साहन योजना (पीएमआरपीवाई) और समवर्ती अंकेक्षण सेल की सहायता के साथ–साथ आईएस डिवीजन की पहल पर, पीएमआरपीवाई योजना के अंतर्गत लाभार्थियों के डाटा की जांच की गई और लाभार्थियों के पैन, आधार, नाम, पिता का नाम, जन्म तिथि और लिंग जैसे विभिन्न मापदंडों के आधार पर दिनांक 01.04.2016 से पहले मौजूद सदस्यों के विरासती डेटा के साथ उसी को वैधता प्रदान कर दी गई। नतीजतन डुप्लिकेट मामलों की एक बड़ी संख्या पाई गई, जिन पर पीएमआरपीवाई योजना के तहत पात्र लाभार्थी होने का संदेह था। ऐसे खातों को अवरुद्ध कर दिया गया और संदिग्ध यूएएन के संबंध में पीएमआरपीवाई योजना के तहत लाभान्वित होने की आगे की गति रोक दिया गया।

6.44 ऐसे मामलों की सूचियों को उनकी प्रामाणिकता के सत्यापन और प्रमाणन के लिए संबंधित प्रतिष्ठानों के लॉगिन में डाला गया। संबंधित क्षेत्रीय भविष्य निधि आयुक्तों द्वारा सभी संबंधित प्रतिष्ठानों को इस आशय का एक नोटिस भी इस अनुरोध के साथ जारी किया गया था कि वे या तो अपनी प्रामाणिकता की पुष्टि करें या उन मामलों को स्थायी रूप से अवरुद्ध करें।

6.45 वित्त वर्ष 2018–19 के अंत तक, उनके पुनः प्रतिलिपिकरण (डी–डुप्लीकेशन) को समाप्त करने कार्य प्रगति पर था जिसमें प्रधानमंत्री रोजगार प्रोत्साहन योजना (पीएमआरपीवाई) के अंतर्गत पंजीकृत लगभग 9 (नौ) लाख यूनिक प्राधिकार संख्याओं (यूएएनज) का सत्यापन शामिल था।

पात्रता

- कोई भी प्रतिष्ठान जो क.भ.निधि संगठन (ईपीएफओ) के साथ पंजीकृत हो और उसके पास लॉगिन नम्बर (लिन) हो
- कोई भी नया कर्मचारी
- 01–अप्रैल –2016 को या उसके बाद क.भ.निधि संगठन से पंजीकृत हो
- 01–अप्रैल –2016 के बाद यूनिक प्राधिकार संख्या (यूएएन) सृजित की गई हो
- आधार के साथ यूनिक प्राधिकार संख्या को जोड़ा गया हो
- रू. 15,000/– प्रति माह (और सहित) तक की आमदनी हो।
- यदि अन्य शर्तें संतुष्ट करती हो तो नौकरी बदलने पर भी एक कर्मचारी के लिए लाभ जारी रहेगा
- योजना में शामिल होने की पहली तारीख से एक कर्मचारी के लिए अधिकतम 3 साल तक लाभ देय होगा।

v नीतिगत में परिवर्तन

6.46 अधिक पारदर्शिता लाने और शिकायतों को कम करने के लिए ये पहले भी की गई है: –

6.47 भविष्य निधि की निकासी के समय ग्राहकों को आंकलन पत्रक प्रदान करने तथा पेंशनरों को भी स्वीकृत पेंशन के संबंध में आंकलन पत्रक प्रदान करने के लिए दिशा–निर्देश जारी किए गए हैं।

कर्मचारी प्रतिकर अधिनियम, 1923

6.48 कर्मचारी प्रतिकर अधिनियम, 1923 को पहले कर्मकार प्रतिकर अधिनियम के नाम से जाना जाता था। यह एक पुराना परंतु महत्वपूर्ण अधिनियमन है क्योंकि इससे देश के कामगारों के लिए एक विशेष सामाजिक सुरक्षा योजना शुरू की गई। यह कर्मचारी को और कर्मचारी की मृत्यु होने पर उसके आश्रितों को सक्षम बनाता है और रोजगार चोट के लिए नियोक्ता की लागत पर क्षतिपूर्ति प्रदान करता है।

6.49 अधिनियम का मुख्य उद्देश्य ऐसी व्यवस्था प्रदान करना है जिसमें रोजगार के दौरान हुई दुर्घटना से कर्मचारी को चोट लगने पर उन्हें प्रतिपूर्ति का भुगतान नियोक्ता द्वारा किया जाएगा। यदि रोजगार के दौरान कर्मचारी किसी व्यवसायजनित रोग के संपर्क में आता है तो उसे भी दुर्घटना से लगी चोट के समान ही अधिनियम के अंतर्गत माना जाएगा।

6.50 चोट के कारण मृत्यु होने पर 1, 20,000/– रुपये

और निःशक्तता होने पर 1,40,000/– रुपये तक क्षतिपूर्ति की राशि को बढ़ाया गया है। अंत्येष्टि व्यय की राशि को बढ़ाकर 5,000/– रुपये किया गया है। दिनांक 31.05.2010 से क्षतिपूर्ति की गणना के लिए मजदूरी की अधिकतम सीमा 8,000/– रुपये प्रतिमाह है। अधिनियम में किए संशोधन के माध्यम से दिनांक 18.01.2010 से अधिनियम में अंतर्विष्ट किया गया खण्ड सरकार को यह अधिकार देता है कि वह राजपत्र में अधिसूचना द्वारा क्षतिपूर्ति, अंत्येष्टि व्यय एवं मजदूरी की सीमा को बढ़ा सकती है। आयुक्त से संबंधित एक नई धारा 25अ को जोड़ा गया जिसमें वह इस अधिनियम के तहत क्षतिपूर्ति के जुड़े मामलों का संदर्भ की तिथि से तीन माह की अवधि के भीतर निपटान कर लिए गए निर्णय की सूचना देंगे।

6.51 कर्मचारी प्रतिकर (संशोधन) अधिनियम, 2017 में जोड़ी गई धारा 17अ के अनुसार, "प्रत्येक नियोक्ता किसी भी कर्मचारी को रोजगार देते समय तुरंत उसे इस अधिनियम के तहत क्षतिपूर्ति के उसके अधिकार के बारे में लिखित में और साथ ही इलेक्ट्रोनिक माध्यम से अंग्रेजी या हिंदी या रोजगार वाले क्षेत्र की राजभाषा में सूचित करें जिसे कर्मचारी द्वारा भली–भांति समझा गया हो।" इसके आगे, धारा 18अ के तहत अधिनियम के उल्लंघन होने पर अर्थदण्ड की वर्तमान राशि 5,000/– रुपये से बढ़ाकर 50,000/– रुपये की गई है जिसे एक लाख रुपये तक किया जा सकता है। धारा 30 के अनुसार अपील करने के लिए विवाद की राशि को 300/– रुपये से 10,000/– रुपये या केंद्र सरकार द्वारा अधिसूचित उच्चतम राशि को परिशोधित किया गया ताकि मुकदमेबाजी को कम किया जा सके।

प्रसूति हितलाभ अधिनियम, 1961

6.52 प्रसूति हितलाभ अधिनियम, 1961 कारखानों, खदानों, सर्कस उद्योग, वृक्षारोपण एककों और 10 या उससे अधिक व्यक्ति को नियोजित करने वाले दुकानों या स्थापनाओं में नियोजित महिलाओं के लिए शिशु के जन्म से पहले एवं बाद की अवधि के लिए और प्रसूति तथा अन्य हितलाभों के उपबंधों को विनियमित करता है। इसमें कर्मचारी राज्य बीमा निगम (क.रा.बी. अधिनियम 1948) के अंतर्गत व्याप्त कर्मचारियों को शामिल नहीं किया जाता है। यह पूरे भारत में विस्तारित है। महिला कामगारों को अवधि के दौरान कुछ शर्तों के पूर्ण होने पर मातृत्व छुट्टी एवं मौद्रिक लाभों के भुगतान का उपबंध भी करता है जब वे गर्भावस्था के कारण रोजगार में नहीं है। महिला कामगार को कदाचार के मामले को छोड़कर गर्भावस्था के कारण अनुपस्थित रहने पर रोजगार से नहीं निकाला जा सकता। प्रसूति हितलाभ (संशोधन) अधिनियम, 2017 की धारा 5 के संशोधन के अनुसार महिला को दो जीवित संतान तक 26 सप्ताह की अधिकतम अवधि के लिए प्रसूति हितलाभ देय है। गोद लेने वाली/कमीशनिंग माता के लिए और दो से अधिक जीवित संतान के लिए 12 सप्ताह की देय प्रसूति छुट्टी की भी व्यवस्था है। अधिनियम के तहत दिनांक 19.12.2011 से 3,500/– रुपये का चिकित्सा बोनस भी दिया जा रहा है।

उपदान संदाय अधिनियम, 1972

उद्देश्य

6.53 उपदान संदाय अधिनियम, 1972 फैक्ट्रयों, खदानों, तेल–क्षेत्रों, पौधारोपण कायों, पत्तनों, रेलवे कंपनियों, मोटर परिवहन प्रतिष्ठानों, दुकानों या अन्य स्थापनाओं में कार्यरत कर्मचारियों की लगातार कम से कम पांच वर्षों की सेवा के पश्चात् उनकी अधिवर्षिता या उनकी सेवानिवृत्ति या त्यागपत्र या मृत्यु अथवा दुर्घटना या बीमारी से हुई अक्षमता होने पर अनिवार्य उपदान भुगतान की योजना प्रदत्त कराता है। परंतु यह भी कि पांच वर्षों की लगातार सेवा तब अनिवार्य नहीं होगी जहां रोजगार समापन मृत्यु अथवा अक्षमता के कारण समाप्त हुआ हो। उपदान के भुगतान की देयता, उपदान संदाय अधिनियम में विद्यमान प्रावधानों के अनुसार, नियोजक की होगी।

6.54 व्याप्ति

- प्रत्येक कारखाना, खदान, तेल क्षेत्र, पौधारोपण कार्य, पत्तन और रेलवे कंपनी।
- राज्य में दुकानों और स्थापनाओं के संबंध में कुछ समय के लिए लागू किसी भी कानून के अर्थ में प्रत्येक दुकान या स्थापना जहां दस या अधिक व्यक्ति नियोजित हैं या पिछले बारह माह की अवधि में किसी भी दिन नियोजित थे।

- ऐसी अन्य स्थापनाएं या स्थापनाओं की श्रेणियां जहां दस या अधिक कर्मचारी नियोजित हैं या पिछले बारह माह की अवधि में कभी भी नियोजित थे, जैसा कि केंद्र सरकार, अधिसूचना द्वारा इस संबंध में उल्लेख करें।
- एक दुकान या स्थापना एक बार व्याप्त हो जाने के पश्चात् लगातार व्याप्त रहेगी इस बात के बावजूद भी कि इसमें नियोजित व्यक्ति किसी भी समय पर दस से कम हो गए हों।

पात्रता

6.55 प्रत्येक कर्मचारी, प्रशिक्षु को छोड़कर उसकी मजदूरी पर विचार किए बिना उपदान का पात्र होगा जब वह पांच वर्ष अथवा उससे अधिक समय सेवा को पूर्ण कर लेता है। उपदान सेवा के समापन पर या तो (i) अधिवर्षिता पर या (ii) सेवानिवृत्ति पर अथवा त्यागपत्र देने पर या (iii) या मृत्यु या दुर्घटना या बीमारी के फलस्वरूप अक्षमता होने पर देय है। सेवा समापन में छंटनी भी शामिल है। हालांकि पांच वर्ष की लगातार सेवा की अवधि की अनिवार्यता तब अनिवार्य नहीं होगी जब मृत्यु या अक्षमता के कारण सेवा समाप्त हुई हो। किसी कर्मचारी की मृत्यु होने पर उपदान करके उसके नामिती को दिया जाएगा और यदि कोई नामांकन नहीं किया गया है तो उसके उत्तराधिकारियों को दिया जाएगा।

हितलाभों की गणना

6.56 किसी कर्मचारी को सेवा के प्रत्येक वर्ष को पूर्ण करने पर अथवा उसके छः माह से अधिक हो जाने पर अंतिम आहरित मजदूरी की दर से पंद्रह दिन के लिए नियोजक किसी कर्मचारी को उपदान का भुगतान करता है। अधिनियम की धारा 4(3) के अनुसार किसी कर्मचारी को देय उपदान की राशि केंद्र सरकार द्वारा समय–समय पर अधिसूचित की गई राशि से अधिक नहीं होगी। वर्तमान में अधिनियम के तहत यह सीमा 20,00,000/– रुपये है।

प्रशासन

6.57 यह अधिनियम केंद्रीय तथा राज्य सरकारों, दोनों द्वारा लागू किया जाता है। धारा 3 उपयुक्त सरकार को प्राधिकृत करती है कि वह अधिनियम के प्रशासन हेतु किसी अधिकारी को नियंत्रण प्राधिकारी के रूप में नियुक्त करे। खदानों, मुख्य बंदरगाहों, तेल–क्षेत्रों, रेलवे कंपनियों और केंद्रीय सरकार के स्वामित्व वाले या केंद्रीय सरकार के नियंत्रणाधीन स्थापनाओं तथा एक से अधिक राज्य में शाखाओं वाले स्थापनाओं को केंद्रीय सरकार द्वारा नियंत्रित किया जाता है। शेष कारखानों तथा स्थापनाओं को राज्य सरकारों द्वारा देखा जाता है।

6.58 अधिनियम के उपबंधों का अनुपालन सुनिश्चित करने हेतु केंद्रीय/राज्य सरकारें विभिन्न क्षेत्रों के लिए नियंत्रण प्राधिकारी तथा निरीक्षक नियुक्त करते हैं। अधिनियम के उपबंधों हेतु केंद्रीय/राज्य सरकारें नियम भी बनाती हैं। महाराष्ट्र में अधिनियम के प्रशासन हेतु विभिन्न स्थानों में श्रम न्यायालयों को नियंत्रण प्राधिकरण के रूप में अधिसूचित किया गया है।

6.59 माननीय उच्चतम न्यायालय के निर्णय के अनुसरण में अधिनियम के अंतर्गत शिक्षकों को व्याप्त करने हेतु धारा 2(ङ) के अनुसार 'कर्मचारी' की परिभाषा को उपदान संदाय (संशोधित) अधिनियम, 2009 द्वारा दिनांक 31.12.2009 को अधिसूचित किया गया है जो कि भूतलक्षी प्रभाव अर्थात् 3 अप्रैल, 1997 से प्रभावी है।

6.60 दिनांक 29.03.2018 को अधिसूचित उपदान संदाय (संशोधित) अधिनियम, 2018 के परिणामस्वरूप मंत्रालय ने अधिसूचना संख्या सां.आ. 1420(ई), दिनांक 29.03.2018 द्वारा अधिनियम के उपदान की उच्चतम सीमा को 10 लाख रुपये से बढ़ाकर 20 लाख रुपये कर दिया है जो कि भूतलक्षी प्रभाव अर्थात् दिनांक 29.03.2018 से प्रभावी है।

सारणी 6.1

दिनांक 31.03.2019 की स्थिति के अनुसार क.रा.बी. निगम संचालित अस्पताल

क्र.सं.	राज्य	अस्पताल की अवस्थिति
1.	असम	1) बेलतला, गुवाहाटी
2.	बिहार	2) फुलवारीशरीफ, पटना
		3) बिहटा
3.	दिल्ली	4) बसईदारापुर
		5) रोहिणी
		6) झिलमिल
		7) ओखला
4.	गुजरात	8) बापूनगर
		9) नरोड़ा
		10) वापी
		11) अंकलेश्वर
5.	हरियाणा	12) फरीदाबाद (चिकित्सा महाविद्यालय)
		13) गुरुग्राम (गुड़गांव)
		14) मानेसर
6.	हिमाचल प्रदेश	15) बद्दी
7.	जम्मू एवं कश्मीर	16) बरी ब्रह्मणा
8.	झारखंड	17) आदित्यपुर, जमशेदपुर
		18) नामकुम, रांची
9.	कर्नाटक	19) पीन्या, बेंगलुरु
		20) राजाजीनगर, बेंगलुरु
10.	केरल	21) आश्रमम
		22) एषुकोण
		23) उद्योगमंडल
11.	महाराष्ट्र	24) अंधेरी, मुंबई
		25) बिबवेवाड़ी, पुणे
		26) कांदीवली, मुंबई
		27) कोल्हापुर
12.	मध्य प्रदेश	28) इंदौर
13.	ओडिशा	29) राउरकेला
14.	पंजाब	30) रामदरबार, चंडीगढ़
		31) लुधियाना
15.	राजस्थान	32) जयपुर
		33) भिवाड़ी
		34) अलवर
16.	तमिलनाडु	35) के.के. नगर, चेन्नै
		36) तिरुनेलवेली
17.	तेलंगाना	37) सनतनगर अस्पताल
		38) एस.एस.टी.एच. सनतनगर
18.	उत्तर प्रदेश	39) नोएडा
		40) लखनऊ
		41) जाजमउ, कानपुर
		42) वाराणसी
		43) साहिबाबाद
		44) बरेली
19.	पश्चिम बंगाल	जोका, कोलकाता

अध्याय–7

श्रम कल्याण

श्रम कल्याण (स्वास्थ्य) योजना

7.1 श्रम और रोजगार मंत्रालय के अधीन श्रम कल्याण संगठन (i) बीड़ी, (ii) सिने, (iii) लौह अयस्क/मैंगनीज अयस्क/क्रोम अयस्क, (iv) अभ्रक एवं डोलोमाइट खान कामगारों के कल्याणार्थ संसद के विभिन्न अधिनियमों के अंतर्गत स्थापित कल्याणकारी निधियों का प्रशासन करता है। श्रम कल्याण निधि की अवधारणा असंगठित क्षेत्र के कामगारों के लिए सामाजिक सहायता उपायों को प्रदान करने के उद्देश्य से विकसित की गई थी। इस उद्देश्य के लिए संसद द्वारा बीड़ी उद्योग में नियोजित कामगारों, कतिपय गैर–कोयला खानों और सिने कामगारों के लिए आवास, चिकित्सा देख–रेख, शिक्षा और मनोरंजनात्मक सुविधाएं मुहैया कराने के लिए पाँच कल्याण निधियां गठित करने हेतु अलग से विधान अधिनियमित किए गए थे।

7.2 कल्याण निधियों की योजना नियोजक और कर्मचारी के विशिष्ट संबंधों के ढाँचे से अलग है, क्योंकि गैर–अंशदायी आधार पर सरकार द्वारा संसाधन जुटाये जाते हैं और कामगार के व्यक्तिगत अंशदान को जोड़े बिना कल्याण सेवाएं प्रभावी की जाती हैं। सैक्टरल पहुंच वाली कामगार निधियां अनेक गरीबी उन्मूलन और रोजगार सृजन कार्यक्रमों के अतिरिक्त है, जिनकी क्षेत्रीय पहुंच है और जिनके लिये इनमें से अधिकांश कामगार भी पात्र हैं।

7.3 इस योजना का मूल उद्देश्य 50 लाख से अधिक गरीब और निरक्षर बीड़ी/सिने/लोग, मैंगनीज, क्रोम/अभ्रक कामगारों और उनके परिवार के सदस्यों को स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध कराना है। ये कामगार समाज के असंगठित और आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों के संबंध रखते हैं। इन कामगारों की बहुत निम्न साक्षरता दर, स्वास्थ्य के अपर्याप्त मानदण्ड तथा निम्न प्रतिव्यक्ति आय होती है। यह योजना कामगारों के इस वर्ग के रहन–सहन के मानकों में बढ़ोतरी का माध्यम बनती है।

7.4 समस्त देश में स्थित 10 अस्पतालों और 286 औषधालयों के माध्यम से बीड़ी, सिने और गैर–कोयला खान कामगारों और उनके परिवार के सदस्यों को स्वास्थ्य देखरेख सुविधाएं उपलब्ध कराई जा रही हैं।

7.5 बीड़ी/एलएसडीएम/मिका/आईओएमसी/सिने कामगारों और उनके आश्रितजनों के लिए स्वास्थ्य, शिक्षा और आवास के क्षेत्र में कल्याणकारी गतिविधियां आयोजित करना।

7.6 16 लाख कामगारों और उनके परिवारों को स्वास्थ्य देखरेख सुविधाएं उपलब्ध कराना। वर्ष 2019–20 (अप्रैल, 2019 से अक्तूबर, 2019 तक) में 13,53,227 कामगारों ने इस सुविधा का लाभ उठाया है।

<table>
<tr><th>क्र.सं.</th><th>स्वास्थ्य योजना</th><th>मुख्य विशेषताएं</th></tr>
<tr><td>1.</td><td>बीड़ी, सिने और गैर–कोयला कामगारों और उनके परिवारों को देशभर में स्थित 10 श्रम अस्पतालों और 286 औषधालयों के माध्यम से स्वास्थ्य देखरेख सुविधाएं प्रदान की जाती है।</td><td>गंभीर रोग के बारे में सरकार द्वारा प्राप्त मान्यता प्राप्त अस्पतालों के अंतर्गत लिए गए विशेषीकृत उपचार के लिए व्यय की प्रतिपूर्ति।
<table><tr><td>कैंसर</td><td>कामगारों अथवा उनके आश्रितों द्वारा वहन गिए गए उपचार, औषधियों और आहार प्रभारों पर हुए वास्तविक व्यय की प्रतिपूर्ति।</td></tr></table></td></tr>
</table>

		तपेदिक	कामगारों के लिए तपेदिक अस्पतालों और गृह आधारित उपचार में विस्तरों का आरक्षण उपचार करने वाले चिकित्सक के सलाह के अनुसार 750 रुपये से लेकर 1000 रुपये तक प्रतिमाह निर्वाह भत्ता अनुमत्य है।
		हृदय रोग	कामगारों को 1,30,000/– रुपये तक के व्यय की प्रतिपूर्ति।
		गुर्दा प्रत्यारोपण	कामगारों को 2,00,000/– रुपये तक के व्यय की प्रतिपूर्ति।
		हरनिया, एपेंडोक्टोमी, अलसर, स्त्री रोग और प्रोस्ट्रेट रोग	कामगारों और उनके आश्रितों को 30,000/– रुपये तक के व्यय की प्रतिपूर्ति।

7.7 पंजीकृत बीड़ी कामगारों का राज्य/संघ राज्य–क्षेत्रवार विवरण

क्रम सं.	**क्षेत्र का नाम**	**राज्य/संघ राज्य–क्षेत्र का नाम**	**कुल**
1.	अहमदाबाद	गुजरात	39011
2.	अजमेर	राजस्थान	38791
3.	इलाहबाद	उत्तर प्रदेश	412757
4.	बंगलुरु	कर्नाटक	295501
5.	भुवनेश्वर	ओड़िशा	208212
6.	हैदराबाद	आंध्र प्रदेश/तेलंगाना	458040
7.	जबलपुर	मध्य प्रदेश	440556
8.	कोलकाता	पश्चिम बंगाल	1829203
9.	गुवाहाटी		24398
10.	कन्नूर	केरल	40276
11.	नागपुर	महाराष्ट्र	155089
12.	पटना	बिहार	296972
13.	रायपुर	छत्तीसगढ़	3893
14.	तिरुनेलवेली	तमिलनाडु	603076
15.	रांची	झारखण्ड	136519
	कुल		**49,82, 294**

7.8 श्रम कल्याण संगठन के अध्यक्ष महानिदेशक (श्रम कल्याण) हैं। राज्यों में इन निधियों के प्रशासन के प्रयोजनार्थ उनकी सहायता के लिए सत्रह (17) क्षेत्रीय कल्याण आयुक्त हैं। प्रत्येक कल्याण आयुक्त को क्षेत्राधिकार को निम्न दर्शाई गई सारणी में बताया गया है:

कल्याण आयुक्त और उनके क्षेत्राधिकार		
क्र.सं.	क्षेत्र का नाम	शामिल किए गए राज्य
01.	इलाहाबाद	उत्तर प्रदेश
02.	अहमदाबाद	गुजरात, दीव
03.	अजमेर	राजस्थान
04.	बंगलुरू	कर्नाटक
05.	भुवनेश्वर	ओडिशा
06.	हैदराबाद	आंध्र प्रदेश, तेलंगाना
07.	जबलपुर	मध्य प्रदेश
08.	नागपुर	महाराष्ट्र, गोवा, दादर एवं नगर हवेली तथा दमन
09.	रांची	झारखंड
10.	पटना	बिहार
11.	रायपुर	छत्तीसगढ़
12.	देहरादून	उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश
13.	कोलकाता	पश्चिम बंगाल, अंडमान एवं निकोबार और सिक्किम
14.	गुवाहाटी	असम, मेघालय, नागालैंड, त्रिपुरा, अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर, मिजोरम
15.	तिरुनेलवेली	तमिलनाडु, पुदुचेरी
16.	चंडीगढ़	पंजाब, दिल्ली, चंडीगढ़, हरियाणा, जम्मू एवं कश्मीर
17.	कुन्नूर	केरल एवं लक्षद्वीप

कौशल विकास कार्यक्रम

7.9 श्रम और रोजगार मंत्रालय ने बीड़ी कामगारों के कौशल विकास के लिए कार्रवाई शुरू की है जिससे कि जीवन–यापन के लिए उन्हें एक व्यवहार्य वैकल्पिक स्रोत हेतु रोजगार के वैकल्पिक स्रोत उपलब्ध कराया जा सके। इस संबंध में, बीड़ी कामगारों और उनके परिवार के आश्रित सदस्यों को कौशल विकास प्रशिक्षण देने के लिए आईएलओ, डब्ल्यूएचओ, यूएडीपी, कौशल विकास मंत्रालय तथा स्वास्थ्य मंत्रालय के सहयोग से 01.04.2017 से एक प्रायोगिक परियोजना शुरु की गई। इस कार्यक्रम के अंतर्गत अनेक लाभार्थियों को प्रशिक्षित किया गया है तथा प्रशिक्षित किए जा रहे हैं तथा वैकल्पिक नौकरियों में शिफ्ट किए गए हैं। उपरोक्त प्रायोगिक परियोजना 5 केन्द्रों नामतः, कासरकोड (कन्नूर क्षेत्र); समभलपुर (भुवनेश्वर क्षेत्र); राजनन्दगांव (रायपुर क्षेत्र); 24 नॉर्थ परगना (कोलकाता क्षेत्र) तथा निजामाबाद (हैदराबाद क्षेत्र) में आरंभ की गई थी। तत्पश्चात, बीड़ी कामगारों और उनके आश्रितजनों के कौशल विकास प्रशिक्षण की प्रायोगिक परियोजना समस्त देश के सभी एलडब्ल्यूओ क्षेत्रों तक विस्तारित की गई। इस संबंध में डब्ल्यूएचओ, आईएलओ, एमएसडीई, यूएनडीपी, एमओएचएफ, एनएसडीसी आदि के प्रतिनिधियों के साथ एक विशेषज्ञ समिति गठित की गई है।

7.10 अप्रैल 2019 से अक्तूबर 2019 तक की अवधि तक इस कार्यक्रम के अंतर्गत कुल 1297 लाभार्थियों को प्रशिक्षित किया गया है, जिनमें से 582 लाभार्थी वैकल्पिक नौकरियों में शिफ्ट किए गए हैं।

कार्यक्रम की मुख्य विशेषताएं:

7.11 कार्यक्रम की मुख्य विशेषताएं इस प्रकार हैं:

- पंजीकृत कामगार को प्रशिक्षण में भाग लेते समय होने वाली मजदूरी की हानि की क्षतिपूर्ति करने के लिए उन्हें वजीफे का भुगतान।
- प्रशिक्षु चाहे कामगार हो या उसका आश्रितजन, उसके निवास–स्थान से व्यावसायिक प्रशिक्षण प्रदाताओं (वीटीपी) तक आने–जाने की यात्रा के खर्च को शामिल करने के लिए यात्रा व्यय।
- यदि कामगार या उसके आश्रितजन को प्रशिक्षण में भाग लेने के लिए अपने निवास–स्थान से दूर ठहरने की आवश्यकता हो, तो आवास और भोजन के व्ययों हेतु सहायता।
- केन्द्रीय/राज्य सरकार द्वारा कार्यान्वित किए जाने वाले कौशल विकास कार्यक्रम के अंतर्गत अनुमोदित वीटीपी में बीड़ी बनाने वालों और उनके आश्रितजनों को प्रशिक्षण दिया जाना।
- केन्द्रीय/राज्य सरकार द्वारा कार्यान्वित किए जाने वाले कौशल विकास कार्यक्रम के अंतर्गत इसके अधीन प्रमाणित कौशल हेतु राष्ट्रीय वैधता वाला प्रमाणन।
- यह सुनिश्चित करने के लिए प्रशिक्षुओं का स्थापन और मार्गन कि वे प्रशिक्षण के बाद वैकल्पिक रोजगार में बने रहें। वजीफे की अंतिम किस्त का भुगतान, सफल स्थापन और मार्गन की शर्त पर है।
- बीड़ी बनाने वालों का वित्तीय समावेशन सुनिश्चित करने के लिए सीधे प्रशिक्षुओं को किए जाने वाले सभी भुगतान ऑनलाइन लेन–देन अर्थात प्रत्यक्ष लाभ अंतरण (डीबीटी) के माध्यम से किए जाएं।

7.12 कौशल विकास प्रशिक्षण देने हेतु विभिन्न पाठ्यक्रम

1. खाता प्रयोक्ता टैली
2. सीएनसी ऑपरेटर
3. होटल मेनेजमेन्ट (फ्रंट ऑफिस एसोसिएट)
4. सिलाई मशीन ऑपरेटर
5. भोजन एवं पेय–पदार्थ सेवा
6. एसी और फ्रिज मैकेनिक
7. ग्राहक देखरेख कार्यपालक
8. सौलर पीवी संस्थापन
9. सिलाई
10. सौलर पैनल संस्थापन
11. सहायक इलैक्ट्रीशियन
12. सहायक सौंदर्य चिकित्सक
13. मूल कम्प्यूटर पाठ्यक्रम
14. सामान्य ड्यूटी सहायक
15. फील्ड तकनीशियन
16. ऑटोमोबाईल मरम्मत
17. नलसाजी
18. प्रसाधक
19. मशरूम की खेती
20. बैंकिंग एवं लेखा–कार्य
21. मेडिकल एवं नर्सिंग पाठ्यक्रम
22. हस्त–कढ़ाई
23. जैम एवं जैली बनाना
24. कम्प्यूटर हार्डवेयर
25. अचार बनाना
26. सिलाई और फैशन डिजाईनिंग
27. सॉफ्ट टॉय बनाना
28. अगरबत्ती बनाना
29. थैले बनाना
30. एलईडी तकनीशियन
31. सीसीटीवी तकनीशियन

7.13 स्वास्थ्य संघटक के अंतर्गत लाभार्थियों और व्यय का विवरण–सभी क्षेत्रों के लिए समेकित

लाभार्थियों और व्यय के विवरण									
		2016–17		2017–18		2018–19		2019–20	
क्र. सं.	घटक का नाम	व्यय (रुपये में)	लाभार्थियों की संख्या	व्यय (रुपये में)	लाभार्थियों की संख्या	व्यय (रुपये में)	लाभार्थियों की संख्या	व्यय (रुपये में)	लाभार्थियों की संख्या
1.	स्वास्थ्य	115.65 करोड़	15,59,744	108.70 करोड़	14,23,152	8,76,68 करोड़*	11,85, 209	4,2146 करोड़**	13,53, 227**

** वित्तीय वर्ष 2018–19 से पहले, स्वास्थ्य योजना के अंतर्गत शामिल कर्मचारियों का वेतन स्वास्थ्य योजना निधि शीर्ष से वित्त–पोषित किया जाता था। 2018–19 से, वेतन का वित्त–पोषण प्रशासनिक शीर्ष से किया जाता था।*

*** यह डेटा अप्रैल 2019 से अक्तूबर 2019 तक की अवधि के लिए है।*

परिशोधित एकीकृत आवास योजना, 2016

7.14 1,50,000 रुपये प्रति लाभार्थी परिवार की सहायता सहित नवीकृत आवास योजना (आरआईएचएस, 2016) लागू की गई है। आरआईएसएच, 2016 श्रम कल्याण संगठन (एलडब्ल्यूओ) के साथ पंजीकृत बीड़ी/लौह अयस्क खानों/मैग्नीज अयस्क एवं क्रोम अयस्क खानों (आईओएमसी) चूना पत्थर अयस्क खानों, डोलोमाइट अभ्रक खानों (एलएसडीएम) और सीने उधोगों में संलग्न कामगारों पर लागू है।

इस योजना में 25:60:15 के अनुपातों में 3 किश्तों में 1,50,000/– रुपये की सहायता जारी की जाती है (पहली अग्रिम राशि के तौर पर दूसरी लिंटल स्तर पर और तीसरी यह निरीक्षण रिपोर्ट प्राप्त होने पर कि मकानों का निर्माण हर प्रकार से पूरा हो चुका है)।

इस योजना के अंतर्गत सहायता डीबीटी के माध्यम से जारी की जाती है।

परिशोधित एकीकृत आवासीय योजना (आरआईएचएस) के अंतर्गत पिछले चार वर्षों का ब्योरा निम्नानुसार है:

वित्तीय वर्ष	व्यय (रुपये करोड़ में)	लाभार्थी परिवार की संख्या
2016–17	20.39	9831
2017–18	45.74	12876
2018–19	49.20	12394
2019–20	19.24	3485

आवासीय योजना का अभिसरण

7.15 सचिव (व्यय) की अध्यक्षता के तहत दिनांक 11.05.2018 को आयोजित श्रम कल्याण योजना के मूल्यांकन और निरंतरता हेतु वित्त मंत्रालय के अंतर्गत व्यय वित्त समिति (ईएफसी) की बैठक में यह निर्णय लिया गया कि श्रम एवं रोजगार मंत्रालय शहरी विकास और गरीबी उन्मूलन मंत्रालय (शहरी) के प्रधानमंत्री आवास योजना (पीएमएवाई) और ग्रामीण विकास मंत्रालय के प्रधानमंत्री आवास योजना (ग्रामीण) के साथ आरआईएचएस के अभिसरण करने की संभावनाओं का पता लगाएगी। समय–सीमा तैयार करने और पारगमन योजना की खांका खींचने का सुझाव दिया गया था, जब आरआईएचएस के तहत सभी नई मंजूरी रोक दी जाएगी और आवासीय सहायकी पीएमएवाई द्वारा आहरित की जाएगी आरआईएचएस के तहत जब सभी नई मंजूरी रोक दी जाएगी तब एक पारगमन योजना तैयार की जाएगी और आवासीय सहायकी पीएमएवाई से आहरित की जाएगी। तदनुसार सभी कल्याण आयुक्त को आरआईएचएस के तहत सहायकी की पहली किश्त को जारी करने का और पीएमएवाई के तहत संबंधित खण्डों/शहरी स्थानीय निकायों को लंबित आवेदन प्रेषित करने का निदेश दिया गया था।

अध्याय 8

(असंगठित कामगार)

8.1 असंगठित श्रमिक को असंगठित श्रमिकों के सामाजिक सुरक्षा अधिनियम, 2008 के अंतर्गत गृह आधारित श्रमिक, स्व–नियोजित श्रमिक या असंगठित क्षेत्र में मजदूर के रूप में परिभाषित किया गया है और इसमें संगठित क्षेत्र का वह श्रमिक भी शामिल है जो कि अधिनियम की अनुसूची– II में उल्लिखित किसी भी अधिनियम जैसे कि कर्मचारी प्रतिकर अधिनियम, 1923(1923 का 3), औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 (1947 का 14), कर्मचारी राज्य बीमा अधिनियम, 1948 (1948 का 34), कर्मचारी भविष्य निधि एवं प्रकीर्ण उपबंध अधिनियम, 1952 (1952 का 19), प्रसूति प्रसुविधा अधिनियम, 1961(1961 का 53) और उपदान संदाय अधिनियम, 1972 (1972 का 39) के अंतर्गत व्याप्त नहीं है।

8.2 राष्ट्रीय प्रतिदर्श सर्वेक्षण संगठन द्वारा वर्ष 2011–12 में किए गए सर्वेक्षण के आधार पर, देश में संगठित और असंगठित दोनों क्षेत्रों में कुल रोजगार 47 करोड़ था। इसमें से लगभग 8 करोड़ संगठित क्षेत्र में थे और बाकी 39 करोड़ असंगठित क्षेत्र में। असंगठित क्षेत्र के श्रमिक देश में कुल रोजगार का 90 प्रतिशत से अधिक हैं। असंगठित श्रमिकों की एक बड़ी संख्या गृह आधारित है और वे बीड़ी रोलिंग, अगरबत्ती बनाने, पापड़ बनाने, सिलाई और कढ़ाई के काम जैसे व्यवसायों में लगे हैं।

8.3 असंगठित श्रमिक रोजगार के अत्यधिक मौसमी रोजगार चक्र, औपचारिक नियोक्ता–कर्मचारी संबंधों की एक कमी और सामाजिक सुरक्षा संरक्षण की अनुपस्थिति का अकसर शिकार होते हैं। हालांकि, कई कानून जैसे कर्मचारी प्रतिकर अधिनियम, 1923; न्यूनतम मजदूरी अधिनियम, 1948; प्रसूति प्रसुविधा अधिनियम, 1961; ठेका श्रम (उत्सादन और निषेद) अधिनियम, 1970; भवन और अन्य सन्निर्माण कर्मकार (नियोजन तथा सेवा–शर्त विनियमन) अधिनियम, 1996; और भवन और अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण (उपकर) अधिनियम, 1996 आदि असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों पर भी प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से अनुप्रयोज्य हैं।

8.4 श्रम मंत्रालय बीड़ी कामगारों, सिने कामगारों और कुछ गैर–कोयला खदान श्रमिकों जैसे कुछ विशिष्ट श्रेणियों के श्रमिकों के लिए कल्याण निधि का भी संचालन कर रहा है। इस निधि का उपयोग मजदूरों की स्वास्थ्य देखभाल, आवास तथा उनके बच्चों के लिए शैक्षिक सहायता के क्षेत्र में विभिन्न प्रकार की कल्याणकारी गतिविधियों के लिए किया जाता है।

असंगठित क्षेत्र के कामगारों के लिए व्यापक विधान

8.5 असंगठित क्षेत्र में श्रमिकों के कल्याण को सुनिश्चित करने के लिए श्रम और रोजगार मंत्रालय द्वारा असंगठित श्रमिक सामाजिक सुरक्षा अधिनियम, 2008 अधिनियमित किया गया है। यह अधिनियम 16.05.2009 से प्रभावी हो चुका है। इस अधिनियम के अंतर्गत केंद्रीय नियम तैयार किए गए हैं।

8.6 अधिनियम की मुख्य विशेषताएँ निम्नवत हैं:

- धारा (2) में असंगठित श्रमिक, स्व–नियोजित और दैनिक मजदूर से संबंधित सहित परिभाषाएँ दी गई हैं।
- धारा 3 (1) केंद्र सरकार द्वारा असंगठित क्षेत्र के मजदूरों के लिए निम्नलिखित से संबंधित योजना निर्धारित करने का प्रावधान किया गया – (क) उनके जीवन और विकलांगता कवरय (ख) स्वास्थ्य और मातृत्व हितलाभय (ग) वृद्धावस्था संरक्षण (घ) कोई अन्य हितलाभ जो केंद्र सरकार द्वारा निर्धारित किया जाए।
- धारा 3 (4) में राज्य सरकारों द्वारा भविष्य निधि, रोजगार चोट हितलाभ, आवास, बच्चों के लिए

शैक्षिक योजनाएँ, कौशल विकास, अंत्येष्टि सहायता एवं वृद्धाश्रम का प्रावधान किया गया है।

- धारा 4 केंद्र सरकार द्वारा तैयार योजनाओं के वित्त पोषण से संबंधित है।
- धारा 5 में महानिदेशक (श्रम कल्याण), सदस्य सचिव तथा सांसदों, असंगठित श्रमिकों, असंगठित श्रमिकों के नियोक्ताओं, नागरिक समाज, केंद्रीय मंत्रिमंडल एवं राज्य सरकारों के 34 मनोनीत प्रतिनिधियों के साथ केंद्रीय श्रम एवं रोजगार मंत्री की अध्यक्षता में राष्ट्रीय सामाजिक सुरक्षा बोर्ड की परिकल्पना की गई है।
- बोर्ड में अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अल्पसंख्यकों और महिलाओं के पर्याप्त प्रतिनिधित्व के लिए प्रावधान किया गया है।
- राष्ट्रीय बोर्ड असंगठित श्रमिकों के विभिन्न वर्गों के लिए केंद्र सरकार को उपयुक्त योजनाओं की सिफारिश करेगाय योजनाओं के कार्यान्वयन की निगरानी करेगा और अधिनियम के प्रशासन से उत्पन्न मामलों में केंद्र सरकार को सलाह देगा।
- धारा 6 में राज्य स्तर पर समरूप बोर्डों के गठन का प्रावधान है।
- धारा 7 राज्य सरकारों द्वारा तैयार की गई योजनाओं के वित्तपोषण के तरीकों से संबंधित है।
- धारा 8 जिला प्रशासन द्वारा रिकॉर्ड रखने की प्रक्रिया निर्धारित करती है। इसके लिए राज्य सरकार (क) ग्रामीण क्षेत्रों में जिला पंचायत; और (ख) शहरों में शहरी स्थानीय निकाय को ऐसे कार्य करने का निर्देश दे सकती है।
- धारा 9 में (क) श्रमिकों को उपलब्ध सामाजिक सुरक्षा योजनाओं की जानकारी प्रदान करने (ख) जिला प्रशासन द्वारा श्रमिकों के पंजीकरण और असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों के नामांकन को सुगम बनाने के लिए श्रमिकों के लिए सुविधा केन्द्र स्थापित करने का प्रावधान करता है।
- धारा 10 पंजीकरण के लिए पात्रता मानदंडों और अधिनियम के अंतर्गत पंजीकरण की प्रक्रिया का प्रावधान करती है।
- धारा 11–17 में अधिनियम लागू करने के लिए विविध प्रावधान हैं।

8.7 इस अधिनियम के अंतर्गत असंगठित श्रमिक सामाजिक सुरक्षा नियम, 2009 तैयार किए गए हैं तथा दिनांक 18.08.2009 को राष्ट्रीय सामाजिक सुरक्षा बोर्ड का गठन किया गया। राष्ट्रीय बोर्ड जीवन और विकलांगता कवर, स्वास्थ्य और मातृत्व हितलाभ, वृद्धावस्था संरक्षण और सरकार द्वारा असंगठित श्रमिकों के लिए निर्धारित अन्य लाभों जैसी सामाजिक सुरक्षा योजना की सिफारिश करेगा।

8.8 केंद्र सरकार ने 2017 में आम आदमी बीमा योजना (एएबीवाई) की सामाजिक सुरक्षा योजना को प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना (पीएमजेजेबीवाई) और प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना (पीएमएसबीवाई) के साथ जोड़ दिया है ताकि असंगठित श्रमिकों को उनकी पात्रता के आधार पर जीवन और अशक्तता छत्र प्रदान किया जा सके। समेकित पीएमजेजेबीवाई/पीएमएसबीवाई योजना 18 से 50 वर्ष के आयु वर्ग के कामगारों के लिए है तथा स्वाभाविक मृत्यु होने पर 2/– लाख रुपये तथा दुर्घटना से मृत्यु होने पर 4/– लाख रुपये का कवरेज देती है। ये समेकित योजनाएं भारतीय जीवन बीमा निगम द्वारा लागू की जा रही हैं। समेकित योजनाओं के लिए 342 रुपये (33012) का वार्षिक प्रीमियम अपेक्षित होगा। यह प्रीमियम 50:50 के आधार पर केंद्र सरकार और राज्य सरकार द्वारा साझा किया जाएगा। इस मंत्रालय ने सभी राज्य/संघ राज्य क्षेत्र सरकारों से सभी पात्र असंगठित कामगारों के प्रीमियम की 50 प्रतिशत राशि को कवर करने हेतु अपनी वित्तीय सहमति प्रदान करने का अनुरोध किया है। भारतीय जीवन बीमा निगम द्वारा प्रस्तुत आंकड़ों के अनुसार 2018–19 में इस योजना के अंतर्गत लगभग 2.80 करोड़ लाभार्थियों को शामिल किया गया है।

8.9 भारत में लगभग 93% श्रमिक असंगठित क्षेत्र में हैं। वर्तमान में विभिन्न पात्रता मानदंडों, नामांकन प्रक्रियाओं एवं

हितलाभ के साथ असंगठित श्रमिकों के कल्याण के लिए विभिन्न मंत्रालयों/विभागों द्वारा राज्य स्तर पर विभिन्न एजेंसियों द्वारा ''असंगठित कामगार सामाजिक सुरक्षा अधिनियम, 2008'' (यूडब्ल्यूएसएसए) की अनुसूची II के अंतर्गत विभिन्न सामाजिक सुरक्षा योजनाएँ चलाई जा रही हैं जिनका विवरण निम्नवत है:–

i. इंदिरा गांधी राष्ट्रीय वृद्धावस्था पेंशन योजना (ग्रामीण विकास मंत्रालय);

ii. राष्ट्रीय परिवार लाभ योजना(ग्रामीण विकास मंत्रालय);

iii. जननी सुरक्षा योजना(स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय);

iv. हथकरघा बुनकरों की व्यापक कल्याण योजना (वस्त्र मंत्रालय);

v. हस्तशिल्प कारीगरों के लिए व्यापक कल्याण योजना(वस्त्र मंत्रालय);

vi. मास्टर क्राफ्ट व्यक्तियों को पेंशन (वस्त्र मंत्रालय);

vii. मछुआरों के कल्याण, प्रशिक्षण और विस्तार की राष्ट्रीय योजनाय (पशुपालन, दुग्ध एवं मत्स्यपालन विभाग)

viii. आम आदमी बीमा योजना (श्रम एवं रोजगार मंत्रालय); (अब पीएमजेजेवाई/पीएमएसबीवाई के साथ विलयित)

ix. राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा योजना (स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय)।

8.10 भवन एवं अन्य सन्निर्माण कामगारों तथा प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना (पीएमजेजेबीवाई) और प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना (पीएमएसबीवाई) लाभार्थियों को प्रमाण–पत्र जारी करते हुए, परिशोधित एकीकृत आवास योजना–2016 के अंतर्गत आवास आबंटित करते हुए बीड़ी कामगारों की स्वास्थ्य जांच और पहचान–पत्र जारी करने के प्रयोजनार्थ बरेली और वाराणसी में दो शिविर आयोजित किए गए।

भवन एवं अन्य सन्निर्माण कामगार

8.11 सन्निर्माण कामगार असंगठित क्षेत्र में कामगार की सबसे बड़ी श्रेणियों में से एक हैं। वर्ष 2011–12 में राष्ट्रीय प्रतिदर्श सर्वेक्षण संगठन द्वारा किए गए नमूना सर्वेक्षण के अनुसार 5.02 करोड़ श्रमिक निर्माण कार्य में नियोजित हैं। सरकार ने निर्माण श्रमिकों के लिए निम्नलिखित विधान अधिनियमित किए हैं:–

- भवन एवं अन्य सन्निर्माण कामगार (रोजगार एवं सेवा शर्तों का विनियमन) अधिनियम, 1996।
- भवन एवं अन्य सन्निर्माण कामगार कल्याण उपकर अधिनियम, 1996;

8.12 इसके अलावा, भवन एवं अन्य सन्निर्माण कामगार कल्याण उपकर नियम 1998 और भवन एवं अन्य सन्निर्माण कामगार (नियोजन का विनियमन एवं सेवा शर्तें) केन्द्रीय नियम, 1998 क्रमशः दिनांक 26.03.1998 19.11.1998 को अधिसूचित किए जा चुके हैं।

8.13 ये विधान राज्य स्तर पर गठित राज्य कल्याण बोर्डों के माध्यम से निर्माण श्रमिकों के लिए, रोजगार एवं सेवा शर्तों, सुरक्षा और स्वास्थ्य तथा कल्याणकारी उपायों को विनियमित करने के प्रावधान करते हैं। सभी राज्य सरकारों और संघ शासित प्रदेशों द्वारा राज्य कल्याण बोर्डों का गठन किया गया है। तमिलनाडु सरकार अपना स्वयं का अधिनियम लागू कर रही है। कल्याणकारी उपायों का वित्त–पोषण नियोक्ता द्वारा निर्माण कार्य पर किए गए व्यय पर उपकर लगाकर किया जाता है (सरकार द्वारा एक प्रतिशत उपकर अधिसूचित किया गया है)।

8.14 इस प्रकार एकत्र किए गए धन का उपयोग पंजीकृत कामगारों और उनके परिवारों को सामाजिक सुरक्षा और कल्याणकारी लाभ प्रदान करने के लिए किया जाता है। दिनांक 30.09.2019 तक लगभग 49,896.01 करोड़ रुपए राज्य सरकारों और संघ शासित प्रदेशों द्वारा उपकर के रूप में एकत्रित किए गए हैं और 19,680.63 करोड़ रुपए की राशि संबंधित राज्य भवन एवं अन्य सन्निर्माण कामगार कल्याणकारी बोर्डों द्वारा खर्च की गई है।

8.15 अधिनियम के विधिवत् कार्यान्वयन के लिए भवन एवं अन्य निर्माण श्रमिक (रोजगार और सेवा शर्त विनियम) अधिनियम, 1996 की धारा 60 के अंतर्गत केंद्र सरकार सभी राज्य सरकारों और संघ शासित प्रदेशों को समय–समय पर निर्देश जारी करती रही है। इन निर्देशों के कार्यान्वयन की निगरानी के लिए भवन और अन्य निर्माण, विशेष तौर पर अधिनियम की धारा 22 के अंतर्गत प्रगणित कल्याण योजनाओं के लिए राज्य श्रमिक कल्याण बोर्ड द्वारा उपकर निधि को उपयोग करने के संबंध में सचिव (श्रम एवं रोजगार) की अध्यक्षता में एक समिति गठित की गई है। यह निगरानी समिति समय–समय पर राज्य/संघ शासित श्रम विभागों के प्रमुख सचिवों/सचिवों के साथ बैठक आयोजित करती है।

8.16 भवन एवं अन्य सन्निर्माण कामगार (आरईसीएस) अधिनियम, 1996 और भवन एवं अन्य सन्निर्माण कामगार कल्याण उपकर अधिनियम, 1996 का कार्यान्वयन मैसर्स सन्निर्माण श्रम पर केंद्रीय विधार हेतु राष्ट्रीय अभियान समिति बनाम संघ भारत एवं अन्य के बीच रिट याचिका (सिविल) संख्या 2006 की 318 में माननीय न्यायालय की गहन जांच के अधीन था। इस मामले में माननीय उच्चतम न्यायालय के 19 मार्च, 2018 के निर्णय और 04.10.2018 के आदेश के अनुसरण में भवन एवं अन्य सन्निर्माण कामगार तथा कार्य योजना (कार्यान्वयन तंत्र की मजबूती के लिए) आदर्श स्कीम बनाई गई और उसे सभी राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को परिचालित किया गया। यह आदर्श स्कीम मंत्रालय की वेबसाइट पर भी उपलब्ध है। इसके अलावा माननीय उच्चतम न्यायालय के निदेशों के अनुसार बीओसीडब्ल्यू अधिनियम के कार्यान्वयन की सामाजिक लेखापरीक्षा के लिए राज्य सरकारों और अन्य हितधारकों के साथ ढांचा तैयार किया गया है तथा माननीय सर्वोच्च न्यायालय के निदेशानुसार सामाजिक लेखा–परीक्षा कराने के लिए सभी राज्यों/संघ राज्य–क्षेत्रों को परिचालित किया गया है।

प्रवासी श्रमिक और अंतरराज्यिक प्रवासी कर्मकार

8.17 2011 की जनगणना (अनंतिम रिपोर्ट) के अनुसार, देश के भीतर ही 45 करोड़ व्यक्तियों ने अपना निवास स्थान बदला है तथा इनमें से 4.6 करोड़ या 10.22: ने रोजगार के लिए अपना निवास बदला है।

8.18 अंतरराज्यिक प्रवासी कर्मकार(नियोजन का विनियमन और सेवा शर्त) अधिनियम, 1979 प्रवासी श्रमिकों के अधिकारों और हितों की रक्षा के लिए अधिनियमित किया गया था।

8.19 यह अधिनियम अंतरराज्यिक प्रवासी कर्मकारों के रोजगार को नियंत्रित करता है और उनकी सेवा शर्तों का प्रावधान करता है। यह उन समस्त प्रतिष्ठानों और ठेकेदारों पर लागू होता है, जो पाँच या अधिक अंतरराज्यिक प्रवासी कर्मकारों को नियोजित करते हैं। अधिनियम के अंतर्गत हर अंतरराज्यिक प्रवासी कर्मकारों को उनके सम्पूर्ण विवरण सहित पासबुक जारी करने, मासिक मजदूरी का 50% विस्थापन भत्ता का भुगतान, यात्रा की अवधि के दौरान मजदूरी के भुगतान के साथ यात्रा भत्ते का भुगतान, उपयुक्त आवासीय भवन, चिकित्सा सुविधाएँ और संरक्षात्मक कपड़े, मजदूरी का भुगतान, समान कार्य के लिए समान वेतन आदि का प्रावधान है।

8.20 अधिनियम के प्रावधानों के प्रवर्तन का मुख्य उत्तरदायित्व क्रमशः केंद्र एवं उन राज्य सरकारों के क्षेत्र में आने वाले प्रतिष्ठानों के लिए केंद्र एवं राज्य सरकारों/संघ राज्य क्षेत्रों की होगी।

8.21 प्रवासी अभिगमन की समस्या को रोकने के लिए ग्रामीण विकास, बेहतर बुनियादी सुविधाओं के विकास के प्रावधान, क्षेत्रीय विषमताओं को दूर करने के लिए संसाधनों के समानुपाती वितरण, रोजगार सृजन, भूमि सुधार, साक्षरता में वृद्धि, वित्तीय सहायता आदि जैसे बहुआयामी उपायों के माध्यम से प्रयास करने होंगे। राज्य स्तर पर बेहतर रोजगार अवसरों के सृजन के लिए सरकार द्वारा प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना (पीएमजीएसवाई), प्रधानमंत्री आवास योजना (इंदिरा आवास योजना) आदि प्रारम्भ की गई हैं। इसके अतिरिक्त, ग्रामीण लोगों को 100 दिनों के गारंटित रोजगार उपलब्ध करवाने के लिए सरकार ने महात्मा गांधी ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम, 2005 अधिनियमित किया है।

8.22 प्रवासी श्रमिकों के स्रोत एवं गंतव्य पर गतिविधियों के सुचारू संचालन के उद्देश्य से, श्रम एवं रोजगार मंत्रालय एवं आंध्र प्रदेश तथा ओड़िशा की राज्य सरकारों ने अंतरराज्यिक समन्वय तंत्र की मजबूती को सुगम बनाने के लिए एक सहमति ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। उत्तर प्रदेश,

बिहार, झारखंड एवं छत्तीसगढ़ की राज्य सरकारों के बीच भी समरूप सहमति ज्ञापन पर हस्ताक्षरित किए गए हैं।

8.23 प्रधान मंत्री श्रम योगी मानधन (पीएम–एसवाईएम):

8.23.1 भारत सरकार ने असंगठित कामगारों का वृद्धावस्था संरक्षण सुनिश्चित करने के लिए प्रधान मंत्री श्रम योगी मान धन (पीएम–एसवाईएम) के नाम में असंगठित कामगारों के लिए एक पेंशन योजना शुरू की है। इस योजना के अंतर्गत नामांकन 15 फरवरी, 2019 से आरम्भ हो चुका है।

8.23.2 असंगठित कामगार अधिकतर घरेलू आधारित कामगार, गलियों में फेरी लगाने वाले, मध्याह्न भोजन कामगार, सिर पर बोझा ढोने वाले, ईंट भट्टे कामगार, मोची, कचरा चुनने वाले, घरेलू कामगार, धोबी, रिक्शा चालक, भूमिहीन मजदूर, स्वयं खाता कामगार, दृश्य–श्रव्य कामगार और इसी प्रकार के अन्य व्यवसायों में कार्यरत कामगार हैं, जिनकी मासिक आय 15000/– रुपये या इससे कम है और वे 18–40 वर्ष आयु समूह प्रवेश के है। उनकी व्याप्ति नई पेंशन योजना (एनपीएस, कर्मचारी राज्य बीमा निगम (ईएसआईसी) या कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (ईपीएफओ) में नहीं होनी चाहिए। इसके अलावा वह आय कर दाता न हो।

8.23.3 यह स्वैच्छिक और अंशदायी पेंशन योजना है जिसके अंतर्गत अंशदाता को निम्नलिखित लाभ प्राप्त होंगेरू

(i) **न्यूनतम निश्चित पेंशनः** पीएम–एसवाईएमएम के तहत प्रत्येक अंशदाता 60 वर्ष की आयु पूरी कर लेने पर 3000/– रुपये की पेंशन प्राप्त करेगा।

(ii) **परिवार पेंशनः** पेंशन की प्राप्ति के दौरान यदि अंशदाता की मृत्यु हो जाती है, तो लाभार्थी का जीवन साथी लाभार्थी द्वारा प्राप्त पेंशन का 50:, परिवार पेंशन के रूप में प्राप्त करने का हकदार होगा। परिवार पेंशन केवल जीवन साथी के लिए ही लागू है।

(iii) यदि लाभार्थी ने नियमित अंशदान किया है और किसी भी कारण से मृत्यु हो गई है (60 वर्ष की आयु से पहले) तब उसका जीवन साथी नियमित अंशदान का भुगतान करने पर या योजना से बाहर या नाम वापस लेने के प्रावधानों के अनुरूप योजना में शामिल होने और बने रहने का हकदार होगा।

8.23.4 पीएम–एसवाईएम में अंशदाता के अंशदान का भुगतान उसके बचत खाते/जन धन खाते से ऑटो–डेबिट सुविधा के माध्यम से होगा और इसकी राशि अंशदाता की प्रवेश आयु के आधार पर 55/– रुपये से 200/– रुपये के बीच होगी। अंशदाता से अपेक्षित है कि वह पीएम–एसवाईएम में शामिल होने की आयु से 60 वर्ष की आयु तक निर्धारित अंशदान की राशि का भुगतान करे।

8.23.5 पीएम–एसवाईएम 50:50 आधार पर एक स्वैच्छिक एक अंशदायी योजना है, जिसमें चार्ट के अनुरूप लाभार्थी द्वारा निर्धारित आयु आधारित अंशदान किया जाएगा और उसके समनुरूप अंशदान केंद्रीय सरकार द्वारा दिया जाएगा। उदाहरण के लिए यदि कोई व्यक्ति 29 वर्ष की आयु में योजना में शामिल होता है तो उसे 60 वर्ष की आयु तक प्रतिमाह 100/– रुपये का अंशदान करना होगा। 100/– रुपये के बराबर की राशि अंशदान केंद्रीय सरकार द्वारा किया जाएगा।

इस योजना को एलआईसी और कॉमन सर्विस सेंटरों–एसपीवी के माध्यम से कार्यान्वित किया जा रहा है। एलआईसी पेंशन निधि प्रबंधक है और पेंशन भुगतान के लिए जिम्मेदार है। सीएससी – एसपीवी अपने सीएससी के माध्यम से देशभर में लगभग 3 लाख लाभार्थियों का नामांकन करने के लिए जिम्मेदार हैं। इस योजना के अंतर्गत प्रथम माह के अंशदान की राशि का भुगतान नकद किया जा रहा है।

इन कामगारों की कठिनाइयों और अनियमित रोजगारपरकता पर विचार करते हुए इस योजना को छोड़ने के प्रावधानों को लचीला रखा गया है। योजना को छोड़ने के प्रावधान निम्नवत हैं:–

(i) यदि अंशदाता 10 वर्ष से कम अवधि में योजना को छोड़ता है तो लाभार्थी के केवल अंशदान का हिस्सा बचत बैंक ब्याज की दर के साथ उसे वापस किया जाएगा।

(ii) यदि अंशदाता 10 वर्ष से कम अवधि के बाद लेकिन वार्धक्य वय अर्थात 60 वर्ष की आयु पूर्ण कर लेने से पहले छोड़ता है तब लाभार्थी के अंशदान के हिस्से को निधि द्वारा वास्तविक रूप से अर्जित संचयी ब्याज या बचत बैंक ब्याज के साथ, इनमें जो भी अधिक होगा, वापस कर दिया जाएगा।

(iii) यदि लाभार्थी ने नियमित अंशदान किया है और किसी भी कारण से उसकी मृत्यु हो जाती है तब उसका जीवनसाथी नियमित अंशदान का भुगतान करने पर योजना में बने रहने का या लाभार्थी के अंशदान रहने या लाभार्थी के अंशदान के साथ निधि द्वारा वास्तविक रूप से अर्जित संचयी ब्याज या बजत बैंक ब्याज इसमें से जो भी अधिक होगा प्राप्त करने का हकदार होगा।

(iv) यदि लाभार्थी ने नियमित अंशदान किया है और वह वार्धक्य वय अर्थात 60 वर्ष की आय से पहले किसी भी कारणवश स्थायी रूप से विकलांग हो जाता है और योजना के अंतर्गत अंशदान करने में असमर्थ है, तब उसका जीवन साथी नियमित अंशदान का भुगतान करने पर योजना में बने रहने या लाभार्थी के अंशदान के साथ निधि द्वारा वास्तविक रूप से अर्जित संचयी ब्याज या बजत बैंक ब्याज इसमें से जो भी अधिक होगा प्राप्त करने का हकदार होगा।

(v) अंशदाता और उसके जीवनसाथी की मृत्यु के बाद जमा राशि को निधि के बैंक खाते में जमा कर दिया जाएगा।

(vi) योजना छोड़ने के अन्य प्रावधान पर एनएसएसबी की सलाह पर सरकार द्वारा निर्णय किया जाएगा।

8.23.6 यदि अंशदाता ने लगातार अंशदान नहीं किया है तब उसे सरकार द्वारा यथानिर्धारित जुर्माने की राशि के साथ पूरी बकाया राशि का भुगतान करने पर अंशदान को नियमित करने की अनुमति होगी। योजना से संबंधित किसी भी शिकायत पर ध्यान देने के लिए, अंशदान ग्राहक सेवा नम्बर 1800267 6888 पर सम्पर्क कर सकता है, जो 24x7 आधार पर उपलब्ध रहेगी। वेब पोर्टल/एप पर भी शिकायत दर्ज करने की सुविधा उपलब्ध होगी। 31 दिसम्बर, 2019 की यथास्थिति में लगभग 40 लाख लाभार्थियों ने योजना में अंशदान किया है।

अध्याय–9

बंधुआ मजदूर

9.1 बंधुआ मजदूर प्रथा (उत्सादन) अधिनियम, 1976 के अधिनियमन से दिनांक 25.10.1975 से पूरे देश में बंधुआ मजदूरी प्रथा समाप्त कर दी गई है। इसने सभी बंधुआ मजदूरों के कर्ज को परिसमाप्त करते हुए उन्हें एक एकपक्षीय आधार पर दासता से मुक्त कर दिया। इसने बंधुआ प्रथा को संज्ञेय अपराध बनाया है जो कानून द्वारा दंडनीय है।

9.2 अधिनियमन का कार्यान्वयन संबंधित राज्य सरकारों द्वारा किया जा रहा है। अधिनियम की प्रमुख बाते निम्नलिखित हैं:–

- इस अधिनियम के लागू होने पर बंधुआ मजदूरी प्रथा का उन्मूलन हो जाएगा और प्रत्येक बंधुआ मजदूर स्वतंत्र हो जाएगा और किसी प्रकार की भी बंधुआ मजदूरी करने की अनिवार्यता से मुक्त कर दिया जाएगा।
- ऐसा कोई प्रथा, अनुबंध या किसी अन्य प्रकार के दस्तावेज जिनके आधार पर किसी व्यक्ति को बंधुआ मजदूरी करने के लिए बाध्य होना चाहिए या उसे निरस्त माना जाएगा
- बंधुआ ऋण को चुकाने की बाध्यता को समाप्त कर दिया जाएगा।
- बंधुआ मजदूरों की गिरवी आदि रखी गई संपत्ति को इससे मुक्त कर दिया जाएगा।
- मुक्त बंधुआ मजदूर को उस भूमि या अन्य आवासीय परिसर से नहीं हटाया जाएगा। जिस पर वह बंधुआ मजदूरी के हिस्से के रूप में वहां रह रहा था।
- जिला न्यायाधीश को कुछ कर्तव्यों और दायित्वों के साथ इस अधिनियम के प्रावधानों को लागू का कार्य सौंपा गया है।
- जिला और उप प्रभागीय स्तरों पर सतर्कता समितियों का गठन किया जाना अपेक्षित है।
- अधिनियम के प्रावधानों के उल्लंघन के लिए एक अवधि के लिए कारावास, जिसे तीन वर्ष की अवधि तक बढ़ाया जा सकता है तथा जुर्माना, जिसे दो हजार रुपये तक बढ़ाया जा सकता है, की सजा दी जा सकती है।
- इस अधिनियम के अंतर्गत अपराधों की सुनवाई के लिए न्यायिक दंडाधिकारियों की शक्तियों को कार्यकारी दंडाधिकारियों को प्रदत्त किया जाना आपेक्षित है। इस अधिनियम के अंतर्गत अपराधों की सुनवाई संक्षेप में की जा सकती है।

बंधुआ मजदूरों की पुनर्वास संबंधी केंद्रीय क्षेत्र योजना, 2016

9.3 मुक्त हुए बंधुआ मजदूरों के पुनर्वास के कार्य में राज्य सरकारों की सहायता करने के लिए श्रम मंत्रालय ने मई, 1978 में केंद्रीय प्रायोजित योजना का शुभारंभ किया। इस योजना के अंतर्गत रुपये 20,000/– की पुनर्वास सहायता राशि प्रति मुक्त बंधुआ मजदूर उपलब्ध करवाई गई जो कि केंद्र तथा राज्य सरकारों द्वारा 50:50 आधार पर साझा की गई; सात पूर्वोत्तर राज्यों के मामले में, यदि वे अपना हिस्सा उपलब्ध कराने में असमर्थता व्यक्त करते हैं तब 100 प्रतिशत केंद्रीय सहायता।

9.4 तत्पश्चात 2016 में, दिनांक 17.05.2016 से योजना का पुर्नोत्थान किया गया जिसका नाम बंधुआ मजदूर के पुनर्वास केंद्रीय क्षेत्र योजना 2016 है। योजना की मुख्य विशेषताएं निम्न अनुसार हैं:

I. मुक्त बंधुआ मजदूर के लिए वित्तीय सहायता प्रति

वयस्क लाभार्थी 20,000/– से रुपये एक लाख रुपये तक बढ़ाई गई है, विशेष श्रेणी के लाभार्थियों जैसे कि अनाथ या संगठित और बलात भीख मांगने वाले क्षेत्रों या बलात बाल श्रम के अन्य रूपों से बचाए गए बच्चों सहित बच्चों और महिलाओं के लिए 2 लाख रुपये और वंचित या अधिकार विहीन की अतिशय मामलों जैसे विपरीत लिंगीय, प्रत्यक्ष यौन शोषण जैसे कि वेश्यालयों, मसाज पार्लरों, प्लेसमेंट एजेंसियों आदि से छुड़वाए गए बच्चों और औरतों के मामलों में या तस्करी या विशेष रूप से सक्षम व्यक्तियों के मामलों में या ऐसी परिस्थितियों में, जहां जिला मजिस्ट्रेट सही समझें, तीन लाख रुपये तक बढ़ाई गई है।

2. राज्य सरकारों से नकद पुनर्वास सहायता के उद्देश्य से समरूप अंशदान का भुगतान अपेक्षित नहीं है।

3. इस योजना में प्रत्येक तीन वर्ष में एक बार बंधुआ मजदूरों का सर्वेक्षण करवाने के लिए राज्य सरकारों को 4.50 लाख रुपये प्रति संवेदनशील जिला, मूल्यांकन अध्ययन के लिए 1 लाख (प्रत्येक वर्ष अधिकतम पांच मूल्यांकन अध्ययन) और जागरूकता पैदा करने के लिए प्रति राज्य प्रति वर्ष 10 लाख रुपये की वित्तीय सहायता का प्रावधान किया गया है। सर्वेक्षण करने, जागरूकता पैदा करने तथा मूल्यांकन अध्ययन के लिए केंद्र सरकार अपेक्षित राशि का 50 प्रतिशत अग्रिम देगी।

4. पुनर्वास सहायता जारी करना आरोपी की दोष सिद्धि के साथ जोड़ा गया है। तथापि आपराधिक कार्रवाई के होते हुए भी जिला प्रशासन द्वारा मुक्त बंधुआ मजदूर को 20,000/– रुपये तक की त्वरित सहायता प्रदान की जा सकती है। आगे उन मामलों में जहां परीक्षण समाप्त नहीं हुआ है, परन्तु जिला प्रशासन प्रथम दृष्टया निष्कर्ष तथा बंधुआ होने के साक्ष्य पर पहुंच गया है, तब दोष सिद्धि के विवरण के अभाव में वित्तीय सहायता के प्रस्ताव को नहीं रोका जाएगा। तथापि नकद सहायता तथा गैर–नकद सहायता का अंतिम संवितरण बंधुआ होने के साक्ष्य तथा न्यायिक प्रक्रिया के अनुसार अन्य विधिक परिणामों के आधार पर किया जाएगा।

5. यह योजना मुक्त बंधुआ मजदूरों को तत्काल मदद देने के लिए जिला मजिस्ट्रेट के निस्तारण पर उपलब्ध न्यूनतम रूपए 10 लाख रुपये की स्थायी धनराशि से प्रत्येक राज्य द्वारा जिला स्तर पर बंधुआ श्रम पुनर्वास निधि बनाने का प्रावधान करती है।

6. उपरोक्त लाभ राज्यों द्वारा प्रदान किए गए अन्य भूमि और आवास घटकों के अतिरिक्त हैं।

आज तक 2,93,725 बंधुआ मजदूरों के पुनर्वास के लिए राज्य सरकारों को 9,582.92 लाख रुपये की राशि जारी की जा चुकी है।

9.5 राज्य सरकार के अधिकारियों, सतर्कता समितियों आदि को कानूनी प्रावधानों और पुनर्रचित केंद्रीय योजना एवं इसकी निगरानी करने और प्रगति का मूल्यांकन के प्रति संवेदनशील बनाने के लिए राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग, राज्य सरकारों, भारतीय मजदूरी संघों और अन्य पणधारियों के सहयोग से कई कार्यशालाएं आयोजित की गईं हैं।

अध्याय – 10

ठेका श्रमिक

10.1 ठेका श्रमिक सामान्यतः उन कामगारों को कहा जाता है कि जिन्हें प्रयोक्ता उद्यमों के लिए ठेकेदार द्वारा काम पर लगाया जाता है। यह रोजगार का एक महत्वपूर्ण व बढ़ता हुआ स्वरुप है। इन कामगारों की संख्या करोड़ों में है और ये मुख्य रूप से कृषि कार्यों, बागानों, निर्माण उद्योग, पत्तनों एवं गोदियों, तेल क्षेत्रों, कारखानों, रेलवे, जहाजरानी, विमान सेवा, सड़क परिवहन आदि के कार्य में लगे हैं।

10.2 ठेका श्रम (विनियमन एवं उत्सादन) अधिनियम, 1970 इन कामगारों के हित की रक्षा करने और संरक्षण देने के लिए अधिनियमित किया गया था। यह ऐसे प्रत्येक प्रतिष्ठान/ठेकेदार पर लागू होता है जिसमें 20 अथवा अधिक कर्मचारी नियोजित हों। यह सरकारी प्रतिष्ठानों एवं स्थानीय प्राधिकरणों पर भी लागू होता है।

10.3 केन्द्र सरकार का रेलवे, बैंकों, खानों आदि जैसे प्रतिष्ठानों पर नियंत्रण है तथा राज्य सरकारों का उस राज्य में स्थित ईकाइयों पर नियंत्रण होता है।

10.4 केन्द्र सरकार एवं राज्य सरकारों से उन्हें संदर्भित किए गए अधिनियम के प्रशासन से उत्पन्न होने वाले मामलों पर संबंधित सरकारों को सलाह देने के लिए 'समुचित' सरकारों की हैसियत से केन्द्रीय तथा राज्य ठेका श्रम सलाहकार बोर्डों का गठन किया जाना अपेक्षित है। यह बोर्ड उचित मानी जाने वाली समितियों का गठन करने के लिए प्राधिकृत होता है।

10.5 केन्द्रीय ठेका श्रम सलाहकार बोर्ड (सीएसीएलबी) एक सांविधिक निकाय है जिसकी संरचना त्रिपक्षीय तथा प्रकृति अर्ध–न्यायिक है। इसके गैर–सरकारी सदस्यों के कार्यकाल की अवधि तीन वर्ष है। वर्तमान केन्द्रीय ठेका श्रम सलाहकार बोर्ड का पुनर्गठन 29 मई, 2019 को किया गया है। आदिनांक तक, केन्द्रीय ठेका श्रम सलाहकार बोर्ड 96 बैठकें आयोजित की जा चुकी है।

10.6 अब तक केन्द्रीय ठेका श्रम सलाहकार बोर्ड के परामर्श से विनिर्दिष्ट प्रतिष्ठानों में ठेका श्रम के नियोजन को समाप्त करते हुए इस अधिनियम की धारा 10 के अंतर्गत 94 अधिसूचनाएं जारी की जा चुकी है।

10.7 प्रत्येक प्रतिष्ठान एवं ठेकेदार, जिस पर यह अधिनियम लागू होता है, को ठेका कार्य कराने के लिए पंजीकरण कराना/लाइसेंस लेना होता है। ठेका श्रमिकों की मजदूरी, कार्य के घंटे, कल्याण, स्वास्थ्य एवं सामाजिक सुरक्षा से संबंधित हितों को संरक्षित रखा जाता है। ठेका श्रमिकों को उपलब्ध कराई जाने वाली सुख–सुविधाओं में कैंटीन, विश्राम कक्ष, प्राथमिक चिकित्सा की सुविधाएं तथा कार्य करने के स्थान पर पीने के पानी आदि जैसी अन्य मूलभूत आवश्यकताएं शामिल हैं। मजदूरी तथा अन्य लाभों का भुगतान सुनिश्चित करवाने की जिम्मेदारी मुख्यतः ठेकेदार की होती है और चूक होने पर यह जिम्मेदारी प्रधान नियोक्ता की होती है।

10.8 इस अधिनियम के दायरे से प्रतिष्ठानों को छूट प्रदान करते हुए अब तक इस अधिनियम की धारा 31 अंतर्गत 28 अधिसूचनाएं जारी की जा चुकी है।

10.9 केन्द्रीय क्षेत्र में मुख्य श्रम आयुक्त (केन्द्रीय) की अध्यक्षता में केन्द्रीय औद्योगिक संबंध तंत्र (सीआईआरएम) एवं उसके अधिकारियों को अधिनियम के उपबंधों एवं उसके अंतर्गत बनाये गये नियमों को लागू करने का दायित्व सौंपा गया है।

10.10 व्यवसाय करने में सुगमता के संवर्धन तथा विभिन्न फॉर्मों/रिपोर्टों/विवरणियों की विविधता और दोहराव को समाप्त करने हेतु श्रम एवं रोजगार मंत्रालय ने 28 मार्च, 2017 को भारत के सरकारी राजपत्र में "कतिपय श्रम कानून नियम, 2017 के अंतर्गत प्ररूपों तथा रिपोर्टों का तर्कसंगतिकरण" अधिसूचित किया है। इसके परिणामस्वरूप ठेका श्रम (विनियमन एवं उत्सादन) अधिनियम, 1970 (1970 का 37), अंतर्राज्यिक प्रवासी कर्मकार (नियोजन का

विनियमन एवं सेवा शर्तें) अधिनियम, 1979 (1979 का 30) तथा भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार (नियोजन का विनियमन एवं सेवा–शर्तें) अधिनियम, 1996 (1996 का 27) के अंतर्गत निर्धारित प्ररूपों तथा रिपोर्टों की संख्या 36 के घटकर 12 हो गई है।

10.11 उपर्युक्त तीन अधिनियमों के अंतर्गत विनिर्दिष्ट प्ररूपों को और सरलीकृत करने तथा उनकी संख्या कम करने के उद्देश्य से मंत्रालय ने कतिपय श्रम कानून (संशोधन)/ नियम, 2017 के अंतर्गत दिनांक 29 दिसम्बर, 2017 के जीएसआर 1593 (अ) के माध्यम से प्ररूपों तथा रिपोर्टों का तर्कसंगतिकरण भी अधिसूचित किया है जिसमें प्रतिष्ठान के पंजीकरण से संबंधित अन्य प्ररूपों को घटाकर कुल 8 तथा एकीकृत वार्षिक विवरणी दाखिल करने की संख्या 2 कर दी है। अब उपर्युक्त तीन अधिनियमों के अंतर्गत विहित प्ररूपों और रिपोर्टों/विवरणियों की संख्या 44 से घटकर 14 रह गई है।

10.12 सरकार के "डिजीटल इंडिया" प्रयास को और आगे ले जाते हुए तथा विभिन्न सरकारी सेवाओं की उपलब्धता नागरिकों को इलैक्ट्रॉनिक रूप से सुनिश्चित करने के लिए श्रम एवं रोजगार मंत्रालय ने निम्नलिखित और सुविधाएं उपलब्ध कराई हैं:

i. उपर्युक्त तीन अधिनियमों के अंतर्गत श्रम सुविधा पोर्टल पर एकीकृत वार्षिक विवरणी अनिवार्यतः ऑनलाइन दाखिल करने हेतु अधिसूचना(एं) जीएसआर 1593 (अ) से जीएसआर 1596 (अ) के माध्यम से दिनांक 29 दिसम्बर, 2017 के सरकारी राजपत्र अधिसूचित की गई हैं।

ii. भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार (नियोजन का विनियमन एवं सेवा–शर्तें) केन्द्रीय (संशोधन) नियम, 2018 का प्रकाशन 4 सितम्बर, 2018 के सरकारी राजपत्र की अधिसूचना जीएसआर 828 के माध्यम से किया गया ताकि भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार (नियोजन का विनियमन एवं सेवा–शर्तें) अधिनियम, 1996 (1996 का 27) के अंतर्गत प्रतिष्ठानों के पंजीकरण के लिए आवेदन(नों) को दाखिल करना और पंजीकरण का प्रमाण–पत्र प्रदान करना अनिवार्यतः श्रम सुविधा पोर्टल पर ऑनलाइन किया जा सके।

iii. ठेका श्रम (विनियमन एवं उत्सादन) अधिनियम, 1970 (1970 का 37) और अंतर्राज्यिक प्रवासी कर्मकार (नियोजन का विनियमन एवं सेवा शर्तें) अधिनियम, 1979 (1979 का 30) के अंतर्गत आवेदन दाखिल करने और पंजीकरण का प्रमाण–पत्र/ लाइसेंस जारी करने को दिनांक 15 नवम्बर, 2018 के सरकारी राजपत्र की अधिसूचना(एं) जीएसआर 1125(अ) और जीएसआर 1126 (अ) के माध्यम से श्रम सुविधा पोर्टल पर अनिवार्य बनाया गया है।

अध्याय 11

महिलाएं एवं श्रम

महिला श्रमिकों की भूमिका

11.1 भारत के श्रमबल में महिलाओं का महत्वपूर्ण स्थान है। भारत में महिला कामगारों की कुल संख्या 149.9 मिलियन है तथा ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में महिला कामगार क्रमशः 121.9 और 28.0 मिलियन हैं (स्रोतः 2011 की जनगणना)। कुल 149.9 महिला कामगारों में से 35.9 मिलियन महिलाएं खेतिहर मजदूर के रूप कार्यरत हैं तथा 61.5 मिलियन कृषक श्रमिक हैं। शेष महिला कामगारों में से 8.5 मिलियन घरेलू उद्योग में हैं तथा 43.7 मिलियन अन्य कामगारों के रूप में वर्गीकृत हैं।

11.2 वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार, महिलाओं की कार्य सहभागिता दर 2001 में 25.63 प्रतिशत की तुलना में 25.51 प्रतिशत है। ग्रामीण क्षेत्रों में महिलाओं की कामगार जनसंख्या दर (डब्ल्यू.पी.आर.) 4वाँ वार्षिक रोजगार –बेरोजगार सर्वेक्षण (2013–14) के आधार पर (2013–14) शहरी क्षेत्रों के 17.5 प्रतिशत की तुलना में 35.1 प्रतिशत है और यू.पी.एस.एस. के अंतर्गत 5वाँ वार्षिक रोजगार –बेरोजगार सर्वेक्षण (2015–16) के आधार पर शहरी क्षेत्रों के 14.8 प्रतिशत की तुलना में 30.2 प्रतिशत है। श्रम ब्यूरो द्वारा दिसम्बर 2013 और अप्रैल 2015 को संचालित 4वाँ एवं 5वाँ वार्षिक रोजगार –बेरोजगार सर्वेक्षण के अनुसार यू.पी.एस. एस. एप्रोच के अंतर्गत महिला श्रम बल सहभागिता दर 31.1% से घटकर 27.4% प्रतिशत रह गई है।

आवधिक श्रम बल संगठन (पी.एल.एफ.एस.)

11.3 वर्ष 2017–18 के दौरान राष्ट्रीय प्रतिदर्श सर्वेक्षण कार्यालय, सांख्यिकी एवं कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय द्वारा कराए गए आवधिक श्रम बल सर्वेक्षण के परिणामस्वरूप सामान्य स्थिति (प्रधान–गौण) के आधार पर 15 वर्ष एवं इससे अधिक आयु वर्ग की महिलाओं के लिए कामगार जनसंख्या अनुपात 22% था और 15 वर्ष एवं इससे अधिक आयु वर्ग की स्थिति के आधार पर संपूर्ण महिला श्रमबल सहभागिता दर 23.3% थी जो कि शहरी क्षेत्रों में 20.4 की तुलना में ग्रामीण क्षेत्रों में 24.6% थी। महिलाओं की संपूर्ण बेरोजगारी दर 5.6% थी तथा ग्रामीण क्षेत्रों में बेरोजगारी की यह दर 3.8% तथा शहरी क्षेत्रों में 10.8% थी।

महिला कामगारों के हित की संरक्षा

11.4 राष्ट्रीय जनशक्ति और आर्थिक नीतियों के ढांचे के भीतर महिला श्रम बल संबंधी नीतियों और कार्यक्रमों का निर्माण तथा समन्वयन।

- महिला कामगारों के संबंध में कार्यक्रम का प्रभावी कार्यान्वयन सुनिश्चित करने के लिए अन्य सरकारी एजेंसियों के साथ सम्पर्क बनाए रखना।
- समान पारिश्रमिक अधिनियम, 1976 के कार्यान्वयन को मॉनिटर करना और समान पारिश्रमिक अधिनियम, 1976 के अंतर्गत सलाहकार समिति का गठन करना।

11.5 पुरुष और महिलाओं के लिए समान पारिश्रमिक से संबंधित अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन के 1951 के अभिसमय संख्या 100 का भारत सरकार ने वर्ष 1958 में अनुसमर्थन किया था। संवैधानिक उपबंधों को प्रभावी बनाने और अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन के अभिसमय संख्या 100 का प्रवर्तन सुनिश्चित करने के लिए 1976 के समान पारिश्रमिक अधिनियम को अधिनियमित किया गया था।

समान पारिश्रमिक अधिनियम, 1976

11.6 समान पारिश्रमिक अधिनियम, 1976 में उसी कार्य अथवा समान कार्य हेतु बिना किसी भेदभाव के पुरुष और महिला कामगारों को समान पारिश्रमिक का भुगतान किए जाने तथा उसी कार्य अथवा समान प्रकृति के कार्य हेतु भर्ती करते समय, अथवा भर्ती के उपरांत पदोन्नतियों,

प्रशिक्षण अथवा स्थानांतरण जैसी सेवा की किसी शर्त में महिला कर्मचारी के विरुद्ध भेदभाव की रोकथाम का प्रावधान है। इस अधिनियम के उपबंधों का रोजगार की सभी श्रेणियों पर विस्तार किया गया है। इस अधिनियम को दो स्तरों अर्थात् केन्द्रीय स्तर और राज्य स्तर पर कार्यान्वित किया जाता है। केन्द्रीय क्षेत्र में, इस अधिनियम के प्रवर्तन का उत्तरदायित्व मुख्य श्रमायुक्त (केंद्रीय), जो केन्द्रीय औद्योगिक संबंध तंत्र (सीआईआरएम) की अध्यक्षता करते हैं, को सौंपा गया है। माननीय श्रम एवं रोजगार राज्य मंत्री की अध्यक्षता में इस अधिनियम के कारगर कार्यान्वयन का पुनरीक्षण करने हेतु समान पारिश्रमिक अधिनियम, 1976 के अंतर्गत केन्द्रीय सलाहकार समिति (सी.ए.सी.) का गठन किया गया है।

11.7 उन मामलों में, जिनमें राज्य सरकार ''समुचित प्राधिकरण'' हैं, समान पारिश्रमिक अधिनियम के उपबंधों का प्रवर्तन राज्य श्रम विभागों के अधिकारियों द्वारा किया जाता है। इस अधिनियम के कार्यान्वयन का अनुवीक्षण करने के उद्देश्य से मंत्रालय के विशेष प्रकोष्ठ द्वारा राज्य सरकारों से वार्षिक विवरणियां मंगायी जाती हैं। राज्य सरकारों/संघ राज्य क्षेत्रों को इस अधिनियम का और अधिक कड़ाई से प्रवर्तन सुनिश्चित करने के लिए समय–समय पर सलाह दी जाती रही है ताकि महिला कामगारों की हालत में सुधार लाया जा सके।

11.8 श्रम एवं रोजगार मंत्रालय कार्यस्थल पर महिला कर्मचारियों के यौन उत्पीड़न संबंधी शिकायतों से निपटने के लिए एक शिकायत समिति का पुनर्गठन किया गया है।

प्रसूति प्रसुविधा अधिनियम 1961 में संशोधन

11.9 कार्य एवं पारिवारिक दायित्व में सामंजस्य स्थापित करने के उद्देश्य से पारिवारिक एवं सामाजिक नीतियों की आवश्यकता के प्रति सरकार संवेदनशील है। सरकार ने वर्ष 2017 में प्रसूति प्रसुविधा (संशोधन) अधिनियम 2017 के अधिनियमन द्वारा प्रसूति प्रसुविधा अधिनियम 1961 में संशोधन किया है जिसमें अन्य बातों के साथ–साथ सवेतन मातृत्व छुट्टी 12 सप्ताह से बढ़ाकर 26 सप्ताह तथा 50 अथवा अधिक कर्मचारियों वाले स्थापनों में क्रैच की सुविधा का उपबंध किया गया है।

महिला कामगारों का प्रशिक्षण

11.10 महिला कामगारों के सशक्तीकरण के संबंध में भारत सरकार के प्रयासों के अनुरूप, दत्तोपंत थेंगड़ी राष्ट्रीय श्रमिक शिक्षा एवं विकास बोर्ड (पूर्ववर्ती सीबीडब्ल्यूई) द्वारा बोर्ड के विभिन्न प्रशिक्षण कार्यक्रमों में महिला कामगारों की और अधिक सहभागिता के लिए विशेष प्रयास किए गए। वर्ष 2019–20 (नवम्बर, 2019 तक) के दौरान, बोर्ड के विभिन्न प्रशिक्षण कार्यक्रमों में 62,177 महिलाओं ने भाग लिया था। कुल 25,920 महिला कामगारों में से, 61,407 अनुसूचित जाति श्रेणी और 11,050 अनुसूचित जनजाति श्रेणी की थीं।

11.11 दत्तोपंत थेंगड़ी राष्ट्रीय श्रमिक शिक्षा एवं विकास बोर्ड (पूर्ववर्ती सीबीडब्ल्यूई) महिला कामगारों के लिए 2–दिवसीय विशेष प्रशिक्षण कार्यक्रम भी संचालित करता है जिसमें असंगठित क्षेत्र की विभिन्न श्रेणियों की केवल महिला प्रतिभागियों को नामांकित किया जाता है। नवम्बर, 2019 तक महिला कामगारों के लिए ऐसे 167 विशेष कार्यक्रम संचालित किए गए थे जिनमें 6,213 कामगारों ने भाग लिया। महिलाओं को उनके अधिकारों और कर्तव्यों, तथा महिला और बाल कल्याण तथा महिलाओं और बच्चों के उत्थान हेतु संबंधित महिलाओं को केन्द्रीय और राज्य सरकार के विभिन्न अन्य उपबंधों से अवगत कराया जाता है।

11.12 वी.वी. गिरि राष्ट्रीय श्रम संस्थान (वी.जी.एन.एल. आइ.), जो कि श्रम एवं रोजगार मंत्रालय का प्रशिक्षण, शोध एवं नीति संस्थान है, द्वारा महिला कामगारों के लिए श्रम एवं रोजगार के मामलों पर नियमित रूप से विभिन्न अनुकूलित प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किए जाते हैं। लैंगिक समानता एवं महिला सशक्तीकरण के लिए प्रशिक्षण लैंगिक समावेशी समाज के निर्माण के लिए लैंगिक समानता को बढ़ावा देने के लिए वी.वी. गिरि राष्ट्रीय श्रम संस्थान (वी.जी.एन.एल.आइ.) प्रतिबद्धता का एक महत्वपूर्ण घटक है। ज्ञान, कौशल, उन्नयन और व्यवहार परिवर्तन के उद्देश्य से एक परिवर्तनकारी प्रक्रिया के रूप में प्रशिक्षण पर विचार करने हेतु संस्था लैंगिकता के विभिन्न आयामों पर प्रशिक्षण आयोजित करता है। अवधि के दौरान विशेष रूप से

महिलाओं के लिए वी.वी. गिरि राष्ट्रीय श्रम संस्थान (वी.जी. एन.एल.आई.) द्वारा लैंगिक विषयों पर निम्नलिखित तीन प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किए गए हैं :–

1. महिला कर्मियों के लिए नेतृत्व विकास कार्यक्रम, 24–26 जुलाई, 2019
2. महिला समानता एवं सशक्तीकरण से संबंधित कानून, 5–9 अगस्त, 2019
3. अनौपचारिक अर्थव्यवस्था में महिला श्रमिकों के लिए कौशल विकास योजनाओं का विकास, 19–23 अगस्त, 2019

संस्था में संचालित लिंग संबंधी विविध कार्यक्रमों में कुल 618 महिला श्रमिकों ने प्रतिभागिता की।

शिशु पालन केन्द्र

11.13 महिला कामगारों की सुविधा हेतु शिशु पालन केन्द्र खोलने के लिए कतिपय श्रम कानूनों में सांविधिक उपबंधों की व्यवस्था की गई है। इनमें कारखाना अधिनियम, 1948, बीड़ी तथा सिगार (कर्मकार नियोजन की शर्तें) अधिनियम, 1966 खान अधिनियम, 1952, बागान अधिनियम, 1951 और भवन और अन्य सन्निर्माण कर्मकार (नियोजन तथा सेवा शर्त विनियम) अधिनियम, 1996 शामिल हैं। सरकार ने वर्ष 2017 में प्रसूति प्रसुविधा (संशोधन) अधिनियम, 2017 के अधिनियमन के माध्यम से प्रसूति प्रसुविधा अधिनियम, 1961 में संशोधन किया है जिसमें अन्य बातों के साथ–साथ 26 सप्ताह का सवेतन मातृत्व छुट्टी तथा 50 अथवा अधिक कर्मचारियों वाले स्थापनों में क्रैच की सुविधा का उपबंध किया गया है। संशोधित प्रसूति प्रसुविधा अधिनियम के विस्तृत उपबंध इस अध्याय के साथ संबद्ध तालिका में दिए गए हैं।

रोजगार इच्छुक महिलाओं को सहायता

नेशनल करियर सर्विस में महिलाओं को प्रमुखता

11.14 महिला सशक्तीकरण को बढ़ावा देने के उद्देश्य से नेशनल करियर सर्विस (एन.सी.एस.) महिलाओं को विभिन्न प्रकार की सुविधाएं प्रदान करता है ताकि उन्हें उचित अवसर प्राप्त हो सकें। ''महिलाओं के लिए नौकरी'' नामक एक विशिष्ट शीर्षक एनसीएस के पोर्टल के होमपेज पर प्रदर्शित किया गया गया है ताकि वे आसानी से उचित नौकरी ढूंढ़कर आवेदन कर सकें। महिलाओं पर केंद्रित रोजगार के लिए रोजगार मेला तथा कार्यक्रम आयोजित किए जाते हैं जैसे मॉडल करियर सेंटर, कोयम्बत्तूर द्वारा जून, 2019 में केवल अध्यापकों के लिए रोजगार मेला का आयोजन किया गया। एनसीएस में कार्यात्मक भी उपलब्ध कराई गई है जहां घरेलू उपयोगकर्ता अपने क्षेत्र में स्थानीय सेवा प्रदाताओं जैसे नलसाज, बिजली–मिस्तरी, रसोइया, सौंदर्य प्रसाधिका आदि से जुड़ सकते हैं।

11.15 रोजगार कार्यालय अपने यहां पंजीकृत महिलाओं की रोजगार आवश्यकताओं को पूरा करने पर विशेष ध्यान देता है। 01 जनवरी 2017 से 31 अगस्त, 2017 तक की अवधि के दौरान 67141 महिलाओं को विभिन्न रोजगारों में नियुक्त (प्राथमिक) किया गया।

11.16 रोजगार कार्यालय द्वारा दिलाए गए काम (प्लेसमेंट) का विवरण अध्याय–24 (तालिका 24.2) में है।

तालिका–11.1

महिलाओं का नियोजन – सुरक्षात्मक कानूनी उपबंध

अधिनियमन का नाम	संरक्षात्मक उपबंध
1. बीड़ी एवं सिगार कर्मकार (नियोजन की शर्तें) अधिनियम, 1966	क्रैच :– उन औद्योगिक परिसरों में जहां सामान्यतः तीस से अधिक महिलाएं नियोजित हों, वहां ऐसे महिला कामगारों के छह वर्ष से नीचे के बच्चों के प्रयोजनार्थ क्रैचों की व्यवस्था तथा उनका अनुरक्षण।

	(2) कमरे ऐसे होंगे (क) पर्याप्त आवास उपलब्ध कराना; (ख) पर्याप्त रूप से रोशनी और हवादार हों; (ग) सफाई और स्वच्छता शर्तों का पालन हों; (घ) बच्चों और शिशुओं की देखरेख में प्रशिक्षित महिलाओं के प्रभार हों। (3) राज्य सरकार के नियम हैं– (क) इस धारा के तहत उपलब्ध होने वाले कमरों के निर्माण, आवास, फर्नीचर और अन्य उपस्करों के संबंध में स्थान और मानक का निर्धारण करना; (ख) औद्योगिक परिसरों में जो इस धारा में लागू होता है, महिला कर्मचारी से संबंधित बच्चों की देखभाल के लिए अतिरिक्त सुविधा है जिसमें धोने और अपने कपड़े बदलने हेतु सुविधाओं के पर्याप्त प्रावधानों हैंय (ग) औद्योगिक परिसरों में ऐसे बच्चों के लिए निःशुल्क दूध या जलपान या दोनों देने का अपेक्षित प्रावधान होना। (घ) औद्योगिक परिसरों में आवश्यक अंतराल पर अपने बच्चों को दूध पिलाने के लिए माताओं को अपेक्षित सुविधाएं दी जाएंगी।
2. बागान श्रम अधिनियम, 1951	• हर उस बागान में क्रैच का प्रावधान जहां पचास या इससे ज्यादा महिला कामगार (किसी ठेकेदार द्वारा नियोजित महिला कामगार सहित) नियोजित हों या महिला कामगारों (किसी ठेकेदार द्वारा नियोजित महिला कामगार सहित) के बच्चों की संख्या बीस या इससे ज्यादा हो। • परिवार की परिभाषा महिला–पुरूष निरपेक्ष बना दी गई है ताकि आश्रितजन हितलाभ उठाने के लिए पुरूष एवं महिला कामगारों के परिवारों के बीच अंतर मिटाया जा सके। परिवार में महिला कामगारों और पुरूष कामगारों की आश्रित विधवा बहन भी शामिल होगी। • बागानों में कार्यरत कामगारों विशेषतया महिलाओं और किशोरों की सुरक्षा और व्यावसायिक स्वास्थ्य के सभी पहलुओं को कवर करने हेतु बागानों में प्रयुक्त रसायनों, कीटनाशकों और विषाक्त पदार्थों को हैंडल करने, भंडारण करने अथवा लाने–ले जाने से संबंधित एक नया अध्याय जोड़ा गया है।

3. ठेका श्रम (विनियमन एवं उन्मूलन) अधिनियम, 1970	• ठेका श्रमिकों के रूप में कार्यरत महिलाओं के लिए प्रत्येक उस स्थान में अलग से विश्राम गृह अथवा वैकल्पिक आवास की व्यवस्था, जहां उन्हें रात में रुकना आवश्यक हो। • डाइनिंग हॉल तथा सर्विस काउंटर में अलग आरक्षित हिस्से की व्यवस्था • निजता बनाए रखने हेतु महिलाओं के लिए अलग से शौचालय एवं धुलाई स्थानों का प्रावधान। • ठेका श्रम के अनुसार जहां बीस या अधिक महिला सामान्यता नियोजित हैं, को क्रेच की व्यवस्था करना।
4. अंतरराज्यिक प्रवासी कर्मकार (नियोजन धारा का विनियमन और सेवा शर्त) अधिनियम,1979	**44** **क्रेच** (1) हर स्थापना में जहां प्रवासी कर्मकार के रूप में 20 या अधिक कर्मकार सामान्यतया नियोजित हैं और जिसमें प्रवासी कर्मकार नियोजन के रूप में कदाचित तीन या अधिक महीनों के लिए बने रहते हैं तो नियमों के लागू होने के पंद्रह दिनों के भीतर और वर्तमान स्थापना के मामले में नई स्थापना के प्रवासी कर्मकार के रूप में बीस महिलाओं से कम को रोजगार देने के पंद्रह दिनों के भीतर ठेकेदार छह वर्ष की आयु से कम के बच्चों के प्रयोग के लिए उचित आकार–प्रकार के दो कमरों को उपलब्ध कराएगा और उसका अनुरक्षण होगा। (2) इनमें एक कमरा बच्चों के लिए खेलकक्ष रूप में प्रयोग होगा और अन्य कमरे बच्चों के लिए बेड रूम के रूप में प्रयोग होंगे। (3) यदि ठेकेदार निर्धारित समय के भीतर क्रेच की व्यवस्था करने में असफल होता है तो ठेकेदार को दिए गए समय की समाप्ति के पंद्रह दिनों के भीतर मुख्य नियोजक द्वारा वह सुविधा उपलब्ध करानी होगी। (4) ठेकेदार या मुख्य नियोक्ता जैसा भी हो वह खेलकक्ष में पर्याप्त संख्या में खिलौने और खेल सामग्री और सोने वाले कमरे में पलंगों तथा बिस्तरों की आपूर्ति करेगा। (5) क्रेच का निर्माण ऐसा होगा ताकि गर्मी, गीलापन, हवा, वर्षा से पर्याप्त सुरक्षा हो और समतल, सख्त एवं अप्रभावित फर्श रखना होगा। (6) क्रेच की व्यवस्था स्थापना से समीप सुगम दूरी पर हो और उसमें हों;

	(7) क्रेच के हरेक कमरे में स्वच्छ हवा पर्याप्त रूप से आती रहे इसके लिए प्रभावी और उचित प्रावधान बनाए जाएंगे तथा प्राकृतिक या कृत्रिम उचित रोशनी उपलब्ध और अनुरक्षित भी की जाएगी।
5. कारखाना अधिनियम, 1948	• सामान्यतः तीस से अधिक महिला कामगारों को नियोजित करने वाले हर कारखाने में क्रैच का प्रावधान। • प्रातः 6.00 बजे से सायं 7.00 बजे के बीच की अवधि को छोड़कर कारखाने में महिलाओं का नियोजन मना है। तथापि, अपवादस्वरूप परिस्थितियों में, 10.00 बजे रात्रि तक महिलाओं के नियोजन की अनुमति है। • खतरनाक विनिर्माण प्रक्रिया अथवा कार्यों वाले कतिपय कारखानों में भी महिलाओं का नियोजन मना है। • किसी भी महिला को गतिमान प्राइम मूवर के किसी भाग की सफाई करने, उसमें चिकनाई लगाने या उसे व्यवस्थित करने की अनुमति नहीं होगी। • किसी भी महिला को कॉटन ओपनर के चलते समय कॉटन प्रेसिंग के लिए कारखाने के किसी भाग में नियोजित नहीं किया जाएगा।
6. खान अधिनियम, 1952	• नीचे भूतलीय खानों में रोजगार निषिद्ध है ऊपरी तलों के किसी खान में महिला कामगार को सुबह 6 बजे से और सायं 7 बजे के घंटों के दौरान काम की अनुमति है। केंद्र सरकार ने अधिसूचना के तहत महिलाओं के ऊपरी तलों के रोजगार के घंटों को घटाया है। तथापि, महिलाओं के किसी भी रोजगार को 10 बजे से 5 बजे तक की अनुमति नहीं दी गई है। आगे, ऊपरी तलों में नियोजित महिलाओं को किसी एक दिन रोजगार की समाप्ति और रोजगार की अगली अवधि के होने के मध्यांतर ग्यारह घंटे से कम की अनुज्ञा नहीं होगी। महिला कामगारों के लिए अलग से शौचालय एवं धुलाई सुविधाओं का प्रावधान भी अधिनियम का भाग है।
7. प्रसूति प्रसुविधा अधिनियम, 1961	प्रसूति प्रसुविधा अधिनियम, 1961 के अंतर्गत निम्न हितलाभ उपलब्ध हैं– • 2 जीवित बच्चों के लिए 26 सप्ताहों की मातृत्व छुट्टी जिसमें से आठ सप्ताह प्रसव की संभावित तिथि से पूर्व की अवधि के लिए है। दो से अधिक बच्चों तथा गोद लेने वाली/कमिशनिंग माताओं के लिए 12 सप्ताहों की सवेतन छुट्टी।

	• गर्भावस्था के दौरान उत्पन्न रुग्णता से पीड़ित, प्रसव, समयपूर्व शिशु जन्म (गर्भपात, गर्भ के चिकित्सकीय समापन अथवा महिला नसबंदी) के मामले में महिला कर्मचारी को एक माह की मातृत्व छुट्टी। • शिशु के 15 मास की आयु पूरी करने तक शिशु पोषण के लिए 15 मिनट के दो विराम। • यदि प्रसूति पूर्व और प्रसूति के बाद नियोक्ता द्वारा निःशुल्क देख–रेख नहीं की जाती है, तो 3500/–रुपये का चिकित्सा बोनस दिया जाए। • 10 सप्ताहों तक हल्के कार्य • गर्भावस्था के दौरान अनुपस्थिति के कारण पदच्युति पर रोक। • प्रसूति प्रसुविधा की हकदार महिला की मजदूरी में से कटौती न किया जाना। • घर से कार्य करने की सुविधा। • 50 अथवा अधिक कर्मचारियों वाले स्थापनों में रोज की चार विजिट के साथ क्रैच की सुविधा।
8. समान पारिश्रमिक अधिनियम, 1976	• एक ही कार्य या एक ही स्वरूप के कार्य के लिए पुरुषों तथा महिलाओं को समान पारिश्रमिक दिया जाना अधिनियम के अधीन सुरक्षित है। • भर्ती तथा सेवा शर्तों में कोई भेदभाव नहीं किया जाएगा सिवाय इसके कि किसी कानून के तहत अथवा अंतर्गत महिलाओं का नियोजन निषिद्ध या प्रतिबंधित किया गया हो।
9. कर्मचारी राज्य बीमा (केन्द्रीय) विनियम, 1950 के साथ पठित कर्मचारी राज्य बीमा अधिनियम, 1948	क.रा.बी. योजना के अंतर्गत उपलब्ध लाभ निम्नवत हैं:– • चिकित्सा हितलाभ • बीमारी एवं विस्तारित बीमारी हितलाभ • प्रसूति प्रसुविधा (i) 2 बच्चों तक 26 सप्ताह का सवेतन छुट्टी (ii) 2 बच्चों से अधिक के लिए दत्तक तथा कमिशनिंग माता के लिए 12 सप्ताह का छुट्टी (iii) गर्भपात के लिए 6 सप्ताह (iv) गर्भधारण की स्थिति में रूग्णता संबंधी अतिरिक्त माह का छुट्टी

	(v) 5000/–रुपये का चिकित्सा बोनस • अशक्तता हितलाभ • आश्रितजन हितलाभ • अंत्येष्टि हितलाभ
10. बीड़ी कर्मकार कल्याण निधि अधिनियम, 1976	• इन अधिनियमों के तहत क्रम संख्या 10–13 में सलाहकार तथा केन्द्रीय सलाहकार समिति में महिला सदस्यों की नियुक्ति अनिवार्य है।
11. लौह अयस्क खान, मैग्नीज अयस्क खान और क्रोम अयस्क खान श्रम कल्याण निधि अधिनियम, 1976	
12. चूना पत्थर और डोलोमाइट खान श्रमिक कल्याण निधि अधिनियम, 1972	
13. अभ्रक खान श्रम कल्याण निधि अधिनियम, 1946	
14. भवन और अन्य सन्निर्माण कर्मकार (रोजगार का विनियमन और सेवा शर्त) अधिनियम, 1996	धारा 35 **क्रेच** 1. हर स्थान पर जहां 50 से अधिक महिला निर्माण कामगार सामान्यतः नियोजित हैं वहां ऐसे महिला कामगारों के 6 वर्ष से नीचे के बच्चों के प्रयोजनार्थ क्रैचों की व्यवस्था। 2. कमरे इस प्रकार हों– (क) पर्याप्त स्थान उपलब्ध हो; (ख) पर्याप्त रूप से प्रकाशमय और हवादार हों; (ग) साफ–सफाई की दृष्टि से पर्याप्त रखरखाव किया गया हो; • बच्चों और शिशुओं की देखरेख में प्रशिक्षित महिलाओं के अंतर्गत प्रभार होना।
15. औद्योगिक नियोजन (स्थायी आदेश) अधिनियम, 1946	• महिला कामगारों के कार्य–स्थलों पर यौन–शोषण के विरूद्ध सुरक्षा संबंधी प्रावधान करना।

अध्याय–12

बच्चे एवं कार्य

प्रस्तावना

12.1 भारत सरकार देश में बाल श्रम उन्मूलन के लिए प्रतिबद्ध है। हमारे संविधान में बच्चों को आर्थिक गतिविधियों और उनकी आयु से मेल नहीं खाने वाले उप–व्यवसायों में काम करने से सुरक्षा प्रदान करने का प्रावधान मौलिक अधिकारों में दिया गया है (अनुच्छेद–24)। संविधान में राज्य के नीति निर्देशात्मक सिद्धांत भी इस वचनबद्धता को जोरदार ढंग से दोहराते हैं।

संवैधानिक उपबंधः

अनुच्छेद 21 क

शिक्षा का अधिकार

राज्य, 6 से 14 वर्ष की आयु के सभी बच्चों को निशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा ऐसे ढंग से प्रदान करेगा जैसे राज्य, विधि द्वारा, निर्धारित करेगा।

अनुच्छेद 24

कारखानों, आदि में बच्चों के नियोजन का निषेध

14 वर्ष से कम आयु के किसी बच्चों को किसी कारखाने अथवा खान में काम करने हेतु नियोजित नहीं किया जाएगा अथवा किसी अन्य जोखिमकारी रोजगार में लगाया नहीं जाएगा।

अनुच्छेद 39

राज्य, विशेषतया, अपनी नीति निम्नलिखित को सुनिश्चित करने की दिशा में निदेशित करेगा किः–

कामगारों, पुरूषों एवं महिलाओं, के स्वास्थ्य एवं शक्ति, तथा बच्चों की नाजुक आयु का दुरुपयोग न हो तथा यह कि नागरिक आर्थिक आवश्यकता द्वारा अपनी आयु अथवा शक्ति से अनुपयुक्त उपजीविकाओं में जाने को बाध्य न हों।

12.2 इस समस्या के बहुमुखी स्वरूप को ध्यान में रखते हुए, सरकार ने जोखिमकारी व्यवसायों और प्रक्रियाओं में कार्यरत बच्चों से आरम्भ करते हुए अन्य व्यवसायों में कार्यरत बच्चों को भी उत्तरोत्तर रूप से शामिल करते हुए, देश में चरणबद्ध ढंग से बाल श्रम के उन्मूलनार्थ पुनीत और बहु–आयामी कार्यक्रम शुरू किया है। एक तरफ, यह प्रवर्तन उद्देश्यों हेतु कानूनी कार्रवाई का प्रावधान करता है और दूसरी तरफ, यह बच्चों के परिवारों को आर्थिक रूप से सक्षम बनाने के साथ–साथ बाल बहुलता वाले क्षेत्रों में परियोजना आधारित कार्रवाई के लिए सामान्य विकास कार्यक्रमों पर संक्रेन्दित है।

राष्ट्रीय बाल श्रम–नीति (एनसीएलपी)

12.3 नियोजन के विरुद्ध बच्चों के संरक्षण हेतु किए गए संवैधानिक एवं कानूनी उपबंधों को सन् 1987 में घोषित राष्ट्रीय बाल श्रम–नीति में वर्णित किया गया है। इस नीति में बाल श्रम के जटिल मुद्दे को व्यापक, समग्र एवं एकीकृत ढंग से निपटने की बात कही गयी है। इस नीति के अंतर्गत कार्य योजना बहुमुखी है और इसमें मुख्यतया निम्नलिखित बातें सम्मिलित हैं:

(i) विधायी कार्य योजनाय

(ii) बच्चों के परिवारों के लाभार्थ सामान्य विकास कार्यक्रमों पर ध्यान देना; और

(iii) बाल श्रमिकों की अधिकता वाले क्षेत्रों में परियोजना आधारित कार्य योजना।

कार्य स्थल पर बालकों का विधिक संरक्षण

12.4 बाल एवं किशोर श्रम (प्रतिषेध एवं विनियमन) अधिनियम, 1986, 2016 में यथा संशोधित अन्य बातों के साथ–साथ सभी व्यवसायों और प्रक्रियाओं में 14 वर्ष से कम आयु के बच्चों के नियोजन या काम पर पूर्ण प्रतिबंधय शिक्षा का अधिकार अधिनियम, 2009 के अंतर्गत निःशुल्क

एवं अनिवार्य शिक्षा हेतु आयु से नियोजन के प्रतिषेध की आयु को संबद्ध करनाय जोखिमपूर्ण व्यवसायों और प्रक्रियाओं में किशोरों (14–18 वर्ष की आयु) के नियोजन का निषेध और अधिनिमय के प्रावधानों का उल्लंघन करने वाले नियोक्ताओं के लिए और कड़ा दंड बनाना शामिल है।

12.5 बाल श्रम (प्रतिषेध एवं विनियमन) संशोधन नियम, 2017 में, अन्य बातों के साथ–साथ, निवारण, बचाव और पुनर्वास तथा समेकन, बच्चे के परिवार के स्वामित्व वाले पारिवारिक उद्यमों में "सहायता" की परिभाषा तथा बाल कलाकारों की सुरक्षा एवं संरक्षा सुनिश्चित करने हेतु उनके विनियमन के प्रावधान शामिल हैं। इन नियमों में यह सुनिश्चित करने के लिए कि अधिनियम के उपबंधों का उचित रुप से प्रवर्तन हो, जिला नोडल अधिकारी (डीएनओ) तथा जिला मजिस्ट्रेट की अध्यक्षता में कार्य बल के भी प्रावधान हैं।

12.6 इस अधिनियम में अधिनियम के कार्यान्वयन में केन्द्र और राज्य दोनों सरकारों के अधिकार–क्षेत्र को परिभाषित किया गया है। केन्द्र सरकार केन्द्र सरकार के नियंत्रणाधीन आने वाले प्रतिष्ठानों या रेलवे प्रशासन या प्रमुख पत्तन या खान या तेल क्षेत्र के संबंध में "समुचित सरकार" है। अन्य सभी मामलों में, राज्य सरकार "समुचित सरकार" है। मंत्रालय द्वारा जारी राज्य कार्य योजना में संशोधन अधिनियम के अधिनियमन के पश्चात राज्य सरकारों/संघ राज्य–क्षेत्रों की ओर से की जाने वाली कार्रवाईयां उल्लिखित हैं।

12.7 अधिनियम की जोखिमकारी व्यवसायों एवं प्रक्रियाओं की अनुसूची को दो भागों में विभाजित किया है अर्थात 'भाग क' जोखिमपूर्ण व्यवसायों और प्रक्रियाओं की सूची को शामिल करते हुए जिनमें किशोरों को कार्य करने से और बच्चों को परिवार अथवा पारिवारिक उद्यमों में सहायता करने से प्रतिषिद्ध किया गया है तथा 'भाग ख' में व्यवसायों और प्रक्रियाओं की अतिरिक्त सूची को शामिल करते हुए जिनमें बच्चों को ('भाग क' के अलावा) परिवार अथवा पारिवारिक उद्यमों में सहायता करने से प्रतिषिद्ध किया गया है। अधिनियम की संशोधित अनुसूची अनुबंध–12.1 में है।

12.8 बाल श्रम (प्रतिषेध एवं विनियमन) अधिनियम में समुचित संशोधन करने के पश्चात 2016 में भारत सरकार ने आईएलओ अभिसमय 138 (रोजगार में प्रवेश की न्यूनतम आयु) और 182 (बाल श्रम के निकृष्ट रूप) का 13.06.2017 को अनुसमर्थन किया। अभिसमय संख्या 138 और 182 का अनुसमर्थन देश से बाल श्रम के उन्मूलन के लक्ष्य को हासिल करने की दिशा में एक अग्रगामी कदम होगा चूंकि इन अभिसमयों के उपबंधों का अनुपालन करना विधिक रुप से बाध्यकारी होगा। इन दो महत्वपूर्ण अभिसमयों के अनुसमर्थन से, भारत उन अधिकांश देशों में शामिल हो गया है जिन्होंने बच्चों के नियोजन को प्रतिषिद्ध करने और उन पर कड़े प्रतिबंध लगाने हेतु इस विधान को अंगीकार किया है।

12.9 सरकार बाल एवं किशोर श्रम (प्रतिषेध एवं विनियमन) अधिनियम, 1986 के प्रवर्तन पर भी पर्याप्त बल दे रही है। अधिनियम के अंतर्गत अधिनियम के उल्लंघन के लिए, पिछले 6 वर्षों (2014–19) के दौरान, लगभग 16.00 लाख निरीक्षण किए गए हैं, जिनके परिणामस्वरूप 10444 लाख अभियोजन चलाए गए जिनमें से 3877 से अधिक दोषसिद्धियां प्राप्त की गयीं।

12.10 मंत्रालय द्वारा निर्मित मानक प्रचालन प्रक्रिया (एसओपी) बाल श्रमिकों के पूर्ण प्रतिषेध तथा जोखिमकारी श्रम से किशोरों की संरक्षा सुनिश्चित करने के लिए प्रशिक्षकों, पेशेवरों तथा निगरानी एजेंसियों के लिए रेडी रेकनर का काम करती है जिससे अंततः बाल श्रम मुक्त भारत का मार्ग प्रशस्त होगा। मंत्रालय द्वारा विकसित ऑनलाइन पोर्टल पेन्सिल (प्लेटफॉर्म फॉर इफेक्टिव इन्फोर्समेंट फॉर नो चाइल्ड लेबर) वैधानिक उपबंधों के प्रवर्तन तथा राष्ट्रीय बाल श्रम परियोजना (एनसीएलपी) के प्रभावी क्रियान्वयन दोनों के लिए तंत्र उपलब्ध कराता है। इस पोर्टल में शिकायत कॉर्नर, राज्य सरकार, एनसीएलपी, चाइल्ड ट्रैकिंग पद्धति तथा कन्वर्जेन्स जैसे घटक हैं। अब बाल श्रम की शिकायत त्वरित कार्रवाई हेतु संबंधित जिला नोडल अधिकारी को इस पोर्टल पर इलैक्ट्रॉनिक ढंग से पंजीकृत की जा सकती है।

परियोजना आधारित कार्रवाई

12.11 बाल श्रमिकों के पुनर्वास के लिए सरकार ने देश के बाल श्रम बहुल जिलों में कार्यरत बच्चों के पुनर्वास हेतु

1988 में राष्ट्रीय बाल श्रम परियोजना (एनसीएलपी) स्कीम आरम्भ की थी। वर्तमान में आदिनांक यह स्कीम देश के 324 जिलों में संस्वीकृत है। राष्ट्रीय बाल श्रम परियोजना स्कीम के अंतर्गत बाल श्रमिकों हेतु संस्वीकृत विशेष प्रशिक्षण केन्द्रों वाले जिलों की सूची तालिका 12.2 में दर्शाई गई है।

12.12 राष्ट्रीय बाल श्रम परियोजना स्कीम केन्द्रीय क्षेत्र की योजना है। परियोजना के कार्यान्वयन का निरीक्षण करने के लिए स्कीम के अंतर्गत कलेक्टर/जिलाधीश की अध्यक्षता में जिला स्तर पर परियोजना समितियां गठित की जाती हैं। राष्ट्रीय बाल श्रम परियोजना स्कीम के अंतर्गत,9–14 वर्ष की आयु समूह के बच्चों को काम से हटाया जाता है और उन्हें विशेष प्रशिक्षघ्ण केन्दों में दाखिल कराया जाता है, जहाँ उन्हें समायोजी शिक्षा, व्यावसायिक प्रशिक्षघ्ण, मध्याह्न भोजन, वजीफा, स्वास्थ्य देखभाल सुविधाएं आदि प्रदान की जाती हैं और अन्ततः उन्हें औपचारिक शिक्षा प्रघ्णाली की मुख्यधारा में लाया जाता है। 5–8 वर्ष की आयु समूह के बच्चों को सर्व शिक्षा अभियान (एसएसए) के साथ निकट समन्वय के माध्यम से उन्हें सीधे औपचारिक शिक्षा पद्धति से जोड़ा जाता है। जोखिमकारी व्यवसायों/प्रक्रियाओं में कार्यरत 14–18 वर्ष की आयु समूह के चिंह्नित किशोर श्रमिकों को कौशल विकास की विद्यमान योजना के माध्यम से व्यावसायिक प्रशिक्षण उपलब्ध कराए जाते हैं। इसके अलावा, परिवार के आर्थिक स्तर को बढाने के लिए इन बच्चों के परिवारों को सरकार के विभिन्न विकासात्मक एवं आय/रोजगार सृजन कार्यक्रमों के अंतर्गत शामिल करने के लिए इन बच्चों के परिवारों को लक्षित करने के लिए भी प्रयास किए जाते हैं। इसके अतिरिक्त, इस योजना के अंतर्गत मंत्रालय इलैक्ट्रॉनिक और प्रिंट मीडिया के माध्यम से बाल श्रम की कुरीतियों के विरुद्ध तथा बाल श्रम कानूनों के प्रवर्तन हेतु जागरुकता सृजन अभियान का वित्त–पोषण करता है। वर्तमान में, लगभग 75000 बच्चों के नामांकन के साथ देश में लगभग 2705 राष्ट्रीय बाल श्रम परियोजना प्रशिक्षण केन्द्र चलाए जा रहे हैं। प्रारंभ से लगभग 13.50 लाख कार्यरत बच्चों को एनसीएलपी स्कीम के अंतर्गत पहले ही नियमित शिक्षा पद्धति की मुख्यधारा में लाया जा चुका है।

12.13 पिछले पांच वर्षों के दौरान इस योजना के तहत वर्ष–वार आबंटित बजट एवं किया गया व्यय निम्नानुसार है:

(करोड़ में)

वर्ष	बजट आबंटन (अंतिम) (करोड़ में)	व्यय (करोड़ में)
2014–15	110.87	102.34
2015–16	99.45	93.20
2016–17	105.00	104.73
2017–18	95.17	94.03
2018–19	89.99	89.99
2019–20	92 (बजट अनुमान)	45.66 (19 नवम्बर, 2019 की यथा स्थिति)

राष्ट्रीय बाल श्रम परियोजना स्कीम की निगरानी

12.14 राष्ट्रीय बाल श्रम परियोजनाओं के समग्र पर्यवेक्षण और निगरानी हेतु सचिव, श्रम और रोजगार मंत्रालय की अध्यक्षता में एक केन्द्रीय निगरानी समिति है। राज्य सरकारों को भी केन्द्र की निगरानी समिति के समान ही राज्य स्तर की निगरानी समितियों का गठन करने की सलाह दी गई है।

12.15 एनसीएलपी स्कीम के कार्यान्वयन तथा निगरानी में राज्य सरकार को शामिल करने तथा बाल श्रम की समस्या से निपटने के लिए जागरूकता सृजन क्रियाकलापों को सुनिश्चित करने हेतु प्रत्येक राज्य/संघ राज्य क्षेत्र में राज्य श्रम सचिव की अध्यक्षता में राज्य संसाधन केंद्र (एसआरसी) गठित करने का निर्णय किया गया है। मंत्रालय द्वारा विकसित पेन्सिल पोर्टल केंद्र सरकार, जिलों तथा सभी परियोजना सोसाइटियों को जोड़ता है। एसआरसी पेन्सिल पोर्टल के माध्यम से अपने संबंधित राज्य में एनसीएलपी योजना के कार्यान्वयन का समन्वय एवं निगरानी करेगा तथा पोर्टल पर इसकी रिपोर्टें अपडेट करेगा।

12.16 मंत्रालय ने एनसीएलपी स्कीम के अंतर्गत एसटीसी

में नामांकित बच्चों के लिए पेंसिल पोर्टल के माध्यम से ऑन लाइन उपस्थिति और बच्चों को डीबीटी के माध्यम से वृतिका के शीघ्र भुगतान हेतु उपस्थिति मॉड्यूल बनाया है

राष्ट्रीय बाल श्रम परियोजना स्कीम में संशोधन

12.17 सरकार ने प्रति बच्चा प्रति माह वजीफे की धनराशि को 150/– रुपये से बढ़ाकर 400/– रुपये कर दिया है, स्वयंसेवियों के मानदेय की दरें और योजना के अन्य मानदंड भी बढ़ा दिए हैं। इसके अतिरिक्त, इस योजना में शामिल स्वयंसेवियों को उनके कार्य निष्पादन के आधार पर प्रोत्साहन दिया जाएगा। यह नया प्रोत्साहन उन्हें अपनी गुणवत्ता और क्षमता सुधारने हेतु प्रेरित करेगा। सरकार ने एनसीएलपी स्कीम के कार्यान्वयन हेतु मार्गदर्शी सिद्धांतों को सरल बनाया है तथा बाल श्रम की घटना वाली सभी जिलों में योजना की कवरेज का विस्तार करने का निर्णय लिया है। श्रम एवं रोजगार मंत्रालय ने राज्य सरकारों को ऐसे जिलों में बाल श्रम संबंधी सर्वेक्षण करने के लिए अनुदेश जारी किए हैं जिनमें बाल श्रम की घटना की संभावना हो।

सरकारी कार्यकर्मों का समेकन

12.18 चूंकि बाल श्रम गरीबी, आर्थिक पिछड़ेपन, बुनियादी सेवाओं तक पहुँच का अभाव, निरक्षरता आदि जैसी विभिन्न सामाजिक आर्थिक समस्याओं का परिणाम है, इसलिए सरकार केन्द्र सरकार, राज्य सरकार तथा जिला स्तर पर चालू विकासात्मक स्कीमों की एकसूत्रता की दिशा में बेहद केन्द्रित और समन्वित प्रयास कर रही है। रोजगार सृजन और सामाजिक सुरक्षा के लिए कतिपय अधिकार और स्कीमें देने के लिए भारत सरकार की सभी पहलें बाल श्रम का उन्मूलन करने के प्रयासों का भाग हैं। परिशोधित एनसीएलपी दिशा–निर्देशों के अंतर्गत, सर्व शिक्षा अभियान (एसएसए) और अन्य स्कीमों के साथ इसकी एकसूत्रता पर अधिक बल दिया गया है। एनसीएलपी स्कूलों (एसटीसी) में प्रत्येक बच्चे के लिए स्कूल की वर्दियाँ और पाठ्य–पुस्तक एसएसए के अंतर्गत व्यवस्थित हैं जबकि सरकार की मध्याह्न भोजन स्कीम (एमडीएके) के माध्यम से पका हुआ पोषक भोजन सुनिश्चित किया जाता है। स्वास्थ्य जांच और स्वास्थ्य कार्ड बनाने सहित प्राथमिक स्वास्थ्य देखरेख का प्रावधान भी एनआरएचएम के अंतर्गत स्कूल स्वास्थ्य कार्यक्रम के माध्यम से प्रदान किया जाता है।

12.19 बच्चों का शैक्षिक पुनर्वास उनके परिवारों के आर्थिक पुनर्वास के साथ भी संपूरित किया जाना है। सरकार परिशोधित एनसीएलपी स्कीम तथा सरकार की विभिन्न विकासात्मक स्कीमों की एकसूत्रता के माध्यम से भी ना केवल कामकाजी बच्चों के बल्कि उनके परिवारों के उचित पुनर्वास पर ध्यान–केन्द्रण के साथ सुसंगत पद्धति को अंगीकार कर रही है। महिला एवं बाल विकास मंत्रालय को एकीकृत बाल संरक्षण कार्यक्रम के भाग के रूप में आश्रय स्थलों संबंधी उनकी स्कीमों के माध्यम से काम से छुड़ाए गए बच्चों को भोजन और आश्रय का प्रावधान करना है। ग्रामीण विकास मंत्रालय को मनरेगा के अंतर्गत बच्चों के माता–पिता को उनके निवास स्थान के नजदीक रोजगार के अवसर उपलब्ध कराने हैं। उपभोक्ता मामले, खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण मंत्रालय द्वारा खाद्य सुरक्षा अधिनियम के अंतर्गत सहायिकी–प्राप्त खाद्यान्न उपलब्ध कराया जाना है।

एनसीएलपी योजना की शिक्षा का अधिकार अधिनियम, 2009 (आरटीई अधिनियम) से पुनर्संबद्धता

12.20 शिक्षा का अधिकार अधिनियम, 2009 के अधिनियमन के साथ ही, एनसीएलपी योजना की आरटीई अधिनियम, 2009 के उपबंधों से पुनर्संबद्धता की आवश्यकता हुई है। मानव संसाधन विकास मंत्रालय ने दिनांक 02.07.2010 के अपने पत्र सं.10–4/2009–ईई4 द्वारा सूचित किया कि एनसीएलपी विद्यालय, अनामांकित और विद्यालय बाह्य बच्चों के लिए आरटीई अधिनियम की धारा 4 और निःशुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा अधिकार (आरटीई) नियम, 2010 के नियम 5 के उपबंधों के अनुसार विशेष प्रशिक्षण केन्द्रों के रुप में कार्य कर सकते हैं।

बाल श्रम के संबंध में माननीय उच्चतम न्यायालय का निर्णय

12.21 माननीय उच्चतम न्यायालय ने राज्य सरकारों को समय–समय पर विभिन्न निर्देश जारी किए हैं। इनमें से कुछ निर्देश निम्नलिखित हैं:

- जोखिमपूर्ण व्यवसायों में लगे बाल श्रमिकों के सर्वेक्षण को पूर्ण करना;
- अधिनियम के उपबंधों का उल्लंघन कर नियोजित किए गए प्रत्येक बच्चे के लिए उल्लंघन करने वाले नियोजक द्वारा 20,000/–रुपये के मुआवजे का भुगतान;
- जोखिमकारी व्यवसायों से हटाए गए बाल श्रमिक परिवार के किसी वयस्क सदस्य को वैकल्पिक काम दिया जाए अथवा जोखिमपूर्ण व्यावसाय में लगे प्रत्येक बाल श्रमिक के लिए समुचित सरकार द्वारा 5000/– रुपये की राशि का भुगतान किया जाए;
- काम से निकाले गए बालकों के परिवार को 25,000/– की कायिक निधि (20,000/–रुपये नियोजक द्वारा तथा 5,000/–रुपये समुचित सरकार द्वारा) पर ब्याज का भुगतान किया जाए;
- काम से निकाले गए बच्चे को शिक्षा दिलाने के लिए उपयुक्त संस्था में भेजने का प्रावधान;
- बाल श्रम पुनर्वास–सह–कल्याण निधि का गठन;
- निगरानी के प्रयोजनार्थ समुचित सरकार के श्रम विभाग में एक अलग प्रकोष्ठ का गठन।

बाल एवं किशोर श्रम पुनर्वास निधि का प्रावधानः

12.22 पुनर्वास निधि के लिए सांविधिक समर्थन देने के लिए, सरकार ने जिला स्तर पर बाल एवं किशोर श्रम पुनर्वास निधि के गठन हेतु बाल श्रम (प्रतिषेध एवं विनियमन) संशोधन अधिनियम, 2016 में उपबंध यह सुनिश्चित करने के लिए बनाया है कि बच्चों और किशोरों के कल्याण और शिक्षा के लिए निधि में एकत्रित राशि द्वारा न केवल उन्हें बचाया जाए बल्कि उनका भविष्य भी सुरक्षित किया जाए। बच्चों या किशोरों के नियोजकों से वसूले गए जुर्माने की राशि पुनर्वास निधि में जमा की जाएगी तथा काम से बचाए गए प्रत्येक बच्चे और किशोरों के लिए समुचित सरकार द्वारा पंद्रह हजार रुपये की राशि भी जमा कराई जाएगी।

अनुबंध 12–1

"खण्ड क

जोखिमकारी व्यवसाय तथा प्रक्रियाएं जिनमें किशोरों का काम करना तथा बच्चों द्वारा मदद करना निषेध है

(1) खानें और कोलियरी (भूमिगत तथा जलमग्न) तथा इनसे संबंधित कार्य,

(i) पत्थर खानें;

(ii) ईंटों की भट्ठियां;

(iii) इनकी तैयारी तथा प्रासंगिक प्रक्रियाओं जिनमें पत्थर या चूना या स्लेट या सिलिका या माइका या भूमि से पाए गए कोई अन्य तत्व अथवा खनिज का खनन, पिसाई, कटाई, विपाटन, पोलिश करना तथा संग्रहण, कोबलिंग करना शामिल है; अथवा

(iv) खुले गड्ढे की खानें।

(2) ज्वलनशील पदार्थ तथा विस्फोटक जैसे–

(i) पटाखों का उत्पादन, भंडारण अथवा बिक्री;

(ii) विस्फोटक अधिनियम, 1884 (1884 का 4) के अंतर्गत परिभाषित विस्फोटकों का उत्पादन, संग्रहण, बिक्री, लादना, उतारना अथवा लाना–ले जाना;

(iii) उत्पादन, प्रबंधन, पिसाई, चमकाना, कटाई, पोलिश, वेल्डिंग, सांचे में ढालना, इलेक्ट्रोप्लेटिंग से संबंधित कार्य अथवा अन्य कोई प्रक्रिया से संबंधित कार्य जिसमें ज्वलनशील पदार्थ हैं;

(iv) ज्वलनशील पदार्थों, विस्फोटकों तथा उनके उप–उत्पादों का अपशिष्ट प्रबंधनय अथवा

(v) प्राकृतिक गैस और अन्य संबद्ध उत्पाद।

कारखाना अधिनियम, 1948 (1948 का 63) की प्रथम अनुसूची में यथाविनिर्दिष्ट जोखिमकारी प्रक्रियाएं (क्रम संख्या (3) से (31)) नीचे दी गई हैं

(3) लौह धात्विक उद्योग

(i) एकीकृत लौह और इस्पात;

(ii) लौह–मिश्र धातु

(iii) विशेष इस्पात

(4) **अलौह धात्विक उद्योगः** प्राथमिक धात्विक उद्योग, अर्थात् जस्ता, सीसा, तांबा, मैंगनिज और अल्मुनियम।

(5) **ढलाई खाना (लौह और अलौह)** : कास्टिंग और फोर्जिंग सहित सफाई करना अथवा चिकना करना अथवा रेत द्वारा रफनिंग करना और शॉट ब्लास्टिंग

(6) कोयला (कोक सहित) उद्योग :

(i) कोयला, लिग्नाहट, कोक, इसी प्रकार के अन्य पदार्थय

(ii) इंधन केसेस (कोयला गैस, उत्पादक गैस, जल गैस सहित)

(7) विद्युत उत्पादन उद्योग।

(8) लुगदी और कागज (कागज उत्पाद सहित) उद्योग।

(9) उर्वरक उद्योग

(i) नाइट्रोजनयुक्त;

(ii) फॉस्फेटिक;

(iii) मिश्रित।

(10) सीमेंट उद्योगः पोर्टलैंड सीमेंट (लावा सीमेंट, पुज्जोलाना सीमेंट और उनके उत्पादों सहित)।

(11) पैट्रोलियम उद्योगः

(i) तेल परिष्करण;

(ii) स्नेहन तेल और ग्रीस।

(12) पेट्रो–रसायन उद्योग।

(13) दवा और औषधीय उद्योगः मादक दवाएं, औषधियां और फार्मास्यूटिकल्स।

(14) फर्मन्टेसन उद्योग (डिस्टिलरीज एवं ब्रिवरीज)

(15) रबड़ (सिंथेटिक उद्योग)।

(16) पेंट और पिगमेण्ट उद्योग।

(17) चमड़ा शोधन उद्योग।

(18) इलैक्ट्रोप्लेटिंग उद्योग।

(19) रसायनिक उद्योगः

(i) कोक ओवन गौण – उत्पाद और कोलतार आसवन उत्पाद;

(ii) औद्योगिक गैसें (नाइट्रोजन, आक्सीजन, एसेटेलिन, ओर्गन, कार्बन डाईआक्साइड, हाइड्रोजन, सल्फर डाइआक्साइड, नाइट्रस आक्साइड, हैलोजेनेटेड हाइड्रोकार्बन, ओजोन, ऐसी अन्य गैस);

(iii) औद्योगिक कार्बन;

(iv) क्षार और अम्ल;

(v) क्रोमेट्स और डायक्रोमेटस;

(vi) शीशा और इसके यौगिक पदार्थ;

(vii) इलैक्ट्रो रसायन (मेटेलिक सोडियम, पोटैशियम और मैग्नेशियम, क्लोरेट्स, परक्लोरेट्स और पैरोक्साइड्स);

(viii) इलेक्ट्रो थर्मल उत्पाद (कृत्रिम अपघर्षक), कैलशियम कार्बाइड);

(ix) नाइट्रोजनस कम्पाउड (साइनाइड, साइनामाइड्स और अन्य नाइट्रोजनस यौगिक पदार्थ);

(x) फोरफोरस ओर इसके यौगिक पदार्थ;

(xi) हेलोजन्स और हेलोजीकृत यौगिक पदार्थ (क्लोरीन, फ्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन);

(xii) विस्फोटक पदार्थ (औद्योगिक विस्फोटको और डिटोनेटर और फ्यूज सहित)।

(20) कीट नाशक, कवकनाशी, शाकनाशक और अन्य कीटनाशक दवाईयों के उद्योग।

(21) संश्लेषित रेसिन और प्लास्टिक।

(22) मानव निर्मित फाइवर (सेल्यूलोसिक और गैर सैल्यूलोसिक)उद्योग।

(23) विद्युत एक्यूम्यूलेटरों का विनिर्माण और मरम्मत।

(24) शीशा ओर सिरेमिक।

(25) धातुओं की घिसाई या चमकाना।

(26) एसबेसटोस और इसके उत्पादों का विनिर्माण, प्रहस्तन और प्रसंस्करण।

(27) वानस्पतिक और पशु स्त्रोतों से तेल और वसा की निकासी।

(28) बेनजीन और बेनजीन निहित पदार्थों का विनिर्माण, प्रहस्तन और प्रयोग।

(29) कार्बन डाईसल्फाइट में संबंधित विनिर्माण, प्रक्रिया और ऑपरेशन।

(30) डाई और डाई उत्पाद तथा उनके माध्यम।

(31) अत्यधिक ज्वलनशील तरल पदार्थ और गैसें।

(32) जोखिमकारी रसायन विनिर्माण, संचयन और आयात नियम, 1989 की अनुसूची –I के भाग–II में यथाविनिर्दिष्ट जोखिमकारी और विषाक्त रसायन की प्रहस्तन और प्रकमण में निहित प्रक्रिया।

(33) पशुओं के अंग काटने की मशीन संबंधी कार्य सहित बूचड़खानों और कसाईखानों में कार्य।

(34) इलैक्ट्रॉनिक कचरा सहित रेडियोधर्मी पदार्थों के प्रभाव में आने वाले कार्य और इससे संबंधित प्रक्रियाएं।

(35) पोत विभंजन;

(36) नमक खनन या नमक बनाने का कार्य;

(37) भवन एवं अन्य सन्निर्माण कामगार (रोजगार का विनियमन एवं सेवा–शर्तें) केन्द्रीय नियम 1998 की अनुसूची–ix में यथाविनिर्दिष्ट जोखिमपूर्ण प्रक्रियाएं।

(38) बीड़ी बनाने अथवा तंबाकू के विनिर्माण, पेस्टिंग और प्रहस्तन सहित तंबाकू के प्रसंस्करण अथवा खाद्य प्रसंस्करण और पेय पदार्थ उद्योग में किसी औषध अथवा मनःप्रभावी पदार्थ अथवा अल्कोहल और किसी बार, पब, पार्टी अथवा अन्य सदृश अवसरों पर जिनमें अल्कोहल युक्त पदार्थ परोसे जाते हों, उनमें तंबाकू के विनिर्माण, पेस्टिंग और प्रहस्तन सहित तंबाकू के प्रसंस्करण में कार्य।

भाग–ख

व्यवसायों तथा प्रक्रियाओं की सूची जिनमें परिवार अथवा पारिवारिक उद्यमों में बच्चों का मदद करना निषेध है (भाग क के अलावा)

व्यवसाय

निम्नलिखित से संबंधित कोई व्यवसाय–

1. रेलों द्वारा यात्रियों, माल अथवा डाक को इधर उधर ले जाना;
2. रेलवे परिसरों में निर्माण कार्य करना, अंगारों या राख से कोयला बीनना अथवा राख के गड्ढे को साफ करना;
3. रेलवे स्टेशन पर भोजनालय स्थापन में काम करना, इसमें स्थापन के किसी कर्मचारी अथवा विक्रेता का एक प्लेटफार्म से दूसरे प्लेटफार्म पर आना जाना अथवा चलती रेलगाड़ी से चढ़ना उतरना शामिल है;
4. रेलवे स्टेशन के निर्माण से संबंधित काम या कोई ऐसा अन्य काम जो रेल लाइनों के निकट या उनके बीच में किया जाना हो;
5. किसी पत्तन की सीमाओं के भीतर कोई पत्तन प्राधिकरण;
6. ओटो मोबाइल वर्कशॉप और गैराज;
7. हथकरघा एवं पावर लूम उद्योग;
8. प्लास्टिक इकाइयाँ एवं फाइबर ग्लास वर्कशॉप;
9. घरेलू कामगार अथवा नौकर;
10. ढाबे (सड़क किनारे की खाने–पीने की दुकानें), रेस्टोरेंट, होटल, मोटल, रिसॉर्ट;
11. गोताखोरी;
12. सर्कस;
13. हाथियों की देखभाल;
14. विद्युत चालित बेकरी मशीन;
15. जूता निर्माण;

प्रक्रियाएं

1. कालीन बुनाई जिसमें इसकी शुरूआती और इससे जुड़ी प्रक्रिया शामिल है;
2. सीमेन्ट बनाने से लेकर बोरियों में भरने तक;
3. कपड़ा छपाई, रंगाई और बुनाई जिसमें इसकी शुरूआती और इससे जुड़ी प्रक्रियाएं शामिल है;
4. लाख/शीलैक विनिर्माण;
5. साबुन बनाना;
6. ऊन की सफाई;
7. भवन और निर्माण उद्योग जिसमें ग्रेनाइट पत्थरों का प्रसंस्करण और पॉलिश किया जाना तथा ढुलाई एवं संग्रहण सामग्रीय बढ़ईगिरिय राजमिस्त्री का कार्य शामिल है;
8. स्लेट पैंसिल का निर्माण (पैकिंग सहित);
9. अगेट के उत्पादों का निर्माण कार्य;
10. काजू और काजू के छिलके उतारने की प्रक्रिया;
11. इलैक्ट्रोनिक उद्योग में धातु की सफाई, चित्र की नक्काशी एवं टांका लगाने (सोल्ड्रिंग) की प्रक्रिया;
12. अगरबत्ती' का निर्माण;
13. आटोमोबाईल मरम्मत और रख–रखाव जिसमें इसकी शुरूआती और इससे जुड़ी वैल्डिंग इकाइयाँ लेथवर्क डेंट बीटिंग एवं पेन्टिंग प्रक्रियाएं शामिल हैं;
14. रुफ टाइल्स इकाईयां;
15. रूई सूत की ओटाई और इसकी प्रोसेसिंग और हौजरी का सामान बनाना;
16. डिटरजेंट का निर्माण;
17. फैबरिकेशन वर्कशॉप (फेरस एवं नानफेरस);
18. रत्न तराशना और उनकी पालिश करना;
19. क्रोमाइट और मैंग्नीज अयस्कों की हैंडलिंग;
20. जूट के कपड़ों का निर्माण और कॉयर निर्माण;
21. चूनाभट्टा और चूना निर्माण;
22. ताला बनाना;
23. ऐसी कोई विनिर्माण प्रक्रियाएं जिसमें सीसा का उच्छादन होता है जैसे सीसा लैपित धातु वस्तुओं

को पहली बार या दूसरी बार गलाया जाना, वैल्डिंग और कटाई करना, गल्वनीकृत या जिंक सिलिकेट, पोलीविनाइल क्लोराइड, वैल्डिंग करना, क्रिस्टल ग्लास मास का मिश्रण (हाथ से) करना, सीसा पेन्ट की बालू हटाना या खुरचना, इनैमलिंग वर्कशॉपों में सीसे का दाहन, सीसा खनन, नलसाजी, केबल बनाना, तारबिछाना, सीसाढलाई, मुद्रणालयों में अक्षर की ढुलाई, छर्रे बनाना, सीसा कांच फुलाना;

24. सीमेन्ट पाइप्स या सीमेन्ट उत्पाद और सीमेंट की अन्य वस्तुएं बनाना;

25. काँच, कॉच के वर्तनों का निर्माण जिसमें चूड़ियों, दूधिया टयूबें, बल्ब तथा इसी प्रकार के अन्य कॉच उत्पाद शामिल हैं;

26. कीटनाशकों और टिड्डीनाशकों का निर्माण और उनका रख–रखाव;

27. जंग लगने वाले तथा विषैले पदार्थों का निर्माण अथवा प्रसंस्करण और हैंडलिंग;

28. जलाऊ कोयला और कोयला इष्टिकाओं का निर्माण;

29. खेल–कूद की ऐसी वस्तुओं का निर्माण जिसमें सिन्थेटिक सामग्री, रसायन और चमड़े का उच्छादन शामिल है;

30. तेल की पिराई और परिष्करण;

31. कागज बनाना;

32. चीनी मिट्टी के बरतन और सिरेमिक उद्योग;

33. पीतल की सभी प्रकार की चीजों का निर्माण जिसमें पीतल की कटाई, ढलाई, पालिश और वैल्डिंग शामिल है;

34. ऐसी कृषि प्रक्रियाएं जहाँ फसल को तैयार करने में ट्रैक्टरों, फसल की कटाई और गहाई में मशीनों का प्रयोग किया जाता है;

35. आरामिल–सभी प्रक्रियाएं;

36. रेशम उद्योग प्रसंस्करण;

37. चमड़े और चमड़े के सामान के निर्माण हेतु स्किनिंग, रंगाई और प्रसंस्करण प्रक्रियाएं;

38. टायर निर्माण, मरम्मत, री–ट्रीडिंग और ग्रेफाइट सज्जीकरण;

39. बर्तन बनाना, पालिश करना और धातु की बफिंग करना;

40. 'जरी' निर्माण तथा जरी के उपयोग से जुड़ी प्रक्रियाएं (सभी प्रक्रियाएं);

41. ग्रेफाइट पाउडर तैयार करना और उससे जुड़ी प्रक्रिया;

42. धातुओं की घिसाई या उन पर कांच चढ़ाना;

43. हीरों की कटाई और पालिश;

44. कचरा उठाना और सफाई संबंधी कार्य;

45. मशीनीकृत मछली पालन;

46. खाद्य प्रसंस्करण;

47. पेयपदार्थ उद्योग;

48. मसाला उद्योग के अंतर्गत मसालों की खेती, छंटनी, सुखाना एवं पैंकिंग करने का कार्य;

49. लकड़ी प्रहस्तन और ढुलाई;

50. लकड़ी की यांत्रिक कटाई;

51. भंडारागार कार्यकलाप;

52. मसाज पार्लर जिमनेजियम अथवा अन्य मनोरंजक अथवा मेडिकल सुविधाएं केन्द्र;

53. निम्नलिखित खतरनाक मशीनों से किए जाने वाले प्रचालनः–

(क) उत्तोलक एवं लिफ्ट;

(ख) लिफ्टिंग मशीनें, चौने, रस्सियॉ एवं उत्तोलक रस्सियां;

(ग) घूमने वाली मशीनें;

(घ) विद्युत प्रेस;

(ङ) मेटल ट्रेड में प्रयुक्त मशीनी औजार;

54. कारखाना अधिनियम, 1948 की धारा 2 खण्ड (V) के उप–खंड (iv) में मुद्रण में यथाविनिर्दिष्ट छपाई के लिए अक्षर निर्माण, लेटर प्रैस द्वारा छपाई, पाषाण छपाई, फोटोग्रेवर अथवा अन्य समान प्रक्रिया अथवा बुक बाइंडिंग का कार्य"।

तालिका 12.2

एनसीएलपी योजना के अंतर्गत जिलों की राज्य–वार समेकित सूची

क्र. सं.	राज्यों का नाम	संस्वीकृत जिलों की संख्या	जिलों का नाम
1.	आंध्र प्रदेश	13	अनन्तपुर, चित्तूर, कड्डापा, गुन्टूर, कुरनूल, नेल्लूर, प्रकासम, श्रीकाकुलम, विजयानगरम, विशाखापट्टनम, पश्चिमी गोदावरी, पूर्वी गोदावरी और कृष्णा
2.	असम	5	नौगांव, कामरूप, बोंगेगांव, नलवाडी और लखीमपुर
3.	बिहार	24	नालंदा, सहरसा, जमुई, कटिहार, अररिया, गया, पूर्वी चंपारण, पश्चिमी चंपारण, मधेपुरा, पटना, सुपौल, समस्तीपुर, मधुबनी, दरभंगा, मुजफ्फरपुर, नवादा, खगड़िया, सीतामढ़ी, किशनगंज, बेगूसराय, बांका, सारण, पूर्णिया और भागलपुर
4.	छत्तीसगढ़	8	दुर्ग, बिलासपुर, राजनंदगांव, सरगुजा, रायगढ़, रायपुर, दंतेवाड़ा और कोरबा
5.	गुजरात	9	सूरत, पंचमहल, कच्छ (भुज), बनासकांठा, दाहोद, वड़ोदरा, भावनगर, अहमदाबाद और राजकोट
6.	हरियाणा	3	गुड़गांव, फरीदाबाद और पानीपत।
7.	जम्मू और कश्मीर	3	श्रीनगर, जम्मू और उधमपुर
8.	झारखंड	9	गढ़वा, साहिबगंज, दुमका, पाकुर, पश्चिमी सिंहभूम (चाईबासा), रांची, पलामू, गुमला और हजारीबाग
9.	कर्नाटक	17	बीजापुर, रायचुर, धारवाड़, बंगलौर ग्रामीण, बंगलौर शहरी, बेलगाम, कोप्पल, दावणगिरी, मैसूर, बगलकोट, चित्रदुर्ग, गुलबर्गा, बेल्लारी, कोलार, मांड्या, हावेरी और तुमकुर
10.	मध्य प्रदेश	22	मंदसौर, ग्वालियर, उज्जैन, बड़वानी, रीवा, धार, पूर्वी निमाड़ (खंडवा), राजगढ़, छिन्दवाड़ा, शिवपुरी, सीधी, गुना, शाजापुर, रतलाम, पश्चिमी निमाड़ (खरगौन) झाबुआ, दमोह, सागर, जबलपुर, सतना, इंदौर और कटनी।
11.	महाराष्ट्र	18	सोलापुर, ठाणे, सांगली, जलगांव, नंदुरबार, नांदेड, नासिक, यवतमाल, धुले, बीड, अमरावती, जालना, औरंगाबाद, गौंदिया, मुम्बई उप–नगर, पुणे, बुलढ़ाना और परबानी।
12.	नागालैण्ड	1	दीमापुर

13.	ओडिशा	24	अंगुल, बालासोर, बरगढ़, बोलांगीर, कटक, देवगढ़, गजपति (उदयगिरि), गंजम, झारसुगुड़ा, कालाहांडी, कोरापुट, मलकानगिरि, मयूरभंज, नबरंगपुर, नुआपाडा, रायगड़, सम्बलपुर, सोनपुर, जजपुर, क्योंझर, धनकेनाल, खुर्दा, नयागढ़ और सुन्दरगढ़।
14.	पंजाब	3	जालंधर, लुधियाना और अमृतसर।
15.	राजस्थान	27	जयपुर, उदयपुर, टोंक, जोधपुर, अजमेर, अलवर, जालौर, चुरू, नागौर, चित्तौड़गढ़, बांसवाड़ा, धौलपुर, सीकर, डुंगरपुर, भरतपुर, बीकानेर, झुंझनू, बूंदी, झालावाड़, पाली, भीलवाड़ा, श्रीगंगानगर, बाड़मेर, दौसा, हनुमानगढ़, कोटा और बारान।
16.	तमिलनाडु	18	चिदम्बरना/तूतीकुड़ी (तूतीकोरीन), कोयंबटूर, धरमापुरी, वेल्लोर, सेलम, तिरूचिरापल्ली, तिरूनेलवेली, कृष्णागिरि, चेन्नई, एरोड, डिन्डीगुल, थेनी, काँचीपुरम, त्रिरूवनमल्लाई, तिरुवल्लूर, पुदुकोटई, नाम्मकल और विरूधुनगर।
17.	तेलंगाना	31	हैदराबाद, करीमनगर, खम्माम, निजामाबाद, रंगारेड्डी, वारंगल, नालगोंड़ा, मेडक, महबूबनगर, आदिलाबाद, मंचेरियल, निर्मल, कोमुरम भीम असीफाबाद, जगतियाल, वारंगल (शहरी), जयाशंकर भुपालपल्ली, जनगांव, सांगारेड्डी, सिद्दीपेट, वानापार्थी, नागरकुर्नूल, जोगुलांबाब गजवाल, सूर्यापेट, मेडचल मलकाजगिरी, विकाराबाद, महबूबाबाद, पेडापल्ली, राजन्ना सिरसिला, बी.कोठागुडेम, वाई. भुवनागिरी और कामारेड्डी।
18.	उत्तर प्रदेश	55	वाराणसी, मिर्जापुर, भदोही(संत रवि दास नगर), बुलंदशहर, सहारनपुर, आजमगढ़, बिजनौर, गोन्डा, खेरी, बहराइच, बलरामपुर, हरदोई, बाराबंकी, सीतापुर, फैजाबाद, बदायूं, गोरखपुर, कुशीनगर, कन्नोज, शाहजहांपुर, रायबरेली, उन्नाव, सुलतानपुर, फतेहपुर, श्रावस्ती, प्रतापगढ़, बस्ती, सोनभद्र, मऊ, कोशाम्बी, बांदा, गाजियाबाद, जोनपुर, रामपुर, बरेली, लखनऊ, मेरठ, इटावा, आगरा, गाजीपुर, मथुरा, एटा, मुरादाबाद, इलाहाबाद, कानपुर नगर, अलीगढ़, अम्बेडकर नगर, बलिया, गौतमबुद्ध नगर, हापुड, झांसी, ललितपुर, मैनपुरी, संभल और फिरोजाबाद।
19.	उत्तराखंड	13	देहरादून, चमोली, नैनीताल, चंपावत, अलमोड़ा, हरिद्वार, टिहरी गढ़वाल, पोड़ी गढ़वाल, ऊधम सिंह नगर, पिथौरागढ़, रूद्रप्रयाग, बागेश्वर एवं उत्तरकाशी।
20.	पश्चिम बंगाल	20	बर्दवान, उत्तरी दीनाजपुर, दक्षिण दीनाजपुर, उत्तरी चौबीस परगना, दक्षिणी चौबीस परगना, कोलकाता, मुर्शिदाबाद, पश्चिमी मिदनापुर, मालदा, बांकुरा, पुरूलिया, बीरभूम, नादिया, हुगली, हावड़ा, जलपाईगुड़ी, कूच बिहार, पूर्वी मिदनापुर, अलीपुरद्वार एवं दार्जिलिंग।
21.	दिल्ली	1	राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली।
	कुल	324	

अध्याय 13

व्यावसायिक सुरक्षा और स्वास्थ्य (ओएसएच)

कारखाना सलाह सेवा और श्रम संस्थान महानिदेशालय

क – संगठन

13.1 श्रम एवं रोजगार मंत्रालय का एक संबद्ध कार्यालय, कारखाना सलाह सेवा एवं श्रम संस्थान महानिदेशालय (डीजीफासली), मुंबई, कारखानों एवं पत्तनों में कामगारों की सुरक्षा, स्वास्थ्य एवं कल्याण से संबंधित मामलों में मंत्रालय के तकनीकी स्कंध के रुप में कार्य करता है। यह कारखानों एवं पत्तनों में व्यावसायिक सुरक्षा एवं स्वास्थ्य संबंधी नीति और नियमों के निरुपण/समीक्षा में केंद्र सरकार की सहायता करता है, कारखाना अधिनियम, 1948 के उपबंधों के कार्यान्वयन एवं प्रवर्तन में राज्यों व संघ शासित प्रदेशों के कारखाना निरीक्षणालयों से संपर्क बनाए रखता है, तकनीकी मामलों पर सलाह देता है, गोदी कामगार (सुरक्षा, स्वास्थ्य एवं कल्याण) अधिनियम, 1986 को लागू करवाता है औद्योगिक सुरक्षा, व्यावसायिक स्वास्थ्य, औद्योगिक हाईजीन इत्यादि में अनुसंधान कार्य करता है; तथा औद्यागिक सुरक्षा एवं स्वास्थ्य के क्षेत्र में प्रशिक्षण प्रदान करता है जिसमें औद्योगिक सुरक्षा में एक वर्षीय डिप्लोमा पाठ्यक्रम, औद्योगिक स्वास्थ्य में तीन महीने का प्रमाण पत्र पाठ्यक्रम – औद्योगिक स्वास्थ्य का एसोसिएट फेलो (ए एफ आई एच), जोखिम प्रक्रिया उद्योगों में कार्यरत पर्यवेक्षीय कार्मिकों के लिए सुरक्षा और स्वास्थ्य पर 5 सप्ताह का विशिष्ट प्रमाण पत्र पाठ्यक्रम शामिल हैं।

13.2 डीजीफासली संगठन की संरचना में मुख्यालय, पांच श्रम संस्थान और 11 मुख्य पत्तनों में गोदी सुरक्षा निरीक्षणालय शामिल हैं। मुंबई स्थित मुख्यालय में तीन प्रभाग/स्कंध है, नामतः कारखाना सलाह सेवा प्रभाग, गोदी सुरक्षा प्रभाग और पुरस्कार कक्ष। केंद्रीय श्रम संस्थान, मुंबई ने वर्ष 1959 से कार्य करना शुरु किया और वर्तमान परिसर में संस्थान फरवरी 1966 में स्थानांतरित हुआ। समय के साथ संस्थान ने प्रगति की है और निम्नलिखित प्रभागों सहित एक प्रमुख राष्ट्रीय संसाधन केंद्र का दर्जा प्राप्त कर लिया है:

- औद्योगिक सुरक्षा
- औद्योगिक हाईजिन
- औद्योगिक चिकित्सा
- पर्यावरण अभियांत्रिकी
- कर्मचारी प्रशिक्षण और उत्पादकता
- भीषण जोखिम और रसायन सुरक्षा

13.3 संस्थान के विभिन्न प्रभागों की गतिविधियों में अध्ययन एवं सर्वेक्षण करना, प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित करना, संगोष्ठियां एवं कार्यशाला आयोजित करना, तकनीकी सलाह देना, सुरक्षा ऑडिट करना, वैयक्तिक सुरक्षा उपकरणों की जांच करके निष्पादन रिपोर्ट जारी करना, व्याख्यान देना इत्यादि शामिल है।

13.4 कोलकाता, चेन्नई, कानपुर और फरीदाबाद स्थित क्षेत्रीय श्रम संस्थान उनसे संबंधित देश के विभिन्न क्षेत्रों में सेवाएं प्रदान करते हैं। इन संस्थानों में से हरेक में निम्नलिखित प्रभाग/अनुभाग हैं:

- औद्योगिक सुरक्षा
- औद्योगिक हाईजिन
- औद्योगिक चिकित्सा

13.5 भारत के 11 मुख्य पत्तनों नामतः कोलकाता, मुंबई, चेन्नई, विशाखापट्टनम, पारादीप, कांडला, मार्मुगाव, तूतिकोरिन, कोच्चि, न्यू मैंगलोर और जवाहरलाल नेहरु पोर्ट में गोदी सुरक्षा निरीक्षणालय स्थापित किए गए हैं। एन्नोर पत्तन पर गोदी सुरक्षा निरीक्षणालय स्थापित करने की प्रक्रिया जारी है।

13.6 दिनांक 1.10.2019 को संगठन में मानवशक्ति इनवेन्ट्री की स्थिति निम्नलिखित है–

डीजीफासली में स्टाफ की स्थिति

विभाग का नाम	समूह क			समूह ख			समूह ग			कुल		
	स्वी.	कार्यरत	रिक्त	स्वी.	कार्यरत	रिक्त	स्वी.	कार्यरत	रिक्त	स्वी.	कार्यरत	रिक्त
मुख्यालय	15	7	8	24	16	8	22	12	10	61	35	26
के.श्र.सं, मुंबई	22	18	4	6	5	1	82	55	27	110	78	32
क्षे.श्र.सं, चेन्नई	9	5	4	2	1	1	29	15	14	40	21	19
क्षे.श्र.सं, कानपुर	9	6	3	2	1	1	29	14	15	40	21	19
क्षे.श्र.सं, कोलकाता	9	5	4	2	1	1	29	10	19	30	16	24
क्षे.श्र.सं, फरीदाबाद	8	4	4	2	1	1	11	5	6	21	10	11
गो.सु.नि	14	9	5	11	8	3	31	14	17	56	31	25
कुल	86	54	32	49	33	16	233	125	108	368	212	156

नोटः स्वी–स्वीकृत

ख) – संगठन की गतिविधियां

I कारखानों में सुरक्षा तथा स्वास्थ्य

13.7 कारखानों में कार्यरत कामगारों की सुरक्षा, स्वास्थ्य और कल्याण से संबंधित विभिन्न मामलों को विनियमित करने का प्रमुख विधान, कारखाना अधिनियम, 1948 है। यह अधिनियम एक केंद्रीय विधि है जिसका मुख्य उद्देश्य कारखानों में कार्यरत कामगारों को औद्योगिक और व्यावसायिक जोखिमों से बचाना है। राज्य सरकार और संघ शासित प्रदेशों के प्रशासन अधिनियम के अंतर्गत अपने नियमों को निरुपित करते हैं तथा अपने कारखाना निरीक्षणालयों/महानिदेशालयों द्वारा अधिनियम और नियमों के प्रावधानों का प्रवर्तन करते हैं।

13.8 अधिनियम के उचित प्रवर्तन के लिए श्रम और रोजगार मंत्रालय संसद के प्रति उत्तरदायी है। विभिन्न राज्यों और संघशासित प्रदेशों में अधिनियम के प्रावधानों के समान अनुप्रयोग के लिए डीजीफासली द्वारा बनाए गए आदर्श नियम परिचालित किए जाते हैं, जो कि स्थानीय जरुरतों के अनुसार आवश्यक आशोधनों के बाद राज्य कारखाना नियमों में शामिल किए जाते हैं। आदर्श नियमों को तैयार करते समय डीजीफासली, श्रम और रोजगार मंत्रालय की ओर से राज्यों और संघशासित प्रदेशों के मुख्य कारखाना निरीक्षकों के लिए वार्षिक सम्मेलन आयोजित करता है, जिसमें राज्य सरकारों की भागीदारी और सहयोग शामिल है। अधिनियम को लागू करने और प्रस्तावित संशोधनों से संबंधित सभी मामलों पर इन सम्मेलनों में चर्चा की जाती है। इसके अलावा, कारखानों में दुर्घटना और बीमारियों की रोकथाम के लिए अपनाए गए तरीकों और तकनीकों में प्रगति के बारे में भी यह सम्मेलन चर्चा का एक मंच है। मुख्य कारखाना निरीक्षकों के साथ परामर्श करके इन आदर्श नियमों को अद्यतन किया जाता है।

II गोदी सुरक्षा

13.9 गोदी कामगार (सुरक्षा, स्वास्थ्य और कल्याण) अधिनियम, 1986, दिनांक 14 अप्रैल 1987 को अधिनियमित किया गया। इस अधिनियम के अधीन गोदी कामगार (सुरक्षा, स्वास्थ्य और कल्याण) नियम, 1989 और विनियम, 1990 बनाए गए। सामान के लोडिंग और अनलोडिंग और ढुलाई से जुड़े गोदी कामगारों की सुरक्षा, स्वास्थ्य और कल्याण के मामले, जिसमें गोदी कार्य के आनुषंगिक अन्य कार्य भी शामिल हैं – इस अधिनियम और विनियम के अंतर्गत शामिल हैं। इसके अतिरिक्त भारत के प्रमुख पत्तनों में डीजीफासली द्वारा गोदी सुरक्षा निरीक्षणालयों के माध्यम से पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 के अंतर्गत

जोखिमपूर्ण रसायन के उत्पादन, भंडारण और आयात नियम 1989 प्रवर्तित किए जाते हैं।

13.10 प्रमुख पत्तनों पर अधिनियम और विनियमों का प्रवर्तन डीजीफासली, मुंबई के माध्यम से श्रम और रोजगार मंत्रालय द्वारा किया जाता है। इस अधिनियम के तहत महानिदेशक को गोदी सुरक्षा का मुख्य निरीक्षक नियुक्त किया गया है। गोदी सुरक्षा का मुख्य निरीक्षक प्रमुख पत्तनों पर पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम 1986 के तहत निरुपित जोखिमपूर्ण रसायनों का विनिर्माण, भंडारण एवं आयात नियमावली 1989 के प्रवर्तन के लिए भी सक्षम प्राधिकारी है।

13.11 एन्नोर को छोडकर जहां पर निरीक्षणालय की स्थापना की जा रही है, कोलकाता, मुंबई, चेन्नई, विशाखापट्टनम, पारादीप, कांडला, मार्मुगाव, तूतिकोरिन, कोच्चि, न्यू मैंगलोर और जवाहरलाल नेहरु पोर्ट स्थित सभी प्रमुख पत्तनों पर गोदी सुरक्षा निरीक्षणालयों में तैनात निरीक्षकों द्वारा उपर्युक्त संविधियों का प्रवर्तन किया जा रहा है। फिलहाल, इस पत्तन पर क्रियाकलाप गोदी सुरक्षा निरीक्षणालय चेन्नई में तैनात निरीक्षक द्वारा किया जा रहा है।

13.12 निरीक्षणालयों का प्रमुख क्रियाकलाप संविधियों के प्रावधानों का अनुपालन सुनिश्चित करना है। निरीक्षक के सांविधिक उत्तरदायित्व में पोत, टैंकर, लूज गीयर, कंटेनर हैंडलिंग उपकरण, गोदी, कंटेनर यार्ड और टर्मिनल, जोखिमपूर्ण अधिष्ठापन और विमुक्त भंडारण व टैंक का निरीक्षण, दुर्घटनाओं (घातक और गंभीर) और खतरनाक घटनाओं की जांच करना, नियोक्ताओं का अभियोजन, शिकायतों पर कार्रवाई, परामर्श सेवाएं प्रदान करना और प्रशिक्षण कार्यक्रम, कार्यशाला, सुरक्षा दिवस के आयोजन आदि जैसे सुरक्षा संवर्धनात्मक क्रियाकलापों को संचालित करना शामिल है। निरीक्षणालय इस अधिनियम और इसके तहत बनाए गए विनियमों के प्रावधानों के उल्लंघन के मामलों में जिघ्मेदार एजेन्सी को अभियोजित भी करता है।

(क) क्रियाकलाप–निष्पादित

1. गोदी सुरक्षा विधानों के प्रशासन और प्रवर्तन के लिए सभी प्रमुख पत्तनों में गोदी सुरक्षा निरीक्षणालयों द्वारा प्रवर्तन क्रियाकलाप (विभिन्न निरीक्षण, जांच, अभियोजन, संवर्धन क्रियाकलाप आदि) संचालित किए गए।
2. सक्षम व्यक्तियों के लिए दिनांक 27 और 28 जून, 2019 को केन्द्रीय श्रम संस्थान, मुंबई में "लिफ्टिंग उपकरण, लूज गीयर्स और वायर की रस्सियों की जांच, परीक्षण और प्रमाणन के क्षेत्र में व्यावसायिक सुरक्षा और स्वास्थ्य" पर 2 दिन की राष्ट्रीय तकनीकी बैठक का आयोजन किया गया।
3. गोदी सुरक्षा निरीक्षकों के लिए दिनांक 2 तथा 3 मई 2019 को विशाखापट्टनम, आंध्र प्रदेश में राष्ट्रीय कार्यशाला का आयोजन किया गया।
4. डीजीफासली के सीधी भर्ती किए गए समूह 'क' और 'ख' अधिकारियों के लिए दिनांक 29 तथा 30 अगस्त, 2019 को केन्द्रीय श्रम संस्थान, मुंबई में आरंभिक प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किया गया।
5. जोखिम आधारित यादृच्छिक निरीक्षण प्रणाली का क्रियान्वयन।
6. गोदी कामगार (सुरक्षा, स्वास्थ्य और कल्याण) विनियम, 1990 में प्रस्तावित चरण 1 के तहत व्यापक संशोधन के लिए अनुवर्ती कार्रवाई।
7. दिनांक 4 और 5 सितंबर, 2019 को क्षेत्रीय श्रम संस्थान, फरीदाबाद में 'कारखाना अधिनियम, 1948 की धारा 28 के अंतर्गत होइस्ट और लिफ्ट्स के लोड टेस्ट, परीक्षण और प्रमाणन पर मसौदा आदर्श नियमों का निरुपण ' विषयक बैठक में भाग लिया।

(ख) क्रियाकलाप – पूर्वानुमान

1. गोदी सुरक्षा विधानों के प्रशासन और प्रवर्तन के लिए सभी प्रमुख पत्तनों में गोदी सुरक्षा

   निरीक्षणालयों द्वारा प्रवर्तन क्रियाकलाप (विभिन्न निरीक्षण, जांच, अभियोजन, संवर्धन क्रियाकलाप आदि) संचालित किए जाएंगे।
2. सलाहकार समिति की 14वीं बैठक में लिए गए निर्णयों के क्रियान्वयन के लिए अनुवर्ती कार्रवाई।
3. गोदी कामगार (सुरक्षा, स्वास्थ्य और कल्याण) अधिनियम 1986 और विनियम, 1990 के तहत व्यापक संशोधन किए जाएंगे।

4. सक्षम व्यक्तियों को सक्षमता (कंपीटेन्सी) प्रदान करने/उसका नवीनीकरण करने, गोदी कामगारों के चिकित्सा परीक्षण के लिए डॉक्टरों के पैनल को स्वीकृति प्रदान करने/उसका नवीनीकरण करने, मुख्य जोखिम संस्थापनाओं की साईट अधिसूचना तथा गोदी कामगारों के लिए प्रशिक्षण कार्यक्रमों के आयोजन के लिए प्रशिक्षक तथा प्रशिक्षण केन्द्रों के पैनल को स्वीकृति प्रदान करने/उसके नवीनीकरण के लिए ऑनलाइन पटल का क्रियान्वयन करना।

III प्रशिक्षण कार्यक्रम

व्यावसायिक कार्यक्रम

- कारखाना अधिनियम, 1948 की धारा 40 (ख) और इसके अधीन बनाए गए नियमों में यथाअपेक्षित केंद्रीय श्रम संस्थान, मुंबई, क्षेत्रीय श्रम संस्थान कोलकाता, चेन्नई, कानपुर और फरीदाबाद में 199 संगठनों के 231 अधिकारियों को योग्य सुरक्षा अधिकारी बनाने के लिए 2019–20 में औद्योगिक सुरक्षा पाठ्यक्रम में एक वर्षीय उन्नत/पोस्ट डिप्लोमा कार्यक्रम आयोजित किया गया।

- केंद्रीय श्रम संस्थान, मुंबई, क्षेत्रीय श्रम संस्थान, कोलकाता, चेन्नई और फरीदाबाद में 38 संगठनों के 105 चिकित्सा कार्मिकों के लिए तीन माह का औद्योगिक स्वास्थ्य में एसोसिएट फैलो पाठ्यक्रम वर्ष 2019–20 में आयोजित किया।

औद्योगिक सुरक्षा और स्वास्थ्य के क्षेत्र में प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किए जाते हैं। अप्रैल 19 से अक्तूबर 19 तक की अवधि के दौरान सेमिनार/कार्यशाला और अंतः संयंत्र कार्यक्रमों सहित 15 प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किए गए। इसके अलावा डीजीफासली के विभिन्न प्रभागों केन्द्रीय श्रम संस्थान, मुंबई, और फरीदाबाद, कोलकाता, चेन्नई तथा कानपुर स्थित 4 श्रम संस्थानों द्वारा 112 संवर्धक कार्यक्रम आयोजित किए गए जिनसे 3068 प्रतिभागियों को लाभ हुआ।

IV अध्ययन और सर्वेक्षण

संविधि में समावेशन हेतु उचित मानकों का निरूपण करने तथा कारखानों और पत्तन क्षेत्र में कार्य की दशाओं, सुरक्षा और स्वास्थ्य की स्थिति का आकलन करने के लिए केंद्र सरकार को मदद करने के लिए इसके प्रयास के तौर पर डीजीफासली द्वारा राष्ट्रीय अध्ययन और सर्वेक्षण आयोजित किए जाते हैं। माननीय सर्वोच्च न्यायालय के आदेश के कार्यान्वयन हेतु भारत में सिलिकोसिस से प्रभावित क्षेत्र में (कारखाना अधिनियम, 1948 की धारा 91 क के तहत) राष्ट्रीय स्तर पर श्व्यावसायिक सुरक्षा व स्वास्थ्य संबंधी राष्ट्रीय सर्वेक्षणश किया गया है।

प्रबंधन के अनुरोध पर इकाई स्तर के परामर्श अध्ययन किए जाते हैं तथा संबंधित कारखानों में और अधिक सुधार के लिए सिफारिशों के कार्यान्वयन हेतु रिपोर्टें प्रस्तुत की जाती है। अप्रैल– अक्तूबर 2019 की अवधि के दौरान कुल 16 परामर्श अध्ययन आयोजित किए गए हैं।

V नेशनल रेफरल डायग्नॉस्टिक सेंटर सिलिकॉसिस, व्यावसायिक त्वचाशोथ आदि जैसे व्यावसायिक रोगों के संदिग्ध मामले नेशनल रेफरल डायग्नॉस्टिक सेंटर को राय के लिए भेजे जाते हैं।

VI प्रबंधन सूचना सेवाएं

केन्द्रीय श्रम संस्थान, मुंबई का प्रबंध सूचना सेवा प्रभाग डीजीफासली के क्रियाकलापों के संबंध में जानकारी देने का सबसे अच्छा स्रोत साबित हुआ। प्रबंध सूचना सेवा प्रभाग राज्य सरकारों तथा उद्योगों के प्रतिस्पर्धात्मक लाभ के लिए व्यावसायिक सुरक्षा और स्वास्थ्य के संबंध में जानकारी प्राप्त करने तथा संगठन का प्रबंधन बेहतर तरीके से करने के उद्देश्य से विभाग की संगठनात्मक संरचना और गतिशीलता को कार्यान्वित करता है। एम आई एस के मूलभूत क्रियाकलाप निम्नलिखित हैं :

- वेबसाइट की अपडेटिंग और प्रबंधनः डीजीफासली की वेबसाइट को यू आर एल : www.dgfasli.nic.in पर जारी किया गया है। इस वेबासाइट पर व्यावसायिक सुरक्षा और स्वास्थ्य से संबंधित नियमों, कारखाना अधिनियम 1948, गोदी कामगारों की सुरक्षा और स्वास्थ्य से संबंधित विनियम, पंचवर्षीय योजना के दौरान शुरु की गई प्रमुख अनुसंधान परियोजना से संबंधित जानकारी और श्वसन तथा

गैर श्वसन प्रणाली से संबंधित वैयक्तिक सुरक्षा उपकरणों पर परामर्श सेवाओं से संबंधित जानकारी दी गई है।

- 'डिजिटल इंडिया' अभियान के तहत सक्षम प्राधिकारी के अनुमोदन के लिए ऑन लाइन फार्म, ज्वालारोधी उपकरण और स्थल की अधिसूचना से संबंधित सामग्री का विकास किया गया है और उसे डीजीफासली की वेबसाइट पर होस्ट किया गया है तथा इसकी मॉनीटरिंग नेशनल पोर्टल द्वारा की जा रही है।
- पुस्तकालय सह सूचना केन्द्र में व्यावसायिक सुरक्षा और स्वास्थ्य पर विभिन्न पत्रिकाओं सहित व्यावसायिक सुरक्षा और स्वास्थ्य पर 25000 से अधिक पुस्तकें हैं।
- वेबसाइट पर सामग्री सुरक्षा डाटा शीट(एम एस डी एस) से संबंधित जानकारी, अध्ययनों के सारांश, प्रशिक्षण कैलेन्डर, ए डी आइ एस से संबंधित सूचना और निविदा तथा औद्योगिक स्वास्थ्य में असोसिएट फेलो (ए एफ आई एच) से संबंधित जानकारी दी गई है।

VII औद्योगिक सुरक्षा, स्वास्थ्य एवं कल्याण केंद्र

केंद्रीय श्रम संस्थान और क्षेत्रीय श्रम संस्थानों के औद्योगिक सुरक्षा, स्वास्थ्य एवं कल्याण केंद्र पैनलों, मॉडलों, चार्ट, ग्राफ्स, आलेखों आदि के माध्यम से जोखिम संप्रेषण का प्रसार करते हैं जिसे उद्योगों के कामगार, कार्यपालक तथा अन्य देशों के प्रतिनिधि देखने आते हैं। अप्रैल 2019 से अक्तूबर 2019 की अवधि के दौरान 112 सुरक्षा और स्वास्थ्य संवर्धन कार्यक्रमों के आयोजन से 3068 आगंतुकों को इस केंद्र से लाभ हुआ।

VIII वैयक्तिक सुरक्षा उपकरणों का परीक्षण

केंद्रीय श्रम संस्थान, मुंबई स्थित श्वसन एवं गैर–श्वसन वैयक्तिक सुरक्षा उपकरण परीक्षण प्रयोगशालाएं कनस्तर, डस्ट मास्क, एससीबीए एअर क्वालिटी उपकरण हेल्मेट, सुरक्षा जूतों, सुरक्षा चश्मों, सुरक्षा पट्टों, वेल्डिंग चश्मों आदि के निष्पादन परीक्षण करती हैं। संबंधित बीआईएस मानकों के अनुसार निष्पादन गुणवत्ता सुनिश्चित करने के लिए डस्ट रेस्पिरेटर, कनस्तर, डस्ट फिल्टर आदि जैसे श्वसन सुरक्षा उपकरण तथा हेल्मेट, सुरक्षा जूतों आदि जैसे गैर–श्वसन उपकरणों का परीक्षण किया गया।

IX बी आई एस समितियों में प्रतिनिधित्वः

सुरक्षा और स्वास्थ्य मामलों से संबद्ध विभिन्न बी आई एस समितियों/उपसमितियों में डीजीफासली के अधिकारियों ने प्रतिनिधित्व किया और मसौदा मानकों पर अपनी टिप्पणियां प्रस्तुत कीं।

X संवर्द्धनात्मक क्रियाकलाप (पुरस्कार योजनाऐं)

श्रम मंत्रालय की ओर से, डीजीफासली विश्वकर्मा राष्ट्रीय पुरस्कार (जिसे पहले राष्ट्रीय श्रम वीर पुरस्कार कहा जाता था) और राष्ट्रीय सुरक्षा पुरस्कार योजनाऐं सन् 1965 से क्रियान्वित कर रहा है। इन योजनाओं में 1971, 1978 और उसके पश्चात 2007 में सुधार किया गया। फिलहाल लागू योजनाऐं इस प्रकार हैं:

❖ विश्वकर्मा राष्ट्रीय पुरस्कारः ये पुरस्कार उन सुझावों को राष्ट्रीय स्तर पर महत्व देने के लिए प्रदान किए जाते हैं जिनके कारण

(i) उच्च उत्पादकता

(ii) सुरक्षा और कार्य परिस्थितियों में सुधार

(iii) विदेशी मुद्रा की बचत (आयात प्रतिस्थापन के साथ–साथ उत्पादों की गुणवत्ता और सुरक्षा) और

(iv) प्रतिष्ठान की समग्र दक्षता में सुधार हुआ हो। कारखानों, गोदियों, निर्माण स्थलों और नाभिकीय संस्थापनों में कार्यरत कामगार इसके अधीन आते हैं।

28 विश्वकर्मा राष्ट्रीय पुरस्कार निम्नलिखित 3 वर्गों में नकद राशि और मेरिट प्रमाणपत्र के रुप में दिया जाता है– वर्ग क– प्रत्येक 75000 रुपए के पांच पुरस्कार, वर्ग ख–प्रत्येक 50000 रुपए के 8 पुरस्कार और वर्ग ग – प्रत्येक 25000 रुपए के 15 पुरस्कार।

❖ **राष्ट्रीय सुरक्षा पुरस्कारः** राष्ट्रीय सुरक्षा पुरस्कार कारखाना अधिनियम, 1948 के अधीन आने वाले औद्योगिक अधिष्ठानों तथा गोदी कामगार (सुरक्षा,

स्वास्थ्य और कल्याण) अधिनियम, 1986, भवन तथा अन्य निर्माण कामगार (नियुक्ति और सेवा की शर्तों का विनियमन) अधिनियम, 1996 के तहत नियोक्ताओं और परमाणु ऊर्जा विनियामक बोर्ड के अधीन संस्थानों को उनके अच्छे सुरक्षा निष्पादन को मान्यता देने के लिए प्रदान किए जाते हैं। 12 स्कीमों के तहत पुरस्कार दिए जाते हैं जिनमें से 10 स्कीमें कारखानों/निर्माण स्थलों/एईआरबी के अधिष्ठापनों के लिए हैं और दो स्कीमें पत्तनों के लिए हैं। प्रत्येक पुरस्कार के तहत विजेताओं और उप–विजेताओं को शील्ड और मेरिट प्रमाण पत्र प्रदान किए जाते हैं। अधिकतम मानव घंटे के कार्यकरण के आधार पर प्रतिष्ठानों को विभिन्न स्कीमों के तहत बांटा जाता है।

विश्वकर्मा राष्ट्रीय पुरस्कार और राष्ट्रीय सुरक्षा पुरस्कार वितरण समारोह (निष्पादन वर्ष 2017)

विश्वकर्मा राष्ट्रीय पुरस्कार और राष्ट्रीय सुरक्षा पुरस्कार वितरण समारोह विज्ञान भवन नई दिल्ली में 17 सितम्बर, 2019 को आयोजित किया गया। माननीय श्रम और रोजगार राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) श्री संतोष कुमार गंगवार ने पुरस्कार वितरित किए। निष्पादन वर्ष 2017 के लिए 131 व्यक्तियों में वितरित 28 विश्वकर्मा राष्ट्रीय पुरस्कार और 12 वर्गों में 130 राष्ट्रीय सुरक्षा पुरस्कार 81 विजेताओं और 49 उप विजेताओं में वितरित किए गए।

वि.रा.पु और रा.सु.पु दोनों कार्यस्थल पर सुरक्षा को बढ़ावा देने और दुर्घटनाओं की रोकथाम करने में कंपनियों के उत्कृष्ट निष्पादन को मान्यता देते हुए संयंत्र स्तर पर योग्य कामगारों की छिपी हुई और गुप्त क्षमता का दोहन करने के लिए उत्प्रेरक और प्रेरक के रुप में कार्य करते हैं। वे दुर्घटना की रोकथाम और सुरक्षा संवर्धन कार्यक्रमों में कामगारों और प्रबंधकों, दोनों के उत्साह को समान रुप से प्रेरित करते हैं और उसे सतत बनाते हैं। समूचे देश में व्यापक प्रचार–प्रसार करके इन पुरस्कारों के लिए आवेदन आमंत्रित किए जाते हैं। वि.रा.पु और रा.सु.पु के लिए इस प्रकार से आमंत्रित आवेदनों पर एक त्रिपक्षीय पुरस्कार समिति द्वारा निर्णय लिया जाता है, जिसमें नियोक्ता संगठनों, कर्मचारी संगठनों और केन्द्र/राज्य सरकारों के प्रतिनिधि शामिल होते हैं। इस त्रिपक्षीय समिति का गठन श्रम और रोजगार मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा किया जाता है। इस त्रिपक्षीय प्रतिनिधित्व के अलावा इस समिति में सुरक्षा, स्वास्थ्य, पर्यावरण, उत्पादकता और गुणवत्ता के क्षेत्र में उद्योगों, ख्यातिलब्ध संस्थानों और विश्वविद्यालयों के विशेषज्ञ भी शामिल होते हैं।

XI डीजीफासली की स्कीमें

वर्ष 2019–20 के दौरान डीजीफासली, कारखानों, गोदियों और पत्तनों में व्या.सु.स्वास्थ्य के विकास और डीजीफासली संगठन के सुदृढीकरण की स्कीम का क्रियान्वयन कर रहा है। इस स्कीम के तीन घटक हैं।

घटक–I डीजीफासली संगठन और कारखानों, गोदियों और पत्तनों में व्या.सु.स्वास्थ्य का सुदृढीकरण

उद्देश्य

समूचे देश में कारखानों, पत्तनों और गोदियों में कामगारों की व्यावसायिक सुरक्षा और स्वास्थ्य की स्थिति में सुधार लाने के लिए जिससे व्यावसायिक चोटों और रोगों की रोकथाम और उनपर नियंत्रण होगा, 11 प्रमुख पत्तनों पर स्थित गोदी सुरक्षा निरीक्षणालयों, चेन्नई, कानपुर और कोलकाता में स्थित क्षेत्रीय श्रम संस्थानों और केन्द्रीय श्रम संस्थान, मुंबई सहित डीजीफासली संगठन की बुनियादी सुविधाओं को सुदृढ बनाना।

उपलब्धियां और पूर्वानुमान गतिविधियां

क्र.सं	मुख्य घटक और गतिविधियां	उपलब्धियां (अप्रैल–अक्तूबर 2019)	पूर्वानुमान गतिविधियां (नवंबर19 – मार्च 20)
1	क) व्या.सु.व स्वास्थ्य और अनुवर्ती कार्रवाई संबंधी जानकारी की राष्ट्रीय इन्वेन्टरी तैयार करना	–	

	ख) डाटाबेस का उन्नयन और विकास	5	*
	ग) अनुप्रयोग कार्यक्रमों का विकास	1	*
	घ) अनुरोध पर सामग्री सुरक्षा डाटाशीट	–	*
	ड.) उद्योगवार सुरक्षा और स्वास्थ्य संबंधी जानकारी	33	*
	च) मैनुअल, विवरण पुस्तिका का प्रकाशन	30	*
क.	ई गवर्नेंस के लिए न्यूनतम कार्यसूची का क्रियान्वयन	–	*
ख.	विशेष प्रशिक्षण कार्यक्रमों, संगोष्ठियों, कार्यशालाओं का आयोजन	47	32
ग.	अध्ययन/सर्वेक्षण/ऑडिट का आयोजन	16	10
घ.	प्रमुख पत्तनों में प्रवर्तन गतिविधियां (पोत, कंटेनर पोत, लूज गीयर, गोदियों, कंटेनर यार्ड, जोखिमपूर्ण संस्थापनों आदि का निरीक्षण)	2964	2000
ड.	श्वसन और गैर श्वसन वै.सु.उपकरण का परीक्षण	आरपीपीई–80 एनआरपीपीई–105	आरपीपीई–50 एनआरपीपीई–75

2. घटक II – क्षे.श्र.सं. फरीदाबाद को रासायनिक प्रक्रिया यूनिटों और एम एस एम ई के लिए सुरक्षा प्रणालियों के उन्नत केंद्र की तरह विकसित करना

उद्देश्यः

- एम.एस.एम.ई. और रसायन प्रक्रिया उद्योगों की विशेष जरुरतों को पूरा करने के लिए क्षेत्रीय श्रम संस्थान, फरीदाबाद को सुरक्षा प्रणाली के क्षेत्र में एक उन्नत केंद्र की तरह विकसित करना।
- तकनीकी क्रियाकलाप को कार्यान्वित करने के लिए उन्नत प्रशिक्षण केंद्र, उन्नत अनुसंधान केंद्र और जागरुकता केंद्र का विकास।
- एम.एस.एम.ई के कामगारों, मालिकों और प्रबंधकों में ज्ञान, कौशल और जागरुकता विकसित करने के लिए जानकारी देना तथा इसके लिए व्यापक सुविधा का विकास।

उपलब्धियां और पूर्वानुमान गतिविधियां

क्र.सं	मुख्य घटक और गतिविधियां	उपलब्धियां (अप्रैल–अक्तूबर 2019)	पूर्वानुमान गतिविधियां (नवंबर 19–मार्च 20)
1.	विभिन्न पदों का सृजन	–	–
2.	प्रयोगशालाओं/केंद्रों की स्थापना*	शून्य	–
3.	1 या 2 दिन की अवधि के प्रशिक्षण कार्यक्रम	2	–
4.	3 या इससे अधिक दिन की अवधि के प्रशिक्षण कार्यक्रम	3	2
5.	अंतःसंयंत्र प्रशिक्षण*	शून्य	1
6.	लक्षित समूहों यथा कारखाना निरीक्षकों/सुरक्षा अधिकारियों आदि के लिए प्रशिक्षण कार्यक्रम	2	–

7.	औद्योगिक सुरक्षा में एक वर्षीय पोस्ट डिप्लोमा पाठ्यक्रम	1	1
8.	प्रमाण–पत्र पाठ्यक्रम – औद्योगिक स्वास्थ्य का एसोसिएट	1	–
	फेलो चिकित्सा अधिकारियों के लिए		
9.	लघु और मध्यम उद्यमों के लिए प्रशिक्षण कार्यक्रम	1	–
10.	अध्ययन/सर्वेक्षण/अनुसंधान	2	2
11.	राष्ट्रीय संगोष्ठी/कार्यशाला/सम्मेलन	शून्य	1
12.	प्रकाशन/पोस्टर	–	–
13.	वीडियो फिल्म	–	–
14.	पुरस्कार	1	1

** आवश्यकता के आधार पर*

3 घटक– III: "क्षेत्रीय श्रम संस्थान शिलांग का विकास"

इस स्कीम का उद्देश्य व्यावसायिक सुरक्षा और स्वास्थ्य के क्षेत्र में उत्तर पूर्वी क्षेत्रों की जरुरतों को पूरा करना है। इस वर्ष के दौरान के.लो.नि.वि ने क्षेत्रीय श्रम संस्थान, शिलांग के भवन निर्माण के कार्य की पहल की है।

ग) नई पहलें

- निम्नलिखित विशिष्ट क्षेत्रों में केन्द्रीय श्रम संस्थान/क्षेत्रीय श्रम संस्थानों को उत्कृष्ट केन्द्र के रुप में मान्यता दी गई है:

केन्द्रीय श्रम संस्थान, मुंबई	– गोदी सुरक्षा और अभियांत्रिकी उद्योग
क्षेत्रीय श्रम संस्थान, फरीदाबाद	– एमएसएमई और रसायन प्रक्रिया सुरक्षा
क्षेत्रीय श्रम संस्थान, चेन्नई	– निर्माण और ऑटोमोबाईल उद्योग
क्षेत्रीय श्रम संस्थान, कानपुर	– शर्करा उद्योग और पॉवर जेनरेशन
क्षेत्रीय श्रम संस्थान, कोलकाता	– फेरस और गैर फेरस धातु तथा कागज उद्योग

13.13 श्रम एवं रोजगार मंत्रालय के अधीन खान सुरक्षा महानिदेशालय (डीजीएमएस) एक अधीनस्थ कार्यालय है जिसका मुख्यालय धनबाद (झारखंड) में है। यह भारत में खानों में नियोजित श्रमिकों की सुरक्षा तथा स्वास्थ्य को प्रशासित करता है तथा इस क्षेत्र में मंत्रालय को एक तकनीकी अनुपूरक के रूप में कार्य करता है। भारत के संविधान के अंतर्गत, खानों में नियोजित श्रमिकों की सुरक्षा, कल्याण तथा स्वास्थ्य केंद्र सरकार का विषय है (प्रविष्टि–55 संघ सूची–अनुच्छेद–246)। इस उद्देश्य को खान अधिनियम, 1952 तथा इसके अधीन बनाये गये नियमों तथा विनियमों के द्वारा विनियमित किया जाता है। खान अधिनियम तथा इसके अधीनस्थ विधानों को प्रशासित करने के अलावा, डीजीएमएस खनन क्षेत्र में अन्य संबद्ध विधानों को भी प्रशासित करता है।

13.14 खनिज एक राष्ट्र की वह संपत्ति है जो क्षीण हो रही है। पृथ्वी की सतह के नीचे से इसका निष्कर्षण अनगिनत खतरों से भरा है। खनन एक खतरनाक पेशा रहा है और इसके बारे मे यह मान्यता सही है कि यह प्रकृति की अप्रत्याशित शक्तियों के साथ एक युद्ध है। भूमिगत खानों की छत और किनारों की दशा बिना किसी पूर्व लक्षण के बादल सकती है। खनन में पानी का अचानक अंदर प्रवाह, घातक और ज्वलनशील गैसों का रिसाव अथवा छत और साइड के गिरने के कारण होने वाले खतरे अंतर्निहित हैं। वस्तुतः ऐसे अप्रत्याशित खतरों के कारण ही खनन को शांति–समय के सभी व्यवसायों में सबसे खतरनाक

माना जाता है।

13.15 किसी भी राष्ट्र के आर्थिक विकास के लिए खनिज आधारभूत तत्त्व होते हैं तथा भारत प्रकृति के इस उपहार से उत्कृष्ट रूप से सम्पन्न है। औद्योगिकीकरण में प्रगति की वजह से मांग में वृद्धि हुई है। उत्तरोत्तर पंचवर्षीय योजनाओं के असर के फलस्वरूप उल्लेखनीय खनन–विकास हुआ है। बढे हुये लक्ष्यों की पूर्ति हेतु खनन गतिविधियों का मशीनीकरण हुआ है। बड़े स्तर पर मशीनीकरण से खानों में नियुक्त व्यक्तियों के स्वास्थ्य तथा सुरक्षा पर खतरा बढ गया है। तदनुसार खान सुरक्षा महानिदेशालय (डीजीएमएस) की भूमिका भी विस्तृत हो गई है।

13.16 खान सुरक्षा महानिदेशालय (डी.जी.एम.एस.) द्वारा प्रशासित खान अधिनियम, अधीनस्थ विधान तथा कुछ सम्बद्ध विधानों सूची निम्नलिखित है :

खान अधिनियम, 1952

- कोयला खान विनियम, 2017
- धात्विक खान नियम, 1961
- तेल खान नियम, 2017
- खान नियमावली, 1955
- खान व्यावसायिक नियमावली, 1966
- खान बचाव नियमावली, 1985
- खान शिशुगृह नियमावली, 1966
- कोयला खान पिट हेड बाथ नियमावली, 1959

खंड 1.01 विद्युत अधिनियम 2003

- केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरण विनियम, 2010

खंड 1.02 सम्बद्ध विधान

- कारखाना अधिनियम, 1948: अध्याय प्प् तथा प्ट
- पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 के अधीन जोखिमयुक्त रसायन के निर्माण, भंडारण तथा आयात नियमावली, 1989।
- कोयला खान (संरक्षण तथा विकास) अधिनियम, 1974

डीजीएमएस की भूमिका एवं कार्यकलाप

13.17 डीजीएमएस की परिकल्पना

खानों में नियोजित व्यक्तियों के लिए खतरा तथा जोखिम–मुक्त कार्य–दशाओं का सृजन तथा कल्याण।

13.18 डीजीएमएस का उद्देश्य :

खानों में तथा इसके आसपास दुर्घटनाओं तथा रोगों की पहचान करना तथा इन्हे कम करने के लिए :

- उपयुक्त विधान, नियम, विनियम मानकों तथा मार्गदर्शन का विकास
- अनुपालन को सुनिश्चित करने के लिए पर्याप्त कदम उठाना तथा
- कार्यरत व्यक्तियों तथा हितधारकों में सुरक्षा तथा स्वास्थ्य संस्कृति विकसित करने के लिए जागरूकता की पहल करना।

13.19 डीजीएमएस के वर्तमान कार्य विस्तृत रूप मे इस प्रकार हैं :

1. खानों का निरीक्षण।
2. निम्नलिखित की जांच–पड़ताल

(क) दुर्घटना।

(ख) खतरनाक घटनाएं–संकटकालीन प्रतिक्रिया।

(ग) शिकायत तथा अन्य मामले।

3. निम्नलिखित की अनुमति देना:

(क) सांविधिक अनुमति, छूट तथा रियायत।

(ख) खान सुरक्षा उपकरणों, सामग्रियों तथा यंत्रों अनुमोदन।

4 भविष्य योजना के लिए दुर्घटनाओं से संबंधित सूचना/रिपोर्ट, दुर्घटनाओं से संबंधित जांच (नियम/विनियम के अनुसार) इत्यादि का रख–रखाव।

5. उपर्युक्त के आधार पर, विभिन्न संसदीय समितियों को यथा आवश्यकतानुसार रिपोर्ट भेजी जाती हैं।

6. कार्यशाला इत्यादि के माध्यम से सुरक्षा उपकरण, सामग्री तथा कार्य–पद्धतियों के विकास के लिए परस्पर क्रियाएं।

7. खानों (कोयला तथा गैर–कोयला) से संबन्धित दुर्घटना–सांख्यिकी के आंकड़ों को एकत्रित व संसाधित करना तथा इनका अनुरक्षण करना।

8. प्रकाशनः आवधिक रूप से निम्न प्रकाशनों को निकालना :

(क) भारत में खानों के सांख्यिकी– आंकड़े, भाग–I (कोयला)– (वार्षिक)

(ख) भारत में खानों के सांख्यिकी– आंकड़े, भाग–II (गैर–कोयला)– (वार्षिक)

(ग) दुर्घटनाओं की मासिक समीक्षा(डीजीएमएस की वेबसाइट पर) (मासिक)

(घ) डीजीएमएस मानक टिप्पणी–वार्षिक

9. खानों से संबन्धित आंकड़ों को अन्य संगठनों जैसे सीएसओ, आईबीएम, श्रम ब्यूरों तथा राज्य सरकार, कोयला मंत्रालय इत्यादि को भेजना।

10. सुरक्षा विधान तथा मानकों के विकास में सहायता देना।

11. सुरक्षा सूचना का प्रसार।

12. सक्षमता प्रमाणपत्र प्रदान करने हेतु परीक्षाओं का संचालन जिससे केवल सक्षम व्यक्तियों की नियुक्ति खान प्रबन्धक, सर्वेक्षक, ओवरमेन, फोरमेन, इत्यादि (कोयला खान विनियम, 2017 तथा धात्विक खान विनियम, 1961 के अधीन) के रूप में सुनिश्चित हो सके।

13. निम्नलिखित को समाहित कर सुरक्षा उन्नयन कदम उठानारू

(क) निम्न का आयोजन करना

- खान सुरक्षा पर सम्मेलन।
- सर्वोत्तम सुरक्षा मानकों को कार्य–प्रणाली में लाने वालीं खानों को राष्ट्रीय सुरक्षा पुरस्कारय जिन्हे भारत के महामहिम राष्ट्रपति द्वारा पदान किया जाता है।
- सुरक्षा सप्ताह तथा अभियान।

(ग) निम्न का उन्नयन–

– सुरक्षा शिक्षा तथा जागरूकता कार्यक्रम।

– निम्न के माध्यम से सुरक्षा प्रबंधन में श्रमिकों की सहभागिता।

- वर्कमेन्स इंस्पेक्टर।
- सुरक्षा समिति।
- त्रिपक्षीय समीक्षाएं।

संगठनात्मक स्वरूप

13.20. यह श्रम एवं रोजगार मंत्रालय के अधीन एक अधीनस्थ कार्यालय है जिसका मुख्यालय धनबाद, (झारखंड) में है। इसके कार्यालय–प्रमुख खान सुरक्षा महानिदेशक हैं। मुख्यालय में महानिदेशक को खनन, विद्युत और यांत्रिक अभियंत्रण, सांख्यिकी, व्यावसायिक स्वास्थ्य, विधि, सर्वेक्षण, प्रशासन और लेखा संवर्ग के विशेष अधिकारियों द्वारा सहयोग प्रदान किया जाता है। मुख्यालय में एक तकनीकी पुस्तकालय और विज्ञान एवं तकनीकी प्रयोगशाला भी है, जो संगठन को सुविधाएँ मुहै;ा कराते हैं। क्षेत्रीय संगठन में कार्यालय का टू–टीयर नेट वर्क है। पूरे देश में आठ जोनों में विभाजित किया गया है और प्रत्येक जोन एक खान सुरक्षा उप–महानिदेशक के प्रभार में है। प्रत्येक जोनल कार्यालय के अन्तर्गत तीन से चार क्षेत्रीय कार्यालय होते हैं। प्रत्येक क्षेत्र एक खान सुरक्षा निदेशक के प्रभार में हैं। इस प्रकार से कुल मिलाकर 29 ऐसे क्षेत्रीय कार्यालय हैं। क्षेत्रीय कार्यालय से दूर संकेन्द्रित खनन कार्य के महत्वपूर्ण क्षेत्र में तीन उप क्षेत्रीय कार्यालय खोले गए हैं। इनमें प्रत्येक कार्यालय एक खान सुरक्षा उप–निदेशक के प्रभार में है। प्रत्येक जोन में खनन संवर्ग के निरीक्षण अधिकारियों के अतिरिक्त विद्युत एवं यांत्रिक अभियंत्रण एवं

व्यावसायिक स्वास्थ्य संवर्ग के अधिकारी भी होते हैं।

श्रम और रोजगार संघ मंत्रालय, भारत सरकार ने, विभिन्न समितियों, उप–समितियों जिसमें श्रम और रोजगार मंत्रालय सलाहकार समिति तथा विभिन्न जांच–न्यायालय तथा सिस्टमेटिक इन्वेस्टिगेशन यूनिट (एसआईयू) भी शामिल हैं, इस महानिदेशालय में 279 अधिकारियों (269 निरीक्षक अधिकारी) तथा 231 आउटसोर्सिंग पदों समेत 684 सहायक कर्मचारियों की संस्वीकृत कार्मिक संख्या को अंतिम रूप दिया है।

पदधारियों की श्रेणी	**कुल स्वीकृत पद**	**कार्यरत कर्मचारियों की संख्या**
समूह–क	279	144
समूह–ख (राजपत्रित)	38	23
समूह–ख (अराजपत्रित)	186	154**
समूह–ग	229	142
आउटसोर्सिंग के लिए स्वीकृत पद समूह–ग	231#	93*
कुल	732	556

** ऐसे पदों पर पदधारी समाप्त हो जाएंगे जब वर्तमान पदधारक पदोन्नति/आरक्षण/सेवानिवृति के कारण पदों को रिक्त करेंगे।*

*** 11 समूह बी राजपत्रित पदों को अभी तक समाप्त नही किया गया है चूंकि पदधारक ऐसे पदों पर हैं।*

 # आउटसोर्सिंग से भरा जाना है।

निम्न तालिका में वर्ष–वार डीजीएमएस की कुल पद संख्या दर्शाई गई है :

वर्ष	संस्वीकृत कार्मिक संख्या	पदासीन
2009	950	683
2010	963*	669
2011	963*	662
2012	963*	657
2013	963*	647
2014	963*	670
2015	963*	672
2016	963*	647
2017	963*	598
2018	963*	567
2019#	963*	556

*# 31.10.2019 तक *231 आउटसोर्सिंग से भरे जाने हैं।*

क) दुर्घटना की प्रवृति

13.21 आकृति 1 में कोयला खानों में प्राणघातक तथा गंभीर दुर्घटनाओं की प्रवृति दी गई है। यह देखा जा सकता है कि गंभीर चोट साल दर साल सतत रूप से कम होती जा रही हैं। मृत्यु दर 0.1 से 0.3 के बीच उतार–चढ़ाव दर्शा रही है। दर को और कम करने के लिए खान सुरक्षा महानिदेशालय ने कई कदम उठाए हैं, इसका विश्लेषण आकृति 9 तथा आकृति 10 में दिया गया है।

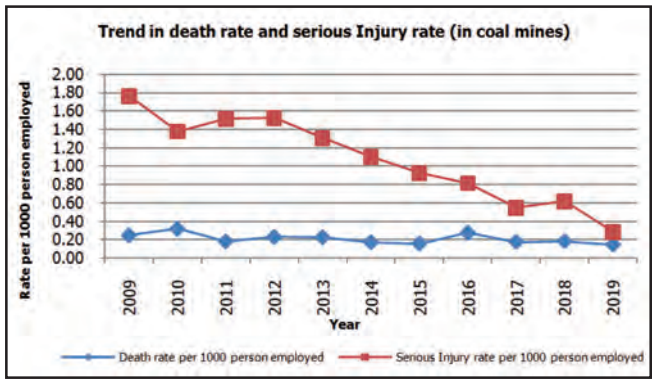

आकृति 1: कोयला खानों में प्राणघातक तथा गंभीर दुर्घटनाओं की प्रवृति

13.21 आकृति 2 में धात्विक खानों में प्राणघातक तथा गंभीर दुर्घटनाओं की प्रवृति दी गई है। दोनों की दर में उतार–चढ़ाव की प्रवृति है किन्तु एक अवधि के पश्चात यह

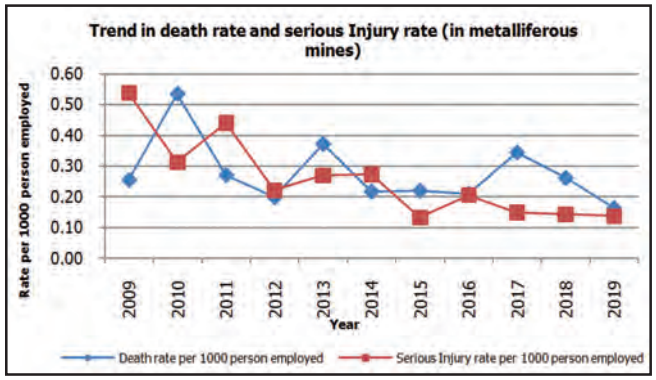

आकृति 2: धात्विक खानों में प्राणघातक तथा गंभीर दुर्घटनाओं की प्रवृति

13.22 आकृति 3 में तेल खानों में प्राणघातक तथा गंभीर दुर्घटनाओं की प्रवृति दी गई है। दोनों की दर में उतार–चढ़ाव की प्रवृति है किन्तु एक अवधि के पश्चात यह कहा जा सकता है कि गंभीर चोट कम होती जा रही हैं।

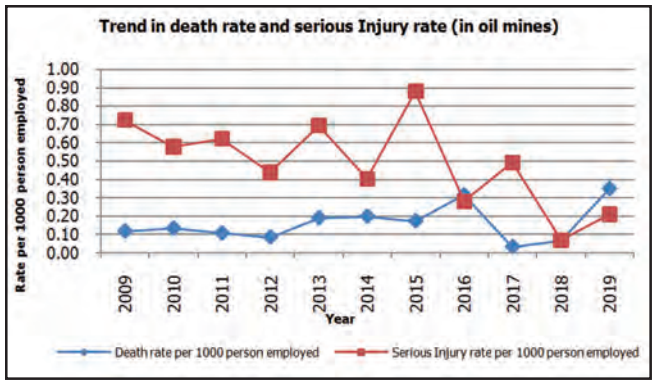

आकृति 3: तेल खानों में प्राणघातक तथा गंभीर दुर्घटनाओं की प्रवृति

खंड 1.03 सुरक्षा उपाय

13.23 खानों में आवश्यक सुरक्षा उपायों के प्रवर्तन को सुनिश्चित करने के लिए, डीजीएमएस के निरीक्षक अधिकारी निरीक्षण तथा जांच करते हैं। कोयला, धात्विक तथा तेल खानों के निरीक्षण करने के अलावा डीजीएमएस सभी घातक दुर्घटनाओं, कुछ गंभीर दुर्घटनाओं तथा खतरनाक घटनाओं की जांच पड़ताल करता है तथा इस प्रकार के हादसों को रोकने के लिए सुधारात्मक उपायों की सिफारिश भी करता है। 2001 से 2019 के बीच दुर्घटनाओं की प्रवृति को टेबल 13.5क में दर्शाया गया है। घातक दुर्घटनाओं में प्रवृति तथा वर्ष 1951 से 2010 तथा 2011–2019 तक 10 वर्ष के आधार पर नियुक्त प्रति 1000 व्यक्ति अपमृत्यु दर को टेबल 13.5ख में दर्शाया गया है।

13.24 खान अधिनियम, 1952 की धारा 22 तथा 22क, कोयला खान विनियम, 1957 के विनियम 103 तथा धात्विक खान विनियम, 1961 के विनियम 108 के अधीन सुधार नोटिस जारी करने की तथा खान में अथवा इसके कुछ हिस्से में व्यक्तियों को नियुक्त करने से रोकने की निषेधात्मक आदेश शक्ति डीजीएमएस के पास है। वर्ष 2006 के बाद से किए गए निरीक्षणों तथा जांचों की संख्या को टेबल 13.6 में दर्शाया गया है।

परिपत्र

13.25 डीजीएमएस व्यावसायिक सुरक्षा तथा स्वास्थ्य मामलों पर खनन उद्योग को परिपत्र जारी करता है, जिसके बहुत निहितार्थ होते हैं। यथा आवश्यकतानुसार तकनीकी परिपत्र, अनुमोदन परिपत्र, सामान्य परिपत्र, सामान्य निर्देश, तकनीकी निर्देश, विधायी परिपत्र तथा विधायी निर्देश जारी किए जाते हैं।

सक्षमता जांच

13.26 यह सुनिश्चित करने के लिए कि केवल सक्षम व्यक्ति ही खान प्रबन्धक, सर्वेयर, ओवरमेन, फोरमेन इत्यादि नियुक्त हों, डीजीएमएस कोयला खान विनियम, 1957 तथा धात्विक खान विनियम, 1961 के अधीन गठित खनन परीक्षा बोर्ड की ओर से परीक्षाएं आयोजित करवाता है तथा सक्षमता–प्रमाणपत्र जारी करता है। 01.04.19 से 30.10.2019 की अवधि में प्राप्त किए गए आवेदनों तथा जारी किए गए सक्षमता– प्रमाणपत्रों का ब्यौरा टेबल 13.7 में दिया गया है।

खान सुरक्षा उपकरणों का अनुमोदन

13.27 खानों में प्रयोग हेतु विविध उपकरणों का अनुमोदन कोयला खान विनियम, 2017, धातुमय खान विनियम, 1961, तेल खान विनियम, 2017, भारतीय विद्युत नियम, 2010 एवं खान बचाव नियम, 1985 के भिन्न–भिन्न उपबंधों के अधीन विधायी दायित्व की पूर्ति हेतु मुख्य खान निरीक्षक (खान सुरक्षा महानिदेशक के रूप में भी पदनामित) द्वारा किया जाता है। अनुमोदन प्रक्रिया में आवेदनों संवीक्षा की जाती है ताकि मुख्य रूप से विनिर्माताओं द्वारा अपनाई गई

गुणवत्ता नियंत्रण पद्धति तथा लंबे विपरीत हालातों में सुरक्षित ढंग से काम करने वाले उपकरणों/सामग्रियों के निर्माण में उनकी क्षमता का पता चल सके। उपकरणों को भारतीय मानकों के अनुरूप होना चाहिए किन्तु यदि ऐसा भारतीय मानक न हो तो, इसकी संपुष्टि अन्य देशों के मानक प्रमाणीकरण संस्थाओ जैसे आई.एस.ओ./ईएन/डीआईएन इत्यघदि द्वारा की जाती है। आवेदन में सुसंगत मानक के अनुसार अनुमोदित प्रयोगशाला से जांच प्रमाणपत्रों को भी शामिल किया जाता है। दस्तावेजों की संवीक्षा कर लेने तथा सही पाये जाने के उपरांत विभिन्न खानों में उपकरणों की खान–योग्यता जाँचने के लिए फील्ड ट्रायल अनुमोदन प्रदान किया जाता है। फील्ड में उपकरणों की सफलतापूर्वक जांच के पश्चात, संबन्धित खान से निष्पादन रिपोर्ट प्राप्त प्राप्त की जाती है। यदि उपर्युक्त रिपोर्ट संतोषजनक पायी जाती हैं तो एक निर्दिष्ट अवधि के लिए नियमित अनुमोदन प्रदान किया जाता है।

13.28 जिन उपकरणों मशीनरीध्यंत्रों तथा सामग्रियों के लिए अनुमोदन अपेक्षित होता है उनकी निम्न श्रेणियां हैं :

- निजी बचावकारी उपकरण।
- पर्यावरणीय निगरानी यंत्र तथा उपकरण।
- खनन प्रचालन के लिए मशीनरी तथा अन्य उपकरण तथा
- भूमिगत खानों में प्रयोगा हेतु सुरक्षा सामग्री।

13.29 नीचे दी गई टेबल में अनुमोदित मदों का विवरण प्रस्तुत है :

01.04.2019 से 30.09.2019 के दौरान अनुमोदित रेस्यूसिटेटर, सेल्फ रेक्यूएर, सांस लेने के उपकरण

मद	नियमित अनुमोदनों की संख्या/प्रदत्त विस्तार अनुमोदन	अनुमोदित फील्ड ट्रायल की संख्या/प्रदत्त विस्तार फील्ड अनिमोदन	प्रदत्त कुल अनुमोदनों की संख्या
सांस लेने के उपकरण	00	00	00
रिससीटेटर/रिवाइविंग अपेरेटस	00	00	00
सेल्फ रेक्यूएर (सीओएसआर)	01	00	01
कुल	**01**	**00**	**01**

01.04.2019 से 30.09.2019 के दौरान अनुमोदित उपकरण, यंत्र, सामग्री तथा मशीनरी

नियमित अनुमोदनों की संख्या/प्रदत्त विस्तार	अनुमोदन अनुमोदित फील्ड ट्रायल की संख्या/प्रदत्त विस्तार फील्ड अनिमोदन	प्रदत्त कुल अनुमोदनों की संख्या
00	00	00

01.04.2019 से 30.09.2019 के दौरान अनुमोदित विस्फोटक, एक्सप्लोडर तथा डिटोनेटर इत्यादि

नियमित अनुमोदनों की संख्या/प्रदत्त विस्तार	अनुमोदन अनुमोदित फील्ड ट्रायल की संख्या/प्रदत्त विस्तार फील्ड अनिमोदन	प्रदत्त कुल अनुमोदनों की संख्या
01	00	01

13.30 01.04.2019 से 30.09.2019 के दौरान खानों में प्रयोग हेतु मशीनी उपकरणों के अनुमोदन का विवरण नीचे दिया गया है :

क्र. सं.	अनुमोदन प्रकार	दिये गए अनुमोदनों की संख्या
1.	फील्ड ट्रायल/विस्तार की संख्या	7
2.	नियमित अनुमोदन/विस्तार	6
दिये गए अनुमोदनों की कुल संख्या		13

13.31 01.04.2019 से 31.10.2019 के दौरान खानों में प्रयोग हेतु विद्युत उपकरणों के अनुमोदनों को नीचे दिया गया है:

क्र. सं.	अनुमोदन प्रकार	दिये गए अनुमोदनों की संख्या
1.	फील्ड ट्रायल अनुमोदन	12
2.	फील्ड ट्रायल विस्तार	05
3.	नियमित अनुमोदन	ऑनलाइन : 06 आफलाइन : 03
4.	नवीनीकरण	17
दिये गए अनुमोदनों की कुल संख्या		43

क) सांख्यिकी प्रभाग, डीजीएमएस

13.32 डीजीएमएस में एक कंप्यूटरीकृत सूचना प्रबंधन प्रणाली है जिसे सांख्यिकी प्रभाग देखता है। सांख्यिकी प्रभाग 2017 से राष्ट्रीय सुरक्षा पुरस्कार (खान) के लिए ऑनलाइन सॉफ्टवेयर की देख–रेख करता है। प्रभाग खान सुरक्षा संबन्धित विभिन्न आंकड़ों (रिटर्न्स तथा रिपोर्ट के रूप में) को प्राप्त करने के पश्चात इनकी संवीक्षा, संसाधन तथा इन्हे एकत्रित करता है।

परिकल्पना :

13.33 भारतीय खानों के कर्मचारियों के लिए राष्ट्रीय स्तर पर स्वीकृत तथा अंतर्राष्ट्रीय रूप से प्रतिस्पर्धात्मक स्वास्थय, सुरक्षा तथा कल्याण मानकों को सुनिश्चित करने की दिशा में सहायता तथा पूर्ति करना।

सांख्यिकी प्रभाग के कार्य

क्र. सं.	मुख्य कार्यकलाप
1	खानों से संबन्धित दुर्घटना सांख्यिकी, नियोजन, मशीन, विस्फोटकों से संबन्धित आंकड़ों को एकत्रित, संसाधित तथा इनका रखरखाव करना।
2	संसदीय स्थायी समिति से संबंधित कार्य– यथा आवश्यकतानुसार आंकड़े उपलब्ध कराना।
3	कोल इंडिया लिमिटेड से संबंधित कार्य– यथा आवश्यकतानुसार आंकड़े उपलब्ध कराना।
4	**संसद के प्रश्नों से संबंधित कार्यः** 1. संसद के प्रश्नों के उत्तर को संसाधित करना– (सभी सत्र) 2. संसद के प्रश्नों से संबंधित डेटा–संसाधन
5	**दुर्घटना रिपोर्टः** 1. दुर्घटना संबंधित प्रपत्रों तथा डेटाबेस में रिपोर्ट की डेटा एंट्री। 2. दुर्घटना आंकड़ों को संसाधित करना। 3. डेटाबेस में दुर्घटना आंकड़ों का रखरखाव करना।
6	कोयला तथा गैर–कोयला खानों के वार्षिक प्रतिवेदनों को संसाधित करना।
7	1. प्रकाशनः आवधिक रूप से निम्न प्रकाशनों को निकालना : (क) भारत में खानों के सांख्यिकी– आंकड़े, भाग– I (कोयला)– (वार्षिक) (ख) भारत में खानों के सांख्यिकी– आंकड़े, भाग– II (गैर–कोयला)– (वार्षिक) (ग) दुर्घटनाओं की मासिक समीक्षा– (मासिक)

	(घ) डीजीएमएस मानक टिप्पणी–वार्षिक 2. इसके अलावा प्रभाग निम्न के प्रकाशन में सहायता करता है : क) डीजीएमएस मानक टिप्पणी– वार्षिक ख) मंत्रालय की वार्षिक रिपोर्ट– वार्षिक ग) कोयला तथा गैर–कोयला खानों में दुर्घटना परिदृश्य पर विशेष बुलेटिन– आवश्यकता पर घ) भारत में खानों में भीषण दुर्घटना पर विशेष बुलेटिन– (आवश्यकता पर)
8	**राष्ट्रीय सुरक्षा पुरस्कार (खान) :** 1. राष्ट्रीय सुरक्षा पुरस्कार (खान) से संबंधित आवेदनों को संसाधित तथा संवीक्षा करना। 2. राष्ट्रीय सुरक्षा पुरस्कार (खान) डेटाबेस का रखरखाव। 3. एनएसए समिति की बैठकों का आयोजन, कार्यशाला इत्यादि।
9	आंकड़ों को अन्य संगठनों जैसे सीएसओ, आईबीएम, श्रम ब्यूरों तथा राज्य सरकार, कोयला मंत्रालय इत्यादि को भेजना।
10	आउटकम बजट से संबंधित डेटा को अद्यतन करना/रखरखाव करना।
11	आरएफड़ी से संबंधित डेटा को अद्यतन करना/रखरखाव करना। 1. निरीक्षण तथा जांच से संबंधित डेटाबेस का रखरखाव। 2. अनुमति से संबंधित डेटाबेस का रखरखाव।
12	खान प्रबंधन तथा इस निदेशालय के उप–क्षेत्रीय/क्षेत्रीय/अंचल कार्यालयों से दुर्घटना संबंधित डेटा का मिलान करना।
13	यथासमय यथा अपेक्षित डीजीएम्एस के विभिन्न स्कंधों को समन्वित करना।
14	सॉफ्टवेयेर का विकास तथा कस्टमाईजेशन (समन्वय तथा सार) 1. खान सांख्यिकी 2. राष्ट्रीय सुरक्षा पुरस्कार (खान)
15	यह प्रभाग आई.आई टी (आई.एस.एम) तथा बी. आई.टी आदि. जैसे संगठनों के अनुसंधानकर्ताओं को भी सहायता प्रदान कर रहा है।
16	खानों के पंजीकरण हेतु एक डेटाबेस का रखरखाव किया जाता है, जहां यूनिक आइडेंटिफिकेशन नंबर सृजित किया जाता है तथा सम्बंधित जोन ?क्षेत्र में भेजा जाता है।
17	मानक टिपण्णी का निर्माण 1. दुर्घटना विश्लेषण 2. अनुपातों का संकलन तथा वयुत्पत्ति।
18	श्रमसुविधा पोर्टल के माध्यम से कोयला तथा गैर–कोयला खानों का संकलनद्य
19	प्रधानमंत्री के स्वप्न को ध्यान में रखकर निम्नांकित क्षेत्रों में ऑनलाइन यूजर को आवश्यक डाटा उपलब्ध कराने तथा डाटा संकलन के लिए ऑनलाइन पटल का विकास का प्रयास किया जा रहा है। 1. वार्षिक विवरणी 2. दुर्घटना का कालक्रमिक विश्लेषण
20	विविध मापदंडों अर्थात् कारण, स्थान, राज्य, आयु, आदि पर दुर्घटनाओं का विस्तृत विश्लेषणद्य

13.34 सांखियकी प्रभाग खान सुरक्षा के विविध गतिविधियों के सम्बन्ध में सूचना तथा सांख्यिकी के विविध कंप्यूटर डेटाबेस का रखरखाव करता है।

वर्तमान पहल तथा उपलब्धियां

- विनियमों (सी.एम.आर.–2017, ओ.एम.आर.–2017)

में परिवर्तनों की नई अपेक्षाओं के अनुसार वार्षिक विवरणियों के संशोधित फॉर्मेट बनाए गए हैं।

- वर्ष 2017 से मुख्यालय के पंजीकृत खानों की डेटाबेस में करीब 7600 नयी खानों को शामिल किया गया है। ये वर्ष 2017 के पुराने डेटाबेस का करीब 100% की वृद्धि को व्यक्त करता है।
- राष्ट्रीय सुरक्षा पुरस्कार के विजेता खानों की ऑनलाइन सूची का निर्धारण की प्रक्रिया के अतिरिक्त एनएसए (खान) पुरस्कार का प्रसंस्करण कार्य को तीव्र किया गया है।
- डीजीएम्एस/मंत्रालय के अन्य प्रतिवेदनो तथा मानक टिप्पणी–2019 डाटा का समयबद्ध सुपुर्दगी।
- वर्ष 2017–18 के दौरान चार वर्षों के लिए रास्ट्रीय सुरक्षा पुरस्कार की सूचना को प्रक्रमित कर भेजी जा चुकी है। सॉफ्टवेयेर समस्या के कारण राष्ट्रीय सुरक्षा 2017 का प्रसंस्करण कार्य में विलम्ब हुआ है।
- **राष्ट्रीय सुरक्षा पुरस्कार हेतु खानों के चयन के सम्बन्ध में मानदंड का संसोधनः** चयन हेतु खानों की सुरक्षा दक्षता को तुलनीय बनाने के लिए विश्लेषण के दौरान पाया गया कि उपरोक्त मानदंड को संशोधित किया जाए। तदनुसार, उपरोक्त हेतु दो कार्यशाला कराई गई। विश्लेषण तथा संचालकों द्वारा प्रतिवेदित सांख्यिकी के आधार पर कुछ सुसंगत मानदंडों को संशोधित किया गया, जिसे समिति द्वारा अंतिम रूप से निर्धारित किया जाएगा।

राष्ट्रीय सुरक्षा पुरस्कार (खान)

13.35 श्रम और रोजगार मंत्रालय, भारत सरकार ने खानों में सुरक्षा मानकों की बेहतरी के लिए खदान संचालकों के बीच प्रतिस्पर्धी भावना को बढ़ावा देने और उचित मान्यता देने के उद्देश्य से 1983 में (प्रतियोगिता वर्ष 1982 के लिए) राष्ट्रीय सुरक्षा पुरस्कार (माइन्स) की स्थापना की। राष्ट्रीय स्तर पर उत्कृष्ट सुरक्षा प्रदर्शन के लिए। यह पुरस्कार आम तौर पर भारत के माननीय राष्ट्रपति द्वारा हर साल दिया जाता है और खनन समुदाय के बीच काफी उत्साह पैदा करता है। प्रतियोगिता सुरक्षा के लिए राष्ट्रीय सुरक्षा पुरस्कार (खान) 2013 और 2014 17 अगस्त, 2017 को नई दिल्ली में भारत के माननीय राष्ट्रपति द्वारा दिए गए।

13.36 प्रतियोगिता सुरक्षा वर्ष 2015 और 2016 के लिए राष्ट्रीय सुरक्षा पुरस्कार (खान) के लिए आवेदन प्रक्रिया की गई और पुरस्कार विजेता खानों की लघु–सूचीकरण जून, 2018 तक किया गया।

13.37 डेटाबेस में भारत में खनन गतिविधियों का विकास है। वर्ष 2006 से 2015 तक खनन गतिविधियों का विकास तालिका 13.1 में परिलक्षित होता है। तालिका 13.2 में परिलक्षित खानों में दुर्घटना के रुझान। तालिका 13.3 कोल माइंस में दुर्घटनाओं की प्रवृत्ति को दर्शाता है। तालिका 13.4 गैर–कोयला कारण वार में दुर्घटना के रुझानों को दर्शाती है। खदानों की सुरक्षा से संबंधित दुर्घटनाओं की स्थिति और खानों में हताहत होने वाले महत्वपूर्ण पहलू हैं। ये तालिका 13.5 ए और 13.5 बी में परिलक्षित होते हैं।

13.38 डीजीएमएस स्थापित मानकों के अनुसार सुरक्षा से संबंधित खानों की तकनीकी जांच और पूछताछ करता है। इन सभी से संबंधित डेटाबेस भी बनाए रखा जाता है और

विभिन्न वर्षों के आंकड़े तालिका 13.6 में परिलक्षित होते हैं।

13.39 टेबल 13.7 विभिन्न प्रबंधकों और खानों के अन्य कर्मचारियों से प्राप्त आवेदनों की संख्या को दर्शाता है और तदनुसार योग्यता के प्रमाण पत्र जारी किए जाते हैं।

दुर्घटना का अनुभव

13.40 1971–80 से 2011–19 अक्टूबर 2019 तक 10-10 के औसत से प्रति वर्ष औसतन प्रति हजार व्यक्तियों पर घातक दुर्घटनाओं और घातक दर के संदर्भ में दुर्घटना के रुझान नीचे दिए गए हैं:

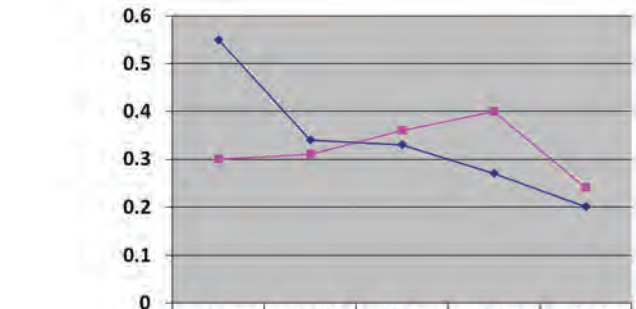

	1971-80	1981-90	1991-00	2000-2010	2011-19
Coal	0.55	0.34	0.33	0.27	0.20
NON-COAL	0.30	0.31	0.36	0.4	0.24

13.41 घातक दर और दीर्घकालिक प्रवृत्ति की लंबी अवधि की प्रवृत्ति उपरोक्त चार्ट के माध्यम से व्यक्त की जा सकती है। उपरोक्त चार्ट दस वार्षिक औसत आधार पर कोयला और गैर–कोयला खदानों में कार्यरत प्रति 1000 व्यक्तियों पर घातक दरों की प्रवृत्ति को रेखांकित करता है। कोयला खदानों की प्रवृत्ति में पिछले कुछ वर्षों में लगातार गिरावट आई है, हालांकि, गैर–कोयला खानों के बारे में भी ऐसा नहीं कहा जा सकता है।

13.42 दुर्घटनाओं के एक करीबी विश्लेषण से पता चलता है कि 2018 के दौरान कोयला खदानों, डंपरों, ट्रकों आदि के कारण होने वाली घातक दुर्घटनाओं में लगभग 30% दुर्घटनाओं का योगदान था, इसके बाद गैर–परिवहन मशीनरी के कारण लगभग 20% का विकास हुआ। 2018 के दौरान गैर–कोयला में, सबसे अधिक घातक दुर्घटनाओं का प्रतिशत पक्षों के गिरने के कारण था और यह लगभग 19% था। इसके बाद कारण था: डम्पर, ट्रक आदि जो 17% थे।

13.43 अब तक 2018 के दौरान कोयला खदानों में गंभीर दुर्घटनाएं प्रमुख योगदानकर्ता थे: व्यक्तियों का पतन और वस्तुओं का गिरना जो क्रमशः 33% और 17% थी। गैर–कोयला के मामले में प्रमुख योगदानकर्ता थे: व्यक्तियों का पतन और वस्तुओं का गिरना जो क्रमशः 28% और 22% थे।

13.44 आंकड़े 4 और 5 नीचे वर्ष 2018 के दौरान कोयला खदानों में क्रमशः कारण–वार घातक और गंभीर दुर्घटनाओं को दर्शाते हैं।

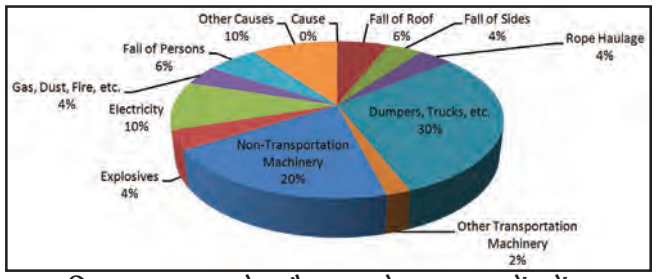

आकृति 4: 2018 के दौरान कोयला खानों में घातक दुर्घटनाओं का कारण–वार वितरण

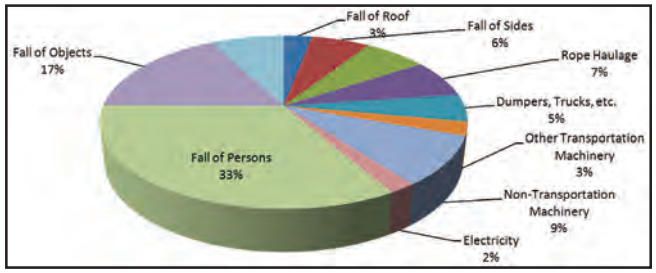

आकृति 5: 2018 के दौरान कोयला खानों में गंभीर दुर्घटनाओं का कारण–वार वितरण

13.45 आंकड़े 6 और 7 के नीचे 2018 में गैर–कोयला खानों में क्रमशः कारण–वार घातक और गंभीर दुर्घटनाएं दिखाई देती हैं

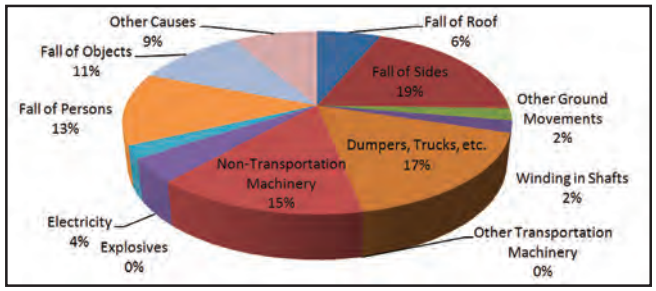

आकृति 6 2018 के दौरान गैर–कोयला खानों में घातक दुर्घटनाओं का कारण–वार वितरण

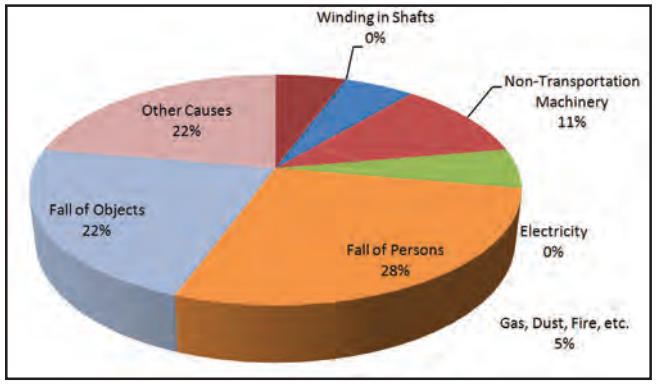

आकृति 7 2018 के दौरान गैर–कोयला खानों में गंभीर दुर्घटनाओं का कारण–वार वितरण

13.46 तालिका 13.1 2006 से 2015 तक भारत में खनन गतिविधियों की वृद्धि को दर्शाता है। खनन गतिविधियों को कोयला, धातु और तेल में वर्गीकृत किया गया है। कोयला, धातु और तेल से खनन किए गए खनिजों के मूल्यों को दिखाया गया है। तालिका में भारत में खनन गतिविधियों में उपयोग की जाने वाली कुल घोड़े की शक्ति और विस्फोटक भी दिखाया गया है।

तालिका 13.1

भारत में खनन गतिविधियों का विकास

वर्ष	रिपोर्ट करने वाली खानें			खनिजों का मूल्य (000 में)			(दस लाख रुपयों में) प्रयुक्त विस्फोटक			औसत एच.पी. (000 टन में)	
	कोयला	धातु	तेल	कोयला	धातु	तेल	कोयला	धातु	तेल	कोयला	धातु
2006	568	1720	44	374671	162160	370657	5953	2666	468	345.3	95.1
2007	567	1770	49	419279	235351	256944	5843	2646	457	353.0	97.8
2008	569	1904	67	481635	289354	294290	5935	2857	711	395.3	121
2009	583	2002	74	581240	325453	351652	6248	3309	842	461.0	101.7
2010	592	1961	82	618357	434283	404801	6362	3310	851	493.2	97.2
2011	601	1956	85	666415	419109	399397	6809	3801	937	503.5	98.2
2012	582	2148	86	744934	448843	492060	6936	4101	854	474.6	102.2
2013	605	2230	88	1037522	423740	565656	7557	4104	1014	523.6	100.2
2014	588	2254	92	1212547	462475	544443	5799	3932	993	590.8	113.2
2015	90	2398	112	1068745	629814	473290	5770	4502	1443	591.1	105.4

नोटः 1) ZO@RO के माध्यम से खानों द्वारा बताई गई जानकारी के आधार पर

2) 2016 से 2019 के वर्ष के लिए डेटा संकलित नहीं किया गया है क्योंकि वार्षिक रिटर्न के लिए सॉफ्टवेयर पूरा नहीं हुआ है।

13.47 तालिका 13.2 वर्ष 2001 से 2019 तक खानों में दुर्घटनाओं की प्रवृत्ति को दर्शाती है। दुर्घटनाओं को कोयला और गैर कोयला खदानों में वर्गीकृत किया गया है। दुर्घटनाओं को आगे घातक और गंभीर दुर्घटनाओं में वर्गीकृत किया जाता है।

तालिका 13.2

खान में दुर्घटनाओं की प्रवृत्ति						
वर्ष	कोयला खानों में दुर्घटनाओं की संख्या			गैर–कोयला खानों में दुर्घटनाओं की संख्या		
	घातक	गंभीर	कुल	घातक	गंभीर	कुल
2001	105	667	772	71	199	270
2002	81	629	710	52	205	257
2003	83	563	646	52	168	220
2004	87	962	1049	57	188	245
2005	96	1106	1202	48	108	156
2006	78	861	939	58	78	136
2007	76	923	999	56	79	135
2008	80	686	766	54	83	137
2009	83	636	719	36	94	130
2010	97	480	577	54	61	115
2011	65	533	598	44	82	126
2012	79	536	615	36	45	81
2013	77	456	533	58	52	110
2014	59	379	438	39	44	83
2015	54	302	356	45	35	80
2016	67	268	335	39	37	76
2017	56	183	239	46	21	67
2018	50	197	247	47	18	65
2019*	45	87	132	36	26	62

वर्ष 2019 के लिए डेटा अनंतिम हैं और 2019 के लिए डेटा 31.10.2019 तक प्राप्त रिपोर्ट के अनुसार हैं।

13.48 तालिका 13.3 2014 से 2019 तक केक खदानों में कृषि की प्रवृत्ति को दर्शाता है। नारियल खदानों में उनके 14 व्यापक कारण हैं। को को आगे घातक और गंभीर शब्दों में वर्गीकृत किया जाता है।

तालिका 13.3

कोयला खानों में दुर्घटनाओं की प्रवृत्ति – कारण

कोयला खानों में दुर्घटनाओं की पृवृति												
कारण	घातक दुर्घटनाओं की संख्या						गंभीर दुर्घटनाओं की संख्या					
	2014	2015	2016	2017	2018	2019*	2014	2015	2016	2017	2018	2019*
छत का गिरना	10	4	8	3	3	2	18	19	11	5	6	1
किनारों का पतन	2	5	5	5	2	2	17	11	8	13	12	3
अन्य ग्राउंड मूवमेंट	1	0	1	0	0	0	0	1	0	0	0	0
शाफ्ट में घुमाव	0	0	1	0	0	1	5	3	0	1	13	2
रज्जू ढुलाई	1	3	5	5	2	1	33	8	26	13	14	7
डम्पर, ट्रक आदि	17	16	20	19	15	7	15	14	12	6	10	0
अन्य परिवहन मशीनरी	1	0	3	2	1	1	2	4	7	2	5	0
गैर–परिवहन मशीनरी	15	11	9	10	10	9	25	18	17	10	18	20
विस्फोटक	2	0	0	2	2	1	3	5	3	3	0	0
बिजली	2	4	2	2	5	3	3	3	6	6	4	3
गैस, धूल, आग, आदि।	1	0	4	1	2	0	2	1	0	0	0	0
व्यक्तियों का पतन	2	4	4	2	3	5	129	105	87	59	66	25
वस्तुओं का गिरना	2	2	2	2	0	1	59	46	43	40	34	16
अन्य कारण	3	5	3	3	5	12	68	54	48	25	15	10
कुल	59	54	67	56	50	45	379	302	268	183	197	87

** वर्ष 2019 के लिए डेटा अनंतिम हैं और 2019 के लिए डेटा 31.10.2019 तक प्राप्त रिपोर्ट के अनुसार हैं।*

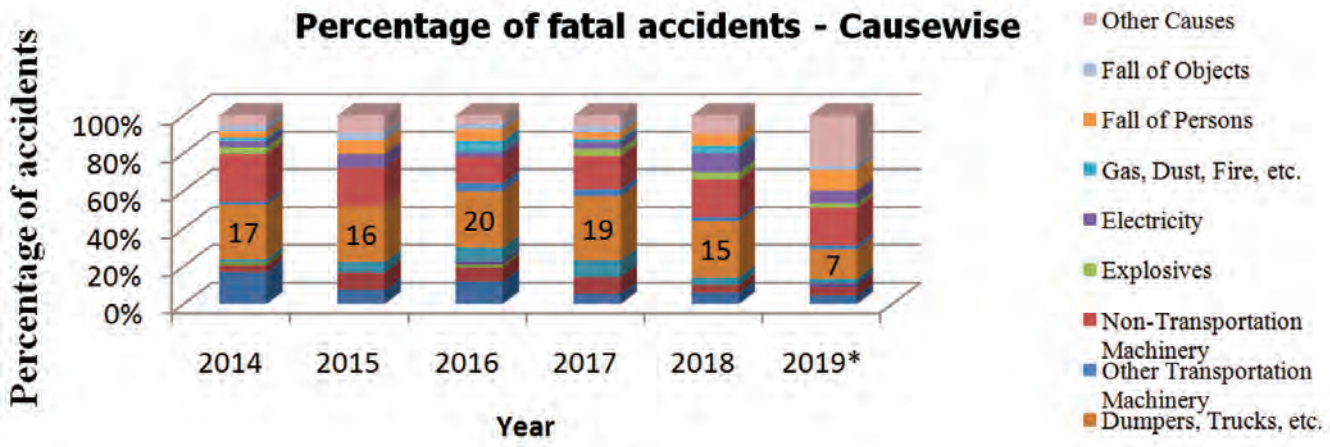

चित्र 8 घातक दुर्घटना का कारण– कारण–वार

13.49 चित्र 8 2014–2019 के दौरान खानों में होने वाले घातक दुर्घटनाओं का प्रतिशत दर्शाता है। यह देखा जा सकता है कि घातक दुर्घटना का प्रमुख कारण डंपर, ट्रक आदिहैं जिनके बाद गैर–परिवहन मशीनरी 2019 को छोड़कर।

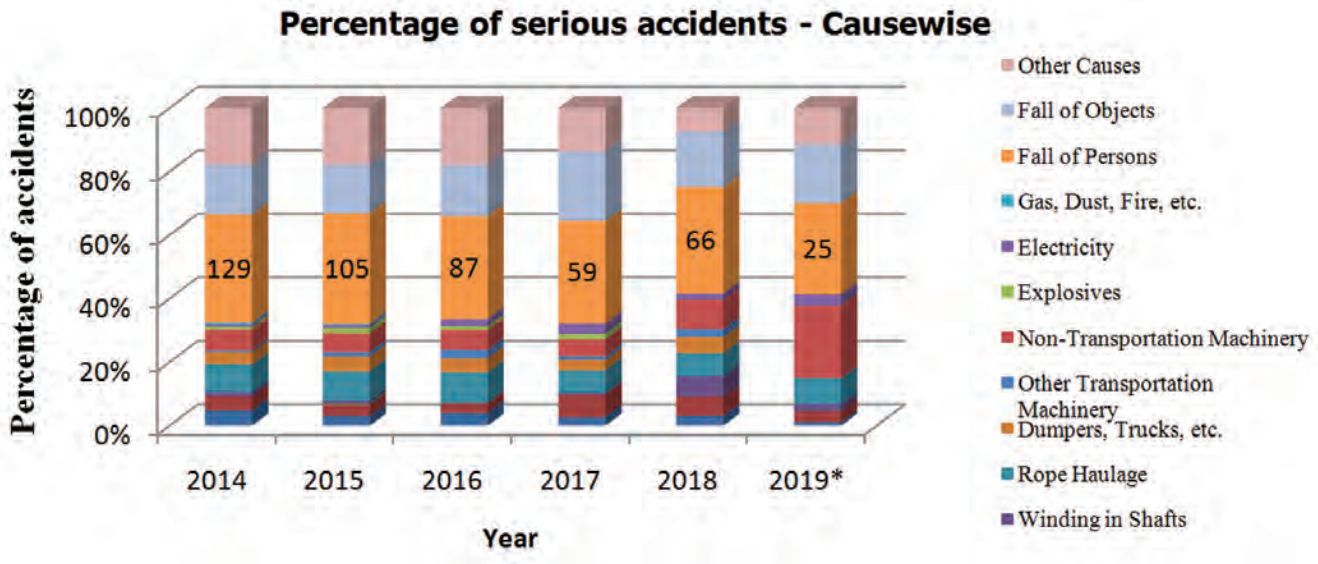

चित्र 9 गंभीर दुर्घटना का प्रतिशत– कारण

13.50 चित्र 9 से पता चलता है कि 2014–2019 के दौरान खानों में गंभीर दुर्घटनाओं का प्रतिशत बुद्धिमानी का कारण है। यह देखा जा सकता है कि गंभीर दुर्घटना का प्रमुख कारण पतन का व्यक्ति है जिसके बाद वस्तुओं का गिरना और अन्य कारण (2018 और 2019 में गैर–परिवहन मशीनरी को छोड़कर)।

13.51 आंकड़ा 8 और आंकड़ा 9 से, यह पाया जा सकता है कि घातक और गंभीर दुर्घटनाओं के कारण अलग–अलग हैं। घातक दुर्घटना का प्रमुख कारण ''डम्पर, ट्रक आदि'' है जबकि गंभीर दुर्घटना के लिए यह ''व्यक्ति का पतन''।

तालिका 13.4

कारण	गैर–कोयला खानों में दुर्घटनाओं की पृवृति – कारण अनुसार											
	घातक दुर्घटनाओं की संख्या						गंभीर दुर्घटनाओं की संख्या					
	2014	2015	2016	2017	2018	2019*	2014	2015	2016	2017	2018	2019*
छत का गिरना	3	2	0	1	3	2	0	3	0	0	0	1
किनारों का पतन	5	5	6	9	9	2	0	2	3	0	1	0
अन्य ग्राउंड मूवमेंट	0	0	0	1	1	1	0	0	0	0	0	2
शाफ्ट में घुमाव	2	2	1	1	1	1	2	1	0	2	0	0
रज्जू ढुलाई	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0
डम्पर, ट्रक आदि	7	13	8	5	8	2	4	0	1	0	0	1
अन्य परिवहन मशीनरी	0	2	0	1	0	1	2	1	1	0	1	1
गैर–परिवहन मशीनरी	5	2	1	7	7	3	11	5	3	3	2	1
विस्फोटक	2	0	3	6	0	4	0	0	0	0	1	0
बिजली	3	2	0	2	2	3	1	1	2	3	0	0
गैस, धूल, आग, आदि	0	1	1	0	1	2	2	1	1	1	0	0
व्यक्तियों का पतन	8	9	9	8	6	7	10	5	14	3	5	7
वस्तुओं का गिरना	2	4	4	4	5	3	9	9	6	4	4	6
अन्य कारण	2	3	6	1	4	5	3	7	5	5	4	7
कुल	39	45	39	46	47	36	44	35	37	21	8	26

** वर्ष 2019 के लिए डेटा अनंतिम हैं और 2019 के लिए डेटा 31.10.2019 तक प्राप्त रिपोर्ट के अनुसार हैं.*

13.52 तालिका 13.4 2014 से 2019 तक गैर–कोयला खानों में दुर्घटनाओं की प्रवृत्ति को दर्शाता है। गैर–कोयला खदानों में दुर्घटनाओं के 14 व्यापक कारण हैं। दुर्घटनाओं को आगे घातक और गंभीर दुर्घटनाओं में वर्गीकृत किया जाता है।

तालिका 13.5

खदानों में दुर्घटना और परिणामी हताहत										
वर्ष	कोयला					गैर–कोयला				
	प्राणघातक दुर्घटनाएं			गंभीर दुर्घटना		प्राणघातक दुर्घटनाएं			गंभीर दुर्घटना	
	दुर्घटना	हताहत	घायल	दुर्घटना	घायल	दुर्घटना	हताहत	घायल	दुर्घटना	घायल
2001	105	141	141	667	706	71	81	8	199	200
2002	81	97	15	629	650	52	64	3	205	206
2003	83	113	12	563	578	52	62	16	168	169
2004	87	96	14	962	977	57	64	9	188	194
2005	96	117	19	106		48	52	4	108	109
2006	78	37	15	861	76	58	71	9	78	79
2007	76	8	77	23	40	56	64	13	79	92
2008	80	93	16	686	693	54	73	35	83	85
2009	83	93	14	36	46	6	44	3	94	101
2010	97	118	23	480	488	4	91	5	61	63
2011	65	67	10	533	546	4	50	9	82	84
2012	79	83	6	536	542	36	38	5	45	45
2013	77	82	11	456	457	8	74	15	52	53
2014	59	62	3	379	391	9	45	10	44	50
2015	54	55	9	2	07	5	48	3	35	38
2016	67	94	7	268	271	9	50	10	37	38
2017	56	61	0	183	188	6	68	11	21	32
2018	50	63	11	197	200	7	53	2	18	18
2019*	45	51	6	87	91	36	42	6	26	27

** वर्ष 2019 के लिए डेटा अनंतिम हैं और 2019 के लिए डेटा 31.10.2019 तक प्राप्त रिपोर्ट के अनुसार हैं।*

13.53 तालिका 13.5। में 2001 से 2019 तक की खानों में दुर्घटनाओं और परिणामी कारणों का रुझान दिखाया गया है। खानों को कोयला और गैर कोयला खदानों में वर्गीकृत किया गया है। दुर्घटनाओं को घातक और गंभीर दुर्घटनाओं में वर्गीकृत किया गया है।

तालिका सं.. **13.5B**

प्रति व्यक्ति (दस वर्ष औसत) प्रति व्यक्ति घातक दुर्घटनाओं और घातक दर मं रूझान)								
वर्ष	कोयलाखान				गैर–कोयलाखान			
	औसत दुर्घटनाएं	दुर्घटना दर	औसत मृत्यु	मृत्यु दर	औसत दुर्घटनाएं	दुर्घटना दर	औसत मृत्यु	मृत्यु दर
1951–60	222	0.61	295	0.82	64	0.27	81	0.34
1961–70	202	0.48	260	0.62	72	0.28	85	0.33
1971–80	87	0.48	264	0.55	66	0.27	74	0.30
1981–90	162	0.30	185	0.34	65	0.27	73	0.31
1991–2000	140	0.27	170	0.33	65	0.31	77	0.36
2001–2010	87	0.22	108	0.27	54	0.32	67	0.40
2011–19*	61	0.17	69	0.20	43	0.20	52	0.24

** वर्ष 2019 के लिए डेटा अनंतिम हैं और 2019 के लिए डेटा 31.10.2019 तक प्राप्त रिपोर्ट के अनुसार हैं।*

13.54 तालिका 13.5 बी में प्रति व्यक्ति (दस सालाना औसत) प्रति 1000 व्यक्तियों पर घातक दुर्घटनाओं और घातक दर का रुझान दिखाया गया है। तालिका औसत दुर्घटना, दुर्घटना दर, औसत हत्या और मृत्यु दर को दर्शाती है।

तालिका **13.6**

निरीक्षण और पूछताछ की संख्या									
वर्ष	निरीक्षणों की संख्या				पूछताछ की संख्या				
	कोयला	धातु	तेल	कुल		धातु	तेल	कुल	कुल योग
2006	4192	2630	219	7041	951	338	27	1316	8357
2007	4330	2309	183	6822	796	380	24	1200	8022
2008	4614	2838	216	7668	840	417	24	1281	8949
2009	4404	3325	250	7979	9	372	52	1323	9302
2010	3486	3297	243	7026	911	463	52	1425	8451
2011	3216	3688	321	7225	56	452	68	1476	8701
2012	3811	3635	292	7738	933	537	40	1510	9248
2013	4038	3898	329	8265	890	449	60	1399	9664
2014	4664	4694	588	9946	1035	540	111	1686	1162
2015	6047	5889	786	12722	280	653	36	1969	14691
2016	4634	7766	638	13038	165	586	96	1847	14885
2017	4259	4813	639	9711	69	1068	32	2269	11980
2018	3253	4258	606	8117	937	618	54	1609	9726
2019*	1927	2298	348	4573	671	416	78	1165	5738

** वर्ष 2019 के लिए डेटा अनंतिम हैं और 2019 के लिए डेटा 31.10.2019 तक प्राप्त रिपोर्ट के अनुसार हैं.*

13.55 तालिका 13.6 2006 से 2019 तक खानों में निरीक्षण और पूछताछ की संख्या को दर्शाता है। खानों को आगे कोयला, धातु और तेल की खदानों में अलग किया गया है। निरीक्षण और पूछताछ लंबी अवधि में थोड़ा बढ़ रहा है।

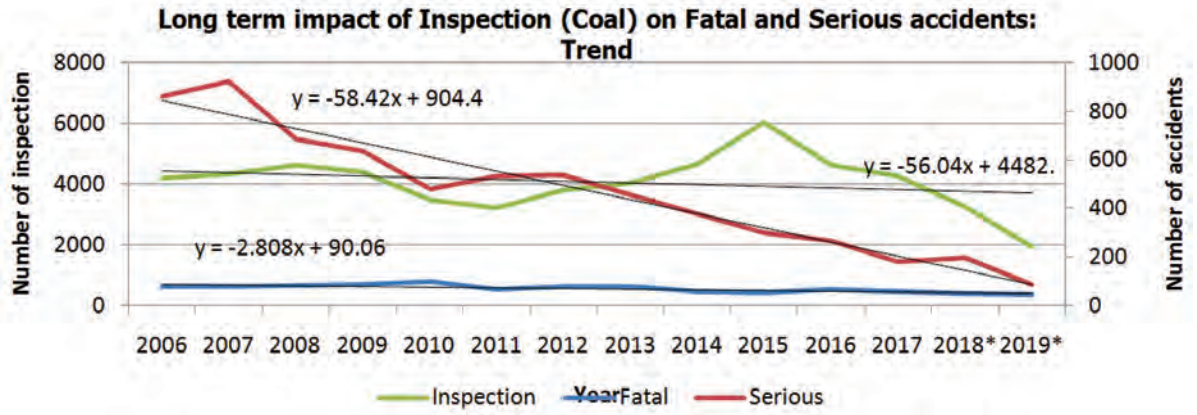

चित्र 10 घातक और गंभीर दुर्घटनाओं पर निरीक्षण (कोयला) का दीर्घकालिक प्रभावः

13.56 चित्र 10, प्रवृत्ति को प्राथमिक अक्ष पर निरीक्षण की संख्या लेते हुए प्लॉट किया जाता है। घातक और गंभीर दुर्घटनाओं के रुझान आश्रित चर के रूप में दुर्घटनाओं की संख्या लेने वाले माध्यमिक अक्ष पर प्लॉट किए जाते हैं। यह देखा जा सकता है कि एक लंबी अवधि में, घातक और गंभीर दुर्घटनाओं दोनों की प्रवृत्ति कम हो गई है। गंभीर दुर्घटनाओं के लिए गिरावट की गति घातक दुर्घटनाओं की तुलना में कम है। एक लंबी अवधि में जांच की संख्या का प्रसार 2015 के दौरान तेज वृद्धि दिखा रहा है। सभी तथ्यों के आधार पर, हम यह अनुमान लगा सकते हैं कि निरीक्षण का कोयला खानों में समग्र सुरक्षा में सुधार पर बहुत सकारात्मक प्रभाव पड़ता है (यानी गिरावट) घातक और गंभीर दुर्घटनाओं की संख्या)।

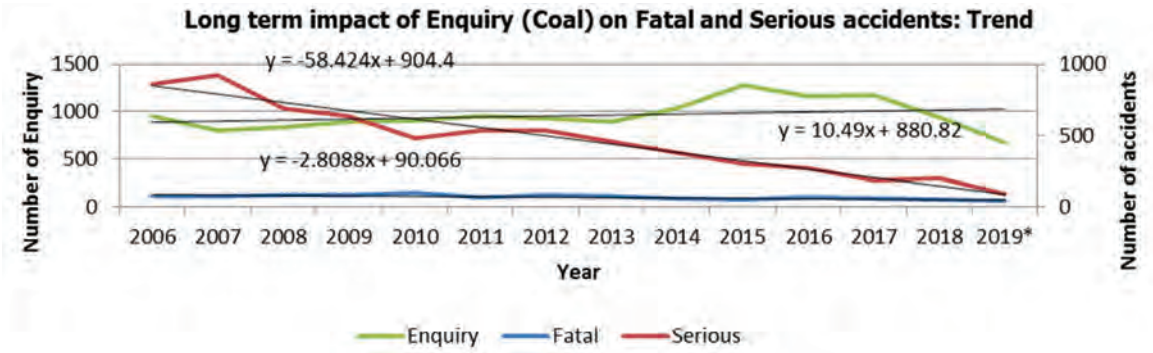

चित्र 11 घातक और गंभीर दुर्घटनाओं पर पूछताछ (कोयला) का दीर्घकालिक प्रभावः प्रवृत्ति

13.57 जांच के लिए उपर्युक्त ग्राफ में, प्रवृत्ति को प्राथमिक अक्ष पर जांच की संख्या लेते हुए प्लॉट किया जाता है।घातक और गंभीर दुर्घटनाओं के रुझान माध्यमिक धुरी पर आश्रित चर के रूप में दुर्घटनाओं की संख्या ले रहे हैं. यह देखा जा सकता है कि एक लंबी अवधि में, घातक और गंभीर दुर्घटनाओं दोनों की प्रवृत्ति कम हो गई है यानी दुर्घटनाओं की संख्या में गिरावट आई है। गंभीर दुर्घटनाओं के लिए घातक दुर्घटना की तुलना में गिरावट की प्रवणता अधिक कठोर होती है. लंबी अवधि में जांच की संख्या के प्रसार में थोड़ी वृद्धि देखी जा रही है।सभी तथ्यों के आधार पर, हम यह अनुमान लगा सकते हैं कि कोयला खानों में समग्र सुरक्षा के सुधार पर जांच का बहुत सकारात्मक प्रभाव पड़ा है (अर्थात घातक तथा गंभीर दुर्घटनाओं की संख्या में गिरावट)

तालिका 13.7

अप्रैल 2018 से अक्टूबर 2019 के दौरान जारी किए गए योग्यता के प्रमाण पत्र प्राप्त हुए और प्रमाण पत्र				
सक्षमता प्रमाण पत्रों की श्रेणी	कोयला खान विनियमन,2017		लौह धातु खान विनियम,1961	
	प्राप्त आवेदन	जारी प्रमाण पत्र	प्राप्त आवेदन	जारी प्रमाण पत्र
मैनेजर	567	372	341	180
सर्वेयर	302	165	119	41
ओवरमैन/फोरमैन	1228	838	997	133
सरदार/मेट	134	128	27	02
शॉटफायरर/ब्लास्टर	00	00	02	03
वाइंडिंग इंजन चालक	02	00	06	00
गैस जांच	879	121	00	00

** अप्रैल 2019 से पहले प्राप्त किए गए आवेदकों को अप्रैल 2019 से सितंबर 2019 के दौरान निपटा दिया गया है। इसके मद्देनजर, जारी किए गए प्रमाण पत्र प्राप्त आवेदन के अनुपात में नहीं हो सकते हैं।*

राष्ट्रीय खान सुरक्षा सम्मलेन

13.58 खान में सुरक्षा पर सम्मेलन राष्ट्रीय स्तर पर एक त्रिपक्षीय मंच है जिसमें नियोक्ताओं के प्रतिनिधि, ट्रेड यूनियनों के प्रतिनिधि, श्रम और रोजगार मंत्रालय, डीजीएमएस, विभिन्न प्रशासनिक मंत्रालयों/विभागों और राज्य सरकारों द्वारा प्रतिनिधित्व किया जाता है। संबंधित अंतर्ज्ञान, पेशेवर निकाय, सेवा संघ आदि भाग लेते हैं। वे खानों में सुरक्षा की स्थिति और आपसी सहयोग की भावना में मौजूदा उपायों की पर्याप्तता की समीक्षा करते हैं। इस सम्मेलन में खान श्रमिकों की सुरक्षा, कल्याण और स्वास्थ्य में और सुधार के उपाय भी सुझाए गए हैं। पहला सम्मेलन वर्ष 1958 में आयोजित किया गया था। ग्यारहवां सम्मेलन 4 और 5 जुलाई, 2013 को नई दिल्ली में आयोजित किया गया था, जिसके दौरान तीन प्रमुख मुद्दे (i) स्माल स्केल माइनिंग, (ii) सुरक्षा, स्वास्थ्य और संविदाकर्मियों के कल्याण और (iii) भूतल और भूमिगत परिवहन मशीनरी पर विस्तार से विचार किया गया। इन सम्मेलनों की सिफारिशों की एक संख्या को वैधानिक समर्थन दिया गया है और अन्य को प्रबंधन प्रथाओं और नीतियों में अवशोषित किया गया है। सम्मेलन के दौरान निकाले गए निष्कर्ष और सिफारिशें पहले ही अनुपालन के लिए खनन उद्योगों को प्रसारित कर दी गई हैं।

चालू योजनायें

डीजीएमएस की अवसंरचना तथा प्रणाली को मजबूत बनाना (SSID):

13.59 यह एक सतत योजना है। डीजीएमएस की दो चालू योजनाओं को विलय करके योजना बनाई गई है,

अर्थात् (i) "DGMS (SOCFOD) के मुख्य कार्यों का सुदृढ़ीकरण", और (ii) खान दुर्घटना विश्लेषण और सूचना डेटाबेस का आधुनिकीकरण (MAMID) "

इस योजना के उद्देश्य हैं:

- योजनाओं के डिजिटलीकरण, छोड़ी गई खान योजनाओं और अन्य महत्वपूर्ण दस्तावेजों सहित डीजीएमएस में ई–शासन को लागू करना;
- कोयला और गैर–कोयला खानों के लिए जोखिम–आधारित निरीक्षण प्रणाली को लागू करना;
- डीजीएमएस के क्षेत्रिय अधिकारियों को वैज्ञानिक और तकनीकी सहायता प्रदान करना;
- डीजीएमएस और इसके बैकअप समर्थन के लिए सभी प्रकार के इन्फ्रास्ट्रक्चर को विकसित करना और बनाए रखना ;
- खनन उद्योग के लिए आवश्यक बचाव और आपातकालीन प्रतिक्रिया दिशानिर्देश विकसित करना, सुधारना और अद्यतन करना;
- दुर्घटनाओं और खतरनाक घटनाओं के विस्तृत विश्लेषण के माध्यम से खानों में आपदाओं और दुर्घटनाओं के जोखिम को कम करने और तदनुसार प्रचार चैनलों को सक्रिय करना ;
- विभिन्न रिपोर्टों, तकनीकी निर्देशों/दिशानिर्देशों के माध्यम से खदान की जानकारी प्रसारित करने के लिए, इलेक्ट्रॉनिक और साथ ही अन्य पारंपरिक मीडिया पर परिपत्र;
- खानों में आधारित सुरक्षा और व्यावसायिक स्वास्थ्य की आवश्यकता के लिए सर्वेक्षण;
- डिजिटल रिकॉर्ड प्रबंधन प्रणाली सहित ई–आधारित परीक्षा प्रणाली को शुरू करना, लागू करना और सहायता प्रदान करना;
- डीजीएमएस अधिकारियों और खनन उद्योग के प्रमुख कर्मियों को संरचित प्रशिक्षण प्रदान करने के लिए डीजीएमएस में प्रशिक्षण सुविधाओं को अद्यतन करना;
- खानों में संचालन के मार्गदर्शन के लिए प्रमुख क्षेत्रों में प्रोटोकॉल, दिशानिर्देशों और मानकों को विकसित करना, सुधारना और अद्यतन करना;
- डीजीएमएस के भीतर 'स्वच्छता अभियान' लागू करना।

01.04.2019 से 30.09.2019 के दौरान वि.एवं तक. डिवीजन द्वारा निम्नलिखित गतिविधियां की गईं

गतिविधि		उपलब्धि
A.	योजनाओं का डिजिटलीकरण, परित्यक्त खदान योजनाएं आदि।	250 योजना
B.	राज्य सरकारों की मदद से छोटी खानों में सुरक्षा जागरूकता के लिए कार्यक्रम आयोजित करना।	8 कार्यक्रम
C.	उपयुक्त मानकों, प्रोटोकॉलों और दिशानिर्देशों को निर्धारित करके खनन उद्योग को निरंतर समर्थन प्रदान करने के लिए खनन के प्रमुख समस्या क्षेत्रों में विभिन्न विषयों पर खानों में वैज्ञानिक अध्ययन।	7 अध्ययन
D.	राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय संस्थानों, संगोष्ठियों, सम्मेलनों आदि को उजागर करके ओएचएस और तकनीकी विषयों पर डीजीएमएस अधिकारियों का प्रशिक्षण/सेमिनार आदि के माध्यम से विकास।	5 अधिकारी
E.	खानों में व्यावसायिक सुरक्षा और स्वास्थ्य पर परिपत्र/दिशानिर्देश/मानक/प्रोटोकॉल जारी करना	2 परिपत्र
F.	सुरक्षा प्रबंधन योजना तैयार करने के लिए प्रशिक्षण और सुविधा प्रदान करना	शून्य
G.	दिशानिर्देश/मानकों/प्रोटोकॉल, नई प्रौद्योगिकियों, व्यावसायिक सुरक्षा और स्वास्थ्य मामलों	शून्य

	और अन्य विषयों पर विकास पर कार्यशालाएं और सेमिनार	
H.	वरिष्ठ परीक्षाओं के लिए कंप्यूटर आधारित वैधानिक परीक्षाओं का कार्यान्वयन (कोयला और धातु)	जारी
I.	परीक्षा रिकॉर्ड, सत्यापन रिकॉर्डिंग और ट्रैकिंग प्रणाली का कम्प्यूटरीकरण और डिजिटलीकरण	जारी
J.	MSHA द्वारा मध्यम स्तर के प्रबंधन अधिकारियों, कर्मकार निरीक्षकों, श्रमिकों और अन्य लोगों का प्रशिक्षण	शून्य

13.60 01.04.2019 जव 30.09.2019 के दौरान खानों में उपयोग के लिए दिए गए उपकरण, उपकरण, सामग्री और मशीनरी के अनुमोदन नीचे दिए गए हैं:

01.04.2019 से 30.09.2019 के दौरान उपकरण, उपकरण और पीपीई के अनुमोदनः

क्र. सं.	अनुमोदन का प्रकार	दी गई स्वीकृतियों की संख्या
1.	क्षेत्र परीक्षण/विस्तार की संख्या	शून्य
2.	नियमित अनुमोदन/विस्तार	02
	कुल	02

डीजीएमएस में ई–शासन

13.61 नागरिकों को सेवाएं प्रदान करने के लिए सरकार के सभी स्तरों पर सूचना और संचार प्रौद्योगिकी (आईसीटी) को व्यापार उद्यमों और संचार और सरकार की विभिन्न एजेंसियों के बीच सूचनाओं के आदान–प्रदान के उपयोग के रूप में ई–शासन को समझा जाता है।

13.62 डीजीएमएस ने केंद्रीय मंत्रिमंडल की सिफारिशों के अनुसार आईटी का उपयोग करते हुए ई–गवर्नेंस शुरू किया है। इस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए, एक ई–गवर्नेंस रोड मैप बनाया गया है, जिसने इसे औपचारिक संगठनात्मक संरचना और परियोजना प्रबंधन संरचना की स्थापना को महत्व देते हुए चरणबद्ध तरीके से लागू करने का सुझाव दिया है।

डीजीएमएस में नवीन पहल :

- ''एक्सीडेंट एंड स्टैटिस्टिक्स सिस्टम'' सॉफ्टवेयर मॉड्यूल को अंतिम रूप देने की प्रक्रिया चल रही है और ''डिजिटल डीजीएमएस'' के हिस्से के रूप में ''अकाउंट्स एंड बजट सिस्टम'' विकसित किया जा रहा है। सॉफ्टवेयर मॉड्यूल काम की अधिक पारदर्शिता और जवाबदेही और त्वरित निपटान में लाएगा।
- कोयला खदानों के लिए ''जोखिम आधारित निरीक्षण प्रणाली'' के तौर–तरीके विकसित किए गए हैं। सभी श्रेणियों की कोयला खदानों की वास्तविक जोखिम रेटिंग पर प्राथमिकता देते हुए श्रम सुविधा पोर्टल के माध्यम से ऑनलाइन असाइनमेंट के लिए निरीक्षण उत्पन्न होते हैं। एनआईसी द्वारा इस प्रयोजन के लिए सॉफ्टवेयर विकसित किया गया है और इसे श्रम सुविधा पोर्टल में शामिल करके कार्यान्वित किया गया है। धात्विक खानों के लिए जोखिम आधारित निरीक्षण प्रणाली प्रगति पर है।

- कोयला खान विनियम, 2017 और तेल खान विनियम, 2017 अधिसूचित किए गए हैं। खान अधिनियम, 1952 के तहत गठित धारा 12 समिति में धातु विज्ञान खान विनियम और खान व्यावसायिक प्रशिक्षण नियमों के संशोधन प्रस्ताव के मसौदे पर चर्चा की

गई और आधिकारिक राजपत्र में प्रकाशन के लिए भेजा गया। खान बचाव नियम और खान नियम में संशोधन की प्रक्रिया शुरू की गई है। तकनीकी विकास, परिवर्तित खनन विधियों, मशीनरी और कार्य पर्यावरण आदि को देखते हुए संशोधनों की आवश्यकता है।

- दिनांक 29.01.2019 को असाधारण भाग–II, खंड –3, उपधारा (ii), खान अधिनियम, 1952 के प्रावधानों के अनुसार महिलाओं के रोजगार पर प्रतिबंध के रूप में प्रकाशित वीडियो राजपत्र अधिसूचना संख्या एसओ 506 (ई)।, किसी भी खदान में, शाम 7 बजे से 6 बजे के बीच खदान के ऊपर जमीन में, जिसमें ओपनकास्ट कामकाज भी शामिल है और तकनीकी, पर्यवेक्षी और प्रबंधकीय कार्य के बीच में किसी भी खदान के नीचे सुबह 6 बजे से शाम 7 बजे के बीच पर्याप्त आराम का प्रावधान है। उनकी व्यावसायिक सुरक्षा, सुरक्षा और स्वास्थ्य के बारे में सुविधाएं और सुरक्षा उपाय।

खान सुरक्षा महानिदेशालय (डीजीएमएस), श्रम और रोजगार मंत्रालय, भारत सरकार और प्राकृतिक संसाधन खान और ऊर्जा विभाग, क्वींसलैंड सरकार, ऑस्ट्रेलिया, खान में सुरक्षा के माध्यम से, परीक्षण और अनुसंधान स्टेशन (Simtars) के ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए। व्यावसायिक सुरक्षा और स्वास्थ्य, तकनीकी प्रगति और सर्वोत्तम प्रथाओं के बारे में जानकारी साझा करने और प्रसार के लिए अंडरस्टैंडिंग (एमओयू), विश्व स्तर पर व्यावसायिक सुरक्षा और स्वास्थ्य अकादमी स्थापित करना, जिसमें उपग्रह केंद्र हों और जो खनिज उद्योग से जुड़े व्यक्तियों के लिए एक प्रशिक्षण केंद्र के रूप में विकसित हो, भारत और उसके पड़ोसी देशों में कार्य स्थल पर सुरक्षा सुनिश्चित करने और जोखिम आधारित सेफ्टी मैनेजमेंट प्लान और इमरजेंसी इवैक्यूएशन सिस्टम के निर्माण में उद्योग को लैस करने का उद्देश्य पूरा हो सके।

तालिका 13.8

01.01.2019 से 31.10.2019 तक प्रशिक्षण प्राप्त महानिदेशक अधिकारियों द्वारा निर्धारित प्रशिक्षण/कार्यशालाओं/सत्रों का विवरण

क्र. सं.	संगोष्ठी, कार्यशाला, संगोष्ठी आदि का नाम	स्थान	अवधि	भाग लेने वाले अधिकारियों की संख्या
1	सरकारी अधिकारियों के लिए सार्वजनिक खरीद पर प्रशिक्षण कार्यक्रम।	फरीदाबाद	11 से 16 फरवरी 2019	03
2	डीजीयूवी जर्मनी के सहयोग से ओएसएच पर अंतर्राष्ट्रीय दृष्टि शून्य सम्मेलन.	आईआईटी, बॉम्बे।	19 से 20 फरवरी 2019	05
3	विश्व पर्यावरण दिवस, 2019: ''झारखंड के खनन क्षेत्रों में वायु प्रदूषण'' पर सम्मेलन	रांची	12 जून 2019	01
4	आपदा प्रबंधन पर राष्ट्रीय प्रशिक्षण कार्यशाला	नॉएडा	24 से 28 जून 2019	01
5	MOLE और MSDE में प्रोग्राम डिवीजन के रूप में काम करने वाले अधिकारियों के लिए PFMS पर कार्यशाला।	नयी दिल्ली	5 जुलाई 2019	01

6	आपदा के बाद के मूल्यांकन पर राष्ट्रीय कार्यशाला को मूल्यांकन उपकरण (पीडीएनए) की आवश्यकता है	नयी दिल्ली	23 सितंबर 2019	01
7	क्षेत्रीय श्रम सम्मेलन	भुवनेश्वर	22 अक्तूबर 2019	01

व्यावसायिक स्वास्थ्य दशाएं

13.63 खदान के कामकाज और इसके पर्यावरण को कुछ स्वास्थ्य खतरों के स्रोत के रूप में माना जाता है, जिससे वायुजनित धूल के रोगों जैसे एस्बेस्टोसिस, कोयला कर्मचारी के न्यूमोकोनियोसिस, सिलिकोसिस आदि होते हैं। ये रोग रोके जा सकते हैं लेकिन एक बार हो जाने पर ये ठीक नहीं हो सकते। इसलिए, काम के स्थानों पर धूल को नियंत्रित करके और नियमित अंतराल पर खानों में वायुजनित धूल सर्वेक्षण आयोजित करके ऐसी बीमारियों को रोकना आवश्यक है। जो अन्य सावधानियां बरती जा रही हैं, उसमें अपने प्रारंभिक चरणों में वायुजनित धूल रोगों का निदान और पता लगाने के लिए चिकित्साकर्मियों की जांच और खान श्रमिकों की पुनः जांच शामिल है ताकि निवारक, पुनर्वास उपाय और चिकित्सा देखभाल की जा सके।

अधिसूचित बीमारियाँ (अनुछेद 25 – 26)

13.64 माइन्स एक्ट, 1952 की धारा 25 के तहत, न्यूमोकोनियोसिस, एस्बेस्टॉसिस, सिलिकोसिस, मैंगनीज जहर तंत्रिका के प्रकार और फेफड़ों या पेट के कैंसर या फुस्फुस और पेरिटोनियम अर्थात मेसोथेलियोमा को पहले से ही खनन कार्यों से जुड़ी बीमारी के रूप में अधिसूचित किया गया था। उपरोक्त बीमारियों के अलावा तीन और अतिरिक्त बीमारियां हैं अर्थात शोर की वजह से हियरिंग लॉस, रेडियम या रेडियोधर्मी पदार्थों के कारण रासायनिक और पैथोलॉजिकल प्रकटीकरण के सीधे संपर्क में आने के कारण कोनटेक्ट डरमेटाईटीस जिसे को 21 फरवरी, 2011 के राजपत्र अधिसूचना संख्या छवै..ब399 ई के खनन से संबंधित रोगों के रूप में अधिसूचित किया गया है। एयरबोर्न धूल सांद्रता अर्थात एस्बेस्टस फाइबर के लिए थ्रेसहोल्ड अनुमेय सीमा 2 फाइबर प्रति मिली लीटर से घटाकर 1 फाइबर प्रति मिली लीटर कर दी गई है। खान प्रबंधन द्वारा सीडब्ल्यूपी, सिलिकोसिस, एनआइएचएल रिपोर्ट किये गए मामले निम्नवत हैं:–

तालिका 13.9

वर्ष	कोयला श्रमिक न्यूमोकोनियोसिस	सिलिकोसिस	शोर जनित श्रवणहीनता
2008	1	3	–
2009	0	0	–
2010	1	0	–
2011	5	1	0
2012	5	0	2
2013	0	4	0
2014	1	1	0
2015	0	0	8
2016	2	0	0
2017	2	0	0
2018	2	9	0
2019*	0	0	0

* upto 31.03.2019

13.65 पत्थर की खदानों में व्यावसायिक स्वास्थ्य सर्वेक्षण का आयोजन नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ माइनर्स हेल्थ (NIMH), नागपुर द्वारा DGMS के सहयोग से किया गया है। 2015–2016, 2016–2017 और 2017– 2018 सिलिकोसिस के मामलों का पता लगाने के लिए। परियोजना के दौरान 2537 व्यक्तियों की जांच की गई, सिलिकोसिस के 136 मामलों का पता चला है और निम्स द्वारा डीजीएमएस को सूचित किया गया है जो नीचे दिए गए हैं:

तालिका 13.10

अधिसूचना का वर्ष	सिलिकोसिस मामलों की संख्या
2017	105
2018	31

13.66. सिलिकोसिस के मामलों का पता लगाने के लिए पत्थर की खानों और अन्य धातु की खदानों में राज्य सरकार के अधिकारियों और अन्य खदान प्रबंधन की मदद से डीजीएमएस द्वारा वर्ष 2017, 2018 और 2019 में विभिन्न राज्यों में व्यावसायिक स्वास्थ्य सर्वेक्षण किए गए हैं। सर्वेक्षण के दौरान, 10589 व्यक्तियों की जांच की गई और सिलिकोसिस के 255 मामलों का पता लगाया गया है जो नीचे दिए गए हैं:

तालिका 13.11

पता लगाने का वर्ष	सिलिकोसिस मामलों की संख्या
2017	157
2018	54
2019*	44

* *31.03.2019 तक*

नवीन पहल

13.67 डीजीएमएस द्वारा नवीन पहल की गई है वह है खदान के कर्मचारियों को वायुजनित धूल के रोगों के खतरों के बारे में अधिक से अधिक जागरूक करना तथा ऐसे रोगों को रोकने के लिए गीली ड्रिलिंग तथा धूल निष्कर्षण के उपयोग से धूल को इसकी उत्पत्ति स्थल पर ही दबा देना तथा बचावकारी उपकरण, धूल मास्क और अन्य व्यक्तिगत सुरक्षा उपकरण का उपयोग करना। खान सुरक्षा महानिदेशालय ने वर्ष 2017 तथा2018 में 15 राज्यों में 265 जागरूकता शिविरों का आयोजन किया है ताकि खदान मालिकों और खदान श्रमिकों में सिलिकोसिस के बारे में जागरूकता लाई जा सके।

13.68 चेन्नई, नागपुर, नई दिल्ली, मेघालय में विशेष कार्यक्रमों के दौरान चेस्ट रेडियोग्राफ्स के आइएलओ वर्गीकरण के अनुसार, अपने शुरुआती दौर में सिलिकोसिस और न्यूमोकोनियोसिस का निदान कैसे किया जाता है, इसके लिए खान श्रमिकों की चिकित्सा परीक्षा में लगे चिकित्सा अधिकारियों को प्रशिक्षण दिया गया। अभी भी देश के अन्य हिस्सों में अधिक कार्यक्रमों की व्यवस्था की जा रही है।

अध्याय–14

श्रमिक शिक्षा

दत्तोपंत ठेंगडी राष्ट्रीय श्रमिक शिक्षा एवं विकास बोर्ड

14.1 राष्ट्रीय, क्षेत्रीय एवं इकाई/ग्रामीण स्तर पर श्रमिक शिक्षा योजना को कार्यान्वित करने के लिए दत्तोपंत ठेंगडी राष्ट्रीय श्रमिक शिक्षा एवं विकास बोर्ड (केश्रशिबो) की स्थापना वर्ष 1958 में हुई।

- बोर्ड त्रिपक्षीय संस्था है जिसमें श्रमिकों/नियोक्ताओं, केन्द्र/राज्य सरकार एवं शैक्षणिक संस्थानों से प्रतिनिधि होते हैं।
- देश के सामाजिक–आर्थिक विकास में प्रभावात्मक भागीदारी हेतु श्रमिकों को उनके हक और कर्मकों के बारे में जागरूक करना।
- सारणी 14.1 में दर्शाए गए अनुसार, बोर्ड द्वारा संगठित, असंगठित, ग्रामीण तथा अनौपचारिक क्षेत्रों के श्रमिकों के लिए विभिन्न प्रकार के प्रशिक्षण कार्यक्रमों का आयोजन किया जाना है।
- बदलते परिदृश्य को देखते हुए बोर्ड के कार्यक्रम श्रमिक, श्रम संघों तथा प्रबंधनों इ. की व्यापक शैक्षिक आवश्यकता को ध्यान में रखते हुए बोर्ड के कार्यक्रम नई दिशा, आयाम एवं अभिविन्यास प्रतिबिंबित करते है।

संरचना

14.2 दत्तोपंत ठेंगडी राष्ट्रीय श्रमिक शिक्षा एवं विकास बोर्ड (भूतपूर्व केश्रशिबो) का नेतृत्व अध्यक्ष करते हैं। इसका मुख्यालय, नागपुर में है। बोर्ड के प्रमुख निदेशक हैं जिनको एक अपर निदेशक, वित्तीय सलाहकार, उप निदेशक/आंचलिक निदेशक, क्षेत्रीय निदेशक एवं अधीनस्थ कर्मचारी आदि सहायता करते हैं। बोर्ड अपने 50 क्षेत्रीय निदेशालयों एवं 07 क्षेत्रीय निदेशालयों के जरिए कार्यक्रम आयोजित करता है। दिल्ली, गुवाहाटी, कोलकाता, मुंबई, चेन्नै एवं भोपाल में स्थित 06 आंचलिक निदेशालय अपने संबंधित क्षेत्रों में बोर्ड की गतिविधियों का अनुवीक्षण करते हैं।

14.3 योजना की प्रगति की समीक्षा करने एवं श्रमिक शिक्षा कार्यक्रमों के यथोचित कार्यान्वयन के लिए उपाय सुझाने हेतु प्रत्येक क्षेत्रीय सलाहकार समिति का गठन किया गया है। भारतीय श्रमिक शिक्षा संस्थान (भा.श्र.शि.सं) बोर्ड का शीर्षस्थ प्रशिक्षण संस्थान है। जिसकी स्थापना 1970 में हुई।

बोर्ड के प्रशिक्षण कार्यक्रम

14.4 संगठित क्षेत्र के श्रमिकों के लिए तीन स्तरीय बोर्ड के प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किए जाते हैं।

- प्रथमतः चयन किए गए शिक्षा अधिकारियों को प्रशिक्षण प्रदान किया जाता है। शिक्षा अधिकारियों के सफलतापूर्वक प्रशिक्षण पूरा करने के बाद, शिक्षा अधिकारी क्षेत्रीय निदेशालय हेतु विभिन्न प्रकार के प्रशिक्षण कार्यक्रमों का आयोजन करते हैं।
- द्वितीय स्तर पर, श्रमिक संघों द्वारा सर्मथित विभिन्न संस्थानों के श्रमिक तथा नियोक्ताओं द्वारा भेजे गए श्रमिकों को प्रशिक्षित किया जाना है। इन प्रशिक्षित श्रमिकों को प्रशिक्षक कहा जाता है।
- तृतीय स्तर पर, इन प्रशिक्षकों द्वारा संबंधित संस्थानों के जन–साधारण श्रमिकों के लिए कक्षाएं चलाई जाती हैं।

राष्ट्र स्तरीय कार्यक्रम

14.5 शिक्षा अधिकारियों को पूर्व रोजगार प्रशिक्षण प्रदान करने तथा बोर्ड के क्षेत्रीय निदेशकों एवं शिक्षा अधिकारियों के लिए पुनः अभिविन्यास कार्यक्रम आयोजित करने के

साथ–साथ केन्द्रीय श्रमिक संघ संगठनों/परिसंघों एवं स्वैच्छिक संगठनों के प्रतिनिधियों के लिए विभिन्न विषयों पर भारतीय श्रमिक शिक्षा संघ्स्थान द्वारा कार्यक्रम आयोजित किए जाते हैं। विशेष प्रशिक्षण कार्यक्रमों को ध्यान में रखते हुए श्रमिक संघों के 03 बिंदुओं 1) औद्योगिक स्वास्थ्य, सुरक्षा एवं पर्यावरण, 2) ग्रामीण एवं असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों को शिक्षा एवं 3) महिला एवं बाल श्रम जैसे विशेष मुद्दों पर जोर दिया गया।

14.6 अप्रैल, 2019 से अक्टूबर, 2019 की अवधि के दौरान, राष्ट्रीय स्तर के कार्यक्रम आयोजित नहीं किए जा सके क्योंकि मुंबई के परिसर को आईआईटी, मुंबई द्वारा किए गए संरचनात्मक ऑडिट के अनुसार असुरक्षित घोषित किया गया है।

क्षेत्रीय स्तर पर कार्यक्रम

14.7 अप्रैल, 2019 से अक्टूबर, 2019 तक की अवधि के दौरान क्षेत्रीय निदेशालयों द्वारा ग्रामीण श्रमिकों और असंगठित क्षेत्र के, दुर्बल वर्ग के श्रमिकों के लिए इकाई स्तर की कक्षाओं का आयोजन किया गया। जिसका विवरण निम्नलिखित सारणी 14.1 में दिया गया है:

असंगठित श्रम संगठनों एवं ग्रामीण स्वयंसेवकों का प्रशिक्षण

14.8 प्रारम्भ में बोर्ड ने संगठित क्षेत्र की गतिविधियों की ओर ध्यान केंद्रित किया था। श्रमिक शिक्षा समीक्षा समिति की सिफारिश पर बोर्ड ने सन् 1977–1978 से ग्रामीण क्षेत्रों पर अपना विशेष् ध्यान दिया है। प्रारंभ में 7 पायलट परियोजनाएं प्रारंभ की गई थी, ग्रामीण श्रमिक शिक्षा कार्यक्रम अब एक नियमित एवं सतत कार्यक्रम बन गया है। कार्यक्रम के उद्देश्य निम्न हैं:

- श्रमिकों और नागरिकों के रूप में समस्याओं, विशेष अधिकारों और उत्तरदायित्वों के बारे में महत्वपूर्ण जागरूकता को पैदा करना।
- आत्मविश्वास बढ़ाना तथा उनमें वैज्ञानिक अभिवृद्धि का निर्माण करना।
- उनके संगठनों को विकसित करने के लिए उन्हें शिक्षित करना ताकि वे ग्रामीण अर्थव्यवस्था में अपने सामाजिक–आर्थिक कार्यों एवं उत्तरदायित्वों को पूरा कर सकें तथा ग्रामीण समाज के जनतांत्रिक, धर्मनिरपेक्ष और समाजवाद को सुदृढ़ बना सकें।
- स्वयं एवं समाज हित की रक्षा करने और उन्हें प्रेरित करने के लिए शिक्षित करना।
- परिवार कल्याण योजना तथा सामाजिक बुराइयों से लडने के लिए प्रेरित करना।

14.9 ग्रामीण जागरूकता शिविर आयोजित करने के लिए शिक्षा अधिकारियों को सहायता करने हेतु क्षेत्रीय निदेशालयों में ग्रामीण स्वयंसेवकों को एक सप्ताह का अभिविन्यास/पुनश्चर्या पाठ्यक्रम चलाया जाता है। इन शिविरों में ग्रामीण क्षेत्रों के भूमिहीन श्रमिक, जनजातीय श्रमिक, कलाकार, वन श्रमिक एवं शिक्षित बेरोजगार श्रमिक आदि सम्मिलित होते हैं।

14.10 हथकरघा, विद्युत करघा, खादी एवं ग्रामीण उद्योग, औद्योगिक संपदा, लघु उद्योग इकाई, हस्तशिल्प, रेशम उद्योग, बीड़ी उद्योग, दुर्बल वर्ग के श्रमिकों जैसे– महिला श्रमिकों, विकलांग श्रमिकों, रिक्शा चालकों, निर्माण श्रमिकों, स्वच्छता एवं सफाई कर्मी आदि के लिए बोर्ड द्वारा श्रमिकों की कार्यात्मक और शैक्षिक आवश्यकता पर आधारित एक से चार दिवसीय निर्धारित कार्यक्रम भी आयोजित किए जाते हैं।

निष्पादन

14.11 अप्रैल, 2019 से अक्टूबर, 2019 की अवधि के दौरान बोर्ड ने विभिन्न अवधि के 2901 कार्यक्रम आयोजित किया हैं और विभिन्न क्षेत्रों के 86084 श्रमिकों को प्रशिक्षित किया है। नीचे सारणी 14.2 में विवरण दिया गया हैं।

प्रमुख उपलब्धियाँ

सशक्तिकरण कार्यक्रम

14.12 ग्रामीण शिविरों की समिति की सिफारिश के अनुसरण में बोर्ड ने वित्तीय वर्ष 2003–04 से 04 दिवसीय सशक्तीकरण कार्यक्रम आरंभ किया है। अप्रैल, 2019 से अक्टूबर, 2019 की अवधि के दौरान असंगठित, दुर्बल एवं ग्रामीण क्षेत्र के श्रमिकों के लिए 5 सशक्तिकरण कार्यक्रम

आयोजित किया गया, जिसमें 189 श्रमिक लाभान्वित हुए।

पंचायतीराज संस्थानों के लिए विशेष कार्यक्रम

14.13 पंचायतीराज संस्थान ने ग्रामीण संरचना विकास तथा गरीबी निर्मूलन कार्यक्रमों के लिए योजना बनाने और विभिन्न कार्यक्रमों के कार्यान्वयन की जिम्मेदारी चुने हुए पंचायतीराज सदस्यों को सौंपी है जिसके लिए पंचायतीराज सदस्यों में ज्ञान और कौशल होना आवश्यक हैं। पंचायतीराज की सफलता के लिए, पंचायतीराज के सदस्यों को अपनी जिम्मेदारियों को बेहतर तरीके से निभाने हेतु उनका शिक्षित तथा प्रशिक्षित होना जरूरी है। भारत सरकार की अपेक्षानुसार पंचायतीराज संस्थान के चुने हुए सदस्यों को शिक्षित करने के लिए बोर्ड ने रिपोर्टाधीन अवधि के दौरान 2–दिवसीय अवधि के विशिष्ट प्रशिक्षण कार्यक्रम को प्रारंभ किया हैं।

14.14 अप्रैल, 2019 से अक्टूबर, 2019की अवधि के दौरान बोर्ड ने पंचायतीराज संस्थानों (उत्तर–पूर्व क्षेत्र सहित) के लिए निर्वाचित 100 सदस्यों के लिए 3 कार्यक्रम आयोजित किया।

ग्रामीण एवं असंगठित क्षेत्र के प्रशिक्षित श्रमिकों के लिए प्रशिक्षण कार्यक्रम

14.15 बोर्ड ने 05 वर्ष पहले प्रशिक्षित श्रमिकों के लिए उनके प्राथमिक प्रशिक्षण के बाद श्रमिकों के ज्ञान स्तर को बढ़ाने तथा केन्द्र/राज्य सरकार द्वारा प्रारंभ की गई विभिन्न योजनाओं के बारे में उन्हें जागरूक करने संबंधी पुनःप्रशिक्षण नामक एक दिवसीय कार्यक्रम का आरंभ किया।

14.16 अप्रैल, 2019 से अक्टूबर, 2019 की अवधि के दौरान 130 ग्रामीण/असंगठित श्रमिकों के लिए 3 पुनःप्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किए गए।

श्रम कल्याण और विकास कार्यक्रम

14.17 श्रम मंत्रालय ने श्रमिकों के सामाजिक–आर्थिक विकास के लिए सरकार की विभिन्न कल्याणकारी योजनाओं का लाभ उठाने के लिए ग्रामीण/असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों के बीच जागरूकता पैदा करने का कार्य केन्द्रीय श्रमिक शिक्षा बोर्ड को सौंपा है।

14.18 तदनुसार बोर्ड ने वर्ष 2003–2004 से अपने 50 क्षेत्रीय निदेशालयों के माध्यम से ग्रामीण/असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों के बीच कार्यान्वित करने के लिए 02 दिवसीय एक नया कार्यक्रम ''श्रम कल्याण एवं विकास'' आरंभ किया है। अप्रैल, 2019 से अक्टूबर, 2019 की अवधि के दौरान बोर्ड ने श्रम कल्याण एवं विकास कार्यक्रम के अंतर्गत ग्रामीण और असंगठित क्षेत्रों के 2357 श्रमिकों के लिए 63 जागरूकता निर्माण कार्यक्रम आयोजित किया।

14.19 उपर्युक्त के साथ–साथ प्रशिक्षण कार्यक्रम के प्रतिभागियों को वितरण करने हेतु बोर्ड द्वारा सूचनापरक अध्ययन सामग्री तैयार की गई।

सहायता अनुदान योजना

14.20 केन्द्रीय श्रमिक शिक्षा बोर्ड अपनी सहायता अनुदान योजना के माध्यम से श्रमिक संघों और शैक्षिणिक संस्थानों आदि को उन्हें अपने श्रमिक शिक्षा कार्यक्रमों को संचालित करने हेतु वित्तीय सहायता प्रदान करता है।

14.21 बोर्ड की सहायता अनुदान योजना 1960 में प्रारंभ हुई और तब से बहुत विकसित हो चुकी है। श्रमिक संघों से प्राप्त सुझावों तथा मांगों पर विचार करते हुए इसे समय–समय पर परिवर्तित एवं संशोधित किया गया। सहायता अनुदान के नियमों एवं प्रक्रिया को श्रमिक संघों की आवश्यकताओं के अनुकूल सरल एवं संशोधित कर दिया गया है।

14.22 श्रमिक संघ संगठनों की स्थानीय आवश्यकता के अनुसार 3 से 7 दिवसीय पूर्णकालिक आवासीय एवं गैर–आवासीय कार्यक्रम आयोजित करने के लिए सहायता अनुदान उपलब्ध कराया जाता है। अनुदानग्राहीयों को कार्यक्रम के विषयों और प्रतिभागियों की संख्या के संबंध में ढ़ील दी जाती है। ग्रामीण श्रमिकों के लिए सहायता अनुदान योजना को भी विस्तारित कर दिया गया है।

14.23 पंजीकृत श्रमिक संघों और अन्य संस्थानों को अपने श्रमिक शिक्षा कार्यक्रम आयोजित करने के लिए बोर्ड सहायता अनुदान प्रदान करता है।

14.24 केंद्रीय श्रमिक संघ संगठनों और राष्ट्रीय परिसंघों को राष्ट्र स्तरीय पाठ्यक्रम संचालित करने के लिए बोर्ड

सहायता अनुदान की स्वीकृति भी प्रदान करता है।

हिंदी का उपयोग

14.25 मुख्यालय, नागपुर में 29.8.2018 को राजभाषा कार्यान्वयन समिति की 01 बैठक मुख्यालय, नागपुर में राजभाषा हिंदी के उपयोग में हुई प्रगति की समीक्षा के लिए आयोजित की गई।

14.26 हिंदी दिवस 14 सितंबर, 2019 को मनाया गया। हिंदी पखवाड़ा 01.09.2019 से 15.09.2019 तक मुख्यालय, नागपुर में मनाया गया। जिसमें विभिन्न प्रकार की प्रतियोगिताओं का आयोजन किया गया और विजेताओं को पुरस्कार वितरित किए गए। भा.श्र.शि.सं. एवं बोर्ड के सभी क्षेत्रीय निदेशालयों ने भी हिंदी दिवस मनाया और हिंदी पखवाड़े का अवलोकन किया। सभी अधिकारियों और कर्मचारियों के सदस्यों ने उत्साह से भाग लिया।

विभिन्न दिनों की विविधता/घोषणा

14.27 दत्तोपंत ठेंगडी राष्ट्रीय श्रमिक शिक्षा एवं विकास बोर्ड (तत्कालील केश्रशिबो), भा.श्र.शि.सं., मुंबई के प्रमुख कार्यालय और सभी आंचलिक एवं क्षेत्रीय कार्यालयों ने अवसरों को चिह्नित करने के लिए निम्नलिखित दिनों का अवलोकन किया: –

- आतंकवाद विरोधी दिवस
- स्वतंत्रता दिवस
- सदभावना दिवस
- सतर्कता जागरूकता सप्ताह
- स्वच्छ भारत अभियान
- महात्मा गांधी के 150 साल पूरे होने पर समारोह।

14.28 सेमिनार, संगोष्ठी, विशेष व्याख्यान, फिल्म शो, प्रतियोगिताओं आदि का आयोजन किया गया। जहां भी आवश्यक हो प्रशासनिक प्रशिक्षकों और कर्मचारियों के सदस्यों को शपथ दी गई।

नई पहल

मनरेगा

14.29 महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम (मनरेगा) में भारत सरकार द्वारा शुरू की गई पहली रोजगार गारंटी योजना की मजदूरी देता है, प्राथमिक उद्देश्य ग्रामीण क्षेत्रों में आजीविका सुरक्षा को बढ़ाने के लिए प्रत्येक वित्तीय वर्ष में कम से कम 100 दिन की गारंटीकृत रोजगार प्रदान करना है, जिसके वयस्क सदस्य स्वैच्छिक कार्य करते हैं।

14.30 दत्तोपंत ठेंगडी राष्ट्रीय श्रमिक शिक्षा एवं विकास बोर्ड ने ग्रामीण श्रमिकों के लिए मनरेगा के साथ–साथ अन्य प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किया जिसका उद्देश्य राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना के लाभ के बारे में ग्रामीणों को जानकारी प्रदान करना है।

14.31 परियोजना के अधीन निम्नलिखित गतिविधियाँ चलाई जा रही हैं –

1. ग्राम स्तरीय कार्यक्रम
2. ब्लॉक स्तर कार्यक्रम

सारणी 14.1

श्रमिक शिक्षा योजना के अंतर्गत आयोजित पाठ्यक्रम

क्र. सं.	राष्ट्रीय स्तर	क्र. सं.	क्षेत्रीय स्तर	क्र. सं.	इकाई स्तर	क्र. सं.	विशिष्ट श्रेणियाँ
1	शिक्षा अधिकारियों एवं क्षेत्रीय निदेशक प्रभारी के लिए पुनश्चर्या पाठ्यक्रम	1	प्रशिक्षकों का प्रशिक्षण	1	इकाई स्तर की कक्षाएं	1	कार्यात्मक प्रौढ़ साक्षरता कक्षाएं
2	श्रमिक संघों का नेतृत्व	2	व्यक्तित्व विकास कार्यक्रम	2	आवश्यकता पर आधारित विशेष कार्यक्रम	2	असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों के लिए सशक्तीकरण कार्यक्रम (4 दिवसीय)
3	महिला सशक्तिकरण कार्यालय प्रबंधन	3	संयुक्त शैक्षिक कार्यक्रम (1 दिवसीय)	3	संयुक्त शैक्षिक कार्यक्रम (2 दिवसीय)	3	दुर्बल वर्ग के श्रमिकों के लिए सशक्तिकरण कार्यक्रम (4 दिवसीय)
4	युवा पीढ़ी के लिए कौशल और अद्यतन ज्ञान का उन्नयन	4	स्वयंकोष निर्माण कार्यक्रम (1/2/3 दिवसीय) सीटीपी	4	प्रशिक्षित श्रमिकों के लिए संयंत्र स्तर पर कार्यक्रम (1 दिवसीय)	4	ग्रामीण श्रमिकों के लिए सशक्तिकरण कार्यक्रम (4 दिवसीय)
5	कामकाजी महिलाएँ – श्रम कानून – परिवर्तन और चुनौतियाँ।	5	आवश्यकता पर आधारित विशेष कार्यक्रम (1–2 दिवसीय)			5	असंगठित श्रमिकों के लिए पुनः प्रशिक्षण कार्यक्रम (1 दिवसीय)
6	श्रमिकों के अधिकारों पर हमला (क्षमता निर्माण और श्रमिक संघ कार्यकर्ताओं के लिए नेतृत्व विकास	6	श्रमिकों एवं उनके जीवन–साथियों के लिए जीवन की गुणवत्ता कार्यक्रम (4/2 दिवसीय)			6	ग्रामीण जागरूकता शिविर (2 दिवसीय)
7	कार्यस्थल पर श्रमिकों के अधिकारों का उल्लंघन	7	मनरेगा			7	ग्रामीण श्रमिकों के लिए पनुः प्रशिक्षण कार्यक्रम (1 दिवसीय)
8	अनौपचारिक क्षेत्र के श्रमिकों की समस्याएं।					8	2 दिवसीय कार्यक्रम के लिएः
						8 (क)	पत्थर तोडने वाले/असंगठित

							श्रमिकों के लिए कार्यक्रम इ.
						8(ख)	महिला श्रमिक
						8(ग)	अ.जा./अ.ज.जा. के श्रमिक के लिए कार्यक्रम
						8(घ)	बाल श्रमिक/बाल श्रमिकों के अभिभावकों के लिए कार्यक्रम
						8(ड)	श्रम कल्याण एवं विकास कार्यक्रम
						8(च)	निर्माण श्रमिक
						8(छ)	एचआईवी/एड्स कार्यक्रम
9	श्रमिक संघों में प्रभावी नेतृत्व के विकास के लिए कौशल।						
10	श्रमिक संघ में नेतृत्व						
11	दठेंराश्रशिविबो के कर्मचारियों के लिए कार्यालय प्रबंधन						
12	डिजिटलाइजेशन और उसके उपयोग से कार्यकर्ताओं को सशक्त बनाना						
13	नेतृत्व विकास						
14	राष्ट्रीय विकास में श्रमिक संघों की भूमिका						
15	श्रमिकों और कल्याण योजनाओं के लिए सामाजिक सुरक्षा						
16	संविदा श्रमिक विकास कार्यक्रम						
17	भविष्य का काम।						
18	श्रम कानूनों का परिचय।						
19	युवा पीढ़ी के लिए कौशल उन्नयन और अद्यतन ज्ञान						

20	सामाजिक सुरक्षा 2018 पर भारतीय श्रम संहिता						
21	वर्तमान परिवेश में श्रमिक संघों के समक्ष चुनौतियां						
22	राष्ट्रीय विकास में श्रमिक संघों की भूमिका						
23	असंगठित क्षेत्र की समस्याएं मजदूरी और सामाजिक सुरक्षा के मुद्दे						
24	आंगनवाडी श्रमिकों के लिए कल्याणकारी प्रावधान						
25	कोयला उद्योगों में महिला श्रमिकों का सशक्तिकरण						
26	सतत विकास लक्ष्य						
27	सभ्य काम को बढ़ावा देना						
28	वेब पोर्टल और सोशल मीडिया का उपयोग						
29	श्रम कानूनों और शर्तों में बदलाव						
30	सामाजिक सुरक्षा पर ILO कन्वेंशन 102						
31	सरकारी/निजी क्षेत्र के उद्योगों और उसके कर्मचारियों के सामने चुनौतियां						
32	असंगठित मजदूरों पर सामाजिक सुरक्षा और कानून						
33	राष्ट्रीय विकास में श्रमिक संघों की भूमिका						
34	सामाजिक सुरक्षा पर दूसरा राष्ट्रीय श्रम आयोग।						

सारणी 14.2

वर्ष 2018–19 के दौरान दत्तोपंत ठेंगड़ी राष्ट्रीय श्रमिक शिक्षा एवं विकास बोर्ड (भूतपूर्व केन्द्रीय श्रमिक शिक्षा बोर्ड) की गतिविधियाँ

गतिविधि का नाम	लक्ष्य 2019–20	01.04.2019 से 31.10.2019 तक की उपलब्धियाँ	
		कार्यक्रमों की संख्या	प्रतिभागियों की संख्या
क्षेत्रीय स्तर			
प्रशिक्षकों का प्रशिक्षण (11/2 माह)	4	2	20
व्यक्तित्व विकास कार्यक्रम (21 दिवसीय)	31	7	212
प्रशिक्षकों के लिए पुनश्चर्या पाठ्यक्रम (1 सप्ताह)	0	0	0
भागीदारी प्रबंधन पर श्रमिकों के लिए संयुक्त शैक्षिक कार्यक्रम (1 दिवसीय)	466	804	20645
स्वयंकोष निर्माण/सीटीपीजी कार्यक्रम			
(1/2/3 दिवसीय)	856	401	7959
आवश्यकता पर आधारित परिसंवाद (1/2 दिवसीय)	200	150	3474
श्रमिकों एवं उनके जीवनसाथियों के लिए जीवन की गुणवत्ता पर कार्यक्रम (4 दिवसीय)	9	0	0
श्रमिकों एवं उनके जीवनसाथियों के लिए जीवन की गुणवत्ता पर कार्यक्रम (2 दिवसीय)	91	7	182
संयंत्र स्तर पर परिसंवाद (1 दिवसीय)	136	85	2158
स्वयंकोष निर्माण पर विशेष कार्यक्रम (5 दिवसीय)	0	0	0
प्रबंधन में श्रमिकों की भागीदारी पर कार्यक्रम	53	4	123
इकाई स्तर			
अंशकालीन/पूर्णकालीन इकाई स्तर की कक्षाएं (3 माह/3 सप्ताह/1 माह)	48	7	179
संयुक्त परिषद के नए सदस्यों के लिए उद्यम स्तर पर संयुक्त शैक्षिक कार्यक्रम (2 दिवसीय)	198	158	3955

असंगठित क्षेत्र			
असंगठित श्रमिकों/दुर्बल वर्ग के श्रमिकों के लिए सशक्तिकरण कार्यक्रम (4 दिवसीय)	155	3	109
असंगठित क्षेत्र/पत्थर तोड़नेवाले/निर्माण श्रमिकों के लिए कार्यक्रम (2 दिवसीय)	640	142	5334
महिला श्रमिकों के लिए कार्यक्रम (2 दिवसीय)	575	114	4240
बाल श्रमिक/बाल श्रमिकों के अभिभावकों के लिए कार्यक्रम (2 दिवसीय)	198	6	220
अ.जा./अ.ज.जा., एससीएसपी/टीएसपी श्रमिकों के लिए कार्यक्रम (2 दिवसीय)	3215	767	27362
श्रम कल्याण और विकास पर कार्यक्रम (2 दिवसीय)	481	63	2357
पंचायतीराज के लिए कार्यक्रम (2 दिवसीय)	117	1	40
श्रमिकों और उनके जीवनसाथी के लिए जीवन की गुणवत्ता पर कार्यक्रम (4 दिवसीय)	82	0	0
श्रमिकों और उनके जीवनसाथी के लिए जीवन की गुणवत्ता पर कार्यक्रम (2 दिवसीय)	133	5	176
असंगठित क्षेत्र के लिए पुनः प्रशिक्षण कार्यक्रम (1 दिवसीय)	122	3	130
उत्तर–पूर्व के लिए कार्यक्रम (3 दिवसीय)	51	2	59
उत्तर–पूर्व क्षेत्र के लिए पंचायतीराज के लिए कार्यक्रम (3 दिवसीय)	18	2	60
उत्तर–पूर्व के लिए विशेष कार्यक्रम (2/5 दिवसीय)	10	0	0
नेतृत्व विकास कार्यक्रम (10 दिवसीय)	10	0	0
अभिनव कार्यक्रम (1 दिवसीय)	0	12	1162
ग्रामीण क्षेत्र			
ग्रामीण जागरूकता शिविर (2 दिवसीय)	1047	144	5464
ग्रामीण श्रमिकों के लिए सशक्तिकरण कार्यक्रम (4 दिवसीय)	123	2	80
ग्रामीण कामगारों के लिए पुनः प्रशिक्षण कार्यक्रम (1 दिवसीय)	125	0	0
मनरेगा के कार्यक्रम	458	10	384

अध्याय –15

योजनागत और योजनेत्तर कार्यक्रम

केन्द्रीय क्षेत्र स्कीमें/केन्द्रीय रूप से प्रायोजित स्कीमें

15.1 यह मंत्रालय वर्तमान वित्तीय वर्ष 2019–20 के दौरान संगठित एवं असंगठित क्षेत्र दोनों में श्रम बल के जीवन और प्रतिष्ठा में सुधार लाने के लिए कई स्कीमें कार्यान्वित कर रहा है। इन कार्यक्रमों/स्कीमों का विशेष जोर बाल श्रम उन्मूलन, बंधुआ श्रम उन्मूलन एवं पुनर्वास, श्रम कल्याण, व्यवसायिक सुरक्षा और स्वास्थ्य तथा रोजगार सृजन पर है। कामगारों के लिए सामाजिक सुरक्षा के अंतर्गत महत्वपूर्ण स्कीमें हैं; कर्मचारी पेंशन स्कीम, 1995, असम में बागान कामगारों के लिए सामाजिक सुरक्षा, असंगठित कामगारों के लिए प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन तथा प्रधानमंत्री कर्मयोगी मानधन। राष्ट्रीय बाल श्रम परियोजना (एनसीएलपी), रोजगार सृजन कार्यक्रम नामतः नेशनल कैरियर सेवा तथा प्रधानमंत्री रोजगार प्रोत्साहन योजना और बीड़ी, सिने तथा गैर–कोयला खान कामगारों के लिए श्रमिक कल्याणकारी स्कीमें भी अन्य प्रमुख योजनाएं हैं।

15.2 श्रम और रोजगार मंत्रालय में योजना प्रभाग अनुसूचित जाति कल्याण कार्यक्रमों, अनुसूचित जनजाति संघटक और पूर्वोत्तर संघटक व्यय की समीक्षा सहित सीएस/सीएसएस स्कीमों की मॉनीटरिंग का काम देखता है।

15.3 वित्त मंत्रालय ने वित्तीय वर्ष (2019–20) के दौरान केन्द्रीय क्षेत्र की स्कीमों/केन्द्र द्वारा प्रायोजित स्कीमों के लिए श्रम और रोजगार मंत्रालय को 10803.00 करोड़ रुपये का परिव्यय प्रदान किया है। स्कीमों के परिव्यय का विवरण तालिका 15.1 में दिया गया है।

15.4 सरकार के निर्देशों का पालन करते हुए, इस मंत्रालय ने वर्तमान वित्तीय वर्ष अर्थात 2019–20 के दौरान अनुसूचित जाति कल्याण आबंटनों (एडब्ल्यूएससी) के लिए 1793.30 करोड़ रुपये (कुल आबंटन का 16.6:) तथा अनुसूचित जनजाति संघटक (एसटीसी) के अंतर्गत आबंटन के लिए 929.06 करोड़ रुपये (कुल आबंटन का 8.6%) उद्दिष्ट किए हैं जिनका विवरण तालिका 15.1 में दिया गया है।

15.5 वर्ष 2019–20 के दौरान योजना आबंटन का दस प्रतिशत (1080.30 करोड़ रुपये) पूर्वोत्तर राज्यों तथा सिक्किम की विशिष्ट परियोजनाओं/स्कीमों के लिए उद्दिष्ट किया गया है

15.6 योजना एकक द्वारा प्रशासित स्कीम नामतः "श्रम संबंधी मामलों में अनुसंधान करने के लिए अनुसंधान एवं अकादमिक संस्थाओं और गैर–सरकारी संगठनों (एनजीओ) तथा स्वैच्छिक संगठनों (वीओ) को अनुदान" अप्रैल, 2017 से बंद कर दी गई है।

15.7 श्रम एवं रोजगार मंत्रालय 11 केंद्रीय क्षेत्र तथा 4 केंद्रीय रूप से प्रायोजित स्कीमों का कार्यान्वयन करता है। यह मंत्रालय स्वायत्त निकायों यथा वी.वी.गिरि राष्ट्रीय श्रम संस्थान और दत्तोपंत ठेंगड़ी राष्ट्रीय श्रमिक शिक्षा एवं विकास बोर्ड (पूर्ववर्ती एनबीडब्ल्यूई) को अनुदान सहायता भी देता है। स्कीमों की सूची के साथ बजट प्रावधान एवं व्यय तालिका 15.2 और 15.3 में दिया गया है।

तालिका 15.1

श्रम और रोजगार मंत्रालयः केन्द्रीय क्षेत्र की स्कीमें/केन्द्र द्वारा प्रायोजित स्कीमें
वित्तीय परिव्यय 2019–20

(करोड़ रुपये में)

क्र. सं.	स्कीमों का नाम	वित्तीय परिव्यय 2019–20	अनुसूचित जातियों के कल्याण हेतु आबंटन	अनुसूचित जनजातियों के कल्याण हेतु आबंटन
1.	श्रम और रोजगार सांख्यिकी प्रणाली	22.00	2.00	1.25
2..	बेहतर सुलहकारी मशीनरी, निवारक मध्यस्थता, श्रम कानूनों का प्रभावी प्रवर्तन, मुख्य श्रमायुक्त	23.60	2.00	1.25
3.	असंगठित कामगारों के राष्ट्रीय मंच का सृजन और आधार से जुड़ी पहचान संख्याओं का आबंटन	1.00	0.16	0.09
4.	कर्मचारी पेंशन स्कीम, 1995	4500.00	747.00	387.00
5.	असम में बागान कामगारों की सामाजिक सुरक्षा	19.90	2.72	1.71
6.	स्वैच्छिक एजेन्सियों के लिए अनुदान सहायता सहित राष्ट्रीय बाल श्रम परियोजना तथा बंधुआ श्रमिकों की सहायता की प्रतिपूर्ति	100.00	16.60	8.60
7.	रोजगार सृजन कार्यक्रम			
(i)	राष्ट्रीय कैरियर सेवाएं	50.00	8.30	4.30
(ii)	प्रधानमंत्री रोजगार प्रोत्साहन योजना	4500.00	747.00	387.00
(iii)	अ.जा., अ.जजा. और अ.पि. वर्गों की कोचिंग और मार्गदर्शन	18.00	8.03	4.00
(iv)	रोजगार संवर्धन स्कीम	15.79	1.66	0.86
8.	डीजीफासली संगठन का सशक्तीकरण तथा कारखानों, पत्तनों और गोदियों में ओएसएच	18.50	1.83	0.95
9.	खान सुरक्षा निदेशालय की अवसंरचनात्मक सुविधाओं तथा मूल कार्यों का सशक्तीकरण	13.00	1.68	1.01
10.	दत्तोपंत थेंगडी राष्ट्रीय कामगार शिक्षा एवं विकास बोर्ड, नागपुर (पूर्व में सीबीडब्ल्यूई के रूप में ज्ञात)	78.00	12.95	6.71
11.	वी.वी. जीएनएलआई, नोएडा	12.00	1.99	1.03
12.	श्रम कल्याण स्कीम	164.00	28.59	14.10

13.	असंगठित कामगारों के लिए बीमा योजना	17.01	3.27	1.69
14.	प्रसूति लाभों को प्रदान करने के लिए संगठनों को प्रोत्साहन	0.10	0.02	0.01
15.	प्रधानमंत्री श्रम योगी मान धन	500.00	83.00	43.00
16.	प्रधानमंत्री कर्म योगी मान धन	750.00	124.50	64.50
17.	ईएसआई डाटाबेस के अंतर्गत सभी बीमित व्यक्तियों की आधार संख्या को जोड़ना और उनका प्रमाणीकरण	0.10	0.00	0.00
	कुल	**10803.00**	**1793.30**	**929.06**

सारणीः 15.2

बजट प्रावधान एवं व्यय

(करोड़ रुपये में)

क्र. सं.	स्कीम का नाम	बजट अनुमान 2017–18	वास्तविक 2017–18	बजट अनुमान 2018–19	वास्तविक 2018–19	बजट अनुमान 2019–20	20 दिसंबर 2019 तक व्यय
I	**केंद्र का स्थापना व्यय**						
1	सचिवालय	58.00	56.95	62.16	59.54	66.81	46.21
2	श्रम ब्यूरो	12.74	11.08	12.05	11.30	21.04	13.30
3	मुख्य श्रमायुक्त, केन्द्रीय सरकारी औद्योगिक न्यायाधिकरण, अनुसंधान और सूचना प्रौद्योगिकी से संबंधित अन्य मदें		65.24	69.02	65.12	78.26	57.68
4	कारखाना सलाह सेवाएं महानिदेशालय (डीजीफासली)	24.88	20.70	23.65	21.61	23.54	16.37
5	खान सुरक्षा महानिदेशालय (डीजीएमएस)	65.10	58.45	62.34	61.80	62.34	48.44
6	अंतर्राष्ट्रीय सहयोग	22.00	18.61	22.50	18.85	21.00	0.09
7	रोजगार महानिदेशालय	51.00	33.00	36.76	33.35	35.10	25.37
8	श्रम कल्याण महानिदेशक (स्थापना)	76.28		0.00	0.00	73.00	35.70
	केंद्र का कुल स्थापना व्यय	310.00	264.03	288.48	271.57	381.09	243.16
II	**केंद्रीय क्षेत्र की स्कीमें/परियोजनाएं**						
9	श्रम और रोजगार सांख्यिकी प्रणाली (एलईएसएस)	68.00	32.34	45.00	32.36	22.00	12.68
10	अधिनिर्णयन तंत्र का सशक्तीकरण और लोक अदालतें आयोजित करना	10.00	5.76	10.00	6.04	0.00	0.00
11	बेहतर सुलह हेतु तंत्र, निवारक मध्यस्थता, श्रम कानूनों का प्रभावी प्रवर्तन, मुख्य श्रमायुक्त	20.00	10.78	32.11	13.25	23.60	16.98
12	डीजीफासली संगठन का सशक्तीकरण तथा कारखानों, पत्तनों और गोदियों में ओएसएच	22.30	6.47	11.00	6.93	18.50	3.59

13	खान सुरक्षा निदेशालय की अवसंरचनात्मक सुविधाओं तथा मूल कार्यों का सशक्तीकरण	27.00	11.55	13.01	10.29	13.00	5.70
14	श्रम कल्याण स्कीम	380.00	207.35	242.26	236.93	164.00	111.31
15	असंगठित कामगारों के राष्ट्रीय मंच का सृजन और आधार से जुड़ी पहचान संख्याओं का आबंटन	100.00	0.35	50.00	0.96	1.00	0.14
16	असंगठित कामगारों के लिए बीमा योजना	0.00	0.00	50.00	49.49	17.01	0.00
17	प्रधानमंत्री श्रम योगी मान धन	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	336.45
18	प्रधानमंत्री कर्म योगी मान धन	0.00	0.00	0.00	0.00	750.00	150.00
19	कर्मचारी पेंशन स्कीम, 1995	4771.18	5111.18	4900.00	4900.00	4500.00	3933.00
20	असम में बागान कामगारों की सामाजिक सुरक्षा	50.00	110.00	35.00	22.00	19.90	9.94
21	प्रसूति लाभों को प्रदान करने के लिए संगठनों को प्रोत्साहन	0.00	0.00	0.00	0.00	0.10	0.00
22	स्वैच्छिक एजेन्सियों के लिए अनुदान सहायता सहित राष्ट्रीय बाल श्रम परियोजना तथा बंधुआ श्रमिकों की सहायता की प्रतिपूर्ति	160.00	102.16	120.00	93.26	100.00	53.06
23	ईएसआई डाटाबेस के अंतर्गत सभी बीमित व्यक्तियों की आधार संख्या को जोड़ना और उनका प्रमाणीकरण	0.00	0.00	0.00	0.00	0.10	0.00
	कुल–केंद्रीय क्षेत्र की स्कीमें/ परियोजनाएं	5608.48	5597.94	5508.38	5371.51	6129.21	4632.85
III अन्य केंद्रीय क्षेत्र व्यय							
स्वायत्त निकाय							
24	केन्द्रीय कामगार शिक्षा बोर्ड	90.00	71.50	90.00	74.58	78.00	58.50
25	राष्ट्रीय श्रम संस्थान	15.00	11.00	15.35	10.59	12.00	9.04
	कुल– स्वायत्त निकाय	105.00	82.50	105.35	85.17	90.00	67.54

IV	**केंद्रीय रूप से प्रायोजित स्कीमें**						
26	अ.जा., अ.जजा. और अ.पि. वर्गों की						
	कोचिंग और मार्गदर्शन	26.00	17.99	22.00	17.41	18.00	10.56
27	रोजगार संवर्धन स्कीम	13.90	5.10	13.90	7.73	15.79	10.87
28	राष्ट्रीय कैरियर सेवाएं	125.00	64.51	109.80	38.70	50.00	34.73
29	प्रधानमंत्री रोजगार प्रोत्साहन योजना	1000.00	485.02	1652.09	3499.14	4500.00	2620.00
	कुल– केंद्रीय रूप से प्रायोजित स्कीमें	1164.90	572.62	1797.79	3562.98	4583.79	2676.16
	महायोग	**7188.38**	**6517.09**	**7700.00**	**9291.23**	**11184.09**	**7619.71**

तालिका **15.3**

श्रम और रोजगार मंत्रालय के पिछले पांच वर्षों के बजट अनुमान, संशोधित अनुमान और व्यय

(करोड़ रुपये में)

वर्ष	बजट अनुमान	संशोधित अनुमान	व्यय
2014–2015	5408.33	4311.00	4137.79
2015–2016	5361.37	4835.08	4642.06
2016–2017	6242.60	5174.08	4949.30
2017–2018	7378.38	6592.90	6528.57
2018–2019	7700.00	9749.58	9291.23

अध्याय–16

अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति कल्याण

अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति के लिए राष्ट्रीय कैरियर सेवा केंद्र

16.1 अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति के लिए राष्ट्रीय कैरियर सेवा केन्द्रों (पूर्व में अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के लिए कोचिंग–सह–मार्गदर्शन केन्द्र) की स्थापना रोजगार और प्रशिक्षण महानिदेशालय (अब रोजगार महानिदेशालय), श्रम और रोजगार मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा की गई थी। ये केन्द्र कोचिंग, परामर्श एवं संबंधित प्रशिक्षण कार्याक्रमों के माध्यम से रोजगार कार्यालयों में पंजीकृत अ.जा./अ.जा.जा. वर्ग के नौकरी खोजने वाले शिक्षित व्यक्तियों की रोजगारशीलता में वृद्धि लाने के लिए उन्हें सेवाएं प्रदान करते हैं। इन केन्द्रों द्वारा आयोजित किए जाने वाले कुछ कार्यक्रमों में आत्मविश्वास निर्माण, व्यक्तिगत मार्गदर्शन, मॉक इंटयव्यू, टंकण, आशुलिपि एवं कम्प्यूटर में अभ्यास आदि शामिल हैं। केन्द्र सरकार के विभिन्न मंत्रालयों/विभागों में आरक्षित रिक्तियों पर भर्ती को सुगम बनाने के लिए प्रतियोगी परीक्षाओं में भाग लेने के लिए नौकरी खोजने वाले अ.जा./अ.जा.जा. वर्ग के व्यक्तियों के लिए विशेष कोचिंग योजना कार्यान्वियत की जा रही है एनसीएससी– अ.जा./अ.जा.जा. से संबंधित विस्तृत ब्यौरे अध्याय 24 में देखे जा सकते हैं।

श्रम कल्याण निधि ध्योजनाएं

16.2 संसद के अधिनियमों द्वारा स्थापित 5 कल्याण निधियों अर्थात अभ्रक की खानों के लिए श्रम कल्याण निधिय चूना पथर एवं डोलामाईट की खानों के लिए श्रम कल्याण निधिय लौह अयस्क खानों, मैगनीज अयस्क एवं क्रोम अयस्क की खानों के लिए श्रम कल्याण निधि य सिने कामगार कल्याण निधि और बीड़ी कामगार कल्याण निधि के अंतर्गत अभ्रक की खानों, लौह अयस्क, मैगनीज अयस्क एवं क्रोम अयस्क की खानों, चूना पत्थर और डोलोमाईट की खानों में काम करने वाले कामगारों तथा सिने और बीड़ी कामगरों ख्अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति वर्ग के लोगों तथा दिव्यांग व्यक्तियों (पीडब्ल्यूडी) सहित, के लिए चिकित्सीय, आवसीय, शैक्षिक, मनोंरंजन, जलापूर्ति और परिवार कल्याण संबंधी लाभ उपलब्ध कराने के लिए कई योजनाएं कार्यान्वित की जा रही हैं। अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति वर्ग के व्यक्तियों तथा दिव्यांग व्यकितयों (पीडब्ल्यूडी) के संबंध में बजट/व्यय/लाभ प्राप्त करने वाले व्यक्तियों की संख्या के संबंध में अलग से कोई ब्यौरा नहीं रखा जाता है।

बंधुआ श्रमिकों के लिए पुनर्वास

16.3 मुक्त बंधुआ श्रमिकों को पुनर्वास के कार्य में राज्य सरकार को सहायता प्रदान करने के क्रम में श्रम एवं रोजगार मंत्रलय ने मुक्त बंधुआ श्रमिकों के पुनर्वास के लिए मई, 1978 में केन्द्र द्वारा प्रायोजित योजना आरंभ की गई थी। सरकार 17 मई, 2016 से बंधुआ श्रमिकों के पुनर्वास हेतु केन्द्रीय प्रायोजित योजना स्कीम को पुनर्जीवित कर चुकी है। पुनर्जीवित स्कीम को ''बंधुआ श्रमिक, 2016 के पुनर्वास हेतु केंद्रीय क्षेत्र की स्कीम'' के नाम से जाना जाता है। संशोधित स्कीम केंद्रीय की स्कीम है। राज्य सरकार को नकद पुनर्वास सहायता के प्रयोजनार्थ किसी मैचिंग अंशदान का भुगतान करना अपेक्षित नहीं है। प्रत्येक वयस्क पुरुष लाभार्थी को वित्तीय सहायता 20,000 रुपये से बढ़ाकर 01 लाख रुपये कर दी गयी है, विशेष श्रेणी के लाभार्थियों जैसे अनाथ बालक अथवा संगठित और भीख मांगने के लिए जबरन मजबूर किए गये अथवा जबरन मजबूर किए गये बाल श्रमिकों एवं महिलाओं को 02 लाख रुपये, यौन शोषण जैसे वेश्यालयों, मसाज पार्लर, प्लेसमेण्ट एजेन्सियों अथवा तस्करी आदि से बचाए गये लोगों या महिलाओं या बालकों के साथ–साथ बंधुआ अथवा जबरन बंधुआ बनाए गये श्रमिकों के मामले में अथवा उन स्थितियों को जिसे जिला मजिस्ट्रेट उचित समझते हैं, उन्हें 03 लाख

रुपये वित्तीय सहायता कर दी गई है। इस योजना के अंतर्गत अब तक राज्य सरकारों को 2,93,725 बंधुआ श्रमिकों के पुनर्वास के लिए रुपये 9,582.92 लाख रुपये जारी किए गए हैं। ग्रामीण श्रमिक 1991 की राष्ट्रीय आयोग की रिपोर्ट के अनुसार चिन्हित बंधुआ श्रमिकों के 86–6% लोग अ.जा./अ.ज.जा. की श्रेणी के श्रमिक हैं, इसलिए बंधुआ श्रमिकों की इन श्रेणियों में स्कीम का लाभ मुख्य रूप से दिया जा रहा है।

स्वास्थ्य योजना

16.4 बीड़ी श्रमिकों तथा उनके परिवार के सदस्यों को स्वास्थ्य सेवा लाभ के साथ–साथ 10 अस्पतालों एवं 286 दवाखानों के माध्यम से सुविधा उपलब्ध कराई गई है। कुछ गंभीर बीमारियों में निम्नलिखित सहायता उपलब्ध कराई जा रही है:–

क्रमांक	उद्देश्य	सहायता की प्रकृति
1.	तपेदिक (टीबी)	श्रमिकों के लिए टी.बी. अस्पताल में बेड (शय्या) का आरक्षण एवं आवासीय इलाज। इलाज करने वाले फिजिसियन की सलाह के अनुसार रुपये 750/– से 1000/– प्रति माह जीवन निर्वाह भत्ता
2.	हृदय रोग	रुपये 1,30,000/– तक की प्रतिपूर्ति
3.	गुर्दा प्रत्यारोपण	रुपये 2,00,000/– तक की प्रतिपूर्ति
4.	कैंसर	सरकारी मान्यता प्राप्त अस्पतालों के जरिए श्रमिकों एवं उनके आश्रितों द्वारा इलाज, दवाइयों एवं भोजन पर किए गये वास्तविक खर्च की प्रतिपूर्ति
5.	हर्निया, अपेण्डेक्टोमी, अल्सर, प्रसूति रोग एवं प्रोस्ट्रेट बीमारी जैसी छोटी शल्यक्रिया	रुपये 30,000/– तक की प्रतिपूर्ति

मंत्रालय के सचिवालय में अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति का प्रतिनिधित्व

16.5 श्रम एवं रोजगार मंत्रालय में अनुसूचित जाति/अनुसूचित जन जाति के प्रतिनिधित्व से संबंधित आंकड़ा सारणी 16.1 में दिया गया है।

16.7 दिव्यांग व्यक्तियों के अधिकार अधिनियम, 2016 की अपेक्षाओं के अनुसार दिव्यांग व्यक्तियों के लिए 4% पद आरक्षित किए जाने चाहिए। श्रम एवं रोजगार मंत्रालय में दिव्यांग व्यक्तियों द्वारा धारित पदों की संख्या एवं आंकड़े सारणी 16.2 में दिया गया है।

सारणी 16.1

श्रम एवं रोजगार मंत्रलय एवं इसके सम्बद्ध/अधीनस्थ कार्यालयों एवं स्वायत्त निकायों में अनुसूचित जाति/अनुसूचित जन जाति का प्रतिनिधित्व

समूह	कुल कर्मचारियों की संख्या (दिनांक 01.01.2019 की यथा स्थिति	आरक्षण मानक के अनुसार		स्थिति में		अधिशेष (+) कमी (–)	
		अ.जा. (15%)	अ.ज.जा. (7.5%)	अ.जा.	अ.ज.जा.	अ.जा.	अ.ज.जा.
समूह 'क'	4295	644	322	618	269	–26	–53
समूह 'ख'	5237	786	393	760	372	–26	–21
समूह 'ग' (भूतपूर्व समूह 'घ' सहित)	35920	5388	2694	6646	2226	1258	–468
कुल	**45452**	**6818**	**3409**	**8024**	**2867**	**1206**	**–542**

सारणी 16.2

श्रम एवं रोजगार मंत्रालय एवं इसके सम्बद्ध/अधीनस्थ कार्यालयों एवं स्वायत्त निकायों में दिव्यांग व्यक्तियों (निःशक्तजन) का प्रतिनिधित्व

कर्मचारियों की श्रेणी	कुल कर्मचारियों की संख्या (दिनांक 01.01.2019 की यथा स्थिति	दिव्यांग व्यक्तियों द्वारा धारित पदों की संख्या
समूह 'क'	4295	56
समूह 'ख'	5237	76
समूह 'ग' (भूतपूर्व समूह 'घ' सहित)	35920	668
कुल	**45452**	**800**

अध्याय–17

श्रम सांख्यिकी

श्रम ब्यूरो, चण्डीगढ़/शिमला के कार्य तथा संगठनात्मक ढांचा

17.1 श्रम ब्यूरो श्रम के विभिन्न पहलुओं पर अखिल भारतीय और राज्य स्तर पर श्रम आंकड़ों के संग्रहण, संकलन, विश्लेषण तथा वितरण में कार्यरत रहा है। ये आंकड़े उचित योजनाएं बनाने हेतु तथा श्रम बल के विभिन्न समूहों की स्थितियों में सुधार हेतु उचित उपाय सुझाने के लिए अनिवार्य आंकड़ा उपलब्ध करवाने में सहायक होते हैं। ब्यूरो के मुख्य क्रियाकलापों में निम्न शामिल है:

i) (i) औद्योगिक कामगारों (ii) खेतिहर तथा ग्रामीण श्रमिकों के लिए उपभोक्ता मूल्य सूचकांक संख्या (iii) शहरी तथा ग्रामीण क्षेत्रों में चुनिन्दा आवश्यक वस्तुओं के खुदरा मूल्य सूचकांकों तथा (iv) मजदूरी दर सूचकांकों का संकलन तथा रख–रखाव करना

ii) विभिन्न श्रम अधिनियमों के तहत सांविधिक तथा स्वैच्छिक विवरणियों के आधार पर श्रम के विभिन्न पहलुओं जैसे रोजगार, बेरोजगारी, मजदूरी तथा उपार्जन, अनुपस्थिति, श्रम आवर्त, सामाजिक सुरक्षा, कल्याण सुविधाएं, औद्योगिक संबंध आदि पर सांख्यिकीय सूचना का संग्रहण, संकलन तथा प्रसार।

iii) संगठित/असंगठित क्षेत्रों के साथ–साथ अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति श्रमिकों, महिला श्रमिकों, ठेका श्रमिकों को शामिल करते हुए श्रम संबंधी मामलों पर अनुसंधान अध्ययन तथा सर्वेक्षण एवं विनिर्माण उद्योगों, खनन, बागान तथा सेवा क्षेत्रों में व्यावसायिक मजदूरी सर्वेक्षण का आयोजन।

iv) राज्य/संघशासित प्रदेश के कार्मिकों तथा विभिन्न राज्य तथा केन्द्रीय एजेन्सियों द्वारा प्रायोजित प्रशिक्षणार्थियों को प्रशिक्षण प्रदान करना।

v) श्रम के क्षेत्र में नियमित तथा तदर्थ प्रकाशन निकालना।

17.2 श्रम ब्यूरो के दो मुख्य स्कंध चण्डीगढ़ तथा शिमला में हैं तथा इसके पांच क्षेत्रीय कार्यालय अहमदाबाद, कोलकाता, चेन्नई, कानपुर और गुवाहाटी में हैं एवं अहमदाबाद क्षेत्रीय कार्यालय के अंतर्गत मुम्बई स्थित एक उप–क्षेत्रीय कार्यालय है।

श्रम ब्यूरो की मुख्य उपलब्धियां तथा गतिविधियां

उपभोक्ता मूल्य सूचकांक

17.3 श्रम ब्यूरो द्वारा मासिक आधार पर नियमित रूप से संकलित तथा अनुरक्षित उपभोक्ता मूल्य सूचकांक निम्नानुसार है:–

(क) औद्योगिक श्रमिकों (सीपीआई–आईडब्ल्यू) के लिए आधार 2001=100 पर उपभोक्ता मूल्य सूचकांक

1. औद्योगिक श्रमिकों के उपभोक्ता मूल्य सूचकांक (सीपीआई–आईडब्ल्यू) जो श्रमिक वर्ग जनसंख्या द्वारा उपभोग की गई वस्तुओं तथा सेवाओं की निर्धारित बास्केट की कीमतों में परिवर्तन की दर को मापता है, का संकलन तथा रख–रखाव श्रम ब्यूरो द्वारा किया जाता है।

2. श्रम ब्यूरो द्वारा आधार 2001=100 पर औद्योगिक श्रमिकों के लिए उपभोक्ता मूल्य सूचकांक को जनवरी, 2006 से संकलित तथा प्रकाशित किया गया है। ये सूचकांक प्रेस रिलीज के माध्यम से प्रत्येक अनुवर्ती माह के अंतिम कार्य दिवस पर प्रकाशित किए जाते हैं। इन्हें श्रम ब्यूरो की वैबसाइट www.labourbureaunew.gov.in पर डालने के अतिरिक्त ब्यूरो के मासिक प्रकाशन 'इण्डियन लेबर जरनल' में भी प्रकाशित किया जाता है। औद्योगिक कामगारों (आईडब्लयू) के उपभोक्ता मूल्य सूचकांक (सीपीआई) में विभिन्नताओं का तुलनात्मक विवरण तालिका 17.1(i) और 17.1(ii) में दिया गया है।

(ख) ग्रामीण श्रमिकों तथा कृषि श्रमिकों के लिए उपभोक्ता मूल्य सूचकांक (सीपीआई/आरएल/एएल)

(आधार 1986–87=100)

17.4 600 प्रतिदर्श गांवों से एकत्रित खुदरा मूल्य आंकड़ों पर आधारित ग्रामीण श्रमिकों तथा इसके उप समूह खेतिहर श्रमिकों के लिए उपभोक्ता मूल्य सूचकांक को आधार 1986–87=100 पर 20 राज्यों तथा अखिल भारत के लिए मासिक आधार पर संकलित किया जा रहा है।

17.5 श्रम ब्यूरो खेतिहर तथा ग्रामीण श्रमिकों के लिए उपभोक्ता मूल्य सूचकांक (आधारः 1986–87=100) भी संकलित तथा प्रकाशित कर चुका है। सीपीआई–एएल और सीपीआई–आरएल में वार्षिक विभिन्नताओं संबंधी तुलनात्मक विवरण तालिका 17.2 में प्रस्तुत किया गया है। वर्ष 2017–18 के लिए खेतिहर तथा ग्रामीण श्रमिकों के लिए उपभोक्ता मूल्य सूचकांक (आधार : 1986–87=100)पर वार्षिक रिपोर्ट जारी की जा चुकी है।

(ग) औद्योगिक श्रमिकों के लिए मूल्य सूचकांक का आधार अद्यतन (सीपीआई–आईडब्ल्यू)

17.6 श्रम ब्यूरो द्वारा श्रृंखला को नए संभावित आधार अर्थात 2016=100 के साथ अद्यतन करने का कार्य जारी हैं। क्षेत्र की गतिविधियों के निष्पादन के बाद नई शृखंला को स्थायी त्रिपक्षीय समिति, (एसटीसी), एसपीसीएल पर तकनीकी सलाहकार समिति (एसपीसीएल पर टीएसी) और राष्ट्रीय त्रिपक्षीय फोरम के समक्ष रखा जाएगा जहाँ पर इसे उच्च स्तरीय ट्रेड यूनियन नेताओं, नियोक्ता संघों के प्रतिनिधियों एवं केन्द्रीय तथा राज्यों के मंत्रालयों दोनों के ही प्रतिनिधियों द्वारा प्रस्तुत किया जाएगा। त्रिपक्षीय समिति के अनुमोदन उपरांत सूचकांक को औपचारिक तौर पर जारी किया जाएगा।

(घ) ग्रामीण और खेतिहर श्रमिकों के लिए उपभोक्ता मूल्य सूचकांक का आधार अद्यतन [सीपीआई (आरएल/एएल)]

17.7 सचिवों की समिति, राष्ट्रीय सांख्यिकी आयोग (एनएससी), श्रम संबंधी 2रा राष्ट्रीय आयोग, नीति आयोग (पूर्ववर्ती योजना आयोग) और निर्वाह–व्यय लागतों की सांख्यिकी संबंधी तकनीकी सलाहकार समिति (एसपीसीएल पर टीएसी) जैसी विभिन्न समितियों/आयोगों द्वारा की गई सिफारिशों/सुझावों के अनुसरण में श्रम ब्यूरो ने सीपीआई–एएल और आरएल के आधार अद्यतन की प्रक्रिया आरंभ की है। सीपीआई–एएल और आरएल की नई श्रृंखला में सभी राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों (चंडीगढ़ को छोड़कर) में फैले 788 नमूना गांवों को शामिल करते हुए एक विस्तृत दायरा होगा। सीपीआई–एएल और आरएल की नई श्रृंखला के लिए आधार अवधि 2019 होगी और यह आरेख के मूल्यांकन के लिए एनएसएस उपभोक्ता व्यय सर्वेक्षण के 75 वें दौर (2017–18) के परिणामों का उपयोग करेगा। विभिन्न राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों में फैले चयनित नमूना गांव के लिए पहचान, सूचीकरण, स्थानीय क्षेत्रों का नमूना चयन, दुकानों और वस्तुओं के विनिर्देशों के संबंध में एनएसएसओ–एफओडी के माध्यम से बाजार सर्वेक्षण पर डेटा का संग्रह वर्तमान में प्रगति पर है।

(ङ) कानूनी तथा स्वैच्छिक विवरणियां

17.8 श्रम ब्यूरो विभिन्न श्रम अधिनियमों के पारन्तुकों के तहत विभिन्न राज्य तथा संघ शासित प्राधिकारियों से प्राप्त वार्षिक कानूनी विवरणियों तथा राज्य एवं केन्द्रीय श्रम विभागों द्वारा प्रति माह श्रम ब्यूरो को भेजे गए औद्योगिक विवाद, कार्यबन्दी, अस्थायी छंटनी तथा छंटनी से संबंधित स्वैच्छिक आंकड़ों के आधार पर श्रम के विभिन्न पहलुओं पर श्रम आंकड़ों का संग्रहण, संकलन तथा वितरण करता है।

(च) फील्ड सर्वेक्षण तथा अध्ययन

17.9 श्रम ब्यूरो द्वारा श्रम आंकड़ों की उपलब्धता में अन्तर को दूर करने हेतु श्रम के विभिन्न पहलुओं जैसे (i) रोजगार (ii) मजदूरी तथा उपार्जन, (iii) अर्थव्यवस्था के संगठित तथा असंगठित क्षेत्रों में कार्यरत्त श्रमिकों की कार्यकारी तथा निर्वाह स्थितियों पर आवधिक/तदर्थ सर्वेक्षण आयोजित करता है। श्रम ब्यूरो 20 राज्यों/संघ शासित प्रदेशों के 600 प्रतिदर्श गांवों से प्रतिमाह नियमित रूप से 25 खेतिहर तथा गैर खेतिहर व्यवसायों के लिए मजदूरी दर आंकड़े एकत्रित करता है।

संदर्भ वर्ष के दौरान उपलब्धियाँ निम्नानुसार हैः

अगस्त, 2019 तक के मजदूरी दर आंकड़े 'इण्डियन लेबर जरनल' में संकलित तथा प्रकाशित किए गए।

वर्ष 2017–18 के लिए "ग्रामीण भारत में मजदूरी दरें" नामक पुस्तक का प्रकाशन किया गया।

(छ) व्यावसायिक मजदूरी सर्वेक्षण

17.10 मजदूरी दर सूचकांक के निर्माण हेतु रोजगार, मजदूरी दरें तथा मंहगाई भत्ते पर व्यवसाय–वार आंकड़ों को प्राप्त करने के लिए आवश्यक आंकड़ा/सूचना उपलब्ध करवाने के उद्देश्य से व्यावसायिक मजदूरी सर्वेक्षणों (ओडब्ल्यूएस) के विभिन्न दौर आयोजित किए जा रहे हैं।

i) व्यावसायिक मजदूरी सर्वेक्षण (ओडब्ल्यूएस) के 7वें दौर के 10 रिपोर्टों में से वस्त्र उद्योग, कपड़ा परिधान उद्योग, वृक्षारोपण उद्योग और चाय प्रसंस्करण उद्योग संबंधी चार रिपोर्ट वर्ष 2018–19 में जारी की गई थी। संदर्भ के तहत वर्ष के दौरान जारी किए गए ओडब्ल्यूएस के 7 वें दौर के तहत शेष छह रिपोर्ट निम्नानुसार हैं:

(1) खनन क्षेत्र उद्योग,
(2) दस विनिर्माण उद्योग,
(3) दस इंजीनियरिंग उद्योग,
(4) नौ इंजीनियरिंग उद्योग,
(5) नौ विनिर्माण उद्योग और
(6) चार सेवा क्षेत्र के उद्योग।

(ज) ठेका श्रमिक सर्वेक्षण

17.11 ठेका श्रमिक सर्वेक्षण का उद्देश्य ठेका श्रम (विनियमन तथा उत्सादन) अधिनियम, 1970 के तहत प्रावधानों की तुलना में उद्योगों के विभिन्न समूहों में नियोजित ठेका श्रमिकों की समस्याओं की सीमा तथा प्रकृति तथा कार्यकारी स्थितियों का अध्ययन करना है। सर्वेक्षण के तहत एकत्रित सूचना ठेका श्रमिकों का ठेकेदार वार नियोजन, इन श्रमिकों द्वारा निष्पादित कार्य, ठेका श्रमिक के रोजगार को वरीयता देने के कारण, कार्यकारी स्थितियां, मजदूरी तथा भत्ते, शुल्क तथा कटौतियां, कल्याण सुविधाए, सामाजिक सुरक्षा, औद्योगिक संबंध, ठेकेदार द्वारा रिकार्ड का रख–रखाव आदि से संबंधित होती है।

17.12 अब तक 39 उद्योगों में 47 सर्वेक्षण किए जा चुके हैं। भारतीय खाद्य निगम में ठेका श्रम सर्वेक्षण हेतु कार्य को पूरा कर लिया गया है और अनुसूचियों की संवीक्षा वर्तमान में प्रगति पर है।

(झ) उद्योगों/नियोजनों के असंगठित क्षेत्र में श्रमिकों की कार्यकारी तथा निर्वाह स्थितियां

17.13 इस सर्वेक्षण का उद्देश्य उद्योगों/नियोजनों के असंगठित क्षेत्र में कार्यरत कामगारों के कार्यकारी एवं निर्वाह स्थितियों पर आँकड़े एकत्रित करना है। अब तक 31 सर्वेक्षण आयोजित किए गए हैं तथा सभी रिपोर्टें प्रकाशित कर दी गई है। तैयार परिधान उद्योग सर्वेक्षण का प्रारूप रिपोर्ट अनुमोदनार्थ मंत्रालय को प्रस्तुत किया गया है।

(ञ) उद्योग में महिला कामगारों की सामाजिक–आर्थिक दशा:

17.14 इस योजना का उद्देश्य महिला कामगारों को उनके काम–काज और रहन–सहन की स्थिति और श्रम कानूनों की तुलना में उनके लिए उपलब्ध कल्याणकारी सुविधाओं का अध्ययन करने के उद्देश्य से आंकड़ों का संग्रहण करना है। अब तक रोजगार के विभिन्न क्षेत्रों में महिला श्रमिकों के 22 सर्वेक्षण किए गए हैं और सभी रिपोर्ट जारी की गई हैं।

(ट) न्यूनतम मजदूरी अधिनियम, 1948 के कार्यान्वयन के मूल्यांकन पर अध्ययन:

17.15 इस सर्वेक्षण का उद्देश्य देश के विभिन्न हिस्सों में विभिन्न सूचीबद्ध नियोजनों में लागू न्यूनतम मजदूरी अधिनियम, 1948 की सीमा का मूल्यांकन करना है। अब तक ऐसे 28 अध्ययन आयोजित किए गए है तथा सभी रिपोर्टें जारी कर दी गई हैं।

II. शहरी क्षेत्रों में अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति कामगारों की कार्यकारी एवं निर्वाह स्थितियां

17.16 श्रम ब्यूरो ने अब तक 9 अनुसूचित जाति कामगारों तथा 9 अनुसूचित जनजाति कामगारों के सर्वेक्षण आयोजित किए हैं। लुधियाना और एसबीएस नगर, पंजाब में "अनुसूचित जातियों के मजदूरों की मदें व्यवसायों में काम करने और

रहने की स्थिति" पर एक सर्वेक्षण किया गया है। डाटा सत्यापन और डाटा प्रसंस्करण का काम पूरा हो चुका है और रिपोर्ट लेखन कार्य प्रगति पर है।

(ठ) वार्षिक रोजगार तथा बेरोजगारी सर्वेक्षण

17.17 देश में रोजगार–बेरोजगारी परिदृश्य सुनिश्चित करने हेतु आँकड़ा अन्तराल भरने के मद्देनजर श्रम ब्यूरो को मंत्रालय द्वारा वार्षिक रोजगार–बेरोजगारी सर्वेक्षण आयोजित करने का कार्य सौंपा गया है। अब तक ऐसे 5 सर्वेक्षण श्रम ब्यूरो द्वारा आयोजित किए गए हैं तथा जिनकी रिपोर्टें प्रकाशित कर दी गई हैं। छठी वार्षिक रोजगार–बेरोजगारी सर्वेक्षण का प्रारूप रिपोर्ट अनुमोदनार्थ मंत्रालय को प्रस्तुत किया गया है।

17.18 दूसरे, तीसरे, चतुर्थ एवं पांचवे रोजगार–बेरोजगारी सर्वेक्षण के आधार पर यूजउल प्रिंसिपल स्टेटस अप्रोच (यूपीएस) के अनुसार 15 वर्ष तथा उससे ऊपर की आयु के व्यक्तियों के लिए श्रम बल सहभागिता दर (एलएफपीआर), श्रमिक जनसंख्या अनुपात (डब्ल्यूपीआर) तथा बेरोजगारी दर (यूआर) इस प्रकार है:–

दूसरे, तीसरे, चौथे और पाँचवें रोजगार और बेरोजगारी सर्वेक्षण के आधार पर यूजुउल प्रिंसिपल स्टेटस एप्रोच (यूपीएस) के अनुसार प्रमुख श्रम बल अनुमान

(प्रतिशत में)

मानदंड	द्वितीय ईयूएस (2011–12)				तृतीय ईयूएस (2012–13)				चतुर्थ ईयूएस (2013–14)				पाँचवा ईयूएस (2015–16)			
	एम	एफ	टी	पी	एम	एफ	टी	पी	एम	एफ	टी	पी	एम	एफ	टी	पी
एलएफपीआर	77.4	25.4	–	52.9	76.6	22.6	–	50.9	74.4	25.8	–	52.5	75.0	23.7	48.0	50.4
डब्ल्यूपीआर	75.1	23.6	–	50.8	73.5	20.9	–	48.5	71.4	23.8	–	49.9	72.1	21.7	45.9	47.8
यूआर	2.9	6.9	–	3.8	4.0	7.2	–	4.7	4.1	7.7	–	4.9	4.0	8.7	4.3	5.0

एम–पुरुष; एफ–महिला; टी–ट्रांसजेंडर और पी– व्यक्ति

(ड) श्रम सांख्यिकी में प्रशिक्षण

17.19 i) श्रम ब्यूरो, शिमला में 4 से 6 सितंबर, 2019 के दौरान मूल्य पर्यवेक्षकों और मूल्य संग्राही के लिए मूल्य संग्रहण और सूचकांक अनुपालन पर 28 वीं केंद्रीय प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किया गया था, इस कार्यक्रम में विभिन्न राज्यों के 55 अधिकारी/कर्मचारियों ने भाग लिया था।

(ii) श्रम सांख्यिकी की प्रगति पर 57 केन्द्रीय प्रशिक्षण पाठ्यक्रम 11 से 17 सितम्बर, 2019 के दौरान शिमला में आयोजित किया गया था। इस कार्यक्रम में विभिन्न राज्यों/संघ शासित प्रदेशों/केन्द्रीय विभागों से 27 अधिकारियों/कर्मचारियों ने भाग लिया।

(iii) आयुध निर्माणी, मेडाक के 49वें बैच के 24 कर्मचारियों के लिए 18 अप्रैल, 2019 को प्रशिक्षण कार्यक्रम का आयोजन किया गया था।

(iv) आयुध निर्माणी, मेडाक के 50 वें बैच के 22 कर्मचारियों के लिए दिनांक 03 मई, 2019 को प्रशिक्षण कार्यक्रम का आयोजन किया गया था।

(v) श्रम विभाग महाराष्ट्र के 2 कर्मचारियों के लिए दिनांक 11 और 12 जुलाई, 2019 को श्रम सांख्यिकी में प्रशिक्षण कार्यक्रम का आयोजन किया गया था।

(vi) आयुध निर्माणी, मेडाक के 51 वें बैच के 23 कर्मचारियों के लिए दिनांक 19 अगस्त, 2019 को प्रशिक्षण कार्यक्रम का आयोजन किया गया था।

(vii) आयुध निर्माणी, मेडाक के 52 वें बैच के 18 कर्मचारियों के लिए दिनांक 09 सितम्बर, 2019 को प्रशिक्षण कार्यक्रम का आयोजन किया गया था।

17.20 श्रम ब्यूरो का कानपुर क्षेत्रीय कार्यालय प्राथमिक इकाइयों अर्थात् कारखानों तथा संस्थानों के लाभ हेतु प्रशिक्षण कार्यक्रमों के आयोजन के लिए क्षेत्र में विभिन्न

राज्य सरकारों/संघशासित प्रदेशों को सहायता प्रदान करता है। इस वर्ष सितंबर, 2019 तक झारखण्ड, पंजाब और बिहार राज्यों में 6 प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किए गए थे जिसमें प्राथमिक इकाइयों से 244 अधिकारियों ने भाग लिया था।

(ढ) क्षेत्र फ्रेम स्थापना सर्वेक्षण

17.21 9 या उससे कम कामगारों वाले स्थापनाओं में भारतीय अर्थव्यवस्था के 8 महत्वपूर्ण क्षेत्रों को शामिल करने वाले गैर–कृषि औद्योगिक अर्थव्यवस्था के लिए बड़े हिस्से के लिए रोजगार सृजन का आकलन करने हेतु, श्रम और रोजगार मंत्रालय ने क्षेत्र फ्रेम स्थापना सर्वेक्षण (एएफईएस) को स्थापित करने का निर्णय लिया है।

17.22 सर्वेक्षण के लिए क्षेत्र कार्य फरवरी, 2019 के पहले सप्ताह में आरंभ किया गया था और लगभग 20 प्रतिशत क्षेत्र कार्य अखिल भारतीय स्तर पर पूरा हो चुका है। हालांकि, प्रशासनिक मुद्दों के कारण, कार्य अप्रैल, 2019 में रोक दिया गया था। कोलकाता में 22.08.2019 को आयोजित विशेषज्ञ समूह की बैठक के दौरान विशेषज्ञ समूह द्वारा लिए गए निर्णय के अनुसार, एक नूतन क्षेत्र फ्रेम स्थापना सर्वेक्षण (एएफईएस) आरंभ करने का प्रस्ताव है और उसी के लिए एक प्रस्ताव अक्टूबर, 2019 में अनुमोदनार्थ मंत्रालय को भेजा गया है।

(ण) प्रधानमंत्री मुद्रा योजना संबंधी सर्वेक्षण

17.23 मंत्रालय के निर्देश के अनुपालन में, श्रम ब्यूरो ने 10 अप्रैल, 2018 को प्रधान मंत्री मुद्रा योजना द्वारा बनाए गए नियोजन का अनुमान लगाने के लिए अखिल भारतीय स्तर पर सर्वेक्षण आरंभ किया। पीएमएमवाई सर्वेक्षण के तहत, लगभग 1.25 लाख लाभार्थियों को शामिल करने का निर्णय लिया गया। तदनुसार, सर्वेक्षण करने के लिए 3957 बैंक और 1612 एमएफआई (माइक्रो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस) शाखाओं का चयन किया गया। सर्वेक्षण का क्षेत्र कार्य 30.11.2018 को पूरा हो गया। रिपोर्ट को अंतिम रूप देने के लिए एक विशेषज्ञ समूह की बैठक आयोजित की गई और रिपोर्ट सितंबर, 2019 को अनुमोदनार्थ मंत्रालय को भेज दी गई।

17.24 सांख्यिकी अनुसंधान कार्य, अध्ययनों तथा सर्वेक्षणों के आधार पर ब्यूरो द्वारा कई प्रकाशन निकाले जाते हैं। 2019 के दौरान जारी/अंतिम रूप दिए गए प्रकाशनों की सूची को तालिका 17.3 में दी गई है।

तालिका 17.1(i)

औद्योगिक श्रमिकों (औ.श्र.) के लिए उपभोक्ता मूल्य सूचकांक (उ.मू.सू.) में विभिन्नताओं का तुलनात्मक विवरण

	वर्ष	उ.मू.सू. (औ.श्र.)	प्रतिशत विभिन्नता (वार्षिक)
आधार 2001=100	2006–07	25	6.83
	2007–08	133	6.40
	2008–09	145	9.02
	2009–2010	163	12.41
	2010–2011	180	10.43
	2011–2012	195	8.33
	2012–2013	215	10.26
	2013–2014	236	9.77
	2014–2015	251	6.36
	2015–2016	265	5.58
	2016–2017	276	4.15
	2017–2018	284	2.90
	2018–2019	300	5.63

नोट:

i) सूचकांक मूल्य संबंधित वित्त वर्ष की वार्षिक औसत है।

ii) वर्ष 2006–07 के लिए प्रतिशत विभिन्नता को सम्पर्क कारक अर्थात 4.63 का प्रयोग करके 2001=100 के अंकों को परिवर्तित करते हुए प्राप्त किया गया है। 2006–07 का परिवर्तित अंक 579 था।

iii) जनवरी, 2006 से प्रभावी वर्ष 2005–06 के लिए मूल्य को परिवर्तन कारक (4.63) का प्रयोग करके 2001=100 के अंकों से प्राप्त किया गया है।

तालिका 17.1(ii)

सीपीआई–आईडब्ल्यू (आधारः 2001=100)में मासिक विचलन														
	2013-14		2014-2015		2015-2016		2016-2017		2017-2018		2018-2019		2019-20	
माह	सूच कांक	प्रतिशत विचलन	सूच कांक	प्रतिशत विचलन	सूच कांक	प्रतिशत विचलन	सूच कांक	प्रतिशत विचलन	सूच कांक	प्रतिशत विचलन	सूच कांक	प्रतिशत विचलन	सूच कांक	प्रतिशत विचलन
अप्रैल	226	+0.89	242	+1.26	256	+0.79	271	+1.12	277	+0.73	288	+0.35	312	+0.97
मई	228	+0.88	244	+0.83	258	+0.78	275	+1.48	278	+0.36	289	+0.35	314	+0.64
जून	231	+1.32	246	+0.82	261	+1.16	277	+0.73	280	+0.72	291	+0.69	316	+0.64
जुलाई	235	+1.73	252	+2.44	263	+0.77	280	+1.08	285	+1.79	301	+3.44	319	+0.95
अगस्त	237	+0.85	253	+0.40	264	+0.38	278	−0.71	285	–	301	+0.00	320	+0.31
सितंबर	238	+0.42	253	0.00	266	+0.76	277	−0.36	285	–	301	+0.00	322	+0.63
अक्टूबर	241	+1.26	253	0.00	269	+1.12	278	+0.36	287	+0.70	302	+0.33		
नवंबर	243	+0.83	253	0.00	270	+0.37	277	−0.36	288	+0.35				
दिसंबर	239	−1.65	253	0.00	269	−0.37	275	−0.72	286	−0.69				
जनवरी	237	−0.84	254	+0.40	269	0.00	274	−0.36	288	+0.70				
फरवरी	238	+0.42	253	−0.40	267	−0.74	274	–	287	−0.35				
मार्च	239	+0.42	254	+0.40	268	+0.37	275	+0.36	287	–				

तालिका 17.2

कृषि श्रमिकों तथा ग्रामीण श्रमिकों के लिए उपभोक्ता मूल्य सूचकांक में आधार 1986–87=100 पर विभिन्नता का तुलनात्मक विवरण

वर्ष	उ.मू.सू.–कृ.श्र.	उ.मू.सू.–ग्रा.श्र.	वार्षिक प्रतिशत विभिन्नता	
			उ.मू.सू.–कृ.श्र.	उ.मू.सू.–ग्रा.श्र.
1995–1996	237	238		
1996–1997	256	256	8.02	7.56
1997–1998	264	266	3.13	3.91
1998–1999	293	294	10.98	10.53
1999–2000	306	307	4.44	4.42
2000–2001	305	307	–0.33	0.00
2001–2002	309	311	1.31	1.30
2002–2003	318	321	2.91	3.22
2003–2004	331	333	4.09	3.74
2004–2005	340	342	2.72	2.70
2005–2006	353	355	3.82	3.80
2006–2007	380	382	7.65	7.61
2007–2008	409	409	7.63	7.07
2008–2009	450	451	10.02	1027
2009–2010	513	513	14.00	13.75
2010–2011	564	564	9.94	9.94
2011–2012	611	611	8.33	8.33
2012–2013	672	673	9.98	10.15
2013–2014	750	751	11.61	11.59
2014–2015	800	802	6.67	6.79
2015–2016	835	839	4.37	4.61
2016–2017	870	875	4.19	4.29
2017–2018	889	895	2.18	2.29
2018–2019	907	915	2.02	2.23

नोटः– (i) वर्ष 1995–96 के लिए औसत, पांच माह अर्थात नवम्बर, 1995 से मार्च, 1996 पर आधारित है।

(ii) सूचकांक मूल्य संबंधित वित्त वर्ष की वार्षिक औसतें हैं।

(iii) कृषि श्रमिक/ग्रामीण श्रमिक के उपभोक्ता मूल्य सूचकांक के आधार 1986–87=100 पर श्रृंखला नवम्बर, 1995 के सूचकांक से प्रकाशित की गई। कृषि श्रमिक के उपभोक्ता मूल्य सूचकांक के मामले में पुरानी (1960–61) तथा नई (1986–87) श्रृंखला के बीच सम्पर्क कारक 5.89 है जबकि ग्रामीण श्रमिक के उपभोक्ता मूल्य सूचकांक की श्रृंखला पहली बार नवम्बर 1995 के सूचकांक से आरम्भ की गई।

स्रोतः श्रम ब्यूरो, शिमला

तालिका 17.3

वर्ष 2019 में प्रकाशित/अंतिम रूप दिए गए प्रकाशनों की सूची

क्र.सं.	प्रकाशन
1.	इण्डियन लेबर जरनल (मासिक)
2.	वर्ष 2017–18 के लिए खेतिहर और ग्रामीण श्रमिकों के लिए उपभोक्ता मूल्य सूचकांक आधार 1986–87=100 पर वार्षिक रिपोर्ट
3.	वर्ष 2016 के लिए औद्योगिक प्रतिष्ठान अधिनियम (स्थाई आदेश), 1946 पर समीक्षा
4.	वर्ष 2016 के लिए प्रसूति प्रसुविधा अधिनियम, 1961 के कार्यों पर समीक्षा
5.	वर्ष 2016 के लिए दुकान और वाणिज्यिक प्रतिष्ठान अधिनियम
6.	2015 के लिए मजदूरी संदाय अधिनियम, 1936 पर रिपोर्ट
7.	2015 के लिए न्यूनतम मजदूरी अधिनियम, 1948 पर रिपोर्ट
8.	"2015 कारखानों की सांख्यिकी" पर रिपोर्ट
9.	वर्ष 2016 के लिए "भारतीय मजदूर संघों" पर रिपोर्ट
10.	व्यावसायिक मजदूरी सर्वेक्षण (ओडब्ल्यूएस) के सातवें दौर के तहत खनन क्षेत्र उद्योगों पर रिपोर्ट
11.	व्यावसायिक मजदूरी सर्वेक्षण (ओडब्ल्यूएस) के सातवें दौर के तहत 10 विनिर्माण उद्योग पर रिपोर्ट
12.	व्यावसायिक मजदूरी सर्वेक्षण (ओडब्ल्यूएस) के सातवें दौर के तहत 10 इंजीनियरिंग उद्योग पर रिपोर्ट
13.	व्यावसायिक मजदूरी सर्वेक्षण (ओडब्ल्यूएस) के सातवें दौर के तहत 9 इंजीनियरिंग उद्योग पर रिपोर्ट
14.	व्यावसायिक मजदूरी सर्वेक्षण (ओडब्ल्यूएस) के सातवें दौर के तहत 9 विनिर्माण उद्योग पर रिपोर्ट
15.	व्यावसायिक मजदूरी सर्वेक्षण (ओडब्ल्यूएस) के सातवें दौर के अंतर्गत 4 सेवा क्षेत्र उद्योग पर रिपोर्ट
16.	वर्ष 2017–18 के लिए ग्रामीण भारत में मजदूरी दरों पर रिपोर्ट
17.	श्रम सांख्यिकी लघु पुस्तिका 2017
18.	भारतीय श्रम सांख्यिकी 2017
19.	भारतीय श्रम वार्षिक पुस्तिका 2017
20.	महिला श्रम पर सांख्यिकी प्रोफाइल 2014–15

अध्याय 18

श्रम अनुसंधान एवं प्रशिक्षण

18.1 जुलाई 1974 में स्थापित, श्रम एवं रोजगार मंत्रालय, भारत सरकार का एक स्वायत्ता निकाय वी.वी. गिरि राष्ट्रीय श्रम संस्थान (वीवीजीएनएलआई), श्रम अनुसंधान और शिक्षा के एक शीर्ष संस्थान के रूप में विकसित हुआ है। संस्थान ने आरंभ से ही अनुसंधान, प्रशिक्षण शिक्षा और प्रकान के माध्यम से संगठित और असंगठित दोनों क्षेत्रों में श्रम के विभिन्न पहलुओं से जुड़े विविध समूहों तक पहुँच बनाने का प्रयास किया है। ऐसे प्रयासों के केन्द्र में भौक्षिक अंतर्दृष्टि और समझ को नीति निर्माण और कार्रवाई में भी शामिल करना रहा है ताकि समतावादी और लोकतांत्रिक समाज में श्रम को न्यायोचित स्थान मिल सके।

विजन

18.2 संस्थान को वैश्विक रूप से प्रतिष्ठा प्राप्त ऐसे संस्थान के रूप में विकसित करना जो उत्कृष्टता का केन्द्र हो तथा कार्य की गुणवत्ता और कार्य संबंधों को बढ़ावा देने के प्रति कृत संकल्प हो।

मिशन

निम्नलिखित के माध्यम से श्रम तथा श्रम संबंधों को विकास की कार्यसूची में विशेष केन्द्र के रूप में स्थापित करना है:–

- कार्य की दुनिया में रूपांतरण के मुद्दे पर कार्रवाई करना
- श्रम तथा रोजगार से संबंधित मुख्य सामाजिक भागीदारों तथा पणधारियों के बीच कौशल तथा अभिवृत्ति और ज्ञान का प्रचार–प्रसार करना
- वैश्विक स्तर के अनुसंधानिक अध्ययनों और प्रशिक्षण हस्तक्षेपों को हाथ में लेना, और
- ऐसे विश्व प्रसिद्घ संस्थानों के साथ समझ निर्माण और साझेदारी बनाना जो श्रम से संबंधित हैं।

उदेश्य और अधिदेश

18.3 संगम ज्ञापन में स्पष्ट रूप से उन विविध कार्यकलापों का उल्लेख किया गया है जो संस्थान के उद्देश्यों की पूर्ति के लिए आवश्यक हैं। संस्थान के अधिदेश में निम्नलिखित कार्यकलाप शामिल हैं:–

(i) स्वयं अथवा राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय, दोनों तरह के अभिकरणोंके सहयोग से अनुसंधान करना, उसमें सहायता करना, उसे बढ़ावा देना और उसका समन्वयन करना;

(ii) शिक्षा और प्रशिक्षण कार्यक्रमों, संगोष्ठियों और कार्यशालाओं का आयोजन करना और उनके आयोजन में सहायता करना;

(iii) निम्नलिखित के लिए स्कंध स्थापित करना

  क. शिक्षा, प्रशिक्षण और अभिमुखीकरण

  ख. अनुसंधान, जिसमें क्रियानिष्ठ अनुसंधान भी शामिल है

  ग. परामर्श और

  घ. प्रकाशन और अन्य ऐसे कार्यकलाप, जो संस्थान के उद्देयों की प्राप्ति के लिए आवश्यक हों

(iv) श्रम तथा संबद्घ कार्यक्रमों की योजना बनाने और उनके कार्यान्वयन में आने वाली विशिष्ट समस्याओं का विश्लेषण करना और उपचारी उपाय सुझाना

(v) लेख, पत्र–पत्रिकाएं और पुस्तकें तैयार करना, उनका मुद्रण और प्रकाशन करना

(vi) पुस्तकालय एवं सूचना सेवाएं स्थापित एवं अनुरक्षित करना

(vii) समान उद्देश्य वाली भारतीय और विदेशी संस्थाओं और अभिकरणों के साथ सहयोग करना, और

(viii) फेलोशिप, पुरस्कार और वृत्तिकाएं प्रदान करना।

संस्थान की संरचना

18.4 संस्थान का शीर्ष शासी निकाय महापरिषद है, इसके अध्यक्ष केन्द्रीय श्रम एवं रोजगार मंत्री हैं तथा यह संस्थान के कार्यकलापों के लिए विस्तृत नीति संबंधी मानक निर्धारित करती है। कार्यपरिषद, जिसके अध्यक्ष सचिव (श्रम एवं रोजगार मंत्रालय) होते हैं, संस्थान के कार्यकलापों को नियंत्रित, मॉनीटर एवं निर्देशित करती है। महापरिषद एवं कार्यपरिषद, दोनों त्रिपक्षीय निकाय हैं और इनके सदस्यों में केन्द्र सरकार, ट्रेड यूनियन महासंघों, नियोक्ता संघों के प्रतिनिधियों के साथ ही श्रम के क्षेत्र में काम करने वाले प्रख्यात विद्वान एवं व्यावसायिक शामिल होते हैं। संस्थान के महानिदेशक मुख्य कार्यकारी अधिकारी हैं और इसके कार्यों के प्रबंधन एवं प्रशासन के लिए जिम्मेदार हैं। संस्थान के दिन प्रतिदिन के कामकाज में विविध विषयों में पारंगत संकाय सदस्य और प्रशासनिक स्टाफ महानिदेशक की सहायता करते हैं।

प्रमुख कार्यकलाप

अनुसंधान

18.5 श्रम एवं संबद्घ मुद्दों पर अनुसंधान का संस्थान के अधिदेशों में प्रमुख स्थान है। संस्थान श्रम अनुसंधान से संबंधित मुद्दों जैसे कि रोजगार के नए रूप, कार्य का भविष्य, संरचनात्मक परिवर्तन और इसक निहितार्थ, कौशल विकास, श्रम कानून, औद्योगिक संबंध, अनौपचारिक अर्थव्यवस्था, सामाजिक सुरक्षा, बाल श्रम, श्रमिक प्रवास, सभ्य कार्य और कृषि संबंध की एक विस्तृत श्रृंखला को कवर करते हुए नीति अनुसंधान एवं क्रियानिष्ठ अनुसंधान कर रहा है। संस्थान श्रम एवं रोजगार मंत्रालय और सरकार के अन्य नीति निर्धारण निकायों को अनुसंधान एवं तकनीकी सहायता भी प्रदान करता है। संस्थान के अनुसंधान कार्यकलापों को विशेषीकृत अनुसंधान केंद्रों के तत्वावधान में किया जाता है। प्रत्येक अनुसंधान केंद्र में प्रासंगिक सलाह एवं दिशा प्रदान करने के लिए प्रख्यात विद्वानों एवं व्यावसायिकों युक्त एक अनुसंधान सलाहकार समूह है।

18.6 संस्थान के विभिन्न अनुसंधान केंद्रों द्वारा अप्रैल – अक्टूबर 2019 के दौरान पूरी की गई एवं जारी कुछ अनुसंधान परियोजनाओं की सूची निम्न प्रकार है:

1. राष्ट्रीय बाल श्रम संसाधन केंद्र

पूरी की गई परियोजनाएं

- बाल श्रम कानून में संशोधन और नियमों की अधिसूचना के आधार पर प्रशिक्षण पैकेज विकसित करना
- बाल श्रम कानून में संशोधन और अंतर्राष्ट्रीय अभिसमयों के अनुसमर्थन के आधार पर बाल श्रम की रोकथाम एवं पुनर्वास पर राज्य एवं जिला–स्तरीय हितधारकों की क्षमताओं का निर्माण करना (फेज 1)
- बाल श्रम कानून में संशोधन और अंतर्राष्ट्रीय अभिसमयों के अनुसमर्थन के आधार पर बाल श्रम की रोकथाम एवं पुनर्वास पर राज्य एवं जिला–स्तरीय हितधारकों की क्षमताओं का निर्माण करना (फेज 2)
- बाल और कि किशोर श्रम (प्रतिषेध और विनियमन) अधिनियम के तहत मानक संचालन प्रिक्रयाओं (एसओपी) और अंतर्राष्ट्रीय बाल श्रम अभिसमयों के आधार पर बाल श्रम के विभिन्न रूपों की रोकथाम एवं उन्मूलन तथा उनके पुनर्वास पर राज्य एवं जिला–स्तरीय बहु–हितधारकों का क्षमता निर्माण

जारी परियोजनाएं

- भारत में आपूर्ति श्रृंखलाओं में बाल श्रम का समाधान करने की पहलः क्षेत्रक फोकस का मानचित्रण
- भारत में बाल श्रम मुद्दे की वास्तविकता और सरकार की नीतिगत अनुक्रिया पहलः एक विश्लेषण
- बाल श्रम कानून में संशोधनों और अंतर्राष्ट्रीय अभिसमयों के अनुसमर्थन के आधार पर बाल श्रम की रोकथाम एवं पुनर्वास पर राज्य एवं जिला–स्तरीय हितधारकों की क्षमताओं का निर्माण करना (फेज 3)

2. श्रम बाजार अध्ययन केंद्र

पूरी की गई परियोजना

- भारत में युवा एवं श्रम बाजार परिदृश्यः मुद्दे एवं परिप्रेक्ष्य (यह अनुसंधान परियोजना श्रम अनुसंधान संस्थानों के ब्रिक्स नेटवर्क के तत्वावधान में संचालित की गई)

जारी परियोजनाएं

- युवा रोजगार एवं उद्यमिता को बढ़ावा देनाः 'स्टार्टअप' पर विशेष फोकस के साथ अध्ययन

3. कृषि संबंध और ग्रामीण श्रम केंद्र

जारी परियोजनाएं

- कृषि संकट को समझनाः उत्पादन, रोजगार एवं उभरती चुनौतियों का एक अध्ययन
- व्यवहार कौशल एवं अन्य प्रशिक्षण निविष्टियों पर प्रशिक्षण सामग्री मॉड्यूल विकसित करना

4. रोजगार संबंध और विनियमन केन्द्र

- भारत में औद्योगिक संबंधों पर चुनिंदा प्रथाओं का दस्तावेजीकरण

5. एकीकृत श्रम इतिहास अनुसंधान कार्यक्रम

पूरी की गई परियोजना

- भारत–आईएलओः 100 वर्ष

जारी परियोजनाएं

- श्रम कानून निर्णयों का संग्रहण
- बैंकिंग सैक्टर, पोस्ट एवं टेलीग्राफ और रेलवे में सामूहिक समझौतों का संग्रहण
- मौजूदा संग्रहणों का डिजिटलीकरण। वर्ष 2019–20 के दौरान निम्न संग्रहणों का डिजिटलीकरण किया जाएगाः

➢ अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कॉंग्रेस (एआईटीयूसी) संग्रहणः 170 फाईलें 4000 पेज

➢ श्रमिक आंदोलन का मौखिक इतिहासः 400 घंटे के ऑडियो टेप

➢ कामगार दक्षिण ट्रस्ट संग्रहण (12000 पेज फेज प्प)

➢ अहमदाबाद में कपड़ा श्रमिक (1093 पेज)

➢ निर्माण श्रमिकों के कानून के लिए राष्ट्रीय अभियान (2763 पेज)

6. श्रम और स्वास्थ्य अध्ययन केंद्र

पूरी की गई परियोजना

- समान पारिश्रमिक अधिनियम, 1976ः अधिनियम के कार्यान्वयन में सकारात्मक पहल एवं चुनौतियों की पहचान करना

जारी परियोजनाएं

- आईएलओ शोधपत्र 'दक्षिण एशिया में महिला कामगारों के खिलाफ यौन उत्पीड़न और हिंसा पर कानूनों, नीतियों एवं प्रथाओं का अवलोकन'

7. लिंग और श्रम अध्ययन केंद्र

श्रम कल्याण अस्पतालों एवं औषधालयों का मूल्यांकन

8. पूर्वोत्तर अनुसंधान एवं प्रशिक्षण केंद्र

- दिल्ली में पूर्वोत्तर भारत के प्रवासीः एक सामाजिक–आर्थिक अध्ययन
- मणिपुर में हथकरघा बुनकरों की सामाजिक सुरक्षा
- असम में चाय बागान कामगारों की आजीविका सुरक्षा एवं सामाजिक संरक्षण

प्रशिक्षण और शिक्षा (2019–20)

18.7 वी.वी. गिरि राष्ट्रीय श्रम संस्थान, श्रम समस्याओं की जानकारी को बढ़ावा देने तथा उन पर काबू पाने के उपायों और साधानों का पता लगाने के प्रति संकल्पबद्घ है। इस संकल्प की प्राप्ति के लिए यह संस्थान अपनी विभिन्न गतिविधियों के द्वारा संगठित तरीके से श्रमिकों की समस्याओं के बारे में शिक्षा प्रदान करता है। जबकि अनुसंधान गतिविधियों के द्वारा अन्य विषयों के साथ–साथ विभिन्न वर्गों की बुनियादी आवश्यकताओं का पता लगाया जाता है,

अनुसंधान से प्राप्त आंकड़ों का प्रयोग नए प्रशिक्षण कार्यक्रम परिकल्पित करने तथा मौजूदा प्रशिक्षण कार्यक्रमों में सुधार करने के लिए किया जाता है। प्रशिक्षण मॉड्यूलों को पुनः अभिकल्पित करने के साथ–साथ प्रशिक्षण पाठ्यक्रमों को अद्यतन बनाने के लिए इन कार्यक्रमों में भाग लेने वाले व्यक्तियों से प्राप्त होने वाले फीडबैक का प्रयोग किया जाता है।

18.8 संस्थान के शिक्षा तथा प्रशिक्षण कार्यक्रमों के श्रम संबंधों में संरचनात्मक परिवर्तन को भावी साधन माना जा सकता है। ये कार्यक्रम सद्भावपूर्ण औद्योगिक संबंधों को बढ़ावा देने के लिए अधिक सकारात्मक वातावरण के निर्माण में मदद कर सकते हैं। ग्रामीण क्षेत्रों में ये कार्यक्रम बुनियादी स्तर पर ऐसे नेतृत्व का विकास करने का प्रयास करते हैं जो ग्रामीण श्रमिकों के हितों का ध्यान रखने वाले स्वतंत्र संगठनों का निर्माण कर सकें। प्रशिक्षण कार्यक्रमों में मनोवृत्ति के परिवर्तन, कुशलता के विकास तथा ज्ञान की दृष्टि पर समान रूप से बल दिया जाता है।

18.9 प्रशिक्षण कार्यक्रमों में दृश्य प्रस्तुतीकरण, व्याख्यानों, समूह चर्चाओं, वैयक्तिक अध्ययनों तथा व्यवहार विज्ञान तकनीकों के उचित मिश्रण का प्रयोग किया जाता है। संस्थान की फैकल्टी के अतिरिक्त प्रशिक्षण कार्यक्रमों को प्रभावी बनाने के लिए गेस्ट फैकल्टी को भी आमंत्रित किया जाता है।

18.10 संस्थान निम्नलिखित समूहों को शिक्षा तथा प्रशिक्षण प्रदान करता हैं:

- केंद्र, राज्य सरकारों के श्रम प्रशासक तथा अधिकारी,
- सरकारी, सार्वजनिक तथा निजी क्षेत्र के उद्योगों के प्रबंधक एवं अधिकारी,
- असंगठित/संगठित क्षेत्रों के ट्रेड यूनियन नेता तथा आयोजक, और
- अनुसंधानकर्ता, प्रशिक्षक, क्षेत्र कार्यकर्ता तथा श्रम मुद्दों से संबद्घ अन्य व्यक्ति।

18.11 इस वर्ष के दौरान अप्रैल 2019 से अक्टूबर 2019 तक संस्थान ने 05 अंतर्राष्ट्रीय कार्यक्रमों सहित 84 प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किए और इन कार्यक्रमों में विभिन्न देशों के अंतर्राष्ट्रीय प्रतिभागियों सहित 2669 प्रतिभागियों ने भाग लिया। विवरण निम्न प्रकार हैं:

अप्रैल 2019 से अक्टूबर 2019 के दौरान आयोजित किए गए प्रशिक्षण कार्यक्रम

क्र. सं.	कार्यक्रम का नाम	कार्यक्रमों की संख्या	कार्यक्रम के दिनों की संख्या	प्रतिभागियों की संख्या
1.	श्रम प्रकाशन कार्यक्रम	04	19	92
2.	औद्योगिक संबंध कार्यक्रम	15	66	237
3.	क्षमता निर्माण कार्यक्रम	21	103	639
4.	अनुसंधान विधि कार्यक्रम	03	29	68
5.	अंतर्राष्ट्रीय कार्यक्रम	05	65	121
6.	बाल श्रम कार्यक्रम	08	22	319
7.	आंतरिक कार्यक्रम	14	155	637
8.	पूर्वोत्तर कार्यक्रम	08	40	329
9.	सहयोगात्मक कार्यक्रम	06	30	227
		84	529	2669

अंतर्राष्ट्रीय प्रशिक्षण कार्यक्रम

18.12 यह संस्थान विदेश मंत्रालय, भारत सरकार के द्वारा प्रौद्योगिकी एवं आर्थिक सहयोग (आई.टी.ई.सी.) के अन्तर्गत विभिन्न अन्तर्राष्ट्रीय प्रशिक्षण कार्यक्रम संचालित करने हेतु सूचीबद्घ है। अप्रैल 2019 से अक्टूबर 2019 तक के दौरान संस्थान ने ''अंतर्राष्ट्रीय श्रम मानक और कार्यस्थल पर लैंगिक समानता को बढ़ावा देना'' ''कौशल विकास और रोजगार सृजन'' तथा ''नेतृत्व कौशल विकसित करना'' जैसे विषयों पर 03 अन्तर्राष्ट्रीय प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किए गए। इन कार्यक्रमों मे 43 देशों के 84 विदेशी अधिकारियों ने इनमें भाग लिया।

18.13 संस्थान ने अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन के अंतर्राष्ट्रीय प्रशिक्षण केंद्र, ट्यूरिन (आईटीसी–आईएलओ), ट्यूरिन के साथ संयुक्त रूप से अफगानिस्तान सरकार और भारत के अधिकारियों के लिए ''नाजुक परिस्थितियों में युवा रोजगार को बढ़ावा देना'' तथा ''तकनीकी और व्यावसायिक शिक्षा एवं प्रशिक्षण (टीवीईटी) की क्षमता को सुदृढ़ करना'' विषयों पर दो अंतर्राष्ट्रीय कार्यक्रम भी आयोजित किए। इनमें 37 प्रतिभागियों ने भाग लिया।

पूर्वोत्तर क्षेत्र के लिए कार्यक्रम

18.14 संस्थान ने अप्रैल–अक्टूबर 2019 की अवधि के दौरान पूर्वोत्तर क्षेत्र के लिए 11 प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किए। इन कार्यक्रमों को राज्य सरकारों के अधिकारियों, केंद्रीय ट्रेड यूनियन नेताओं एवं एनजीओ के लिए तैयार किया गया था। इन कार्यक्रमों में 329 प्रतिभागियों ने भाग लिया।

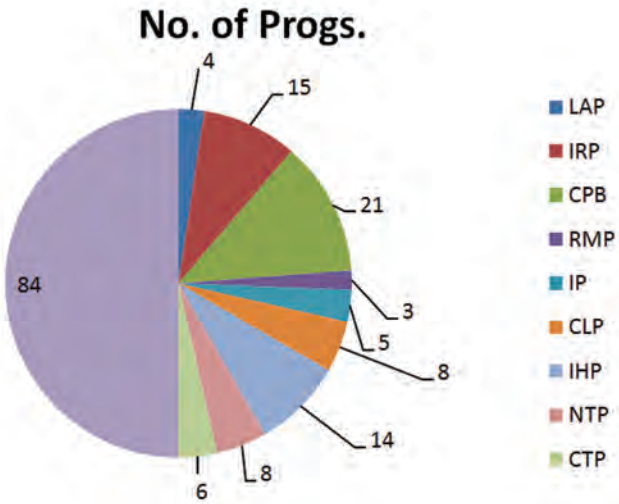

(एलएपी – श्रम प्रशासन कार्यक्रम)
(आईआरपी – औद्योगिक संबंध कार्यक्रम)
(सीबीपी – क्षमता निर्माण कार्यक्रम)
(सीएलपी – बाल श्रम कार्यक्रम)
(आरएमपी – अनुसंधान विधि कार्यक्रम)
(आईटीपी – अंतर्राष्ट्रीय प्रशिक्षण कार्यक्रम)
(एनटीपी – पूर्वोत्तर प्रशिक्षण कार्यक्रम)
(सीटीपी – सहयोगात्मक प्रशिक्षण कार्यक्रम)
(आईएचटीपी – आंतरिक प्रशिक्षण कार्यक्रम)

प्रकाशन

18.15 विभिन्न श्रम संबंधी सूचनाओं का सामान्य तौर पर और संस्थान की अनुसंधान संबंधी उपलब्धियों का खासतौर पर प्रचार–प्रसार करने के लिए वीवीजीएनएलआई का एक गतिशील प्रकाशन कार्यक्रम है। इस कार्य को पूरा करने की दृष्टि से संस्थान जर्नल, अनियमित प्रकाशन, पुस्तकें और रिपोर्टें प्रकाशित करता है।

लेबर एण्ड डेवलपमेंट

18.16 लेबर एण्ड डेवलपमेंट संस्थान की एक छमाही अकादमिक पत्रिका है। यह पत्रिका सैद्घांतिक विश्लेषण और अनुभवजन्य परीक्षणों के माध्यम से श्रम के विभिन्न पहलुओं की समझ को बढ़ाने के प्रति समर्पित है। इसमें श्रम एवं संबद्घ मुद्दों के क्षेत्र में आर्थिक, सामाजिक, ऐतिहासिक के साथ–साथ कानूनी पहलुओं पर उच्च अकादमिक स्तर के लेख प्रकाशित किए जाते हैं। इसमें खासकर विकासशील देशों के संदर्भ में अनुसंधान टिप्पणियों एवं पुस्तक समीक्षा को भी प्रकाशित किया जाता है। यह जर्नल श्रम संबंधी अध्ययन में

विशेषज्ञता प्राप्त करने वाले प्रेक्टिशनरों और विद्वानों के लिए एक बहुमूल्य संदर्भ पत्रिका है।

अवार्डस डाइजेस्टः श्रम कानूनों की पत्रिका

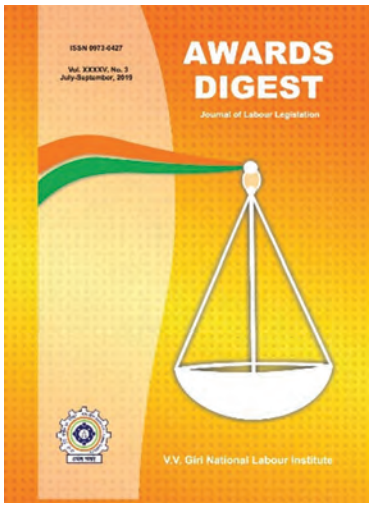

18.17 अवार्डस डाइजेस्ट एक तिमाही पत्रिका है, जिसमें श्रम और औद्योगिक संबंधों के क्षेत्र में अद्यतन निर्णीत कानूनी मामलों का सार दिया जाता है। इसमें उच्चतम न्यायालय, उच्च न्यायालयों, प्रशासनिक न्यायाधिकरणों और केंद्रीय सरकार के औद्योगिक न्यायाधिकरणों द्वारा दिए गए निर्णय दिए जाते हैं। इसमें लेख, श्रम कानूनों के संशोधन और अन्य संबंधित सूचना शामिल होती है। यह पत्रिका कार्मिक प्रबंधकों, ट्रेड यूनियन नेताओं और वर्करों, श्रम कानूनों के सलाहकारों, शिक्षण संस्थानों, सुलह अधिकारियों, औद्योगिक विवादों के माध्यस्थों, प्रैक्टिस करने वाले वकीलों और श्रम कानूनों के छात्रों के लि, एक बहुमूल्य संदर्भ पत्रिका है।

श्रम विधान

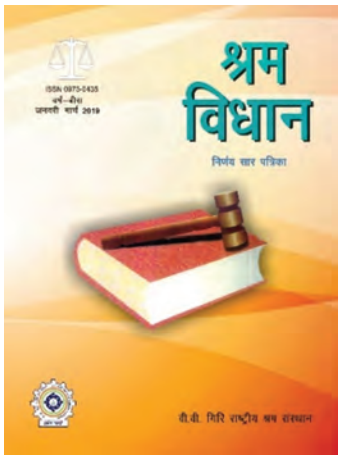

18.18 श्रम विधान एक तिमाही हिन्दी पत्रिका है, जिसमें श्रम और औद्योगिक संबंधों के क्षेत्र में अद्यतन निर्णीत कानूनी मामलों का सार दिया जाता है। इस पत्रिका में, उच्चतम न्यायालय, उच्च न्यायालयों, प्रशासनिक न्यायाधिकरणों तथा केंद्रीय सरकार के औद्योगिक न्यायाधिकरणों द्वारा दिए गए निर्णय रिपोर्ट किए जाते हैं। यह पत्रिका कार्मिक प्रबंधकों, ट्रेड यूनियन नेताओं वर्करों, श्रम कानूनों के सलाहकारों, शिक्षण संस्थानों, सुलह अधिकारियों, औद्योगिक विवादों के मध्यस्थों, प्रैक्टिस करने वाले वकीलों और श्रम कानूनों के छात्रों के लिए एक बहुमूल्य संदर्भ पत्रिका है।

इंद्रधनुष

18.19 संस्थान द्वारा प्रकाशित किया जाने वाला यह एक द्विमासिक न्यूजलेटर है जिसमें संस्थान की अनुसंधान, प्रशिक्षण एवं शिक्षा, कार्यशाला, सेमिनार आदि विविध गतिविधियों की जानकारी दी जाती है। इस न्यूजलेटर में संस्थान द्वारा आयोजित विभिन्न घटनाओं की जानकारी भी दी जाती है। इसमें संस्थान के दौरों पर आने वाले विशिष्ट व्यक्तियों के प्रोफाईल के साथ ही फैकल्टी और अधिकारियों की व्यावसायिक गतिविधियों पर भी प्रकाश डाला जाता है।

चाइल्ड होप

18.20 चाइल्ड होप संस्थान का तिमाही न्यूजलेटर है। यह समाज के विभिन्न वर्गों तक पहुंच बनाकर, इस दिशा में अपने प्रयासों को गति प्रदान करते हुए बालश्रम को समाप्त करने के लिए एक मुख्य मार्ग तैयार करने के लिए प्रकाशित किया जा रहा है।

श्रम संगम

18.21 श्रम संगम संस्थान के कर्मचारियों को हिंदी के

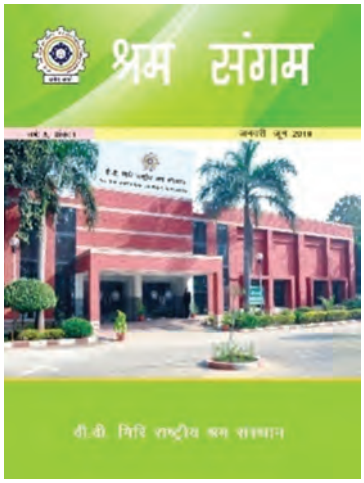

प्रगामी प्रयोग की ओर उन्मुख करने तथा हिंदी के प्रसार में उनकी रचनात्मकता का उपयोग करने के लिए प्रकाशित की जाने वाली छमाही राजभाषा पत्रिका है। कर्मचारियों द्वारा स्वरचित कविताओं, निबंधों एवं कहानियों के अलावा इसमें कला एवं संस्कृति, ज्ञान–विज्ञान, समसामयिक घटनाओं, खेलों और महान व्यक्तियों/लेखकों की जीवनी को शामिल किया जाता है।

एन.एल.आई– अनुसंधान अध्ययन श्रृंखला

18.22 संस्थान अपने अनुसंधानिक निष्कर्षों को प्रसारित करने के लिए एनएलआई अनुसंधान अध्ययन श्रृंखला शर्षक वाली एक श्रृंखाला का प्रकाशन भी कर रहा है। अभी तक संस्थान ने इस श्रृंखला में 140 एन.एल.आई अनुसंधान अध्ययन निष्कर्षों को प्रकाशित किया है। अप्रैल–अक्टूबर 2019 की अवधि के दौरान एनएलआई अनुसंधान अध्ययन श्रृंखला के तौर पर निम्नलिखित अनुसंधान अध्ययनों को प्रकाशित किया गया:

- 139/2019 – रूरल इंडस्ट्रलाईजेशन एंड ऑपशन्स फॉर सेल्फ एंप्लॉयमेंट इन रूरल एरियाज – डॉ. पूनम एस. चौहान एवं डॉ. शशि बाला
- 140/2019–यूथ एंड लेबर मार्किट लैंडस्केप इन इंडिया: इ यूज एंड पर्सपेक्टिव्ज–डॉ–एस. के. शशि कुमार

वीवीजीएनएलआई पॉलिसी पर्सपेक्टिव्ज

18.23 वीवीजीएन एलआई पॉलिसी पर्सपेक्टिव्ज सरकार के प्रमुखनीतिगत हस्तक्षेपों तथा श्रम एवं रोजगार पर इनके प्रभावों पर फोकस करता है। साथ ही, यह तदुपरांत उन कार्यनीतियों/नीतिगत पहलों पर भी फोकस करता है जिन्हें भविष्य में श्रम एवं रोजगार के क्षेत्र में अंगीकृत किया जा सकता है।

अप्रैल–अक्टूबर 2019 की अवधि के दौरान कुल मिलाकर 16 प्रकाशन प्रकाशित किए गए।

स्वच्छ भारत

18.24 वीवीजीएनएलआई में एक व्यापक स्वच्छ और हरित कार्यक्रम "150 साल–155 पौधे" के नारे के तहत शुरू किया गया, संस्थान में एक विशाल वृक्षारोपण का आयोजन किया गया।

पक्ष समर्थन और प्रसार

18.24 श्रम और रोजगार मंत्रालय द्वारा वंचित लोगों और पिछड़े क्षेत्रों को लाभान्वित करने के लिए शुरू किए गए कल्याणकारी कार्यक्रमों की आउटरीच को बढ़ाने तथा वी.

वी. गिरि राष्ट्रीय श्रम संस्थान द्वारा आयोजित किए जाने वाले विभिन्न प्रशिक्षण कार्यक्रमों और अनुसंधान कार्यकलापों के बारे में विवरणों के अलावा श्रम और संबद्घ मुद्दों पर ज्ञान का प्रसार करने के लिए विभिन्न कार्यक्रमों और योजनाओं के बारे में प्रासंगिक जानकारी के पक्ष समर्थन और प्रसार को प्रमुख कार्यनीति समझा जाता है। इस तरह के कार्यकलाप हितधारकों एवं सामाजिक भागीदारों के बड़े समूह तक पहुंचने का मंच प्रदान करते हैं। अप्रैल–अक्टूबर 2019 की अवधि के दौरान संस्थान ने नवीनतम अभिनव सरकारी योजनाओं और लोगों के कल्याण को बढ़ाने हेतु श्रम एवं रोजगार मंत्रालय और वीवीजीएनएलआई द्वारा शुरू किए गए हस्तक्षेपों और कार्यकलापों पर जानकारी का प्रसार करने के लिए हाँसी में आयोजित एक मेगा इवेंट 'राइज इन हरियाणा' में भाग लिया। संस्थान ने इस इवेंट में अपने सभी प्रकाशन प्रदर्शित किए।

एन. आर. डे श्रम सूचना संसाधन केंद्र (एनआरडीआरसीएलआई)

18.25 एन.आर. डे श्रम सूचना संसाधन केंद्र (एनआरडीआरसीएलआई) देश में श्रम अध्ययन के क्षेत्र में एक अत्यन्त विख्यात पुस्तकालय–सह–प्रलेखन केंद्र है। केंद्र का नाम संस्थान के संस्थापक डीन स्वर्गीय (श्री) नीतिश आर. डे की स्मृति में 01 जुलाई 1999 को संस्थान के रजत जयंती समारोह के अवसर पर बदलकर एन.आर. डे श्रम सूचना संसाधन केंद्र रखा गया था। केंद्र पूरी तरह कंप्यूटरीकृत है और अपने उपयोगकर्ताओं को निम्नलिखित सेवाएं और सुविधाएं प्रदान करता है:

18.26 भौतिक सम्पदा

1. पुस्तकें/पत्र–पत्रिकाएं/सेवाएं: अप्रैल – अक्टूबर 2019 की अवधि के दौरान पुस्तकालय में 249 किताबें/रिपोर्टस/सजिल्द पत्र–पत्रिकाएं खरीदी गयीं जिसके कारण पुस्तकालय में इन पुस्तकों/रिपोर्टों/सजिल्द पत्र–पत्रिकाओं की संख्या 65519 तक पहुंच गई है। पुस्तकालय ने इस अवधि के दौरान 53 व्यावसायिक पत्र–पत्रिकाओं, मैंगजीनों और अखबारों का मुद्रित और इलैक्ट्रॉनिक दोनों रूपों में, नियमित रूप से अंशदान किया। यह ज्ञान केंद्र उपयोगकर्ताओं को निम्नलिखित सेवाएं प्रदान करता है: सूचना का चयनित प्रसार (एसडीआई), सामयिक (करंट) जागरूकता सेवा, संदर्भ सेवा, ऑनलाइन खोज, पत्रिकाओं के लेखों की अनुक्रमिणका, समाचार पत्रों के लेखों की कतरनें, माइक्रों–फिच खोज और मुद्रण, रिप्रोग्राफिक सेवा, सीडी–रोम खोज, श्रव्य–दृश्य सेवा, सामयिक (करंट) विषय–वस्तु सेवा, आर्टिकल अलर्ट सेवा, उधारी सेवा, तथा अंतर्पुस्तकालय ऋण सेवा।

2. उत्पाद

पुस्तकालय उपयोगकर्ताओं के लिए निम्नलिखित उत्पाद मुद्रित रूप में उपलब्ध करता है:

- आवधिक साहित्य की मार्गदर्शिका: तिमाही अंत:संस्थान प्रकाशन, जो 175 से भी अधिक चुनिंदा पत्रिकाओं/मैगनीजों में छपे लेखों की संदर्भ सूचना प्रदान करता है।
- करेंट जागरूकता बुलेटिन: तिमाही अंत:संस्थान प्रकाशन, जो एनआरडीआरसीएलआई में श्रम सूचना केंद्र में संग्रहीत संदर्भ सूचना प्रदान करता है।
- आर्टिकल अलर्ट सेवा – साप्ताहिक प्रकाशन, जिसमें चुनिंदा पत्रिकाओं/मैगनीजों में छपे महत्त्वपूर्ण लेखों की संदर्भ जानकारी प्रदान की जाती है।
- वर्तमान विषय–वस्तु सेवा: यह मासिक प्रकाशन है। यह अंशदान दिए गए जर्नलों के विषय–वस्तु वाले पृष्ठों का संकलन है।
- आर्टिकल अलर्ट: यह एक साप्ताहिक सेवा है, जिसे जनता की पहुंच के लिए संस्थान की वेबसाइट पर डाला जाता है।
- ई–न्यूजपेपर कतरन सेवा: श्रम और संबद्घ विषयों से संबंधित सभी प्रमुख समाचार पत्रों की स्कैन कॉपी की साप्ताहिक सेवा।

3. विशिष्टीकृत संसाधन केंद्रों का रखरखाव

निम्नलिखित दो विशिष्टीकृत संसाधन केंद्रों का सृजन किया गया है और संदर्भ सेवाओं के लिए उनका रखरखाव किया जाता है:

- राष्ट्रीय बाल श्रम संसाधन केंद्र
- राष्ट्रीय लैंगिक अध्ययन संसाधन केंद्र

डिजिटल अभिलेखागार

18.27 डिजिटल आलेख में लगे अभिकरणों (राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय) के साथ नेटवर्किंग अभिलेखागार का एक महत्वपूर्ण पहलू है। यह अभिलेखागार देश के श्रमिक प्रलेखों का एक सबसे बड़ा डिजिटल संग्रहालय है, जहां सार्वजनिक सुलभता के लिए विश्वव्यापी वेब (www.indialabourarchives.org) में डाटा के 15 से अधिक गिगाबाइट्रस मौजूद हैं। अभिलेखागार के लिए संकलन, श्रमिक इतिहास के प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्रों, जिसमें देश के अंदर और देश के बाहर के विशेषज्ञों और अभिकरणों के साथ बातचीत और नेटवर्किंग शामिल है, के संबंध में अनुसंधान और संकलन परियोजनाओं के संचालन और अनुवीक्षण के जरिए सृजित किए जाते हैं।

18.28 प्रमुख उपलब्धियाँ

- अप्रैल – अक्टूबर 2019 की अवधि के दौरान वी.वी. गिरि राष्ट्रीय श्रम संस्थान ने विभिन्न सामाजिक भागीदारों के लिए 84 प्रशिक्षण कार्यक्रमों का आयोजन किया। इन प्रशिक्षण कार्यक्रमों में कुल 2669 प्रतिभागियों ने भाग लिया।

- अप्रैल – अक्टूबर 2019 की अवधि के दौरान वीवीजीएनएलआई ने श्रम एवं रोजगार के विभिन्न पहलुओं पर 22 अनुसंधान परियोजनाएं शुरू कीं और 07 अनुसंधान परियोजनाएं पूरी कीं।

- आईएलओ के 2019 में शताब्दी समारोह को मनाने तथा ग्लोबल कमीशन ऑन दि फ्यूचर ऑफ वर्क रिपोर्ट, वर्क फॉर अ ब्राइट फ्यूचर की रिपोर्ट को शुरू करने के विभिन्न पहलुओं पर चर्चा करने के लिए वीवीजीएनएलआई, श्रम एवं रोजगार मंत्रालय तथा आईएलओ द्वारा संयुक्त रूप से 08 फरवरी 2019 को 'कार्य का भविष्य' पर एक राष्ट्रीय हितधारक परामर्श का आयोजन किया गया, जिसका उद्घाटन माननीय श्रम एवं रोजगार राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार), श्री संतोष कुमार गंगवार द्वारा किया गया।

- इंटरनेशनल सेंटर फॉर रिसर्च ऑन वीमेन (आईसीआरडब्ल्यु) के सहयोग से 07–08 मार्च 2019 के दौरान वीवीजीएनएलआई परिसर में 'लिंग, बेगार और देखभालः सतत विकास लक्ष्यों (एसडीजी) की प्राप्ति की दिशा में' एक दो–दिवसीय परामर्श का आयोजन किया गया।

- आसियान देशों के सामाजिक भागीदारों तथा छह संवाद सहयोगी देशों भारत, आस्ट्रेलिया, चीन, न्यूजीलैंड, जापान और कोरिया के लिए श्कार्य का भविष्यश सिंगापुर सम्मलेन 28–30 अप्रैल 2019 के दौरान सिंगापुर में आयोजित किया गया। यह सम्मलेन अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन (आईएलओ) के शताब्दी समारोह के एक भाग के तौर पर सिंगापुर सरकार एवं आईएलओ ने आयोजित किया। डॉ. एच. श्रीनिवास, महानिदेशक, वीवीजीएनएलआई ने इस सम्मेलन में भाग लिया।

- बाल श्रम के खिलाफ विश्व दिवस, 2019 के अवसर पर 12 जून 2019 को श्री हीरालाल सामरिया, सचिव, श्रम एवं रोजगार तथा अध्यक्ष, कार्यपरिषद ने वीवीजीएनएलआई में बच्चों को खेतों में नहीं, सपनों में कार्य करना चाहिए विषय पर एक तकनीकी परामर्श का उद्घाटन किया।

श्री हीरालाल सामरिया, सचिव (श्रम एवं रोजगार) परामर्श में उद्घाटन भाषण देते हुए

- केंद्रीय बजट 2019–20 के संबंध में विभिन्न हितधारक समूहों के साथ – माननीय वित्त मंत्री की ट्रेड यूनियन प्रतिनिधियों के साथ नॉर्थ ब्लॉक, नई दिल्ली में बैठक में – बजट–पूर्व परामर्श 15 जून 2019 को आयोजित किया गया।

- श्रम अनुसंधान संस्थानों के ब्रिक्स नेटवर्क के एक

भाग के तौर पर रूसी महासंघ के श्रम और सामाजिक संरक्षण मंत्रालय तथा समस्त रूस वैज्ञानिक अनुसंधान संस्थान द्वारा आईएलओ सभ्य कार्य तकनीकी सहायता दल एवं कंट्री ऑफिस फॉर ईस्टर्न यूरोप एंड सेंट्रल एशिया के साथ संयुक्त रूप से 'वर्ल्ड स्किल्स' के मानकों के अनुसार 26 अगस्त 2019 को कजान, रूस में आयोजित पेशेवर कौशल विश्व चौम्पियनशिप के मौके पर 'युवा रोजगार और कार्य का भविष्य' पर एक गोलमेज सम्मेलन का आयोजन किया गया। डॉ. एच. श्रीनिवास, महानिदेशक, वीवीजीएनएलआई ने इस गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया तथा वीवीजीएनएलआई द्वारा संचालित कार्यों के बारे में प्रस्तुतीकरण दिया।

- राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन संस्थान (एनआईडीएम) के सहयोग से संस्थान द्वारा पहली बार आपदा प्रबंधन पर एक राष्ट्रीय कार्यशाला का आयोजन अपने परिसर में 24–28 जून 2019 के दौरान किया गया। एसडीएम, एडीएम, तहसीलदार के तौर पर कार्यरत भारतीय प्रशासनिक सेवा और राज्य प्रशासनिक सेवा के 26 अधिकारियों तथा श्रम एवं रोजगार मंत्रालय, खान सुरक्षा, खाद्य सुरक्षा, कृषि एवं शिक्षा विभाग के वरिष्ठ अधिकारियों ने इस कार्यशाला में भाग लिया। डॉ. एच. श्रीनिवास, महानिदेशक, वीवीजीएनएलआई ने आपदा प्रबंधन के महत्व पर प्रकाश डाला तथा बताया कि दोनों संसथानों द्वारा यह अपनी तरह की यह पहली सहयोगात्मक पहल है। समापन समारोह, जिसकी अध्यक्षता डॉ. एच. श्रीनिवास, महानिदेशक, वीवीजीएनएलआई ने की, में भारतीय मौसम विभाग (आईएमडी) के नामित महानिदेशक डॉ. मृत्युंजय महापात्र ने प्रारंभिक चेतावनी प्रणाली और चक्रवात प्रबंधन पर एक प्रस्तुतीकरण दिया।

- कर्मचारी राज्य बीमा निगम (ईएसआईसी) के साथ हुए समझौते एक भाग के तौर पर संस्थान ने नव–नियुक्त सामाजिक सुरक्षा अधिकारियों (एसएसओ) के लिए 08 प्रारंभिक प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किए। इन कार्यक्रमों के उद्देश्य इस प्रकार थेः (क) नियोक्ता (ईएसआईसी) के प्रति अपनेपन की भावना पैदा करना, (ख) सामाजिक सुरक्षा के अंतर्राष्ट्रीय एवं राष्ट्रीय ढांचे तथा समग्र ढांचे में ईएसआईसी की भूमिका को समझना, (ग) ईएसआईसी के विजन रोडमैप की रूपरेखा तैयार करना तथा ईएसआईसी अधिनियम, 1948 के विभिन्न प्रावधानों और इनसे सृजित नियमों, विनियमों तथा समय–समय पर जारी निर्देशों का पर्यावलोकन प्रदान करना, (घ) सामान्य कार्यालय प्रक्रिया, टिप्पण एवं आलेखन, जीएफआर, ई–गवर्नेंस, सॉफ्ट स्किल्स की स्थापना, लोक शिकायत निवारण तंत्र, सतर्कता मामलों पर क्षमता का निर्माण, समाज के कमजोर वर्गों के प्रति सुग्राहीकरण, कार्यकारी एवं पर्यवेक्षी स्तरों पर सरकारी काम को संभालने हेतु आवश्यक जानकारी एवं कौशलों से लैस करना। इन प्रशिक्षण कार्यक्रमों में ईएसआईसी के 462 सामाजिक सुरक्षा अधिकारियों ने भाग लिया।

- वीवीजीएनएलआई और अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन के अंतर्राष्ट्रीय प्रशिक्षण केंद्र, टचूरिन (आईटीसी–आईएलओ), ट्यूरिन के मध्य हुए समझौता ज्ञापन के एक भाग के तौर पर संस्थान ने अफगानिस्तान सरकार के अधिकारियों के लिए निम्नलिखित दो सहयोगात्मक प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किएः (i) नाजुक परिस्थितियों में युवा रोजगार को बढ़ावा देना (07–10 मई 2019) तथा (ii) अफगानिस्तान में टीवीईटी की क्षमता को सुदृढ़ करना (12–15 मई, 2019)। इन प्रशिक्षण कार्यक्रमों में अफगानिस्तान सरकार, श्रम एवं रोजगार मंत्रालय और वीवीजीएनएलआई के 42 अधिकारियों ने भाग लिया।

- संस्थान ने 01–15 मई, 2019 के दौरान 'स्वच्छता पखवाड़ा' का आयोजन किया। डॉ.एच.श्रीनिवास, महानिदेशक ने संस्थान के स्वच्छता पखवाड़े में भाग लेने वाले सभी संकाय सदस्यों, अधिकारियों एवं कर्मचारियों को 'स्वच्छता शपथ' दिलाई तथा संस्थान परिसर को स्वच्छ रखने, बगीचों का हरा रखने और इस मिशन को बनाए रखने के लिए प्रमुख कार्यकलाप किए। परिसर में वृक्षारोपण के कार्यकलाप भी किए गए।

➢ संस्थान ने 21 जून, 2019 को ''अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस'' मनाया। इसमें संस्थान के संकाय सदस्यों, अधिकारियों एवं कर्मचारियों, उनके परिवार के सदस्यों के साथ-साथ विभिन्न प्रशिक्षण कार्यक्रमों के प्रतिभागियों ने भाग लिया। इस अवसर पर संस्थान के महानिदेशक डॉ.एच. श्रीनिवास ने प्रत्येक व्यक्ति के जीवन में योग के महत्व पर बल दिया तथा सभी लोगों से योग को अपने दैनिक जीवन का हिस्सा बनाने तथा प्रतिदिन इसका अभ्यास करने की सलाह दी।

21 जून 2019 को वीवीजीएनएलआई में 'योग दिवस' समारोह

➢ संस्थान ने इंदिरा गाँधी राष्ट्रीय जनजातीय विश्वविद्यालय–क्षेत्रीय परिसर, मिणपुर, इंफाल और धनमंजुरी समुदाय कॉलेज, इंफाल के सहयोग से 10–14 जून, 2019 के दौरान कॉन्फ्रेंस हॉल, धनमंजुरी समुदाय कॉलेज, इंफाल पटना में 'पूर्वोत्तर में आजीविका एवं सामाजिक संरक्षण का प्रबंधन' पर एक पाँच–दिवसीस कार्यशाला का आयोजन किया। इस कार्यशाला का उद्घाटन मिणपुर सरकार के वि विश्वविद्यालयी एवं उच्च शिक्षा के निदेशक श्री मालेम्गांबा चेंग्लेइ, भा.प्र.से. ने किया। इस कार्यशाला में शिक्षकों, ट्रेड यूनियनों, एनजीओ तथा शोध विद्वानों का प्रतिनिधित्व करने वाले 70 प्रतिभागियों ने भाग लिया।

➢ राष्ट्रपिता स्व. (श्री) महात्मा गाँधी के 150वीं जयंती समारोह के अवसर पर वी.वी. गिरि राष्ट्रीय श्रम संस्थान ने 18 जुलाई, 2019 को व्यापक वृक्षारोपण कार्यक्रम आयोजित किया। इस वृक्षारोपण अभियान के दौरान संस्थान के परिसर में विभिन्न प्रकार के लगभग 150 पौधों रोपे गए। इस वृक्षारोपण अभियान में संस्थान के कर्मचारियों और विभिन्न प्रशिक्षण कार्यक्रमों के प्रतिभागियों सहित 150 से अधिक व्यक्तियों ने भाग लिया। इस अवसर पर डॉ.एच. श्रीनिवास, महानिदेशक ने एक शपथ दिलाई तथा महात्मा गाँधी के 150वीं जयंती समारोह को मनाने के दौरान वृक्षारोपण अभियान सहित संस्थान द्वारा किए जाने वाले विभिन्न कार्यकलापों पर प्रकाश डाला।

डॉ. एच. श्रीनिवास, महानिदेशक संस्थान के कर्मचारियों के साथ वृक्षारोपण करते हुए

➢ वीवीजीएनएलआई की पुनर्गठित कार्यपरिषद की 24 जुलाई, 2019 को आयोजित पहली बैठक की अध्यक्षता श्री हीरालाल सामरिया, सचिव, श्रम एवं रोजगार मंत्रालय तथा अध्यक्ष, कार्यपरिषद, वीवीजीएनएलआई ने की। सुश्री शिवानी स्वाईं, अपर सचिव एवं वित्त सलाहकार; सुश्री कल्पना राजसिंहोत, संयुक्त सचिव तथा नियोक्ता संगठनों एवं कामगार संगठनों का प्रतिनिधित्व करने वाले कार्यपरिषद के सदस्यों ने इस बैठक में भाग लिया।

➢ कार्यपरिषद की 24 जुलाई, 2019 को आयोजित बैठक में श्री हीरालाल सामरिया, सचिव (श्रम एवं रोजगार) तथा अध्यक्ष, कार्यपरिषद ने संस्थान के

पाँच प्रकाशनों नामतः अवार्डस डाइजेस्ट (तिमाही पत्रिका, अप्रैल–जून, 2019); इंद्रधनुष (द्विमासिक न्यूजलेटर, मई–जून, 2019); एनएलआई अनुसंधान अध्ययन श्रृंखला सं. 137/2019 –कॉम्प्लेक्सिटी इन दि डिटर्मिनेशन ऑफ मिनिमम वेजिज फॉर डोमेस्टिक वर्कर्स इन इंडियाय एनएलआई अनुसंधान अध्ययन श्रृंखला सं. 138/2019 – अनपेड वर्क एंड टाईम यूज पैटर्न्स ऑफ वीमेन वर्कर्स इन नॉर्थ ईस्ट इंडियाः स्पेशल रेफरेंस टु त्रिपुराय समान पारिश्रमिक अधिनियम, 1976ः अधिनियम के कार्यान्वयन में सकारात्मक पहल एवं चुनौतियों की पहचान करना संबंधी कार्यशाला रिपोर्ट का लोकार्पण किया।

श्री हीरालाल सामरिया, सचिव (श्रम एवं रोजगार) तथा अध्यक्ष, कार्यपरिषद, वीवीजीएनएलआई कार्यपरिषद के सदस्यों की उपस्थिति में संस्थान के प्रकाशनों का लोकार्पण करते हुए

- संस्थान के पूर्वोत्तर भारत केंद्र ने महाराजा अग्रसेन कॉलेज एवं दिल्ली विश्वविद्यालय के सहयोग से 22–23 अगस्त, 2019 को महाराजा अग्रसेन कॉलेज (एमएसी), नई दिल्ली 'पूर्वोत्तर भारत से युवाओं को शहरी महानगरों में प्रवासन' पर एक राष्ट्रीय संगोष्ठी का आयोजन किया।

- 'कॉर्पोरेट सामाजिक जिम्मेदारी एवं औद्योगिक संबंध' पर पहली बार एक आंतरिक प्रशिक्षण कार्यक्रम का आयोजन 29 जुलाई – 02 अगस्त 2019 के दौरान किया गया। इस कार्यक्रम में सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों और अन्य सरकारी संगठनों के 16 प्रतिनिधियों ने भाग लिया।

- वी.वी. गिरि राष्ट्रीय श्रम संस्थान ने टीएआरएमईएच ईवेंट्स द्वारा आयोजित ''राइज इन हरियाणा'' में प्रतिभागिता की। वी.वी. गिरि राष्ट्रीय श्रम संस्थान ने इस इवेंट में प्रथम स्थान प्राप्त किया। इसरो को द्वितीय एवं आयुष को तीसरा स्थान प्राप्त हुआ। लगभग 30 केंद्रीय मंत्रलयों, राष्ट्रीय संस्थानों और सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों ने इस इवेंट में भाग लिया। इस इवेंट के दौरान आगतुकों को संस्थान के कार्यकलापों यथा अनुसंधान, प्रशिक्षण एवं प्रकाशन के साथ बाल श्रम पर सुग्रहीकरण, लैंगिक मुद्दे तथा कार्य का भविष्य पर जागरूक किया गया। श्रम एवं रोजगार मंत्रालय, भारत सरकार की प्रमुख पहलों यथा पेंसिल पोर्टल, राष्ट्रीय कैरिअर सर्विस पोर्टल, पीएमआरपीवाई, प्रसूति प्रसुविधा, प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन (पीएम–एसवाईएम); ईसीएआईसी एवं ईपीएफ की पहलों, श्रम एवं रोजगार मंत्रालय की कानूनी एवं शासकीय पहलों के साथ–साथ डीडीयू–जीकेवाई, पीएमकेवीवाई, मुद्रा योजना, स्टार्ट अप इंडिया एवं स्टैंड अप इंडिया, पीएम किसान सम्मान निधि योजना के बारे में जागरूकता एवं सुग्राहीकरण कार्यक्रम आयोजित किए गए। विद्यालयों, महाविद्यालयों एवं विश्वविद्यालयों के छात्रों तथा शिक्षकों, कर्मचारियों, कामगारों, आम जनता सहित लगभग 15000 व्यक्तियों ने इस इवेंट में विभिन्न स्टॉलों का दौरा किया। लेफ्टिनेंट जनरल डी.पी. वत्स, माननीय सांसद राज्य सभाय श्री धर्मवीर सिंह, माननीय सांसद, लोकसभाय सुश्री सुनीता

दुग्गल, माननीय सांसद, लोकसभाय श्री ब्रिजेंद्र सिंह, माननीय सांसद, लोकसभाय प्रोफेसर गुरदयाल सिंह, कुलपति, एलयूवीएएस ने वीवीजीएनएलआई स्टॉल का दौरा किया तथा संस्थान के कार्यकलापों एवं पहलों की सराहना की। वी.वी. गिरि राष्ट्रीय श्रम संस्थान से इस कार्यक्रम के निदेशक श्री पी. अमिताभ खुंटिआ, एसोसिएट फेलो थे। इस कार्यक्रम में वीवीजीएनएलआई से श्री राजेश कर्ण तथा वीवीजीएनएलआई के पूर्व प्रतिभागी सुश्री उज्ज्वला सिंह, सुश्री अनायत गिल, श्री राजीव शुक्ला ने भाग लिया।

➢ महात्मा गाँधी के 150वीं जयंती समारोह के एक भाग के तौर पर 02 अक्टूबर, 2019 को 'महात्मा गाँधी और ग्रामीण औद्योगिकीकरण' पर एक कार्यशाला का आयोजन किया गया। इस कार्यशाला की अध्यक्षता डॉ. एच. श्रीनिवास, महानिदेशक, वी. वी. गिरि राष्ट्रीय श्रम संस्थान ने की और इसकी निदेशक डॉ. हेलन आर. सेकर थीं। डॉ. रम्य रंजन पटेल, एसोसिएट फेलो ने कार्यशाला की विषय–वस्तु पर एक प्रस्तुतीकरण दिया तथा औद्योगिकीकरण, विशेषकर ग्राम स्वराज एवं ग्रामीण औद्योगिकीकरण पर गाँधी जी के दृष्टिकोण पर फोकस किया। अन्य विषयों, जिन पर इस प्रस्तुतीकरण में प्रकाश डाला गया, में खादी का महत्व तथा अहिंसा का दर्शन शामिल थे। बच्चों के युवा मन में गाँधीवादी दर्शन को शामिल करने के लिए संस्थान में छात्रों के लिए साक्षरता प्रतियोगिताओं का आयोजन किया गया। डॉ.एच. श्रीनिवास ने आज के संदर्भ में भी गाँधीवादी दर्शन को परिलक्षित किया। गाँधी जी के जीवन से विभिन्न उदाहरणों को लेते हुए उन्होंने विज्ञान का उपयोग मानवीयता के साथ करने को कहा। उन्होंने कार्य के भविष्य का परिदृश्य और मानव–केंद्रित दृष्टिकोण की आवश्यता का उल्लेख किया। अंत में उन्होंने कहा कि सरकार ने गाँधी जी के स्वच्छ भारत के विचार को अपनाया है। प्रोफेसर अमिताभ कुंडू, जेएनयू, नई दिल्ली गाँधी जी 'रोटी के लिए श्रम (ब्रेड लेबर)' के विचार का उल्लेख किया जो लियो टॉलस्टॉय के कार्यों और महाभारत में भी परिलक्षित होता है। ईसाई धर्म में भी ब्रेड लेबर का उल्लेख मिलता है। रोजगार के लिए ब्रेड लेबर की प्रासंगिकता प्रोफेसर कुंडू के प्रस्तुतीकरण में उठाए गए प्रमुख मुद्दों में से एक थी। इस कार्यशाला में देश के विभिन्न भागों नामतः महाराष्ट्र के जलगाँव, घाटकोपर, पुणे, बांद्रा और मुंबई जिलेय हिमाचल प्रदेश बिलासपुर जिलाय ओडिशा के राउरकेला, भुवनेश्वर, गंजम, अंगुल एवं कोरापुट जिलेय तमिलनाडु के तिरुवन्नामलि, कृष्णागिरि एवं तिरुचिरापल्ली जिलेय राजस्थान के झुंझुनु एवं उदयपुर जिलेय पश्चिम बंगाल के मुर्शीदाबाद एवं नादिया जिलेय छत्तीसगढ़ का रायपुर जिलाय उत्तर प्रदेश के गौतमबुद्घ नगर, एवं गाजियाबाद जिले तथा राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र के सरकारी विभागों, सिविल सोसायटी संगठनों, ट्रेड यूनियनों, स्वयं सहायता समूहों, सामाजिक कार्यकर्ताओं आदि के लगभग 80 प्रतिभागियों ने भाग लिया।

डॉ. एच. श्रीनिवास, महानिदेशक कार्यशाला में प्रतिभागियों को संबोधित करते हुए

अध्याय–19

सूचना प्रौद्यौगिक / मीडिया सबंधी पहलें / ई–गवर्नेंस

19.1 राष्ट्रीय ई–गवर्नेंस योजना (एनईजीपी) पूरे देश में ई–गवर्नेंस प्रणालियों को जोड़ने और सरकारी सेवाओं को इलेक्ट्रॉनिक रूप से उपलब्ध कराने के लिए एक राष्ट्र स्तरीय नेटवर्क का निर्माण करने के लिए भारत सरकार द्वारा की गई एक पहल है। राष्ट्रीय ई–गवर्नेंस योजना (एनईजीपी) की संकल्पना "आम आदमी को उसके इलाके में ही सामान्य सेवा प्रदान करने वाले केंद्रों के माध्यम से सभी सरकारी सेवाएं उपलब्ध कराना और आम आदमी की बुनियादी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए इन सेवाओं की किफायती मूल्यों पर दक्षता, पारदर्शिता एवं विश्वसनीयता सुनिश्चित करने" के उपदेश्य से राष्ट्रीय स्तर पर ई–गवर्नेंस संबंधी पहलों पर बल देने के उद्देश्य से की गई थी। इस योजना का उद्देश्य मंत्रालय में मौजूदा सूचना प्रौद्योगिकी अवसंरचना को मजबूत बनाना और स्तरोन्नत करना है। इसका अभिप्राय सरकार के कार्यों को उच्चतर मानक पर लाना और कागज रहित (पेपरलेस) कार्यालय बनाने की दिशा में कार्य करना है। वित्त वर्ष 2019–20 के दौरान आईटी अवसंरचना के लिए 122 लाख रुपये की राशि निर्धारित की गई थी।

19.2 राष्ट्रीय ई–गवर्नेंस योजना के महत्व को ध्यान में रखते हुए श्रम एवं रोजगार मंत्रालय तथा इसके अधीन विभिन्न संगठनों द्वारा निम्नलिखित कार्यकलाप संचालित किए गए हैं:

क. मंत्रालय में किए गए कार्यकलापः

i. मंत्रालय के अधिकारियों के लिए भ्रमण एवं यात्रा साफ्टवेयर के विकास, वादकारी पक्षों को वादसूची, निविदाओं, अगली सुरनवाई की तारीख आदि से संबंधित जानकारी ऑनलाइन उपलब्ध कराने के लिए केंद्र सरकार के 22 औद्योगिक अधिकारण–सह–श्रम न्यायालयों (सीजीआईटी–सह–एलसी) के लिए वेबसाइट के विकास, फूलों की देखभाल के लिए प्रणाली के विकास, कैंटीन प्रबंधन सॉफ्टवेयर आदि सहित कई सूचना प्रौद्योगिकी संबंधी पहलें की गई।

ii. डिजिटल इंडिया कार्यक्रम के अंतर्गत मिशन मोड परियोजनाओं (एमएमपी) में से एक के रूप में ई–आफिस का क्रियान्वयन किया जा रहा है। सरकारी लेनदेन में ई–ऑफिस के उपयोग से पारदर्शिता लाने, जिम्मेदारी तय करने और अधिनिर्णयन में तेजी लाने में सहायता मिलती है। ई–ऑफिस से कुछ अन्य लाभ भी होते हैं जैसे–रियल टाइम ट्रेकिंग, लोकेशन एगनॉस्टिक डिस्पोजल, यूनिवर्सल सर्च–एबीलिटी, फाइलों का रिट्रिवल।

iii. संशोधित बाल श्रम (निषेध एवं विनियम) अधिनियम, 1986 और राष्ट्रीय बाल श्रम परियोजना (एनसीएलपी) स्कीम के प्रावधानों का प्रभावपूर्ण क्रियान्वयन सुनिश्चित करने के लिए बेहतर निगरानी एवं रिपोर्टिंग प्रणाली के लिए पेंसिल (बाल श्रम निषेध के कारगर प्रवर्तन हेतु प्लेटफार्म) पोर्टल आरंभ किया गया है। पेंसिल पोर्टल के पांच घटक हैं, नामतः (i) शिकायत कोना, (ii) जिला नोडल अधिकारी (डीएनओ), (iii) राष्ट्रीय बाल श्रम परियोजना (एनसीएलपी) स्कीम, (iv) राज्य सरकार और (v) केंद्र सरकार। वर्तमान में 27 राज्यों के 611 जिला नोडल अधिकारियों को शिकायतों के ऑनलाइन निपटान के लिए नामित किया गया है। इसके अतिरिक्त एनसीएलपी स्कीम के बेहतर क्रियान्वयन के लिए एनसीएलपी की सभी प्रचालन शील परियोजना सोसाइटी को पोर्टल पर पंजीकृत किया गया है।

iv) दिनांक 21 फरवरी, 2017 को जारी अधिसूचना से श्रम विधानों के अनुपालन में सहजता के लिए केंद्रीय श्रम विधानों / नियम के अंतर्गत यथा उपबंधित अनुरक्षण हेतु 56 रजिस्टरों के स्थान पर इनकी संख्या को घटाकर मात्र 5 किया गया है। प्रतिष्ठानों दवारा

अनुपालन को और सुविधाजनक बनाने के लिए एक सॉफ्टवेयर विकसित किया गया है, जो प्रतिष्ठानों दवारा इन रजिस्टरों के अनुरक्षण के लिए उपयोग में लायी जाती है और इसे अपलोड करने के लिए मंत्रालय की बेवसाइट https://labour.gov.in/eRegister से नि:शुल्क डाउनलोड किया जा सकता है। 05.01.2020 की स्थिति के अनुसार इस वेबसाइट के विकसित होने के बाद से पूरे भारत से प्रतिष्ठानों द्वारा इस वेबसाइट से 31300 बार डाउन लोड किए गए हैं।

(v) रोजगार महानिदेशालय ने नियोक्ताओं और रोजगार के इच्छुक व्यक्तियों को राष्ट्रीय कैरियर सेवा (एनसीएस) पोर्टल www.ncs.gov.in के माध्यम से एक प्लेटफॉर्म पर ला खड़ा किया है। दिनांक 31.10.2019 तक 1.01 करोड़ से अधिक सक्रिय रोजगार चाहने वाले और 25, 184 सक्रिय नियोक्ता पंजीकृत किए गए हैं। पोर्टल के लांच होने के बाद से 58.50 लाख से अधिक की रिक्तियां जुटायी गई हैं।

(vi) इस प्लेटफर्म पर रोजगार मेलों का आयोजन करना एनसीएस पोर्टल का एक महत्वपूर्ण घटक है। एनसीएल पर 1800 से अधिक रोजगार मेले आयोजित किए गए हैं। एनसीएस ने रोजगार चाहने वालों को पंजीकरण प्रदान करने के लिए डाक विभाग और सीएससी (सामान्य सेवा केन्द्रों) के साथ भागीदारी की है। युवाओं तक अपनी पहुंच का दायरा बढाने और उपलब्ध रोजगार के अवसरों में और वृद्धि करने के लिए प्रमुख जॉब पोर्टलों, प्लेसमेंट संगठनों तथा प्रतिष्ठित संस्थाओं के साथ समझौता ज्ञापनों पर भी हस्ताक्षर किए गए हैं। सरकार ने 171 (जिसमें 07 गैर वित्तपोषण आधार पर है) मॉडल कैरियर केन्द्रों को मंजूरी प्रदान की है। सभी रोजगार कार्यालयों को एनसीएस पोर्टल से इंटरलिंक करने और जिला स्तर पर त्रैमासिक आधार पर रोजगार मेलों का आयोजन करने के लिए एक योजना विकसित की है। भारत सरकार ने भी सभी सरकारी विभागों के लिए रिक्तियों को एनसीएल पोर्टल पर डालने को अनिवार्य बनाया है।

vii. श्रम सुविधा पोर्टल (एसएसपी) व्यापार में सुगमता लाने और श्रम कानून के अनुपालन में जटिलताओं को कम करने कि दिशा में मंत्रालय द्वारा की गई एक प्रमुख आईटी पहल है। इससे संबंधित ब्यौरे पैरा 1.10 (अध्याय 1) में दिए गए हैं।

(viii) सीएलसी संगठनों द्वारा की गई पहलें निम्नानुसार है:

(क) सीएलसी (कें.) द्वारा श्रम सुविधा पोर्टल के माध्यम से विभिन्न श्रम कानूनों के अंतर्गत निरीक्षण, श्रम कानूनों के अंतर्गत अनुज्ञा एवं पंजीकरण, विभिन्न श्रम कानूनों के अंतर्गत एकीकृत वार्षिक विवरणी के लिए सूचना प्रौद्योगिकी का उपयोग किया जा रहा है।

(ख) सीएलसी (कें.) संगठन के संबंधित फिल्ड अधिकारियों द्वारा एलआईएमबीएस पोर्टल का उपयोग माननीय उच्चतम न्यायालय, उच्च न्यायालय, श्रम न्यायालय और नीचली अदालतों में दायर मामलों के ब्यौरों की प्रवृष्टि करने के लिए किया जा रहा है।

ix. श्रम ब्यूरो द्वारा वर्ष 2019–20 के दौरान कई आईटी संबंधी पहलें की गई है जिनमें निम्नलिखित शामिल है:

(क) समेकित प्रतिवेदनों की आसानी से उपलब्धता को सुगम बनाने के लिए एकत्रित आंकड़ों से समेकित किए गए सभी प्रतिवेदन श्रम ब्यूरो की वेबसाइट पर डाले जा रहे हैं।

(ख) अब विभिन्न हितधारक अब उपभोक्ता मुल्यांकन सूचकांक (आईडब्ल्यू) के अंतर्गत मूल्यों से संबंधित आंकड़े एक विशिष्ट पोर्टल "labourbureaucpi.gov.in" एक विशिष्ट पोर्टल से प्राप्त कर सकते हैं।

(ग) सीपीआई (आईडब्ल्यू) के लिए नये आधार के अंतर्गत मूल्यों के ऑनलाइन एकत्रण के लिए एक सॉफ्टवेयर विकसित किया गया है जिसमें हैंड–हेल्ड उपकरणों जैसे टैप्स का उपयोग किया जाता है। इससे एकत्र किए जा रहे आंकड़ों की गुणवाता में सुधार लाने में सहायता मिलेगी साथ सूचकांक संख्याओं को जारी करने में होने वाली देरी भी कम होगी।

(घ) श्रम ब्यूरो 11 श्रम अधिनियमों पर आंकड़ों के ऑनलाइन एकत्रण के लिए एनआईसीएस के माध्यम से एक

सॉफ्टवेयर का विकास करने की प्रक्रिया में है।

•. डीजीएमएस के द्वारा वर्ष 2019–20 के दौरान कई आईटी पहलें की गई जिनमें निम्नलिखित शामिल है:

क. विभिन्न हितधारकों के लिए बेहतर यूजर इंटरफेस और पारदर्शिता दान करने के लिए डीजीएमएस की वेबसाइट को रिडिजाइन और अनुकूलित किया गया है।

ख. डिजिटल इंडिया पहल के अनुरूप "अनुमोदन प्रणाली", "अनुमति/छूट/रियायत प्रणाली" नामक सॉफ्टवेयर मॉड्यूल तैयार किए गए हैं और उन्हें उपयोग कर्ता उद्योग के लिए उपयोग हेतु सक्रिय किया गया है। दिनांक 3010.2019 की स्थिति के अनुसार अनुमति/छूट/रियायत के लिए कुल 3804 आवेदन ऑनलाइन प्राप्त किए गए हैं और उनमें से 3056 आवेदनों पर उपयुक्त कार्रवाई की गई है।

ग. एनएसए (खान) के लिए ऑनलाइन आवेदन जमा करने, आंकड़ों के मूल्यांकन और सत्यापन तथा पुरस्कार प्राप्त करने वालों की सूची तैयार करने के लिए "राष्ट्रीय सुरक्षा पुरस्कार (खान) प्रणाली" सॉफ्टवेयर मॉड्यूल को सक्रिय बनाया गया है इससे प्रणाली में पारदर्शिता और जिम्मेवारी आई है।

घ. "दुर्घटना एवं सांख्यिकी प्रणाली" सॉफ्टवेयर मॉड्यूल का विकास किया गया है और उसका परीक्षण किया गया है। इस प्रणाली को 2019–20 दौरान सक्रिय बनाये जाने की योजना है। इस प्रणाली से उपयोगकर्ता उद्योग द्वारा दुर्घटना की सूचना ऑनलाइन भेजने, डीजीएमएस के निरीक्षण अधिकारियों द्वारा दुर्घटना जांच प्रतिवेदन दर्ज करने, दुर्घटना संबंधी प्रतिवेदनों पर आगे की कार्रवाई करने, कार्रवाई को अंतिम रूप देन और सुरक्षा मानकों में सुधार लाने के लिए खनन उद्योग को संगत जानकारी एवं एलर्ट भेजना संभव होगा।

ड. "डिजिटल डीजीएमएस" के एक भाग के रूप में "लेखा एवं बजट प्रणाली" सॉफ्टवेयर मॉड्यूल विकसित किया जा रहा है।

च. निरीक्षण के ऑनलाइन संचालन के लिए कोयले की खानों के लिए "जोखिम–आधारित निरीक्षण प्रणाली" के लिए कार्य प्रणालियां तैयार की गई है और इन्हें श्रम सुविधा पोर्टल में सम्मिलित किया गया है।

छ. डिजिटल इंडिया और अभिलेखों के सुरक्षित रख–रखाव को ध्यान में रखते हुए खान योजनाओं सहित पुराने अभिलेखों का डिजिटाइजेशन प्रगति पर है।

xi. दत्तोपंत थेंगडी नेशनल बोर्ड फॉर वर्कर्स एजुकेशन एंड डेवलपमेंट (डीटीएनबीडब्ल्यूईडी) द्वारा वेबसाइटों के संबंध में भारत सरकार के दिशानिर्देशों के अनुसार अपने संगठन के लिए एक नए पोर्टल का विकास किया जा रहा है। बोर्ड अपने 50 क्षेत्रीय निदेशालयों द्वारा संगठित, आसंगठित और ग्रामीण क्षेत्रों में संचालित विभिन्न प्रशिक्षण कार्यक्रमों/कार्यकलापों के आंकड़ों का रखरखाव करने के लिए एक वेब आधारित एमआईएस पोर्टल भी विकसित कर रहा है। ऑनलाइन आवेदन को भी पीएफएमएस और डीजीबी भारत पोर्टल के साथ एकीकृत किया जाता है। वेब पोर्टल के अनुसार लक्षित उपयोगकर्ताओं के लिए प्रशिक्षण कार्यक्रमों को पूरा करने के तत्काल बाद डाटा अपलोड करने के कार्य को आसान बनाने के लिए एक मोबाइल एप भी विकसित किया जा रहा है। डीटीएनबीडब्ल्यूई ई–आफिस को भी क्रियान्वित करने की प्रक्रिया में है।

ख. ईपीएफओ में आईटी संबंधी पहलें

भविष्य निधि के सदस्यों और नियोक्ताओं के सुविधा के लिए कई पहलें आरंभ की जा चुकी है जिनमें निम्नलिखित पहलें शामिल है। इसके साथ ही कई ईपीएफओ और इसके हितधारकों के बीच व्यक्तिगत संपर्क की आवश्यकता को और कम करने के लिए कई नई सेवाएं/पहलें विचाराधीन है।

i. **जिला कार्यालयों में दावों की प्रविष्टि:** देशभर में फैले 117 जिला कार्यालयों को डिजिटल रूप से एकीकृत करने के लिए दावों की प्राप्ति की प्रविष्टि की एक सुविधा उपलब्ध कराई गई है। इस सुविधा से सुदुर क्षेत्रों में रहने वाले पीएफ सदस्यों को लंबी दूरी तक यात्रा तय करने और दावा प्रस्तुत करने हेतु लगने वाले समय में कमी आएगी।

ii. **इंटरनेशनल वर्कर्स रिटर्न को ऑनलाइन फाइल करना:** जो कर्मचारी मासिक रूप से इंटरनेशनल वर्कर्स रिटर्न फाइल करने के लिए अधिदेशित है, की सुविधा के लिए उन्हें यूनीफाइड पोर्टल–एम्पलायर पर लॉगइन करके इस विवरणी को ऑनलाइन फाइल करने की सुविधा उपलब्ध कराई गई है।

iii. **डिजिटल जीवन–प्रमाण–पत्रों का स्वतः** अनुमोदनः कर्मचारी पेंशन योजना, 1995 के तहत आने वाले पेंशन भोगियों के लिए पेंशन भोगियों के जीवन प्रमाण पत्रों को डिजिटल रूप से प्राप्त करने के लिए भारत सरकार द्वारा ईपीएफओ में जीवन प्रमाण नामक एक पहल आरंभ की गई।

iv. **पीपीओ में गलत आधार को डिलिंक करना:** किसी पीपीओ के आधार पर आधार संख्या की सीडिंग से कर्मचारी पेंशन योजना 1995 के अंतर्गत आने वाले पेंशनभोगी को अपना जीवन प्रमाण पत्र डिजिटल रूप से जीवन प्रमाण के माध्यम से फाइल करने में समर्थ बनाया गया है।

v. **जन्म तिथि में सुधार के लिए प्रलेख अपलोड करने की सुविधा:** पूर्व में यूनिफाइड पोर्टल पर – किसी सदस्य द्वारा गलत बुनियादी ब्यौरों जैसे नाम और जन्म तिथि में सुधार करने के लिए एक सुविधा उपलब्ध कराई गई थी। लेकिन एक वर्ष से अधिक तक जन्म की तिथि में परिवर्तन करने के लिए समर्थक दस्तावेज जमा करने की आवश्यकता होती है जिन्हें पीएफ सदस्यों द्वारा संबंधित फिल्ड कार्यालय को कागजी तौर पर भेजे जाते थे। जन्म तिथि में किसी प्रकार के सुधार के लिए स्कैन किए गए समर्थक दस्तावेजों को अपलोड करने के लिए यूनीफाइड पोर्टल मेम्बर पर एक सुविधा आरंभ की गई है।

vi. ईपीएफओ ने मैसर्स सी–डैक की सहायता से एक हाइब्रिड क्लाउड मॉडल आरंभ करने के साथ–साथ अपेक्षाकृत नए और अत्याधुनिक सॉफ्टवेयर अनुप्रयोग जैसे–डाकर/कंटेनर टेक्नोलॉजीय बिग डेटा एनेलेटिक्सय आर्टीफीशियल टेक्नोलॉजी, आरपीए आदि की शुरूआत की है जिसका अभिप्राय इन प्रणालियों को और अधिक तीव्र और स्तरीय बनाकर इन्हें और विकसित करना है। प्रौद्योगिकी को नया बनाने की एक प्रक्रिया आरंभ की है।

ग. ईएसआईसी में आईटी पहलें

i. वर्ष 2018–19 के दौरान सभी प्रमुख अनुप्रयोग सहजतापूर्वक प्रचालित किए गए। स्वास्थ्य से संबंधित लेनदेन का प्रलेखन, राजस्व का संग्रहण एवं लाभों का वितरण पंचदीप परियोजना के अंतर्गत मॉड्यूल्स के माध्यम से किया गया।

ii. नेटवर्क अवसंरचना को सुदृढ़ करने तथा कनेक्टिविटि की कार्यकुशलता में सुधार लाने हेतु ईएसआईसी के सभी कार्यालयों में एसडीडब्ल्यूएएन (सॉफ्टवेयर डिफाइन्ड वाइड एरिया नेटवर्क) कार्यान्वित करने का निर्णय लिया गया। इससे एमपीएलएस कनेक्शनों के बदले किसी ब्रोडबैंड कनेक्शन से अनुप्रयोगों तक पहुंच हो सकेगी। यह प्रवजन निगरानी को बढ़ाएगा, लचीलापन लाएगा तथा साथ–ही–साथ लागत भी कम करेगा।

iii. अनुप्रयोगों में प्रयोक्ता के लाभार्थ तथा सेवाओं की प्रदानगी हेतु निम्नानुसार विभिन्न मूल्य–वर्धित बदलाव किए गए:

क. ईएसआईसी (पंचदीप) एवं एमसीए (कार्पोरेट कार्य मंत्रालय) (एसपीआईसीई) के समेकित अनुप्रयोग के माध्यम से नियोक्ता–पंजीकरण प्रावधान उन नियोक्ताओं द्वारा व्यवसाय करने में सुगमता हेतु हासिल किया गया, जो इस सामाजिक सुरक्षा इको–प्रणाली के संबंध में महत्वपूर्ण हितधारकों में से एक हैं।

ख. अनुप्रयोग में नियोक्ता द्वारा प्रथम वार पंजीकरण के समय छपाया और लाभार्थी को जारी किए जाने वाला अवधारणा स्वास्थ्य पहचान–पत्र "ईएसआईसी हेल्थ पासबुक" अभिकल्पित किया गया है। इससे सही लाभार्थी की पहचान आसानी से हो जाने तथा उस पर स्वास्थ्य संबंधी घटनाएं दर्ज करने में सुविधा मिलेगी।

ग. बीमा चिकित्सक द्वारा किसी लाभार्थी की क्लीनिक संबंधी घटनाओं के प्रलेखन हेतु "धनवंत्री" मोबाइल

एप विकसित की गई है तथा गूगल प्ले स्टोर में उपलब्ध कराई गई है। इस मोबाइल एप का उपयोग बुनियादी न्यूनतम स्वास्थ्य संबंधी सूचना के प्रलेखन हेतु नियमित ईएसआई डॉक्टरों द्वारा भी किया जा सकता है।

घ. लाभार्थियों के उपयोग हेतु विभिन्न ईएसआई सेवाओं से संबंधित सूचना 'उमंग' (यूनिफाइड मोबाइल एप्लीकेशन फॉर न्यू–एज गवर्नेंस ऑफ एमईआईटीवाई) प्लेटफार्म ("ईएसआईसी–चिंता से मुक्ति") मोबाइल एप पर उपलब्ध कराई गई। स्वयं को अपने अंशदान की स्थिति, सेवा प्रदाता स्थानों के पतों के बारे में जानकारी रखने, सहायता चाहने अथवा शिकायत दर्ज कराने आदि के मामले में ईएसआईसी से संपर्क साधने में सशक्त बनने के अलावा ईएसआई योजना के अंतर्गत विभिन्न लाभों के संबंध में अपनी पात्रता की स्थिति तक लाभार्थी की पहुंच होगी।

ङ. एबीवीकेवाई (अटल बीमित व्यक्ति कल्याण योजना) के अंतर्गत संगत लाभार्थी के संबंध में 'आईपी पोर्टल' के तहत www.esic.in में फ्रंट–एंड प्रयोक्ता एक्सेसिबल अनुप्रयोग उपलब्ध कराया गया है। इस योजना के अंतर्गत कोई बीमित व्यक्ति (आईपी) जो बेरोजगार हो गया है, पूर्व परिभाषित दरों और शर्तों पर आर्थिक राहत पाने का हकदार होगा।

च. इंटरनेट बैंकिंग (कॉर्पोरेट एवं रिटेल) का उपयोग करते हुए नियोक्ताओं द्वारा अंशदान के ऑनलाइन भुगतान हेतु अनेक बैंकों (आईडीबीआई, एचडीएफसी, आईसीआईसीआई, एक्सिस आदि) के साथ 'पंचदीप' बीमा अनुप्रयोग समेकित किया गया। इससे इन प्रत्येक बैंकों के संबंध में केवल एसबीआई गेटवे के माध्यम से भुगतान करने के पूर्ववर्ती प्रावधान की तुलना में नकदी के वास्तविक प्रेषण के लिहाज से समय की बचत हुई।

छ. आईएमपी, पेनलबद्ध केमिस्ट तथा पेनलबद्ध नैदानिक केन्द्र के पंजीकरण हेतु आशोधित आईएमपी (एमआईएमपी) योजना के अंतर्गत अनुप्रयोग विकसित किया गया है। इससे पारदर्शिता बढ़ेगी तथा ऐसे निजी डॉक्टर नजर आएंगे जो उन क्षेत्रों में स्वास्थ्य देखभाल प्रदान करने हेतु ईएसआई योजना के साथ जुड़ेंगे जहां यह योजना संभार तंत्र अथवा अन्य मुद्दों के संबंध में स्वयं की अवसंरचना की व्यवस्था नहीं कर सकती।

ईपीएफओ में प्रचार प्रभाग

19.3 नीतिगत सार, मीडिया समन्वयन प्रिंट मीडिया विज्ञापन, श्रव्य–दृश्य विज्ञापन, प्रिंटेड प्रचार, प्रदर्शनी, बाह्य प्रचार आदि के बारे में सूचना के प्रसार हेतु प्रचार प्रभाग ईपीएफओ का नोडल डेस्क है।

19.4 इस वित्तीय वर्ष में प्रचार प्रभार ईपीएफओ द्वारा व्यवसाय करने में सुगमता, कुशल सेवा प्रदानगी तथा ईपीएफ लाभों की पहुंच के विस्तार हेतु ईपीएफओ द्वारा की गई पहलों के बारे में जागरूकता फैलाने में काफी सक्रिय रहा है। समय–समय पर प्रेस विज्ञप्तियां जारी की गईं जिन से ईपीएफओ में हुई घटनाओं को नागरिकों के ध्यान में लाया गया। डिजिटल मीडिया ने भी ईपीएफओ द्वारा जारी प्रेस विज्ञप्तियों के आधार पर समाचार लेख लिखे। इसके अलावा, सीबीटी बैठकों अथवा नई सुविधाओं के शुभारंभ जैसी प्रमुख घटनाओं के अवसर पर प्रेस सम्मेलन आयोजित किए गए जिन से संगठन की पहलों को अच्छे मीडिया कवरेज की सुविधा मिली। इसके अतिरिक्त, डीएवीपी के माध्यम से नेमी प्रिंट विज्ञापन प्रकाशित करवाए गए।

19.5 वर्ष 2018–19 में, एनएफडीसी के माध्यम से प्रधानमंत्री रोजगार प्रोत्साहन योजना (पीएमआरपीवाई) के संबंध में रेडियो अभियान चलाया गया। देशभर में निजी एफएम चौनलों और ऑल इंडिया रेडियो दोनों पर 30–30 सेकेन्ड के दो रेडियो स्पॉट 15 दिन अर्थात् 27.11.2018 से 11.12.2018 तक प्रसारित किए गए। इसका उद्देश्य ईपीएफओ में कामगारों का पंजीकरण था ताकि उनको सामाजिक सुरक्षा लाभ प्राप्त हों और वे नए रोजगार के सृजन के संबंध में पीएमआरपीवाई योजनाओं के तहत लाभ उठा सकें।

19.6 देशभर में 73 समाचार पत्रों में 9 मार्च, 2019 को ईपीएफओ की पहलों और उपलब्धियों पर प्रकाश डालते हुए "नामुमकीन अब मुमकीन है" शीर्षक से पूरे पृष्ठ का रंगीन प्रिंट विज्ञापन प्रकाशित करवाया गया।

प्रेस विज्ञप्ति के माध्यम से मीडिया में महत्वपूर्ण सूचनाओं पर प्रकाश डाला गया:–

- ईपीएफ योजना के अंशदाताओं के पास वैयक्तिक दो अलग–अलग सदस्य खाता शीर्ष (क) नियत आय जहां नियत वार्षिक ब्याज सदस्य के खाते में जमा हो जाता है (ख) इक्विटी (ईटीएफ) जहां इक्विटी में निवेश यूनिटों के रूप में परिलक्षित होता है तथा लाभ बाजार को चिह्नित कर दिया जाता है।
- प्रत्येक माह कार्य छोड़ने वाले अंशदाता कम करके नियोक्ताओं द्वारा यथा घोषित सभी नए अंशदाताओं का आयु–बैंड वार अनुमान।
- उनके ईपीएफ खातों में ऑनलाइन ई–पासबुक, उमंग मोबाइल तथा मिस कॉल सर्विस के माध्यम से मासिक अंशदान के बारे में जानकारी।
- उन सदस्यों (जिनके संबंधित यूनिवर्सल खाता संख्या में पंजीकृत मोबाइल संख्या हो) जिनके संबंध में किसी माह नियोक्ता द्वारा ईपीएफओ के पास अंशदान जमा नहीं करवाया गया हो, उचित समय में एसएमएस/ई–मेल भेजना।
- ईपीएफओ में उपलब्ध उमंग एप के माध्यम से अन्य सेवाओं अर्थात् ईपीएफओ पासबुक देखना, दावे करना, दावों की खोज–खबर रखना, प्रतिष्ठान की तालाश करना, ईपीएफओ कार्यालय की तलाश करना, अपनी दावा–स्थिति जानना, जीवन प्रमाण अद्यतन करना तथा कुद और सेवाओं के अलावा उमंग एप के माध्यम से पेंशनभोगियों के लिए 'पेंशन पासबुक देखों' सेवा का प्रारंभ।
- एकीकृत पोर्टल पर अपलोड करने से पूर्व नियोक्तओं के लिए ईसीआर वैधीकरण उपकरण जो नियोक्तओं को ईसीआर की पूर्व–वैधीकरण करना और एकीकृत पोर्टल पर अपलोड करने से पूर्व ईसीआर फाइल में संशोधन करना भी सुविधाजनक बनाएगा।
- ईपीएफओ का 66वां स्थापना दिवस समारोह 01 नवम्बर, 2018 को। जिला कार्यालयों में "दावा प्राप्ति प्रविष्टि" संबंधी सुविधा, यह सूचना देते हुए कि विलिस टावर्स वाटसन रिपोर्ट 2017 के अनुसार, 63 लाख पेंशनभोगियों के साथ ईपीएफओ विश्व में

21वीं विशालतम पेंशन निधि है, के अलावा अंतर्राष्ट्रीय कामगारों को ऑनलाइन विवरणियों तथा पीएमआरपीवाई संबंधी उपलब्धियों पर प्रकाश डालने की सुविधा प्रेस विज्ञप्ति का भाग बनी।

- केन्द्रीय न्यासी बोर्ड, ईपीएफ द्वारा लिए गए महत्वपूर्ण निर्णय।
- सीबीटी की ईपीएफ संचयों पर वर्ष 2018–19 के संबंध में 8.65% दर पर ब्याज को ईपीएफओ सदस्य के खाते में जमा करने संबंधी सिफारिशें।
- जिला कार्यालयों को सौंपे गए अतिरिक्त् उत्तरदायितव जिनमें कवरेज तथा अनुपालना, देयों एवं क्षतियों का आकलन, दावों की प्राप्ति एवं पंजीकरण, शिकायतों की हैंडलिंग तथा जिला कार्यालय के अधिकार क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले प्रतिष्ठानों के संबंध में आकलित धनराशियों की वसूली शामिल है।

ईपीएफओ की फेसबुक तथा ट्विटर हैंडल

19.7 अपने हितधारकों से सूचना साझा करने हेतु ईपीएफओ के फेसबुक और ट्विटर हैंडल का निरंतर उपयोग किया गया। ईपीए हितधारकों को अपनी शिकायतें http://www.epfigms.gov.in ईपीएफओ के ऑनलाइन इंटरनेट शिकायत प्रबंधन पोर्टल – ईपीएफ आईजीएमएस पर पंजीकृत कराने हेतु प्रोत्साहित किया गया जिसमें अपनी शिकायतों की स्थिति की खोज खबर रखने की विशेषता मौजूद है। उनके प्रश्नों का उत्तर देते समय, उन्हें ईपीएफओ की वेबसाइट पर उपलब्ध विभिन्न ऑनलाइन सेवाओं अर्थात् यूएएन क्रियाशील बनाने, दावा स्थिति देखने की सुविधा, केवाईसी अद्यतनीकरण, अपना ईपीएफ शेष पता करने, सदस्यों के लिए एकीकृत पोर्टल के माध्यम से अंतरण दावा प्रस्तुत करके पहले के पीएफ खाते को चालू यूएएन में अंतरित करने के बारे में जानकारी दी गई।

19.8 वर्ष 2018–19 के दौरान, इन प्लेटफार्मों का उपयोग महत्वपूर्ण बैठकों/घटनाओं अर्थात् सीबीटी, ईपीएफ बैठक, ईपीएफओ के स्थापना दिवस समारोह तथा सरकार द्वारा पीएम–एसवाईएम के शुभारंभ पर प्रकाश डालने के लिए भी किया गया। 31.03.2019 की स्थिति के अनुसार, ईपीएफओ के फेसबुक पृष्ठ पर 1,42,298 तथा ट्विटर पर 27,500 से अधिक प्रशंसक थे।

कैलेंडरों के माध्यम से प्रचार

19.9 वर्ष 2019 के संबंध में 20,000 ईपीएफ कैलेंडर ईपीएफओ के सभी कार्यालयों को वितरित किए गए।

हितधारकों के लिए कॉल सेंटर की स्थापना

19.10 ईपीएफ सदस्यों को यूएएन के आवंटन की समूची प्रक्रिया के दौरान, यह अनुमान था कि नियोक्ता और कर्मचारी दोनों के लिए प्रक्रिया में मार्गदर्शन की आवश्यकता होगी जिन्हें केवाईसी की प्रक्रिया अपलोड करने, पहले की और वर्तमान सदस्यता को जोड़ने की प्रक्रिया अंतरित करने हेतु दर्ज करने, केवाईसी के प्रकार आदि पर स्पष्टीकरण जैसे पहलुओं में सहायता चाहिए।

19.11 तदनुसार, इस कार्यक्रम के शुभारंभ के प्रारंभिक चरणों से ही हेल्प डेस्क की स्थापना की गई जिसे इस अवधि के दौरान किए गए सभी प्रश्नों का समाधान करने में काफी सफल पाया गया है और यह यूएएन कार्यक्रम को सफल बनाने में सहायक रहा है। हेल्प डेस्क तक या तो टॉल फ्री नम्बर 1800118005 के माध्यम से तथा ई–मेल uanepf/epfindia.gov.in और employee/epfindia.gov.in एवं employer/epfindia.gov.in के माध्यम से पहुंचा जा सकता है।

नई पहलें

❖ ईपीएफआईजीएमएस का नवीकरण

19.12 ईपीएफओ की शिकायत निवारण प्रणाली के नवीकरण की प्रक्रिया चल रही है अर्थात् ईपीएफआईजीएनएस तथा ईपीएफआईजीएनएस संस्करण 2.0 का सिटिजन इंटरफेस मॉड्यूल 01.03.2019 से हितधारकों के लिए चालू कर दिया गया है और ईपीएफआईजीएनएस के ऑफिस मॉड्यूल पर कार्य एनआईसी द्वारा शुरू कर दिया गया है।

19.13 नवीकृत ईपीएफआईजीएनएस 2.0 अनेक उन्नत विशेषताओं से लैस है जिनमें से अत्यधिक महत्वपूर्ण ये हैं:–

- चार प्रमुख भूमिकाएं समाहित की गईं
- पीएफ सदस्य
- ईपीएस पेंशनभोगी
- नियोक्ता
- अन्य
- ओटीपी सत्यापन
- यूएएन पर आधारित शिकायत/परिवाद ऑनलाइन दायर करना
- यूएएन ईपीएफओ के मास्टर डेटाबेस से समेकित किया गया जिसके परिणामस्वरूप शिकायत के निवारण हेतु ईपीएफ कार्यालय की पहचान हो जाती है
- यूएएन में उपलब्ध बहुसंख्य पीएफ सदस्यों के संबंध में शिकायत दायर की जा सकती है
- ईपीएफओ के केन्द्रीयकृत डेटाबेस से ईपीएस पेंशनभोगियों के लिए पीपीओ संख्या वैधीकरण/समेकन
- लंबित शिकायत के लिए अनुस्मारक भेजना
- स्थिति देखना
- शिकायत निवारण के संबंध में फीडबैक प्रदान करना
- शिकायत आशंकित क्षेत्रों का पता लगाने हेतु व्यापक श्रेणीकरण
- नए अंशदाता एक से अधिक दस्तावेज अपलोड कर सकते हैं

19.14 इसके अलावा, एक बार शिकायत पंजीकृत हो जाए, प्रणाली विशिष्ट पंजीकरण संख्या तैयार करती है और एसएमएस एवं ई–मेल के माध्यम से पावती तैयार करती है, नवीकरण के उपरांत अब शिकायत के पंजीकरण में आसानी, त्वरित निवारन होता है तथा इंटरफेस द्विभाषी है।

कॉल सेंटर

19.15 पहले ईपीएफओ के कॉल सेंटर का प्रबंधन आईएस प्रभाग द्वारा किया जाता था। सीपीएफसी के निदेशों के अनुसार, मार्च, 2019 से सीएसडी कॉल सेंटर का प्रबंधन कर रहा है।

19.16 टॉल फ्री नम्बर 1800118005 employeefeedback/epfindia.gov.in और employerfeedback/epfindia.gov.in पर प्राप्त ई–मेल का उत्तर दे रहे हैं। टॉल फ्री नम्बर पर हमारी 16 लाइनें हैं तथा कामकाजी घंटों के दौरान इन्हें डीईओ द्वारा चलाया जाता है।

सरकार द्वारा प्रारम्भ की गई राष्ट्रीय ई–गवर्नें सयोजना सरकार के कार्य संचालन में पारदर्शिता लाने पर केन्द्रित है। ई–गवर्नेंस पर सरकार की कार्यसूची का क्रियान्वयन सुनिश्चित करने हेतु मंत्रालय में "सूचना प्रौद्योगिक विकास "योजना" स्कीम क्रियान्वित की जा रही है। इस योजना का उद्देश्य मंत्रालय में विद्यमान सूचना प्रौद्योगिकी के ढ़ांचे को सुदृढ़ बनाना तथा उसका उन्नयन करना है। इसकी मंशा सरकारी तंत्र के कार्य संचालन के उच्च मानकों और कागज रहित कार्यालय की दिशा में आगे बढ़ना है।

अध्याय–20

सतर्कता एवं लोक शिकायतों का निपटारा

20.1 मुख्य सतर्कता अधिकारी की भूमिका और कार्य

पृष्ठभूमि – संगठन में शुद्धता, विश्वसनीयता और दक्षता के रखरखाव के लिए प्राथमिक जवाबदेही सचिव, श्रम और रोजगार मंत्रालय में निहित है। मुख्य सतर्कता अधिकारी सचिव को उसके सतर्कता कार्यों के निर्वहन में सहायता करता है। सीवीओ मुख्य कार्यकारी के लिए एक विशेष सहायक/सलाहकार के रूप में कार्य करता है और सतर्कता से संबंधित सभी मामलों में सीधे/उसे रिपोर्ट करता है। सीवीओ मंत्रालय के सतर्कता प्रभाग का प्रमुख होता है और मंत्रालय एवं केंद्रीय सतर्कता आयोग तथा केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो के बीच भी संपर्क स्थापित करता है। मुख्य सतर्कता अधिकारी को केंद्रीय सतर्कता आयोग के पूर्व परामर्श के साथ नियुक्त किया जाता है और कोई भी व्यक्ति जिसकी उस हैसियत पर नियुक्ति आयोग द्वारा आपत्ति की जाती है, उसकी नियुक्ति की जा सकती है।

सीवीओ के सतर्कता कार्य व्यापक रूप से होते हैं और इसमें शामिल भ्रष्ट प्रथाओं के बारे में खुफिया जानकारी एकत्र करना, या उनके संगठन के कर्मचारियों द्वारा प्रतिबद्ध होने की संभावना शामिल है; जाँच करना या जिसके कारण उस पर आरोप लगाया गया है, उसकी जाँच की जा रही है; जहां भी आवश्यक हो, अनुशासनात्मक सलाह पर आगे विचार करने के लिए जांच रिपोर्ट संसाधित करना, अनुचित प्रथाओं/कदाचारों को रोकने के लिए कदम उठाना, आदि। इसे मोटे तौर पर तीन भागों में विभाजित किया जा सकता है– (i) निवारक सतर्कता, (ii) दंडात्मक सतर्कता और (iii) निगरानी तथा पता लगाना।

20.2 वर्ष 2019 के दौरान निष्पादन का एक दृश्य

दंडात्मक सतर्कता

शिकायतें–वर्ष 2019–20 (अभी तक) के दौरान प्राप्त सभी शिकायतों को उचित रूप से संबोधित किया गया है।

विभागीय कार्यवाही– विभागीय कार्यवाही का एक नया मामला शुरू किया गया और इस वर्ष के दौरान एक मामले को अंतिम रूप दिया गया। संबंधित पूछताछ अधिकारियों को आवश्यक दिशा–निर्देश जारी कर लंबित विभागीय कार्यवाही को शीघ्रता से अंतिम रूप देने का यथार्थ प्रयास किया गया।

अभियोजन संस्वीकृति– वर्ष के दौरान सीबीआई/एसीबी द्वारा मांगे गए सभी अभियोजन प्रतिबंधों को मान्यता दी गई थी। कोई भी अभियोजन स्वीकृति का मामला तीन महीने से अधिक समय से लंबित नहीं है।

निवारक सतर्कता– मंत्रालय के कर्मचारियों द्वारा प्रस्तुत वार्षिक संपत्ति रिटर्न की सही तरीके से जांच की जाती है ताकि भ्रष्ट इरादे को रोका जा सके यदि कोई हो। संबंधित कर्मचारियों की आय के ज्ञात स्रोतों के आलोक में चल/अचल संपत्ति के अधिग्रहण/निपटान के संबंध में दी गई सभी सूचनाओं की भी ठीक से जाँच की गई। 28.10.2019 से 02.11.2019 तक मंत्रालय में सतर्कता जागरूकता सप्ताह मनाया गया। 28.10.2018 को मंत्रालय में अधिकारियों और कर्मचारियों के सदस्यों ने सत्यनिष्ठा प्रतिज्ञा लिया।

मंत्रालय में जाँच अधिकारी/प्रस्तुति अधिकारी, मंत्रालय के संलग्न/अधीनस्थ कार्यालयों के सतर्कता अधिकारियों तथा मंत्रालय के अधिकारियों/अधिकारिकों हेतु एक कार्यशाला 30 अक्टूबर, 2019 को आयोजित की गई थी, जिसमें सी भी सी से एक व्यक्ति ने प्रभावी जाँच, शिकायत से निपटने के तंत्र एवं निवारक सतर्कता उपाय पर सत्र आयोजित किया था।

मुख्य सचिवालय में शिकायत निवारण

20.3 मंत्रालय में मुख्य रूप से दो तरीके से शिकायतें प्राप्त होती हैं, अर्थात ऑनलाइन केंद्रीकृत लोक शिकायत

निवारण एवं निगरानी प्रणाली (CPGRAMS) पोर्टल (https:/ /pgportal.gov.in) और विभिन्न स्रोतों से ऑफ–लाइन (भौतिक) रूप में हाल ही में कई पीड़ित व्यक्ति/समूह ई–मेल और सोशल मीडिया के माध्यम से मंत्रालय को अपनी शिकायतें भी दे रहे हैं।

20.4 लोक शिकायत निवारण के कार्य को मंत्रालय द्वारा उच्च महत्व दिया जाता है और नियमित रूप से सचिव (एल एंड ई) के उच्चतम स्तर पर इसकी समीक्षा की जाती है। मंत्रालय के सीपीजीआरएएमएस पोर्टल खाते में 07/11/2019 को तैयार रिपोर्ट के अनुसार, श्रम एवं रोजगार मंत्रालय द्वारा पीजी पोर्टल (सीपीजीआरएएमएस) पर 01–01–2019 से 31–10–2019 अवधि में प्राप्त की गई शिकायतें का औसत निपटान समय 11 दिन है।

20.5 श्रम एवं रोजगार मंत्रालय द्वारा सीपीजीआरएएमएस पोर्टल में 2016 से 2019 की अवधि के दौरान (दिनांक 01.10.2016 से 31.10 बजे तक) लोक शिकायत के आंकड़े, प्राप्त हुए जो अनुबंध–PG.1 में दिखाए गए हैं।

अवधि 2019–2020 (01.01.2016 से 31.10.2019 तक) के दौरान श्रम एवं रोजगार मंत्रालय द्वारा ऑनलाइन CPGRAMS पोर्टल (https:/pgportal.gov.in) में प्राप्त सार्वजनिक शिकायतों का वर्ष–वार ब्यौरा)

क्र. सं.	वर्ष / अवधि	पिछले वर्ष की शिकायतों की संख्या को आगे लाया गया	वर्ष / अवधि के दौरान प्राप्त शिकायतों की संख्या	वर्ष / अवधि के दौरान प्राप्त शिकायतों की कुल संख्या	वर्ष / अवधि के दौरान निपटाये गय मामले	वर्ष / अवधि के शेष में लंबित मामले	निपटान का प्रतिशत
1.	01.01.2016 31.12.2017	27	24343	24370	23294	1076	95.58:
2.	01.01.2017 से 31.12.2017	1076	32990	34066	32637	1429	95.80:
3.	01.01.2018 से 31.12.2018	1429	35093	36522	35343	1179	96.77:
4.	01.01.2019 से 31.12.2019	1177	38739	39916	38660	1256	96.85:

(*) ध्यातव्य 1. उपरोक्त आकड़े मंत्रालय के नोडल लोक शिकायत कार्यालय के सीपीग्राम पोर्टल खाते में 10.04.2019 को उत्पन्न रिपोर्ट के अनुसार है।

2. सीपीग्राम पोर्टल में उत्पन्न रिपोर्ट में दर्शाये गये आकड़े प्रकृति रूप से गत्यात्मक है, अथार्त इनमें से कुछ आकड़े विभिन्न कारकों/तकनीकिताओं के कारण रिपोर्टों के निर्माण की तारीख और समय के आधार पर समय–समय पर थोड़ा बदल सकते है।

कर्मचारी राज्य बीमा निगम (ईएसआईसी) में लोक शिकायतों का निवारण

20.6 भारत सरकार, लोक शिकायत निदेशालय द्वारा जारी निर्देशों के अनुपालन में, निगम लोक शिकायतों के गुणात्मक और त्वरित निवारण हेतु सभी प्रयास कर रहा है। निगम अपने सभी कार्यालयों में तैनात लोक शिकायत अधिकारियों के एक नेटवर्क माध्यम से भिन्न–भिन्न तिमाही में बीमित व्यक्ति, उनके परिवार के सदस्य, नियोक्ता/कर्मचारी संघ, कर्मचारी संघ, सांसद/विधायक/वीआईपी आदि के माध्यम से प्राप्त लोक शिकायतों की निगरानी करता है। प्रधानमंत्री कार्यालय और कैबिनेट सचिवालय से प्राप्त शिकायतों का प्रभावी और समय पर निवारण हेतु हेड क्वार्टर कार्यालय के वरिष्ठ अधिकारियों के द्वारा निगरानी की जाती है।

20.7 क्षेत्रीय कार्यालयों, उप–क्षेत्रीय कार्यालयों, ईएसआई अस्पतालों/औषधालयों में प्राप्त लोक शिकायतों की निगरानी नामित लोक शिकायत कार्यालयों द्वारा की जा रही है। इसके अलावा, निगम के वरिष्ठ अधिकारियों और ट्रेड यूनियनों के प्रतिनिधियों और नियोक्ता के प्रतिनिधियों की उपस्थिती में, संबंधित क्षेत्रों/उप–क्षेत्रों/शाखा कार्यालयों के स्तर पर नियमित अंतराल पर सुविधा समागम/ओपेन हाउस बैठकें आयोजित की जा रही है। जहां भी यह संभव हो, वहाँ की शिकायतों के निवारण हेतु आमतौर पर क्षेत्रीय निदेशक/उप–क्षेत्रीय कार्यालय के निदेशक (प्रभारी) या वरिष्ठ अधिकारी की अध्यक्षता में इस तरह की बैठकें होती है।

20.8 राज्यों में, जहां ईएसआई योजना लागू की गई है, समय–समय पर शिकायतों के निवारण के लिए क्षेत्रीय निदेशकों द्वारा राज्य सरकार के अधिकारियों के साथ चिकित्सा लाभ से संबंधित शिकायतों को उठाया जा रहा है। निगम अपने अधिकारियों और कर्मचारियों के लिए लोक शिकायतों पर कार्यशाला और सेमिनार आयोजित करता है। निर्देश, परिपत्र और अन्य महत्वपूर्ण जानकारी भी वेबसाइट पर अपलोड की गई है।

20.9 टोल फ्री हेल्पलाइन नंबर 1800–11–2526 स्थापित किया गया है, जो चौबीसों घंटे कार्यात्मक है। ईएसआईसी ने एक नई चिकित्सा टोल फ्री हेल्पलाइन 1800–11–3839 भी शुरू की है जो सभी दिनों में चौबीसों घंटे चलने वाली है।

20.10 दिनांक 01.04.2019 से 31.10.2019 तक ईएसआई द्वारा सीपीग्राम पोर्टल पर प्राप्त लोक शिकायत और उसके निवारण का विवरण निम्नानुसार है :–

1	31.03.2019 को लंबित शिकायतें	195
2	01.04.2019 से 31.10.2019 तक प्राप्त शिकायतें	2328
3	कुल	2523
4	01.04.2019 से 31.10.2019 की अवधि तक शिकायतों का निपटान	2236
5	31.10.2019 तक नहीं निपटाए गये शिकायतें	287
6	15 दिनों से अधिक समय से लंबित शिकायतों की संख्या	168 (287 में से)

20.11 ईएसआईसी में सतर्कता गतिविधियाँ

ईएसआई निगम की सतर्कता शाखा भ्रष्टाचार उन्मूलन संबंध में केंद्रीय सतर्कता आयोग से नीतियों, निर्देशों और दिशानिर्देशों को लागू करती है, केंद्रीय सतर्कता आयोग के माध्यम से प्राप्त शिकायतों पर जांच सहित विभिन्न निवारक और दंडात्मक सतर्कता गतिविधियों का संचालन करती है और ईएसआईसी (स्टाफ एवं सेवा शर्तें) विनियम, 1959 सतर्कता के तहत निगम के अधिकारियों के खिलाफ जो भ्रष्ट आचरण में शामिल और कदाचार में लिप्त है, विभागीय कार्रवाई शुरू करती है। हेडक्वार्टर कार्यालय में सतर्कता प्रभाग का नेतृत्व मुख्य सतर्कता अधिकारी करता है जिसकी सहायता एक अतिरिक्त आयुक्त और अन्य अधिकारी करते है। चार आंचलिक सतर्कता कार्यालय और चार आंचलिक जाँच कार्यालय (विभागीय पूछताछ) दिल्ली, मुंबई, चेन्नई और कोलकाता में स्थित है। एक मेडिकल विजिलेंस सेल भी है, जिसके तहत विभिन्न रैंकों के कई मेडिकल विजिलेंस अधिकारी कार्य कर रहे है, जो मेडिकल संबंधित मुद्दों से संबंधित निरीक्षण/जाँच, एसएसटी भुगतानों की जाँच आदि के लिए जवाबदेह है। शिकायतों की जाँच आंचलिक सतर्कता अधिकारियों और एमवीओ के द्वारा की जाती है

और विभागीय पूछताछ, आंचलिक जाँच अधिकारियों (विभागीय पूछताछ) और अनुशासनात्मक प्राधिकरण द्वारा जाँच अधिकारियों के रूप में नियुक्त/सूचीबद्ध अन्य अधिकारियों द्वारा की जाती है। एक निवारक उपाय के रूप में, विभिन्न राज्यों में तैनात आंचलिक सतर्कता इकाई और मेडिकल सतर्कता अधिकारी, अपने–अपने अधिकार क्षेत्र में आने वाले ईएसआई कार्यालयों यानि क्षेत्रीय कार्यालयों, उप–क्षेत्रीय कार्यालयों, शाखा कार्यालयों, अस्पतालों और डिस्पेंसरी आदि का समय–समय पर औचक निरीक्षण करते है। आंचलिक सतर्कता अधिकारियों द्वारा एसएसओ द्वारा ईएसआई अधिनियम के तहत पंजीकृत नियोक्ताओं के निरीक्षणों की शुद्धता की जाँच का जाँच निरीक्षण भी किया जाता है।

दिनांक 01/04/2019 से 31/10/2019 के दौरान सतर्कता विभाग द्वारा सम्पन्न विभिन्न गतिविधियों के संबंध में स्थिति निम्नानुसार है :–

1. इस अवधि के दौरान 73 अनुशासनात्मक मामलों में दंड आदेश पारित किए गए जिनमें से 14 आदेश मुख्यालय से पारित किए गए।
2. इस अवधि के दौरान कुल 96 आरोप पत्र जारी किए गए जिनमें से 07 आरोप पत्र मुख्यालय से जारी किए गए।
3. इस अवधि के दौरान विभिन्न अपीलकर्ताओं से 12 अपील मामले प्राप्त हुए और 3 आदेश पूर्व में प्राप्त अपील सहित पारित किए गए।
4. रिपोर्ट अवधि के दौरान सतर्कता दृष्टिकोण से जुड़ी 34 शिकायतों का निपटारा किया गया।
5. सभी तिमाही निलंबन समीक्षा बैठक समय पर आयोजित की गई है।
6. 3213 संपत्ति रिटर्न की जांच की गई है।
7. केंद्रीय सतर्कता आयोग को मासिक, तिमाही और वार्षिक रिटर्न समय पर भेजे गए हैं।
8. इस अवधि के दौरान 3 अभियोजन स्वीकृति मामले प्राप्त हुए और सभी मामलों में निर्धारित समय सीमा के भीतर मंजूरी दी गई।
9. अवधि के दौरान आंचलिक सतर्कता कार्यालयों द्वारा किए गए निरीक्षण की संख्या 39 हैं।
10. इस अवधि के दौरान क्षेत्रीय सतर्कता द्वारा छूटी हुई मजदूरी राशि रु.1019928/– का पता लगाया गया।
11. सुपर स्पेशिलिटी ट्रीटमेंट बिलों की जांच चिकित्सा सतर्कता अधिकारियों द्वारा की गई और अतिरिक्त भुगतान की राशि रु.6809893.00/– पूर्वोक्त अवधि के दौरान वसूल किए गए।
12. ई एस आई सी ने "निवारक सतर्कता" पर सर्वोत्तम अभ्यास के संकलन में भारत के सी वी सी द्वारा 30/10/2019 को चित्रित किया।
13. देश भर में निगम के सभी कार्यालयों में 28.10.19 से 2.11.19 तक सतर्कता जागरूकता सप्ताह का आयोजन किया गया। इस अवसर पर सी वी सी के दिशा–निर्देशों के अनुसार पूरे देश में ई एस आई सी के सभी कार्यालयों में विभिन्न गतिविधियों का आयोजन किया गया। मुख्यालय कार्यालय, नई दिल्ली में भी सी वी ओ, ई एस आई सी एवं सी टी ई, सी वी सी द्वारा क्रमशः प्रश्नोत्तरी प्रतियोगिता, "प्रतिस्पर्धा–जीवन का एक तरीका" और "खरीद के मुद्दों" पर एक व्याख्यान शृंखला सहित विभिन्न गतिविधियों का आयोजन किया गया था।

सतर्कता विभाग, क.भ.नि.सं.

20.12 प्रशासन में पारदर्शिता, दक्षता और अखंडता सुनिश्चित करने के लिए क.भ.नि.सं.के सतर्कता विभाग ने अपने ग्राहक सदस्यों को त्वरित, प्रभावी और परेशानी मुक्त सेवा सुनिश्चित करने के लिए भ्रष्टाचार को रोकने, नियंत्रण करने और अंकुश लगाने के लिए निवारक सतर्कता उपायों की एक बहुस्तरीय रणनीति अपनाई है।

20.13 जैसे–जैसे संगठन बढ़ते ग्राहकों के आधार के साथ बड़ा होता गया, उसके कार्य अधिक विविध होते गए और उसे सेवा प्रदत जिम्मेदारियों की बढ़ती मात्र का सामना करना पड़ा और फलस्वरूप इसकी जवाबदेही भी

कई गुना बढ़ गई। इन परिस्थितियों में सतर्कता विंग की भूमिका अभी अधिक महत्वपूर्ण हो गई। क.भ.नि.सं. में सतर्कता प्रभाग का नेतृत्व नई दिल्ली में मुख्यालय में संयुक्त सचिव स्तर के मुख्य सतर्कता अधिकारी द्वारा किया जाता है। हैदराबाद, मुंबई, कोलकता और नई दिल्ली में उप–निदेशक (सतर्कता) की अध्यक्षता में चार जोनल सतर्कता निदेशालय है जो सक्रिय रूप से निवारक सतर्कता उपाय के प्रभावी कार्यान्वयन की निगरानी करते है।

I निवारक सतर्कता

- एकल बैंक खाते में कई भुगतानों की पहचान के लिए सॉफ्टवेयर टूल का विकास

  इसने न केवल संभावित मामलों की पहचान करके धोखाधड़ी को रोकने के लिए कार्य किया बल्कि एकल बैंक खाते में कई भुगतनों में धोखाधड़ी के पिछले उदाहरणों का पता लगाया।

- समवर्ती लेखा परीक्षा प्रणाली का परिचय

  इसमें, सदस्यों को उनके प्रोफाइल में एक बड़े बदलाव, उच्च मुल्य के दावे, निष्क्रिय खातों आदि से जुड़े लेनदेन, ऐसे लेनदेन की शुद्धता को सत्यापित करने के लिए फिर से ऑडिट किए जाते है।

- सदस्यों को अंशदान जमा न करने की सूचना

  अधिक पारदर्शिता लाने के लिए उन क.भ.नि. सदस्यों को एस एम एस के माध्यम से सूचना भेज दी जाती है जिनके अंशदान नियत महीने में नियोक्ता द्वारा किसी भी महीने में जमा नहीं किया जाता है।

II दंडात्मक सतर्कता

- **शिकायतें**

  2018–19 के डोरण 1452 नई शिकायतें प्राप्त हुई साथ ही पिछले वर्ष से 6 प्रारम्भिक शेष में आगे बढ़ाया गया (कुल शिकायतों की संख्या : 1458)। इन 1458 शिकायतों में से 1407 वर्ष के दौरान निपटाया जबकि 51 शेष वर्ष के अंत में लंबित हैं।

- सी0भी0सी0 की पहली और दूसरी चरण की सलाह

  पिछले वर्ष के दौरान, 2 सी0भी0सी0–प्रथम चरण सलाह (बड़ी और लघु शास्ति) प्राप्त हुई जबकि 6 सी0भी0सी0–प्रथम चरण सलाह (बड़ी और लघु शास्ति) वर्ष की शुरुआत में लंबित थी। इन 8 मामलों में से 3 मामलों का निपटारा हुआ है और 5 मामले लंबित है। इसी प्रकार, वर्ष की शुरुआत में 6 सी0भी0सी0 द्वितीय चरण की सलाह लंबित थी और वर्ष के दौरान 6 सी0भी0सी0 द्वितीय चरण की सलाह प्राप्त हुई। इन 12 मामलों में से 10 मामलों का निपटारा किया गया जबकि 2 मामले वर्ष के अंत में लंबित रहा।

- प्रारम्भ किए गए अनुशासनात्मक कार्यवाही

  वर्ष के दौरान, 4 नई अनुशासनात्मक कार्यवाही शुरू की गई थी। ये सभी बड़ी शास्ति की कार्यवाही थी।

- अनुशासनात्मक कार्यवाही का अंतिम निपटारा

  वर्ष के दौरान, 30 अनुशासनात्मक कार्यवाहियों को अंतिम रूप दिया गया। इनमें से 29 बड़ी शास्ति की कार्यवाही थी और 1 लघु शास्ति की कार्यवाही थी।

- अभियोजन स्वीकृति की मंजूरी

  वर्ष 2018–19 के दौरान अभियोजन स्वीकृति के 5 मामलों को मंजूरी दी गई।

III निगरानी और खोज

- सी0बी0आई0/ए0सी0बी0 के साथ समन्वय बैठक

  सी0बी0आई0/ए0सी0बी0 के साथ समन्वय बैठकें की गईं और सहमति सूची तैयार की गई और ओ0डी0आई0 सूची अपडेट की गई।

- दिनांक 29.10.2018 से 03.11.2018 तक सभी ईपीएफओ कार्यालयों में ''भ्रष्टाचार उन्मूलन– एक नया भारत का निर्माण'' विषय पर सतर्कता जागरूकता सप्ताह – 2018 पर मनाया गया।

सप्ताह के दौरान निम्नलिखित गतिविधियां शुरू की गई थीं:

- देश भर में ईपीएफओ द्वारा आयोजित सतर्कता जागरूकता सप्ताह गतिविधियां और कार्यक्रमों के दौरान लगभग 31637 नागरिकों ने ईमानदारी की

ई–शपथ ली।

- कार्यक्रम के प्रसार के रूप में, देश भर के विभिन्न स्कूलों और कॉलेजों में विभिन्न गतिविधियां आयोजित की गईं, 119 शहरों के करीब 146 स्कूलों और 54 कॉलेजों में निबंध लेखन, वाक्पटुता, नारा लेखन, वाद–विवाद, पोस्टर मेकिंग, पैनल डिस्कशन आदि प्रतियोगिताएं आयोजित की गईं। इन गतिविधियों में करीब 19984 छात्रों ने भाग लिया।

- ईपीएफओ के सभी प्रशासनिक कार्यालयों और पेट्रोल पंपों/रेलवे स्टेशन/बैंकों, हवाई अड्डे आदि जैसे प्रमुख सार्वजनिक स्थानों पर सप्ताह के दौरान सतर्कता जागरूकता सप्ताह के विषय को दर्शाते हुए बैनर/पोस्टर प्रदर्शित किए गए। ईपीएफओ के सभी प्रतिष्ठानों/सदस्यों को मेल के माध्यम से भ्रष्टाचार को समाप्त करने का संदेश देते हुए हैंडआउट्स/पर्चे भी मैन्युअल रूप से वितरित किए गए।

- ग्रामीण क्षेत्रों में जागरूकता फैलाने के लिए ईपीएफओ के कई कार्यालयों द्वारा कुल 1478 'जागरूकता ग्राम सभाओं' का आयोजन किया गया।

- सतर्कता जागरूकता सप्ताह 2018 यानी ''भ्रष्टाचार उन्मूलन– एक नए भारत का निर्माण'' विषय पर ध्यान केंद्रित करते हुए ईपीएफओ के सभी कार्यालयों में निबंध लेखन, वाक्पटुता, स्लोगन लेखन, वाद–विवाद, पोस्टर मेकिंग, पैनल डिस्कशन आदि जैसी विभिन्न गतिविधियों/प्रतियोगिताओं का आयोजन किया गया, जिसमें लगभग 1564 ईपीएफओ कर्मचारियों ने भाग लिया।

ईपीएफओ में जन शिकायतों का निवारण

ग्राहक सेवा और शिकायत निवारण तंत्र

20.14 संगठन अपने उद्देश्यों के अनुरूप ग्राहक सेवा और निधि के सदस्यों की शिकायतों के निवारण को विशेष महत्व देता है। कर्मचारी भविष्य निधि संगठन, मुख्यालय, नई दिल्ली और 21 अंचलों में गठित फील्ड, 135 क्षेत्रीय कार्यालयों (क्षेत्रीय भविष्य निधि आयुक्त –I के नेतृत्व में 100 क्षेत्रीय कार्यालय और क्षेत्रीय भविष्य निधि आयुक्त–II के नेतृत्व में 35 क्षेत्रीय कार्यालय) में मौजूद ग्राहक सेवा प्रभाग पूर्ण रूप से विकसित सहायता केंद्रों, जन संपर्क अधिकारियों और सहायक कर्मचारियों से सुसंपन्न हैं, जिनका उद्देश्य संगठन के सभी हितधारकों को गुणवत्तापूर्ण सेवा प्रदान करना है।

20.15 जन शिकायतों के हेंडलिंग और निपटारे हेतु ग्राहक सेवा प्रभाग का त्रिस्तरीय संगठनात्मक ढांचा है। मुख्य कार्यालय स्तर पर, इस प्रभाग का नेतृत्व अपर केंद्रीय भविष्य निधि आयुक्त, मुख्यालय द्वारा अपर केंद्रीय भविष्य निधि आयुक्त, क्षेत्रीय भविष्य निधि आयुक्तों, सहायक भविष्य निधि आयुक्त और जन संपर्क अधिकारियों के सहायता से की जाती है।

20.16 क्षेत्रों के क्षेत्रीय भविष्य निधि आयुक्त, अपने–अपने कार्यालयों में ग्राहक सेवा प्रभाग का नेतृत्व करते हैं और सभी कार्य दिवसों में सदस्यों की शिकायत के समाधान के लिए उपलब्ध रहते हैं। प्रत्येक क्षेत्र के कार्यालय में एक पूर्ण सुविधायुक्त सहायता केंद्र होता है जो यह जनसंपर्क अधिकारी द्वारा संचालित होता है।

20.17 इसके अलावा देश के सभी इक्कीस जोनों में अपर केंद्रीय भविष्य निधि आयुक्त, शिकायत हैंडलिंग प्रणाली पर निगरानी रखते हैं और अपने क्षेत्राधिकार अंतर्गत कार्यालयों से संबंधित शिकायतों का निवारण करवाते हैं।

20.18 क्षेत्रीय भविष्य निधि आयुक्त, शिकायतों की प्राप्ति और निपटान की बारीकी से निगरानी करते हैं, जिसका उद्देश्य उनके कार्यालयों में उन शिकायतों का तत्काल निवारण करना और ईपीएफओ के ग्राहकों को सेवा में सुधार लाना है। प्रत्येक कार्यालय के नोडल अधिकारी, यह सुनिश्चित करने के लिए जिम्मेदार है कि उस कार्यालय से संबंधित शिकायतों का तत्काल निवारण हो ताकि समग्र शिकायतों को कम किया जा सके। वह अपने संबंधित कार्यालय में शिकायतों के निपटारे में किसी भी अत्यधिक देरी के लिए व्यक्तिगत रूप से भी उत्तरदायी होता है।

20.19 शिकायतें, स्वयं उपभोक्ताओं और नियोक्ताओं द्वारा की जाती हैं और इसके अलावा माननीय प्रधानमंत्री, श्रम मंत्री, कैबिनेट सचिवालय, जनप्रतिनिधि आदि के कार्यालय

से भी इसे ईपीएफओ को भेजा जाता है।

जन शिकायतें निम्नलिखित तरीकों से प्राप्त होती हैं:–

- इंटरनेट आधारित पोर्टल्स पर ऑनलाइन।
- पोस्ट/ईमेल द्वारा
- व्यक्तिगत/फोन द्वारा

20.20 प्राप्त शिकायतें मुख्य रूप से निम्नलिखित क्षेत्रों से संबंधित होते हैं:

- भविष्य निधि संचय का हस्तांतरण न होना।
- भविष्य निधि की अंतिम निकासी
- पीएफ कार्यालय से संबंधित उपभोक्ता के केवाईसी से संबंधित मामले।
- दावा का निपटान होने के पश्चात भी राशि का सदस्य के बैंक खाते में जमा नहीं होना।
- पीएफ अग्रिम दावे का निपटान न होना।

20.21 ग्राहक सेवा प्रभाग में प्राप्त सभी शिकायतों को कंप्यूटरीकृत प्रणाली (EPFiGMS) में पंजीकृत किया जाता है और पावती, सदस्य को ईमेल और एसएमएस द्वारा भेजी जाती है। तदोपरांत, संबन्धित फील्ड कार्यालयों को उन शिकायतों को निवारण हेतु भेज दी जाती हैं। सिस्टम सपोर्ट से नियमित आधार पर शिकायतों की निगरानी की जाती है।

20.22 ईपीएफओ में सेवा मानकों में सुधार के प्रति प्रतिबद्धता को दोहराते हुए समय–समय पर व्यापक नीतिगत दिशा–निर्देश जारी किए जाते हैं और मुख्य कार्यालय और आंचलिक कार्यालयों द्वारा उनकी गहनता से निगरानी की जाती है। प्रदर्शन मूल्यांकन में, शिकायत हैंडलिंग की गुणवत्ता भी काफी मायने रखती है।

जन शिकायतों के ऑनलाइन पंजीकरण और निवारण

20.23 जन शिकायतों के ऑनलाइन पंजीकरण और उनके निवारण की सुविधा निम्नलिखित इंटरनेट आधारित शिकायत हैंडलिंग सिस्टम पर उपलब्ध है:–

- ईपीएफओ वेबसाइट (www.epfindia.gov.in) पर उपलब्ध पोर्टल में ईपीएफ इंटरनेट शिकायत प्रबंधन प्रणाली (EPFigms) के उपयोग द्वारा।।

20.24 वर्ष 2010 में शुरुआत किया गया ईपीएफआईजीएमएस (EPFigms), एक इंटरनेट आधारित शिकायत प्रबंधन प्रणाली है जिसे सी0एस0डी0 द्वारा एनआईसी के सहयोग से विकसित किया गया है, और इसे संगठन की जरूरतों के अनुकूल बनाया गया है। अंतिम निवारण तक शिकायतों को रिकॉर्ड करने, स्वीकार करने और ट्रैक करने/निगरानी रखने हेतु सिंगल विंडो प्लैटफार्म प्रदान करने के उद्देश्य से ईपीएफआईजीएमएस (EPFigms) को विकसित किया गया है

20.25 विगत दो वर्षों के दौरान प्राप्त शिकायत और उनका निवारण संबंधित ब्यौरा नीचे दिया गया है:

	2018-19	**2017-18**
वर्ष के प्रारम्भ में लंबित शिकायत	3272	2254
वर्ष के दौरान प्राप्त	645040	423430
कुल	**648312**	**425684**
वर्ष के दौरान निस्तारित	643097	422412
वर्ष के अंत में अंतशेष	5215	3272
निस्तारण का प्रतिशत	**99.19**	**99.23**

- भारत सरकार के पी0जी0 पोर्टल (www.pgportal.gov.in) में केंद्रीकृत लोक शिकायत निवारण और निगरानी प्रणाली (CPGRAMS) के उपयोग द्वारा।

20.26 सीपीग्राम (CPGRAMS), भारत सरकार के कार्मिक, पीजी और पेंशन मंत्रालय के अंतर्गत एड्मिनिस्ट्रेटिव रिफार्म्स एंड पी0 जी0 विभाग (डीएआरपीजी) द्वारा विकसित और क्रियान्वित एक प्रोग्राम है, जो संगठन में सफलतापूर्वक लागू किया गया है। शिकायतों की निगरानी और निराकरण के लिए नियमित रूप से सभी कार्यालय सीपीग्राम (CPGRAMS) का उपयोग कर रहे हैं।

20.27 ईपीएफआईजीएमएस (EPFigms) के तहत पंजीकृत शिकायतों के अलावा, भारत सरकार के कार्मिक मंत्रालय, पीजी और पेंशन विभाग के अंतर्गत प्रशासनिक सुधार एवं

पीजी (डीएआरपीजी) के सीपीग्राम पोर्टल में 23,917 शिकायतें पंजीकृत की गई थीं। इन 23,917 शिकायतों में से वर्ष के दौरान 23,683 मामलों का निपटारा किया गया और 31–03–2019 तक 234 मामलें लंबित थे। कोई भी शिकायत 30 दिनों की अवधि से अधिक लंबित नहीं था।

20.28 अब, इस प्रणाली ने न केवल ग्राहकों को बिना किसी स्थानिक या अस्थायी प्रतिबंधों के अपनी शिकायतों/प्रश्नों को पंजीकृत करने की सुविधा प्रदान की है बल्कि शिकायतों के प्रबंधन में क्षेत्रीय कार्यालयों के लिए भी यह अत्यन्त महत्वपूर्ण साबित हुआ है। ग्राहक अब अपनी सुविधानुसार सिस्टम को कहीं से भी एक्सेस कर सकते हैं।

20.29 ईपीएफआईजीएमएस (EPFigms) कई उन्नत सुविधाओं से सुसज्जित है; सबसे महत्वपूर्ण यह है कि डेटाबेस द्वारा निर्देशित पंजीकृत शिकायतों की आवाजाही, जो पंजीकृत शिकायत को किसी भी कार्यालय में ट्रैक करती है, जिससे यह संबंधित है। एक बार शिकायत पंजीकृत होने के बाद, सिस्टम एक युनिक पंजीकरण संख्या जेनेरेट करता है और सीधे ग्राहकों के ईमेल (यदि दिया गया हो तो) में स्वतः पावती पत्र जेनेरेट करता है।

अध्याय – 21

अंतरराष्ट्रीय सहयोग

भारत एवं अंतरराष्ट्रीय श्रम संगठन (आईएलओ)

21.1 भारत अंतरराष्ट्रीय श्रम संगठन के संस्थापक सदस्यों में से एक है जो 1919 में अस्तित्व में आया एवं आईएलओ शासी निकाय का 1922 से एक स्थायी सदस्य है। वर्तमान में आईएलओ के 187 सदस्य हैं। आईएलओ का एक विशिष्ट गुण इसका त्रिपक्षीय दर्जा है। संगठन के प्रत्येक स्तर पर सरकार दो अन्य सामाजिक साझीदारों अर्थात् कामगारों एवं नियोक्ताओं से संबद्ध है। आईएलओ के तीन संस्थान हैं– (i) अंतरराष्ट्रीय श्रम सम्मेलन–आईएएलओ की महासभा जो कि प्रत्येक वर्ष के जून माह में इकट्ठा होती है। (2) शासी निकाय–आईएलओ की कार्यकारी परिषद् जो कि वर्ष में तीन बार, मार्च, जून एवं नवंबर माह में मिलती है तथा (3) अंतरराष्ट्रीय श्रम कार्यालय–एक स्थायी सचिवालय।

21.2 आईएलओ का वित्त पोषण मुख्यतया सदस्य देशों से प्राप्त अंशदान द्वारा होता है। आईएलओ बजट कैलेण्डर वर्ष का अनुसरण करता है एवं सदस्य देशों के सरकारों द्वारा एक पैमाने के अनुसार वार्षिक अंशदान का भुगतान किया जाता है जो कि यू.एन. के निर्धारण की तर्ज पर अंतरराष्ट्रीय श्रम सम्मेलन वर्ष दर वर्ष के आधार पर निर्धारित करती है। वर्ष 2020 के लिए भारतीय अंशदान की हिस्सेदारी एसएफ 3, 297,823 है जो भारतीय मुद्रा में रू. 24, 17,57,798/– है। भारत सरकार द्वारा आईएलओ को समय पर वार्षिक अंशदान का भुगतान किया जाता है। आईएलओ का कुल बजट एसएफ 392,877,422/– है।

21.3 भारत एवं आईएलओ के बीच पिछले काफी वर्षों से अत्यंत नजदीकी एवं क्रियाशील सहयोग के रूप में चिरस्थायी एवं जीवंत रिश्ते हैं। भारत ने आईएलओ के उद्देश्यों की प्राप्ति, इसके सोच की प्रक्रिया, विचार–विमर्श एवं कार्य करने के तरीके में महत्वपूर्ण भागीदारी निभाई है।

भारत द्वारा किए गए अनुसमर्थन

21.4 भारत ने अब 47 अभिसमयों का अनुसमर्थन किया है जिसमें 06 मूल या मौलिक मानव अधिकार अभिसमय जैसे बाध्यकारी श्रम अभिसमय (सी–29), समान पारिश्रमिक अभिसमय (सी–100), बाध्यकारी श्रम की समाप्ति अभिसमय (सी–105), भेदभाव (रोजगार एवं व्यवसाय) सम्मेलन (सी–111), न्यूनतम वेतन अभिसमय, 1973 (सी–138) एवं बाल श्रम का निकृष्ट रूप अभिसमय, 1999 (सी–182) तथा तीन अग्रता/शासन–प्रणाली अभिसमय जैसे श्रम निरीक्षण अभिसमय (सं. 81), रोजगार एवं सामाजिक नीति अभिसमय (सं. 122) एवं त्रिपक्षीय परामर्श (अंतरराष्ट्रीय श्रम मानक) शामिल हैं।

अंतरराष्ट्रीय श्रम सम्मेलन का 108वां सत्र

21.5 आईएलओ के अंतरराष्ट्रीय श्रम सम्मेलन (आईएलसी) का 108वां सत्र 10 जून से 21 जून, 2019 तक जेनेवा में संपन्न हुआ। माननीय श्रम एवं रोजगार राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) श्री संतोष गंगवार के नेतृत्व में एक उच्च स्तरीय त्रिपक्षीय प्रतिनिधिमंडल ने अंतरराष्ट्रीय श्रम सम्मेलन (आईएलसी) के 108वें सत्र में भाग लिया। श्रम एवं रोजगार मंत्रालय के आधिकारिकों के अलावा, प्रतिनिधिमंडल में कामगारों (सेंट्रल ट्रेड यूनियन ऑर्गेनाइजेशन) एवं सेंट्रल इम्पल्यार्स ऑर्गेनाइजेशन की तरफ से 17 प्रतिनिधि आईएलसी में शामिल हुए। आईएलसी के 108वें सत्र में भारतीय प्रतिनिधिमंडल में बिहार के माननीय श्रम मंत्री भी शामिल हुए।

21.6 सम्मेलन की कार्यसूची और सम्मेलन में रखी गई कार्यसूची की मदें

स्थायी मदें :

I) शासी निकाय के अध्यक्ष की रिपोर्टेय और महानिदेशक की रिपोर्ट: महानिदेशक द्वारा 2019 के अंतिम अधिवेशन में चर्चा के लिए दी गई प्रस्तुतियां, बेहतर भविष्य के लिए कार्य शीर्षक से भविष्य के कार्य संबंधी वैश्विक आयोग की रिपोर्ट

II) वर्ष 2020–21 के लिए कार्यक्रम एवं बजटीय प्रस्ताव एवं अन्य प्रश्न

III) अभिसमयों और सिफारिशों के अनुपालन पर सूचना एवं रिर्पोटें।

21.7 सम्मेलन अथवा शासकीय निकाय द्वारा कार्यसूची में रखी गयी मदें

IV) आईएलओ शताब्दी परिणामी दस्तावेज

V) कार्य जगत में हिंसा एवं उत्पीड़न (मानक निर्धारण, द्वितीय परामर्श)

VI) विभिन्न शताब्दी पहलों सहित कार्य के भविष्य से संबंधित विषयपरक चर्चाएं एवं घटनाएं

पूर्ण सत्र

21.8 14 जून, 2018 को अंतरराष्ट्रीय श्रम सम्मेलन के पूर्ण सत्र में बोलते हुए, माननीय श्रम एवं रोजगार मंत्री, श्री संतोष कुमार गंगवार ने आईएलओ को सफलतापूर्वक 100 वर्ष पूरे करने पर बधाई दी और श्रम कल्याण के प्रति भारत की प्रतिबद्धता को दुहराया। उन्होंने यह उल्लेख किया कि भारत कामगारों के न्यूनतम मजदूरी, सामाजिक सुरक्षा, समान कार्य के लिए समान वेतन और मर्यादित कार्यदशाओं से संबंधित अधिकार दिलाने के लिए निरंतर प्रयास कर रहा है। उन्होंने यह बताया कि इन लक्ष्यों को पूरा करने के उद्देश्य से भारत सरकार द्वारा मौजूदा श्रम कानूनों को 4 श्रम संहिताओं के रूप में परिवर्तित करने के लिए एक अभूतपूर्व प्रक्रिया शुरू की गई है। उन्होंने भारत में 400 मिलियन असंगठित कामगारों के लिए विश्व की सबसे बड़ी पेंशन योजना का आरंभ हाल ही में करने के बारे में भी बताया।

21.9 उन्होंने 100 वर्ष पुराने आईएलओ के पुनरुज्जीवन की आवश्यकता पर बल दिया ताकि यह सभी सदस्य देशों के साथ प्रभावी रूप से समन्वय करने के लिए तैयार हो सके। उन्होंने इस तथ्य को भी जोड़ा कि आईएलओ कामगारों को अनिवार्य सुविधाएं प्रदान करने और वैश्विक कार्यबल का निर्माण करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकता है, इसके लिए आईएलओ को अन्य बहुस्तरीय मंचों के साथ भागीदारी करते हुए एक समन्वयकारी संगठन के रूप में कार्य करना होगा।

समिति वार चर्चा:

क, मानकों के लागूकरण संबंधी समिति:

21.10 अभिसमयों एवं सिफारिशों के लागूकरण संबंधी समिति (सीईएसीआर) अभिसमयों और सिफारिशों के लागूकरण संबंधी सूचना और रिपोर्टों को डील करती है। इस समिति में अन्य सदस्यों के अतिरिक्त, श्री हीरालाल सामरिया, सचिव, श्रम एवं रोजगार, श्री राजीव चन्दर, राजदूत, पीएमआई, जिनेवा ने देश का प्रतिनिधित्व किया। भारत ने श्रम निरीक्षण अभिसमय से संबंधित अभिसमय 81 पर अपना मत रखा।

21.11 समिति ने 14 मार्च, 2018 को सेंटर ऑफ इंडियन ट्रेड यूनियन्स (सीटू) द्वारा की गई टिप्पणियों को नोट किया और यह जानने की इच्छा जतायी कि प्रस्तावित नये विधान अर्थात मजदूरी संहिता और ओएसएच संहिता से श्रम निरीक्षकों के लिए नए पहलों अर्थात बिना नोटिस के कार्यस्थल पर प्रवेश, जांचे गए उल्लंघनों की कुल संख्या

और सभी विशेष आर्थिक क्षेत्रों और केंद्र/राज्य क्षेत्र में श्रम संबंधी निरीक्षणों से संबंधित सांख्यिकीय सूचना तथा राज्य एवं केंद्रीय स्तर पर निरीक्षकों की संख्या सुनिश्चित होती है।

21.12 श्री हीरालाल सामरिया, सचिव, श्रम एवं रोजगार ने समिति को जानकारी दी कि सरकार भारत के 500 मिलियन कामगारों को कम से कम न्यूनतम मजदूरी प्राप्त करने के अधिकार का सार्वभौमिकरण करते हुए प्रत्येक कामगार को "उपजीविका का अधिकार" प्रदान करने की प्रक्रिया में है। उन्होंने इस बात पर भी बल दिया कि प्रस्तावित श्रम संहिताएं निरीक्षक की शक्तियों से कोई समझौता नहीं करतीं। प्रस्तावित श्रम संहिताओं में न्यायाधिकार मुक्त निरीक्षण प्रक्रिया शुरू करने का प्रस्ताव है, जो कि अघोषित निरीक्षण की ओर बढ़ने की दिशा में एक कदम है जिस संकल्पना के प्रभावी होने से किसी भी प्रतिष्ठान को निरीक्षण के समय अथवा निरीक्षक की पहचान से संबधित पूर्व सूचना प्राप्त नहीं हो सकेगी।

21.13 समिति द्वारा उठाए गए विशेष आर्थिक क्षेत्रों (एसईजेड) में निरीक्षणों के विशेष मुद्दे पर बोलते हुए उन्होंने बताया कि एसईजेड में श्रम कानूनों के क्रियान्वयन में कोई ढील नहीं दी गई है। विशेष रूप से तब जब श्रम संबंधी निरीक्षण की बारी आती है। एसईजेड में निरीक्षणों से संबंधित सांख्यिकीय आंकड़े स्पष्ट रूप से यह दर्शाते हैं कि एसईजेड में कराए गए निरीक्षणों की संख्या में पिछले तीन वर्षों में काफी वृद्धि हुई है।

21.14 सचिव, श्रम एवं रोजगार ने अपने अंतिम संबोधन में यह कहा कि यह दर्शाने के लिए कि अभिसमय 81 के उपबंध क्रियान्वित किए गए हैं, पर्याप्त साक्ष्य उपलब्ध कराए गए हैं और एसईजेड सहित भारत में विद्यमान प्रवर्तन तंत्र अभिसमय 81 के अनुच्छेदों के प्रावधानों का उल्लंघन नहीं करते हैं। उन्होंने यह भी कहा कि इस विषय पर उठाए गए गंभीर मुद्दों का निराकरण भारत सरकार द्वारा वर्ष 2015 से पत्रांकों की एक श्रृंखला के माध्यम से समुचित रूप से किया गया है और इस प्रकार इस मामले को समाप्त करने का अनुरोध किया जाता है।

21.15 मानकों के लागूकरण संबंधी समिति ने अपने अंतिम संबोधन में अगले आईएलसी से पूर्व भारत सरकार को प्रत्यक्ष संपर्क अभियान को स्वीकार करने और विशेषज्ञों की समिति के समक्ष 'नियोक्ताओं' और 'कामगारों' वाले अधिकांश प्रतिनिधि समूहों के साथ परामर्श करते हुए कानून परंपरा और पद्धति के अनुसार क्रियान्वयन की दिशा में संगठनों द्वारा की गई प्रगति संबंधी एक रिपोर्ट पर विस्तारपूर्वक व्याख्यान प्रस्तुत करने के लिए आमंत्रित किया। यद्यपि, भारतीय प्रतिनिधि मंडल ने यह महसूस किया कि निष्कर्ष परामर्शों को नहीं दर्शाते हैं और इसलिए वे समिति के निष्कर्षों को स्वीकार करने की स्थिति में नहीं है।

ख, निष्कर्षी समिति :

21.16 निष्कर्षी समिति ने परिणामी दघ्स्तावेज अर्थात भविष्य के लिए कार्य हेतु आईएलओ शताब्दी घोषणा पर चर्चा की। भारत ने अपने आरंभिक भाषण में प्रस्तावित परिणामी दस्तावेज से अपनी सहमति व्यक्त की परंतु यह भी सुझाव दिया कि परिणामी दस्तावेज में रोजगार सृजन, बाल श्रम का उन्मूलन, मानव तस्करी और बंधुआ श्रम जैसे कतिपय महत्वपूर्ण विषयों के बारे में उल्लेख होना चाहिए और उनपर बल दिया जाना चाहिए। इस दस्तावेज में रोजगार के नए स्वरूपों के संबंध में श्रम कानून के क्रियान्वयन तंत्र में सुधार करने के तरीकों के बारे में भी सुझाव होने चाहिए। आईएलओ के शासन तथा कार्यचालन में सुधार को भी परिणामी दस्तावेज में दर्शाया जाना चाहिए। इस बात पर बल दिया गया कि परिणामी दस्तावेज तैयार करते समय सदस्य देशों के बीच किसी प्रकार के मतभेदों का सम्मान किया जाना चाहिए और उनके राष्ट्रीय हितों को संरक्षित करने वाले विचारों को दर्शाया जाना चाहिए। भारत निष्कर्षी समिति के प्रारूपण समूह का सदस्य है और परिणामी दस्तावेज में कामगारों, नियोक्ताओं तथा सदस्य राष्ट्रों द्वारा प्रस्तवित संशोधनों पर विचार करता है।

ग, मानक स्थापन समिति : कार्य जगत में हिंसा एवं उत्पीड़न (द्वितीय परामर्श)

21.17 मानक स्थापन समिति ने "कार्य जगत में हिंसा एवं उत्पीड़न" विषय के प्रारूप लिखत पर चर्चा की। इस लिखत पर आईएलसी, 2018 के दौरान पहली बार चर्चा हुई जिसमें इस समिति में भारत का प्रतिनिधित्व श्री देवेंद्र सिंह, आर्थिक सलाहकार, श्रम एवं रोजगार मंत्रालय ने किया।

21.18 भारत ने समिति की बैठक में अपने आरंभिक संबोधन में कार्यजगत में हिंसा एवं उत्पीड़न के उन्मूलन के विषय पर एक विशिष्ट और सुपरिभाषित लिखत का समर्थन किया। इस दौरान इस बात पर बल दिया गया कि न सिर्फ घरेलू हिंसा बल्कि समाज में मौजूद किसी भी प्रकार की हिंसा अप्रत्यक्ष रूप में कार्य और संगठन की उत्पादकता तथा कामगार से संबंधित है। तथापि, कार्य जगत से संबंधित कोई भी व्यक्ति घरेलू हिंसा को दूर करने में कितनी सक्रिय भूमिका निभा सकता है, जबकि इसके बारे में एक अलग राष्ट्रीय विधान मौजूद है उसपर चर्चा करने की आवश्यकता है। भारत ने प्रारूप लिखत में अनेक संशोधनों का प्रस्ताव किया है।

21.19 कार्य जगत में हिंसा और उत्पीड़न विषय पर प्रारूप प्रस्तावित आईएलओ अभिसमय और सिफारिश को समिति में परामर्श के पश्चात अंतिम रूप देने के बाद 21 जून, 2019 को भारतीय श्रम सम्मेलन (आईएलसी) के पूर्ण सत्र में वोटिंग के लिए रखा गया। इन लिखतों को आईएलसी में अंगीकार किया गया क्योंकि दो तिहाई सदस्यों ने इसको अंगीकार करने के समर्थन में वोट किया था।

घ, वित्त समिति

21.20 समिति ने वर्ष 2020–21 के लिए कार्यक्रम और बजट को अंगीकार किया। भारत ने 2020–21 के लिए कार्यक्रम और बजट को अंगीकार करने और सदस्य राष्ट्रों के बीच आय के बजट के आबंटन के पक्ष में वोट किया। भारत ने भी आईएलओ में सोमालिया तथा सियेरा लियोन को वोट के लिए अनुमति देने के समर्थन में वोट किया।

ङ, विषयपरक सत्र

21.21 माननीय श्रम एवं रोजगार मंत्री ने बाल श्रम के विरुद्ध विश्व दिवस के अवसर पर विषय से संबंधित मंच पर जेनेवा में 13 जून, 2019 को 'बाल श्रम बिना एक–साथ बेहतर भविष्य' विषय पर लोगों को संबोधित किया। इस अवसर पर बोलते हुए उन्होंने कहा कि "बच्चे हमारा भविष्य हैं अतः हमें अपनी क्षमतानुसार वह सब कुछ करना चाहिए जो हमारे बच्चों के लिए शिक्षा और स्वास्थ्य तथा उन्हें एक मजबूत मानव पूंजी के रूप में तैयार करने के लिए बुनियाद बनाने में सहायक हो"। उन्होंने आईएलओ और उसके मंचों से यह आग्रह किया कि बाल श्रम के साथ–साथ बच्चों की तस्करी की समस्या से निपटने के लिए एक अंतर्राष्ट्रीय प्लेटफॉर्म का निर्माण किया जाए क्योंकि ये दोनों आपस में परस्पर जुड़े हुए हैं।

21.22 उन्होंने इस बात पर बल देते हुए कहा कि बाल श्रम के उन्मूलन के लिए भारत प्रतिबद्ध है और भारत सरकार द्वारा इस क्षेत्र में किए गए अनेक प्रयासों के ऊपर प्रकाश डाला जिसमें बाल श्रम (प्रतिषेध एवं संरक्षण) अधिनियम में संशोधन, राष्ट्रीय बाल श्रम कार्यक्रम, बाल श्रम से संबंधित आईएलओ अभिसमयों का अनुसमर्थन तथा पेन्सिल पोर्टल की शुरूआत शामिल है।

आईएलसी के 107वें सत्र के दौरान समानांतर बैठकें

एनएएम मंत्रीस्तरीय बैठक

21.23 17 जून, 2019 को आयोजित एनएएम मंत्रीस्तरीय

बैठक में सचिव, श्रम एवं रोजगार ने इस बात पर बल दिया कि 21वीं सदी की विकसित प्रौद्योगिकियों द्वारा परिवर्तनकारी बदलाव देखने को मिला है, जो विशेष रूप से सेवा क्षेत्र में और उत्पादन के विभिन्न क्षेत्रों में ऐसे अवसर उपलब्ध करा रहा है, जिनसे उत्पादकता तथा रोजगार की गुणवत्ता को बढ़ाने के लिए समन्वित प्रयास आरंभ किए जाते हैं। आईएलओ की पर्यवेक्षीय प्रणाली के संबंध में उन्होंने वस्तुपरकता, पारदर्शिता और भेदभावरहित प्रक्रियाओं की महत्ता पर बल दिया। साथ ही, उन्होंने जोर देकर यह भी कहा कि अलग–अलग मामलों की सूची तैयार करते समय यह देखा जाना चाहिए कि मौलिक तथा तकनीकी अभिसमयों, विकसित तथा विकासशील देशों और प्रांतों के बीच संतुलन बना रहे।

जी20 के श्रम एवं रोजगार मंत्रियों की बैठक

21.24 18 जून, 2019 को आयोजित जी20 श्रम एवं रोजगार मंघ्त्री स्तरीय बैठक में, सचिव, श्रम एवं रोजगार ने यह सुझाव दिया कि अलग–अलग देशों के विभिन्न क्षेत्रों में सक्रिय अंतर्राष्ट्रीय श्रमिक प्रवास में युवा जनसंख्या कि सबसे अधिक भागीदारी है जो जी20 के देश अनुभव कर रहे हैं और उनमें अलग–अलग जनांकिकीय परिवर्तनीय घटकों के होने के कारण जी20 देश इसका अधिक लाभ उठा सकें इसके लिए उन्हें जनसंख्या आयुमानक को संवर्धित करना चाहिए। उन्होंने उच्च महिला श्रमिक बल भागीदारी दर के महत्व पर प्रकाश डालते हुए इनको बढ़ावा देने के लिए विभिन्न सक्षमकारी तरीकों के बारे में सुझाव दिया। उन्होंने सामाजिक भागीदारों के अधिक सहयोग की अनिवार्यता पर भी बल दिया जिससे कार्य के नए स्वरूपों से संबद्ध महत्वपूर्ण मुद्दों का हल ढूंढा जा सके। अंत में उन्होंने जी20 सदस्यों द्वारा अंगीकार किए गए विभिन्न नीतिगत संस्तुतियों पर प्रकाश डाला और कार्यबल के लिए रोजगार सृजन की आवश्यकता बतायी जो रोजगार के लिए कामकाजी समूहों के गठन की संकल्पना को प्रेरित करता हो।

एएसपीएजी मंत्रीस्तरीय बैठक

21.25 एएसपीएजी मंत्रीस्तरीय बैठक में, सचिव, श्रम एवं रोजगार ने कहा कि एएसपीएजी के साथ समन्वित प्रयासों से नई प्रौद्योगिकीय अभियान चलाया जा सकता है चतुर्थ औद्योगिक क्रांति के लिए जिसका अभिरुख मानव केंद्रित हो और सदस्य राष्ट्रों को कुशलता संवर्धन के प्रयासों द्वारा एक–दूसरे को सहायता करने की आवश्यकता है। उन्होंने इस बात पर बल दिया कि एएसपीएजी सदस्य देशों के बीच सामाजिक सुरक्षा संबंधी द्विपक्षीय करारों पर हस्ताक्षर होने चाहिए। साथ ही, उन्होंने यह भी कहा कि एएसपीएजी को सामाजिक सुरक्षा एवं मजदूरी जैसे वैश्विक मुद्दों के लिए समुचित उपबंधों के माध्यम से संतुलित प्रवास को बढ़ावा देना चाहिए। उन्होंने इस बात का जिक्र किया कि एएसपीएजी राष्ट्र कुल वैश्विक कार्यबल का 60 प्रतिशत हैं, जिससे आईएलओ तथा अन्य बहुस्तरीय मंचों जैसे अंतरराष्ट्रीय संगठनों में निर्णायक स्तर पर एएसपीएजी सदस्यों का अधिक प्रतिनिधित्व बढ़ाए जाने की आवश्यकता है।

जेनेवा में आईएलओ के शासी निकाय का 335वां सत्र

21.26 अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन के शासी निकाय का 335वां सत्र जिनेवा में 14 मार्च– 28 मार्च, 2019 तक आयोजित हुआ। श्री हीरालाल सामरिया, सचिव, श्रम एवं रोजगार की अध्यक्षता में भारतीय शिष्टमंडल ने जिनेवा में भारत के स्थायी मिशन के अधिकारियों के साथ शासी निकाय की बैठक में भाग लिया। श्री राम कुमार गुप्ता, संयुक्त सचिव, श्रीमती अनीता त्रिपाठी, उप सचिव और श्रीमती कामिनी तांडेकर, उप–निदेशक, श्रम एवं रोजगार मंत्रालय इस शिष्टमंडल के अन्य सदस्य थे।

21.27 शासी निकाय के 335वें सत्र की कार्यसूची

नीति संवर्धन अनुभाग

सुरक्षित, क्रमिक तथा नियमित प्रवास पर वैश्विक प्रभाव के दृष्टिगत श्रमिक प्रवास अधिशासन संबंधी कार्ययोजना पर पुनर्विचार

21.28 इस कार्यसूची मद पर सचिव, श्रम एवं रोजगार द्वारा अपना पक्ष रखा गया। उन्होंने सामान्य समझ के आधार पर गैरबाध्यकारी सहकारी विधिक अवसंरचना के वैश्विक प्रभाव और सहभागी दायित्व तथा अंतरराष्ट्रीय एकजुटता पर प्रकाश डाला। उन्होंने एक मजबूत तंत्र की आवश्यकता पर भी बल दिया जो सामाजिक सुरक्षा की पात्रता संबंधी वहनीयता और देशों के बीच सामाजिक सुरक्षा करार पर हस्ताक्षर के लिए अनिवार्य है।

21.29 उन्होंने यह उल्लेख किया कि भारत सरकार नियमित प्रवासियों को मूलभूत सामाजिक सुरक्षा तक पहुंच उपलब्ध कराने के लिए उपयुक्त प्रावधान करती है और यह सुनिश्चित

करती है कि उनकी मूलभूत आवश्यकताएं पूरी हों। सामाजिक सुरक्षा परिलब्धियों की वहनीयता यथा भविष्य निधि अथवा पेंशन हितलाभ जो प्रवासी कामगारों को एक देश से दूसरे देश के सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रम के लाभों के लिए संरक्षित, अनुरक्षित और लाभों के अंतरण की सुविधा प्रदान करता है। उन्होंने इस बात पर भी बल दिया कि सामाजिक संवाद और त्रिपक्षीयता को प्रोत्साहन दिया जाना चाहिए ताकि प्रवासी कामगारों को पेश आ रही समस्याओं, कठिनाइयों और चुनौतियों को समझा जा सके।

संयुक्त राष्ट्र प्रणाली निकायों के साथ सहयोग के लिए रणनीतिक योजना और संगत क्षेत्रीय संगठनों के साथ देशी और जनजातीय समुदायों से संबद्ध अभिसमय 1989

21.30 अभिसमय संख्या 169 की 30वीं वर्षगांठ को समर्पित संवाद के आयोजन के विचार को भारतीय शिष्टमंडल ने समर्थन दिया। भारतीय शिष्टमंडल ने यह उल्लेख किया कि संभावित कार्ययोजना में संगत सामग्री के वितरण के महत्वपूर्ण आयामों को समावेशित किया गया है, सामान्य प्रणाली और संयुक्त प्रशिक्षण गतिविधियों के लिए प्रशिक्षण सामग्री तैयार करते हुए संयुक्त राष्ट्र निकायों के साथ निरंतर संवाद और संयुक्त राष्ट्र के साथ आपसी तालमेल में सुधार सबसे अधिक महत्वपूर्ण है। यह भी सुझाव दिया गया है कि संयुक्त राष्ट्र मार्गदर्शी सामग्री की समझ और इसका प्रचार–प्रसार तथा सदस्य राष्ट्रों के बीच मौजूदा तंत्र में भी इसका समावेशन किया जा सकता है। इसके अतिरिक्त, संयुक्त राष्ट्र और आईएलओ के लिखतों के अंतर्गत एक तुलनात्मक मूल्यांकन नीति प्रदान की गई ताकि स्वदेशी लोगों के हितों की रक्षा की जा सके और उनकी सहबद्धता को स्थापित किया जा सके और प्रयासों की द्वैधता को रोका जा सके।

कार्यक्रम, वित्तीय और प्रशासनिक अनुभागः

आईएलओ स्टाफ का संघटन एवं संरचना

21.31 भारत के स्थायी मिशन के प्रथम सचिव द्वारा इस सत्र में भाषण दिया गया। उन्होंने इस बात पर बल दिया कि आईएलओ स्टाफ के उच्च स्तर सहित प्रत्येक स्तरों पर काफी भौगोलिक भिन्नताएं पाई गईं हैं जो कि इस संघटन के अंतरराष्ट्रीय चरित्र को उनके दायित्वों के अनुकूल एक संघटन के रूप में सुनिश्चित करने के लिए अनिवार्य है। यह भी उल्लेख किया गया कि यूएन के संयुक्त निरीक्षण इकाई रिपोर्ट 2012 के अनुसार वांछित सीमा की गणना के लिए आईएलओ के सूत्र को संशोधित करने का मामला जो पूर्णतः सदस्य राष्ट्रों पर आधारित है, इसके अंतर्गत यूएन प्रणाली के शेष भाग के अंतर्गत किए जाने वाले अंशदानों से इतर अंशदानों के मूल्यांकन द्वारा किया जाएगा। इस कार्यालय से अनुरोध किया गया है कि वे नियमित आधार पर यह सूचना उपलब्ध कराएं कि इस प्रकार भौगोलिक भिन्नताओं के लक्ष्य को प्रगतिशील तरीके से पूरा किया जा रहा है।

आईएलओ के प्रशासनिक अधिकरण से संबंधित मामले : अधिकरण का संघटन

21.32 भारत ने अपने कथन में इस बात को दुहराया है कि हम आईएलओ के शताब्दी वर्ष के दौरान तंत्रात्मक सुधार किए जाने के पक्ष में हैं जो संघटन में नियुक्तियों तथा पदों की अवधि के नवीकरण के लिए अधिक पारदर्शी और विशिष्ट नियमों को समविष्ट करते हुए यह सुनिश्चित करे कि भौगोलिक क्षेत्रों और लैंगिक विषमताओं के बावजूद संतुलित प्रतिनिधित्व बना रहे। भारत ने इस प्रारूप निर्णय बिंदु का समर्थन किया।

संस्थागत अनुभाग

अंतरराष्ट्रीय श्रम सम्मेलन की कार्यसूची मदें: सम्मेलन के भावी सत्रों के लिए कार्यसूची मद (2020 और उससे आगे)

21.33 भारतीय शिष्टमंडल ने अपने कथन में यह दर्शाया है कि सम्मेलन 2020 के अंतिम सत्र के बारे में आईएलसी 2019 में चर्चाओं के पश्चात निर्णय लिया जाएगा। "प्रशिक्षुता" को 2021 के सम्मेलन सत्र में चर्चा के लिए मानक कार्यसूची मद के निर्धारण के क्रम में शामिल किया गया है। "खेल जगत में मर्यादित कार्य" और "रोजगार के गैर–मानक स्वरूप" पर भी 2020 से आगे के सम्मेलन सत्र में चर्चा के लिए विचारार्थ रखा जाएगा।

सम्मेलन के 108वें (शताब्दी) सत्र के लिए व्यवस्थाएं

21.34 शिष्टमंडल ने अपना मत रखते हुए अधिक व्यापक सम्मेलन की वेबसाइट तैयार करने और समितियों से संबंधित संशोधनों की प्रस्तुति के लिए एक नया ऑनलाइन टूल विकसित करने के लिए आईएलओ के प्रयासों की सराहना की। शिष्टमंडल ने यह भी सुझाव दिया कि सभी

विषयपरक चर्चाओं के लिए एक सामान्य प्रारूप होना चाहिए ताकि अधिक से अधिक स्पष्टता हो और अधिक भागीदारी को प्रोत्साहित किया जा सके।

21.35 शिष्टमंडल ने युवा का भविष्य, मर्यादित कार्य सहित भविष्य के लिए प्रौद्योगिकी के प्रयोग, सामाजिक समावेशन के लिए औपचारीकरण कार्य, कार्यजगत में परिवर्तनों के लिए परिवर्तनकारी क्षमताओं का पोषण, कौशल और जीवनपर्यन्त अधिगमन से संबंधित विषयों पर चर्चा का समर्थन किया तथा इस बात पर बल दिया कि इन विषयों में एक विशिष्ट लिंग आधारित घटक भी होना चाहिए। यह भी सुझाव दिया गया कि रिकॉर्ड के लिए सारांश के अलावा– इन विषयपरक चर्चाओं में से प्रत्येक से महत्वपूर्ण बातों को सूचीबद्ध किया जाना चाहिए।

अंतरराष्ट्रीय श्रम सम्मेलन की कार्यसूची मदें : सम्मेलन के 108वें (शताब्दी) सत्र के लिए परिणामी दस्तावेज

21.36 भारतीय प्रतिनिधिमंडल ने इस बात पर बल दिया कि शताब्दी घोषणापत्र को आईएलओ के लिए दीर्घावधिक रणनीतिक दिशा और लक्ष्य निर्धारित करना चाहिए और पिछले परिणामी दस्तावेजों के आधार पर इसका संवर्धन एवं निर्माण होना चाहिए। साथ ही साथ, इस दस्तावेज में यह भी दर्शाया जाना चाहिए कि आईएलओ का अस्तित्व किस प्रकार कायम है और इसके क्रियाकलापों को किस प्रकार सुदृढ़, पारदर्शी बनाया जा सकता है और विभिन्न देशों, क्षेत्रों, लिंग, समूहों, भाषाओं आदि के संतुलित प्रतिनिधित्व को सुनिश्चित करते हुए संगठन के उद्देश्यों को आगे बढ़ाया जा सकता है।

दीर्घकालिक विकास के लिए मर्यादित कार्य

21.37 इस कार्यसूची मद पर सचिव, श्रम एवं रोजगार द्वारा अपना मत व्यक्त किया गया। उन्होंने यह उल्लेख किया कि एक समावेशी समाज का निर्माण अनिवार्य है ताकि दीर्घकालिक विकास और प्रगति सुनिश्चित की जा सके। देश में अवसरों तक असमान पहुंच होने से आय की असमानता और लैंगिक भेद उत्पन्न होता है। उन्होंने सुझाव दिया कि आईएलओ युवाओं को प्रोत्साहित करने के लिए एक प्लेटफॉर्म तैयार करने में योगदान कर सकता है ताकि विभिन्न देशों में प्रशिक्षुता को बढ़ावा दिया जा सके और युवाओं की क्षमताओं में वृद्धि की जा सके जिससे वे वैश्विक कार्यबल का एक महत्वपूर्ण सदस्य बन सकें। यह आईएलओ के कौशल विकास और वैश्विक कौशल भागीदारी के कार्यों में एक महत्वपूर्ण सहयोगी घटक हो सकता है।

म्यांमार के विषय पर शेष उपायों से संबंधित संकल्प के लिए अनुवर्ती कार्रवाई जिसे सम्मेलन के 102वें सत्र (2013) द्वारा अंगीकार किया गया

21.38 भारतीय शिष्टमंडल ने अपना मत रखते हुए 2018–21 की अवधि के लिए सितंबर, 2018 में म्यांमार के पहले मर्यादित कार्य देश कार्यक्रम (डीडब्लयूसीपी) और म्यांमार रणनीतिक विकास योजना (एमएसडीपी) 2018–30 पर अगस्त, 2018 दोनों पर किए गए हस्ताक्षर का स्वागत किया और अपने सामाजिक भागीदारों के साथ अपने संवाद के माध्यम से तथा यूएन 2030 एसडीजी एजेंडा की प्रक्रिया में मर्यादित कार्य संबंधी कार्यसूची मदों को मुख्य घटकों के रूप में शामिल करने का सुझाव दिया।

21.39 भारत ने आईएलओ के साथ म्यांमार के सतत सहयोग और रचनात्मक सहबद्धता का समर्थन किया। इस बात पर बल दिया गया कि आईएलओ और अंतरराष्ट्रीय समुदाय को रचनात्मक कार्यों में संलग्न रहना चाहिए और म्यांमार की सरकार को पूरी सहायता तथा तकनीकी सहयोग प्रदान करना चाहिए जो उसे पूरे राष्ट्रीय आर्थिक तथा सामाजिक नीति के लक्ष्यों को मर्यादित कार्य के संवर्धन द्वारा और बलात श्रम के उन्मूलन द्वारा पूरा करने में सहयोगी हो।

विधिक मामले और अंतरराष्ट्रीय श्रम मानक अनुभाग (एलआईएलएस)

2020 में आईएलओ संविधान के अनुच्छेद 19 के अंतर्गत अनुरोध किए जाने वाले रिपोर्टों का प्रस्तावित प्रारूप

21.40 शिष्टमंडल ने अपना मत व्यक्त करते हुए यह उल्लेख किया कि देखभाल जैसे कार्य को उचित सम्मान नहीं मिलता है यह सामान्यतः अदृश्य कार्य होता है। देखभाल संबंधी व्यवसायों को अनुचित विनियमों की चुनौती का सामना करना पड़ता है और वे अधिकांशतः वेतन के मामले में असंगत कार्यदशाओं और समय से अधिक घंटों तक कार्य करने की शर्तों के अध्यधीन होते हैं। देखभाल की सुविधाएं प्रदान करने वालों में अधिकांशतः महिलाएं होती हैं विशेष रूप से वे प्रवासी तथा अल्पसंख्यक समुदायों की होती हैं जिन्हें इन खराब कार्यदशाओं के प्रभावों को

सहना पड़ता है। उनके सुझावों को कार्यालय द्वारा नोट किया गया और तदनुसार परिवर्तनों को प्रारूप में शामिल किया गया।

26 मार्च, 2019 को सुश्री बीटे एंड्रीज, प्रमुख, आईएलओ मौलिक सिद्धांत एवं कार्य संबंधी अधिकार के साथ बैठक

21.41 सुश्री बीटे एंड्रीज, प्रमुख, आईएलओ की मौलिक सिद्धांत एवं कार्य संबंधी अधिकार शाखा ने जिनेवा में 26 मार्च, 2019 को सचिव, श्रम एवं रोजगार के साथ मुलाकात की। उन्होंने सुझाव दिया कि भारत को गुट 8.7 का सदस्य होना चाहिए। 'आधुनिक दासता' के मुद्दे पर सचिव, श्रम एवं रोजगार ने यह उल्लेख किया कि आईएलओ वॉक फ्री फाउंडेशन और अंतरराष्ट्रीय प्रवासन संगठन (आईएमओ) के साथ मिलकर 'आधुनिक दासता का वैश्विक आकलन : बलात श्रम और बलात विवाह 2017' संबंधी एक रिपोर्ट जारी की गयी है। उन्होंने बल देते हुए कहा कि 'आधुनिक दासता' को आईएलओ के लिखत में परिभाषित नहीं किया गया है। उन्होंने यह भी कहा कि अनेक देशों में संस्कृति और परंपराएं अलग–अलग होती हैं जिसके बारे में इस रिपोर्ट में कुछ नहीं कहा गया है। सुश्री बीटे एंड्रीज ने यह भी उल्लेख किया कि आईएलओ वॉक फ्री फाउंडेशन की इस रिपोर्ट का समर्थन नहीं करता है। यह निर्णय लिया गया कि इस मामले में आगे की कार्रवाई के संबंध में निर्णय लेने हेतु भारत में बैठक आयोजित की जाए।

शासी निकाय का 337वां सत्र

21.42 जिनेवा में 24 अक्तूबर से 07 नवंबर, 2019 तक अंतरराष्ट्रीय श्रम संगठन के शासी निकाय के 337वें सत्र का आयोजन किया गया। श्री हीरालाल सामरिया, सचिव (श्रम एवं रोजगार) के नेतृत्व में जेनेवा में भारतीय शिष्टमंडल और भारत के स्थायी मिशन से संबंधित अधिकारियों ने भाग लिया। सुश्री विभा भल्ला, संयुक्त सचिव और सुश्री कामिनी तांडेकर, उप–निदेशक, श्रम एवं रोजगार मंत्रालय इस शिष्टमंडल के अन्य सदस्य थे।

नीति संवर्धन अनुभाग

एचआईवी तथा एड्स के निवारण हेतु आईएलओ का प्रयासः 2030 के लिए प्रगति की गतिशीलता

21.43 सुश्री विभा भल्ला, संयुक्त सचिव ने इस बात पर बल देते हुए कहा कि आईएलओ के त्रिपक्षीय घटक एचआईवी/एड्स के निवारण हेतु प्रयासों के लिए उनकी भूमिका को व्यापक और प्रभावी बनाने के लिए अनिवार्य है। भारत सरकार द्वारा इस क्षेत्र में उठाए गए महत्वपूर्ण कदमों को रेखांकित किया गया था यह भी उल्लेख किया गया था कि इस दिशा में पहला कदम श्रम एवं रोजगार मंत्रालय ने उठाते हुए स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय और आईएलओ के साथ मिलकर भारत के कार्य जगत में तपेदिक, तपेदिक संबंधी रुग्णता और एड्स की समस्या को दूर करने के लिए एक नीतिगत संरचना तैयार की है। राष्ट्रीय परामर्शी प्रक्रिया के माध्यम से विकसित इस नीति संरचना द्वारा कार्यजगत में तथा "कार्यजगत से एचआईवी/एड्स का निवारण" संबंधी राष्ट्रीय नीति अवसंरचना के अंतर्गत तपेदिक की समस्या के निवारण के लिए अनुदेशों की एक सूची प्रदान की जाती है।

21.44 इस बात पर बल दिया गया कि कार्यजगत में एचआईवी/एड्स के क्षेत्र में सामाजिक भागीदारों की भूमिका काफी महत्वपूर्ण है। जागरुकता अभियान में नियोक्ता संगठनों की सक्रिय भूमिका से एचआईवी से पीडित व्यक्तियों पर लगे कलंक एवं भेदभाव को दूर करने में सहायता मिल सकती है और इससे कामगारों को कार्य के लिए अस्वीकार्य होने से संरक्षण भी मिलेगा।

कार्यक्रम, वित्तीय तथा प्रशासनिक अनुभाग

आईएलओ के प्रशासनिक अधिकरण से संबंधित मामले– अधिकरण की सांविधिक स्थिति में प्रस्तावित संशोधन

21.45 भारत ने अपने कथन में इस बात पर बल दिया कि आईएलओ के अधिकरण में नामांकन मंगाने तथा नियुक्तियां करने के लिए पारदर्शी और सहभागी तंत्र जरूरी है जिससे कि इस संगठन की पारदर्शिता और विश्वसनीयता को बढ़ाने में सहायता मिलेगी। संबंधित संविधान के अनुच्छेद–III के अनुसार इस अधिकरण में विभिन्न राष्ट्रों के 7 न्यायाधीश होंगे जिनकी नियुक्ति अंतरराष्ट्रीय श्रम सम्मेलन द्वारा 3 वर्षों की अवधि के लिए की जाएगी। 187 सदस्य राष्ट्रों वाले इस संगठन में अफ्रीका, एशिया–प्रशांत और ग्रुलेक समूह से विशेषतः बिना प्रतिनिधित्व वाले एवं कम प्रतिनिधित्व वाले नए राष्ट्रों को भी अवसर प्रदान करना अपेक्षित है।

21.46 इसके अतिरिक्त, इस बात पर भी बल दिया गया कि इस संविधान में प्रधानतः एक पारदर्शी और परामर्शी नामांकन तथा नियुक्ति तंत्र का प्रावधान होना चाहिए ताकि उन सभी सदस्य राष्ट्रों को उचित अवसर उपलब्ध हो सके जो इस तंत्र के प्रबंधन में भागीदारी करने को इच्छुक हैं और इसके प्रशासनिक प्रबंधन में समग्र पारदर्शिता लायी जा सके।

संस्थागत अनुभाग

अंतरराष्ट्रीय श्रम सम्मेलन के भावी सत्रों की कार्यसूची मदें

21.47 भारतीय प्रतिनिधियों ने अपने कथन में यह उल्लेख किया कि "कौशल एवं जीवनपर्यन्त अधिगम" से संबंधित कार्यसूची मदों पर चर्चा के दायरे को कौशल और प्रशिक्षण में भेद की महत्ता और अधिगमपूर्व अभिरूचि की भूमिका पर विशेषतः केन्द्रित होना चाहिए। "मर्यादित कार्य और सामाजिक तथा एकात्म अर्थव्यवस्था" से संबंधित कार्यसूची मद भी काफी महत्वपूर्ण है। चर्चा के दौरान इस बात पर बल दिया गया कि इसका निहित लक्ष्य 'सामाजिक और एकात्म अर्थव्यवस्था' को परिभाषित करने और संबंधित देशों स्थिति पर भी ध्यान रखना चाहिए। यह भी कहा गया कि 'खेल जगत में मर्यादित कार्य' और 'प्लेटफॉर्म अर्थव्यवस्था में मर्यादित कार्य' पर 2021 के बाद के सत्रों में विचार किया जाएगा।

अंतरराष्ट्रीय श्रम सम्मेलन के 108वें सत्र (2019) के कार्य से उत्पन्न मामले : कार्य जगत से हिंसा और उत्पीड़न के उन्मूलन से संबंधित संकल्प पर अनुवर्ती कार्रवाई

21.48 सचिव, श्रम एवं रोजगार ने अपना मत व्यक्त करते हुए इस बात पर बल दिया कि कार्यजगत से हिंसा और उत्पीड़न की समाप्ति के लिए महत्वपूर्ण सामाजिक बदलाव की आवश्यकता है और साथ ही उन्होंने अनेक स्तरों पर, विभिन्न क्षेत्रों में तथा विभिन्न कानूनों, नीतियों एवं पद्धतियों के साथ समन्वित प्रयास का आह्वान किया। आईएलओ की नीति के क्रियान्वयन से यह स्पष्ट प्रदर्शित होना चाहिए कि सदस्य राष्ट्रों की आवश्यकताएं, राष्ट्रीय वास्तविकताएं एवं प्राथमिकताएं अलग–अलग हैं। उन्होंने कहा कि एक सुदृढ़ डाटाबेस तैयार करने और कार्यजगत में हिंसा और उत्पीड़न का आकलन करने के लिए एक स्थिर प्रणाली विकसित करने की आवश्यकता है। श्रम निरीक्षकों का प्रशिक्षण भी इसके लिए अनिवार्य होगा ताकि हिंसा और उत्पीड़न से जुड़े जोखिमों की पहचान एवं निराकरण किया जा सके। इस संबंध में आईएलओ की तकनीकी सहायता अनिवार्य होगी।

अंतरराष्ट्रीय श्रम सम्मेलन के 108वें सत्र (2019) के कार्य से उत्पन्न मामले : कार्य के भविष्य से संबंधित आईएलओ शताब्दी घोषणा–पत्र पर संकल्प से संबंधित अनुवर्ती कार्रवाई : आईएलओ के मौलिक सिद्धांतों एवं कार्य से जुड़े अधिकारों की संरचना में सुरक्षित एवं स्वस्थ कामकाजी दशाओं को शामिल करने के लिए प्रस्ताव

21.49 भारतीय शिष्टमंडल ने व्यावसायिक सुरक्षा एवं स्वास्थ्य के लिए उत्पादन प्रक्रिया में विशिष्ट परिवर्तनों और इसके बदले प्रचालन स्तर पर प्रबंधन के कार्यसंचालन की आवश्कयता पर बल दिया। व्यावसयिक सुरक्षा एवं स्वास्थ्य को एक सामाजिक सुरक्षा उद्देश्य के रूप में देखा जाना चाहिए। आईएलओ के पास सुदृढ़ श्रम मानकों की एक अवसरंचना है जो व्यावसायिक सुरक्षा एवं स्वास्थ्य से संबंधित है। ओएसएच और कार्य संबंधी अधिकारों को मौलिक सिद्धांतों के रूप में देखे जाने से पूर्व सभी पणधारकों के साथ विस्तृत चर्चा एवं विचार–विमर्श की आवश्यकता है। इस बात पर भी बल दिया गया कि सभी पणधारकों से चयन के लिए अपेक्षित कारणों को दर्शाने वाले संगत

अभिसमयों की पहचान के लिए परामर्श किया जाना चाहिए। कार्यालय को सदस्य राष्ट्रों के उत्तरदायित्वों के बारे में विस्तृत विवरण प्रदान करना चाहिए।

आईएलओ की अनुसंधान रणनीति

21.50 सुश्री विभा भल्ला, संयुक्त सचिव ने अपना मत व्यक्त करते हुए यह सुझाव दिया कि आईएलओ इच्छुक सदस्य राष्ट्रों में से एक राष्ट्रीय स्तर के अनुसंधान संस्थानों का एक अनुसंधान नेटवर्क तैयार कर सकता है। उन्होंने इस बात पर विशेष जोर देकर कहा कि वीवीगिरि राष्ट्रीय श्रम संस्थान भारत में श्रम अनुसंधान, प्रशिक्षण एवं शिक्षण के क्षेत्र में एक अग्रणी संस्थान है जो श्रम से संबंधित विभिन्न पहलुओं, संगठित एवं असंगठित क्षेत्रों तथा श्रम अनुसंधान संस्थानों के ब्रिक्स नेटवर्क के अभिन्न अंग के रूप में क्रियाशील है। आईएलओ के साथ शीर्ष स्तर पर ऐसे नेटवर्क को तैयार करने से सर्वोत्तम पद्धतियों की सुविधा उपलब्ध होगी और राष्ट्रीय परिप्रेक्ष्य के साथ अनुसंधान अध्ययनों वाले उपक्रमों को सहायता प्राप्त होगी। उन्होंने 2 क्षेत्रों में नामतः मर्यादित कार्य के लिए परिवर्तनों हेतु गतिशील कौशल सृजन तंत्र सहित प्रौद्योगिकीय प्रगति, उत्पादकता वृद्धि और अर्थव्यवस्था की विविधताओं के लिए अनुसंधान अध्ययनों का समर्थन किया।

2013 के अपने 102वें सत्र में सम्मेलन द्वारा अंगीकृत म्यांमार संबंधी विषय पर शेष उपायों से संबंधित संकल्प के अनुवर्तन संबंधी प्रगति रिपोर्ट :

21.51 अंतरराष्ट्रीय श्रम मानकों की समग्र संरचना के अंतर्गत राष्ट्रीय परिप्रेक्ष्य और प्राथमिकताओं के अनुसरण में श्रम सुधारों के लिए त्रिपक्षीय सामाजिक संवाद की प्रक्रिया को सुदृढ़ करने के लिए सरकार द्वारा उठाए गए कदमों की भारत ने प्रशंसा की। म्यांमार में बलात श्रम की घटना काफी हद तक कम हुई है और यह स्पष्ट रूप से गिरावट का रुझान दर्शा रहा है जो म्यांमार सरकार द्वारा अपने संसद के माध्यम से समुचित विधानों के अधिनियमों के मा/सम से और राष्ट्रीय संविधान में आवश्यक संशोधनों को प्रभावी बनाते हुए किए गए उपायों का परिणाम है। इस बात पर बल दिया गया कि आईएलओ और अंतरराष्ट्रीय समुदाय को रचनात्मक रूप से कार्य करने के लिए एक–दूसरे की सहायता करनी चाहिए और म्यांमार सरकार को मर्यादित कार्य तथा बलात श्रम के उन्मूलन के उसके समग्र राष्ट्रीय आर्थिक और सामाजिक नीति उद्देश्यों को पूरा करने में तकनीकी सहायता प्रदान करना चाहिए।

16वें एशियाई एवं प्रशांत क्षेत्रीय बैठक (बाली, 6–9 दिसंबर, 2016) द्वारा अंगीकृत बाली घोषणा–पत्र के क्रियान्वयन की मध्यावधिक समीक्षा

21.52 बैठक के दौरान कामगारों के प्रवक्ता ने कहा कि ट्रेड यूनियनों के साथ बिना परामर्श किए श्रम सुधारों की प्रक्रिया भारत में शुः की गई है। उन्होंने इस बात की ओर ध्यान दिलाया कि बाल श्रम संबंधी अभिसमयों को भारत द्वारा अनुसमर्थित किया गया है तथापि, इसके कार्यान्वयन को सुनिश्चित करने की आवश्यकता है। भारतीय शिष्टमंडल ने अपना पक्ष रखते हुए भारत सरकार द्वारा बाल श्रम के उन्मूलन के लिए किए गए प्रयासों पर प्रकाश डाला। बाल श्रम (प्रतिषेध एवं निवारण) संशोधन अधिनियम में किसी भी व्यवसाय अथवा प्रक्रिया में 14 वर्ष से कम आयु के बच्चों के नियोजन अथवा काम करने को पूर्णतः प्रतिषिद्ध किया गया है जिसमें घरेलू कार्य भी शामिल है। भारत ने आईएलओ अभिसमय संख्या 138 जो नियोजन के लिए अनुमेय आयु और अभिसमय संख्या 182 बाल श्रम के विकृत स्वरूपों से से संबंधित है, के अनुसमर्थन द्वारा अपनी प्रतिबद्धता सिद्ध की है।

21.53 भारत में श्रम सुधारों के संबंध में यह दर्शाया गया है कि श्रम संबंधी विधायी सुधारों की प्रक्रिया में त्रिपक्षीय परामर्श के रूप में केंद्रीय ट्रेड यूनियनों, नियोक्ता संघों और राज्य सरकारों सहित सभी पणधारकों के साथ परामर्श किया जाता है। सभी पणधारकों से प्राप्त टिप्पणियों/सुझावों पर विचार करने के पश्चात प्रारूप विधानों को अंतिम रूप दिया जाता है। अतः व्यापक परामर्श करते हुए त्रिपक्षीयता की भावना को बरकरार रखा गया है जो कि भारत में श्रम कानूनों के सुधार संबंधी प्रक्रिया की महत्वपूर्ण पहचान है।

विधायी मामलों तथा अंतरराष्ट्रीय श्रम मानकों से संबंधित अनुभाग (एलआईएलएस):

2021 में आईएलओ के संविधान के अंतर्गत अनुच्छेद 19 के पैरा 5(ङ) और 6(घ) अभिसमयों एवं सिफारिशों का विकल्प जिनके संबंध में रिपोर्टों के लिए अनुरोध किया जाना चाहिए

21.54 भारतीय प्रतिनिधिमंडल ने द्वितीय विकल्प अर्थात लैंगिक भेदभाव, मातृत्व संरक्षण और पारिवारिक दायित्व वाले कामगारों से संबंधित विषय पर सामान्य सर्वेक्षण का समर्थन किया। कामगारों की पारिवारिक जिम्मेदारियों में विशेष रूप से महिलाओं को रोजगार तथा पारिवारिक जिम्मेदारियों के बीच संतुलन बनाना पड़ता है। इन दो परिस्थितियों के बीच संतुलन बनाए रखने के लिए मातृत्व संरक्षण अनिवार्य हो जाता है। इस संबंध में एक सामान्य सर्वेक्षण कराने से लैंगिक भेदभाव के स्तर के निर्धारण का अवसर मिलेगा और अवसर तथा व्यवहार की समानता में विद्यमान अंतर को कम किया जा सकेगा।

जी20 ईडब्ल्यूजी की अनौपचारिक बैठक

21.55 शासी निकाय की बैठक के पार्श्व में जी20 ईडब्ल्यूजी की अनौपचारिक बैठक आयोजित की गई। सऊदी अरब ने फरवरी, 2020 से शुरू करने के लिए नियत प्राथमिकताओं पर चर्चा की। सऊदी अरब की अध्यक्षता में चर्चा किए जाने वाले प्रस्तावित श्रम और रोजगार के मुद्दों में ये शामिल थेरू (क) कार्य के संक्रमण के लिए युवाओं के बेहतर तरीके से तैयार करना, (ख) सामाजिक संरक्षा को कार्य के बदलते प्रतिमान के अनुरूप ढ़ालना, (ग) लिंग समानता को महत्वपूर्ण विषय के रूप में लेते हुए नीति निर्माण करने के साथ संक्रमणकालीन श्रम बाजार के लिए व्यवहारात्मक अंतर्दृष्टि का अन्वेषण करना।

श्रीमान फिलिप मार्कांडेन्ट, प्रमुख, समावेशी श्रम बाजार, श्रम संबंध एवं कार्य–दशाएं शाखा (इनवर्क) के प्रमुख के साथ 5 नवंबर, 2019 को बैठक

21.56 श्रीमान फिलिप मार्कान्डेन्ट, श्रम बाजार, श्रम संबंध एवं कार्य–दशाएं शाखा, आईएलओ, जिनीवा के प्रमुख ने बिल गेट्स फाउन्डेशन द्वारा वित्त–पोषित भारत में ईएसआईसी परियोजना पर विचार–विमर्श करने के लिए 5 नवंबर, 2019 को सचिव (श्रम और रोजगार) के साथ बैठक की। श्रीमान फिलिप मार्कांडेन्ट ने दस्तावेज प्रस्तुत किया जसमें भारत में ईएसआईसी अस्पतालों के संबंध में आवश्यक मुद्दों और कार्यों की पहचान की गई। सचिव (श्रम और रोजगार) ने बल देकर कहा कि आईएलओ की टीम को भारत में ईएसआईसी अस्पतालों/औषधालयों का दौरा करना चाहिए तथा उनके कार्यसंचालन में कमियों की पहचान करनी चाहिए। तत्पश्चात, आईएलओ को कामगारों और उनके आश्रितजनों को प्रदत्त सेवाओं की गुणवत्ता में सुधार करने हेतु विस्तृत योजना/सिफारिशों का प्रतिपादन करना चाहिए।

श्री के. एम. अली आजम, सचिव, बांग्लादेश के साथ 6 नवंबर, 2019 को बैठक।

21.57 श्री के. एम. अली आजम, सचिव, बांग्लादेश और उनकी टीम ने आईएलओ के शासी निकाय की बैठक के 337वें सत्र के पार्श्व में 06.11.2019 को सचिव (श्रम और रोजगार), भारत के साथ बैठक की। सचिव, बांग्लादेश ने भारत में शुः किए जा रही श्रम संहिताओं के बारे में जानना चाहा। सचिव (श्रम और रोजगार), भारत ने कहा कि 44 केन्द्रीय श्रम कानूनों को मजदूरी, व्यावसायिक सुरक्षा एवं स्वास्थ्य, औद्योगिक संबंध और सामाजिक सुरक्षा संबंधी 4 श्रम संहिताओं का प्रारूप तैयार करने में सम्मिलित किया गया है।

मात्सुयामा, जापान में 29 अगस्त–2 सितम्बर, 2019 तक सम्पन्न हुई जी20 श्रम और रोजगार मंत्रियों की बैठक

21.58 जी20 श्रम और रोजगार मंत्रियों की बैठक 1–2 सितम्बर, 2019 को सम्पन्न हुई। भारतीय प्रतिनिधित्वमंडल का नेतृत्व श्री संतोष कुमार गंगवार, माननीय श्रम और रोजगार राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) द्वारा किया गया तथा इसमें श्री हीरालाल सामरिया, सचिव (श्रम और रोजगार), सुश्री अनिता त्रिपाठी, श्रम और रोजगार राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) की निजी सचिव, श्री आशीश कौशिक, सहायक अनुभाग अधिकारी, श्रम और रोजगार मंत्रालय तथा विदेश

मंत्रालय के वरिष्ठ अधिकारी शामिल थे। श्रम और रोजगार मंत्रियों ने निम्नलिखित विषयों/क्षेत्रों पर विचार–विमर्श किया:

(क) वृद्ध कामगारों का नियोजन तथा अधिक लंबा कार्य–जीवन,

(ख) युवा नियोजन,

(ग) प्रौढ़ समाजों में नौकरी के नए अवसर–दीर्घावधि देखरेख कार्य के भविष्य के लिए,

(घ) लिंग समानता,

(ङ) कार्य के नए स्वरूप।

21.59 "युवा नियोजन" संबंधी सत्र के दौरान, माननीय मंत्री जी ने हमारी युवा नीति का सूत्रपात करने पर प्रकाश डाला जो उत्पादक कार्यबल सृजित करने पर लक्षित कौशल विकास को शीर्ष प्राथमिकता देती है। राष्ट्रीय प्रशिक्षु संवर्धन योजना तथा पूर्व शिक्षण की मान्यता के संबंध में भारत द्वारा की गई प्रगतियों को भी प्रतिपादित किया गया। यह भी सूचित किया गया कि युवा उद्यमशीलता को बढ़ावा देने के लिए भारत द्वारा हजारों स्टार्ट–अप्स को मान्यता दी गई थी। उन्होंने रोजगार के उपलब्ध अवसरों के संबंध में सूचना के आदान–प्रदान को सुविधाजनक बनाने के लिए जी20 सदस्य राष्ट्रों के बीच सार्वजनिक नियोजन सेवाओं के समेकन का प्रस्ताव रखा। रोजगार के अवसरों को बढ़ावा देने तथा महिलाओं और ग्रामीण युवा के कौशलीकरण के हमारे प्रयासों को सशक्त करने आवश्यकता का उल्लेख करते हुए विचार–विमर्श समाप्त हुआ।

21.60 "प्रौढ़ समाजों में नौकरी के नए अवसर–दीर्घावधि देखरेख कार्य के भविष्य के लिए" संबंधी सत्र के दौरान अपने वक्तव्य में, माननीय मंत्री जी ने प्रौढ़ समाजों में वृद्ध लोगों की देखरेख करने के लिए उनकी सीमित योग्यता के आलोक में दीर्घावधि देखरेख सहयोग की आवश्यकता पर प्रकाश डाला। यह उल्लेख किया गया कि प्रौढ़ समाज दीर्घावधि देखरेख क्षेत्र में नियोजन की नई संभावनाएं खोलते हैं जिसकी आवश्यकताओं की पूर्ति अब तक अक्सर अनौपचारिक कामगारों द्वारा की जाती है। इस क्षेत्र में मांग–आपूर्ति के अंतर को पाटने के लिए जी20 देशों के बीच दीर्घावधि देखरेख कामगारों के प्रवास को बढ़ावा देने का प्रस्ताव रखा गया। इस उद्देश्य को पूरा करने के लिए दीर्घावधि देखरेख कामगारों का वैश्विक संवर्ग सृजित करने का भी प्रस्ताव रखा गया।

21.61 भारतीय प्रतिनिधिमंडल ने श्रम से संबंधित विभिन्न मुद्दों पर चर्चा करने के लिए जी20 एलईएमएम के पार्श्व में सऊदी अरब और जर्मनी के प्रतिनिधिमंडल के साथ बैठक की।

ब्रेसिलिया, ब्राजील में 19–20 सितम्बर, 2020 तक आयोजित ब्रिक्स श्रम और रोजगार उपाध्यक्षों की बैठक

21.62 ब्रिक्स श्रम और रोजगार उपाध्यक्षों की बैठक 19 और 20 सितम्बर, 2019 को आयोजित की गई। श्री राम कुमार गुप्ता, संयुक्त सचिव, श्रम और रोजगार मंत्रालय ने बैठक में भाग लिया। इस बैठक में श्रम बाजार के परिदृश्य में ब्रिक्स सहयोग के लिए अधिकतम सहक्रियता और निरंतरता सुनिश्चित करने की मांग की गई। बैठक की कार्यसूची में निम्नलिखित को शामिल किया गया:

क. कार्य का समावेशी जगत

ख. व्यापारिक उदारीकरण और ब्रिक्स श्रम बाजार पर प्रभाव

ग. श्रम बाजार डेटा की संचालन–प्रणाली

घ. सतत सामजिक सुरक्षा प्रणाली हेतु गुणवत्ता नियोजन को बढ़ावा देना।

21.63 अपने आरंभिक कथन में, श्री आर. के. गुप्ता, संयुक्त सचिव ने बदलते परिप्रेक्ष्य से अधिकतम लाभ उठाने के लिए आर्थिक या सामाजिक किसी भी प्रकार की नीति हेतु मानव केन्द्रीय दृष्टिकोण अपनाने की आवश्यकता पर बल दिया। वैश्विक कार्यबल की उभरती संकल्पना के संदर्भ में, उन्होंने

सीमा–पार के हमारे नागरिकों को नौकरी के अवसर प्रदान करने के लिए ब्रिक्स राष्ट्रों के स्तर पर सामान्य कौशल मान्यता ढ़ांचा स्थापित करने के विचार का समर्थन किया। उन्होंने कार्य जगत के संबंध में उभरते कौशल विन्यासों का डेटा बेस विकसित करने के विचार का भी सुझाव दिया जिससे एकीकृत श्रम बाजारों की अपेक्षाओं के अनुसार हमारे कार्यबल का कौशलीकरण सुविधाजनक बनेगा। उन्होंने रोजगार के नए स्वरूपों, कार्यजगत के संबंध में उन्नयित किए जाने वाले कौशल क्षेत्रों, तथा अनौपचारिक क्षेत्रों में कामगारों की क्षमता बढ़ाने के उपायों को पहचानने में ब्रिक्स श्रम अनुसंधान नेटवर्क द्वारा निभाई जाने वाली महत्वपूर्ण भूमिका का स्वीकार किया।

21.64 "कार्य का समावेशी जगत" संबंधी सत्र के दौरान अपने मध्यवर्तन में, श्री आर. के. गुप्ता, संयुक्त सचिव ने कहा कि प्रौद्योगिकीय प्रगतियों, जनसांख्यिकीय परिवर्तनकाल तथा जलवायु परिवर्तन कार्य–जगत को तब्दील कर रहे हैं। हमारे कार्यबल के कौशल विन्यासों में उपयुक्त रूप से निवेश करके इन पर ध्यान दिया जा सकता है। इसी के साथ, 'कार्य का समावेशी जगत' इस पर भी बल देता है कि कामगारों के लिए विवाद समाधानों तक पहुंच के अलावा, पर्याप्त सामाजिक सुरक्षा प्रणाली, नौकरी की सुरक्षा, कार्य की सम्मानीय दशाएं सुनिश्चित की जाएं।

अपने समापन संबोधन में, श्री आर. के. गुप्ता, संयुक्त सचिव ने इस बात पर संतोष व्यक्त किया कि अंगीकृत मंत्रालयी घोषणा में अनेक सामान्य मुद्दों पर सदस्य देशों का अनुबंध सम्मिलित था जो विकासों और अब सामने आने वाली चुनौतियों के संगत और प्रतिलक्षी हैं। उन्होंने रोजगार के नए स्वरूपों और युवा नियोजन पर सफलतापूर्वक अध्ययन कराने पर श्रम अनुसंधान संस्थानों के ब्रिक्स नेटवर्क को धन्यवाद भी दिया।

तकनीकी सहयोग कार्यक्रम

21.65 आईएलओ की सक्रिय साझेदारी नीति के अंतर्गत, भारत और आईएलओ के बीच सहयोग को आईएलओ, नई दिल्ली की बहु–अनुशासनिक टीमों की तकनीकी आगतों के साथ–साथ आईएलओ मुख्यालय के तकनीकी विभागों का भी सहयोग प्राप्त है। तकनीकी विशेषज्ञ अंतर्राष्ट्रीय श्रम मानकों, सांख्यिकीयों के संबंध में सलाहकारी सेवाएं देते हैं तथा भविष्य में संभावित सहयोग के क्षेत्रों पर भी चर्चा करते हैं। सरकार, कामगारों और और नियोक्ता संगठनों के त्रिपक्षीय तंत्र ने आगामी वर्षों के लिए सम्मानित कार्य हेतु प्रमुख देशीय कार्यक्रमों के उद्देश्यों की पहचान करने में आईएलओ के साथ नजदीकी से काम किया।

21.66 श्रम और रोजगार मंत्रालय ने आईएलओ के साथ भारत में आईएलओ की 100 वर्ष की यात्रा की यादगार में क्रियाकलाव और समारोह आयोजित किए हैं। इन समारोहों और क्रियाकलापों में श्रम और रोजगार मंत्रालय तथा आईएलओ द्वारा 8 फरवरी, 2019 को नोएडा में संयुक्त रूप से आयोजित किए गए एक दिवसीय 'कार्यजगत संबंधी राष्ट्रीय हितधारक परामर्श' शामिल था।

बहु–पक्षीय सहयोग

21.67 श्रम और रोजगार मंत्रालय, नई दिल्ली में खान सुरक्षा, परीक्षण एवं अनुसंधान केन्द्र (सिम्टार्स), ऑस्ट्रेलिया के माध्यम से दिनांक 07.03.2019 को खान सुरक्षा महानिदेशालय (डीजीएमएस), भारत और प्राकृतिक खान

संसाधन एवं ऊर्जा, क्वीन्सलैण्ड सरकार, ऑस्ट्रेलिया के बीच एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए।

21.68 5वें भारत–जर्मनी उच्च स्तरीय परामर्श के पार्श्व में श्रम और रोजगार मंत्रालय, नई दिल्ली में 1 नवंबर, 2019 को कर्मचीर राज्य बीमा निगम (ईएसआईसी) और रोजगार महानिदेशालय (डीजीई), भारत तथा जर्मन सामाजिक दुर्घना बीमा (डीजीयूवी), जर्मनी के बीच एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए।

उच्च–स्तरीय अंतर्राष्ट्रीय बैठक

21.69 कुछ महत्वपूर्ण अंतर्राष्ट्रीय बैठकें और प्रशिक्षण कार्यक्रम जिनमें भारत ने सक्रिय भागीदारी की, इस प्रकार हैं:–

- श्रीमती अनुराधा प्रसाद, अपर सचिव और श्रीमती अनिता त्रिपाठी, उप सचिव, श्रम और रोजगार मंत्रालय ने 25–27 फरवरी, 2019 को, टोक्यो, जापान में जापान की अध्यक्षता में आयोजित जी20 रोजगार कार्य समूह (ईडब्ल्यूजी) की प्रथम बैठक में भाग लिया।
- श्री देवेन्दर सिंह, आर्थिक सलाहकार तथा सुश्री कामिनी तांडेकर, उप निदेशक, श्रम और रोजगार मंत्रालय ने 22–24 अप्रैल, 2019 को, टोक्यो, जापान में जापान की अध्यक्षता में आयोजित जी20 रोजगार कार्य समूह (ईडब्ल्यूजी) की द्वितीय बैठक में भाग लिया।
- श्री देवेन्दर सिंह, आर्थिक सलाहकार, श्रम और रोजगार मंत्रालय ने 24–25 जून, 2019 को आईएलओ जिनीवा, स्विट्जरलैण्ड में जापान की अध्यक्षता में आयोजित जी20 रोजगार कार्य समूह (ईडब्ल्यूजी) की तृतीय बैठक में भाग लिया।
- श्री आर. के. गुप्ता, संयुक्त सचिव, श्रम और रोजगार मंत्रालय तथा श्री आर. के. एलान्गोवन, उप महानिदेशक, डीजीफासली, श्रम और रोजगार मंत्रालय ने 4–6 सितम्बर, 2019 को किन्गडाओ, चीन में जी20 व्यावसायिक सुरक्षा एवं स्वास्थ्य (ओएसएच) नेटवर्क की बैठक में भाग लिया।

21.70 अन्य अंतर्राष्ट्रीय बैठकें/कार्यक्रम:

- श्री हीरालाल सामरिया, सचिव, श्रम और रोजगार मंत्रालय 17–18 जनवरी, 2019 को बैंगकॉक, थाइलैण्ड में सामाजिक बीमा प्रदानगी प्रणालियों एवं सिविल सेवा पेंशन प्रणालियों संबंधी विश्व बैंक एशिया क्षेत्रीय कार्यशालाओं में भाग ले चुके हैं।
- श्री हीरालाल सामरिया, सचिव एवं श्री अवनीश सिंह, महानिदेशक, डीजीफासली, मुंबई, श्रम और रोजगार मंत्रालय 29–30 जनवरी, 2019 को बर्लिन, जर्मनी में बीजी बीएयू मुख्यालय में व्यावसायिक दौरे पर भारत–जर्मन सहयोग की 10वीं वर्षगांठ पर डीजीयूवी, जर्मनी के समारोह में भाग ले चुके हैं।

21.71 श्रम और रोजगार मंत्रालय के अधिकारियों से मुलाकात करने के लिए कुछ प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय प्रतिनिधिमंडलों ने भारत का दौरा किया, जो इस प्रकार है:

- श्री. जुंग, सेन्ग हू/केओआईसीए/निदेशक, केओआईसीए के नेतृत्व में एक उच्च स्तरीय

केओआईसीए प्रतिनिधिमंडल ने 15 फरवरी, 2019 को सचिव, श्रम और रोजगार के साथ बैठक की।

- एच.ई. श्री एडम बुराकोवस्की, भारत में पोलैण्ड के राजदूत ने सामाजिक सुरक्षा समझौते पर चर्चा करने के लिए 13–6–2019 और 20–12–2019 को श्री हीरालाल सामरिया, सचिव, श्रम और रोजगार के साथ बैठक की।
- दिनांक 21 नवंबर, 2019 को मिनी कांफ्रेन्स हॉल, श्रम शक्ति भवन, नई दिल्ली में अपराह्न 3.00 बजे माननीय श्रम और रोजगार राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) की टिमो हरक्का, रोजगार मंत्री, फिनलैण्ड के साथ बैठक आयोजित की गई।
- दिनांक 26 नवंबर, 2019 को मिनी कांफ्रेन्स हॉल, प्रथम तल, श्रम शक्ति भवन, नई दिल्ली में अपराह्न 3.00 बजे सचिव, श्रम और रोजगार की अध्यक्षता में सुश्री बीट एन्ड्रीज, प्रमुख, एफपीआरडब्ल्यू, आईएलओ, जिनीवा के साथ बैठक आयोजित की गई।

अध्याय–22

प्रधान लेखा कार्यालय, श्रम और रोजगार मंत्रालय

मुख्य लेखा नियंत्रक का कार्यालय

श्रम और रोजगार मंत्रालय का लेखा संगठन

22.1 सचिव मंत्रालय के मुख्य लेखा प्राधिकारी हैं तथा अपर सचिव एवं वित्तीय सलाहकार (एएसएण्डएफए) तथा मुख्य लेखा नियंत्रक की सहायता से कर्तव्यों का निर्वाह करते हैं। श्रम और रोजगार मंत्रालय के लेखा संगठन के अध्यक्ष मुख्य लेखा नियंत्रक होते हैं जिनके सहायतार्थ उप लेखा नियंत्रक, प्रधान लेखा कार्यालय तथा 7 वेतन एवं लेखा कार्यालय होते हैं जो निम्न प्रकार हैं:–

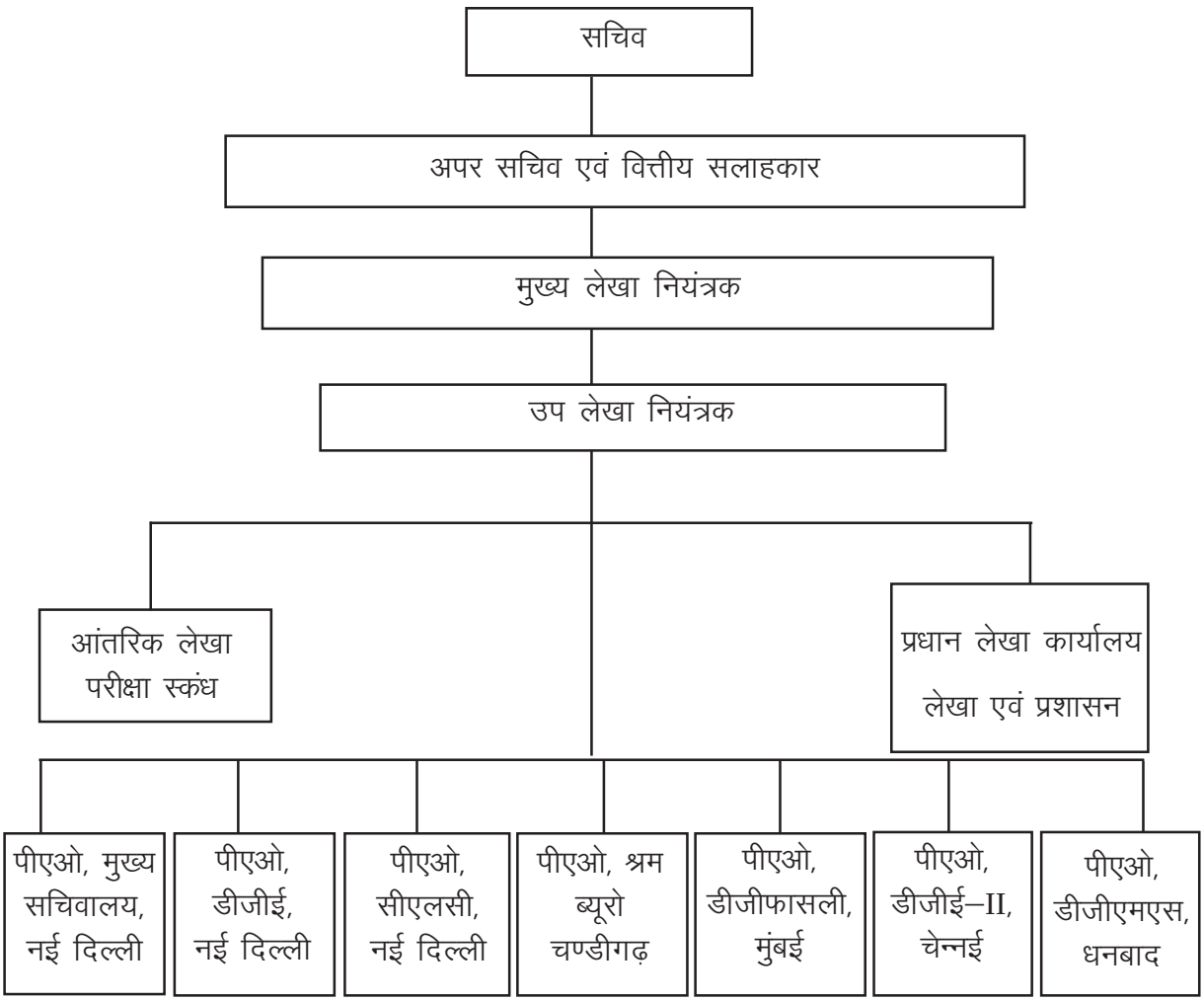

22.2 मंत्रालय के मुख्य लेखा नियंत्रक के कर्तव्य और दायित्व मौटे तौर पर निम्नलिखित हैं:–

(i) मुख्य लेखा नियंत्रक (सीसीए) मंत्रालय के लेखा संगठन के प्रमुख होते हैं। मुख्य लेखा नियंत्रक वेतन एवं कार्यालय/प्रधान लेखा कार्यालय और चेक आहरण डीडीओ के माध्यम से भुगतान की व्यवस्था करते हैं और लेखा समेकन करते हैं और वे मंत्रालय के आंतरिक लेखा परीक्षा के लिए भी जिम्मेदार होते हैं।

(ii) मुख्य लेखा नियंत्रक कार्य के निम्नलिखित मदों के लिए जिम्मेदार होते हैं और मुख्य लेखा प्राधिकारी (अर्थात मंत्रालय के सचिव) के लिए तथा उनकी ओर से कार्य करते हैं:–

क) वेतन एवं कार्यालय/प्रधान लेखा कार्यालय और डीडीओ के माध्यम से सभी भुगतानों की व्यवस्था करना, जहां पर वे निश्चित प्रकार के भुगतानों को करने के लिए प्राधिकृत हैं।

ख) विभाग के खातों का एकत्र और समेकन तथा निर्धारित रूप में महालेखा नियंत्रक, व्यय विभाग, वित्त मंत्रालय के समक्ष प्रस्तुत करना।

ग) मंत्रालय की मांग अनुदानों के लिए वार्षिक विनियोजन खातों/वित्त खातों को तैयार करना।

घ) विभिन्न अधीनस्थ कार्यालयों और विभाग के लेखा कार्यालयों के भुगतानों तथा उनके द्वारा रखे गए लेखा अभिलेखों का आंतरिक निरीक्षण और सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों में रखे गए सरकारी विभागों के लेनदेन संबंधी अभिलेखों का निरीक्षण करना और साथ ही स्कीमों की लेखा परीक्षा करना।

ङ) विभिन्न मॉड्यूलों नामतः व्यय अग्रिम एवं अंतरण (ईएटी) मॉड्यूलय कर्मचारी सूचना प्रणाली (ईआईएस) मॉड्यूलय चेक आहरण एवं संवितरण कार्यालय (सीडीडीओ) मॉड्यूलय सामान्य भविष्य निधि (जीपीएफ) मॉड्यूलय प्रत्यक्ष लाभ अंतरण (डीबीटी) मॉड्यूलय गैर–कर प्राप्ति पोर्टल (एनटीआरपी) तथा लोक वित्त प्रबंधन प्रणाली (पीएफएमएस) के माध्यम से मंत्रालय के कर्मचारियों को ऑनलाइन पेंशनकारी लाभों के भुगतान के लिए भविष्य पोर्टल का कार्यान्वयन।

च) उपयोगिता प्रमाण–पत्र (यूसी) तथा एजेंसियो के पास अव्ययित पड़ी शेष राशि की निगरानी करना ताकि अभीष्ट उद्देश्यों के लिए धनराशि का उपयोग किया जाए और यह सुनिश्चित करना कि धनराशि जारी करने के समय उसके प्रभाव को कम किया जाए।

22.3 मुख्य लेखा नियंत्रक, श्रम और रोजगार मंत्रालय के कार्यालय द्वारा वित्तीय वर्ष 2019–20 के दौरान की गई प्रमुख पहलें/कार्य

(i) लोक वित्त प्रबंधन प्रणाली (पीएफएमएस)

व्यय विभाग वित्त मंत्रालय द्वारा सभी केंद्रीय क्षेत्र (सीएस)/केंद्रीय रूप से प्रयोजित स्कीमों (सीएसएस) के लिए लोक वित्त प्रबंधन प्रणाली (पीएफएमएस) की सार्वभौम शुरूआत के संबंध में बनाए गए लक्ष्य को पूरा करने के लिए श्रम एवं रोजगार मंत्रालय में प्रशिक्षण प्रदान करने तथा सभी कार्यक्रम प्रभागों को लक्ष्य की प्राप्ति में सहयोग करने के लिए वरिष्ठ लेखा अधिकारी की अध्यक्षता में लोक वित्त प्रबंध प्रणाली (पीएफएमएस) निगरानी प्रकोष्ठ का गठन किया गया है। पीएफएमएस के निम्नलिखित मॉड्यूलों का वर्ष 2019–20 के दौरान सफलतापूर्वक कार्यान्वयन किया गया है:

(क) **व्यय अग्रिम एवं अंतरण (ईएटी):**– सभी स्कीमों की पूरी तरह से समीक्षा की गई। धनराशि जारी करने के समय पीएफएमएस के व्यय, अग्रिम तथा अंतरण (ईएटी) मॉड्यूल के कार्यान्वयन हेतु पदानुक्रम कम्पोनेंट मैपिंग की गई। तथा पूरे देश में विविध स्थानों पर संबंधित एजेंसियों को कई प्रशिक्षण दिए गए।

(ख) **कर्मचारी सूचना प्रणाली (ईआईएस):**– मंत्रालय के सभी पीएओ, सीडीडीओ और एनसीडीडीओ में ईआईएस मॉड्यूल का कार्यान्वयन किया जा चुका है। इस मंत्रालय के सभी कर्मचारियों को इस

मॉड्यूल के माध्यम से वेतन दिया जा रहा है। कोई भी कर्मचारी पीएफएमएस में अपने लोग–इन शब्दों का उपयोग करके अपने वेतन का विवरण देख सकता है।

(ग) **चौक आहरण एवं वितरण (सीडीडीओ) मॉड्यूलः**– सीडीडीओ मॉड्यूल का भी सफलतापूर्वक कार्यान्वयन किया जा चुका है और सभी सीडीडीओ द्वारा भुगतान किया जा रहा है तथा वे भी इस मॉड्यूल का इस्तेमाल कर रहे हैं जो कतिपय प्रकार के भुगतान करने के लिए प्राधिकृत हैं।

(घ) **प्रत्यक्ष लाभ अंतरण(डीबीटी):**–मुख्य लेखा नियंत्रक के कार्यालय ने पीएफएमएस का उपयोग करते हुए अपने वेतन एवं लेखा कार्यालयों के माध्यम से श्रम और रोजगार मंत्रालय की स्कीमों के अंतर्गत लाभार्थियों के खाते में भारत सरकार की ओर से देयों के सीधे जमा के लिए डीबीटी के अंतर्गत भुगतान किया था।

(ङ) **सामान्य भविष्य निधि (जीपीएफ) मॉड्यूलः**– जीपीएफ मॉड्यूल ईएसआई मॉड्यूल का एक हिस्सा है और मंत्रालय के सभी पीएओ, सीडीडीओ और एनसीडीडीओ में इसका कार्यान्वयन सफलतापूर्वक किया गया है और अब इस मॉड्यूल से जीपीएफ से संबंधित विवरण देखे जा सकते हैं।

(च) **गैर–कर प्राप्ति पोर्टल (एनटीआरपी):**– मंत्रालय के सभी ईएओ और डीडीओ में गैर–कर प्राप्ति पोर्टल का कार्यान्वयन सफलतापूर्वक किया गया है। इस पोर्टल के माध्यम से गैर–कर प्राप्तियां खाते में ली जा रही हैं।

(छ) **पेंशन के भुगतान हेतु भविष्य पोर्टलः**– सभी डीडीओ में पेंशन का भुगतान करने के लिए पेंशन भविष्य पोर्टल का कार्यान्वयन सफलतापूर्वक किया गया है। अब सभी पेंशन मामलों पर संबंधित डीडीओ द्वारा भविष्य पोर्टल पर कार्रवाई की जा रही है तथा उनके भुगतान पीएफएमएस के माध्यम से वेतन एवं लेखा कार्यालय द्वारा किए जा रहे हैं।

(ii) उपयोगिता प्रमाण–पत्र (यूसी) एवं अव्ययित शेष राशि

सामान्य वित्तीय नियम 2017 के नियम 238 में उल्लिखित प्रावधान के अनुसार, स्वायत्त निकायों, गैर–सरकारी संस्थाओं, और अन्य संगठनों आदि को जारी अनुदानों के संबंध में अनुदानों के उपयोग का प्रमाण–पत्र प्रस्तुत किया जाना अपेक्षित है। मुख्य लेखा नियंत्रक का कार्यालय उत्साह के साथ विभिन्न प्रभागों से बकाया उपयोगिता प्रमाण–पत्रों की निगरानी कर रहा है। लंबित उपयोगिता प्रमाण पत्रों से संबंधित सूचना सभी ब्यूरो प्रमुखों को भेजी जा रही है। 31.11.2019 की यथा स्थिति के अनुसार विभिन्न अनुदानग्राही संस्थानों से 85.56 करोड़ रुपये की राशि के 753 उपयोगिता प्रमाण पत्र लंबित हैं।

(iii) आंतरिक लेखा परीक्षा

सामान्य वित्तीय नियम 236(1) के अनुसार, प्रधान लेखा कार्यालय का लेखा–परीक्षा स्कंध अनुदानग्राही संस्थानों, चेक आहरण एवं संवितरण कार्यालय की लेखा–परीक्षा करता है तथा यह स्कीमों की लेखा–परीक्षा भी करता है।

वित्तीय वर्ष 2019–20 के दौरान (30.11.2019 की यथा स्थिति) 29 इकाईयों का निरीक्षण किया गया और 377 पैरा जोड़े गए। विभिन्न लेखा परीक्षित इकाईयों के कार्यालय प्रमुखों द्वारा प्रस्तुत अनुपालन रिपोर्ट के उचित सत्यापन के बाद 265 पैरा का निपटान किया गया। 30.11.2019 को 1954 आंतरिक लेखा परीक्षा पैरा बकाया है। इसके अलावा, राष्ट्रीय कैरियर सेवा (एनसीएस) पोर्टल की जोखिम आधारित लेखा परीक्षा वित्तीय वर्ष 2019–20 में की गई। स्कीमों की लेखा परीक्षा करने के लिए जोखिम आधारित पद्धति अपनाई गई। एनसीएस पोर्टल की जोखिम आधारित लेखा परीक्षा के दौरान विभिन्न टिप्पणियां की गयीं और उनकी सूचना अनुपालनार्थ विभागों को भेजी गई।

22.4 वेतन एवं लेखा कार्यालयों के माध्यम से वित्तीय वर्ष 2019–20 के दौरान निम्नलिखित कार्य भी किए गएः–

(i) मंत्रालय और इसके संबद्ध और अधीनस्थ कार्यालयों के बिलों का भुगतान।

(ii) मंत्रालय के स्टाफ के संबंध में वेतन और भत्तों का भुगतान।

(iii) अनुदानग्राही संस्थाओं को अनुदान सहायता का भुगतान।

(iv) मंत्रालय के स्टाफ को दीर्घावधि और अल्पावधि अग्रिमों का भुगतान।

(v) मंत्रालय द्वारा किए गए व्यय के संबंध में आकस्मिक बिलों का भुगतान।

(vi) यात्रा भत्ता और छुट्टी यात्रा रियायत बिलों का भुगतान।

(vii) चिकित्सा प्रतिपूर्ति बिलों का भुगतान।

(viii) सेवानिवृत्ति/सेवांत लाभों, दीर्घावधि ऋणों और अग्रिमों का भुगतान तथा भविष्य निधि (एमटीएस से इतर सरकारी कर्मचारियों के संबंध में) से आहरण हेतु भुगतान।

(ix) भारतीय रिजर्व बैंक के माध्यम से राज्य सरकारों को ऋणों और अनुदानों का भुगतान (तथा जहां इस कार्यालय का आहरण खाता हो, वहां संघ राज्य–क्षेत्र की सरकारों/प्रशासनों को इनका भुगतान)।

(x) महा लेखानियंत्रक द्वारा यथा विहित रीति में मंत्रालय के मासिक खातों का समेकन। मंत्रालय के अनुदान के वार्षिक विनियोजन लेखे, केन्द्रीय सरकार (सिविल) के वित्त लेखा के केन्द्रीय लेन–देनों और सामग्री की विवरणी तैयार करना तथा महालेखा नियंत्रक के समक्ष प्रस्तुत करना।

(xi) मंत्रालय को वित्त एवं लेखा संबंधी मामलों पर सलाह देना।

(xii) पीएओ को तथा संबंधित पीएओ के माध्यम से चेक आहरण डीडीओ को चेक बुकों की आपूर्ति।

(xiii) मंत्रालय की ओर से मान्यता–प्राप्त बैंक के माध्यम से की गई सभी प्राप्तियों और भुगतानों के सत्यापन और संराधन के लिए महा लेखा नियंत्रक और मान्यता प्राप्त बैंक के साथ संपर्क बनाना।

(xiv) मंत्रालय के रोकड़ शेषों का समाधान।

(xv) कार्यात्मक मंत्रालय द्वारा अपेक्षित कतिपय गतिविधि चलाने के लिए कार्यात्मक मंत्रालय के विभिन्न स्कंधों की ओर से एजेन्ट मंत्रालयों को संस्वीकृतियां जारी करना।

(xvi) भविष्य निधि सहित ऋण और जमा शीर्षों की विभिन्न किस्मों के अंतर्गत अग्रिमों का लेखा बनाना।

(xvii) कर्मचारियों की सेवानिवृत्ति पर पेंशन भुगतान को अधिकृत करना।

अध्याय – 23

रोजगार महानिदेशालय

पृष्ठभूमि

23.1 पुनर्वास एवं रोजगार महानिदेशालय (डीजीआरएंडटी) तथा रोजगार एवं प्रशिक्षण महानिदेशालय (डीजीईएंडटी), जिसे अब रोजगार महानिदेशालय (डीजीई) के रूप में जाना जाता है, की स्थापना भूतपूर्व रक्षा सेवा कार्मिकों और कार्यमुक्त किए गए युद्ध कार्मिकों को नागरिक जीवन में पुनर्वास करने के प्रयोजन से की गई थी।

23.2 स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात्, महानिदेशालय को पाकिस्तान से विस्थापित व्यक्तियों से संबंधित कार्य भी सौंपा गया। तत्पश्चात, 1948 के प्रारम्भ में सभी श्रेणी के रोजगार चाहने वालों को रोजगार सेवा तथा 1950 में सभी नागरिकों की प्रशिक्षण सेवाओं की व्यवस्था को भी निदेशालय के कार्यक्षेत्र में शामिल किया गया।

23.3 प्रशिक्षण और रोजगार सेवा समिति (1952 में स्थापित शिवा राव समिति) की सिफारिशों के अनुसरण में, रोजगार कार्यालयों तथा औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों (आईटीआई) का दैनंदिन प्रशासनिक नियंत्रण 01.11.1956 से राज्य सरकारों/संघ राज्य क्षेत्रों को केन्द्र एवं राज्यों के बीच लागत सहभागिता आधार पर हस्तांतरित कर दिया गया।

23.4 प्रतिष्ठान की लागत पर होने वाले खर्च का 60 प्रतिशत राज्य सरकारों के साथ केन्द्र द्वारा 31.03.1969 तक वहन किया जाता रहा, जिसके बाद राष्ट्रीय विकास परिषद् द्वारा मई, 1968 में लिए गए निर्णय के आधार पर यह योजना बन्द कर दी गई।

23.5 प्रत्येक क्रमिक पंचवर्षीय योजना के साथ केन्द्र तथा राज्यों में रोजगार सेवा और प्रशिक्षण सेवा के कार्यकलापों में विस्तार होता रहा है। कार्य कर रहे रोजगार कार्यालयों की कुल संख्या 997 (76 विश्वविद्यालय रोजगार सूचना एवं मार्गदर्शन ब्यूरो सहित) है।

23.6 वर्तमान में रोजगार महानिदेशालय (डीजीई) की अगुवाई महानिदेशक (रोजगार) द्वारा की जाती है। महानिदेशालय के संगठनात्मक ढाँचे में रोजगार निदेशालय तथा सचिवालय विंग नामक दो मुख्य विंग हैं।

उत्तरदायित्व

रोजगार निदेशालय

- राज्य सरकारों के परामर्श से राष्ट्रीय रोजगार सेवा के विस्तार एवं विकास हेतु कार्यक्रमों की योजना बनाना एवं निर्माण करना।
- राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों में रोजगार सेवा के कार्य में समन्वय स्थापित करना।
- रोजगार सेवा कार्मिकों के लिए प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित करना तथा स्टाफ प्रशिक्षण सामग्री को विकसित करना।
- राज्यों में रोजगार कार्यालयों की नीतियों, प्रक्रियाओं और कार्य–पद्धतियों के मूल्यांकन का सावधिक कार्यक्रम संचालित करना, ताकि सेवा के प्रगामी विकास हेतु राज्य सरकारों का मूल्यांकन किया जा सके तथा उन्हें परामर्श दिया जा सके और राष्ट्रीय नीतियों, मानकों एवं प्रक्रियाओं का प्रभावी रूप से कार्यान्वयन सुनिश्चित किया जा सके।
- संगठित क्षेत्र एवं रोजगार कार्यालयों के लिए रोजगार बाजार सूचना का संकलन एवं प्रचार–प्रसार करना तथा समान रिपोर्टिंग प्रक्रियाएं निर्धारित करना।
- बेरोजगार युवाओं से उनकी योग्यता एवं कौशल के उपयुक्त करियर के चुनाव एवं योजना बनाने के लिए रोजगार कार्यालयों तथा विश्वविद्यालय रोजगार सूचना एवं मार्गदर्शन ब्यूरो (यू ई आई जी बी एक्स), एमसीसी के माध्यम से किए जाने वाले व्यावसायिक

मार्गदर्शन एवं करियर परामर्श सेवा के मध्य समन्वय करना।

- विक्लांगों की अवशिष्ट क्षमताओं का मूल्यांकन करना तथा उनके आर्थिक पुनर्वास को सुगम बनाने के लिए उन्हें समायोजन प्रशिक्षण प्रदान करना।
- भारत सरकार के उन मंत्रालयों के कार्यों में समन्वय करना तथा उनसे परामर्श करना जिनके कार्य देश में रोजगार की स्थिति को प्रभावित करते हैं।
- अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के रोजगार चाहने वालों को व्यावसायिक मार्गदर्शन एवं विश्वास सृजन में प्रशिक्षण प्रदान करना।
- राष्ट्रीय रोजगार नीति तैयार करना।

सांविधिक उपबंध

23.7 डीजीई द्वारा प्रवर्तित किए गए सांविधिक उपबंध निम्न हैं:–

- रोजगार कार्यालय (रिक्तियों की अनिवार्य अधिसूचना) अधिनियम, 1959 तथा उसके अंतर्गत बनाए गए नियम। गैर–सांविधिक निकाय डीजीई के तहत कार्य कर रहे हैं:–

गैर–सांविधिक निकाय

23.8 डीजीई के तहत कार्य कर रहे गैर–सांविधिक निकाय राष्ट्रीय रोजगार सेवा पर कार्यकारी समूह है।

रोजगार सेवा हेतु उपलब्ध अवसंरचना

राज्य सरकारों के पास:–

- भारत में 997 रोजगार कार्यालय हैं दिव्यांगों (विकलांगो) हेतु 42 विशेष रोजगार कार्यालयों सहित)।
- विभिन्न राज्यों में सामान्य रोजगार कार्यालयों में दिव्यांग व्यक्तियों हेतु 38 विशेष प्रकोष्ठ कार्य कर रहे हैं।
- राज्य रोजगार निदेशालय सामान्यतः राज्यों की राजधानी में स्थित हैं।

केन्द्र सरकार के पास:

- दिव्यांगों हेतु 24 राष्ट्रीय करियर सेवा केन्द्र (पूर्व में वीआरसी), जिनमें से एक केन्द्र विशेष रूप में दिव्यांग महिलाओं हेतु वडोदरा में स्थापित किया गया है।
- अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों हेतु 25 राष्ट्रीय करियर सेवा केंद्र (पूर्व में सीजीसी)।
- राष्ट्रीय करियर सेवा संस्थान (एनआईसीएस) (पूर्व में सरटस) नोएडा (उ.प्र.) में स्थित है।
- नई दिल्ली में रोजगार निदेशालय के अंतर्गत केन्द्रीय रोजगार कार्यालय।

विशिष्टताएँ

रोजगार सेवा

23.9 डीजीई किसी भी प्रकार की रोजगार सृजन योजना का कार्यान्वयन नहीं करता है। इसकी भूमिका देश में राष्ट्रीय रोजगार सेवा के माध्यम से देश में हो रहे रोजगार सृजन का समन्वय करना और इस पर नजर रखना है। रोजगार सेवा का नेटवर्क 1951 में 18 रोजगार कार्यालयों से बढ़कर 997 रोजगार कार्यालयों हो गया है।

23.10 रोजगार कार्यालयों द्वारा निभाई जाने वाली एक महत्वपूर्ण भूमिका बेरोजगार युवाओं को, वेतन वाले रोजगारों में कमी होने के कारण, स्व–रोजगार उपक्रमों हेतु प्रेरित करना एवं उनका मार्गदर्शन करना है। 22 चुनिन्दा रोजगार कार्यालयों में विशेष स्व–रोजगार संवर्धन प्रकोष्ठ कार्य कर रहे हैं।

23.11 रोजगार चाहने वालों को व्यावसायिक मार्गदर्शन एवं रोजगार परामर्श प्रदान करने के लिए देश के रोजगार कार्यालयों में 409 व्यावसायिक मार्गदर्शन एकक तथा विश्वविद्यालय परिसरों में 76 विश्वविद्यालय रोजगार सूचना एवं मार्गदर्शन ब्यूरो (यूईआईजीबीएक्स) देश में कार्य कर रहे हैं।

राष्ट्रीय रोजगार सेवा

परिचय

23.12 रोजगार सेवा केन्द्र एवं राज्य सरकार का संयुक्त मुद्दा है और डीजीई, श्रम एवं रोजगार मंत्रालय ईएमआई

एकत्र करने, व्यावसायिक मार्गदर्शन एवं रोजगार संबंधी परामर्श देने और शारीरिक रूप से दिव्यांग व्यक्तियों के नियोजन सहित रोजगार सेवाओं द्वारा अपनाई जाने वाली नीतियों, मानकों एवं प्रक्रियाओं के लिए उत्तरदायी है। केन्द्र सरकार द्वारा राज्य सरकारों के परामर्श से राष्ट्रीय रोजगार सेवा हेतु नीतियां, मानक व प्रक्रियाएं निर्धारित की जाती हैं। राष्ट्रीय रोजगार सेवा पर एक कार्यकारी समूह, जिसमें केन्द्र व राज्य सरकारों के प्रतिनिधि होते हैं, इस परामर्श प्रक्रिया में सहायता करता है। राष्ट्रीय रोजगार सेवा पर कार्यकारी समूह की नियमित बैठकें रोजगार एवं प्रशिक्षण महानिदेशक, श्रम और रोजगार मंत्रालय, की अध्यक्षता में आयोजित की जाती हैं। राज्य के श्रम एवं रोजगार सचिवों/राज्य रोजगार निदेशकों/रोजगार महानिदेशालय के अन्य प्रतिनिधियों तथा अधिकारियों द्वारा बैठकों में भाग लिया जाता है। कार्यकारी समूह ने राष्ट्रीय रोजगार सेवा से जुड़े विभिन्न मुद्दों पर विचार किया तथा आवश्यक सिफारिशें कीं।

23.13 राष्ट्रीय रोजगार सेवा की विशेषताएं

- राष्ट्रीय रोजगार सेवा के अंतर्गत सिक्किम राज्य को छोड़कर समस्त राज्य एवं संघ राज्य क्षेत्र आते हैं।
- रोजगार कार्यालयों का दैनंदिन प्रशासन संबंधित राज्य सरकारों/संघ शासित प्रदेशों के नियंत्रणाधीन है।
- इसका 997 रोजगार कार्यालयों का नेटवर्क है।
- प्रशासनिक कार्यकरण के एक भाग के रूप में, रोजगार कार्यालय सांख्यिकीय विवरणियों के माध्यम से आंकड़े एकत्र किए जाते हैं जिनमें प्रत्येक विवरणी में विभिन्न अवधियों के दौरान पंजीकरण, नियोजन, इत्यादि जैसे विशिष्ट क्षेत्र के कार्य शामिल हैं।
- रोजगार बाजार सूचना कार्यक्रम के एक भाग के रूप में, रोजगार कार्यालय (रिक्तियों की अनिवार्य अधिसूचना) अधिनियम, 1959 तथा उसके तहत बनाई गई नियमावली के अंतर्गत निर्धारित ई. आर. –I विवरणियों में रोजगार, रिक्तियों, कर्मचारियों का व्यावसायिक एवं शैक्षिक ढांचा इत्यादि के संबंध में संगठित क्षेत्र (समस्त सार्वजनिक क्षेत्र प्रतिष्ठान तथा 10 या अधिक कामगारों वाले समस्त गैर–कृषि निजी क्षेत्र प्रतिष्ठान) से आंकड़े एकत्र किए जाते हैं। निजी क्षेत्र में 10 से 24 कामगारों को नियोजित करने वाले प्रतिष्ठानों को स्वैच्छिक आधार पर शामिल किया जाता है।

23.14 राष्ट्रीय रोजगार सेवा को राष्ट्रीय करियर सेवा में परिवर्तित करने के लिए श्रम एवं रोजगार मंत्रालय ने नवम्बर, 2013 के दौरान एक कार्यकारी समूह गठित किया जिसमें राज्य सरकारों, नियोक्ता संघों के प्रतिनिधि एवं अन्य पणधारी शामिल हैं। इस कार्यकारी समूह की प्रथम बैठक 03 दिसम्बर, 2013 को आयोजित की गई। सेवा की उपयोगिता, पहुंच तथा दक्षता में सुधार करने सहित विभिन्न पहलुओं पर विस्तृत रूप से चर्चाओं एवं ध्यानपूर्वक विचार करने के बाद, राष्ट्रीय आजीविका सेवा की आधारशीला रखते हुए सरकार द्वारा सिफारिशों का अनुमोदन किया गया।

रोजगार कार्यालय (रिक्तियों की अनिवार्य अधिसूचना) अधिनियम, 1959

23.15 रोजगार कार्यालय (रिक्तियों की अनिवार्य अधिसूचना) अधिनियम, 1959 के तहत रिक्तियों की अनिवार्य अधिसूचना तथा नियोक्ताओं द्वारा रोजगार कार्यालयों को रोजगार संबंधी विवरणियां (ई.आर.–I) प्रस्तुत करने का प्रावधान है। यह अधिनियम, सार्वजनिक क्षेत्र के समस्त प्रतिष्ठानों तथा गैर–कृषि कार्यकलापों में रत और 25 या अधिक कामगारों को नियुक्त करने वाले निजी क्षेत्र के प्रतिष्ठानों पर लागू होता है। अधिनियम का प्रवर्तन राज्यों एवं संघ राज्य क्षेत्रों का दायित्व है। अधिकतर राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों में इस प्रयोजन के लिए विशेष प्रवर्तन तंत्र स्थापित है। अधिनियम में प्रस्तावित संशोधनों पर श्रम संबंधी संसदीय स्थाई समिति द्वारा विचार–विमर्श किया गया तथा उसने यह सिफारिश की है कि रोजगार कार्यालयों के कार्यकरण को समाज की आवश्यकताओं के प्रति और–अधिक संगत बनाने के लिए अधिनियम को व्यापक रुप से संशोधित किया जाए तथा मंत्रालय में इसकी जांच की जा रही हैं।

23.16 तदनुसार, श्रम और रोजगार मंत्रालय द्वारा एक अंतर्रमंत्रालय समिति (आईएमसी) का गठन किया जिसमें अधिनियम की रूपरेखा पर विचार–विमर्श हेतु मुख्य मंत्रालयों को शामिल किया गया। राष्ट्रीय करियर सेवाओं (एनसीएस) हेतु नीतिगत ढांचे को प्रस्तुत करने की सिफारिश इस निर्देश के साथ की कि एनसीएस नीति के कार्यान्वयन की गहनता से निगरानी की जाए, ताकि भविष्य में अधिनियम तैयार करने की अनिवार्यता पर निर्णय लिया जा सके। आईएमसी द्वारा इस पर आगे यह निर्णय लिया गया कि इसी बीच ईई (सीएनबी) अधिनियम, 1959 को विद्यमान रूप में जारी रखा जाए।

राष्ट्रीय रोजगार सेवा का कार्य–निष्पादन'

23.17 997 रोजगार कार्यालयों के नेटवर्क का ब्यौरा तालिका 23.18 में दिया गया है। रोजगार चाहने वालों का पंजीकरण, नियोजन, करियर परामर्श तथा व्यावसायिक मार्गदर्शन एवं रोजगार बाजार सूचना एकत्रित करना रोजगार कार्यालयों की मुख्य गतिविधियाँ हैं।

तालिका 23.18

• रोजगार कार्यालयों की कुल संख्या, निम्नलिखित को शामिल करती है:	997
• विश्वविद्यालय रोजगार सूचना एवं मार्गदर्शन ब्यूरो (यू.ई.आई.जी.बी.एक्स.)	76
• व्यावसायिक एवं कार्यकारी रोजगार कार्यालय	14
• शारीरिक रूप से विकलांगों के लिए विशेष रोजगार कार्यालय	42
• बागान श्रमिकों के लिए विशेष रोजगार कार्यालय	01
• विशिष्ट रूप से महिलाओं हेतु रोजगार कार्यालय	05

23.18 30.06.2017 की स्थिति के अनुसार, रोजगार कार्यालयों का कार्य–निष्पादन निम्नानुसार है:

तालिका 23.19

श्रेणी	पंजीकृत रोजगार चाहने वालों की सं.	नियोजित रोजगार चाहने वालों की सं.	चालू रजिस्टर पर रोजगार चाहने वालों की सं. (लाख में)
पुरुष*	11.24	1.72	271.60
महिलाएं*	6.35	0.50	156.49
कुल*	**17.59**	**2.22**	**428.09**

* अनंतिम

रोजगार कार्यालयों में पंजीकरण एवं नियोजन की मुख्य बातें

23.19 पंजीकरण:

जून, 2017 के अंत तक पंजीकृत 17.59 लाख रोजगार चाहने वालों की कुल संख्या में से 11.24 लाख रोजगार चाहने वाले पुरुष थे तथा 6.35 लाख महिलाएं थीं। सर्वाधिक रोजगार चाहने वाले व्यक्ति (2.71 लाख) गुजरात में पंजीकृत थे, इसके बाद 2.53 लाख मध्य प्रदेश में, 2.35 लाख तमिलनाडु में और 2.05 लाख केरल में थे।

23.20 नियोजन:

रोजगार कार्यालयों के माध्यम से जिन 2.22 लाख रोजगार चाहने वालों को रोजगार प्राप्त हुआ, उनमें से 0.50 लाख महिलाएं थीं। इसी अवधि में सर्वाधिक नियोजन 2.07 लाख गुजरात में हुआ था।

23.21 चालू रजिस्टर:

चालू रजिस्टर पर दर्ज 428.09 लाख रोजगार चाहने वालों की कुल संख्या में से 271.60 लाख रोजगार चाहने वाले पुरूष हैं तथा 156.49 लाख रोजगार चाहने वाली महिलाएं हैं। अधिकतम रोजगार चाहने वालों की संख्या पश्चिम बंगाल और उसके बाद तमिलनाडु में थी।

23.22 वर्ष 2007–2017 की अवधि के लिए वर्ष–वार पंजीकरण, नियोजन, अधिसूचित रिक्तियां, भेजे गए नाम तथा चालू रजिस्टर तालिका सं. 23.23 में है।

वर्ष	रोजगार कार्यालय, यूईआईजीबीएक्स	पंजीकरण	नियोजन	अधिसूचित रिक्तियां	भेजे गए नाम	चालू रजिस्टर
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
2007	965	5434.2	263.5	525.8	3666.1	39974.0
2008	968	5315.9	305.0	570.8	3344.0	39112.4
2009	969	5693.7	261.5	419.5	2589.3	38152.2
2010	969	6186.0	505.4	706.9	3747.1	38818.5
2011	966	6206.3	471.5	819.7	5142.9	40171.6
2012	956	9722.2	427.6	682.8	2982.2	44790.1
2013	956	5969.4	348.5	510.7	3002.1	46802.5
2014	978	5957.2	338.5	762.0	4220.4	48261.1
2015	978	6939.4	395.0	810.3	4307.6	43502.7
2016	997	5959.9	405.5	1401.4	3906.4	43376.1
2017* (30–06–2017 को)	997	1759.2	222.08	587.7	1957.4	42809.1

* अनंतिम

केन्द्रीय रोजगार कार्यालय, दिल्ली

23.23 श्रम एवं रोजगार मंत्रालय के अधीन, 3/10 जाम नगर हाऊस, नई दिल्ली स्थित केन्द्रीय रोजगार कार्यालय, केंद्रीय सरकारी प्रतिष्ठानों में वैज्ञानिक तथा तकनीकी स्वरूप वाली1400–2300/–रुपए के वेतनमान में (सातवें वेतन आयोग के के अनुसार स्तर–5) अथवा अधिक, सरकारी प्रतिष्ठानों की रिक्तियों का विज्ञापन करने हेतु उत्तरदायी है। डीओपीटी द्वारा निर्धारित संशोधित प्रक्रिया के अनुसार ईई (सीएनवी) अधिनियम, 1959 के अनुसार सीईई को अधिसूचित सभी रिक्तियों को केंद्रीय रोजगार कार्यालय (सीईई) द्वारा रोजगार समाचार पत्र में विज्ञापित किया जाना है। जनवरी, 2019 से अक्तबूर, 2019 तक विभिन्न मंत्रालयों/विभागों द्वारा अधिसूचित 24 रिक्तियों का विज्ञापन डीएवीपी द्वारा प्रकाशित रोजगार समाचार–पत्र में दिया गया। इनमें अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/सामान्य (समस्तर आरक्षण सहित) के लिए क्रमशः 01, 03 एवं 20 रिक्तियां शामिल हैं। इसके अतिरिक्त, ऐसी रिक्तियों को नवम्बर, 2016 में डीओपीटी द्वारा जारी अनुदेशों के द्वारा राष्ट्रीय करियर सेवा (एनसीएस) पोर्टल पर भी रखा जाना है।

रोजगार बाजार सूचना कार्यक्रम (ई.एम.आई.) कार्य–क्षेत्र, विस्तार एवं सीमा

23.24 संगठित क्षेत्र में रोजगार संबंधी आंकड़े रोजगार बाजार सूचना (ईएमआई) कार्यक्रम के अंतर्गत एकत्र किए जाते हैं जिसे रोजगार कार्यालय (रिक्तियों की अनिवार्य अधिसूचना) अधिनियम, 1959 व इसके अंतर्गत बनाए गए नियमों द्वारा सांविधिक आधार प्रदान किया जाता है।

रोजगार बाजार सूचना कार्यक्रम का विस्तार अब सभी राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों में कर दिया गया है। सार्वजनिक क्षेत्र के सभी प्रतिष्ठानों और निजी क्षेत्र के 25 या उससे अधिक कामगारों को नियोजित करने वाले गैर–कृषीय प्रतिष्ठानों के लिए यह कार्यक्रम लागू है। 10 से 24 कामगारों को नियोजित करने वाले प्रतिष्ठानों को स्वैच्छिक आधार पर शामिल किया जाता है।

23.25 तथापि, रोजगार बाजार सूचना कार्यक्रम में कृषीय प्रतिष्ठानों (पौधारोपण तथा कृषि मशीनी उपकरण के अतिरिक्त), स्व नियोजितों या स्वतंत्र कामगारों, अंशकालिक कामगारों, रक्षा बलों, विदेशों में भारतीय मिशनों, मुंबई व कोलकाता महानगरों में 25 से कम कामगारों को नियोजित करने वाले प्रतिष्ठानों तथा अति लघु प्रतिष्ठानों (10 से कम कामगारों को नियोजित करने वाले) में रोजगार को शामिल नहीं किया जाता है। रोजगार कार्यालय (रिक्तियों की अनिवार्य अधिसूचना) अधिनियम, 1959 के अनुसार नियोक्ताओं के लिए रोजगार विवरणी (ई आर–I) तथा द्विवार्षीय अंतराल पर तिमाही व्यवसायिक विवरणी (ईआर–II) भेजना अनिवार्य है। प्रत्येक तिमाही के अंतिम कार्यगत दिन पर रोजगार तिमाही अंतराल पर रोजगार विवरणी को दर्शाता है जहां कहीं से भी द्विवर्षीय व्यवसायिक विवरणी एकत्रित की जाती है।

विशेष श्रेणियों को रोजगार सहायता

23.26 रोजगार सेवा के अन्तर्गत पूर्व की तरह ही महिलाओं, अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों, दिव्यांगों तथा दिव्यांग भूतपूर्व सैनिक जैसे रोजगार चाहने वाले कमजोर वर्गों की विशेष आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए प्रयास जारी रखे गए। कमजोर वर्ग पर कार्यक्रमों के ब्यौरे अध्याय 24 में दिए गए हैं।

राष्ट्रीय करियर सेवा

23.27 मंत्रालय करियर परामर्श, व्यावसायिक मार्गदर्शन, कौशल विकास पाठ्यक्रमों, शिक्षुता, इन्टर्नशिप पर सूचना, आदि जैसी विभिन्न रोजगार संबंधी सेवाएं प्रदान करने के लिए राष्ट्रीय रोजगार सेवा के रूपान्तरण हेतु एक मिशन मोड परियोजना के रूप में राष्ट्रीय करियर सेवा (एनसीएस) परियोजना का कार्यान्वयन कर रहा है।

23.28 12वीं पंचवर्षीय योजना के लिए एनसीएस पर मिशन मोड परियोजना का मूल्यांकन एवं अनुमोदन दिसम्बर, 2013 में 148.70 करोड़ रुपए के परिव्यय के साथ किया गया। करियर केन्द्रों की स्थापना करने संबंधी सरकार की मंशा को साकार करने हेतु नवम्बर, 2014 में परियोजना परिव्यय को मूल्यांकित कर 292.20 करोड़ रुपए तक बढ़ाया गया है। परियोजना के क्षेत्र को और आगे बढ़ाया गया, ताकि 12वीं पंचवर्षीय योजना के दौरान 348 करोड़ रुपए के बढ़े हुए परिव्यय के साथ नियमित आधार पर रोजगार मेलों और रोजगार कार्यालयों को परस्पर जोड़ा जा सके। वित्तीय वर्ष 2016–17 हेतु परियोजना का अनुमोदित बजट परिव्यय 100 करोड़ रु. था और वर्तमान वित्तीय वर्ष 2019–20 में 50 करोड़ है। 14वें वित्त आयोग दौर (2017–2020) के दौरान इस योजना को जारी रखने के लिए 478 करोड़ रुपए का परिव्यय अनुमोदित किया गया है।

23.29 एनसीएस पोर्टल के तीन स्तंभ हैं– एनसीएस पोर्टल, रोजगार कार्यालयों एवं आदर्श करियर केंद्रों को आपस में जोड़ना, एनसीएस पोर्टल के तहत सेवाएं ऑनलाइन उपलब्ध हैं तथा सीधे ही करियर केंद्रों, सामान्य सेवा केंद्रों, पोस्ट ऑफिसों, मोबाइल डिवाइसेस, साइबर कैफे आदि के माध्यम से इन्हें देखा जा सकता है। एन सी एस मंच पर विभिन्न हितधारकों में रोजगार चाहने वाले, उद्योग, नियोक्ता, रोजगार कार्यालय (करियर केंद्र), प्रशिक्षण प्रदाता, शैक्षिक संस्थान तथा नियोजन संगठन शामिल हैं।

23.30 एनसीएस पोर्टल (एनसीएसपी) को यूआरएल (www.ncs.gov.in) पर आरंभ कर दिया गया है। पोर्टल भारत के माननीय प्रधानमंत्री द्वारा 20.07.2015 को राष्ट्र को समर्पित किया गया था। प्रयोगकर्ताओं की सहायता के लिए मंगलवार से रविवार तक एक समर्पित हेल्पडेस्क (बहु–भाषी) (सुबह 8 बजे से रात 8 बजे तक) 18004251514 पर भी उपलब्ध है। 52 क्षेत्रों के तहत इसमें 3600 से अधिक व्यवसायों की करियर सामग्री का समृद्ध भण्डार है। पोर्टल रोजगार मेलों के आयोजन को भी सुगम बनाता है, जहां नियोक्ता तथा रोजगार चाहने वाले दोनों परस्पर संपर्क कर सकते हैं। एनसीएस पोर्टल की संक्षिप्त सांख्यिकी नीचे दी गई है:

राष्ट्रीय करियर सेवा

क्र. सं.	मापदंड	03 दिसम्बर, 2019 को संख्या
1.	पंजीकृत सक्रिय रोजगार चाहने वालें	01.01 करोड़
2.	पंजीकृत सक्रिय नियोक्ताओं की संख्या	48534
3.	जुटाए गए रोजगार	61.02 लाख
4.	आयोजित रोजगार मेले	992

23.31 करियर परामर्श पर सरकार के संकेन्द्रण के साथ, मंत्रालय द्वारा करियर सलाहकारों के एक नेटवर्क को सृजित किया गया है, जहां करियर केंद्र अपने क्षेत्र में करियर परामर्श का एक हब बन चुके हैं। इस प्रक्रिया के तहत, एनसीएस पोर्टल पर विभिन्न राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों से 5886 करियर परामर्शदाता पंजीकृत किए गए, जिनमें से 580 नियमित रूप से प्रभावी सेवाएं प्रदान कर रहे हैं।

23.32 एनसीएस पोर्टल करियर एवं रोजगार संबंधी सेवाओं के वितरण हेतु संस्थानों एवं संगठनों की भागीदारी हेतु एक खुली संरचना भी प्रदान करता है। एनसीएस पोर्टल संकेन्द्रीत क्षेत्रों अथवा अन्यों में सेवाओं के श्रेणिकरण तथा वितरण में सुधार की सहायता के लिए विशिष्ट पृष्ठ विकसित कर सकता है। भागीदार संस्थानों को गैर–विशेष आधार पर सेवाओं के वितरण में सुधार के लिए एनसीएस पोर्टल पर उपयुक्त स्थान तथा लिंक प्रदान किया जाएगा तथा यह प्रवोधन प्रणालियों के प्रति उत्तरदायी होगा। हमारे कार्यबल को ज्यादा से ज्यादा रोजगार अवसर प्रदान के लिए मंत्रालय ने अनेक संस्थानों तथा संगठनों का सहयोग लिया है, कुछ अग्रणी संगठन हैं जैसे क्विकर जॉब्स, मॉन्स्टर डॉट कॉम, फ्रेशर्स वर्ल्ड, फर्स्ट जॉब, मेरा जॉब, सिनर्जी रिलेशनशिप मैनेजमेंट सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड, वीएसएस टेक सॉल्यूशन प्राइवेट लिमिटेड, मॉन्स्टर डॉट कॉम सरल रोजगार, सेसियस टकनोलॉजी प्राई. लिमिटेड, साइन.कॉम आदि। डीओपीटी द्वारा जारी अनुदेशों के अनुसार, सभी सरकारी रिक्तियों को एनसीएस पोर्टल (ncs.gov.in) जिसे श्रम और रोजगार मंत्रालय द्वारा विकसित किया गया, पर भी डाला जाना आवश्यक है।

23.33 एनसीएस परियोजना के लिए विभिन्न अवसरों पर राज्य सरकारों के साथ अनेक बार विचार–विमर्श किया गया। राष्ट्रीय करियर सेवा एवं करियर केन्द्रों की संरचना को तैयार करने में प्रमुख मंत्रालय, शैक्षिक जगत एवं उद्योग शामिल रहे हैं। एनसीएस के अन्तर्गत, मौजूदा परामर्श संबंधी साहित्य को डिजिटाइज करके करियर परामर्श संबंधी विषय–वस्तु का ज्ञान–संग्रह सृजित करने और इसे हितधारियों द्वारा आवधिक रूप से अद्यतन करने और विभिन्न उपयोगकर्ताओं तक इसे सुगम बनाने का प्रस्ताव है। राष्ट्रीय करियर सेवा के अंतर्गत वर्तमान परामर्शी साहित्य का अंकीकरण कर और इसे पणधारियों द्वारा आवधिक अद्यतनीकरण हेतु सुगम बनाकर तथा इसे विभिन्न प्रयोक्ताओं की पहुंच में लाकर करियर परामर्शी विषय–वस्तु के ज्ञान संबंधी भंडार को सृजित करने का प्रस्ताव है। एनसीएस के तहत विभिन्न पहलुओं के लिए बहु–हितधारक विशेषज्ञ समूहों का गठन किया गया है, जैसे कैरियर काउंसलर का नेटवर्क, मूल्यांकन उपकरण, ग्रामीण आउटरीच रणनीति आदि। समितियों का गठन भी परियोजना के संचालन के लिए किया गया है।

23.34 एनसीएस परियोजना में राज्यों तथा अन्य संस्थानों के सहयोग से स्थापित किए जाने हेतु रोजगार सेवाएं वितरित करने से लिए आदर्श करियर केंद्रों (एमसीसी) की स्थापना की भी परिकल्पना की गई है। सरकार प्रस्तावों तथा योजना के दिशा निदेशों के आधार पर इन केंद्रो को वित्तीय सहायता प्रदान करती है। इन आदर्श केंद्रों को राज्यों द्वारा उनके अपने संसाधनों से दोहराया जा सकता है सरकार ने आरंभ में 107 आदर्श करियर केंद्रों (7 गैर–पोषित एमसीसी सहित) की स्थापना को अनुमोदन दे दिया है। एमसीसीज प्रौद्योगिकी का प्रयोग करते हुए रोजगार संबंधी विविध सेवाएं प्रदान के लिए आदर्श केंद्र सृजित करने की परिकल्पना करते हैं।। रोजगार के मुख्य विषय के महत्व के मद्देनजर तथा अधिकतम रोजगार चाहने वालों को रोजगार संबंधी सेवाएं प्रदान करने के लिए, सरकार तथा हितधारकों ने अब 100 और आदर्श करियर केंद्रों (एमसीसीज) की स्थापना का निर्णय लिया है, जिसके

फलस्वरूप योजना की भौगोलिक कवरेज का विस्तार होगा तथा 14वीं वित्त आयोग की अवधि (2017–2020) के दौरान सरकारी वित्त–पोषित एमसीसी की संख्या 200 हो जाएगी। द्वितीय चरण में सरकार द्वारा 164 एमसीसी का अनुमोदन प्रदान किया गया है। इसके अलावा, 20 नवंबर, 2019 को आयोजित अपनी बैठक में अंतर–मंत्रालयीय मूल्यांकन समिति द्वारा बाकी मॉडल कैरियर केंद्रों की सिफारिश की गई है।

23.35 997 रोजगार कार्यालयों को एनसीएस पोर्टल के साथ जोड़ने के लिए एनसीएस परियोजना का भी विस्तार किया गया है तथा रोजगार कार्यालय के उन्नयन एवं रोजगार मेले के आयोजन हेतु भारत सरकार द्वारा निधियां भी इस योजना के तहत प्रदान की जा रही हैं। अब तक 27 राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों ने प्रस्ताव भेजे हैं तथा 2019–20 (दिसम्बर, 2019 तक) के दौरान 25 राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को निधियां जारी की गई हैं। राष्ट्रीय करियर सेवा (एनसीएस) के तहत लगभग 992 रोजगार मेले आयोजित किए गए हैं, जिनमें 2,06,411 रोजगार चाहने वालों ने भागीदारी की और 76,635 अभ्यर्थियों की चयन–सूची बनाई गई।

23.36 समानांतर कार्यवाही के रूप में, मंत्रालय ने राष्ट्रीय रोजगार सेवा के अधिकारियों के क्षमता–निर्माण के लिए तथा राष्ट्रीय करियर सेवाओं के क्षेत्र में उन्मुख, पुनश्चर्या तथा विशिष्ट प्रशिक्षण की बहु–आयामी कार्यनीति के अंतर्गत आदर्श करियर केंद्रों में युवा पेशेवरों की तैनाती के लिए एक कार्यक्रम प्रारंभ किया है। राष्ट्रीय करियर सेवाओं, जैसे करियर परामर्श प्रशिक्षण, पोर्टल प्रबंधन प्रशिक्षण, अपना व्यवसाय का आरंभ व सुधार (एसआईवाईबी) प्रशिक्षण आदि, के अनेक मॉड्यूल्स पर 2189 से अधिक अधिकारियों को प्रशिक्षित किया गया है।

राष्ट्रीय रोजगार नीति

23.37 फरवरी, 2013 में राष्ट्रीय रोजगार नीति के कार्यान्वयन हेतु श्रम एवं रोजगार मंत्रालय ने एक केबिनेट नोट का अग्रेषण किया। तथापि, दस्तावेजों को बढ़ाने एवं अद्यतन करने की सलाह दी गई। मंत्रालय ने तत्पशचात् राष्ट्रीय रोजगार नीति के मसौदे का कार्य वीवीजीएनएलआई को सौंपा तथा इसको तैयार करते समय यह पता चला कि नीति में व्यापक जटिलताएं हैं और इसके लिए विभिन्न हितधारकों, मंत्रालयों, विभागीय व्यापार संघों, अनुसंधान संस्थानों, राज्य सरकारों इत्यादि से जानकारी प्राप्त करने की आवश्यकता है। तदनुसार, 13 मार्च, 2014 को एक अंतर्मंत्रालयी समिति का गठन किया गया और इसकी प्रथम बैठक 04 अप्रैल, 2014 को की गई। विचार एवं सुझाव प्राप्त करने के लिए हितधारकों को अवधारणा नोट परिचालित किया गया। मसौदा नीति पर 29.8.2014 को राज्य मंत्रियों से भी विचार–विमर्श किया गया। प्रस्तावित रोजगार नीति की रूप–रेखा पर विचार–विमर्श करने के लिए 04.06.2015 को मुख्य हितधारकों के साथ एक अन्य महत्वपूर्ण सत्र का आयोजन किया गया। विभिन्न बैठकों में हुई चर्चा के आधार पर, वीवीगिरी एनएलआई ने एनईपी का संशोधित मसौदा हाल ही में जमा किया है जो की मंत्रालय के पास विचाराधीन है।

प्रधान मंत्री रोजगार प्रोत्साहन योजना (पीएमआरपीवाई)

23.38 रोजगार सृजन को बढ़ावा देने हेतु नियोक्ताओं को प्रोत्साहित करने के लिए 9 अगस्त, 2016 को प्रधान मंत्री रोजगार प्रोत्साहन योजना (पीएमआरपीवाई) आरंभ की गई है। इस योजना के तहत, भारत सरकार ईपीएफओ के माध्यम से नए कर्मचारियों हेतु ईपीएफ एवं ईपीएस के लिए 3 वर्षों हेतु नियोक्ता के संपूर्ण अंशदान (12% अथवा यथा–स्वीकार्य) का भुगतान कर रही है। स्कीम का लक्ष्य 15,000 रुपए प्रतिमाह तक कमाने वाले कर्मचारियों के लिए है तथा इसका उद्देश्य बड़ी संख्या में अनौपचारिक कामगारों को औपचारिक कार्यबल में भी लाना है। प्रतिष्ठान के माध्यम से लाभार्थी के पंजीकरण की समापन तिथि 31 मार्च, 2019 है।

प्रारंभ में, सरकार इन नए कर्मचारियों के संबंध में सभी क्षेत्रों हेतु नियोक्ता के 8.33% ईपीएस अंशदान का भुगतान कर रही थी। इस योजना के लाभों को प्रधान मंत्री परिधान रोजगार प्रोत्साहन योजना (पीएमपीआरपीवाई) के तहत बने–बनाए एवं परिधान क्षेत्र हेतु तक भी विस्तारित कर दिया गया था जहां पर सरकार इन नए कर्मचारियों के संबंध में नियोक्ता के अतिरिक्त 3.67% ईपीएफ अंशदान का

भुगतान कर रही थी और इस प्रकार कुल प्रोत्साहन को 12% तक लाया गया। इस योजना के सीमा क्षेत्र को सभी क्षेत्रों हेतु नियोक्ताओं के संपूर्ण 12% अंशदान के लाभ प्रदान कराने के लिए सीसीईए के अनुमोदन के साथ 1.4.2018 से बढ़ा दिया गया था।

इस योजना का दोहरा लाभ है। जहां, एक ओर नियोक्ताओं को प्रतिष्ठान में कामगारों के रोजगार आधार को बढ़ाने हेतु प्रोत्साहित किया जाता है वहीं दूसरी ओर इन कामगारों की संगठित क्षेत्र के सामाजिक सुरक्षा लाभों तक पहुंच होगी। इस योजना के तहत सभी लाभार्थी आधार से संबंधित हैं।

16 दिसम्बर, 2019 तक (पीएमआरपीवाई) के तहत 1,21,67,940 लाभार्थियों को शामिल करते हुए 1,52,849 प्रतिष्ठानों को 7101.56 करोड़ रुपए का कुल लाभ प्रदान किया गया है।

अजा/अजजा हेतु राष्ट्रीय करियर सेवा केंद्र

23.39 अजा/अजजा हेतु पच्चीस राष्ट्रीय करियर सेवा केंद्र 25 राज्यों में स्थापित किए गए है। इन केंद्रों के माध्यम से विश्वास–सृजन कार्यक्रम आयोजित किए जाते हैं तथा व्यावसायिक मार्गदर्शन प्रदान किया जाता है। इसके अतिरिक्त, ऐसे 14 केंद्रों में अजा/अजजा के रोजगार चाहने वालों को टंकण एवं आशुलिपि में अभ्यास हेतु सुविधाएं प्रदान की जाती हैं। ये केंद्र समूह 'ग' एवं समतुल्य पदों हेतु कर्मचारी चयन आयोग तथा अन्य भर्ती बोर्डों द्वारा आयोजित प्रतियोगी परिक्षाओं में अजा/अजजा के अभ्यर्थियों की नियोजनीयता में सुधार के लिए भर्ती–पूर्व प्रशिक्षण कार्यक्रम भी चलाते रहे हैं। एनसीएससी–अजा/अजजा के ब्यौरे अध्याय 24 में दिए गए हैं।

दिव्यांगजन हेतु राष्ट्रीय करियर सेवा केंद्र

23.40 दिव्यांगजन हेतु चौबीस एनसीएससी (पूर्व में वीआरसी) देश में कार्य कर रहे हैं, जिसमें से वड़ोदरा स्थित एक केंद्र विशेष रूप से दिव्यांग महिलाओं हेतु स्थापित किया गया है। ये केंद्र दिव्यांग व्यक्तियों की अवशिष्ट क्षमताओं का मूल्यांकन करते हैं तथा उन्हें आर्थिक मुख्यधारा में लाने तथा देश का उत्पादक नागरिक बनाने के उद्देश्य से उन्हें समायोजन प्रशिक्षण तथा कौशल प्रशिक्षण प्रदान करते हैं। ये केंद्र दिव्यांग व्यक्तियों के पुनर्वास में जन जागरूकता तथा सामुदायिक भागीदारी सृजित करने में पूर्व–सक्रिय भूमिका निभाते हैं। कुशल कार्यबल की मांग तथा आपूर्ति के मध्य संपर्क के लिए, सरकार ने अन्यथा सक्षम व्यक्तियों हेतु एनसीएससी में दिव्यांग व्यक्तियों के कल्याण हेतु 5 आदर्श करियर केंद्रों की स्थापना की है। ये केंद्र दिव्यांग युवाओं हेतु प्रमुख कार्यकलापों के रूप में करियर परामर्श पर ध्यान केंद्रित करते हैं जो उन कौशल वृद्धि पाठ्यक्रमों को करने हेतु उन्हें प्रेरित करता है जो बाजार प्रेरित हैं। एनसीएससी–डीए के अधिकारियों को व्यावसायिक परामर्श तकनीकों में प्रशिक्षित किया जा रहा है। इन केंद्रों में आऊटरीच परामर्श सत्र तथा रोजगार–मेले एक प्रमुख कार्यकलाप है। एनसीएससी–डीए पर ब्यौरे अध्याय 24 में दिए गए हैं।

23.41 अन्य सक्षम भूतपूर्व सैनिकों/सीमा सुरक्षा बल कार्मिकों एवं उनके आश्रितों को नियोजन सेवा रोजगार महानिदेशालय (मु.) में स्थित भूतपूर्व सैनिक प्रकोष्ठ के माध्यम से प्रदान किया जाता है और आगे ब्यौरे के लिए कृपया अध्याय 24 के पैरा 24.14 का संदर्भ लें।

राष्ट्रीय करियर सेवा संस्थान

23.42 श्रम एवं रोजगार मंत्रालय, रोजगार महानिदेशालय के तहत अक्तूबर 1964 में राष्ट्रीय करियर सेवा संसधान (पूर्व में केंद्रीय रोजगार सेवा संबंधी अनुसंधान एवं प्रशिक्षण संसधान) को रोजगार सेवाओं में अनुसंधान व प्रशिक्षण के लिए स्थापित किया गया था। बाद में इस संस्थान को 1970 में प्रकाशित करियर साहित्य के कार्य के साथ बढ़ाया गया था और पुनः 1987 में स्व–रोजगार के व्यवसायिक अनुसंधान तथा विस्तार का उत्तरदायित्व भी इसे दे दिया गया। अब, मंत्रालय द्वारा राष्ट्रीय ई–शासन प्लान (एनई–जीपी) के तहत रोजगार कार्यालय मिशन मोड का कार्यान्वयन किया जा रहा है। इस परियोजना के तहत, एनआईसीएस (सरटस) को एनसीएस के तहत क्षमता निर्माण के लिए नोडल संस्थान के रूप में घोषित किया गया है। एनआईसीएस, एनसीएस परियोजना के समस्त हितधारकों जैसे नियोक्ताओं, रोजगार चाहने वाले, प्रशिक्षण प्रदाता, विश्वविद्यालय छात्र/परामर्श दात्ता/नियोजन

संगठन सरकार संस्थान, राज्य सरकारों राष्ट्रीय रोजगार सेवाओं के व्यय अधिकारी जो केंद्रीय एवं राज्य सरकारों में कार्य कर रहे हैं आदि को प्रशिक्षण प्रदान करने हेतु उत्तरदायी है। एनआईसीएस श्रम एवं रोजगार मंत्रालय की मुख्य युवा पेशवर योजना के कार्यान्वयन के रूप में भूमिका निभा रहा है। और एनसीएस परियोजना के तहत देश भर में मॉड्ल करियर केंद्रों की गतिविधियों का समन्वय कर रहा है।

23.43 मॉड्ल करियर केंद्रों (एमसीसी) के रूप में एनआईसीएस विभिन्न गतिविधियों जैसे रोजगार चाहने वालों का पंजीकरण, करियर परामर्श सत्रों, रोजगार/नियोजन मेलों के आयोजन का संचालन और स्थानीय सेवा प्रदाताओं आदि गतिविधियों के आयोजन के लिए उत्तरायी है। अक्तूबर 2019 तक एमसीसी, नोएडा ने 18 रोजगार अभियानों और एक विशाल रोजगार मेले का आयोजन किया।

प्रशिक्षण कार्यकलाप

- 30 नवम्बर, 2019 तक राज्य रोजगार सेवाओं के अधिकारियों, सीजीसी, एमसीसी और वीआरसी के स्टाफ व अधिकारियों के लिए 16 क्षमता निर्माण कार्यक्रम (सीबीपी) आयोजित किए गए और उपरोक्त लिखित प्रशिक्षण कार्यक्रम में 450 प्रशिक्षुओं ने भाग लिया।
- 30 नवम्बर, 2019 तक एनसीएस के विभिन्न पणधारियों के लिए 36 कौशल उन्नमुख कार्यक्रम आयोजित किए गए और उपरोक्तलिखित कौशल उन्मुख कार्यक्रमों में 2598 लोगों ने उपस्थिति दर्ज की।
- नवम्बर, 2019 तक रोजगार चाहने वालों के लिए तीन टीसीएस नियोजनीयता प्रशिक्षण और 104 प्रशिक्षुओं ने कार्यक्रम में भाग लिया।

एनआईसीएस में राष्ट्रीय करियर सेवा कार्यकलाप

23.44 नेहरू युवा केंद्र के युवा स्वयं–सेवकों हेतु राष्ट्रीय करियर सेवा परियोजना पर जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किया गया।

- वीवीजीएनएलआई, नोएडा के अंतर्राष्ट्रीय प्रशिक्षण कार्यक्रम के प्रशिक्षुओं हेतु राष्ट्रीय करियर सेवा परियोजना पर जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किया गया।
- राष्ट्रीय करियर सेवा (एनसीएस) परियोजना की युवा पेशेवर योजना का कार्यान्वयन किया गया।
- विभिन्न एमसीसी द्वारा आयोजित किए गए रोजगार मेलों के डेटा का संग्रहण
- उद्योग संघों, शैक्षिक और प्रशिक्षण संस्थानों, कौशल प्रदाताओं आदि जैसे हितधारकों के नेटवर्क को बढ़ाने के लिए आउटरीच कार्यक्रम का विकास
- प्रशिक्षण कार्यक्रमों के लिए सामग्री विकास
- प्रशिक्षण के लिए विकास समन्वयन

अध्याय–24

विशेष श्रेणियों को रोजगार सहायता

24.1 रोजगार सेवा के अन्तर्गत पूर्व की तरह ही महिलाओं, अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों, दिव्यांगों तथा दिव्यांग भूतपूर्व सैनिक जैसे रोजगार चाहने वाले कमजोर वर्गों की विशेष आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए प्रयास जारी रखे गए।

अजा/अज जातियों हेतु राष्ट्रीय करियर सेवा केंद्र

24.2 अजा/अजजा हेतु अध्यापन–सह–मार्गदर्शन केंद्र (अब अज/अजजा हेतु राष्ट्रीय करियर सेवा केंद्र के रूप में घोषित) की स्थापना रोजगार एवं प्रशिक्षण महानिदेशालय (अब रोजगार महानिदेशालय), श्रम और रोजगार मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा की गई थी। ये केंद्र रोजगार कार्यालयों में पंजीकृत अजा/अजजा के रोजगार चाहने वालों की अध्यापन, परामर्श एवं संबंधित प्रशिक्षण कार्यक्रमों के माध्यम से नियोजनीयता बढ़ाने हेतु उन्हें सेवाएं प्रदान करते हैं। इन केंद्रों द्वारा आयोजित किए गए कुछ कार्यक्रमों में विश्वास सृजन, व्यक्तिगत मार्गदर्शन, कृत्रिम साक्षात्कार, टंकण, आशुलिपि एवं कम्प्यूटर आदि में प्रशिक्षण शामिल हैं। सीजीसी योजना के मुख्य उद्देश्य निम्न हैं:

i) व्यावसायिक मार्गदर्शन एवं करियर संबंधी सूचना प्रदान करनाय

ii) रोजगार कार्यालयों में पंजीकृत अजा/अजजा के शिक्षित रोजगार चाहने वालों को उपयुक्त व्यवसायों में लगाना; तथा

iii) अध्यापन/प्रशिक्षण/मार्गदर्शन के माध्यम से उनकी नियोजनीयता में वृद्धि करना।

यह योजना प्रायोगिक आधार पर 4 केन्द्रों में 1969–70 में आरंभ की गई थी। योजना की सफलता के मद्देनजर, इसका विस्तार 19 और राज्यों में चरणबद्ध रूप से किया गया। वर्तमान में, अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजातियों के लिए पच्चीस राष्ट्रीय करियर सेवा केंद्र पच्चीस राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों में कार्य कर रहे हैं जिसमें दिल्ली, जबलपुर, कानपुर, चेन्नई, हैदराबाद, तिरुवनंतपुरम, कोलकाता, जयपुर, राँची, सूरत, आइजोल, बंगलौर, इम्फाल, हिसार, नागपुर, भुवनेश्वर, गुवाहाटी, मंडी, कोहिमा, जोवई, जम्मू, जालंधर, नाहरलागुन, पुडुचेरी एवं विशाखापट्टनम प्रत्येक में ऐसा एक–एक केंद्र स्थित है। जोवई एवं विशाखापट्टनम के अन्यथा सक्षम व्यक्तियों हेतु राष्ट्रीय करियर सेवा केंद्रों को कार्यात्मक बनाने की प्रक्रिया चल रही है।

इसके अतिरिक्त, इनमें से 14 केन्द्र आशुलिपि एवं टंकण में प्रशिक्षण हेतु सुविधाएं प्रदान करते हैं। अप्रैल, 2019 से 30 नवम्बर, 2019 तक विभिन्न राष्ट्रीय करियर सेवा केन्द्रों की वास्तविक उपलब्धियां नीचे दी गई हैं:

कार्यकलाप	**शामिल किए गए अभ्यर्थियों की संख्या**
एनसीएस पर पंजीकरण	11353
व्यक्तिगत मार्गदर्शन/करियर सूचना	22096
विश्वास सृजन कार्यक्रम	13928
टंकण एवं आशुलिपि में प्रशिक्षण	6525
भर्ती–पूर्व प्रशिक्षण (पी आर टी)	1364

ये केन्द्र:

- अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के आवेदकों को रोजगार से संबंधित अध्यापन–सह– मार्गदर्शन प्रदान करना।
- नियोक्ताओं द्वारा बुलाए जाने के दौरान उनके द्वारा संभावित रूप से समक्ष परीक्षा/साक्षात्कार के प्रकार और रोजगार की अपेक्षाओं संबंधी जानकारी उपलब्ध कराना।

- आरक्षित रिक्तियों के प्रति प्रेषण का परिणाम जानने के लिए नियोक्ताओं के साथ उपयुक्त अनुवर्ती कार्रवाई करना।
- रोजगार चाहने वालों के लिए व्यावसायिक सूचना/व्यावसायिक मार्गदर्शन और परामर्श और आत्मविश्वास सृजन कार्यक्रमों के आयोजन के साथ–साथ रोजगार विकसित करने संबंधी कार्य करना।
- आइजोल, हिसार, भुवनेश्वर, गुवाहाटी, मंडी, कोहिमा, जोवई, जम्मू, जालंधर, नाहरलागुन और विशाखापट्टनम स्थित राष्ट्रीय करियर सेवा केंद्रों के सिवाय उक्त केन्द्रों में अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के रोजगार चाहने वालों को आशुलिपि एवं टंकण में अभ्यास की सुविधाएं प्रदान करना।
- समय–समय पर, विभिन्न नियोजनकर्ता प्राधिकरणों तथा भर्ती अभिकरणों के सहयोग से अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के अभ्यर्थियों की नियोजनीयता में सुधार के लिए उनके लिए कर्मचारी चयन आयोग आदि द्वारा आयोजित प्रतियोगी परीक्षाओं द्वारा समूह श्गश पदों हेतु भर्ती पूर्व प्रशिक्षण कार्यक्रम की व्यवस्था करना।

24.3 अनु.जा./अ.ज.जा. हेतु विशेष अध्यापन योजना की मुख्य विशेषताएं

- अजा/अजजा हेतु राष्ट्रीय करियर सेवा केंद्र के जरिए अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के अभ्यर्थियों को समूह 'ग' पदों के लिए प्रतियोगी परीक्षाओं/चयन परीक्षाओं हेतु तैयार करने के लिए एक विशेष अध्यापन योजना चलाई जा रही है।
- अध्यापन की अवधि 11 माह है तथा प्रशिक्षुओं को मुफ्त पाठ्यक्रम पुस्तकों और सीमित लेखन सामग्री के अलावा वृत्तिका प्रदान की जाती है। शिक्षण संस्थाओं को अनु.जा./अनु.जन.जा. के अभ्यर्थियों को अध्यापन प्रदान करने के लिए व्यावसायिक प्रभार दिए जाते हैं।
- यह योजना 1973 में प्रायोगिक आधार पर दिल्ली में शुरू की गई थी।
- उक्त विशेष अध्यापन योजना के लाभों को देखते हुए, इस योजना का विस्तार कानपुर, कोलकाता, बंगलौर, हैदराबाद, राँची, सूरत, गुवाहाटी, इम्फाल, हिसार, जबलपुर, चेन्नई, तिरुवनंतपुरम, जयपुर, भुवनेश्वर, मण्डी, नागपुर, दिल्ली, जम्मू, जालंधर, कोहिमा और नाहरलागुन के 20 और स्थानों में कर दिया गया है।
- 2019–20 तक, अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के 20136 अभ्यर्थी सफलतापूर्वक कोचिंग पूरी कर चुके हैं।

रोजगार कार्यालयों में पंजीकृत अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के रोजगार चाहने वालों को कम्प्यूटर प्रशिक्षण प्रदान करने हेतु योजना

24.4 रोजगार कार्यालयों में पंजीकृत अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के शिक्षित रोजगार चाहने वालों को बाह्य स्रोतों से प्रशिक्षण सुविधाएँ उपलब्ध कराकर कम्प्यूटर प्रशिक्षण प्रदान करने के उद्देश्य से यह योजना फरवरी, 2004 से आरंभ की गई। छह माह की अवधि का प्रशिक्षण बंगलौर, भुवनेश्वर, चेन्नई, दिल्ली, गुवाहाटी, हिसार, हैदराबाद, जयपुर, कोलकाता, नागपुर, सूरत, कानपुर, तिरुवनंतपुरम, रांची एवं मंडी में देने की व्यवस्था की गई तथा इसका समन्वय इन स्थानों पर स्थित डीजीई के संबंधित राष्ट्रीय करियर सेवा केन्द्रों द्वारा किया गया। यह पाया गया कि श्रम बाजार की बदलती हुई मांगों के मद्देनजर उम्मीदवारों को छह माह का कम्प्यूटर प्रशिक्षण पाठ्यक्रम उन्हें नियोजनीयता प्रदान करने के लिए अधिक लाभप्रद नहीं रहा है। अतः वर्ष 2009–10 से यह निर्णय लिया गया कि सूचना प्रौद्योगिकी विभाग, जिसे 3.08.2009 से प्रारंभ किया गया है, के तहत डीओईएसीसी सोसाइटी के माध्यम से अ.जा./अ.ज.जा के 1000 अभ्यर्थियों को एक वर्षीय श्ओश स्तरीय कम्प्यूटर प्रशिक्षण दिया जाए। उपर्युक्त वर्णित स्थानों के अतिरिक्त, 03.08.2009 से जम्मू, जालंधर, इंफाल एवं कोहिमा में भी प्रशिक्षण प्रदान किया जा रहा है। जून, 2019 तक अ.जाति/अनु.ज.जाति के 19460 अभ्यर्थियों को राष्ट्रीय इलेक्ट्रॉनिक्स एवं सूचना प्रौद्योगिकी संस्थान (एनआईईएलआईटी) के माध्यम से 'ओ'–स्तरीय एक–वर्षीय

कम्प्यूटर प्रशिक्षण के अंतर्गत प्रवेश एवं प्रशिक्षण दिया गया है। 21 अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति हेतु एनसीएससी में 600 अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के रोजगार चाहने वालों की सीट क्षमता के साथ जुलाई, 2019 से अगला बैच आरंभ कर दिया गया है।

24.5 01.8.2012 से एक–वर्षीय "ओ"–स्तरिय कम्प्यूटर हाईवेयर अनुरक्षण प्रशिक्षण भी आरंभ कर दिया गया है। जुलाई, 2019 तक अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के 8050 अभ्यर्थियों को प्रवेश एवं प्रशिक्षण दिया गया तथा 18 अ.जा./अ.ज.जा. हेतु राष्ट्रीय करियर सेवा केंद्रों में अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के 450 अभ्यर्थियों की सीट क्षमता के साथ 01.08.2019 से अगला बैच प्रारंभ कर दिया गया है।

2019–20 के दौरान वस्तु परक प्रगति निम्नानुसार दी गई है:–

कार्यक्रम का नाम	**उपलब्धियां (अभ्यर्थियों की संख्या)**
विशेष अध्यापन योजना	1300
एक वर्ष का 'ओ' स्तरीय कम्प्यूटर प्रशिक्षण	600
एक वर्ष का 'ओ' स्तरीय कम्प्यूरटर हाडवेयर अनुरक्षण	450

24.6 2019–20 के दौरान 18.00 करोड़ रुपए का बजट योजना, "अध्यापन, मार्गदर्शन एवं व्यावसायिक प्रशिक्षण के माध्यम से अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के रोजगार चाहने वालों का कल्याण एवं विद्यमान अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति हेतु राष्ट्रीय करियर सेवा केंद्रों (एनसीएससी) में नए पाठ्यक्रमों का आरंभ तथा अब तक शामिल नहीं किए गए राज्यों में नए एनसीएससी की स्थापना" हेतु आबंटित किया गया है।

प्रत्यक्ष लाभ हस्तांतरण (डीबीटी) (योजना '0586') के माध्यम से अजा/अजजा को प्रदान किए गए लाभ

24.7 इस समय, अध्यापन/प्रशिक्षण/मार्गदर्शन आदि के माध्यम से रोजगार कार्यालयों में पंजीकृत अनु.जा./अ.ज.जा. के शिक्षित रोजगार चाहने वालों की नियोजनीयता को बढ़ाने के लिए अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति हेतु 25 एनसीएससी (पूर्व में अजा/अजजा हेतु सीजीसी) केंद्र चलाए जा रहे हैं। डीबीटी योजना के तहत तीन उप–योजनाओं में 3500 लाभार्थियों को शामिल करते हुए अजा/अज जातियों हेतु 21 राष्ट्रीय करियर सेवा केंद्र शामिल हैं, अर्थात् (1) विशेष अध्यापन योजना (1300 लाभार्थी), (2) कम्प्यूटर "ओ"–स्तरीय प्रशिक्षण सॉफ्टवेयर पाठ्यक्रम (1500 लाभार्थी) तथा (3) कम्प्यूटर "ओ"–स्तरीय कम्प्यूटर हार्डवेयर रखरखाव प्रशिक्षण (700 लाभार्थी) हैं। 01.07.2017 से डीबीटी के माध्यम से किसी विशेष माह के दौरान न्यूनतम 80% उपस्थिति के आधार पर 1000 रु./– प्रति प्रशिक्षु प्रति माह की दर से वृत्तिका का भुगतान किया जाता है। वि.व. 2018–19 के दौरान प्रशिक्षुओं को वृत्तिका के संवितरण हेतु कुल 3.38 करोड़ रु. (वि.व.) आवंटित किए गए और इस बजट का 99.70% व्यय हुआ, अर्थात् 3.37 करोड़ रु. का व्यय हुआ।

अनुसूचित जातियां/अनुसूचित जनजातियां

24.8 वर्ष 2012 के दौरान और इससे आगे के वर्षों में अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति तथा अन्य पिछड़े वर्गों के रोजगार चाहने वालों के लिए रोजगार कार्यालयों के कार्य निष्पादन का ब्यौरा तालिका 24.1 में नीचे दर्शाया गया है।

तालिका – 24.1

(लाख में)

श्रेणी	कार्यकलाप	2012	2013	2014	2015	2016*
अनुसूचित जाति	पंजीकरण	12.75	10.25	7.66	8.00	5.16
	नियोजन	0.31	0.32	0.22	0.27	0.14
	चालू रजिस्टर	71.66	72.92	76.44	70.48	71.54
अनूसूचित जनजाति	पंजीकरण	3.71	3.44	3.48	3.75	2.04
	नियोजन	0.19	0.21	0.24	0.28	0.13
	चालू रजिस्टर	24.31	24.87	24.17	25.22	25.39
अन्य पिछड़ा वर्ग	पंजीकरण	22.77	18.33	14.85	15.88	9.35
	नियोजन	0.19	0.23	0.10	0.11	0.07
	चालू रजिस्टर	116.71	114.14	121.34	113.99	116.05

* अनंतिम

दिव्यांगजनों हेतु राष्ट्रीय करियर सेवा केन्द्र (दिव्यांगजनों हेतु राष्ट्रीय करियर सेवा केंद्र)

24.9 श्रम और रोजगार मंत्रालय, दिव्यांग व्यक्ति अधिनियम, 2016 के अधिकारों के उपबंधों के कार्यान्वयन के लिए प्रतिबद्ध है। सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय (एसजेई मंत्रालय), जो दिव्यांगों के कल्याण हेतु नोडल मंत्रालय है, से रोजगार महानिदेशालय (डी जी ई) नियमित रूप से समन्वय एवं सहयोग करता रहा है।

- अन्यथा सक्षम व्यक्तियों हेतु चौबीस राष्ट्रीय करियर केंद्र (राष्ट्रीय करियर सेवा केंद्र–डीए) (पूर्व में वीआरसीज) कार्य कर रहे हैं, इनमें से वडोदरा स्थित एक केन्द्र विशेष रूप से दिव्यांग महिलाओं हेतु स्थापित किया गया है। वित्तीय वर्ष 2019–20 के दौरान दीमापुर (नागालैंड), शिलांग (मेघालय) और देहरादून (उत्तराखंड) में तीन नए केंद्र शुरू किए गए हैं। ये केंद्र कार्यात्मक बनने की प्रक्रिया में है।
- ये केन्द्र दिव्यांगों की अवशिष्ट कार्यक्षमता का आकलन करते हैं और उन्हें आर्थिक मुख्यधारा में लाने तथा उन्हें देश के उत्पादक नागरिक बनाने के उद्देश्य से समायोजन प्रशिक्षण एवं कौशल प्रशिक्षण प्रदान करते हैं।
- ये केन्द्र दिव्यांग व्यक्तियों के पुनर्वास हेतु जन–जागरूकता एवं सामुदायिक भागीदारी उत्पन्न करने के लिए पूर्व–सक्रिय भूमिका निभाते हैं।
- 2018–19 के दौरान इन केन्द्रों ने 31592 दिव्यांगों का पंजीकरण, 31466 का मूल्यांकन एवं 11721का पुनर्वास किया।
- 2019–20 (31.09.2019 तक) के दौरान इन केन्द्रों ने 16554 दिव्यांगों का पंजीकरण, 16521 का मूल्यांकन एवं 5690 का पुनर्वास किया।
- कौशलयुक्त कार्यबल की मांग एवं आपूर्ति के मध्य सम्पर्क का समन्वय करने के लिए, सरकार ने राष्ट्रीय करियर सेवा केंद्र–डीए में 5 आदर्श करियर केंद्रों की स्थापना की है। ये केन्द्र कौशल संवर्धन पाठ्यक्रमों, जो बाजार–प्रेरित हैं, का अनुसरण करने

के लिए दिव्यांग युवाओं हेतु एक मुख्य कार्यकलाप के रूप में करियर परामर्श पर ध्यान केन्द्रित करेंगे। इसके अतिरिक्त, पहुंच परामर्शी सत्र एवं रोजगार–मेले इन करियर केन्द्रों का एक मुख्य क्रिया–कलाप होंगे।

डीबीटी (योजना 3348) के माध्यम से दिव्यांग प्रशिक्षुओं को प्रदान किया गया लाभ

"विकलांगों हेतु व्यावसायिक पुनर्वास केंद्र (वीआरसी) योजना के अंतर्गत अभ्यर्थियों को वृत्तिका"

24.10 इस समय, देश में 21 राष्ट्रीय करियर सेवा केंद्र (पूर्व में विकलांगो हेतु वीआरसी) हैं, जो विकलांगों (दिव्यांग व्यक्तियों के रूप में भी संदर्भित) की चलने–फिरने की बाधा, दृश्य–श्रवण बाधा, हल्की मंद बुद्धिमता एवं इलाज किए गए कुष्ठ श्रेणियों में उनकी अवशिष्ट क्षमताओं का मूल्यांकन करते हैं तथा उनके जल्द आर्थिक पुनर्वास को सरल बनाने के लिए उन्हें समायोजन प्रशिक्षण प्रदान करते है। इन केंद्रों में कोई औपचारिक रोजगार–उन्मुख कौशल प्रशिक्षण प्रदान नहीं किया जाता है। तथापि, किसी विशेष माह में न्यूनतम 80% उपस्थिति की शर्त पर 2500 रु./– प्रति प्रशिक्षु की वृत्तिका प्रदान की जाती है। इसके अतिरिक्त, चल कैम्पों के माध्यम से भी ग्रामीण क्षेत्रों में रहने वाले दिव्यांग व्यक्तियों तक पुनर्वास सेवाओं का विस्तार किया गया है। वित्तीय वर्ष 2018–19 में वृत्तिका हेतु कुल 1.28 करोड़ रु. (वि.अ.) आवंटित किए गए तथा किया गया व्यय बजट का 97.80: था, जो कि 1.26 करोड़ है।

दिव्यांग भूतपूर्व सैनिकों तथा आश्रितों को सहायता

24.11 भूतपूर्व सैनिकों के लिए आरक्षित तथा प्राथमिकता श्रेणियों के लिए चिन्हित रिक्तियों के प्रति दिव्यांगों भूतपूर्व सैनिकों/सीमा सुरक्षा बल कार्मिकों तथा युद्ध में मारे गए या गंभीर रूप से दिव्यांग रक्षा सेवा कार्मिकों/सीमा सुरक्षा बल कार्मिकों के आश्रितों को नियोजन सेवाएं प्रदान करने के लिए रोजगार एवं प्रशिक्षण महानिदेशालय में एक भूतपूर्व सैनिक प्रकोष्ठ की जुलाई, 1972 में स्थापना की गई। तत्पश्चात, विशेष सेवा के कार्यक्षेत्र का शांति काल के दौरान दिव्यांग हुए भूतपूर्व सैनिकों के साथ–साथ शांति काल के दौरान मारे गए अथवा गंभीर रूप से विकलांग हुए रक्षा सेवा कार्मिक के आश्रितों के लाभार्थ भी विस्तार किया गया बशर्ते कि मृत्यु अथवा दिव्यांगता फरवरी, 1981 से सैन्य सेवा के कारण थी। वर्ष 2019 के दौरान (जनवरी से अक्तूबर) रोजगार सहायता हेतु 13 दिव्यांग भूतपूर्व सैनिकों तथा आश्रितों को पजीकृत किया गया।

रोजगार कार्यालयों के माध्यम से दिव्यांग व्यक्तियों को सेवाएं:

24.12 रोजगार सेवा रोजगार चाहने वाले दिव्यांग व्यक्तियों की विशेष आवश्यकताओं को पूर्ण करने के लिए विशेष प्रयास करती रही है जिसका विगत पांच वर्षों का कार्यनिष्पादन निम्नानुसार दिया गया है:–

रोजगार चाहने वाले दिव्यांग व्यक्तियों के संबंध में रोजगार कार्यालयों का कार्य निष्पादन

(हजार में)

वर्ष	पंजीकरण	नियोजन	चालू
			रजिस्टर
2012	54.1	2.1	715.2
2013	30.5	1.9	717.3
2014	28.4	1.7	698.2
2015	42.1	2.8	689.0
2016*	41.3	2.6	681.5

* अनंतिम

दिव्यांगजनों के लिए विशेष रोजगार कार्यालय:

24.13 यद्यपि, राष्ट्रीय रोजगार सेवा के अंतर्गत रोजगार कार्यालय सामान्यतया दिव्यांगों के नियोजन के प्रति उत्तरदायी हैं, फिर भी उनके विशेष/चयनित नियोजन हेतु विशेष रोजगार कार्यालयों की स्थापना भी की गई थी। ये रोजगार कार्यालय दिव्यांगों को उनकी अवशिष्ट शारीरिक एवं मानसिक संभाव्यताओं के सबसे अनुकूल रोजगार प्राप्त करने हेतु प्रयास करते हैं। राज्य/संघ राज्य क्षेत्रों द्वारा प्राप्त रिपोर्टों के अनुसार, दिव्यांगों हेतु 42 विशेष रोजगार कार्यालय है तथा शारीरिक रूप से दिव्यांगों से संबंधित 38

विशेष प्रकोष्ठ थे।

24.14 सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय द्वारा केन्द्र सरकार से वित्तपोषित तथा सामान्य रोजगार कार्यालयों से संबद्ध एक विशेष नियोजन अधिकारी के साथ दिव्यांगों के लिए अब तक अड़तीस विशेष प्रकोष्ठों की स्थापना की गई है। ये विभिन्न राज्य सरकारों द्वारा रोजगार कार्यालयों में दिव्यांग आवेदकों के लिए खोले गए विशेष प्रकोष्ठों/एककों के अतिरिक्त हैं।

24.15 अन्यथा सक्षम रोजगार चाहने वाले व्यक्तियों हेतु विशेष रोजगार कार्यालयों का कार्यनिष्पादन निम्न तालिका में दिया गया है:–

वर्ष	2012	2013	2014	2015	2016*
पंजीकरण	13606	5653	3251	4434	4171
नियोजन	237	249	61	147	98
चालू रजिस्टर	102687	94657	96251	93197	92284

* अनंतिम

महिलाएं

24.16 रोजगार चाहने वाली महिलाओं के संबंध में रोजगार कार्यालयों का वर्ष–वार कार्यनिष्पादन नीचे दिया गया है (तालिका 24.2):

तालिका 24.2

(हजार में)

वर्ष	पंजीकरण	नियोजन	महिलाओं का चालू रजिस्टर	कुल चालू रजिस्टर	कुल चालू रजिस्टर की तुलना में महिलाओं के चालू रजिस्टर का %
2007	1835.5	46.5	12001.5	39974.0	30.0
2008	1756.1	51.9	12328.2	39114.9	31.5
2009	1989.9	53.4	12404.7	38152.2	32.5
2010	2005.4	107.1	12924.1	38818.5	33.3
2011	2122.6	85.7	13694.8	40171.6	34.1
2012	3511.0	67.8	15645.8	44790.1	34.9
2013	2233.2	58.7	16549.1	46802.5	35.4
2014	2189.4	60.8	17078.3	48261.1	35.4
2015	2532.7	59.9	15540.0	43502.7	35.7
2016	2256.8	59.7	15731.4	43376.1	36.3
2017* (30.06.2017 को)	635.5	49.8	15649.5	42809.1	36.6

* अनंतिम: जून, 2017 के बाद के आंकड़े प्रक्रियाधीन हैं तथा आंकड़े कैलेन्डर वर्ष–वार रिपोर्टित हैं।

अल्पसंख्यक

24.17 राष्ट्रीय जनजीवन के सभी क्षेत्रों में अल्पसंख्यकों की पूर्ण एकजुटता के लिए राज्य सरकारों को परामर्श दिया गया है कि वे यह सुनिश्चित करें कि रोजगार कार्यालयों में पंजीकरण और नामों की सूची भेजने के मामलों में अल्पसंख्यक समुदायों के साथ कोई भेदभाव न किया जाए। अल्पसंख्यकों के पंजीकरण तथा नियोजन के मामले में हुई प्रगति की निगरानी करने के लिए तथा अल्पसंख्यक बहुल क्षेत्रों में चल–रोजगार कार्यालय पंजीकरण कैम्पों को आयोजित करने के लिए रोजगार कार्यालयों को निदेश देने हेतु निगरानी प्रकोष्ठों का गठन करने के लिए भी राज्य सरकारों को सलाह दी गई है।

दिसंबर 2016 (अनंतिम) के अंत में अल्पसंख्यक समुदाय से संबधित रोजगार कार्यालयों के चालू रजिस्टर पर कुल 59.9 लाख रोजगार चाहने वाले थे। ये चालू रजिस्टर पर कुल रोजगार चाहने वालों का 13.8% हैं।

24.18 वित्त वर्ष 2019–20 के लिए रोजगार निदेशालय की योजनाओं के बजट अनुमानों का ब्यौरा तालिका–24.17 में दिया गया है।

तालिका–24.17

क्र. सं.	रोजगार निदेशालय के तहत योजनाएं वित्तीय वर्ष 2019–20		
	योजनाएं/कार्यक्रम	**बजट अनुमान (करोड़)**	**व्यय (नवम्बर, 2019 तक) करोड़**
1	''अध्यापन, मार्गदर्शन एवं व्यावसायिक प्रशिक्षण के माध्यम से अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के रोजगार चाहने वालों का कल्याण एवं विद्यमान अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति हेतु राष्ट्रीय करियर सेवा केंद्रों (एनसीएससी) में नए पाठ्यक्रमों का आरंभ तथा अब तक शामिल न किए गए राज्यों में नए राष्ट्रीय करियर सेवा केंद्र की स्थापना।''	18.00	10.49
2	रोजगार प्रोत्साहन योजना	15.79	12.77
3	राष्ट्रीय करियर सेवा (एनसीएस) परियोजना	50.00	34.69
4	प्रधान मंत्री रोजगार प्रोत्साहन योजना	4500	2620.00

अध्याय–25

लिंग आधारित बजट

25.1 लिंग विश्लेषण और बजटीय कार्य हेतु विस्तृत समिति:–

लिंग आधारित बजट प्रकोष्ठ के प्रमुख सीसीए हैं जिनकी सहायता यूएस (बीएंडए) करते हैं। मुख्य लेखा नियंत्रक ने वर्ष 2019–20 के लिए लिंग आधारित बजट–वार्षिक कार्य योजना को अद्यतन करने की प्रक्रिया भी शुरू की है। इस संबंध में, व्यापक वार्षिक कार्य योजना पर चर्चा करने और उसे तैयार करने के लिए हितधारकों के साथ विभिन्न बैठकें आयोजित की गईं, ताकि मंत्रालय के लिंग–वार निधियों की उपयोगिता की सच्ची तस्वीर विभिन्न केंद्रीय बजट से संबंधित विवरणों या दस्तावेजों में परिलक्षित हो सके। इस बीच, लिंग संबंधी समस्याओं को दूर करने की दिशा में आगे बढ़ने के लिए कार्रवाई का मूल्यांकन करने और सुझाव देने एवं लिंग बजटीय कार्य को आगे बढ़ाने हेतु कार्रवाई की समीक्षा करने के लिए सरकारी और निजी हितधारकों के साथ महिला और बाल विकास मंत्रालय के सचिव की अध्यक्षता में लिंग विश्लेषण और बजटीय कार्य हेतु विस्तृत समिति का गठन किया गया, जिसमें श्रम और रोजगार मंत्रालय की संयुक्त सचिव सुश्री विभा भल्ला को सदस्य के रूप में नामित किया गया है।

अ.जा./अ.ज.जा. का कल्याण

25.2 अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति हेतु राष्ट्रीय कैरियर सेवा केंद्र के अंतर्गत उपरोक्त श्रेणियों से संबंधित अभ्यार्थियों का आत्मविश्वास सृजन, प्रशिक्षण कार्यक्रम एवं व्यावसायिक मार्गदर्शन प्रदान करने हेतु योजना शामिल है। ये राष्ट्रीय कैरियर सेवा केंद्र विभिन्न राष्ट्रीयकृत बैंकों तथा एजेंसियों हेतु भर्ती–पूर्व प्रशिक्षण पाठ्यक्रमों में सम्मिलित हैं।

(करोड़ रुपए में)

कार्यक्रम	अनुमानित परिणाम / उद्देश्य	कार्यक्रम / उप कार्यक्रम का लिंग घटक	कुल सार्वजनिक व्यय (रूपये) 2018–19			महिलाओं / लड़कियों पर सार्वजनिक व्यय (रूपये) (2018–2019)			लिंग के आधार पर वर्गीकृत लाभार्थी (महिलाओं तक लाभों का विस्तार) (2018–2019)/ लक्ष्य एवं महिला लाभार्थियों / वस्तुपरक / वित्तीय/ अन्यों की निष्पादन संख्या
			योजना	गैर–योजना	योग	योजना	गैर–योजना	योग	
अध्यापन, मार्ग–दर्शन एवं व्यावसायिक प्रशिक्षण तथा अ.जा./अ.ज. जातियों हेतु विद्यमान राष्ट्रीय कैरियर सेवा केंद्रों (एनसीएससी) में नए पाठ्यक्रमों के आरंभ तथा अब तक शामिल न किए गए राज्यों में नए एनसीएससी की स्थापना के माध्यम से अ.जा./अ. ज.जा. के रोजगार चाहने वालों का कल्याण।	अध्यापन, मार्गदर्शन एवं व्यावसायिक प्रशिक्षण के माध्यम से अ. जा./अ.ज. जातियों के रोजगार चाहने वालों की नियोजनीयता में वृद्धि करना।	कार्यक्रम बेरोजगार शिक्षित रोजगार चाहने वाले पुरुषों व महिलाओं दोनों के लिए है	11.85	10.15	22.00	9.79	7.65	17.44	74145 (46%)

(ख) 2018–19 के दौरान सार्वजनिक व्यय और लाभार्थियों की संख्या का लिंग आधारित विश्लेषण (जीबीए) विवरण

(करोड़ रुपए में)

कार्यक्रम	अनुमानित परिणाम / उद्देश्य	कार्यक्रम / उप कार्यक्रम का लिंग घटक	कुल सार्वजनिक व्यय (रुपए) 2018–19 (योजना एवं गैर योजना)			महिलाओं / लड़कियों पर कुल सार्वजनिक व्यय (2018–19)			लिंग के आधार पर वर्गीकृत लाभार्थी (महिलाओं तक लाभों का विस्तार) (2018–19) / लक्ष्य एवं महिला लाभार्थियों / वस्तुपरक / वित्तीय / अन्यों की निष्पादन संख्या
			योजना	गैर–योजना	योग	योजना	गैर–योजना	योग	
शारीरिक रूप से विकलांग व्यक्तियों (निःशक्तजन) को सहायता	व्यावसायिक पुनर्वास में अवशिष्ट क्षमताओं का मूल्यांकन करना, समायोजन प्रशिक्षण प्रदान करना एवं सहायता उपलब्ध कराना।	इस कार्यक्रम में पुरुष एवं महिलाएं दोनों शामिल हैं।	13.90	20.78	34.68	7.75	18.12	25.87	21064 (महिला लाभार्थी) 28%

492797/2020/CO-ORDINATION

जिनकी मेहनत है देश का आधार, उनकी पेंशन का सपना साकार।

PRADHAN MANTRI SHRAM YOGI MAAN – DHAN (PM-SYM)

A Pension scheme for unorganized workers

Features:

- Assured monthly pension of ₹ 3000/- on attaining the age of 60 years,
- Voluntary and contributory pension scheme,
- Matching contribution by Central Government,
- Monthly contribution ranges from ₹ 55 to ₹ 200 depending upon entry age,
- Family pension of ₹ 1500 per month for spouse only,
- Flexible exit and refund with interest.

Eligibility:

- Age of entry 18-40 years,
- Monthly income not exceeding ₹ 15000/-,
- Should not be a member of EPFO, ESIC, NPS (Govt Funded), NPS-Traders and should not be an income tax payer.

National Pension Scheme

For Traders and Self Employed Persons

Features:

- Assured monthly pension of ₹ 3000/- on attaining the age of 60 years,
- Voluntary and contributory pension scheme,
- Monthly contribution ranges from ₹ 55 to ₹ 200 depending upon entry age,
- Matching contribution by Central Government,
- Family pension of ₹ 1500 per month for spouse only,
- Flexible exit and refund with interest.

Eligibility:

- Age of entry 18-40 years,
- Annual turnover not exceeding ₹ 1.5 crore,
- Should not be a member of EPFO, ESIC, NPS (Govt Funded), PM-SYM and should not be an income tax payer.

NATIONAL CAREER SERVICE

Gateway to lakhs of Jobs Opportunities

Pool of more than one crore talented /skilled Job-seekers across various sectors for industry need.

www.ncs.gov.in

EPFO

Services offered on EPS pensioners' web portal

- Jeevan Pramaan Enquiry
- Know your PPO Number
- PPO Enquiry /Payment Enquiry
- Know your Pension Status

https://mis.epfindia.gov.in/PensionPaymentEnquiry/

The rate of contribution under the ESI Act (From 6 .5% to 4%)

*effective from 01.07.2019

Employer's contribution Reduced (from 4.75% to 3.25%)

Employees' contribution Reduced (from 1.75% to 0.75%)

सत्यमेव जयते

श्रम एवं रोजगार मंत्रालय
भारत सरकार

श्रमेव जयते

Website: https://www.labour.nic.in